चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 10

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2008
20 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room ...
Block 'G'
Acc. No. 35-10
Dated 28 Oct. 2009

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 10, गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2008/20 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200	1-35
अतारांकित प्रश्न संख्या 1763 से 1810 और 1812 से 1992	35-431
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) मुंबई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले	
श्री पी. चिदम्बरम	433-439
(दो) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री आर. वेलु	535
(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री दिनशा पटेल	536
नियम 193 के अधीन चर्चा	
मुम्बई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	442-457
श्री मिलिन्द देवरा	457-461
मोहम्मद सलीम	461-473
श्री प्रणब मुखर्जी . . .	474-484
श्री रामजीलाल सुमन	546-551
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव .	551-559
श्री मित्रसेन यादव .	559-562

विषय	कॉलम

श्री ए. कृष्णास्वामी	562-563
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	563-572
श्री अनन्त गंगाराम गीते	572-577
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	577-582
श्री गुरुदास दासगुप्त.	582-586
श्री संदीप दीक्षित	586-591
श्री शरनजीत सिंह ढिल्लो .	591-593
श्री हरिन पाठक .	593-598
श्री राहुल गांधी . .	598-602
प्रो. एम. रामदास.	603-606
श्रीमती रंजीत रंजन	607-608
कुमारी ममता बनर्जी .	608-615
श्रीमती प्रिया दत्त.	615-617
डा. सी. कृष्णन	618
श्री असादूद्दीन ओवेसी	619-624
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार . . .	625-627
श्री एस.के. खारवेनथन	627-629
श्री सुब्रत बोस . .	629
श्री हंसराज गं. अहीर . .	630-632
डा. अरुण कुमार शर्मा .	632-633
श्री रामदास आठवले	633-635
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	635-636
श्री पी.सी. थामस	636-637
श्री मोहन रावले	637-639
श्री एन.एन. कृष्णदास	639-641

विषय कॉलम

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव . . . 641-643

श्री निखिल कुमार . 643-645

श्री लालमणि प्रसाद . . 645-647

श्री पी. चिदम्बरम 648-652

डा. मनमोहन सिंह 652-656

सभा पटल पर रखे गए पत्र 484-534

संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय 535

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 537

(दो) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की प्रगति की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार 538

(तीन) देश में गरीबी तथा बेरोजगारी को रोकने के लिए मूल्य वृद्धि के अनुरूप आवधिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 539

(चार) हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन परियोजना के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर. . 539

(पांच) गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 540

(छह) गुजरात में मगदल्ला और अन्य छोटे पत्तनों का विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 541

विषय	कॉलम
(सात) राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (पुणे-सोलापुर-हैदराबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग 13 (पुणे-सोलापुर-बीजापुर) को चार लेन वाला बनाने और इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	541
(आठ) सादुलपुर (राजस्थान), हिसार (हरियाणा) और सादुलपुर-दिल्ली रेलमार्गों पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	542
(नौ) तटवर्ती क्षेत्रों में सामुद्रिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मछुआरा समुदाय को उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	542
(दस) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित अलॉय स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	543
(ग्यारह) उत्तर-पूर्व रेलवे के बरेली-लखनऊ क्षेत्र में आमान परिवर्तन कार्य कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	544
(बारह) देश में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	544
(तेरह) उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 'शिक्षा मित्र' के रूप में नियोजित शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री मुन्शी राम . .	545
(चौदह) गरीबी रेखा से नीच जीवन-यापन कर रहे भूमिहीन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के बजट आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	545
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	602-603
मुम्बई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करने के बारे में संकल्प . .	656-658

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 661-662

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 661-676

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 677-678

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 677-680

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

वीरवार, 11 दिसम्बर, 2008/20 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल की कमी

***181. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त शिकायतों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार को विभिन्न राज्यों में जुलाई से अक्तूबर 2008 की अवधि में डीजल उपलब्ध न होने के बारे में कुछ शिकायतें/रिपोर्टें मिली थी। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी थी कि डीजल उपलब्ध नहीं होने की छुट-पुट घटनाएं होने का कारण इन राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की मांग में वृद्धि होना था। तथापि कृषि और परिवहन क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों की मांग संपूर्णतया पूरी की जाती है।

(ग) से (ङ) ओएमसीज को समस्त देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) पर डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। ओएमसीज को पेट्रोलियम उत्पादों के संचलन में अस्थायी गड़बड़ी होने सहित अप्रत्याशित आकस्मिकता का ध्यान रखते हुए देश में विभिन्न स्थलों पर पेट्रोलियम उत्पादों के पर्याप्त भंडार बनाने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए भी निदेश दिए गए हैं।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि वे देश में हर समय पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं और आरओज को मांग के अनुसार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रही हैं। ओएमसीज ने यह भी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने देश में कहीं भी अपने आरओज को पेट्रोल और डीजल की, की जाने वाली आपूर्ति प्रतिबंधित/कटौती नहीं की है।

[हिन्दी]

नागर विमानन क्षेत्र की विकास दर

***182. श्री कीरेन रिजीजू :**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और ईंधन के मूल्यों में वृद्धि तथा अवसंरचना के अभाव के कारण विमानन क्षेत्र की विकास दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विमानन उद्योग में आई मंदी की चुनौतियों का सामना करने तथा विकास दर को बनाए रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) तथा (ख) जी, हां। जनवरी से अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरान अंतर्देशीय यात्री वृद्धि दर में पूर्ण कैलेण्डर वर्ष 2006 तथा 2007 में हुई क्रमशः 46.5% तथा 32.5% वृद्धि की तुलना में 1.94% की गिरावट आई है।

विमानन सेक्टर सबसे पहले ईंधन के मूल्यों में आई वृद्धि की वजह से अत्यधिक प्रभावित हुआ। इसके पश्चात्, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट नागर विमानन क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट की वजह

बनी। भारतीय विमानन की संवृद्धि में यह गिरावट अवसंरचना की कमी की वजह से नहीं आई है चूंकि भारतीय हवाईअड्डों पर मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

(ग) विमान उद्योग में आई गिरावट की चुनौतियों का सामना करने के लिए, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:—

(1) ए.टी.एफ. के आयात पर सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(2) राज्य सरकार से ए.टी.एफ. पर बिक्री कर को कम करने का अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने कुछ मामलों में ए.टी.एफ. पर बिक्री कर में 4% तक की कमी की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पुणे तथा मुम्बई को छोड़कर और हवाईअड्डों से प्रचालित होने वाली उड़ानों के लिए ए.टी.एफ. पर बिक्री कर को 25% से घटाकर 4% कर दिया है।

(3) तेल कंपनियों ने भी एयरलाइन कंपनियों का 6 महीने से अधिक की देयताओं को आगे-पीछे देने को कहा है।

(4) विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से, तेल कंपनियां सितम्बर, 2008 से ए.टी.एफ. की कीमतें घटा रही हैं।

(5) एयरलाइनों की भावी मांग को पूरा करने के लिए हवाईअड्डों पर अवसंरचना और हवाई यातायात नियंत्रण तथा दिक्चालन का निरन्तर स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तीव्र गति वाला यात्री/मालभाड़ा गलियारा

***183. श्री पी. राजेन्द्रन :**
श्री रशीद मसूद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार तीव्र गति वाले यात्री/मालभाड़ा गलियारों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन गलियारों में सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र में जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं। रेल मंत्रालय ने उच्च रफ्तार यात्री गलियारों के निर्माण के लिए केवल पूर्व-व्यावहारिकता अध्ययन करने का विनिश्चय किया है। चुनिंदा गलियारे निम्नानुसार हैं:-

(i) दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर

(ii) पुणे-मुम्बई-अहमदाबाद

(iii) हैदराबाद-दोर्णाकल-विजयवाड़ा-चेन्नै

(iv) चेन्नै-बेंगलूरु-कोयम्बतूर-एर्णाकुलम

(v) हावड़ा-हल्दिया

ये गलियारे देश के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों को कवर करते हैं।

(ग) दक्षिण गलियारे से जुड़ने वाले स्टेशनों के बारे में पूर्व-व्यावहारिकता अध्ययन पूरे होने के बाद ही पता चलेगा और यह मांग, वित्तीय अर्थक्षमता और परिचालनिक व्यावहारिकता पर निर्भर करेगा।

(घ) पूर्व-व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता तैनात करने हेतु विश्वव्यापी निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। अभी तक दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर और पुणे-मुम्बई-अहमदाबाद गलियारों के लिए पूर्व-व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। ये अध्ययन पूरे होने और उनका मूल्यांकन होने के बाद ही इस संबंध में निर्णय किया जा सकेगा।

एयरलाइनों द्वारा किराया वापस लिया जाना

***184. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक एयरलाइनें पर्याप्त समय पूर्व रद्द कराए गए टिकटों की धनराशि वापस करने में आनाकानी करती हैं और वापस की जाने वाली धनराशि को केवल निश्चित अवधि के भीतर की जाने वाली आगामी यात्रा में समायोजित करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन एयरलाइनों द्वारा धन वापसी संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इन एयरलाइनों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने धन वापसी संबंधी नए नियम जारी किए हैं जिनमें एयरलाइनों को इनका पालन करने के निर्देश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इससे यात्रियों को निर्धारित समय-सीमा में धनराशि वापस मिलने में कितनी सहायता मिलेगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (छ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) सेक्शन 3, सीरीज एम, भाग-II जारी की है जिसमें यात्रियों को हवाई टिकटों की धनराशि को लौटाने संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित की हैं। उक्त सीएआर में निहित अपेक्षाओं के अनुसार, हवाई टिकटों की धनराशि को लौटाने के बारे में निम्नलिखित शर्तें इस प्रकार हैं:-

- क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान के मामले में, रद्दीकरण के सात दिन के भीतर एयरलाइनों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारक के खाते में इसका रिफंड कर दिया जायेगा।

- नकद लेन-देन के मामले में, जिस एयरलाइन कार्यालय से टिकट खरीदा गया था, उसी कार्यालय द्वारा तुरंत इसका रिफंड कर दिया जाएगा।

- ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट की खरीद के मामले में, धनराशि लौटाने का मामला यात्री तथा ट्रेवल एजेंट पर छोड़ दिया जाएगा।

- टिकटों के अनुपयोग/रद्दीकरण की स्थिति में एयरलाइनें यात्रियों से उनके द्वारा लिए गए यात्री सेवा शुल्क को अनिवार्यत: लौटाएगी।

- एयरलाइनें किसी भी प्रभार यथा कंजेशन चार्ज, ईंधन सरचार्ज आदि के रिफंड टिकट की धनराशि लौटाने के साथ करेगी, जब तक कि इन्हें मूल किराए में न जोड़ा गया हो।

- भावी यात्रा के लिए टिकटें ऑफर किए जाते समय, यात्रियों को धन के तुरंत रिफंड करने के विकल्प की अनुमति होगी।

- एयरलाइनें टिकट के रद्दीकरण पर धन के रिफंड की अनुमेय राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगी। इस प्रयोजनार्थ, राशि तथा इसके विवरण का टिकट पर ही अथवा इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त अलग फार्म के जरिए उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही एयरलाइन नीति और रिफंड की राशि को अपनी अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेंगी।

- खोए हुए टिकट कूपनों के मामले में, एयरलाइनें टिकटों के रिकार्ड से सत्यापन के बाद टिकट की राशि के रिफंड के लिए तत्परता से कार्रवाई करेंगी।

उपर्युक्त सीएआर का अनुपालन करना सभी अंतर्देशीय अनुसूचित एयरलाइनों के लिए अनिवार्य है।

फास्फेटयुक्त उर्वरकों की कमी

***185. श्री पी.सी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में फास्फेटयुक्त उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल सहित कुछ राज्यों ने इस कमी की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) जी नहीं।

यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन और वितरण के अधीन है। केन्द्र सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। राज्य के अंदर इसके वितरण के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। अन्य सभी उर्वरकों अर्थात् डीएपी, एमएपी, एसएसपी

और एनपीके आदि को 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध हैं। फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्णय बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर लिया जाता है।

वर्ष 2008-09 (नवंबर 2008 तक) के दौरान केरल राज्य तथा अखिल भारत स्तर पर फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(000 मी.टन)

राज्य	डीएपी			एनपीके		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
केरल	25.30	19.34	19.29	136.06	129.66	127.89
अखिल भारतीय	7581.84	8265.83	8260.34	7043.85	5355.48	5314.40

केरल में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की कम उपलब्धता का कारण केरल सरकार द्वारा मैसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि. तथा मैसर्स जुआरी इंडस्ट्रीज लि. को उर्वरक पंजीकरण प्रमाण-पत्र (एफआरसी) का जारी न किया जाना है, जिन्हें केरल को 4500 मी.टन और 3000 मी. टन डीएपी की आपूर्ति करने का सुझाव दिया गया था।

फॉस्फेटयुक्त (डीएपी/एनपीके) उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री संलग्न विवरण में दी गई है। जैसाकि देखा जा सकता है कि देश में डीएपी की कोई कमी नहीं है तथापि इन उर्वरकों के सीमित स्वदेशी उत्पादन के कारण मिश्रित उर्वरकों की उपलब्धता थोड़ी कम है और इनका आयात भी नहीं किया जा सकता है। जैसाकि देखा जा सकता है देश में एनपीके उर्वरकों की अखिल भारतीय कुल उपलब्धता आवश्यकता का 75% है। तथापि केरल के मामले में उपलब्धता आवश्यकता का लगभग 95% है।

विवरण

2008-09 वर्ष 2008-09 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता (अप्रैल से नवम्बर, 2008)

मात्रा ('000) मी.टन

राज्य	डीएपी			मिश्रित		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	621.00	881.90	880.60	1550.00	1229.27	1218.98
कर्नाटक	540.00	578.07	577.61	817.00	608.04	604.70
केरल	25.30	19.34	19.29	136.06	129.66	127.89
तमिलनाडु	315.46	326.24	325.18	244.93	213.57	211.20
गुजरात	569.00	713.85	712.80	354.50	344.72	334.83

1	2	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	780.64	762.85	760.98	414.68	191.03	188.87
छत्तीसगढ़	157.00	157.76	157.74	116.96	99.79	99.08
महाराष्ट्र	630.00	707.68	706.13	1152.80	787.31	782.77
राजस्थान	505.00	543.37	543.07	132.70	59.64	59.3
हरियाणा	550.00	627.77	627.15	49.50	30.94	30.35
पंजाब	710.00	757.67	756.39	86.00	54.28	52.13
उत्तर प्रदेश	1150.00	1276.39	1274.13	790.00	577.90	576.70
उत्तराखंड	24.00	22.48	22.48	39.00	42.18	42.08
बिहार	340.00	321.85	321.46	315.00	211.47	210.59
झारखण्ड	83.00	72.98	72.92	37.50	29.53	29.51
उड़ीसा	132.50	156.21	156.03	208.20	199.30	199.11
पश्चिम बंगाल	297.80	293.00	292.76	515.50	500.60	500.25
असम	67.90	8.77	6.99	18.30	3.07	3.06
अखिल भारत	7581.84	8265.83	8260.34	7043.85	5355.48	5314.40

[हिन्दी]

तेल कंपनियों को घाटा

*186. **श्रीमती करुणा शुक्ला :**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद तेल कंपनियां भारी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान तेल कंपनियों को कंपनी-वार कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार इन कंपनियों को हुए घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बी.पी.सी.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एच.पी.सी.) ने सूचना दी है कि 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान 14,431 करोड़ रु. की समस्त हानि हुई है। वर्ष 2007-08 के लिए ओ.एम.सीज. को हुए कर पश्चात लाभ तथा अप्रैल-सितंबर, 2008 की अवधि के लिए हानि के विवरण नीचे दिये गये हैं:—

(करोड़ रु.)

ओ.एम.सीज. का नाम	2007-08	2008-09 (अप्रैल-सितंबर, 08)
आई.ओ.सी.	6962.52	(6632)
बी.पी.सी.	1580.56	(3692)
एच.पी.सी.	1134.88	(4107)
योग	9677.96	(14431)

*कोष्टक में दर्शाए गए आंकड़े हानि को दर्शाते हैं।

ओ.एम.सीज. की वित्तीय स्थिति के संरक्षण के लिए सरकार एक "भार भागीदारी व्यवस्था" अपना रही है जिसके अंतर्गत भार को सभी स्टेक होल्डरों अर्थात् सरकार, सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित पद्धति से वहन किया जाता है:–

– सरकार द्वारा ओ.एम.सीज. को उनकी अल्प वसूलियों की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए तेल बांड जारी करना;

– अपस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ओ.एम.सीज. को कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य में छूट जारी करना;

– डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा अल्प वसूलियों का एक हिस्सा वहन करना;

– महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों में मामूली वृद्धि करना।

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 (अप्रैल-सितंबर 2008) के दौरान भार भागीदारी के ब्यौरे इस प्रकार है:–

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09 (अप्रैल-सितंबर, 08)
1	2	3
अल्प वसूली	77123	104391*
अपस्ट्रीम शेयरिंग	25708	25929
तेल बांड	35290	44967
ओ.एम.सीज. द्वारा समाविष्ट	16125	21957
योग	77123	92853

*प्रायोजित (प्रोजेक्टिड) अल्प वसूली अप्रैल-नवम्बर, 2008 के दौरान वास्तविक अल्प वसूली के आधार पर और 1.12.2008 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के आधार पर है। इन आंकड़ों को वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर अंतिम रूप दिया जायेगा।

भार भागीदारी व्यवस्था के अलावा, सरकार ने ओ.एम.सीज. को राहत देने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाए हैं। वे इस प्रकार हैं–

(क) कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क को घटाकर शून्य करना और पेट्रोल तथा डीजल पर 2.5% करना।

(ख) गैर ब्रांडिड पेट्रोल तथा गैर ब्रांडिड डीजल पर 1 रु. प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क घटाना।

[अनुवाद]

निःशक्त बच्चे

*187. **प्रो. एम. रामदास :**
श्री मदन लाल शर्मा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निःशक्त बच्चों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन निःशक्त बच्चों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है;

(ग) क्या निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इसका उचित रूप से कार्यान्वियन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो निःशक्त बच्चों को लाभ पहुंचाने हेतु इस

अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 2002 के अनुसार 5 से 18 वर्ष के आयु समूह में अनुमानित 45 लाख नि:शक्त बच्चे थे जिनमें से लगभग 47% विद्यालयों में पंजीकृत थे।

(ग) और (घ) बच्चों की शिक्षा से संबंधित अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन समुचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा किया जाना है। इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नांकित हैं:-

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है जिसका उद्देश्य नि:शक्त बच्चों सहित 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

'समावेशी शिक्षा' के सर्व शिक्षा अभियान संघटक का उद्देश्य, विकलांग बच्चों की पहचान और विद्यालयों में उनके पंजीकरण, विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और बाधा-रहित सुविधाएं देना, पुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए भत्ता, वर्दी, पहिवहन, छात्रावास संवास और भोजन की व्यवस्था, पाठक, मार्ग संरक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण, समुचित अध्यापन शिक्षण सामग्री, ब्रेल पुस्तकों और सहायक यंत्रों का प्रावधान, वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा, दूरस्थ, शिक्षा और सीखना, गृह-आधारित शिक्षा, भ्रमणशील अध्यापक, उपचारीय अध्यापन आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से, जहां तक संभव हो, सामान्य विद्यालय में नि:शक्त बच्चों को शिक्षित करना है।

30 सितम्बर, 2008 तक, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27.23 लाख नि:शक्त बच्चों की, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत पहचान की गई जिनमें से 22.53 लाख बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पंजीकृत किया गया। 0.88 लाख नि:शक्त बच्चों को शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवीन शिक्षा के अंतर्गत कवर किया गया और 1.12 लाख नि:शक्त बच्चों को गृह-आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।

30 सितम्बर, 2008 तक, सामान्य आरंभिक विद्यालयों के लगभग 17.59 अध्यापकों को 3-6 दिनों के लिए समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया और 0.79 लाख अध्यापकों को 90 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया गया।

30 सितम्बर, 2008 तक 6.48 लाख आरम्भिक विद्यालयों में रैम्प और हैंडरेल प्रदान किए गए हैं ताकि उन्हें बाधा-रहित बनाया जा सके।

आरंभिक विद्यालयों के 11.26 लाख नि:शक्त बच्चों को 30 सितम्बर, 2008 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायक यंत्र प्रदान किए गए हैं।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ''नि:शक्त बच्चों की एकीकृत योजना'' नामक एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 2007-08 में 18 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों को 64307 विद्यालयों के लिए सहायता दी गई है जिनमें 2007-008 में 3.57 लाख नि:शक्त बच्चे पढ़ते थे। यह योजना 2008 में संशोधित की गई है, और संशोधित योजना को ''माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)'' के रूप में जाना जाता है और अब इस योजना में कक्षा 9वीं से 12वीं के विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों की शिक्षा को कवर किया जाएगा।

(iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ''दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)'' के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की लगभग 700 संस्थाओं में लगभग 80,000 विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

(iv) विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए 12450 विशेष रूप से सज्जित अध्यापकों को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 389 संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 4500 विशेष अध्यापकों को 113 अध्ययन केन्द्रों में दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार, विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगभग 16950 विशेष अध्यापकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(v) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में विकलांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष

सुविधाएं प्रदान की हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लिपिक, प्रत्येक परीक्षा में 60 मिनट अधिक समय, विजुअल इनपुट्स वाले प्रश्नों के बदले में वैकल्पिक प्रश्न, और उत्तर लिखने के लिए कम्प्यूटर/टाइपराइटर का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। श्रवण विकलांग बच्चों के लिए केवल एक भाषा लेने का विकल्प है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना

***188. श्री रेवती रमन सिंह :**
श्री नकुल दास राई :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां अवमुक्त करता है।

(i) गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास

(ii) मेले और उत्सव/कार्यक्रम

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए निम्न प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान की गई:

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई राशि (लाख रुपए में)			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	अरुणाचल प्रदेश	2063.18	1980.30	3330.12	2102.42
2.	असम	2125.00	2453.39	1271.90	1321.97
3.	मणिपुर	57.30	939.35	1110.77	5.72
4.	मेघालय	5.00	1435.29	674.40	1238.54
5.	मिजोरम	1614.41	2613.38	1692.94	318.33
6.	नागालैंड	1733.97	2340.32	2066.74	2410.46
7.	सिक्किम	2712.89	2609.42	5554.65	5772.93
8.	त्रिपुरा	711.33	291.27	1050.76	360.94
	कुल	11023.08	14662.72	16752.28	13531.31

नये एलपीजी कनेक्शनों पर प्रतिबंध

189. **श्री अबु अयीश मंडल :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों ने नये एलपीजी कनेक्शन देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भुगतान न किए गए सब्सिडी बिलों के कारण सरकार पर तेल कंपनियों की भारी धनराशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने नए एलपीजी कनेक्शनों को जारी करना बंद नहीं किया है। नए एलपीजी कनेक्शन यथा संभव उपलब्ध कराए जाते हैं और किसी भी स्थिति में, साठ दिनों के अंदर। वर्तमान में, नए एलपीजी कनेक्शन वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं और 01.11.2008 तक देश में 1036.9 लाख एलपीजी ग्राहक हैं। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि उनके द्वारा अप्रैल-अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरान देश में 25.6 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से होने वाली संभावित हानियों/अल्प-वसूलियों के संबंध में ओएमसीज को 35,289.50 करोड़ रु. मूल्य के बांड जारी करने का निर्णय लिया था।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2008-09 के प्रथम छमाही के लिए संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से होने वाली अल्प-वसूलियों के संबंध में ओएमसीज को 44,967 करोड़ रु. मूल्य के बांड जारी करने का निर्णय लिया है।

कुल 59,923.17 करोड़ रु. मूल्य के बकाया बांडों में से, (वर्ष 2007-08 की चतुर्थ तिमाही के लिए 14,956.17 करोड़ रु. के बांड सहित) 22,000 करोड़ रु. के बांड नवम्बर 2008 में ओएमसीज को जारी किए गए थे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल बजट से एक निर्धारित दर से राजसहायता प्रदान कराती है। वर्ष 2008-09 के बजट में इस राजसहायता के लिए 2700 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए लोगों का पुनर्वास

*190. **श्री गुरूदास दासगुप्त :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल गैस त्रासदी के जीवित बचे लोगों और उसके शिकार हुए लोगों का पुनर्वास करने हेतु कोई अधिकार प्राप्त आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए लोगों के कल्याण संबंधी चालू योजनाओं की नवीनतम स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा 11 जून, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने दिसम्बर, 1984 के भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी प्रस्तावित अधिकार प्राप्त आयोग के गठन के लिए विचारार्थ विषयों, तौर-तरीकों, कार्यों, शक्तियों, मुख्यालय तथा अन्य संबंधित आवश्यकताओं के बारे में प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया। मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, अधिकार प्राप्त आयोग के गठन का प्रस्ताव प्रारूप विचारार्थ विषय के साथ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, चिकित्सकीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास शामिल है, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। विधि कार्य विभाग को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों के मत/टिप्पणियां रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में प्राप्त हो गए हैं।

(घ) 1984 के भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण से संबंधित चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है:-

चिकित्सा पुनर्वास योजना के अधीन 7 अस्पताल, 5 सिविल डिस्पेंसरी व 2 पॉली क्लीनिक एवं होम्योपैथी, यूनानी व भारतीय चिकित्सा पद्धति तीनों की एक-एक मिलाकर 3 डिस्पेंसरी, भोपाल के 36 गैस प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे पीड़ितों की चिकित्सा देखभाल व उपचार में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त 3 और अस्पताल आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी प्रणाली में से प्रत्येक के एक-एक, भी कार्य कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने पीड़ितों पर एमआईसी गैस के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 24 अध्ययन किये थे। आईसीएमआर ने 1993-94 में अपने अनुसंधान कार्य को बंद कर दिया और इस कार्य में लगे वैज्ञानिकों के दल ने राज्य सरकार के अंतर्गत इसे जारी रखा। इस कार्य को जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार ने 5 करोड़ रु. का कॉरपस फंड प्रदान किया था।

आर्थिक पुनर्वास के अधीन, गैस प्रभावित वार्डों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था और शेडों में स्थापित यूनिटों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 42 वर्क शेड एवं 152 औद्योगिक शेड का निर्माण किया गया था।

सामाजिक पुनर्वास योजना के अधीन आरंभिक राहत उपायों जैसे 1077 विधवाओं को पेंशन, दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चों के लिए दूध का वितरण आदि के अतिरिक्त, गैस पीड़ितों की विधवाओं के लिए 2468 घर बनाए व आवंटित किए गए।

पर्यावरणीय पुनर्वास के अधीन नालों का निर्माण, वृक्षारोपण एवं स्वच्छ जलापूर्ति को बढ़ाने का कार्य किया गया। अप्रैल, 2006 में भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), के अधीन एक परियोजना के लिए धन स्वीकृत किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने कोलार जलाशय से यूसीआईएल संयंत्र स्थल के आसपास 14 इलाकों तक पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए भोपाल नगर निगम (बीएमसी) को 14.18 करोड़ रु. मंजूर किये थे। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण

*191. **श्री वी.के. ठुम्मर :**

श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आमान परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के बाद आमान परिवर्तन कार्य को मंजूरी देने हेतु कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए आमान परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण कराने हेतु वर्ष 2008-09 के रेल बजट में प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं;

(घ) अब तक कितने सर्वेक्षणों का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) एकल आमान परियोजना 1.4.1992 को शुरू की गई थी और न्यूनतम लागत पर इन लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करने के लिए अपनाई गई नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि रेल उपयोगकर्ताओं को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का स्तर उससे निम्नतर नहीं हो जो उन्हें मीटर आमान पर मुहैया कराई जा रही थीं। इस नीति में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है:–

(i) वैकल्पिक बड़ी लाइन मार्गों का विकास करने के लिए लाइनों का आमान परिवर्तन ताकि इन मार्गों पर मौजूदा बड़ी लाइनों के दोहरीकरण की आवश्यकता न रहे।

(ii) अन्य बड़ी, लाइनों द्वारा जुड़े स्टेशनों के बीच नए बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करना।

(iii) पत्तनों, औद्योगिक केन्द्रों और विकास के लिए संभावित स्थलों तक बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करना।

(iv) सामरिक आधार पर अपेक्षित लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करना।

(v) यानांतरण स्थलों पर विलम्ब का परिहार करते हुए यानांतरण को कम करना और मालडिब्बों के फेरों में सुधार करना।

(ग) से (ङ) रेल बजट 2008-09 में शामिल रेल लाइनों के लिए आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण और इस कार्य को पूरा करने के लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i)	मनमाड तक नई लाइन सहित बिल्लीमोरा-वघई आमान परिवर्तन (135 कि.मी.)	30.06.2010
(ii)	प्रतापनगर-जाम्बुसर-कावी (75 कि.मी.)	31.03.2009
(iii)	नांदुरबार तक नई लाइन सहित जाघादिया-नेतरंग आमान परिवर्तन (135 कि.मी.)	31.03.2011
(iv)	मावली-बड़ी सदड़ी आमान परिवर्तन (82 कि.मी.)	31.03.2009
(v)	न्यू माल-मैनागुड़ी रोड आमान परिवर्तन (60 कि.मी.)	30.09.2009

[अनुवाद]

बंद पड़ी/रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

***192. श्री सुनील खां :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंद पड़ी/रुग्ण उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा उनके बंद/रुग्ण होने के क्या कारण है;

(ख) इन इकाइयों के पुनरुद्धार की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनके पुनरुद्धार हेतु आवश्यक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरक इकाइयों को किफायती मूल्यों पर फीड स्टॉक विशेषकर गैस उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, इस समय केवल 3 कम्पनियां ही रुग्ण हैं और रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास पंजीकृत हैं। मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार ये कम्पनियां हैं- फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) तथा मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)। एफसीआईएल और एचएफसीएल की इकाइयों को वर्ष 2002 में पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में बंद किया गया है। उक्त कम्पनियों की इकाइयों और उन्हें बंद करने के कारण तथा रुग्णता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने 30.10.2008 को एक प्रस्ताव पर विचार किया और सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों/सहकारी समिति द्वारा प्रवर्तित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से एचएफसीएल की बरौनी इकाई का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया तथा गैस सहित संयोजकों की जांच पड़ताल करने के अतिरिक्त प्रत्येक बंद पड़ी इकाई के पुनरुद्धार के लिए सभी वित्तीय माडलों की जांच-पड़ताल करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के लिए भी अनुमोदन दे दिया गया है। सरकार ने एफसीआईएल तथा एचएफसीएल के भारत सरकार के ऋणों और ब्याज देयताओं को बट्टे खाते में डालने पर विचार करने के लिए भी सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है तथापि, ऋण माफी पर अन्तिम निर्णय सरकार को पूर्णतः सुगठित प्रस्ताव प्राप्त होने पर लिया जाएगा। प्रत्येक इकाई के पुनरूद्धार के लिए अपेक्षित धनराशि के बारे में प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इंडिया (पीडीआईएल) द्वारा तैयार की गई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 1.155 मी. टन क्षमता की एक ब्राउन फील्ड परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए होगी। प्रत्येक इकाई के पुनरुद्धार के ठोस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिए जाने पर ही धनराशि की वास्तविक आवश्यकता का पता चलेगा।

जहां तक मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल) का संबंध है, यह एक घाटे में चल रही कंपनी है, किन्तु यूरिया का उत्पादन कर रही है और एनपीके संयंत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, मैसर्स डेलोइट की सिफारिश के आधार पर एक वित्तीय पुनर्गठन पैकेज पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

उर्वरक इकाइयों को वहनीय मूल्य पर फीडस्टॉक विशेषतया गैस की उपलब्धता के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है कि उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस की मौजूदा और भावी आवश्यकता को पूर्णतया देश में गैस की मौजूदा और भावी खोजों से पूरा किया जाएगा। मौजूदा उर्वरक इकाइयों के पुनरूद्धार/विस्तार और परिवर्तन के लिए

गैस की आवश्यकता, जिसमें बंद पड़ी इकाइयों का पुनरूद्धार करना शामिल है, को 20087-09 के बाद अतिरिक्त आपूर्तियों से गैस के आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। केजीडी-6 बेसिन से उपलब्ध होने वाली घरेलू गैस की कीमत सरकार द्वारा लैंड फाल प्वाइंट पर 4.2 अमेरिकी डालर प्रति एमएमबीटीयू पर निर्धारित की गई है। जहां तक भविष्य में मूल्य को वहन करने का संबंध है, उपभोक्ता इकाई को प्रचलित रियायत नीतियों/राजसहायता व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर निर्णय लेना होगा।

विवरण

रुग्ण/बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियाँ

I. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)

निगमन की तारीख 1.1.1961

पुनर्गठन की तारीख : 1.4.1978

कब से रुग्ण घोषित 1992

एफसीआईएल का इकाई-वार विवरण

इकाई का नाम	बंद करने का सरकार का निर्णय	बंद करने के कारण
सिंदरी	5.9.2002	एफसीआईएल नामक मूल कंपनी विविध कारणों जैसे संयंत्रों का पुराना होना, पुरानी प्रौद्योगिकी उपकरणों/क्षमता का बेमेल होना तथा उन्नयन/आधुनिकीकरण पर निवेश की कमी होना, की वजह से लगातार घाटे में चल रही थी।
गोरखपुर	18.7.2002	
तलचर	18.7.2002	
रामागुण्डम	18.7.2002	
कोरबा परियोजना	30.7.2002	

II. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)

निगमन की तारीख : 1.4.1978 (एफसीआईएल के द्वारा पुनर्गठन)

कब से रुग्ण घोषित : 1992

एचएफसीएल का इकाई-वार विवरण

इकाई का नाम	बंद करने का सरकार का निर्णय	बंद करने का कारण
बरौनी	5.9.2002	एचएफसीएल नामक मूल कंपनी विविध कारणों जिसमें प्रौद्योगिकी का पुराना होना, अभिकल्पन और उपकरणों की कमी, बिजली की कमी, औद्योगिकी संबंधों की समस्याएं, अधिशेष जनशक्ति तथा संसाधन की कमी शामिल हैं, की वजह से लगातार घाटे में चल रही थी।
दुर्गापुर	5.9.2002	
हल्दिया परियोजना	18.7.2002	

III. मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड

निगमन की तारीख : दिसंबर 1966

बीआईएफआर में कब से पंजीकृत : मार्च, 2007

रुग्णता के कारण : 2003-04 से यूरिया के मूल्य निर्धारण में नीतिगत परिवर्तन और 2002-03 से मिश्रित उर्वरकों तथा अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए विगत में किए गए निवेश को मान्यता न देना।

रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत

***193. श्री रनेन बर्मन :**
श्री हितेन बर्मन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करने वाली विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन लागत में पर्याप्त अंतर है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित किए जा रहे प्रत्येक रासायनिक उर्वरक की इकाई-वार अधिकतम और न्यूनतम लागत कितनी है;

(ग) उर्वरकों की उत्पादन लागत में इस व्यापक अंतर के क्या कारण है; और

(घ) उत्पादन लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) **यूरिया**

देश में विभिन्न यूरिया उत्पादन इकाइयों में यूरिया की उत्पादन लागत अलग-अलग है। उत्पादन लागत में अंतर प्रयुक्त फीडस्टाक/ईंधन, ऊर्जा खपत, संयंत्रों का पुरानापन, प्रौद्योगिकी, संयंत्र की क्षमता आदि में अंतर के कारण है। दिनांक 02 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित यूरिया उत्पादन इकाइयों के उत्पादन की उच्चतम और न्यूनतम अनंतिम मानकीकृत लागत निम्न प्रकार है:

	इकाई का नाम	आदानों पर बिक्री कर सहित अनंतिम अधिसूचित दरें (रुपए/मी. टन)	अभ्युक्ति
न्यूनतम	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	6125	समूह-I से संबंधित: 92 से पूर्व गैस
अधिकतम	एमएफएल, मद्रास	37008	समूह-III से संबंधित: 92 से पूर्व नेफ्था

विभिन्न यूरिया उत्पादन इकाइयों में उत्पादन की लागत में अंतर को कम करने के लिए सरकार ने एक नई मूल्य निर्धारण योजना की घोषणा की है जो समूह के अंदर इकाइयों के बीच यूरिया के उत्पादन की लागत में अंतर को कम करने के लिए एक समूह आधारित मूल्य-निर्धारण है। इसके अलावा, गैर-गैस आधारित इकाइयां नामत: नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों को मार्च, 2010 तक गैस में परिवर्तित करना अनिवार्य बनाया गया है ताकि एक समान ईंधन/फीडस्टाक को अपनाया जा सके और विभिन्न इकाइयों में उत्पादन की लागत के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

फास्फेटयुक्त उर्वरक

देश में सभी उत्पादों के लिए रियायत खण्ड के अंतर्गत स्वदेशी डीएपी के लिए अनुमेय उत्पादन की मानकीकृत लागत उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे आदानों/कच्ची सामग्री के स्रोत के बावजूद एक-समान है। तथापि, मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन की मानकीकृत लागत मिश्रित उर्वरकों में मौजूद "एन" के उत्पादन की लागत में अंतर के कारण अलग-अलग उत्पादकों के लिए अलग-अलग है। मिश्रित उर्वरकों में "एन" के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा रहे फीडस्टाक के आधार पर उद्योग को मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए चार समूहों नामत: आयातित अमोनिया, प्राकृतिक गैस आधारित कैप्टिव अमोनिया, नेफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया और आयातित अमोनिया/यूरिया मिश्रण में बांटा गया है। सितंबर, 2008 के लिए अधिसूचित विभिन्न मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन की न्यूनतम और अधिकतम लागत निम्न प्रकार है:

मिश्रित उर्वरक	न्यूनतम		अधिकतम	
	इकाई (रुपए/मी.टन)	लागत	इकाई (रुपए/मी.टन)	लागत
1	2	3	4	5
20:20:0:13	जीएसएफसी, बड़ौदा	34,307	इफ्को, पारादीप	41,613
10:26:26:0	सीएफएल, विजाग	49,077	टीसीएल, हल्दिया	49,266

1	2	3	4	5
12:32:16:0	जीएसएफसी, सिक्का	51,294	टीसीएल, हल्दिया	51,930
14:35:14:0	सीएफएल, विजाग	54,936	टीसीएल, हल्दिया	55,195
अमोनियम सल्फेट	जीएसएफसी, बड़ौदा	12,078	फैक्ट, उद्योगमंडल	18,376

एसएसपी में उत्पादन की लागत रॉक फास्फेट अर्थात स्वदेशी या आयातित के स्रोत पर निर्भर करती है इस प्रकार रॉक फास्फेट के स्रोत के आधार पर उत्पादकों को दो समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह के लिए उत्पादन लागत निम्न प्रकार है:

(रुपए/मी.टन)

	अक्तूबर, 2008 के लिए अधिसूचित अनुसार
एसएसपी (स्वदेशी रॉक फास्फेट)	रुपए 9,223
एसएसपी (आयातित रॉक फास्फेट)	रुपए 16,403

सरकार अमोनिया के उत्पादन के लिए नेफ्था का इस्तेमाल करने वाले उत्पादकों को गैस में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि उत्पादन दक्षता बढ़े और उत्पादन की लागत में व्याप्त अंतर में कमी आए।

एयर इण्डिया के यात्रियों की संख्या में कमी

*194. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इण्डिया के यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ उड़ाने बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ख) एटीएफ की अत्यंत उच्च लागत तथा हवाई किरायों पर इसके अनुवर्ती प्रभाव की वजह से, वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 के दौरान यात्रियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। जहां तक एयर इंडिया का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू सेक्टरों पर अप्रैल से सितम्बर, 2008 के दौरान क्रमशः 35% तथा 26% की गिरावट आई है।

(ग) लोड फेक्टर में सुधार लाने तथा अधिक राजस्व उत्सर्जित करने के लिए एअर इंडिया द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए है।:-

(1) ऑन-टाइम परफार्मेंस तथा अनुसूची की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए ।।। नए विमानों का आर्डर दिया जाना तथा पुराने विमानों को हटाया जाना।

(2) प्रचालनों की लागत बचाने के लिए मार्ग यौक्तिकरण कुछ हानिप्रद मार्गों का तथा उड़ानों को हटाया जाना।

(3) मौजूदा बेड़े की पुनर्सज्जा, सिटी चैक-इन, एडवांस एयरपोर्ट चैक-इन, ई-टिकटिंग आदि जैसे उत्पाद सुधार के उपाय।

(4) बाजार में अपनी पहुंच तथा राजस्व में सुधार लाने के लिए विश्व की प्रमुख एयरलाइनों के समूह, स्टार एयरलाइंस में शामिल होना।

(5) भोजन-सूची का यौक्तिकरण तथा केटरिंग का स्तरोन्नयन।

पर्यटक पुलिस

*195. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए पर्यटक सुरक्षा संगठन बनाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस का गठन करने के लिए विभिन्न राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से, भूतपूर्व सैनिकों सहित पर्यटक सुरक्षा संगठन बनाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दिशा-निर्देश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए, पर्यटकों के विरुद्ध अपराध सहित, अपराधों के रोकथाम की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों की है। तथापि, पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघराज्य क्षेत्र में पर्यटक पुलिस तैनात करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श दिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात कर दी है।

जीवन रक्षक औषधियां

***196. श्री असादूद्दीन ओवैसी :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अप्रैल 2005 में गठित कृतिक बल की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कृतिक बल की अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों से देश में जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को नियन्त्रित करने में कितनी मदद मिली है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) उचित मूल्यों पर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए 29.11.2004 को डा. प्रणव सेन, प्रधान सलाहकार (पीपी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 20 सितम्बर, 2005 को सौंप दी और इसने बल्क औषधों के मूल्य निर्धारण, सिर्फ फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण, सभी फार्मूलेशनों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने, उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, जेनरिक दवाओं के संवर्द्धन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने आदि जैसी अनेक व्यापक सिफारिशें की। सरकार ने औषध विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्जीवन, अनुसूची एम अनुपालन के लिए लघु क्षेत्रीय यूनिटों हेतु एक अलग से योजनागत निधि के सृजन, स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान आदि जैसी टास्क फोर्स की कुछ सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

टास्क फोर्स की सिफारिशों और तदंतर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) तथा अन्य स्टेकधारकों से चर्चा के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर इस विभाग ने राष्ट्रीय औषध नीति का प्रारूप तैयार किया। टास्क फोर्स की कतिपय सिफारिशों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल को विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने अपने 11.1.2007 की बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इस विषय पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। मंत्रियों के समूह का गठन हो गया है और अबतक इसकी चार बैठकें हो चुकी हैं। मंत्रियों के समूह की अंतिम बैठक 30.4.2008 को हुई थी। मंत्रियों के समूह ने अभी अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को नहीं दी हैं।

पर्यटक आवास

***197. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री के.एस. राव :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में होटल कमरों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर सस्ती श्रेणी के होटल आवास की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ख) जी, हां। तथापि पर्यटन मंत्रालय दिल्ली में होटल कमरों की कमी को दूर करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जैसी दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी भू-स्वामित्व एजेन्सियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है।

उर्वरक उत्पादक कंपनियों को बॉण्ड जारी किया जाना

***198. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक उत्पादक कंपनियों को लगभग 8 प्रतिशत की कूपन दर वाले 16 से 18 वर्ष की दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले बाण्ड जारी करके उनकी क्षतिपूर्ति कर रही है तथा इन बाण्डों का बाजार में काफी कम कीमत पर व्यापार होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देश में उर्वरकों के कम उत्पादन होने का एक मुख्य कारण रहा है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की कमी हो जाती है तथा फसल की बुआई के समय किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वर्ष 2007-08 में उर्वरक कंपनियों को 7500 करोड़ रुपए मूल्य के उर्वरक बाण्ड 3890 करोड़ रुपए तथा 3610 करोड़ रुपए की दो खेप में जारी किए गए थे। 16 वर्ष की अवधि (खेप-I) सहित बाण्ड की कूपन दर 8.3% और 18 वर्ष की अवधि (खेप-II) सहित 7.95% थी। बाजार में बाण्ड का लेन-देन बाजार की मौजूदा स्थितियों तथा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार द्वारा संभावित अर्जन पर निर्भर करता है। उर्वरक कंपनियों ने इन बाण्डों को पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न अवसरों पर 0% से 13% तक के डिस्काउंट पर बेचा है।

वर्तमान वर्ष में उर्वरक कंपनियों को नकद उर्वरक राजसहायता के एवज में 14 हजार करोड़ रुपए के बाण्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) वर्तमान वर्ष में देश में यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन 2007-08 की तुलना में अधिक होने की संभावना है। डीएपी का उत्पादन वर्तमान वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची सामग्री/आदानों की उपलब्धता की कमी के कारण 2007-08 के मुकाबले घट गया है क्योंकि फास्फेटयुक्त उर्वरकों का 90% से अधिक स्वदेशी उत्पादन आयातित राक फास्फेट और फास्फोरिक एसिड पर निर्भर करता है। जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नकद उर्वरक राजसहायता के एवज में बाण्ड जारी करना देश में उर्वरकों का कम उत्पादन होने का कोई बड़ा कारण नहीं है।

अनुमोदित ब्राण्ड की दवाईयों की बिक्री

***199. श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि ऐसे दवा निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो मूल्य नियंत्रण से बचने और अपने फार्मुलेशन के खुदरा मूल्यों में वृद्धि करने के लिए अपने ब्राण्डों की स्ट्रैन्थ अथवा इसके तत्वों में परिवर्तन करते हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह घोषणा इस संबंध में कुछ शिकायतें मिलने के बाद की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसमें संलिप्त विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) एनपीपीए के पास बाजार में बिक्री के लिए दवाओं की सक्षमता अथवा अवयव या खुराक को अनुमोदित करने की शक्तियां नहीं हैं। औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियम 1945 के अंतर्गत ये शक्तियां भारत के औषध

महानियंत्रक (डीसीजीआई) को प्रदत्त हैं। तथापि, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के पैरा 8(6) में यह प्रावधान है कि कोई भी विनिर्माता/आयातक, एनपीपीए द्वारा जारी मूल्य आदेश में नहीं शामिल किसी नई दवा या विद्यमान किसी अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन की नई खुराक का पहले सरकार/एनपीपीए से इसका मूल्य अनुमोदन प्राप्त किए बिना विपणन नहीं करेगा। अत: डीपीसीओ 1995 के अंतर्गत एनपीपीए से अपेक्षित मूल्य अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी विनिर्माता या आयातक तथा डीसीजीआई की भी है कि वे ऐसे अनुमोदनों के बारे में एनपीपीए को सूचित करें।

यह मामला बार-बार सरकार/एनपीपीए के ध्यान में आया है। विगत कुछ महीनों के दौरान विभाग ने इस विषय को एनपीपीए को सूचित करते हुए डीसीजीआई के साथ उठाया है। उक्त परिस्थिति में एनपीपीए के पास शक्तियां नहीं हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिवर्तित संरचना, खुराक रूप आदि के ऐसे उत्पादों को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी डीसीजीआई में सन्निहित है, अत: जब भी यह बात एनपीपीए के ध्यान में आती है, तब यह अनुसूचीबद्ध फार्मुलेशनों के मूल्य निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, यह अनेक उपायों के द्वारा जिनमें एनपीपीए को ओआरजी आईएमएस द्वारा भेजी गई मासिक रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग, विभिन्न राज्य औषध नियंत्रकों (चूंकि एनपीपीए के पास कोई फील्ड आफिस नहीं है) द्वारा दी गई सूचना, एनजीओ तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना और खुले बाजार से प्राप्त नमूनों तथा उनके मूल्यों के विश्लेषण आदि जैसी बाजार आसूचना के माध्यम से बाजार में एनपीपीए के बगैर अनुमोदन के बेचे जा रहे अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों का पता लगाने के लिए कार्रवाई करता है।

जब कभी एनपीपीए के ध्यान में यह बात आती है कि कोई कंपनी नई खुराक/संरचना (ऐसी खुराकों/संरचना के अलावा जिनके लिए उच्चतम मूल्य विद्यमान है) में अनुसूचीबद्ध दवाओं का विनिर्माण/विपणन कर रही है जिन्हें एनपीपीए द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है (अर्थात बगैर मूल्य अनुमोदन के बिक्री), तब एनपीपीए चूककर्ता कंपनियों को नियमित रूप से नोटिस जारी करता है और डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार फार्मूलेशन के उच्चतम मूल्य निर्धारित करने सहित समुचित कार्रवाई करता है।

भेषज इकाइयों को फिर से चालू करना

***200. श्री परसुराम माझी :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र भेषज इकाइयां बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बंद इकाइयों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इसके कारण कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों को फिर से चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) दस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय औषधीय उपक्रमों में से चार सार्वजनिक क्षेत्रीय औषधीय उपक्रम बंद हो गए हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के आधार पर फार्मा क्षेत्र की निम्नलिखित कंपनियों को बन्द कर दिया गया है:

		प्रभावित कामगारों की सं.
1.	बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल) कोलकत्ता	775
2.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट लि. (एसएसपीएल) कोलकत्ता	519
3.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (एमएपीएल) नागपुर।	234

इसके अतिरिक्त, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (एमएसडीएएल) नामक केन्द्रीय क्षेत्र का एक उपक्रम बन्द कर दिया गया जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें से प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कामगारों को उपयुक्त छटनी मुआवजा/स्वैच्छया विलगन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए हैं।

तथापि, इनमें से प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्रीय फार्मा उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुज्जीवन पैकेज के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को पुनरुज्जीवित किया जा रहा है:-

(1) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., पुणे।

(2) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता।

इसके अतिरिक्त, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. जैसे इसी प्रकार के एक अन्य बड़े केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकारी (एएआईएफआर) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकार, बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल), कोलकाता के पुनरुज्जीवन की संभावना की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

उर्वरकों के परिवहन पर राजसहायता

1763. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को दी जा रही राजसहायता की तरह हिमाचल प्रदेश में भी उर्वरकों के परिवहन पर राजसहायता देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. हांडिक) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों पर 31 मार्च, 2008 तक लागू विशेष मालभाड़ा प्रतिपूर्ति योजना (एसएफआरएस) हिमाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं थी।

1 अप्रैल, 2008 से ''उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत सभी उर्वरकों पर समान मालभाड़ा राजसहायता नीति'' लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष मालभाड़ा प्रतिपूर्ति योजना को वापस ले लिया गया है क्योंकि मालभाड़े का भुगतान अब वास्तविक दूरी के आधार पर किया जाएगा। यह नीति हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी राज्यों पर लागू है। इस प्रकार, 01.04.2008 से हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों के लिए समान मालभाड़ा नीति लागू है।

[अनुवाद]

जेनेरिक दवाइयों के मूल्य तथा उपलब्धता

1764. श्रीमती जयाप्रदा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेरिक दवाओं के मूल्य तथा उपलब्धता में स्वतः सुधार होगा यदि विगत की तरह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जेनेरिक/भेषज-संग्रह आवश्यक दवाओं पर उत्पाद प्रशुल्क में कमी की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जेनेरिक दवाओं वाली ब्रांडेड दवाओं को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए भेषज उद्योग पर हाथी समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जनहित में हाथी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) औषध उद्योग में बढ़ोतरी को संवर्द्धित करने के दृष्टिकोण से भारतीय औषध उद्योग के विभिन्न आयामों की जांच के लिए श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग पर एक समिति 8.2.1974 को गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत की थी और अन्य बातों के साथ-साथ ब्रांड नामों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और जेनेरिक नामों के अधीन एकल अवयव औषधों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के संस्थानों और स्थानीय निकायों के लिए भारतीय फार्माकोपिया में शामिल औषधों की खरीद की सिफारिश की गई थी। सरकार ने 29 मार्च, 1978 को एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा था जिसमें

समिति की सिफारिशों पर निर्णय शामिल थे। बाद में इसे औषध नीति, 1978 के रूप में जाना गया।

[हिन्दी]

निर्धारित से ज्यादा किराया लेना

1765. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा, पटना, मुगलसराय तथा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशनों पर साधारण टिकटों तथा आरक्षित टिकटों के लिए लिपिकों द्वारा यात्रियों से ज्यादा किराया लिया जा रहा है तथा विरोध करने पर दुर्व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष में कुल कितने औचक निरीक्षण किए गए तथा इस संबंध में कुल कितने अधिकारी दोषी पाए गए; और

(घ) रेलवे अधिकारियों के ऐसे कृत्य रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) यद्यपि स्टेशनों पर बुकिंग लिपिकों द्वारा अधिक किराया वसूल करने के मामले नोटिस में आया है। बुकिंग लिपिकों द्वारा दुर्व्यवहार करने से संबंधित ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए, वाणिज्य तथा सतर्कता विभागों द्वारा आकस्मिक जांचें. की जाती है और जहां कहीं कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, इस संबंध में कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

दवाओं के उच्च मूल्य

1766. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दवाओं के मूल्य अन्य देशों की तुलना में ज्यादा हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दवाओं के मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) आमतौर पर यह पाया गया है कि देश में दवाओं के मूल्य अधिकांश अन्य देशों में समान फार्मूलेशनों की तुलना में कम हैं।

दवाओं के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा औषधों पर उत्पाद शुल्क में कमी, एनपीपीए द्वारा गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों की मूल्य वृद्धि की प्रभावी मोनीटरिंग, एनपीपीए द्वारा प्रवर्तन प्रभाग का सृजन, एनपीपीए द्वारा अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण/संशोधन जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास के लिए बजट आबंटन

1767. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास के लिए मंत्रालय की कुल बजट राशि में से केवल 6.4 प्रतिशत राशि निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बजट आबंटन की 74 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अन्य पिछड़ा वर्गों को उसी प्रकार का आबंटन प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) मंत्रालय के बजट आबंटन का 9.90 प्रतिशत 2008-09 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आबंटन 2008-09 के दौरान बजटीय परिव्यय का 75.64% है।

(ग) और (घ) विभिन्न क्षेत्रों को आबंटन समग्र बजटीय समर्थन एवं संसाधनों के मूल्यांकन पर आधारित है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का उत्पादन

1768. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल ने नई खनन ब्लॉक विकसित करने तथा लदान सुविधाएं बढ़ाने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये कदम किस सीमा तक सेल संयत्रों में लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी क्षमता में वृद्धि करके अपनी मौजूदा लौह अयस्क खानों के उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सेल ने किरीबुरू खानों की क्षमता 4.25 मिलियन टन वार्षिक (एमटीपीए) से बढ़ाकर 5.5 एमटीपीए, मेघाहाताबुरू खानों की क्षमता 4.3 एमटीपीए से बढ़ाकर 6.5 एमटीपीए तथा बोलानी खान की उत्पादन क्षमता 4.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 10 एमटीपीए करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। गुआ तथा बर्सुआ खानों की क्षमता में भी वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सेल का चिरिया, रावघाट, तलडीह, साउथ ब्लाक (किरीबुरू), सैंट्रल ब्लाक (मेघाहाताबुरू) तथा ठकुरानी में नई खानें विकसित करने का प्रस्ताव है। इन खानों में लदान सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए गुआ, किरीबुरू, मेघाहाताबुरू तथा बोलानी खानों में व्यवहार्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मै. आरआईटीईएस को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ङ) सेल को अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की कुल आवश्यकता को अपने क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के पश्चात निजी स्रोतों से पूरा करने की आशा है।

भेल का कारोबार तथा लाभ

1769. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का वार्षिक कारोबार तथा लाभ कितना रहा;

(ख) क्या भेल द्वारा देश में नए कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक नए संयंत्र स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) का वार्षिक कारोबार और लाभ निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (लेखापरीक्षा के बिना अनंतिम दूसरे तिमाही तक)
कारोबार	14,525	18,739	21,401	10,492
लाभ (करपूर्व)	2,564	3,736	4,430	1,532
लाभ (करपश्चात)	1,679	2,415	2,859	1,000

(ख) से (घ) वर्तमान, में, बीएचईएल द्वारा देश में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, बीएचईएल ने तमिलनाडु के उडनगुडी में 2x800 मेगावाट का कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) के साथ 26.11.2008 को एक संयुक्त उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे "उडनगुडी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड" के रूप में पंजीकृत किया गया है। बीएचईएल और टीएनईबी दोनों इस जेसीसी में 26-26 प्रतिशत शेयर रखेंगे और

48 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पास होंगे। तमिलनाडु के उडनगुडी स्थित पावर प्लांट वर्ष 2013-14 में स्थापित किए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, बीएचईएल ने सिल्चर, असम में सर्कुलेटिंग फ्लूडाईज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बायलर आधारित 2X125 मेगावाट पावर संयंत्र स्थापित करने के लिए पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (पीटीसी) इंडिया लिमिटेड के साथ एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी जिसका नाम "बैरेक पावर प्राईवेट लिमिटेड" है। सिल्चर स्थित इस संयंत्र के वर्ष 2011-12 में स्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

वैश्विक मंदी का प्रभाव

1770. श्री श्रीपाद येसो नायक :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक मंदी ने वस्तुओं के परिवहन से रेलवे की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो मंदी के कारण 2008-09 के दौरान रेलवे की माल ढुलाई से आय में कितनी प्रतिशत कमी हुई; और

(ग) इस हानि की भरपाई के लिए रेलवे ने क्या उपाय किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। अक्तूबर, 2008 (लगभग) के अंत तक माल अर्जन अक्तूबर, 2007 के अंत तक 25118.03 रुपए की तुलना में 4216.95 करोड़ रुपए अर्थात् 16.79% की वृद्धि दर्ज करते हुए 29334.98 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नारोल-नरोदा खंड पर पुनर्सरेखन

1771. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के नारोल-नरोदा खंड के पुनर्सरेखन के संबंध में फरवरी, 2008 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में हजीरा गैस पाइपलाइन

1772. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में हजीरा गैस पाइपलाइन बिछाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पाइपलाइन का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) गेल ने दाहेज-उरान पाइपलाइन (डीयूपीएल) पानवेल और डाभोल-पानवेल पाइपलाइन (डीपीपीएल) तक चालू की है ताकि महाराष्ट्र के विभिन्न ग्राहकों को गैस की आपूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड द्वारा ईरान में नए तेल क्षेत्र की खोज

1773. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ईरान में एक नए तेल क्षेत्र की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए तेल क्षेत्र से देश की कितनी हिस्सेदारी तथा भंडार का सही-सही पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)) : (क) से (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के पास ईरान के 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैले फारसी अपतट अन्वेषण ब्लाक में प्रचालक की हैसियत से 40% भागीदारी हित (पीआई) है और शेष भागीदारी हित इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (40% पीआई) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (20% पीआई) के पास है। 2006 में फारसी ब्लाक में चलाए गए अन्वेषण अभियान के दौरान, ओवीएल ने बीबी संरचना में 3 कूपों का वेधन किया। इन 3 नए कूपों के वेधन के साथ ही ओवीएल ने बीबी संरचना की तेल क्षेत्र के रूप में पुष्टि की है।

(ग) ईरान में प्रचलित संविदागत प्रणाली के अनुसार, ओवीएल अन्वेषण सेवा संविदा (ईएससी) के अंतर्गत कार्य कर रही है। तेल क्षेत्र विकास की व्यवहार्यता, जिसमें भंडारों का अध्ययन भी शामिल है, का निर्धारण करने के लिए ओवीएल ने एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता नियुक्त किया था। क्षेत्र की व्यवहार्यता रिपोर्ट 26 नवम्बर 2008 को ईरान की राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी को प्रस्तुत कर दी गई है।

[हिन्दी]

आयातित ट्रिपल सुपर फास्फेट की बिक्री

1774. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के स्थान पर आयातित ट्रिपल सुपर फास्फेट (टीएसपी) की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन देशों से टीएसपी आयात की गयी उनके नामों सहित प्रत्येक देश से आयातित टीएसपी उर्वरकों की अलग-अलग मात्रा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय छांडिक) : (क) फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए मई, 2008 के बाद से दानेदार टीएसपी का आयात किया गया था।

(ख) और (ग) देश-वार टीएसपी आयात का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1.	इज़राइल	:	103,158 मी.टन
2.	चीन	:	124,212 मी.टन
	कुल		227,370 मी.टन

[अनुवाद]

नदी पर्यटन

1775. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नदी पर्यटन के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ख) नदी पर्यटन सहित, पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए गए सभी प्रकार के पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 के दौरान, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी पर परिपथ विकास के लिए 425.95 लाख रुपए की एक नदी पर्यटन परियोजना स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए स्वयंसेवी संगठन

1776. **श्री प्रतीक पी. पाटील :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कितने स्वयंसेवी संगठनों

को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं जिनके मामले विचाराधीन हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ख) "अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना" के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 12 स्वयंसेवी संगठनों, जिनके लिए सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया है, के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। स्वयंसेवी संगठनों, जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य के स्वैच्छिक संगठनों, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान अनुदान संस्वीकृत किया गया है, की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	अन्नपूर्णा शिक्षण संस्था
2.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मंडल (2006-07)
3.	सुर मंदिर आर्ट संस्था
4.	एकता बहुद्देशीय शिक्षा संस्था
5.	ग्राम विकास बहुद्देशीय संस्था
6.	श्री संत शिरोमणी मानमठ स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडल
7.	हेल्प बहुद्देशीय सामाजिक संस्था
8.	जीजामाता शिक्षण प्रसारक मंडल
9.	प्रताप मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट
10.	प्रेरणा जनसेवा संस्था
11.	श्री हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल
12.	श्री महिला बाल कल्याण अपंग पुनर्वास विकास मंडल

विवरण-II

महाराष्ट्र राज्य के स्वैच्छिक संगठनों, जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए, की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
1.	लोकसेवा शिक्षण प्रसारक मंडल
2.	यूथ फार्मर एवं हेल्थ सोशल वेल्फेयर सोसाइटी
3.	नेहरू युवा मंडल
4.	श्री गुरुदेव बहुद्देशीय विकास संस्था
5.	सद्गरु ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान
6.	महाराष्ट्र होमियोपैथिक फाउंडेशन
7.	भैरवनाथ सार्वजनिक वाचनालय
8.	स्वा साउ. शांतिबाई पुंजाजी काडु पाटिल विद्यार्थिणी वास्तीगृह
9.	भारती कृदा एवं शिक्षण प्रसारक मंडल
10.	स्व. मानजी नाइक एजुकेशन सोसाइटी
11.	कोलपेवाड़ी ग्रामीण सामाजसेवी संस्था
12.	श्री उमाजीराव संमादिकर मेडिकल फाउंडेशन
13.	देवी समका महिला बहुद्देशीय संस्था
14.	स्व. अमृतराव पाटिल प्रतिष्ठान
15.	दिव्यज्योति ग्रामीण एवं शहरी विकास सेवाभावी शैक्षणिक संस्था
16.	श्रीराम विकास संस्था
17.	जीवन विकास प्रतिष्ठान
18.	श्रीराम विकास संस्था
19.	क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बहुद्देशीय

1	2
20.	सम्राट अशोक शिक्षण प्रसारक मंडल
21.	आस्था बहुद्देशीय संस्था
22.	विद्यावर्षिनी युवा एवं महिला बहुद्देशीय संस्था
23.	इंसाफ-ए-शरियत बेल्फेयर बहुद्देशीय संस्था
24.	श्री महिला बाल कल्याण एवं अपंग पुनर्वासन विकास मंडल
25.	काई नूरा नाइक बहुद्देशीय संस्था
26.	प्रगति बहुद्देशीय शैक्षणिक संस्था
27.	अनिकेत बहुद्देशीय संस्था
28.	समाज संशोधन सर्वांगीण विकास संस्था
29	बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था
30.	बहुजन हिताय गर्ल्स हॉस्टल
31.	जय काली संस्कृतिक मंडल
32.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक सामाजिक विकास शिक्षण संस्था
33.	आवदूत मेडिकल फाउंडेशन
34.	महानन्दा बहुद्देशीय विकास सामाजिक संस्था
35.	संजीवनी बहुद्देशीय विकास संस्था
36.	इंदिरा महिला बाल कल्याण एवं अपंग पुनर्वास विकास मंडल
37.	भारतीय दलित विकास परिषद
38.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बहुद्देशीय विकास मंडल
39.	प्रताप मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट
40.	स्वामी विवेकानन्द शिक्षण प्रसारक मंडल
41.	हरिसुन्दर महिला बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल
42.	ज्योतिबा फूले सेवा ट्रस्ट

1	2
43.	अहिल्यादेवी होलकर शिक्षण प्रसारक मंडल
44.	एकता बहुद्देशीय एजुकेशन सोसाइटी
45.	श्री सरस्वती ध्यान प्रसारक संस्था
46.	जय विश्वकर्मा सर्वोदय संस्था
47.	श्री चंदिका ग्रामीण विकास मंडल
48.	विमुक्त भाटकाय जाति सेवा समिति
49.	चेतना शिक्षण संस्था
50.	उज्ज्वल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी
51.	सरस्वती महिला सेवाभावी संस्था
52.	महात्मा फूले युवक विकास मंडल
53.	गुरुवंदना कल्याणकारी बहुद्देशीय मंडल
54.	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल
55.	मानव विकास संस्था
56.	स्वामी चक्रधर शिक्षण प्रसारक मंडल
57.	जीजामाता शिक्षण प्रसारक मंडल
58.	आई तुलजा भवानी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था
59.	श्री राजे सम्भाजी शिक्षण प्रसारक मंडल
60.	श्री जगदम्बा विद्या प्रसारक मंडल
61.	श्री महिला बाल कल्याण अपंग पुनर्वास विकास मंडल

ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्मारकों का सर्वेक्षण

1777. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राचीन संस्कृति के द्योतक मंदिरों, मस्जिदों तथा गिरिजाघरों से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा नगरवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यवार ऐतिहासिक किलों, महलों तथा ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या का कोई सर्वेक्षण कराया गया है जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संस्थान खोलकर विदेश में वैदिक संस्कृति का प्रसार करने वाले हमारे धार्मिक मंदिरों की संख्या तथा नाम क्या है तथा देशवार ऐसे नगरों के नाम क्या हैं जहां वेद तथा अन्य हिन्दू पुराण, गीता इत्यादि जानने वाले धार्मिक प्रचारक हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस प्रकार के व्यापक श्रेणी-वार सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में रेल परियोजना

·1778· **श्री जुएल ओराम :**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेलवे को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्यारवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्दिष्ट की है;

(ख) उन परियोजनाओं पर उक्त योजनावधि के दौरान परियोजनावार कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं की क्या प्रगति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इस प्रकार की कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है। परियोजनाओं की प्रगति और उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की उललब्धता के आधार पर वार्षिक आधार पर निधियों का आबंटन किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
		नई लाइन
1.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (56 किमी)	प्रथम चरण में लांजीगढ़ भवानीपटना (31 किमी.) का कार्य शुरू हो चुका है जहां मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	खुर्दा रोड-बोलांगीर (289 किमी.)	खुर्दा रोड-बोलांगीर नई लाइन परियोजना को जांच चरणों में पूरा करने की योजना है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य चरण-I के रूप में अर्थात् खुर्दा रोड से बेगुनिया तक (36 किमी.) शुरू कर दिया गया है जिसके फरवरी, 2010 तक पूरा होने की संभावना है। चरण-II में कतिपय महत्वपूर्ण पुलों अर्थात् बेगुनिया-दासापाला (74 किमी.) को भी शुरू करने की योजना है।

1	2	3
3.	हरिदासपुर-पारादीप (82 किमी.)	इस कार्य को विशेष परियोजना योजना के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। पुलों तथा तटबंधों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण (एफएलएस) तथा मिट्टी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। 1654 हेक्टेयर भूमि में से, 1146 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। लूना और महानदी नदियों पर महत्वपूर्ण पुलों से संबंधित कार्य शुरू हो चुके हैं।
4.	अंगुल-सुकिंदा रोड (98.7 किमी.)	अंतिम स्थान निर्धारण पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को विशेष परियोजना योजना के माध्यम से पूरा किया जाना है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
5.	तालचेर-बिमलागढ़ (154 किमी.)	अंतिम स्थान निर्धारण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है।
	आमान परिवर्तन	
1.	नौपाडा-गुनुपुर (90 किमी.)	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, मिट्टी संबंध तथा रेलपथ लिंकिंग से संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	रूपसा-बंगरीपोसी (89 किमी.)	रूपसा-बारीपाडा-भांजपुर पूरा हो चुका है तथा यातयात के लिए खोल दिया गया है। समूची परियोजना 2009-10 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
	दोहरीकरण	
1.	रजतगढ़-बारंग (20 किमी.)	इस कार्य को रेल विकास निगम मिलिटेड (आर बी एन एल) द्वारा शुरू किया जा रहा है। महानदी नदी के ऊपर पुल सहित मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुके हैं। इस कार्य के 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	संबलपुर-रेंगाली (22.7 किमी.)	मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के 2008-09 तक पूरा होने की संभावना है।
3.	झारसुगुडा-रेंगाली (25.6 किमी.)	मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के 2010-11 तक पूरा होने की संभावना है।
4.	कटक-बारंग (12 किमी.)	खुखाईपुल सहित मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।
5.	खुर्दा रोड-बारंग तीसरी लाइन (35 किमी.)	मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।

1	2	3
6.	संबलपुर-टिटलागढ़ (182 किमी.)	इस कार्य को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्त पोषण के माध्यम से आर बी एन एल द्वारा शुरू किया जाना है। आवश्यक योजना तैयार कर ली गई है।
7.	रायपुर-टिटलागढ़ (203 किमी.)	इस कार्य को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्त पोषण के माध्यम से आर बी एन एल द्वारा शुरू किया जाना है। आवश्यक योजना तैयार कर ली गई है।
8	पाडापहाड़-बांसपानी (28 किमी.)	पाडापहाड़-डोंगापोसी पूरा हो चुका है। खंड के शेष कार्यों को 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य हैं।
9.	बिमलागढ़-दूमित्रा (18.3 किमी.)	विस्तृत अनुमान की मंजूरी दे दी गई है। निर्माण कार्यों के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
10.	बरबिल-बरजमडा (10 किमी.)	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुके हैं।
11.	बांसपानी-जोरूली (9 किमी.)	नया कार्य बजट 2008-09 में शामिल किया गया है।

सेलम, तूतीकोरिन तथा पाण्डिचेरी में हवाईअड्डे

1779. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सेलम, तूतीकोरिन तथा पांडिचेरी हवाई अड्डों से परिचालन की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ख) तमिलनाडु में सेलम और तूतीकोरिन हवाईअड्डे प्रचालन में हैं। पांडिचेरी हवाईअड्डे पर, उड़ाने अस्थाई तौर पर रोक दी गई हैं क्योंकि धावनपथ के विस्तार का कार्य चल रहा है। यह कार्य पूरा होते ही हवाईअड्डे को प्रचालनात्मक घोषित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कोटा डिवीजन में रेलवे क्वार्टर

1780. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोटा डिवीजन के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों हेतु विद्यमान क्वार्टरों के नवीकरण तथा नए क्वार्टरों के निर्माण हेतु कोई धनराशि व्यय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी संख्या में नए क्वार्टरों के लिए अनुमोदन लिया गया तथा अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. आर. वेलु) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोटा मंडल के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों के लिए नए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा मौजूदा स्टाफ क्वार्टरों के पुनरुद्धार पर 422.53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 538 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे संबंधित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

पालेज रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियां

1781. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पालेज रेलवे स्टेशन पर गुजरात एक्सप्रेस तथा जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 9011/9012 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस तथा 9059/9060 सूरत-हापा/जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का पालेज स्टेशन पर ठहराव की जांच की गई है परन्तु इसे न तो वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण पाया गया है और न ही परिचालनिक रूप से व्यावहारिक।

[अनुवाद]

हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी

1782. श्री के.सी. सिंह "बाबा" : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपीडित प्राकृतिक गैस में ऐसी हाइड्रोजन मिलाने का निर्णय लिया है जो नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जन में कमी लाएगी तथा वाहनों से खतरनाक उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली तथा मेट्रो नगरों में देश का प्रथम हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी फिलिंग स्टेशन कब तक कार्य करने लगेगा तथा इस हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी ईंधन का प्रति किलो मूल्य क्या होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सरकार ने इस संबंध में वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया है। मामला प्रायोगिक चरण में है।

(ख) इंडियन आयल के अनुसंधान और विकास केन्द्र ने सीएनजी में हाइड्रोजन का मिश्रण करके चुनिंदा वाहनों में अनुसंधान कार्य आरंभ किया है इस उद्देश्य के लिए मिश्रण हेतु एक हाइड्रोजन सीएनजी मिश्रण इकाई और वितरण केन्द्र फरीदाबाद में आरंभ किया गया है। वर्तमान में कुछ वाहनों में सीएनजी में 10% हाइड्रोजन तक का परीक्षण किया जा रहा है। नाक्स कमी के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए इंजन में आवश्यक संशोधन करने हेतु वाहन विनिर्माताओं के साथ अतिरिक्त आर एंड डी कार्य की संयुक्त रूप से योजना बनाई गई है।

(ग) आईओसी के आर एंड डी परीक्षण वाहनों में ईंधन भरने के लिए एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सीएनजी वितरण स्टेशन फरीदाबाद में इंडियन आयल कार्पोरेशन के आर एंड डी केन्द्र में पहले ही आरंभ किया जा चुका है। यह देश का ऐसा पहला स्टेशन है, जो पहले ही काम कर रहा है। एक अन्य हाइड्रोजन और हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रण वितरण स्टेशन (द्वारका, नई दिल्ली में आईओसी के कंपनी के स्वामित्व में और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) केन्द्र) इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शन परियोजना के भाग के रूप में स्थापित किए जाने की योजना है जिसका आंशिक रूप से वित्तपोषण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एनएनआरई) (50%) जिसकी रचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई है, से किया जाना है, इस स्टेशन की स्थापना के लिए कार्यान्वयन कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ होने की संभावना है और स्टेशन जनवरी, 2009 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। इस स्टेशन का उपयोग आईओसी और एमएनआरई द्वारा वित्तपोषित अन्य एजेंसियों की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन वाहनों में ईंधन भरने के लिए किया जाएगा। ऐसे ईंधन की वाणिज्यिक आपूर्ति के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह निर्णय अनुसंधान/प्रदर्शन परियोजनाओं के परिणाम पर आधारित होगा। हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रण की लागत, हाइड्रोजन उत्पादन की लागत, सीएनजी की लागत और उस अनुपात पर निर्भर होगी जिनमें हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रण किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशकों की नियुक्ति

1783. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में नीतियों की पुनरीक्षा के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) से (ग) मार्च, 2004 में, सरकार ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु, शैक्षिक योग्यता अनुभव के संबंध में मानदण्ड निर्धारित किए थे। नवम्बर, 2005 में सरकार ने पात्रता मानदण्डों में और संशोधन किया था जिसमें उद्योग, व्यापार या कृषि से प्रमाणित योग्यता रिकार्ड वाले प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं।

पारादीप रिफाइनरी में वेनेजुएला की हिस्सेदारी

1784. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी पीडीवीएसए ने उड़ीसा के पारादीप में इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे 15 एमटी रिफाइनरी में 49% हिस्सेदारी लेने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वेनेजुएला रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल भी उपलब्ध कराएगा;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे देश को लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को पारादीप, उड़ीसा में आईओसीएल द्वारा स्थापित की जा रही 15 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता की रिफाइनरी में भागीदारिता के लिए वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी पीडीवीएसए से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है।

गुजरात में फूड पार्क

1785. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात में फूड पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब से बचने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीस मेगा खाद्य पार्कों में से, प्रथम चरण में दस मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते सितंबर, 2008 में एक नई स्कीम अनुमोदित की है। सरकार ने आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इन प्रथम दस मेगा खाद्य पार्कों के अवस्थान अनुमोदित किए हैं। इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

पिपराला में समपार

1786. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पालमपुर और गांधीधाम के बीच पिपराला में समपार का निर्माण करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। गांधीधाम तथा पालनपुर के बीच पिपराला में नए समपार का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से कोई मांग/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, 600 मीटर के भीतर-पिपराला स्टेशन के दोनों तरफ किमी. 171/8-9 पर समपार सं. 147 तथा किमी. 73/1-2 पर समपार सं. 148 पहले से ही मौजूद है।

[अनुवाद]

कोल्लम-तेनकासी के बीच आमान परिवर्तन

1787. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्लम-तेनकासी रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुनलुर तथा शनकोट्टई रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे की कोल्लम-शनकोट्टई रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) क्विलोन-तेनकासी खंड पर, तेनकासी-सेनगोट्टाई (8 किमी) खंड गाड़ी सेवा के लिए फरवरी, 2008 में खोल दिया गया है। शेष भाग पर, पुनालुर-क्विलोन (45 किमी) का आमान परिवर्तन 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह कार्य पूरा होने के अग्रिम चरण पर है। पुनालुर-सेनगोट्टाई (49 किमी) एक घाट खंड है जहां अंतिम लोकेशन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और विस्तृत अनुमान हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं। इस घाट खंड के आमान परिवर्तन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) पुनालुर और सेवागोट्टाई रेलवे लाइन के बीच दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) क्विलोन-सेनगोट्टाई मीटरगेज लाइन के आमान परिवर्तन के लिए फैंड वर्ष के दौरान कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध करा दिए गए हैं। 2008-09 के दौरान परियोजना के लिए 92 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान में सड़क उपरीपुल

1788. श्री सुभाष महरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावित सड़क उपरि पुलों (आरओबी) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है तथा इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे उन व्यस्त समपारों के बदले में, जहां यातायात घनत्व एक लाख अथवा उससे अधिक यातायात वाहन इकाई (यातायात वाहन इकाई-24 घंटे में समपार से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों से गुणा करके प्राप्त इकाई) हो, लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करती है। ऐसे दोनों मामलों में मौजूदा नियमों के तहत कतिपय पूर्वापेक्षित शर्तों को विधिवत् पूरा करके संबंधित राज्य प्रस्ताव प्रायोजित किया जाता है। ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसा कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पारिस्थितिकी पर्यटन नीति

1789. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति तथा इस पर दिशा-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा ईको-पर्यटन नीति और दिशा-निर्देश पहले ही तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों में परिचालित किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण करना, बनाए रखना और समृद्ध करना और पर्यावरणीय संरक्षण एवं सामुदायिक विकास पर इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ इको-पर्यटन की विनियमित वृद्धि सुनिश्चित करना है।

ई-टिकटिंग

1790. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने किस वर्ष से ई-टिकटिंग शुरू की है;

(ख) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ई-टिकटिंग से कितना राजस्व एकत्र किया गया;

(ग) रद्द टिकटों की कुल संख्या तथा रद्द की गई ई-टिकटों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या रेलवे अनावश्यक ई-टिकटों के रद्दकरण से बचने के लिए नई नीति बनाने की योजना तैयार कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ई-टिकेटिंग योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी।

(ख) ई-टिकेटिंग से प्राप्त राजस्व राशि निम्न प्रकार रही है:-

वित्त वर्ष	अर्जित राजस्व (करोड़ रु. में)
2007-08	1295.74
2008-09 (नवम्बर तक)	3909.87

(ग)

वित्त वर्ष	रद्द की गई टिकटें	ई-टिकटों के रद्द किए जाने का प्रतिशत
2007-08	2695695	17
2008-09 (नवंबर तक)	5624662	24

(घ) और (ङ) चूंकि ई-टिकेटिंग में रद्द करने संबंधी प्रतिशत सामान्य आरक्षित टिकटों के रद्द कराए जाने के प्रतिशत के समान ही है, इसलिए फिलहाल, इस प्रयोजन के लिए नीति में आशोधन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है। बहरहाल, ई-टिकेटिंग सहित टिकेटिंग व्यवस्था में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता से चोरी

1791. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय से स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित राष्ट्रीय संपत्ति, दुर्लभ पुस्तकें, पाण्डुलिपियां और पत्र गुम/चोरी हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुए नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्लभ वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता से स्वतन्त्रता सेनानियों तथा राष्ट्रीय नेताओं से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकों, पाण्डुलिपियों तथा पत्रों जैसे राष्ट्रीय खजाने की चोरी नहीं हुई/ये गुम नहीं हुए हैं। इस प्रयोजनार्थ रखी गईसूची-पत्र से उक्त मदों के स्टाक का सत्यापन किया गया है और मौजूदा स्टाक, उक्त सूची-पत्र के अनुसार विद्यमान है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1792. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के नाम और स्थान क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहायता दी गयी हैं;

(ख) प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद सहायता देने में कितना समय लगा; और

(ग) इस समय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) उत्तर प्रदेश में अवस्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के नाम एवं स्थान तथा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रस्तावों की व्यवहार्यता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर निधियों का संवितरण करता है। अनुदान प्रदान करने में होने वाले विलंब को समाप्त करने की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी योजना स्कीम के तहत सहायता अनुदान के वितरण को 1.4.2007 से बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (नवम्बर, 2008 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के नाम तथा उनके स्थान और उन्हें उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे

क्रम सं.	वर्ष	आवेदक का नाम	जिला	संक्षिप्त परियोजना	अनुमोदित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
स्कीम		**बुनियादी सुविधा — समेकित शीत श्रृंखला**			
1.	2005-2006	कोलारिस इंटरप्राइसिस प्रा. लिमिटेड	इलाहाबाद	डेयरी क्षेत्र के लिए समेकित शीत श्रृंखला	9.055
		स्कीम के लिए कुल			9.055
स्कीम		**मूल्यवर्धित केन्द्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं**			
1.	2005-2006	श्याम रोलर फ्लोर मिल	सुल्तानपुर	फ्लोर मिल	48.680
		स्कीम के लिए कुल राशि			48.680
स्कीम		**खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण**			
1.	2005-2006	जीआईएस फूड प्रा.लि.	नौएडा	ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स	17.750
2.	2005-2006	एकता ग्राम विकास समिति	इलाहाबाद	फल तथा सब्जी परिरक्षण यूनिट	10.149
3.	2005-2006	आरटी फूड इंडिया लि.	शाहजहांपुर	फ्लोर मिल	46.010
4.	2005-2006	स्वदेशी आहार प्रा. लि.	चंदौली	फ्लोर मिल	50.000
5.	2005-2006	सुमन फूड प्रोडक्टस	हरदोई	फ्लोर मिल	26.440
6.	2005-2006	महाशक्ति फूड प्रा. लि.	गोरखपुर	फ्लोर मिल	29.670
7.	2005-2006	स्वास्तिक फूड प्रोडक्टस	मेरठ	बेकरी उत्पाद	20.530
8.	2005-2006	गोयल एडिबल्स लि.	बस्ती	फ्लोर मिल	35.910
9.	2005-2006	शाकुम्भरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लि.	मुजफ्फरनगर	वर्तमान तिलहन यूनिट का आधुनिकीकरण	14.340

1	2	3	4	5	6
10.	2005-2006	नवयुग ग्रामोदय समिति	इलाहाबाद	कार्नफ्लैक्स निर्माण यूनिट की स्थापना	10.000
11.	2005-2006	परसन्स न्यूट्रिशनल्स प्रा. लि.	साहिबाबाद	बिस्किट	50.000
12.	2005-2006	एसएएफ यीस्ट कोऑपरेटिव प्रा. लि.		खमीर निर्माण	50.000
13.	2005-2006	श्यानप्रभु फूडस लि.	पीलीभीत	बरहा पुरानपुर में फ्लोर मिल की स्थापना	30.570
14.	2005-2006	सूर्या फूड एंड एग्रो लि.	लखनऊ	बेकरी यूनिट की स्थापना	50.000
15.	2005-2006	आरटीएम एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	गोरखपुर	विकास नगर, बारागढ़वा, गोरखपुर में फ्लोर मिल की स्थापना	45.780
16.	2005-2006	केसी रोलर फ्लोर मिल प्रा. लि.	शाहजहांपुर	फ्लोर मिल	
17.	2005-2006	सूर्या फूड एंड एग्रो लि.	ग्रेटर नौएडा	बिस्किट निर्माण की नई यूनिट की स्थापना	50.000
18.	2005-2006	गर्ग रोलर फ्लोर मिल	पीलीभीत	फ्लोर मिल	29.030
19.	2005-2006	उमापति ऑयल मिल्स प्रा. लि.	आगरा	ऑयल मिल	10.590
20.	2005-2006	इंटरनेशनल मशरूम फार्म्स	आगरा	खुम्बी प्रसंस्करण	29.360
21.	2005-2006	राहुल इंडस्ट्रीज	आजमगढ़	फ्लोर मिल	29.740
22.	2006-2007	लक्ष्मी सॉल्वेक्स प्रा. लि.	बहराइच	रिफाइन्ड राइस ब्रान ऑयल	39.990
23.	2006-2007	मैसर्स रहमान फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट	गाजियाबाद	फ्रोजन मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना	50.000
24.	2006-2007	मैसर्स फेंटेसी फूड्स क्रीएशन		खाने के लिए तैयार खाद्य निर्माण यूनिट की स्थापना	23.450
25.	2006-2007	मैसर्स सम्पर्श फूड प्रा.लि.		नई मिल्स प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	35.480
26.	2006-2007	महान प्रोटीन्स लिमिटेड	मथुरा	डीमिनरलाइज्ड व्हे पाउडर का निर्माण	50.000
27.	2006-2007	मैसर्स ग्रीस फूड्स			20.230
28.	2006-2007	अनमोल बेकर्स लिमिटेड	गौतमबुद्धनगर	बिस्किटों का निर्माण	50.000
29.	2006-2007	मैसर्स जौमी इटेबल्स प्रा. लि.			18.300
30.	2006-2007	मैसर्स तिरूपति बेकर्स प्रा. लि.		बिस्कुट निर्माण यूनिट की स्थापना	50.000

1	2	3	4	5	6
31.	2006-2007	एचएमए फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स	आगरा	मांस प्रसंस्करण यूनिट	50.000
32.	2006-2007	दाजले फूड प्रा. लि.	गोरखपुर	स्नैक्स	28.250
33.	2006-2007	साना होटल्स प्रा. लि.	नौएडा	रेट्रोएबल पाउचों में करिड वेजिटेबल	30.980
34.	2006-2007	एमपी बिस्किटस प्रा. लि.	कानपुर	बिस्कुट यूनिट की स्थापना	50.000
35.	2006-2007	मैसर्स ए आर फूड्स		डबलरोटी निर्माण यूनिट की स्थापना	33.200
36.	2006-2007	मैसर्स सैन्टरी लैमिनेटिंग कंपनी	गाजियाबाद	पोटाटो फ्लैक्स यूनिट	50.000
37.	2006-2007	मैसर्स के.एन. बेकर्स प्रा. लि.		बिस्कुट निर्माण	50.000
38.	2006-2007	अशोक उद्योग प्रा. लि.	वाराणसी	खाद्य तेल	31.760
39.	2006-2007	मोनिका प्रोडक्ट्स	लखनऊ	आइसक्रीम	17.120
40.	2006-2007	त्रिलोक एग्रीटैक प्रा. लि.	लखनऊ	आइसक्रीम	48.840
41.	2006-2007	स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	एटा	दूध प्रसंस्करण	50.000
42.	2006-2007	प्रिया बेकर्स	कानपुर	डबलरोटी यूनिट की स्थापना	14.500
43.	2006-2007	मैसर्स अप्सरा फूड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	गजियाबाद	मौजूदा बिस्कुल निर्माण यूनिट का विस्तार	50.000
44.	2006-2007	श्रीराम फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	शाहजहांपुर	फ्लोर मिल	
45.	2006-2007	संवरिया फूड्स	रायबरेली	फ्लोर मिल	47.000
46.	2006-2007	आरके फूड इंडस्ट्रीज	बलिया	फ्लोर मिल	19.265
47.	2006-2007	चरण फ्लोर मिल	शिवराजपुर	फ्लोर मिल	44.000
48.	2006-2007	परमार्थ इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	बिजनौर	नगीना रोड बिजनौर में रोलर फ्लोर मिल की स्थापना	26.440
49.	2006-2007	रूढ़ि रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड	मैनपुरी	फ्लोर मिल	12.915
50.	2006-2007	फैज फूड्स एंड बेकर्स प्रा. लि.	गाजियाबाद	बेकरी उत्पाद	34.710
51.	2006-2007	बाबा केनाराम इंटरनेशनल प्रा. लि.	बलिया	दूध प्रसंस्करण	16.100
52.	2006-2007	टाइमैक स्नैक फूड्स प्रा. लि.	लखनऊ	स्नैक्स	16.600

1	2	3	4	5	6
53.	2006-2007	फेयर एक्सपोर्ट प्रा. लि.	गाजियाबाद	मांस प्रसंस्करण	47.460
54.	2006-2007	हर्ष फूड्स प्रोडक्ट्स	सुल्तानपुर	मवैया रहमतगढ़ रोलर फ्लोर मिल की स्थापना	12.410
55.	2007-2008	मैसर्स पशुपति डेरीज़ प्रा. लि.	सहारनपुर	दूध प्रसंस्करण के लिए एक डेरी की स्थापना	0.000
56.	2007-2008	माँ जगदम्बे फ्लोर मिल	हरदोई	फ्लोर मिल	12.140
57.	2007-2008	कृष्णा फार्म	मथुरा	खुम्बी खेती	48.930
58.	2007-2008	पटेल इंडस्ट्रीज	हरदोई	फ्लोर मिल, दोनों किश्त जारी, उपयोग प्रमाणप्रत्र प्राप्त	30.800
59.	2007-2008	मैसर्स महाद एग्रो प्रा. लि.	बिजनौर	मांस प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	0.000
60.	2007-2008	श्रीलक्ष्मण बाबा रोलर फ्लोर मिल्स	हरदोई	फ्लोर मिल	37.930
61.	2007-2008	मैसर्स हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	अलीगढ़		0.000
62.	2007-2008	मैसर्स कौशिक वेजिटेबल्स प्रा. लि.	गाजीपुर	फ्रोजन फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	31.680
63.	2007-2008	मैसर्स देवाशीष डैरी प्रा. लि.	बाराबंकी	एक डेरी प्रोजक्ट की स्थापना	0.000
64.	2007-2008	मैसर्स हरदयाल मिल्क प्रोडक्टस	फिरोजाबाद	एक नए मिल्क प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना	0.000
65.	2007-2008	मैसर्स तासमिया फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्रा. लि.	बुलंदशहर	एक नई मांस प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	
66.	2007-2008	प्रकाश रोलर फ्लोर मिल्स	शाहजहांपुर	फ्लोर मिलिंग	8.760
67.	2007-2008	मैसर्स अल-फलाह फ्रोजन फूड्स	मुरादाबाद	मांस प्रसंस्करण के लिए एक नई यूनिट की स्थापना	0.000
68.	2007-2008	एनएस आहार प्रा. लि.	बरेली	मसाला यूनिट	0.000
69.	2007-2008	सिंघानिया मिल्क प्रोडक्ट्स	सीतापुर	दूध प्रसंस्करण के लिए एक नई यूनिट की स्थापना	0.000
70.	2007-2008	श्याम इंटरप्राइज़िस	इलाहाबाद	एक नई डेयरी यूनिट की स्थापना	0.000

1	2	3	4	5	6
71.	2007-2008	सैंचुरी लैमिनेटिंग कंपनी लि. (सीएलसीएल)	गाजियाबाद	पोटाटो फ्लैच निर्माण के लिए यूनिट की स्थापना	0.000
72.	2007-2008	मैसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्रा. लि.	गाजियाबाद	मांस प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	0.000
		स्कीम के लिए कुल			1996.889
स्कीम		आधुनिकीकरण — दाल मिलिंग			
1.	2006-2007	बिस्वनाथ दाल एंड ऑयल मिल्स	बहराइच	दाल मिलिंग यूनिट	11.530
		स्कीम के लिए कुल			11.530
स्कीम		मोबाइल एफ एंड वीपी यूनिट का आधुनिकीकरण			
1.	2006-2007	मैसर्स बृंदावन बिवरेज प्रा.लि.	बरेली	मैंगो जूस लाइन	50.000
2.	2006-2007	मैसर्स मानव कल्याण एवं विकास समिति		खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	1.950
		स्कीम के लिए कुल			51.950
स्कीम		गुणवत्ता आश्वासन - निरंतर अनुसंधान एवं विकास			
1.	2006-2007	इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टैक्नॉलॉजी	झांसी	प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास	39.400
		स्कीम के लिए कुल			39.400
स्कीम		गुणवत्ता आश्वासन-गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला			
1.	2006-2007	सैंटर ऑफ फूड टैक्नॉलॉजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	इलाहाबाद	खाद्य अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना	93.240
2.	2006-2007	क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, लखनऊ	लखनऊ	क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र की स्थापना	300.000
		स्कीम के लिए कुल			393.240
स्कीम		मानव संसाधन विकास — खा.प्र. एवं प्र. केंद्र की स्थापना			
1.	2005-2006	निर्मल ग्रामोद्योग सेवा निकेतन	एटा	सिंगल लाइन — एफपीटीसी	1.810

1	2	3	4	5	6
2.	2005-2006	साइमा शैक्षिक तथा कल्याण समिति	पुनवारा	सिंगल लाइन एफपीटीसी की स्थापना	1.730
3.	2005-2006	मैसर्स जागृति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	लखनऊ		2.000
4.	2005-2006	फेयरडील ग्रामोद्योग सेवा समिति	बाराबंकी	सिंगल लाइन एफपीटीसी की स्थापना	1.780
5.	2005-2006	ग्रामीण महिला विकास संस्थान	लखनऊ	मल्टीलाइन – एफपीटीसी	2.000
6.	2005-2006	जनता ग्राम विकास संस्थान	बलिया	एफपीटीसी की स्थापना	1.730
7.	2006-2007	मैसर्स लक्ष्मी महिला हथकरघा केंद्र संघ	बुलंदशहर	एफपीटीसी की स्थापना	
8.	2006-2007	मैसर्स शास्त्री ग्रामोद्योग सेवा संस्थान		एफपीटीसी की स्थापना	2.000
9.	2006-2007	सम्पर्क बिल्डिंग परफैक्ट रिलेशन्स		एफपीटीसी की स्थापना	2.000
10.	2006-2007	भारतीय किसान कल्याण समिति	पूर्वा	सिंगल लाइन एफपीटीसी की स्थापना	2.000
11.	2006-2007	सर्वदलीय मानव विकास केंद्र	मुरादाबाद	एफपीटीसी की स्थापना	1.935
12.	2006-2007	मैसर्स हजरत महल महिला शिक्षा समिति		एफपीटीसी की स्थापना	2.000
13.	2007-2008	गौतमबुद्ध जनकल्याण समिति	बरेली	मल्टी लाइन एफपीटीसी की स्थापना	1.000
14.	2007-2008	मैसर्स कुमार सेवा समिति	जौनपुर	सिंगल लाइन एफपीटीसी की स्थापना	2.0000
		स्कीम के लिए कुल			25.783
स्कीम		**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जनशक्ति विकास-मांस प्रसंस्करण**			
1.	2006-2007	मैसर्स अल-हमद एग्रो फूड्स प्रा. लि.	अलीगढ़	नई प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	50.000
2.	2006-2007	मैसर्स साहिबा फ्रोजन फूड्स एक्पोर्टस प्रा. लि.	बुलंदशहर	नई मांस प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	
		स्कीम के लिए कुल			50.000
स्कीम		**मानव संसाधन विकास – विश्वविद्यालय/संस्थानों में सुविधाएं और विस्तार सेवाएं**			
1.	2006-2007	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान	मैसूर	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता	3.150
		स्कीम के लिए कुल			3.150

1	2	3	4	5	6
स्कीम		मानव संसाधन विकास-दक्षता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण			
1.	2005-2006	मैसर्स राजा दिनेश सिंह विज्ञान केंद्र		प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	4.800
		स्कीम के लिए कुल			4.800
स्कीम		नवप्रर्वतक प्रोजेक्ट			
1.	2006-2007	राजरानी कोल्ड स्टोरेज एंड आईस प्लांट प्रा. लि.	फतेहपुर	दूध उत्पाद	25.800
		स्कीम के लिए कुल			25.800
स्कीम		जेनरिक एडवरटाइजमेंट — एच.ए.सी.सी.पी./आई.एस.ओ.			
1.	2005-2006	उत्तर प्रदेश हौटिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन	लखनऊ	एच.ए.सी.सी.पी. पर प्रत्येक एक दिन का सेमिनार	3.000
2.	2006-2007	सैफ ईस्ट कंपनी प्रा. लि.	हरदोई		10.000
3.	2006-2007	मैसर्स सेंचुरी लेमिनेटिंग कंपनी लि.			10.000
		स्कीम के लिए कुल			23.000
स्कीम		प्रमोशनल — सप्लाई टू सेमिनार/वर्कशॉप			
1.	2006-2007	मैसर्स खादी आश्रम सेवा संस्थान	सुल्तानपुर	खाद्य के उन्नयन के व्यवहार्यता एवं आवश्यकता पर सेमिनार का संचालन	1.000
		स्कीम के लिए कुल			1.000
स्कीम		संवर्धनात्मक — प्रदर्शनी/मेला			
1.	2006-07	इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशिएशन	लखनऊ	'खाद्य एक्सपो-2006' में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के स्टाल के लिए भुगतान	0.595
		स्कीम के लिए कुल			0.595
स्कीम		एच.आर.डी. — ई.डी.पी.			
1.	2005-2006	मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले फॉर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी	कानपुर	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	4.625

1	2	3	4	5	6
2.	2005-2006	सेंटर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी	इलाहाबाद	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का संचालन	3.400
3.	2006-2007	यू.पी. इंडसट्रीयल कंसल्टेंट लि.		उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का संचालन	4.175
4.	2006-2007	आदर्श ग्रामीण सामुदायिक विकास संस्थान		उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का संचालन	0.980
5.	2006-2007	नेशनल इंस्टियूट फॉर इंटरप्रेन्यूशिप एंड स्माल बिजनेस		दिल्ली राज्य में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का संचालन	4.800
6.	2006-2007	नेशनल इंस्टियूट फॉर इंटरप्रेन्यूशिप एंड स्माल बिजनेस डी.वी.		उत्तर प्रदेश राज्य में 5 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का संचालन	4.800
7.	2007-2008	मैसर्स कृष्ण चैरिटेबल सोसाइटी	गाजियाबाद	6 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का संचालन	4.725
		स्कीम के लिए कुल			27505
	राज्यों के लिए कुल योग				2712.377

चालू वर्ष 2008-09

क्रम सं.	फर्म का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	मैसर्स रोहिल खंड केमिकस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	2500000
2.	मैसर्स अलतकबीर प्रोसेस फूड्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	2288000
3.	मैसर्स रोहेल खंड केमिकलस एंड प्रोटीन्स, रामपुर, उत्तर प्रदेश	2500000
4.	मैसर्स ग्रीनलैंड फ्रूटए एंड वेजीटेबलस, उत्तर प्रदेश	2500000
5.	मैसर्स गंगोत्री फूड प्रोडक्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1300000
6.	मैसर्स महेश एडिबुल ऑयल, आगरा, उत्तर प्रदेश	2500000
7.	मैसर्स रामा मस्टर्ड एंड फूड प्रोडक्टस, किरतपुर, उत्तर प्रदेश	2500000
8.	मैसर्स राम निवास फ्लोर मिल्स, उत्तर प्रदेश	2500000
9.	मैसर्स यश फूड प्रोडक्स, हरदोई, उत्तर प्रदेश	900000
10.	मैसर्स अशोक हाईजीनिक फूड इंडस्ट्रीज, मेरठ, उत्तर प्रदेश	1435000

1	2	3
11.	मैसर्स अनिल मोदी ऑयल इंडस्ट्रीज, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	2500000
12.	मैसर्स विद्या इंटरप्राइज, बरेली, उत्तर प्रदेश	2500000
13.	मैसर्स गोकुल फूडस प्राइवेट लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश	2500000
14.	मैसर्स सतीश चंद्र एंड सन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश	285000
15.	मैसर्स जी.आई.एस. फूड प्राइवेट लि., उत्तर प्रदेश	888000
16.	मैसर्स आस्था इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., रायबरेली, उत्तर प्रदेश	2500000
17.	मैसर्स श्री राम एग्रो इडस्ट्रीज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2500000
18.	मैसर्स ईगल कांटिनेंटल फूड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	2500000
19.	मैसर्स ए.आई. नजानी फ्रोजेन फूड, उत्तर प्रदेश	2500000
20.	मैसर्स अशोका कृषि उद्योग, मेरठ, उत्तर प्रदेश	1159000
21.	मैसर्स श्री लक्ष्मण बाबा रोलर फ्लोर मिल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1896500
22.	मैसर्स फैंटेसी फूट क्रीएशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश	1173000
23.	मैसर्स शशी ऑयल एंड फैट्स प्रा. लि., उत्तर प्रदेश	2500000
24.	मैसर्स सिंघानिया मिल्क प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश	2500000
25.	मैसर्स औद्योगिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति, मेरठ, उत्तर प्रदेश	1970500
26.	मैसर्स के.एन. फूड इंडस्ट्रीज, कानपुर, उत्तर प्रदेश	2500000
27.	मैसर्स आदित्य स्पाइस उद्योग, उत्तर प्रदेश	109000
28.	मैसर्स रामा पशु आहार प्रा. लि., उत्तर प्रदेश	2341000
29.	मैसर्स श्री दुर्गा एग्रो ऑयल प्रा. लि., बनारस, उत्तर प्रदेश	2500000
30.	मैसर्स सुमन फूड प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश	1322000
31.	मैसर्स वृन्दावन बीवरेज प्रा. लि., उत्तर प्रदेश	2500000
32.	मैसर्स सूर्या फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश	2500000

1	2	3
33.	मैसर्स प्रहलादश्री कनफैक्शनरी, उत्तर प्रदेश	1631500
34.	मैसर्स लकी फूड प्रोडक्स, मेरठ, उत्तर प्रदेश	1839500
35.	मैसर्स रामा मस्टर्ड एंड फूड प्रोडक्ट, किरतपुर, उत्तर प्रदेश	2500000
36.	मैसर्स पारस नाथ एग्रो इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश	350000
37.	मैसर्स श्री लक्ष्मण बाबा रोलर फ्लोर मिल, लखनऊ उत्तर प्रदेश	1896500
38.	मैसर्स वृन्दावन बॉटलर्स लि., उत्तर प्रदेश	2500000
39.	मैसर्स मेरिनो इंडस्ट्रीज लि., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	2500000
40.	मैसर्स हरिदयाल मिल प्रोडक्स, उत्तर प्रदेश	2500000
41.	मैसर्स एम.एल.ए. फूड, उत्तर प्रदेश	287500
	जोड़	80572000
	मानव संसाधन विकास	
42.	मैसर्स चेतन्य महाप्रभु विकास संस्थान, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	200000
43.	मैसर्स मार्केटिंग एंड प्रोडक्स डिस्प्ले, कानपुर, उत्तर प्रदेश	28725
44.	मैसर्स अकाई पोली क्राफ्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश	95000
	जोड़	3233725
	अनुसंधान एवं विकास	
45.	मैसर्स गोकुल फूड्स प्रा. लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश	492000
	जोड़	492000

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

1793. **श्री मानिक सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यवार रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 3500 मार्ग किमी का रेल विद्युतीकरण करने का विनिश्चय किया गया है। राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि रेल परियोजनाएं किसी राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं होती है। विद्युतीकरण के लिए चयनित खण्डों का राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मार्ग	राज्य-वार मार्ग किमी			ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिए मार्ग किमी
1.	बाराबंकी-बरौनी-गुवाहाटी	उत्तर प्रदेश	–	341	1538
		बिहार	–	638	
		पश्चिम बंगाल	–	336	
		असम	–	223	
2.	मुरादाबाद-मुगलसराय	समूचा खण्ड उत्तर प्रदेश में पड़ता है।			626
3.	शकूरबस्ती-रोहतक	दिल्ली	–	10	60
		हरियाणा	–	50	
4.	बीना-कोटा	मध्य प्रदेश	–	152	303
		राजस्थान	–	151	
5.	विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्लि-मदुरै	समूचा खण्ड तमिलनाडु में पड़ता है।			332
6.	तिरूवनंतपुरम-कन्याकुमारी	तमिलनाडु	–	57	87
		केरल	–	30	
7.	लिंगमपल्लि-वाडी	कर्नाटक	–	50	161
		आंध्र प्रदेश	–	111	
8.	इंदौर-उज्जैन-देवास-मक्सी	समूचा खण्ड उत्तर प्रदेश में पड़ता है।			115
9.	झांसी-कानपुर	समूचा खण्ड उत्तर प्रदेश में पड़ता है।			220
10.	खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर तथा गाजियाबाद-मेरठ (आंशिक)	समूचा खण्ड उत्तर प्रदेश में पड़ता है।			58
	कुल				3500

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रिफाइनरी और पेट्रो रसायन काम्प्लेक्स

1794. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में प्रस्तावित रिफाइनरी और पेट्रो रसायन काम्प्लेक्स से पीछे हटने का अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी ने भविष्य में कोई रिफाइनरी स्थापित नहीं करने तथा केवल अन्वेषण और उत्पादन पर ध्यान देने का दृढ़ निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। दिनांक 23 जून 2008 को आयोजित काकीनाडा रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (केआरपीएल) के निदेशक मंडल की 13वीं बैठक में, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के प्रबंधन ने परियोजना से तुरन्त पीछे हटने का अपना निर्णय सूचित किया है, क्योंकि वित्तीय मूल्यनिर्धारण से यह संकेत मिले हैं कि प्रति वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) की वर्धित क्षमता के साथ भी परियोजना से उचित लाभ नहीं मिल पाएंगे।

(ग) और (घ) जी नहीं। ओएनजीसी ने मामले के गुण-दोषों के आधार पर उपर्युक्त निर्णय लिया है। इस प्रकार यह एक मामला विशेष निर्णय है और न कि एक सामान्य मामला।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग में घाटा

1795. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री दानवे राव साहेब पाटील :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखालैंड आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप पहाड़ियों पर सड़कों को बंद करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 को बंद किये जाने के कारण सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग के पर्यटन उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त घटनाओं के मद्देनजर ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पहाड़ियों और राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के बंद होने के कारण पर्यटक आगमन में कमी आई है। पिछले तीन वर्षों के लिए पर्यटन आगमन के आंकड़े निम्नानुसार है:—

वर्ष	कुल
2006	31,46,445
2007	12,34,705
2008	9,40,967 (सितम्बर, 08 तक)

पर्यटक आगमन में कमी के आंकड़े क्षेत्र में पर्यटन उद्योग में घाटे को दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए, इस प्रकार की स्थिति की रोकथाम मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

बंगलौर-दावणगेरे मार्ग पर पैलेस आन व्हील्स रेलगाड़ी

1796. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-दावणगेरे मार्ग पर "पैलेस आन व्हील्स" प्रकार की रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने रेलवे को राज्य में हरिहर तथा बीरूर के बीच सवारी गाड़ी शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलगाड़ी सं. 6589 तथा 6590 (मीराज-बंगलौर तथा बंगलौर-मीराज मेल) में कोई प्रथम श्रेणी तथा प्रथम वातानुकूलित डिब्बे नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो क्या रेलवे का इन रेलगाड़ियों में एक प्रथम श्रेणी तथा एक प्रथम वातानुकूलित डिब्बा शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) उक्त परियोजना कब तक शुरू होने की संभावना है तथा इसके पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, वास्को से यशवंतपुर तक इसकी यात्रा के दौरान ''गोल्डन चैरियट'' दावणगेरे पर बिना रूके दावणगेरे होकर गुजरती है।

(ग) हरिहर और बिरूर के बीच यात्री गाड़ियों को शुरू करने हेतु कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 6589/6590 बेंगलुरू-श्रीछत्रपति साहू महाराज (ट) रानी चैन्नमा एक्सप्रेस एक प्रथम वातानुकूल सवारीडिब्बे के साथ चल रही है लेकिन कोई प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बा नहीं है।

(च) गाड़ी में प्रथम श्रेणी सवारीडिब्बे मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रथम श्रेणी सवारीडिब्बों को हटाया जा रहा है।

एयरलाइन्स के लिए ऋण सीमा

1797. **श्री सुरेश अंगड़ि** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचालित कुछ एयरलाइन्स पर ईंधन बिल के रूप में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की भारी रकम बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक एयरलाइन्स को कितनी ऋण सीमा दी गयी है;

(घ) ऋण सीमा पार करने वाली एयरलाइन्स का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन चूककर्त्ता कंपनियों को या तो भुगतान करने अथवा नकद भुगतान करके आवश्यक विमान ईंधन लेने के लिए बाध्य नहीं करने के क्या कारण है; और

(च) जेट एयरवेज के चेयरमैन के साथ बैठक के बाद केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। 21 अक्तूबर, 2008 को घरेलू एयरलाइनों, नामतः, एनएसीआईएल (एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस तथा एलाएन्स), किंगफिशर एयरलाइन्स लिमिटेड तथा जेट एयरवेज पर, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की खरीद के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसी) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एचपीसी) का सामूहिक रूप से लगभग 2926 करोड़ रु. बकाया हैं।

(ग) से (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में दिनांक 22.10.2008 को एक अंतर्मंत्रालयीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ओएमसीज तथा घेलू एयरलाइनों आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। नागर विमानन क्षेत्र की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई थी और निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:

(i) घरेलू एयरलाइनों को अपना बकाया निपटाने के लिए सक्षम बनाने हेतु, एयरलाइनों को अधिक से अधिक छः समान मासिक किस्तों में 31.3.2009 तक अपना बकाया निपटाने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) जहां तक वर्तमान देय राशियों का संबंध है, भुगतान अवधि 60 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई थी।

(iii) ये सुविधाएं 1.4.2009 से वापिस ले ली जाएंगी तथा ओएमसीज और एयरलाइनों के बीच एटीएफ की बिक्री/खरीद नियंत्रित करने वाले निबंधन और शर्तें पुन: लागू होंगी, तथा

(iv) एटीएफ का मूल्य मौजूदा मासिक आधार के स्थान पर पाक्षिक आधार पर संशोधित किया जाएगा।

चूंकि सभी बड़ी घरेलू एयरलाइनें अर्थात् एनएसीआईएल, किंगफिशर एयरलाएन्स लिमिटेड तथा जेट एयरवेज अपनी उधार सीमाओं से आगे निकल गई थीं इसलिए उधार शर्तों को सरल बनाया गया था और उक्त उपाय अनिवार्य पाए गए ताकि एयरलाइनों की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने बकाये का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके।

पीएनजीआरबी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए विनियमन

1798. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 2008 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का बहुप्रतीक्षित विनियमन अधिसूचित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनियमन को अधिसूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अधिसूचना में विलंब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक अधिसूचित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) 6 मई, 2008 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा विस्तारित करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने हेतु) विनियम, 2008 अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमश: 23.10.2008 और 21.10.2008 को रखा गया था।

यशवन्तपुर से तुमकुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

1799. **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और यशवन्तपुर तथा यशवन्तपुर से तुमकुर के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण की स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब से प्रचालन में लाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ख) बंगलौर-यशवन्तपुर पहले से ही दोहरी लाइन खंड है जहां पर गाड़ी सेवा उपलब्ध हैं। यशवन्तपुर-गोलाहल्ली तथा गोलाहल्ली-निदावांदा खंड के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा क्रमश: अक्तूबर, 2007 एवं मई, 2008 में चालू भी कर दिया गया है। निदावांदा-तुमकुर खंड का कार्य भी हाल ही में पूरा हो गया है तथा दोहरीकरण खंड पर यातायात बहाल करने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त से जरूरी अनुमति मांगी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में संरक्षित स्मारक

1800. **श्री गिरिधारी यादव :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में संरक्षित स्मारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण और अनुरक्षण पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 70 स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन स्मारकों के परिरक्षण तथा रखरखाव, पर व्यय की गई धनराशि निम्नानुसार है:—

2005-06	325.00 लाख रुपए
2006-07	155.00 लाख रुपए
2007-08	427.97 लाख रुपए
2008-09 (30 नवम्बर, 2008 तक)	292.35 लाख रुपए

(घ) बिहार के पांच प्रवेश शुल्क वाले स्मारकों से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:—

	रुपए	डालर
2005-06	23.71 लाख रुपए	0.63 लाख
2006-07	32.73 लाख रुपए	0.95 लाख
2007-08	36.81 लाख रुपए	1.24 लाख
2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)	15.34 लाख रुपए	

विवरण

बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	शमशेर खान का मकबरा	शमशेर नगर	औरंगाबाद
2.	विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल	अंतीचाक	भागलपुर
3.	शैल मंदिर	गोलगोंग	भागलपुर
4.	पातालपुरी गुफा तथा पथारघटा हिल पर बटेश्वर गुफा के साथ लगी जमीन	माधोरामपुर	भागलपुर
5.	पत्थर की मूर्तियां	पथारघटा	भागलपुर
6.	प्राचीन टीला	बक्सर	बक्सर
7.	प्राचीन किला अथवा पंचरुखी गढ़ के अवशेष जिसे स्थानीय रूप से राजा बाली का गढ़ के नाम से जाना जाता है।	बालीराजगढ़	मधुबनी
8.	ध्वस्त गढ़ी, चांकीगढ़	चांकी	पश्चिम चंपारन
9.	नंदनगढ़ स्थित किले और स्तूप का परकोटा	मढ़िया	पश्चिम चंपारन
10.	नंदनगढ़ स्थित ध्वस्त गढ़ी	मढ़िया	पश्चिम चंपारन
11.	वैदिक शवदाह टीले	मढ़िया	पश्चिम चंपारन
12..	वैदिक शवदाह टीले	पाकरी	पश्चिम चंपारन
13.	किले के अवशेष, हौज तथा स्तूप	सागरडीह	पूर्वी चंपारन

1	2	3	4
14.	बौद्ध स्तूप	तेजपुर देउर	पूर्वी चंपारन
15.	अशोका कालम जिसे लाउर स्तंभ के नाम से जाना जाता है।	लौरिया अरेराज	पूर्वी चंपारन
16.	अशोका कालम	लौरिया नन्दनगढ़	पश्चिम चंपारन
17.	वैदिक शवदाह टीले	लौरिया नन्दनगढ़	पश्चिम चंपारन
18.	अशोका कालम	रामपुरवा	पश्चिम चंपारन
19.	कोवादोल पहाड़ी की कुछ चट्टानों तथा शिलाखंडों के दक्षिण तथा पूर्वी मुख पर विभिन्न हिन्दू देवताओं की उत्कीर्ण मूर्तियां	कुरीसराय	गया
20.	कोवादोल पहाड़ी के दक्षिण-पूर्वी कोने 12 फुट की दूरी पर अलग रखे गोल शिलाखंड के मुख पर उत्कीर्ण विभिन्न हिन्दू देवताओं की मूर्तियां	कुरीसराय	गया
21.	कोवादोल पहाड़ी की उत्तर पूर्वी चट्टानों के मुखों पर विभिन्न हिन्दू देवताओं की उत्कीर्ण मूर्तियां	कुरीसराय	गया
22.	कोवादोल पहाड़ी के पूर्व में अलग रखे हुए शिलाखंड की प्रत्येक तरफ एक-एक हिन्दू देवताओं की चार मूर्तियां	कुरीसराय	गया
23.	समस्त प्राचीन अवशेष जिसपर बुद्ध की विशाल मूर्ति है, कुछ अलग मूर्तियां तथा बलुई पत्थर के 13 स्तंभ	कुरीसराय	गया
24.	गढ़ नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र	कुर्कीहार	गया
25.	एक शेड के नीचे से एकत्रित की गई प्राचीन बौद्ध मूर्तियां एवं अन्य मूर्तियां	गुनेरी	गया
26.	पहाड़ी में एक प्राचीन टीला जिसे स्थानीय रूप से हसरा कोल के नाम से जाना जाता है।	विशुणपुरतरवा, हसरा तथा जगदीशपुर	
27.	पहाड़ी में प्राचीन टीले जिन्हें सोमनाथ के नाम से जाना जाता है।	विशुणपुरतरवा, हसरा तथा जगदीशपुर	गया
28.	शिव मंदिर	कौंच	गया
29.	सुजातगढ़ के नाम से स्थानीय रूप से ज्ञात प्राचीन स्तूप तथा अन्य अवशेष	बकरौर	गया
30.	एक शेड के नीचे से एकत्रित की गई प्राचीन बौद्ध प्रतिमा तथा मूर्तियां	घेंजान	जहानाबाद
31.	गोपी गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद

1	2	3	4
32.	कर्ण चौपर गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद
33.	लोमास ऋषि गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद
34.	सुदामा गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद
35.	वडाठिका गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद
36.	वपियाका गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद
37.	विश्व झोपा गुफा	बराबार तथा नगर जूनी हिल्स	जहानाबाद
38.	लाट नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एकाश्म स्तंभ	लाट	जहानाबाद
39.	अशोक कालम	कोल्हुआ	मुजफ्फरपुर
40.	परकोटे के अवशेष तथा टीला जिन्हें किले में साधारण रूप से रानी के महल के नाम से जाना जाता है।	बिहार शरीफ	नालंदा
41.	मलिक इब्राहिम बेया का मकबरा	बिहार शरीफ	नालंदा
42.	गढ़ नाम से प्रसिद्ध प्राचीन अवशेष	घोराकटोरा	नालंदा
43.	अधिगृहीत क्षेत्र से लगे हुए सभी टीले, संरचनाएं तथा भवन	नालंदा	नालंदा
44.	प्राचीन टीला	बारगांव	नालंदा
45.	बुद्ध की मूर्ति	जगदीशपुर	नालंदा
46.	1. सभी प्राचीन संरचनाएं तथा अन्य स्मारक	राजगीर	नालंदा
	2. सभी प्राचीन संरचनाएं तथा सभी बनावटी प्राचीन अवशेष जोकि वर्णित दो प्राचीन नगरों पुराना तथा नया राजगृह से आधे मील की दूरी पर स्थित हैं।		
	3. दो प्राचीन नगरों की दीवारें जिन्हें पुराना तथा नया राजगृह के नाम से जाना जाता है।		
47.	मूर्तियां तथा प्रतिमा	दतियाना	पटना
48.	बुलंदीबाग के नाम से प्रसिद्ध समाधि	बुलंदीपुर	पटना
49.	छोटी पहाड़ी नाम से प्रसिद्ध टीला अथवा स्तूप	छोटी पहाड़ी	पटना

1	2	3	4
50.	अशोक के महल का संभावित स्थल	कुमराहार	पटना
51.	लकड़ी की बुनियादों के अवशेष तथा प्राचीन मौर्यकालीन दीवारें	संदलपुर	पटना
52.	टीले जिन्हें पांच स्तूपों अथवा पंच पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।	पहाड़ीडीह	पटना
53.	1. प्रक्षालन तालाब	पटना	पटना
	2. मीर अशरफ की जामा मस्जिद		
	3. पक्का कुआं		
54.	शाह मखदूम दौलत मानेरी तथा इब्राहिम खान के मकबरे	मानेर	पटना
55.	तालाब	मानेर	पटना
56.	प्राचीन टीला तथा ध्वस्त ईंटों की दीवार साथ में लगी हुई भूमि जिसमें सर्वे. प्लाट सं. 608 और 611 का भाग है।	मानेर	पटना
57.	प्राचीन टीला तथा ध्वस्त ईंटों की दीवार साथ में लगी हुई भूमि जिसमें सर्वे. प्लाट सं. 399 है।	मानेर	पटना
58.	प्राचीन टीला	बक्सर	बक्सर
59.	हसन शाह सूरी का मकबरा	सासाराम	रोहतास
60.	शेरशाह सूरी का मकबरा	सासाराम	रोहतास
61.	रोहतास गढ़ किला	रोहतास गढ़	रोहतास
62.	मुंडेश्वरी देवी का मंदिर	पौरा	कैमुर
63.	बख्तियार खां का मकबरा	मलिक सराय	कैमुर
64.	तीन शिलालेख (तारा चंडी मंदिर के पास)	सासाराम	रोहतास
65.	डा. राजेन्द्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पूर्वजों का घर	जीरादेई	सिवान
66.	प्राचीन शहर के अवशेष	मांझी	सारन
67.	जामी मस्जिद	हाजीपुर	वैशाली
68.	रेलिक स्तूप	हरपुर बसंत (वैशाली)	वैशाली
69.	राजा विशाल का गढ़	वैशाली	वैशाली
70	कन्हैया जी का मंदिर	बंदारझुला	किशनगंज

[अनुवाद]

अधिसूचित क्षेत्रीय एयरलाइन्स

1801. श्री एल. राजगोपाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे शहरों के बीच विमान सेवा बढ़ाने के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय एयरलाइन्स की संकल्पना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण क्षेत्र विशेषत: आंध्र प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रीय एयरलाइन्स का संचालन करने वाले संचालकों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय ने किसी क्षेत्र के भीतर हवाई संपर्कता के संवर्द्धन की दृष्टि से, टियर-II तथा टियर-III के शहरों के लिए और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के बीच हवाई यात्रा सेवाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) के अनुरूप उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी/पूर्वोत्तर के रूप में चार क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। क्षेत्रीय एयरलाइनों को श्रेणी-I के मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं है। तथापि, दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें तीन महानगर शामिल हैं, की क्षेत्रीय एयरलाइनों को दक्षिणी क्षेत्र के भीतर अर्थात् बंगलौर, चैन्नई तथा हैदराबाद महानगरों के बीच प्रचालन की अनुमति होगी।

सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र के लिए मै. स्टार एविएशन को अनुसूचित हवाई परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। कंपनी ने अभी अपने प्रचालन आरंभ करने हैं।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया की उड़ान का विपथन

1802. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जून, 2008 को एयर इण्डिया की उड़ान आई सी 612 मुम्बई विमानपत्तन में अपने मार्ग से विपथित हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) दिनांक 4.6.2008 को एयर इंडिया की उड़ान आईसी-612 ने मुम्बई में प्रचालन करते समय अनुमानित समय पर वे-प्वाइंट एसजी पर रिपोर्ट नहीं की थी। मुम्बई एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की परंतु उड़ान के मुम्बई से ओवर शार्ट करने तक और एफएल-300 बनाये रखते हुए मुम्बई के दक्षिण में करीब 35 नोटिकल मील की दूरी पर पहुंचने तक संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। एटीसी मुम्बई की ओर से पूछे जाने पर पायलट ने बताया कि ट्रांसमीटर की समस्या की वजह से वे एटीसी से संपर्क नहीं कर सके। घटना की जांच की जा चुकी है और रिपोर्ट की जांच उचित स्तर पर की जा रही है।

इस्पात प्रसंस्करण संयंत्र

1803. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थापित इस्पात प्रसंस्करण संयंत्र तथा डिपो के कार्य के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) समयबद्ध भविष्य कार्ययोजना के अंतर्गत इस इकाई को कब तक कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उज्जैन में इस्पात प्रक्रमण संयंत्र के लिए स्थल सर्वेक्षण कार्य और मृदा जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रमुख पैकेजों के लिए निविदा संबंधी कार्य प्रगति पर है। आर्डर देने की तारीख से लगभग 18 माह में यह इकाई स्थापित की जाने की संभावना है।

उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता

1804. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उड़ीसा में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा शीतागारों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ग) इन उद्योगों में कितना निवेश किया गया है और उनके द्वारा कितने मूल्य का उत्पादन किया जा रहा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) उड़ीसा समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों संबंधी आंकड़े तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश एवं उत्पादन के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

(ख) और (ग) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी स्कीम और शीतागार स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरा नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रुपए में)

स्कीम के नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नवंबर, 2008 तक)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना	6966.00	8219.00	11936.00	9225.00
शीतागार	273.79	218.03	51.74	14.56

[अनुवाद]

इस्पात प्रसंस्करण एककों की स्थापना

1805. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों में इस्पात प्रसंस्करण एककों को बढ़ावा देने की अपार संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में राज्यवार कितने इस्पात प्रसंस्करण एकक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन राज्यों में ऐसे एकक स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) इस्पात प्रक्रमण इकाइयां (एसपीयू) उन राज्यों स्थापित की जा रही हैं जहां सेल की प्रमुख उत्पादन सुविधाएं नहीं हैं। इस समय मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, उज्जैन और ग्वालियर में तीन इस्पात प्रक्रमण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इनके लिए सेल बोर्ड ने पहले ही सिद्धांततः मंजूरी दे दी है। इन तीन इस्पात प्रक्रमण इकाइयों में निविदा संबंधी कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

मॉडल रेलवे स्टेशन के विकास हेतु मानदंड

1806. डा. धीरेंद्र अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में मॉडल रेलवे स्टेशन के विकास हेतु क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन मानदंडों को कितने रेलवे स्टेशन पूरा कर रहे हैं;

(ग) क्या इन मानदंडों को पूरा करने के बावजूद इन रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) झारखंड में अभी तक कितने रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल बजट 1999-2000 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक मंडल में कम से कम एक स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। जहां उच्च स्तर की यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस प्रकार की गई घोषणा के परिणामस्वरूप प्रारंभ में मॉडल स्टेशन के रूप में 61 स्टेशनों का चयन किया गया था।

बाद में और अधिक मॉडल स्टेशन समय-समय पर इसमें शामिल किए गए। रेल बजट 2006-07 प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के अनुसार उसमें "क" और "ख" कोटि स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में चुना गया था।

(ख) झारखंड राज्य से 16 रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में चुना गया था।

(ग) से (ङ) झारखंड राज्य में मॉडल स्टेशन के रूप में विकास के लिए निर्धारित 16 स्टेशनों में से 10 स्टेशन अर्थात् धनबाद, रांची, टाटानगर, चक्रधरपुर, बरकाकाना, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, कोडरमा, पारसनाथ और बोकारो स्टील सिटी को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा चुका है।

मॉडल स्टेशन के रूप में स्टेशनों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, जो धन की उपलब्धता और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रुग्ण सरकारी उपक्रम

1807. श्री ए. साई प्रताप : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रुग्ण पड़े हुए हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : (क) आंध्र प्रदेश में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित तीन सार्वजनिक क्षेत्रीय यूनिटें/सहायक कंपनियां रुग्ण पड़ी हैं:-

(i) हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) (हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. की एक सहायक कंपनी) जिला-मेडक

(ii) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि, (आईडीपीएल), हैदराबाद

(iii) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआईएल), रामागुंडम

(ख) उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की विद्यमान स्थिति नीचे दी गई है:

(i) हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

बीआईएफआर ने कंपनी के पुनर्वास के लिए "परिवर्द्धित पुनरुज्जीवन योजना-एमआरएस-07" को अनुमोदित किया है। पुनर्वास की अनुमानित लागत 19.28 करोड़ रुपए है।

(ii) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)

आईडीपीएल के पुनरुज्जीवन का मामला मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

(iii) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआईएल)

सरकार ने रामागुंडम यूनिट सहित एफसीआईएल की बंद पड़ी प्रत्येक यूनिट के पुनरुज्जीवन के लिए सभी वित्तीय माडलों की जांच करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन को अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

महिला रेल इंजन ड्राइवरों की भर्ती

1808. श्री महावीर भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल इंजन ड्राइवरों के पद हेतु महिलाओं की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी महिला कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल प्रचालन के संबंध में इन महिला कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों पर राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) लोको पायलट के रूप में नियुक्त महिलाओं से ड्राइविंग, कर्मीदल लॉबी, कंट्रोल ऑफिस में कर्तव्य निर्वहन जैसे लोको पायलट के सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में काम लिया जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1809. श्रीमती के. रानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से कितने प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) राज्य के इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य को पृथक-पृथक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के संबंध में प्राप्त, स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत*	लंबित
2005-06	22	23	6
2006-07	32	35	13
2007-08	15	16	15

*स्वीकृत मामलों में पिछले वर्षों के मामले शामिल हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रस्तावों की व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि वितरित करता है। राज्य को पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित है:-

वर्ष	लाख रुपए में
2005-06	362.235
2006-07	493.615
2007-08	814.245
2008-09 (14.11.2008 को)	515.09

गुवाहाटी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आवागमन को बंद करना

1810. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुवाहाटी विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गुवाहाटी से ऐसी उड़ानों को पुनः बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। एयर इंडिया द्वारा प्रचालित गुवाहाटी-बैंकाक सेवा को 1 जुलाई, 2008 से इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि इस उड़ान में जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम थी और इस रूट पर जनवरी, 2005 से, इसे आरंभ किए जाने की तारीख से हानि उठानी पड़ रही थी। इस समय एयर इण्डिया की गुवाहाटी-बैंकाक उड़ान को पुनः आरंभ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

कंक्रीट स्लीपर की कमी

1812. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंक्रीट के स्लीपरों की कमी के कारण रेलपथ का विस्तार कार्य अवरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के साथ मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर गतिरोध होने के कारण स्लीपर विनिर्माण एकक बंद होने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जून, 2008 से अगस्त, 2008 के दौरान स्लीपरों की कम उपलब्धता के फलस्वरूप लक्षित परियोजनाओं/कार्यों की प्रगति कुछ सीमा तक प्रभावित हुई है। बहरहाल, चालू वर्ष के दौरान इस्पात के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि जैसे अन्य कारक भी कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं।

(ख) जी नहीं, मामले को सुलझा लिया गया है तथा स्लीपर के उत्पादन को पुनः प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायु यातायात नियंत्रण सेवाओं का विकेन्द्रीकरण

1813. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में उपलब्ध प्रशिक्षित वायु यातायात नियंत्रक (एटीसी) की अपेक्षा और अधिक प्रशिक्षित नियंत्रकों की भर्ती के लिए वायु यातायात नियंत्रण सेवाओं का विकेन्द्रीकरण करने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। इलाहबाद स्थित नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीएस) में हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की चालू तथा भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता तथा अवसंरचना उपलब्ध है। तथापि, क्षमता को और बढ़ाने के उद्देश्य से, एटीसीओ की प्रशिक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, हैदराबाद में पुराने बेगमपेट हवाईअड्डे पर अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है।

बंजारों की आवास स्थिति

1814. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के अनेक भागों में बंजारों की टांडा (बस्तियों) की अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि चूंकि ये टांडा किसी राजस्व गांव के अंतर्गत नहीं आते हैं, स्थानीय नागरिक निकाय इन टांडों के सुधार हेतु कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बंजारों की आवास स्थिति का अध्ययन करेगी और क्या उसका विचार टांडा समुदाय के विकास हेतु सहायता प्रदान करके बंजारों की आवास स्थिति को सुधारने हेतु कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (च) राष्ट्रीय अनधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजाति आयोग ने 2 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें बंजारा समुदाय सहित अनधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजातियों की आवास समस्याओं के संबंध में कतिपय सिफारिशें की गई हैं। आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

मिनरल वाटर का उत्पादन

1815. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देशभर में 12 स्थानों पर रेल नीर परियोजना की भांति मिनरल वाटर का उत्पादन करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) वर्तमान में दो रेल नीर संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) में परिचालन में है। इसके अतिरिक्त दो और रेल नीर संयंत्रों को चेन्नै के नजदीक पालुर और अन्य मुंबई के निकट अंबरनाथ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

1816. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभ कमाने वाले उपक्रम भी अपने स्टाफ के लिए हाल ही में घोषित वेतन पैकेज को तुरंत लागू करने की स्थिति में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में आगे क्या कार्रवाही की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) और (ख) संघबद्ध कामगारों के मामले में 7वें दौर की मंजूरी वार्ता, जो सामान्य आधार पर 01.01.2007 से देय है, के लिए लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(7)/06-लोउवि (मंजूरी कक्ष), दिनांक 09.11.2006 तथा दिनांक 01.05.2008 के माध्यम से दिशा- निर्देश जारी किए जाते हैं। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08-लोउवि (मंजूरी कक्ष), दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों को श्रमिक पंघों से वार्ता के आधार पर कामगारों का वेतन संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। दिनांक 26.11.2008 के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में निदेशक मंडलों को अपने उद्यम की वहन क्षमता के आधार पर कार्यपालकों के वेतन संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना होगा तथा उसे अनुमोदन हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करना होगा। वेतन संशोधन के कारण होने वाले व्यय का वहन केंद्रीय सरकारी उद्यम द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

1817. श्री पी. करुणाकरन : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में अल्पसंख्यक छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए निम्नलिखित दो छात्रवृत्ति योजनाएं तैयार की गई हैं:-

(1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(2) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(ग) से (ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाए जाने के लिए केरल राज्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। केरल सहित सभी राज्यों के लिए छात्रवृत्तियों का नियतन राज्य में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए कुल 4 लाख छात्रवृत्तियों में से 29,380 छात्रवृत्तियों का नियतन केरल के लिए किया गया है।

केरल को फैक्टमफोस उपलब्ध कराना

1818. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपआपरेटिव लिमिटेड (इफको) से फैक्टमफोस उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) और (ख) जी नहीं। फैक्टमफोस, फर्टिलाइजर एंड ट्रॉवनकोर लिमिटेड (फैक्ट) द्वारा उत्पादित मिश्रित उर्वरक का एक ब्रांड नाम है जिसका रासायनिक संघटन 20:20:0:13 है। इसे अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) फैक्टमफोस का उत्पादन नहीं करता है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

1819. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) निर्धारित समय-सीमा के भीतर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईजीआईए) का आधुनिकीकरण करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आईजीआईए, जिसके लिए डीआईएएल को राजस्व में एक भागीदार बनाया गया था, पर क्या आधुनिक सुविधाएं हैं तथा उन पर 30 सितम्बर, 2008 तक कितनी राशि खर्च की गयी;

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की डीआईएएल के साथ राजस्व में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है;

(ङ) डीआईएएल द्वारा अपना काम शुरू होने के बाद 30 सितंबर, 2008 तक एएआई को दिए गए राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) डीआईएएल आईजीआईए पर किन-किन स्रोतों से राजस्व अर्जित करता है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास करार (ओएमडीए) की अनुसूची 7 में यथा निर्धारित कुछ अनिवार्य पूंजीगत परियोजनाओं (एमसीपी) में 3 महीने का विलंब हो गया जिन्हें अब पूरा कर लिया गया है। इससे आईजीआई हवाईअड्डे का आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रभावित नहीं हुआ है।

(ग) ओएमडीए की शर्तों के अनुसार, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (डीआईएएल) को एमसीपी के अतिरिक्त आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करनी है जिसे ओएमडीए की अनुसूची 7 के अनुसार निर्धारित समय में पूरा किया जाना है। 30 सितंबर, 2008 तक 4681 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) डीआईएएल को अपने सकल राजस्व का 45.99% वार्षिक शुल्क मासिक आधार पर अदा करना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राजस्व का वर्षवार ब्यौरा करोड़ रुपयों में संबंधित आदेश इस प्रकार हैं: (2006-07), (271.98); (2007-08), (402.71) तथा (2008-09 सितम्बर, 2008 तक), (213.26)

(च) डीआईएएल आईजीआई हवाईअड्डे पर वैमानिकी (यातायात), गैर-वैमानिकी (गैर यातायात) तथा कार्गो से राजस्व अर्जित करती है।

[अनुवाद]

मेट्रो शहरों में पीएनजी कनेक्शन

1820. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक मेट्रो शहर में जिन-जिन स्थानों पर पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन दिए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पर कोआपरेटिव सोसाइटियां स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन लेता है तो क्या उसकी एलपीजी उपभोक्ता सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो किस तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता के पीएनजी वाले क्षेत्र से बाहर आने पर उसे घरेलू रसोई गैस मिल जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्तमान में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) दिल्ली और मुंबई महानगरों में उपलब्ध है। पीएनजी निम्नलिखित कालोनियों/क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है:

दिल्ली

काका नगर, बापा नगर, पंडारा रोड/पार्क, सुजान सिंह पार्क, निजामुदीन, सुन्दर नगर, गोल्फ लिंक, खान मार्केट, आईआईपीए, डीआईजेड एरिया, औरंगजेब रोड, ब्रहमपुत्र अपार्टमेंट एमपी फ्लैट, पालिका वास, गांधी सदन, पालिका निकेतन, पेशवा रोड, बाल्मीकि सदन, अराम बाग, सरिता विहार, जसोला विहार, सुखदेव विहार, जाकिर बाग, ईश्वर नगर, कालिंदी कालोनी, फ्रेन्ड्स कालोनी, महारानी बाग, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, भारत नगर, श्रीनिवासपुरी, जंगपुरा, पंत नगर, जोर बाग, लोदी कालोनी, लोदी काम्प्लेक्स, प्रगति विहार होस्टल, एशियन खेल गांव, गुलमोहर पार्क, गुलमोहर एन्कलेव, नीति बाग, एंड्रूजगंज, एंड्रूजगंज एक्सटेंसन, मेफेयर गार्डेन, हुडको, आनन्द लोक, सादिक नगर, रविन्द्र नगर, भारती नगर, लोदी एस्टेट (अमृता शेरगिल मार्ग), सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, चाणक्यपुरी, किदवई नगर, सत्य सदन, हौजखास, मोती बाग, मोहम्मद पुर, आर.के. पुरम, सोम विहार, मुनिरका, एनएचआईएफडब्ल्यू, निवेदिता कुंज, वंसत कुंज, वसंत एन्कलेव, साकेत, पुष्प विहार, पटपड़गंज, मयूर विहार, वसुन्धरा एन्कलेव, रोहिणी, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, विकास पुरी, द्वारका, वसंत विहार, बापू धाम, दिलशाद गार्डन और जनकपुरी।

मुंबई

कोलाबा (दक्षिण मुंबई), बोरीवली/दहीसर (महानगर की उत्तर-पश्चिम सीमा), मुलुंड (महानगर की उत्तर-पूर्व सीमा), मीरा रोड क्षेत्र एलबीएस रोड पर मुलुंड चेक नाका, घोड़बन्दर रोड, मानपाड़ा, नौपाड़ा, वागले एस्टेट, वर्तकनगर आदि।

वर्तमान में अन्य महानगरों में पीएनजी का कोई नेटवर्क नहीं है। तथापि, देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है और "प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण की नीति" को अधिसूचित किया है।

(ख) और (ग) पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क उस क्षेत्र में आवासीय इकाइयों के प्रकार पर ध्यान दिए बिना विभिन्न क्षेत्रों/कालोनियों में उपलब्ध/विस्तारित किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पीएनजी ग्राहकों के घरेलू एलपीजी कनेक्शनों को रद्द करने के लिए एक योजना बनाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को अनुमोदन दे दिया है। इस योजना के तहत लौटाई गई प्रतिभूति जमा दर पर देश के किसी भी भाग में ऐसे ग्राहकों को ग्रीन चैनल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

पुरावस्तुओं की चोरी

1821. श्री अमिताभ नन्दी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्राचीन मंदिरों और दूर-दराज के गांवों में बड़े पैमाने पर भारतीय पुरावस्तुओं की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चोरी की गई पुरावस्तुओं को ढूंढ निकालने और उन्हें वापस लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ख) पिछले तीन वर्षों में चोरी से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह किसी नियमित तरीके का सूचक नहीं है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों तथा स्थल संग्रहालयों पर पुरावशेषों के परिरक्षण तथा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

है। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा गार्डों को तैनात किया है जिनकी संख्या निजी सुरक्षा गार्डों, राज्य पुलिस, होम गार्ड तथा चुनिन्दा स्मारकों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करके बढ़ाई गई है। कलाकृतियों की तस्करी के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सीमाशुल्क अधिकारियों के बीच निरन्तर बातचीत होती है।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात के विनियमन तथा इनकी अवैध तस्करी को रोकने के प्रावधान विद्यमान हैं। इन प्रावधानों में डीलरों का पंजीकरण, पुरावशेषों की विशिष्ट श्रेणियों का पंजीकरण, अपराधियों पर मुकदमा चलाना आदि शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन स्थापित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ देश के स्मारकों तथा पुरावशेषों का प्रलेखन करेगा।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरावशेषों की चोरी के सूचित किए गए मामलों की राज्य वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य	वर्ष	पुरावशेषों की चोरी की संख्या
1	2	3
राजस्थान	2005	7
मध्य प्रदेश	2005	9
उत्तराखंड	2005	1
उत्तराखंड	2006	2
राजस्थान	2006	1
आंध्र प्रदेश	2006	1
मध्य प्रदेश	2007	5
पश्चिम बंगाल	2007	1
हिमाचल प्रदेश	2007	4
तमिलनाडु	2007	1
उड़ीसा	2008	1
हिमाचल प्रदेश	2008	1
मध्य प्रदेश	2008	1
उत्तर प्रदेश	2008	4

[हिन्दी]

छात्रों को मुफ्त रेल पास

1822. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश भर में छात्रों को रेलवे पास जारी करने की कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की शुरूआत से राज्य-वार कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इमरजेंसी लैंडिंग के मामले

1823. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक निजी हेलीकॉप्टरों सहित इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, निजी एयरलाइंस के विमानों द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या इमरजेंसी लैंडिंग के कारणों की गहराई से जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग से सेवाओं को कितना घाटा हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 2008 के हिन्दुस्तान में 'विमान की एमरजेंसी लैंडिंग' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अभी तक दिल्ली में दिनांक 9.10.2008 को उड़ान जी-8-456 को प्रचालित करते समय गो-एयरवेज के ए-320 विमान की आपातस्थिति में उतरने का केवल एक मामला सामने आया है। मुम्बई से लिफ्ट ऑफ के दौरान विमान का नोज व्हील गिर गया था। किसी व्यक्ति को कोई चोट अथवा कोई क्षति हुए बिना दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। तथापि, निजी हेलीकॉप्टरों के आपातस्थिति में लैंड करने की घटना का कोई मामला नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त घटना की जांच की गई थी और संबंधित इंजीनियर को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) और (च) जी, हां। दिनांक 11.10.2008 को उड़ान एआई-111 को प्रचालित करते समय एयर इंडिया का बी-777 विमान वीटी-एएलएन वापस उतर गया था चूंकि एफ्ट केबिन एरिया में से धुआं निकल रहा था। स्थिति नियंत्रित की गई और कोई आपात स्थिति घोषित नहीं की गई।

[अनुवाद]

अ.जा. परिवारों की विशेष केन्द्रीय सहायता

1824. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या सामाजिक न्याय और **अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में समग्र आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अ.जा. परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उनके प्रतिशत के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के 25 प्रतिशत के रूप में दी जा रही राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान कितने परिवारों के गरीबी रेखा से ऊपर आने का अनुमान है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वास्तव में कितने परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं;

(घ) इस संबंध में अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने वाले राज्यों के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा अनुमानित लाभार्थियों पर इस योजना के पड़े प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) पिछड़ने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार मिश्रित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति उप योजना को जारी विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या के संबंध में वास्तविक कवरेज संबंधित वार्षिक योजना में योजना के लिए आबंटित परिव्यय पर निर्भर करेगी। वर्ष 2008-09 में आबंटित परिव्यय के आधार पर 5.75 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान 16.4 लाख लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन उपलब्ध अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली अनुसूचित जातियों

की जनसंख्या के प्रतिशत में वर्ष 1993-94 के ग्रामीण क्षेत्रों में 48.1% और शहरी क्षेत्रों में 49.5% से कम होकर वर्ष 2004-05 में क्रमशः 36.8% और 39.9% हो गया है।

(घ) योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्य-निष्पादन की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्ट और उनसे प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। एससीए को अगली किस्त जारी करने से पहले पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता पर विचार किया जाता है।

(ङ) और (च) दलित अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद ने वर्ष 2006 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में एससीए पर एक अध्ययन किया। हरियाणा में जुलाई, 2006 में सृष्टि, नई दिल्ली द्वारा एक अन्य मूल्यांकन अध्ययन किया गया। दोनों अध्ययनों की रिपोर्ट फरवरी, 2008 में प्राप्त हुई।

(छ) और (ज) आवश्यक सूचना प्रस्तुत न करने के कारण वर्ष 2007-08 के दौरान बिहार, गोवा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, पंजाब, मणिपुर और दिल्ली को एससीए की दूसरी किस्त जारी नहीं की जा सकी। योजना का लाभ उठाने के लिए राजी करने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित कार्रवाई करता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2007-08 के दौरान परिवार कवरेज के आधार पर निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1544.90
2.	बिहार	0
3.	छत्तीसगढ़	4.78
4.	गोवा	0
5.	गुजरात	272.64
6.	हरियाणा	312.31
7.	हिमाचल प्रदेश	61.52
8.	जम्मू-कश्मीर	0
9.	झारखंड	0
10.	कर्नाटक	974.78
11.	केरल	0
12.	मध्य प्रदेश	1849.79
13.	महाराष्ट्र	1191.42
14.	उड़ीसा	1068.71
15.	पंजाब	0
16.	राजस्थान	1838.99
17.	तमिलनाडु	1643.40
18.	उत्तर प्रदेश	2866.69
19.	उत्तराखंड	185.74
20.	पश्चिम बंगाल	676.90
21.	त्रिपुरा	85.56
22.	असम	410.78
23.	मणिपुर	0
24.	सिक्किम	0.04
25.	दिल्ली	0
26.	पुडुचेरी	57.88
27.	चंडीगढ़	12.50
	कुल	15059.33

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में एलपीजी एजेंसियां खोलना

1825. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान देश विशेषकर छत्तीसगढ़ में और अधिक एलपीजी वितरक एजेंसियां खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ स्थानों की पहचान की है;

(ग) छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसी कितनी एजेंसियां स्थापित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को स्वतंत्रता दी है कि वे अपने वाणिज्यिक आकलनों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करें और स्थलों का पता उनके द्वारा स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप कायम रखने के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर लगाया जाता है। तथापि, सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि वे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओएमसीज ने देश में 1340 स्थलों को शामिल करके एक साझी उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थलों में नये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 16 स्थल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इन 16 स्थलों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और नीति के अनुसार चयन प्रक्रिया चल रही है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थल का पता लगाना गोदाम की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करना तथा अन्य कानूनी स्वीकृतियां शामिल होती हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

01.11.2008 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज छत्तीसगढ़ राज्य में 153 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रही हैं।

[अनुवाद]

बुकिंग काउंटरों पर अधिक भीड़

1826. श्री पी.सी. गद्दीगौडर :
श्री विजय कृष्ण :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो शहरों में बुकिंग काउंटरों पर अधिक भीड़ के कारण विशेषकर पीक सीजन के दौरान अधिक भीड़ की वजह से दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो बुकिंग काउंटरों पर अधिक भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) व्यस्ततम और त्यौहार की अवधियों के दौरान भीड़-भाड़ को संभालने हेतु और व्यस्ततम भीड़-भाड़ के घंटों के दौरान, जब लाइनें तुलनात्मक रूप में बड़ी होती हैं, तो व्यावहारिकतानुसार अतिरिक्त काउंटर खोले जाते हैं। इसके अलावा, यात्रियों को टिकटें प्राप्त करना, सुकर बनाने हेतु अन्य विभिन्न कदम उठाए गए हैं:—

(i) अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) की प्रचुरता

(ii) स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम) का संस्थापन

(iii) जन साधारण टिकट बुकिंग सेवकों (जेटीबीएस) की नियुक्ति

(iv) ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवकों (जीटीबीएस) की नियुक्ति

(v) इंटरनेट ('आई' एवं 'ई') टिकटिंग की प्रचुरता

(vi) पोस्ट ऑफिसों में मुहैया कराए गए कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के जरिए आरक्षित टिकटें जारी करना।

[हिन्दी]

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के लिए सीधी रेल सेवा

1827. श्री मुन्शी राम :
श्री संतोष गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल को देश के पश्चिमी तथा उत्तरी भागों से सीधी रेल सेवाओं से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के नाम क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार मुरादाबाद और बरेली के लोगों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-लखनऊ बरास्ता मुरादाबाद और बरेली के बीच शताब्दी/जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

पर है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थानों की पहचान करना, गोदाम की स्थापना के लिए भूमि का प्रबंध करना और अन्य कानूनी स्वीकृतियां आदि शामिल हैं।

मुदखेड और मनमाड मार्ग के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण

1833. श्री डी.बी. पाटिल :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का मुदखेड-मनमाड मार्ग के दोहरीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मार्ग के दोहरीकरण का कार्य कब तक शुरू किए जाने एवं पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, मुदखेड़-परभनी के बीच दोहरीकरण के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

स्मारकों पर अतिक्रमण

1834. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और इन पर अप्राधिकृत निर्माण भी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों के राज्य-वार ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण/बचाव के लिए अप्राधिकृत अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) तीव्र शहरीकरण, भूमि पर बढ़ते दबाव, वाणिज्यीकरण आदि जैसे अनेक घटकों की वजह से केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अवैध अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण की घटनाएं हुई हैं। संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण वाले स्मारकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत मंडलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों को अतिक्रमणों को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। उन्हें सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध तुरन्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सम्पदा अधिकारी की शक्तियां भी सौंपी गई हैं। वे नियमित आधार पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की निगरानी तथा निरीक्षण करते हैं। वे अतिक्रमणों को रोकने/हटाने के लिए समय-समय पर जिला प्राधिकारियों और राज्य पुलिस से बातचीत भी करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों में निजी सुरक्षा गार्डों, राज्य पुलिस तथा होमगार्डों को और चुनिंदा मामलों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करने के अलावा पहरा तथा निगरानी स्टॉफ तैनात किया है।

जहां कहीं व्यवहार्य और आवश्यक हो, वहां केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के चारों ओर बाड़ लगाने के प्रयास किए गए हैं।

विवरण

ऐसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची जहां अतिक्रमण किया गया है

क्र.सं.		स्मारक/स्थल का नाम	स्थान/जिला
1		2	3
1.		**आगरा मण्डल, उत्तर रेलवे**	
1.	1.	बरहिया का ताल	इतिमादपुर, आगरा

1		2	3
2.	2.	जामा मस्जिद	इतिमादपुर, आगरा
3.	3.	जामा मस्जिद	आगरा
4.	3.	उत्खनित स्थल	कंकाली टीला, मथुरा
5.	4.	कोटा टीला	मथुरा
6.	5.	गेटवे तथा सराय, एकदिल	इटावा
7.	6.	मस्जिद तथा सराय	खुदागंज, फर्रुखाबाद
8.	7.	कन्नौज के पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध टीला	—
9.	8.	लाखा मंडप, बरनावा के नाम से प्रसिद्ध टीला	बड़ौत, बागपत, जिला बागपत
10.	9.	खानकाह फतेहपुर सीकरी	आगरा
11.	10.	खाटिया खाना, फतेहपुर सीकरी	आगरा
12	11.	लाल दरवाजा फतेहपुर सीकरी के पास किला दीवार	आगरा
13.	12.	कागरौल किला	आगरा
2.	औरंगाबाद, महाराष्ट्र		
14.	1.	बारह इमामों का कोटला	अहमदनगर
15.	2.	मक्का मस्जिद	अहमदनगर
16.	3.	लादमोद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल	नेसावा, अहमदनगर
17.	4.	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद
18.	5.	प्राचीन स्थल, पैठन	पैठन, जिला औरंगाबाद
19.	6.	एलोरा गुफाएं	एलोरा, जिला औरंगाबाद
20.	7.	ग्रिशनेश्वर मंदिर	एलैरा, जिला औरंगाबाद
21.	8.	पटना स्थित देवी मंदिर	पटना, जिला जलगांव
22.	9.	चंगदेव मंदिर	चंद देव, जिला जलगांव
23.	10.	बालापुर किला	बालापुर, जिला अकोला

1		2	3
24.	11.	अंचलेश्वर मंदिर	चन्द्रपुर
25.	12.	महाकाली मंदिर	चन्द्रपुर
26.	13.	महल के अवशेष तथा दरवाजे सहित किला दीवार, बलारशा	बलारशा, जिला चन्द्रपुर
27.	14.	मार्कंडदेव स्थित मंदिर समूह	तालुक चमोरशी, जिला गढ़ चिरौली
28.	15.	तपोनेश्वर मंदिर	तपोना, जिला यवतमाल
3.	**बंगलौर मण्डल, कर्नाटक**		
29.	1.	गौरीश्वरा मंदिर	येलंदूर
30.	2.	सोमेश्वरा मंदिर	कोलार
31.	3.	चेलुवनारयाआना मंदिर	मेलकोटे
32.	4.	जैन मकबरा	मूदाबीदरी
4.	**भोपाल मण्डल, मध्य प्रदेश**		
33.	1.	सात खण्डा नामक गोंड किला तथा शहबुर्ज नामक राजघाट पर मीनार एवं इसमें स्थित मंदिर	मंडला, जिला मंडला
34.	2.	भीमबैठका स्थित प्रागैतिहासिक शैलाश्रय	जिला राजसेन
35.	3.	गोरीझामर स्थित गोरीझामर किला	जिला सागर
5.	**भुवनेश्वर मंडल, उड़ीसा**		
36.	1.	बारबटी किला	कटक
37.	2.	खंडगिरी तथा उदयगिरि गुफाएं	भुवनेश्वर
38.	3.	सिसुपालगढ़	भुवनेश्वर
6.	**चेन्नई मंडल, तमिलनाडु**		
39.	1.	महापाषाणी स्थल, त्रिपुरूर	कांचीपुरम जिला
7.	**चंडीगढ़ मंडल, पंजाब**		
40.	1.	मडफोर्ट नामक टीला	अबोहर, जिला फिरोजपुर
41.	2.	पृथ्वीराज चौहान का किला	हांसी, हिसार, हरियाणा

1	2		3
42.	3.	प्राचीन स्थल, थेह	पोलार, सिवान, जिला कैथल
43.	4.	प्राचीन स्थल, खोकरा कोट	जिला रोहतक
44.	5.	थेर टीला, सिरसा	जिला सिरसा
45.	6.	मुगल सराय के गेटवे, घरौंदा	घरौंदा
46.	7.	जरासंध का किला नामक प्राचीन स्थल, असंध	जिला करनाल
47.	8.	मुगल कोस मीनार	अम्बाला सिटी, जिला अम्बाला
8.	**दिल्ली मंडल (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली)**		
48.	1.	नीली मस्जिद, हौजखास	हौजखास
49.	2.	प्राचीन मस्जिद, पालम	पालम
50.	3.	कुदसिया मस्जिद, कुदसिया गार्डन	कुदसिया गार्डन
51.	4.	लाल किला के निकट सुनहरी मस्जिद, दिल्ली किला	लाल किला के निकट, दिल्ली किला
52.	5.	पुराना किला (इन्द्रप्रस्थ), दो मील दक्षिण में	(इन्द्रप्रस्थ), दो मील दक्षिण में
53.	6.	तुगलकाबाद, बदरपुर जेल	बदरपुर
54.	7.	बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुर	बेगमपुर
55.	8.	सराय शाहजी, शिवालिक मालवीय नगर के निकट	मालवीय नगर
56.	9.	राजपुर (म्यूटिनी कब्रिस्तान), पुराना राजपुर कैन्टूमेंट, उत्तर जिला	पुराना राजपुर कैंटूमेंट
57.	10.	डी एरेमाओ कब्रिस्तान	किशनगंज
58.	11.	मोहल्ला बुलबुलीखाना में रजिया बेगम का मकबरा, शाहजहानाबाद	शाहजहानाबाद
9.	**देहरादून मंडल (उत्तराखण्ड)**		
59.	1.	महाशु मंदिर	हनोल, चकराता, देहरादून
60.	2.	गंगोलीहाट स्थित मंदिर	गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
61.	3.	आदिबद्री मंदिर समूह	आदिबद्री, चमोली
10.	**धारवाड़ मंडल, कर्नाटक**		
62.	1.	अली शहीद पीर मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)

1		2	3
63.	2.	अल्लाहपुर गेट	बीजापुर (पूर्व)
64.	3.	अम्बर खाना	बीजापुर (पूर्व)
65.	4.	बड़ी कमान	बीजापुर (पूर्व)
66.	5.	बहमनी गेट	बीजापुर (पूर्व)
67.	6.	बधुल्ला खान की मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
68.	7.	किला दीवार (मंगोली गेट से बहमनी गेट तक)	बीजापुर (पूर्व)
69.	8.	संरक्षित क्षेत्र में गोलगुम्बज तथा अन्य संरचनाएं	बीजापुर (पूर्व)
70.	9.	हाजी हसन साहेब का मकबरा	बीजापुर (पूर्व)
71.	10.	मंगोली गेट अथवा फतेह गेट	बीजापुर (पूर्व)
72.	11.	किला दीवार की खाइयां (बहमनी गेट से मंगोली गेट तक)	बीजापुर (पूर्व)
73.	12.	मुबारक खान महल	बीजापुर (पूर्व)
74.	13.	मुस्तफाबाद गन	बीजापुर (पूर्व)
75.	14.	मुस्तफा खान मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
76.	15.	नागथन गेट	बीजापुर (पूर्व)
77.	16.	नव गुम्बज	बीजापुर (पूर्व)
78.	17.	पादशाहपुर गेट	बीजापुर (पूर्व)
79.	18.	मुबारक खान मस्जिद के उत्तर में वाटर पैवेलियन	बीजापुर (पूर्व)
80.	19.	जल मीनार संख्या 114 एवं अम्बर महल के दक्षिण के अभिलेख	बीजापुर (पूर्व)
81.	20.	चिन्च दीदी मस्जिद के दक्षिण में जल मीनार संख्या 115	बीजापुर (पूर्व)
82.	21.	नव गुम्बज के उत्तर पश्चिम तथा कवास खान के महल के पश्चिम में जल मीनार संख्या 142	बीजापुर (पूर्व)
83.	22.	बड़ी कमान के दक्षिण में जल मीनार संख्या 147	बीजापुर (पूर्व)
84.	23.	मक्का मस्जिद के उत्तर पूर्व में जल मीनार संख्या 286	बीजापुर (पूर्व)

1		2	3
85.	24.	सांडा बुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
86.	25.	शाहपुर गेट	बीजापुर (पश्चिम)
87.	26.	जोरापुर गेट	बीजापुर (पश्चिम)
88.	27.	मक्का गेट	बीजापुर (पश्चिम)
89.	28.	गन फरंगी शाहीबुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
90.	29.	सरवद मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
91.	30.	लांडा खासबा गन	बीजापुर (पश्चिम)
92.	31.	असर महल के सामने छोटा पैवेलियन	बीजापुर (पश्चिम)
93.	32.	वाटर पैवेलियन	बीजापुर (पश्चिम)
94.	33.	अरकिला खाई	बीजापुर (पश्चिम)
95.	34.	चिन्च दीदी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
96.	35.	अन्डु मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
97.	36.	इब्राहिम पुरानी जामी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
98.	37.	गुम्मट बावड़ी	बीजापुर (पश्चिम)
99.	38.	सिकन्दर शाह मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
100.	39.	याकूब दाबुली महल (30)	बीजापुर (पश्चिम)
101.	40.	इक्लास खान मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
102.	41.	शाह नवाज खान की मस्जिद/मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
103.	42.	मोती दरगा (महल)	बीजापुर (पश्चिम)
104.	43	हैदर खान का मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
105.	44.	नित्य नववरस मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
106.	45.	मकबरा संख्या 47	बीजापुर (पश्चिम)
107.	46.	सुनेरी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)

1		2	3
108.	47.	चांद बावड़ी के निकट मकबरा संख्या 22	बीजापुर (पश्चिम)
109.	48.	मस्जिद कटिआपुर	बीजापुर (पश्चिम)
110.	49.	तोरवी गांव से ताज बावड़ी के दक्षिण पश्चिम में भाट बावड़ी से जाने वाला एक्वेडक्ट	बीजापुर (पश्चिम)
111.	50.	चांद बावड़ी	बीजापुर (पश्चिम)
112.	51.	मुल्ला मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
113.	52.	जहान बेगम की मस्जिद की जंजीरी मस्जिद (20)	बीजापुर (पश्चिम)
114.	53.	मलिक संदल मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
115.	54.	किला	गुलबर्गा
116.	55.	खान जहान बरीद के मकबरे	बीदर
117.	56.	बीदर किला (भीतरी और बाहरी)	बीदर
11.		**गुवाहाटी मंडल, असम**	
118.	1.	श्री सूर्यपहाड़ खण्डहर	जिला गोलपाड़ा
119.	2.	शैलकृत गुफाएं	जोगीघोपा, जिला बोंगाईगांव
120	3.	कछारी खण्डहर	खासपुर, जिला कोछार
121.	4.	चतुरदास देवता का मंदिर	उदयपुर, जिला दक्षिण त्रिपुरा
12.		**हैदराबाद मंडल, आंध्र प्रदेश**	
122.	1.	गोलकोंडा किला	हैदराबाद
13.		**जयपुर मंडल, राजस्थान**	
123.	1.	चित्तौड़गढ़ किला	चित्तौड़गढ़
124.	2.	रणथम्भौर किला	रणथम्भौर
14.		**लखनऊ मंडल, उत्तर प्रदेश**	
125.	1.	बारा स्थित लघु उच्च टीला	इलाहाबाद
126.	2.	झूसी स्थित समुद्रगुप्त तथा हंसागुप्त का ध्वस्त किला	इलाहाबाद

1		2	3
127.	3.	सालार सैफुद्दीन का मकबरा	बहराइच
128.	4.	रजब सालार अलियास हटीला सालार का मकबरा	बहराइच
129.	5.	जामा मस्जिद	बांदा
130.	6.	जनरल व्हाइट लौक्स फोर्स की समृति में स्मारक	बांदा
131.	7.	असोथर स्थित विस्तृत ईंट स्ट्रन	फतेहपुर
132.	8	खजूहा स्थित बाग बादशाही	फतेहपुर
133.	9.	हथगांव स्थित हाथीखाना मस्जिद अथवा जयचन्द मस्जिद	फतेहपुर
134.	10.	चौकोर टीला, खैराई स्थित मंदिर का स्थल	फतेहपुर
135.	11.	टिकरिया विस्तृत टीला एवं हिन्दू मूर्ति समूह	फतेहपुर
136.	12.	कुरारी चार मंदिर	फतेहपुर
137	13.	टाउन हाल से लगे नगर निगम उद्यान में 974 ईसवी का वर्गाकार बलुई प्रस्तर स्तम्भ जिस पर सम्राट महिपाल देव का अभिलेख उत्कीर्ण है	फतेहपुर
138	14.	बहुबेगम का मकबरा	फैजाबाद
139	15.	सुजाउद्दौला का मकबरा (गुलाब बारी)	फैजाबाद
140.	16.	हाजी इकबाल का मकबरा	फैजाबाद
141.	17.	पिहानी स्थित नवाब सदरजहान का मकबरा	हरदोई
142.	18.	खासौरा स्थित स्मारकीय मकबरा	हरदोई
143.	19.	गंडवा, बांकेरगढ़ के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध ईंट टीला	हरदोइ
144.	20.	सुमेरपुर स्थित जैन मंदिर टीले	हमीरपुर
145.	21.	पंच महल परिसर, झांसी किला	झांसी
146.	22.	बिठुर स्थित टीला	कानपुर सिटी
147.	23.	स्मारकीय कुआं उद्यान	कानपुर सिटी
148.	24.	सूबेदार का तालाब	कानपुर सिटी

1		2	3
149.	25.	बेहटा, घाटमपुर स्थित मंदिर के अहाते में तीन मूर्तियां एवं एक गुप्त स्तम्भ	कानपुर देहात
150.	26.	बानपुर स्थित बुंदेला मंदिर	ललितपुर
151.	27.	बानपुर स्थित जैन मंदिर	ललितपुर
152.	28.	पंच मारहिया के सामने बड़ा मंदिर, मदनपुर	ललितपुर
153.	29.	सिरोन खुर्द स्थित जैन मंदिर एवं तोरण अथवा गेटवे	ललितपुर
154.	30.	कैसरबाग बस स्टैंड के निकट कब्रिस्तान कैसर पासंद	लखनऊ
155.	31.	अमीनाबाद स्थित कलन की लाट	लखनऊ
156.	32.	सप्रु मार्ग पर चिरिया झील स्थित ब्रिटिश कब्रिस्तान	लखनऊ
157.	33.	लखनऊ फैजाबाद रोड पर स्थित दो कब्रिस्तान, 4.5 मील	लखनऊ
158.	34.	जनाब-ए-आलिया का मकबरा	लखनऊ
159.	35.	बारा इमामबाड़ा (आसफउद्दौला का इमामबाड़ा)	लखनऊ
160.	36.	आसफी मस्जिद	लखनऊ
161.	37.	मकबरा शाहनजफ अथवा गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा	लखनऊ
162.	38.	रोजा-ए-काजमें/काजमें भवन	लखनऊ
163.	39.	पिक्चर गैलरी	लखनऊ
164.	40.	हुसैनाबाद स्थित जामा मस्जिद	लखनऊ
165.	41.	छोटा इमामबाड़ा/मुहम्मद अली शाह का मकबरा	लखनऊ
166.	42.	तहसील अली मस्जिद	लखनऊ
167.	43.	अमजद अली शाह का मकबरा	लखनऊ
168.	44.	शेर दरवाजा/नील का गेट	लखनऊ
169.	45.	कैसरबाग गेट	लखनऊ
170.	46.	जनरल वाली कोठी	लखनऊ
171.	47.	करबला तालकटोरा	लखनऊ

1		2	3
172.	48.	दरगाह हजरत अब्बास	लखनऊ
173.	49.	दियानत दौला करबला	लखनऊ
174.	50.	मलका जहान करबला	लखनऊ
175.	51.	नसीरूद्दीन हैदर का करबला, डालीगंज	लखनऊ
176.	52.	नर्गरम टीला	लखनऊ
177	53.	पहार नगर टिकुरिया टीला	लखनऊ
178.	54.	सिकेहावाली कोठी	लखनऊ
179.	55.	जामा मस्जिद	महोबा
180.	56.	कीरत सागर झील	महोबा
181.	57.	मदन सागर झील	महोबा
182.	58.	विजय सागर झील	महोबा
183.	59.	उरवारा स्थित एक सपाट छत वाला मंदिर	महोबा
184.	60.	पठारी खादिन स्थित बड़ा हौज	महोबा
185.	61.	इसौली मस्जिद	सुल्तानपुर
186.	62.	मंझन गांव नामक बड़ी डीह एवं चारों कोनों पर ईंट मीनारें	सुल्तानपुर
187.	63.	कुट्टी शत्रुहन दास नामक टीला	स्रावस्ती
188.	64.	छोटा गोलाकार टीला, टंडवा	स्रावस्ती
189.	65.	बांगेरमऊ स्थित कुरबान मोहम्मद का मकबरा	उन्नाव
190.	66.	पुरानी नवाबी मस्जिद	अम्बेडकर नगर
15.	मुम्बई मण्डल, महाराष्ट्र		
191.	1.	शोलापुर किला	जिला शोलापुर
192.	2.	अर्द्धनारी नेटश्वर मंदिर	वेलापुर, जिला शोलापुर
193.	3.	रायगढ़ किला	जिला रायगढ़

1		2	3
194.	4.	कोलाबा किला	अलीबाग, जिला रायगढ़
195.	5.	सोनार भाट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध टीला	नालासोपारा (गास), जिला ठाणे
196.	6.	स्मारक समूह, अगरकोट	जिला रायगढ़
197.	7.	जोगेश्वरी गुफाएं	जिला मुम्बई, सुबुरबन
198.	8.	ब्रह्मपुरी स्थित प्राचीन स्थल	जिला कोल्हापुर
199.	9.	भूलेश्वर महादेव मंदिर	मलसिरास, जिला पुणे
200.	10.	हीराकोट पुराना किला	अलीबाग, जिला रायगढ़
201.	11.	बसाइन किला	बसई, जिला ठाणे
202.	12.	गुफा के ऊपर पुर्तगाली मठ एवं इससे लगी पहाड़ी पर बड़ी वाच टावर, मण्डापेश्वर	जिला मुम्बई सुबुरबन
203.	13.	दिलावर खान का मकबरा, राजगुरू नगर	जिला पुणे
204.	14.	मलवान स्थित सिंधुदुर्ग किला	जिला सिंधुदुर्ग
16.	पटना मण्डल, बिहार		
205.	1.	शेरशाह मकबरा	सासाराम
206.	2.	बौद्ध स्तूप	केसरिया, जिला चम्पारन
17.	रांची मण्डल, झारखण्ड		
207.	1.	कुलूगरहा, बासपट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टीला एवं इससे लगी भूमि, सर्वेक्षण भूखण्ड संख्या 1095 एवं 1096	इटागढ़, खण्ड गमहारिया जिला सरायकेला खार्सवान
208.	2.	पुराना किला एवं प्रचीन हौज स्थल	रूवम, खण्ड मुसाबनी, जिला पूर्व सिंहभूम
209.	3.	असुर स्थल	खुंटीटोला, खण्ड खुंटी, जिला रांची
210.	4.	असुर स्थल	कुंजला, खण्ड मुरूहू, जिला रांची
211.	5.	असुर स्थल	सरीदकेल, खण्ड खुंटी, जिला रांची
212.	6.	असुर स्थल	कथरटोली, खण्ड मुरूहू, जिला रांची
213.	7.	असुर स्थल	हंसा, खण्ड मुरूहू, जिला रांची

1	2	3
18.	रायपुर मण्डल,	
214.	1. दन्तेश्वरी मंदिर	दंतेवाड़ा जिला
215.	2. चैतुरगढ़ किला	लेफा, जिला कोरबा
216.	3. कोटमी किला	कोटमी, बिलासपुर
217.	4. रामचन्द्र मंदिर	राजिम, रायपुर
218.	5. सीता बेंगरा गुफाएं	रामगढ़ हिम उदयापुर, सरगूजा
219.	6. जोगीमरा गुफाएं	रामगढ़ हिम उदयापुर, सरगूजा
19.	श्रीनगर मण्डल, जम्मू एवं कश्मीर	
220.	1. राजा सुचेत सिंह की रानी का प्राचीन किला एवं समाधि	रामनगर, जिला उधमपुर
221.	2. प्राचीन महल	रामनगर, जिला उधमपुर
222.	3. प्राचीन स्थल एवं अवशेष	बुर्जह्मेम, श्रीनगर
223.	4. हेमिस मठ	हेमिस, जिला लेह
224.	5. फियांग मठ	फियांग, जिला लेह
225.	6. लिकिर मठ	जिला लेह
226.	7. लामायुरू मठ	लामायुरू, जिला लेह
227.	8. मैत्रेय की शैलकृत मूर्ति	मूलबेग, जिला कारगिल
228.	9. अलची, लद्दाख स्थित बौद्ध मठ	मठ परिसर के भीतर एक आधुनिक आवासीय भवन एवं गेस्टहाउस का निर्माण किया गया है। प्रबंधन ने मंजूश्री एवं लोतस्वा लाखंग में एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है।
229.	10. शे महल	शे, लद्दाख
20.	शिमला मंडल, हिमाचल प्रदेश	
230.	1. गौरी शंकर मंदिर	नग्गर, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू
231.	2. नरबदेश्वर मंदिर	सुजानपुर, तहसील तीरा सुजानपुर, जिला हमीरपुर

1		2	3
21.		त्रिसूर मंडल, केरल एवं तमिलनाडु	
232.	1.	बेकल किला 16वीं शताब्दी ईसवी	पल्लीकेरे, पल्लीकेरे पंचायत, कासरगोड
233.	2.	किला 16वीं शताब्दी ईसवी के अवशेष	थंगासेरी, थंगासेरी पंचायत कोल्लम तालुक, कोल्लम
234.	3.	किला (यक्कारादेसम) 16वीं शताब्दी ईसवी	पलक्कड, पलक्कड नगर निगम, पलक्कड
235.	4.	अंजेंजो किला 17वीं-18वीं शताब्दी ईसवी	अंजेंजो, अंजेंजो पंचायत, तिरूवनन्तपुरम
236.	5.	जैन मंदिर 14वीं शताब्दी ईसवी	किडंगनाड, सुल्तान बैटरी, सुल्तानबैटरी पंचायत, वायनाड
237.	6.	दफन गुफा (प्राचीन स्थल) 500 शताब्दी ईसा पूर्व से 500 शताब्दी ईसवी	कंडानासेरी, कंडानासेरी पंचायत पोस्ट मट्टम, त्रिसूर
22.		वडोदरा मंडल, गुजरात	
238.	1.	मलिक आलम की मस्जिद	अहमदाबाद
239.	2.	सैयद एस्मान मस्जिद, अहमदाबाद	उस्मानपुरा/अहमदाबाद
240.	3.	छोटी प्रस्तर मस्जिद, अहमदाबाद	पालदी/अहमदाबाद
241.	4.	दरियाखान मकबरा, अहमदाबाद	दूधेश्वर के पीछे/अहमदाबाद
242.	5.	अच्युत बीबी की मस्जिद, अहमदाबाद	दूधेश्वर/अहमदाबाद
243.	6.	ढोलका स्थित बहलोल खान मस्जिद	ढोलका/अहमदाबाद
244.	7.	प्राचीन स्थल, गोहिलवाड टिम्बो	अमरेली जिला
245.	8.	पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर एवं जैन मंदिर	पावागढ़/गोधरा पंचमहल
246.	9.	नवाब सरदार खान रोजा एवं इसकी अहाता दीवार	जमालपुर/अहमदाबाद
247.	10.	मीर अबू तुरब मकबरा, अहमदाबाद	जमालपुर/अहमदाबाद
248.	11.	राम लक्ष्मण मंदिर, बारादिया	बारादिया/जिला जामनगर
249.	12.	शाह कुपई मस्जिद, अहमदाबाद	करियन खास बाजार/अहमदाबाद

[हिन्दी]

भारत पेट्रोलियम लिमिटेड में स्टॉफ अधिकारियों की नियुक्ति

1835. **श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम लिमिटेड में राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने स्टाफ अधिकारी कार्य कर रहे हैं और इनमें से कितने स्टाफ अधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं;

(ख) क्या सभी आरक्षित पदों को भर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं और इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कुल कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं;

(घ) क्या आरक्षित पदों का बैकलॉग है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त बैकलॉग को भरने के लिए अभियान चलाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में, 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार, कार्यपालक स्तर के अधिकारियों की कुल संख्या 4699 है और इनमें से 767 अनुसूचित जाति और 270 अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं।

(ख) जी हां, सभी आरक्षित पद भर लिए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, कुल 922 नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से 152 अनुसूचित जाति और 63 अनुसूचित जनजातियों की हैं।

(घ) वर्तमान में कोई बैकलॉग नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे यात्रियों के साथ ज्यादतियां

1836. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.)/पुलिस/अर्धसैनिक बल के कार्मिकों द्वारा यात्रियों विशेषकर महिलाओं के साथ पिटाई, दुर्व्यवहार, बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन घटनाओं में दोषी पाए गए जवानों, आर.पी.एफ./पुलिस अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय पुलिसकर्मी सभी सुपरफास्ट तथा राजधानी रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करते हैं और टिकट जांच करने वाले अधिकारी सामान्यतया इस प्रकार की अवैध यात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे यात्रियों को असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, ज्यादतियों के मामलों तथा इन कार्मिकों द्वारा अवैध यात्रा को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों की उड़ानों में विलंब/ उड़ान रद्द किया जाना

1837. **डा. राजेश मिश्रा :**
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :
श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कंपनियां उड़ानों में विलम्ब अथवा इन्हें रद्द किए जाने के बारे में यात्रियों को सूचित नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो उड़ानों में विलम्ब/इन्हें रद्द किए जाने के बारे में ऐसी विमान कंपनियों को चेतावनी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान जेट एयरवेज, स्पाइसजेट तथा गो एयर का ऑन टाइम परफोर्मेंस (ओटीपी) क्या है और कितनी उड़ानें रद्द की गईं;

(घ) क्या निजी विमान कंपनियां विलंब की स्थिति में जलपान कराती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उड़ानों के विलंब/रद्दकरण, यदि कोई हो, के संबंध में एयरलाइनें यात्रियों को, अपनी टिकटों की बुकिंग कराते समय उपलब्ध कराए गए नम्बर पर, या तो टेलीफोन द्वारा या फिर एसएमएस के जरिए सूचित करती है।

(ग) जैसा कि, जेट एयरवेज, स्पाइजेट तथा गो-एयर द्वारा सूचित किया गया है, पिछले 3 महीनों अर्थात अगस्त, 2008 से अक्तूबर, 2008 के दौरान इनकी ओन टाइम परफोरमेंस (ओटीपी) तथा उड़ानों के अनियोजित रद्दकरण से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है:-

महीना	जेट एयरवेज		स्पाइजेट		गो-एयर	
	ओटीपी (%)	रद्द उड़ानें	ओटीपी (%)	रद्द उड़ानें	ओटीपी (%)	रद्द उड़ानें
अगस्त, 08	80.6	51	84.0	शून्य	59.0	38
सितम्बर, 08	87.3	28	88.0	शून्य	52.0	102
अक्तूबर, 08	80.3	शून्य	81.0	18.0	72.0	86

(घ) और (ङ) उड़ानों में 2 घंटे से अधिक विलंब होने की स्थिति में अंनुसूचित निजी एयरलाइनें यात्रियों को अल्पाहार प्रदान करती हैं।

बंगलौर में नया विमानपत्तन

1838. श्री एम. शिवन्ना :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित नया विमानपत्तन चालू हो गया है और इसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) यदि हां, तो नए विमानपत्तन पर यात्रियों तथा माल ढुलाई ट्रैफिक के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, और इसके द्वारा कितनी उड़ानों को हैंडल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इसके कार्यों में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नए बंगलौर विमानपत्तन पर कर्मचारियों की कमी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) देवनहल्ली (बंगलौर) में नए हवाईअड्डे में 24 मई 2008 से अपनी प्रचालन सेवा आरंभ कर दी हैं। हवाईअड्डा अपेक्षित सुविधाओं से सुसज्जित है जिसमें 4000 मीटर लंबा रनवे, टैक्सी वे, 42 विमान स्टैंड, आधुनिक आईटी सुविधाओं सहित यात्री टर्मिनल, कार पार्क, एटीसी टावर लगभग 3 लाख टन कार्गो की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता से युक्त कार्गो हैंडलिंग सुविधायें, 2 उड़ान पाकशालायें इत्यादि समिलित हैं। हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री हैंडलिंग क्षमता लगभग 10 मिलियन है।

(ग) और (घ) जी, हां। हवाई अड्डा आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें प्राथमिक रूप से, समानान्तर दूसरे रनवे के निर्माण का विस्तार किया जाना सम्मिलित है। हवाई अड्डे में इसके विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर यातायात भीड़-भाड़

1839. श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली सहित विभिन्न विमानपत्तनों पर अत्यधिक यातायात भीड़-भाड़ तथा यातायात समस्या की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में यात्रियों की उड़ाने छूट जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तनों के आसपास भीड़-भाड़ को कम करने तथा विमानपत्तनों पर पार्किंग सुविधाओं में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव उन विमान कंपनियों पर भीड़-भाड़ कर लगाने का है जिनका ट्रैक रिकार्ड देर से आगमन का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में हवाई यातायात में तीव्र वृद्धि के कारण कुछ हवाईअड्डों पर, विशेषरूप से दिल्ली, बेंगलुरू तथा हैदराबाद में बेहतर शहर सम्पर्कता उपलब्ध कराने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

(ग) से (ङ) हवाईअड्डों की सिटी साइड सम्पर्कता का विषय राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों का है। बहरहाल सरकार भीड़भाड़ को कम करने के लिए हवाईअड्डों के लिए बेहतर सिटी सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए इन एजेंसियों के साथ समन्वय के हर संभव प्रयास कर रही है। आईजीआई हवाईअड्डा दिल्ली पर किए गए कुछ विशिष्ट उपायों में शामिल हैं द्वारिका/एनएसजी गोलचक्कर से हवाईअड्डे को दो लेन से चार लेन का बनाकर हवाईअड्डे के प्रवेश मार्ग को चौड़ा करना, पार्किंग क्षेत्र के लिए व्यवस्थित पहुंच मार्ग का निर्माण। इसके अतिरिक्त समर्पित मेट्रो हवाईअड्डा एक्सप्रेस वे संपर्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश राज्य सरकारों ने विभिन्न उपाय किए हैं/ किए जाने की योजना है जैसे राजमार्ग को चौड़ा करना, बेंगलुरू तथा हैदराबाद में सिटी सेंटर से नए हवाईअड्डों के लिए उच्च गति एक्सप्रेस रेल संपर्क का निर्माण।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे विमानपत्तनों का रख-रखाव

1840. श्री एम. अप्पादुरई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों की कमी तथा पर्याप्त कर्मचारी एवं उपस्करों आदि की कमी के कारण देश के कई छोटे विमानपत्तनों का समुचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी प्रचालनात्मक हवाईअड्डों पर निर्धारित अनुरक्षण अनुसूची का अनुपालन करके हवाईअड्डों पर सुविधाओं का रख-रखाव किया जाता है। जहां तक भाविप्रा द्वारा संचालित 32 गैर-प्रचालनात्मक हवाईअड्डों का संबंध है, मैसर्स राईट्स को विमान सेवा संपर्कता में सुधार लाने की दृष्टि से पुनर्बहाली संबंधी अध्ययन के लिए परामर्शी सेवा सौंपी गई है।

कल्याण कार्यक्रमों का आकलन

1841. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय बनाए जाने के पश्चात् अल्पसंख्यकों के लाभार्थ कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की स्थिति एवं इसके परिणाम का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन जनवरी, 2006 में हुआ था। तत्पश्चात, अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार की गयी और उन्हें कार्यान्वित किया गया। योजनाओं के परिणाम के आकलन के लिए कम से कम दो वर्ष का समय अपेक्षित होता है। तथापि, अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं तथा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गहन निगरानी की जा रही है।

इस्पात कंपनियों का विलय

1842. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विलय की गई प्रमुख इस्पात कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव इस्पात कंपनियों को अधिक कार्यकुशल बनाने तथा इन्हें विश्व की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इनका विलय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन यूनिटों का विलय कब तक किए जाने की संभावना है और इन यूनिटों में कार्यरत व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय सरकारी इस्पात क्षेत्र की विलय की गई प्रमुख इस्पात कंपनियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) दिनांक 1-4-2005 से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) का स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में विलय कर दिया गया।

(ii) दिनांक 1-4-2007 से कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (किस्को) का कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) में विलय कर दिया गया।

निम्नलिखित प्रमुख इस्पात कंपनियों के विलय की प्रक्रिया चल रही है:

(i) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल) का सेल में विलय; विलय की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है।

(ii) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल) का एनएमडीसी लिमिटेड में विलय; विलय की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है।

(iii) सेल की सहायक कंपनी महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) के सेल में विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(iv) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) का सरकारी क्षेत्र के बड़े इस्पात उपक्रम में विलय का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इन कंपनियों के विलय से इनके बीच बेहतर तालमेल होने और इससे अधिक तेजी से विकास तथा और अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। इन पृथक कंपनियों की जनशक्ति को विलयित कंपनियों द्वारा अपनी जनशक्ति में शामिल कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच राजधानी एक्सप्रेस

1843. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली-गोरखपुर मार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे को इसके लिए अतिरिक्त व्यय करना होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक एवं संसाधनों की तंगियों के कारण।

(घ) और (ङ) नई गाड़ी चलाने में चल स्टाक, रेल इंजन, जनशक्ति आदि का अतिरिक्त खर्च शामिल होता है।

[अनुवाद]

गरीबों को रसोई गैस सिलिंडर एवं केरोसिन पर सब्सिडी

1844. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री टेक लाल महतो :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तथा देश के गरीबों तथा मध्य वर्ग श्रेणियों को रसोई गैस सिलिंडर तथा केरोसिन पर सीधे तेल सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केरोसिन/रसोई गैस पर दी गई सब्सिडी का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन संसाधन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) स्थापित किया है ताकि उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबद्ध विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लगी कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सके और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की लगातार और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रतिस्पर्धी बाजारों और उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को बढ़ावा दिया जा सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत 1.10.2007 को स्थापित किया गया है।

(घ) सरकार, अधिसूचित पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002 के अंतर्गत पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को एक समान राजसहायता प्रदान कर रही है। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की अवधि के लिए मिट्टी तेल और एलपीजी पर दी गई राजसहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल की काला बाजारी रोकने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने आश्वयक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य निर्धारण) आदेश 1993 में प्रावधान किए हैं जिसके अनुसार, डीलर सरकार या ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर पीडीएस मिट्टी तेल नहीं बेच सकते और यह कि पीडीएस मिट्टी तेल के डीलर सुस्पष्ट स्थान पर भंडार के स्थान सहित कारोबार के स्थान पर भंडार एवं मूल्य बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिट्टी तेल के विपथन और काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत राज्य सरकारें काला बाजारी और अन्य अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के उद्देश्य से और पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने वाले टैंक ट्रक के संचलन पर निगरानी रखने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को परामर्श दिया है कि सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) आधारित वाहन की अवस्थिति का पता लगाने वाली व्यवस्था स्थापित करे। इस प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं है – पीडीएस एसकेओ ले जाने वाला वाहन ऐसे उपकरण से युक्त हो कि आपूर्ति स्थल को छोड़ने के समय से गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक वास्तविक समय के आधार पर उसका पता लगाया जा सकता हो।

आटो ईंधनों में मिलावट को रोकने और राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के लिए भी, सरकार ने अपमिश्रकों में मार्कर शुरू करने के लिए ओएमसीज को भी परामर्श दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने दिनांक 1.10.2006 से अखिल भारतीय आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर लागू करना शुरू कर दिया है। नई प्रणाली के तहत, सभी डिपुओं पर मिट्टी तेल मार्कर डालाजा रहा है। यह प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला के साथ परिवहन ईंधनों की मिलावट के खतरे को नियंत्रित करने और अन्ततोगत्वा समाप्त करने के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का अग्रदूत है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में बहुत कम स्तर की मिलावट भी पकड़ी जा सकती है। मिट्टी तेल में मिलावट रोकने के लिए मार्कर प्रणाली लागू करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 2005, एसकेओ नियंत्रण आदेश, 1993 और एमडीजी 2005 संशोधित किए गए हैं। निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भी मिट्टी तेल में मार्कर लागू करने के लिए, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां द्वारा किया जा रहा है, साथ-साथ कह दिया गया है।

एलपीजी सिलेंडरों की कालीबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 विनिर्मित किया है और विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001 बनाए हैं जिनमें एलपीजी के विपथन में लिप्त होने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

जब कभी ओएमसी को शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं-

— पहले अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।

— दूसरे अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।

— तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के आलावा राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी की कालीबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के अधीन शक्तिप्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माप तथा तौल विभाग कम वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय समय पर सावधान किया गया है।

सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं जिनमें जनता को सावधान किया गया है कि घरेलू एलपीजी का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता का सहयोग मांगा जाता है कि वे ओएमसीज को किसी प्रकार की अनियमितत/कदाचार की रिपोर्ट करें।

ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थलों, और साथ ही रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों को सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों पर सिलिंडरों के वजन की जांच के लिए कड़े अनुदेश दिये गये हैं और केवल निर्धारित वजन वाले सिलिंडर ही ग्राहकों को सुपुर्द किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के निदेश भी दिये गये हैं कि सीलों की जांच करें और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को भी दिखाएं। यदि ग्राहक द्वारा कम वजन का कोई सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा किसी प्रभार के लगाये बिना नया भरा हुआ सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा किसी प्रभार के लगाये बिना नया भरा हुआ सिलिंडर दिया जाता है।

ग्रहकों को अपनी शिकायतें अधिक सहज, सरल और कारगर ढंग से दर्ज कराने और उनके निवारण के लिए, ओएमसीज ने 2-10-2008 से काल सेन्टरों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बरों की सेवा शुरू की है। यह सेवा अब देश भर में उपलब्ध है।

विवरण-I

बजट से मिट्टी तेल पर अनुमानित राजसहायता

राज्य	कुल (रु. लाख)		
	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	77.96	71.27	67.99
आंध्र प्रदेश	4,890.05	4,935.91	4,889.78
अरुणाचल प्रदेश	125.75	101.92	101.94
असम	2,824.90	2,885.40	2,939.53
बिहार	7,843.43	7,821.08	8,020.76
चंडीगढ़	133.25	123.58	103.45
छत्तीसगढ़	1,515.26	1,513.45	1,515.34
दिल्ली	1,829.95	1,858.19	1,904.75
दमन और दीव	58.83	17.36	17.44
दादरा और नगर हवेली	18.32	20.22	21.24

1	2	3	4
गोवा	190.65	190.21	188.76
गुजरात	6,726.44	6,893.84	6,757.56
हरियाणा	1,857.40	1,639.22	1,636.61
हिमाचल प्रदेश	576.43	585.43	570.23
जम्मू व कश्मीर	1,450.92	884.18	865.07
झारखण्ड	2,424.52	2,409.16	2,417.97
कर्नाटक	4,435.65	4,427.72	4,421.26
केरल	2,009.55	2,011.60	2,013.20
लक्षद्वीप	1.27	8.53	7.11
महाराष्ट्र	11,974.61	11,955.94	11,929.10
मध्य प्रदेश	5,316.28	5,305.89	5,269.81
मणिपुर	223.19	213.94	211.93
मिजोरम	76.51	72.84	72.81
मेघालय	340.79	222.95	225.69
नागालैंड	157.87	158.74	156.58
उड़ीसा	3,299.60	3,309.13	3,255.99
पांडिचेरी	111.06	108.78	110.33
पंजाब	2,800.21	2,769.04	2,757.72
राजस्थान	4,204.05	4,242.72	3,927.59
सिक्किम	113.10	61.06	60.88
तमिलनाडु	5,341.64	5,342.95	5,321.57
त्रिपुरा	366.91	367.54	367.95
उत्तर प्रदेश	14,987.57	15,002.62	14,986.32
उत्तरांचल	1,017.28	1,070.28	1,019.25
पश्चिम बंगाल	8,330.43	8,328.73	8,299.34
स्पिल ओवर/आगे ले जाया गया/आईबीपी	8,067.38	35.57	1,343.14
बजट से प्रदत्त कुल सहायता	105,722.00	96,967.00	97,776.00

विवरण-II

बजट से एलपीजी पर अनुमानित राजसहायता

राज्य	कुल (रु. लाख)		
	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	69.33	73.90	77.15
आंध्र प्रदेश	12831.47	13276.32	13776.90
अरुणाचल प्रदेश	3903.72	3661.00	3664.86
असम	4705.20	4994.12	5461.39
बिहार	1163.19	1686.20	1919.22
छतीसगढ़	5364.20	5470.36	5727.16
दिल्ली	570.17	588.56	610.73
गोवा	6698.76	6908.72	7253.95
गुजरात	7426.99	8931.61	9124.73
हरियाणा	656.30	1078.83	1005.56
हिमाचल प्रदेश	1608.37	1727.25	1934.59

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	1595.69	1419.84	1581.40
झारखण्ड	8692.32	9130.06	9923.61
केरल	5055.19	5166.89	5356.00
महाराष्ट्र	16098.23	16534.26	17375.44
मध्य प्रदेश	5864.19	6134.89	6633.20
नागालैंड	75.65	350.84	303.52
उड़ीसा	2049.17	2146.13	2184.96
पांडिचेरी	380.26	344.17	385.50
पंजाब	9351.36	9907.63	10526.18
राजस्थान	5803.20	5913.65	6229.63
सिक्किम	314.73	314.88	313.18
तमिलनाडु	13962.43	16936.54	17959.67
त्रिपुरा	365.81	374.21	391.02
उत्तर प्रदेश	18510.31	20008.46	21274.36
उत्तरांचल	1921.59	2014.65	2119.95
पश्चिम बंगाल	9065.65	9723.90	10022.02
स्पिल ओवर/आगे ले जाया गया	16374.52	590.13	3148.12
बजट से प्रदत्त कुल राजसहायता	160478.00	155408.00	166284.00

टीएपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना

1845. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना में कितनी निधियों का निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना से क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) भारत को 23-24 अप्रैल, 2008 को इस्लामाबाद में आयोजित की गई परियोजना की 10वीं संचालन समिति की बैठक (एससीएम) में परियोजना के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से प्रवेश दे दिया गया है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन संरचना करार पर भी 10वीं एससीएम में प्रतिभागिता करने वाले सभी देशों के मंत्रियों द्वारा आद्याक्षर कर दिए गए हैं।

(ख) भारतीय सीमा तक परियोजना की पूंजीगत लागत 7.6 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ग) भारत को इस परियोजना से 38 एमएमएससीएमडी गैस प्राप्त होने की संभावना है जिससे देश में प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने में सहायता मिलेगी। ऐसी स्थिति में इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

उड़ीसा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

1846. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं;

(ख) इन स्मारकों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उड़ीसा के प्रत्येक स्मारक के पुनरुद्धार के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष में उड़ीसा के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) उड़ीसा में 78 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है जो स्मारक की अपेक्षा तथा आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कार्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा में ऐतिहासिक/सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण हेतु चालू वर्ष में किए जाने वाले जीर्णोद्धार/ किए गए कार्यों का ब्यौरा

विशेष मरम्मत (योजना)

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत अनुमान की धनराशि	30 नवम्बर, 2008 तक संचयी व्यय	अनुमान की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	कोणार्क उप मंडल			
1.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के जगमोहन के दक्षिणी ओर पीतल की रेलिंग पाइप लगाना	19,80,000	18,88,925	95.40%
2.	सूर्य मंदिर, कोणार्क स्थित जगमोहन के दक्षिण की ओर खोंडालाइट प्रस्तर फर्श डालना	19,84,802	8,11,086	40.86%
3.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के जगमोहन के मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य संरचनाओं की विशेष मरम्मत	18,61,000	8,41,741	45.23%
4.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के दक्षिण की ओर पीढ़ा देउल (जगमोहन) की विशेष मरम्मत	9,98,000	3,76,607	37.74%
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के छाया एवं माया देवी मंदिर के चारों ओर खोंडालाइट प्रस्तर फर्श डालना	17,98,924	17,53,505	97.48%
	पुरी उप मंडल			
6.	भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी (पश्चिम की ओर) का खोंडालाइट प्रस्तर फर्श डालना	19,32,319	17,60,891	91.13%
7.	भगवान जगमोहन मंदिर, पुरी का मंदिर समूह	11,45,561	8,68,227	75.79%
8.	जम्बेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर की संरचनात्मक मरम्मत	9,28,943	6,26,661	67.46%
9.	माया रानी मंदिर, भुवनेश्वर का प्रस्तर पेटबन्द	9,10,365	5,79,659	63.58%
10.	पापनासिनी हौज, भुवनेश्वर के आस-पास की संरचनात्मक मरम्मत	14,97,557	9,52,178	63.58%

1	2	3	4	5
11.	शिशुपालगढ़ के उत्खनित अवशेषों की मरम्मत	17,17,917	5,62,367	32.74%
12.	भगवान लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर की लेटी हुई लघु बेदियों की संरचनात्मक मरम्मत	15,02,735	3,63,734	24.20%
	खंडगिरि तथा उदयगिरि स्थल			
13.	मंदिर समूह, कोटाकोला	3,28,142	87,648	26.71%
14.	दक्ष्य प्रजापति मंदिर, बानपुर की संरचनात्मक मरम्मत	3,01,851	2,12,262	70.32%
15.	उदयगिरि, भुवनेश्वर स्थित गणेश गुम्फा को रानीगुम्फा में एसाइडल चैत्य तक जोड़ने वाली सीढ़ियों की मरम्मत	3,35,130	2,42,133	72.25%
16.	उदयगिरि, भुवनेश्वर स्थित गुफाओं की मरम्मत और जल अवरोधी बनाना	2,97,058	1,19,766	40.32%
	कटक उप मंडल			
17.	हरिपुरगढ़ स्थित रसिक राय मंदिर की संरचनात्मक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	9,99,633	9,96,193	99.66%
18.	बाराबटी किला, कटक के भीतरी ओर संरचनात्मक मरम्मत	16,58,274	8,16,892	49.26%
19.	जरीपुरगढ़ स्थित उत्खनित अवशेष	5,29,312	2,15,481	40.71%
	ललितगिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि स्थित उत्खनित स्थल			
20.	रत्नागिरि स्थित मठ II, स्तूप की संरचनात्मक मरम्मत	9,33,000	7,20,703	77.25%
21.	रत्नागिरि स्थित उत्खनित स्थल पर पैदल पथ हेतु पुश्ता दीवार का निर्माण करना और कोर पर ईंट लगाना	11,89,000	2,40,230	20.20%
22.	रत्नागिरि स्थित महाकाल मंदिर का विकास	9,80,518	3,60,997	36.82%
23.	रत्नागिरि स्थित उत्खनित स्थल पर चेन लिंक बाड़ (लहरदार जाली) चारदिवारी का निर्माण	9,32,358	3,497	0.38%
24.	ललितगिरि स्थित चैत्य एवं मठ के आस-पास के क्षेत्र का संरचनात्मक संरक्षण	19,99,500	8,10,031	40.51%
25.	लंगुडी स्थित उत्खनित स्थल	15,61,767	1,31,941	8.45%

1	2	3	4	5
26.	ललितगिरि स्थित स्मारकों का पुनर्सज्जीकरण (चारदिवारी का निर्माण) के.लो.नि.वि.	8,00,000	8,00,000	100.00%
27.	उदयगिरि-II स्थित उत्खनित बेदी की मरम्मत (जाजपुर)	16,31,413	2,15,315	13.20%
	बौद्ध			
28.	गांधादी स्थित मंदिर समूह की संरचनात्मक मरम्मत	8,18,000	6,71,559	82.10%
	धेनकनाल उप मंडल			
29.	भृंगेश्वर महादेव मंदिर, बाजराकोट	9,64,000	5,66,177	58.73%
30.	चन्द्रशेखर जीव मंदिर, कपिलाश की प्राचीन सीढ़ियों की जीर्णोद्धार एवं जोड़ों की टीपकारी करना	3,81,000	5,71,575	150.02%
31.	कनकेश्वर मंदिर, कुआलो की जलमग्न एवं क्षतिग्रस्त दीवार फर्श एवं प्राकार दीवार की मरम्मत	13,58,469	4,26,759	31.41%
	विशेष मरम्मत (योजना)			
	कोणार्क उप मंडल			
1.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के मंदिर एवं उप मंदिरों का रखरखाव	7,43,000	6,27,009	84.39%
2.	कोणार्क संग्रहालय के चारों ओर एम.एस. ग्रिल बाड वाली छोटी दीवार	9,14,574	8,59,139	93.94%
	पुरी उप मंडल			
3.	भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी के परिसर में मंदिर समूह की जीर्णोद्धार	5,00,000	4,43,589	88.72%
4.	भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगमोहन नट मंडप, भोगमंडप की रंग सफाई	3,83,810	3,42,588	89.26%
	भुवनेश्वर उप मंडल			
5.	रामेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर स्थित प्राचीन हौज का जीर्णोद्धार	14,55,000	13,30,654	91.45%
6.	जौगढ़ स्थित अशोक शिलालेख का विकास	2,46,784	83,188	33.71%
7.	चुरनगढ़ किला पर लहरदार जाली वाली बाड़ लगाना	6,70,000	6,32,907	94.46%

1	2	3	4	5
	कटक उप मंडल			
8.	बाराबटी किला, कटक के मुख्य द्वार से स्तम्भ वाले हाल तक पहुंच मार्ग प्रदान करना	12,34,000	11,81,126	95.72%
9.	बाराबटी किला, कटक के किला गेट की विभक्त छत	75,000	45,903	61.20%
10.	बाराबटी किला, कटक के पूर्वी ओर की खाई दीवार का भीतरी ओर जीर्णोद्धार	16,58,274	6,28,760	37.92%
	धेनकनाल उप मंडल			
11	चन्द्रशेखर जीव मंदिर/कपिलास	5,66,000	6,65,230	117.53%
12.	अन्नाकोटेश्वर मंदिर, लतादेलपट	2,62,518	2,35,930	89.87%
13.	कपिलेश्वर महादेव मंदिर, हतुआरी के चारों ओर पुश्ता दीवार का निर्माण	10,04,648	2,61,791	26.06%
14.	भगवान अनन्तसायी विष्णु, सारंगा की ओर पुश्ता दीवार का निर्माण	5,33,877	1,96,841	36.87%
15.	पहाड़ शिखर पर रक्षक दीवार की मरम्मत और चन्द्रशेखर जीव मंदिर कपिलास स्थित सीढ़ियों की मरम्मत	18,35,354	1,07,512	5.86%
	वार्षिक मरम्मत (गैर-योजना)			
	कोणार्क उप मंडल			
1.	सूर्य मंदिर, कोणार्क की वार्षिक मरम्मत	13,37,980	9,69,450	72.46%
2.	सूर्य मंदिर, कोणार्क की फ्लड लाइट चार्जेज की वार्षिक मरम्मत	4,94,240	2,68,839	54.39%
3.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के परिसर में शौचालय खंड के अनुरक्षण हेतु वार्षिक मरम्मत	1,30,000	47,506	36.54%
4.	सूर्य मंदिर, कोणार्क के फ्लड लाइट चार्जेज के अनुरक्षण हेतु वार्षिक मरम्मत	3,60,150	3,60,150	100.00%
5.	वराही मंदिर, चौरासी की वार्षिक मरम्मत	71,832	43,716	60.86%

1	2	3	4	5
	पुरी उप मंडल			
6.	भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी की वार्षिक मरम्मत	4,30,667	3,09,667	71.90%
	भुवनेश्वर उप मंडल			
7.	भगवान लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	7,00,000	3,15,770	45.11%
8.	ब्रह्मेश्वर मंदिर, कोणार्क की वार्षिक मरम्मत	99,806	14,620	14.65%
9.	जम्बेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा की वार्षिक मरम्मत	94,805	15,746	16.61%
10.	मार्कण्डेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	1,12,932	18,316	16.22%
11.	मेघेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	78,235	11,246	14.37%
12.	सिद्धेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा की वार्षिक मरम्मत	1,38,550	16,085	11.61%
13.	राजा रानी मंदिर, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	2,68,511	1,22,697	45.70%
14.	धौली, भुवनेश्वर स्थित शैलकृत अभिलेख की वार्षिक मरम्मत	1,34,400	14,620	10.88%
15.	सहस्रलिंग हौज, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	1,14,719	22,925	19.98%
16.	सारी देउल, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	73,953	—	0.00%
17.	नाबाकिशोर मंदिर, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	49,180	23,920	48.64%
18.	64 योगिनी मंदिर, हीरापुर, की वार्षिक मरम्मत	1,00,130	44,372	44.31%
19.	रामेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर की वार्षिक मरम्मत	2,76,987	15,006	5.42%
20.	चुरनगढ़ किला की वार्षिक मरम्मत	2,01,273	44,493	22.11%
	खंडगिरि तथा उदयगिरि			
21.	भुवनेश्वर स्थित खंडगिरि तथा उदयगिरि गुफाओं की वार्षिक मरम्मत	7,58,947	4,68,664	61.75%
22.	जूनागढ़, जिला गंजाम स्थित अशोक शिलालेख की वार्षिक मरम्मत	74,700	5,623	7.53%
23.	दक्ष्य प्रजापति मंदिर, बानपुर की वार्षिक मरम्मत	1,96,815	8,248	4.19%

1	2	3	4	5
24.	कोटाकोला स्थित गंगाधरस्वामी मंदिर की वार्षिक मरम्मत	83,150	5,623	6.76%
25.	मंदिर समूह, महेन्द्रगिरी की वार्षिक मरम्मत	43,330	2,250	5.19%
	कटक उप मंडल			
26.	बाराबटी किला, कटक की वार्षिक मरम्मत	5,60,677	1,03,692	18.49%
27.	उत्खनित स्थल, बोधि की वार्षिक मरम्मत	1,29,934	15,817	12.17%
28.	चौदवार स्थित केदारेश्वर मंदिर की वार्षिक मरम्मत	88,468	0.00	0.00%
29.	भगवान जगन्नाथ मंदिर, जाजपुर की वार्षिक मरम्मत	2,48,760	34,026	13.68%
30.	सीताबांजता स्थित शैलकृत पेंटिंग की वार्षिक मरम्मत	75,510	2,062	2.73%
31.	विक्रब्राखोल, झारसागुडा स्थित शैल अभिलेख की वार्षिक मरम्मत	10,900	2,062	18.92%
32.	त्रिलोचनेश्वर महादेव मंदिर, जाजपुर की वार्षिक मरम्मत	2,15,630	8,997	4.17%
33.	वराहनाथ मंदिर, जाजपुर की वार्षिक मरम्मत	2,15,031	47,847	22.25%
34.	बानेश्वरनासी स्थित प्राचीन स्थल की वार्षिक मरम्मत	0.00	2,062	
35.	हरिपुरगढ़ स्थित प्राचीन स्थल की वार्षिक मरम्मत	1,68,775	2,062	1.22%
36.	गोपीनाथपुर, कटक स्थित सारनाथ मंदिर की वार्षिक मरम्मत	27,174	13,407	49.34%
37.	पांचपांडव मंदिर, गणेश्वरपुर की वार्षिक मरम्मत	93,975	2,062	2.19%
38.	भुवनेश्वर महादेव मंदिर, बालिया	37,162	7,112	19.14%
39.	दुरगर मंदिर बारदेश्वर	21,114	1,530	7.25%
	बौद्ध			
40.	64 योगिनी मंदिर, रानीपुर-झरिआल की वार्षिक मरम्मत	74,874	32,966	68.86%
41.	असुरगढ़ किला, कालाहंडी की वार्षिक मरम्मत	3,38,834	43,764	12.92%
42.	नीलमहादेव एवं सिद्धेश्वर मंदिर, गांध्रादी की वार्षिक मरम्मत	1,92,537	35,033	18.20%

1	2	3	4	5
43.	मंदिर समूह, बौध की वार्षिक मरम्मत	2,30,282	46,090	20.01%
	उदयगिरि जिला जाजपुर			
44.	उदयगिरि स्थित उत्खनित स्थल की वार्षिक मरम्मत	6,37,047	1,01,605	15.95%
45.	ललितगिरि स्थित उत्खनित स्थल की वार्षिक मरम्मत	6,78,246	2,93,849	43.32%
46.	लंगुडी स्थित उत्खनित स्थल की वार्षिक मरम्मत	35,790	29,805	83.28%
47.	रत्नागिरि स्थित उत्खनित स्थल की वार्षिक मरम्मत	1,79,439	54,299	30.26%
	धेनकनाल उप मंडल			
48.	अन्नाकोटेश्वर मंदिर, लतादेईपुर की वार्षिक मरम्मत	1,44,976	33,882	23.37%
49.	महादेव मंदिर, बाजराकोट की वार्षिक मरम्मत	40,287	36,559	90.75%
50.	चन्द्रशेखर जीव मंदिर, कपिलास की वार्षिक मरम्मत	1,68,298	54,410	32.33%
51	महादेश्वर मंदिर, कुनले की वार्षिक मरम्मत	83,565	14,195	16.99%
52.	पल्लीकेश्वर महादेव मंदिर, हतुआरी की वार्षिक मरम्मत	69,334	0.00	0.00%
53.	रासोल, अंगुल स्थित शैलकृत विष्णु की वार्षिक मरम्मत	65,612	0.00	0.00%

रसोई गैस उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए अखिल भारतीय टोल फ्री नम्बर एवं मोबाइल शुरू किया जाना

1847. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार रसोई गैस कनेक्शन एवं सिलेंडर प्राप्त करने तथा पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन की उपलब्धता के मामले में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करने के लिए अखिल भारतीय टोल फ्री नम्बर एवं मोबाइल शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय भाषा में शिकायत दर्ज करने वाले उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए क्षेत्र-वार काल सेन्टर शुरू किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना पूरे देश में कब तक शुरू कर दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) समाधान के लिए, ग्राहकों को उनकी शिकायतों को अधिक सुविधाजनक, आसान और कारगर तरीके से दर्ज कराने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने 2.10.2008 से काल सेन्टरों की मार्फत शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नम्बरों की सेवाएं आरंभ की हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), मोटर स्प्रिट (एमएस) तथा हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) दोनों के लिए ओएमसीज के नम्बर इस प्रकार हैं-

आईओसी 18002333555

बीपीसीएल	1800222725
एचपीसीएल	18002333777 (एलपीजी) तथा
	18002333999 (एमएस और एचएसडी)

(ग) से (ङ) यह योजना 2 अक्तूबर, 2008 से चालू कर दी गई है। इस समय, ओएमसीज के सभी क्षेत्रों में शिकायतें दर्ज कराने के लिए 31 काल सेन्टर हैं और इन सेन्टरों में स्थानीय भाषा में भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें

1848. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कम्पनी ने सस्ती सेवाएं प्रदान करने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उड़ानों को पुन: शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार

1849. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के चल रहे विस्तार कार्य में केवल तीन ही ऐरोब्रिजेज की अपर्याप्तता का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को बढ़ते हुए यातायात से निपटने के लिए इन ऐरोब्रिजेज की अपर्याप्तता का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विमानपत्तन पर पांच और ऐरोब्रिजेज बनाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को निर्देश देगा, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) वर्तमान यातायात अपेक्षाओं के अनुसार, नई अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग हेतु तीन एयरब्रिज पर्याप्त हैं। हालांकि, नए टर्मिनल बिल्डिंग (चरण I व II) 4 एरोब्रिजों को समायोजित कर सकती हैं जबकि यात्री यातायात के आधार पर भविष्य में टर्मिनलों में एयरब्रिजों की संख्या में वृद्धि का कार्य चरणों में किया जाएगा।

नि:शक्तता कानूनों में संशोधन

1850. एडवोकेट सुरेश कुरुप :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मार्च 1999 तथा जुलाई, 2006 में नि:शक्तता कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के मुद्दे पर निष्क्रिय रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नि:शक्तता कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सरकार ने नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इस अधिनियम, में संशोधन करने के लिए जून, 2006 में राष्ट्रीय परामर्श की शुरूआत की गई थी, जिसकी पहली परामर्श बैठक राज्य सरकारों, सुविज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और स्टेकहोल्डरों के साथ पटना में हुई थी। इसकी दूसरी बैठक जुलाई, 2006 में चेन्नै में हुई थी और उसके उपरान्त स्टेक होल्डरों द्वारा यह मांग की गई थी कि नि:शक्तजनों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) पर भारत द्वारा हस्ताक्षर

किए जाने तक इस परामर्श प्रक्रिया को प्रास्थगित रखा जाए। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और इस परामर्श प्रक्रिया को 30 मार्च, 2007 को यूएनसीआरपीडी पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद पुन: शुरू किया गया। पिछली दो परामर्श बैठकें अगस्त और नवम्बर, 2007 में क्रमश: दिल्ली और गोवा में आयोजित की गई थी। अधिनियम में संशोधन के लिए परामर्श बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों और यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1851. श्री संतोष गंगवार :
श्री गणेश सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में विद्यमान इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा नए संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) दस्तावेज के अनुसार क्षेत्र में योजना अवधि के अंत अर्थात वर्ष 2011-12 तक देश में अपरिष्कृत इस्पात का अनुमानित उत्पादन लगभग 80 मिलियन टन होने की संभावना है।

(ख) से (घ) नियंत्रणमुक्त और उदारीकृत अर्थव्यवस्था में इस्पात का उत्पादन मुख्यत: मांग परिस्थितियां (स्थानीय और वैश्विक बाजार दोनों) से तथा उत्पादन का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने हेतु कच्चे माल की उपलब्धता से भी प्रभावित होता है। उत्पादन से संबंधित निर्णय अनिवार्य रूप से इस्पात उत्पादन यूनिटों द्वारा लिए जाते हैं। सरकार इस प्रकार की बाजार व्यवस्था में केवल सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करती है — वह उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र रूप से नीतिगत माहौल प्रदान करती है। घरेलू इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने सचिव (इस्पात) का गठन किया है। ताकि देश में अवसंरचना, कच्चे सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य संसाधनगत समस्याओं से संबंधित बड़े इस्पात निवेशकों से जुड़े मुद्दों की मॉनीटरिंग और समन्वय किया जा सके।

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को छोड़कर सरकार का नए संयंत्रों की स्थापना अथवा इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमताओं की वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है।

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रमुख घरेलू इस्पात उत्पादकों ने ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों उद्यमों के माध्यम से अपनी विद्यमान क्षमताएं बढ़ाने की योजनाएं घोषित की हैं। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, इस्पात का घरेलू उत्पादन शीघ्र ही 80 मिलियन टन पार कर जाने तथा वर्ष 2011-12 तक इसके 124.06 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रमुख सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के संयंत्रों में प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इस्पात क्षेत्र के अनुमानित क्षमता विस्तार

(मिलियन टन)

निवेशक	मौजूदा क्षमता (2007-08)	विस्तार योजना ब्राउन-फील्ड	ग्रीन-फील्ड	कुल क्षमता 2011-12 (संभावित)
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र				
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	12.84	12.00	—	24.84
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	2.90	3.40	—	6.30
उप-योग	15.74	15.40	—	31.14

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र				
टाटा स्टील	5.00	5.00	3.00	13.00
एस्सार स्टील होल्डिंग लि.	4.60	3.90	6.00	14.50
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	4.10	6.90	—	11.00
जिंदल पॉवर एंड स्टील लि.	2.40	3.60	4.45	10.45
इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	3.00	2.00	—	5.00
भूषण पावर एंड स्टील	1.20	—	2.80	4.00
भूषण स्टील	0.60	—	5.40	6.00
उप-योग	20.90	21.40	21.65	63.95
अन्य तथा गौण इस्पात	22.91	2.00	4.06	28.97
कुल योग	59.55	38.80	25.71	124.06

[अनुवाद]

सेल तथा बीसीसीएल के बीच संयुक्त उद्यम

1852. **श्री उदय सिंह :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने झारखंड में कोयला बहुल कपुरिया ब्लाकों के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल ने झारखंड में कपुरिया ब्लाक में कोकिंग कोल की मात्रा का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सेल की विभिन्न इकाइयों के लिए कपुरिया ब्लॉक से कोयले की उपलब्धता किस सीमा तक पर्याप्त होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) कपूरिया भूमिगत ब्लाक का विकास करने के लिए 50:50 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के आधार पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। समझौता ज्ञापन की शर्तों व निबंधनों को सेल और बीसीसीएल द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। जियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार कपूरिया में कुल मिलाकर लगभग 146 मिलियन टन के जियोलॉजिकल रिजर्व का अनुमान है। कपूरिया ब्लॉक में लगभग 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की स्टेट आफ द आर्ट खान के रूप में विकसित करने की क्षमता है। सेल की कोकिंग कोल आवश्यकता वर्ष 2011-12 तक बढ़कर 23 मिलियन टन होने और वर्ष 2019-2020 तक बढ़कर 50 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि इसका वर्तमान स्तर 14 मिलियन टन है। तथापि, वर्तमान आवश्यकता में से केवल लगभग 4 मिलियन टन स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है और शेष आवश्यकता की पूर्ति आयात के जरिए पूरी की जाती है। कपूरिया के विकास से कोकिंग कोल की स्वदेशी उपलब्धता बढ़ेगी।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाएं

1853. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमानपत्तनों विशेषकर महानगरों में यात्री सुविधाओं के स्तर में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में यात्रियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके निपटान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। वस्तुतः सरकार ने संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डे की पुनर्संरचना की है ताकि उनका विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार आधुनिकीकरण तथा विस्तार किया

जा सके। चेन्नई तथा कोलकाता के अन्य मेट्रो हवाईअड्डों को भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकास/स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक समयबद्ध आधार पर 35 गैरमेट्रो हवाईअड्डों तथा 13 अन्य हवाईअड्डों पर यात्री सुविधाओं सहित विकास तथा स्तरोन्नयन का कार्य भी आरम्भ किया है। हैदराबाद तथा बंगलौर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे भी प्रचालनिक हो गए है। इन उपायों से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाएं

1854. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए कितना बजट आबंटन किया गया;

(ख) इनकी अनुमानित लागत की तुलना में वर्ष-वार तथा परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) चालू वर्ष में हासिल की गई प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली विभिन्न चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण परियोजनाओं की परियोजना-वार प्रगति, अनुमानित लागत और मुहैया कराए गए बजट परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपयों में)

क्र सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	अनुमानित लागत	बजट परिव्यय 2006-07	बजट परिव्यय 2007-08	बजट परिव्यय 2008-09
1	2	3	4	5	6	7
1.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर नई लाइन (235 किमी)	इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रथम चरण में दल्लीराजहरा-रोघाट (95 किमी) को शुरू किया जाना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है।	968.60	0.01	13.00	124.99
2.	बिलासपुर-उड़कुरा तीसरी लाइन (110 किमी)	बिलासपुर से भाटापाडा (45 किमी) का कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। भाटापाडा और उड़कुरा के बीच का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया जा रहा है जिसके लिए मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।	362.55	28.50	74.00	60.00
3.	बिलासपुर-सलकारोड-कहीं-कहीं दोहरीकरण (39.4 किमी)	बिलासपुर से कलमितर (24 किमी) का कार्य पूरा हो गया है तथा इसके यातायात के लिए खोल दिया गया है। कलमितर तथा सलकारोड के बीच शेष कार्य को शुरू कर दिया गया है।	144.19	16.50	25.00	50.00
4.	सलकारोड-खोंगसारा कहीं-कहीं दोहरीकरण (26 किमी)	सलका रोड से अनूपपुर तक दोहरीकरण का कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण	96.00	1.00	10.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	बिलासपुर में फ्लाई ओवर सहित खोदरी-अनूपपुर (61.6 किमी)	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा नक्शे एवं अनुमान संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	223.44	—	10.00	25.00
6.	भिलाई-दुर्ग तीसरी लाइन (13.15 किमी)	मिट्टी, पुल तथा गिट्टी संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं। ट्रैक लिंकिंग, दूरसंचार तथा शिरोपरि सरेखण से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।	50.00	6.50	24.16	25.00
7.	चम्पा बाईपास (5.85 किमी)	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण की लागत राज्य सरकार के पास जमा करा दी गई है।	31.00	—	5.00	10.00
8.	चम्पा-झारसुगुडा तीसरी लाइन (165 किमी)	बजट 2008-09 में नया कार्य शामिल किया गया है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।	872.12	—	—	0.01

[अनुवाद]

भीलड़ी-समदड़ी के बीच आमान परिवर्तन

1855. **श्री महेश कनोडीया :**
श्री हरिन पाठक :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विकास निगम ने भीलड़ी-समदड़ी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य-पूरा कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) कार्य को वर्ष 2008-09 के दौरान पूरा करने के लिए योजना बनाई गई है। स्थल संबंधी विशिष्ट अप्रत्याशित समस्याओं के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका था। समदड़ी-भिलड़ी तक पूरे खंड का आमान परिवर्तन अब 2009-10 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। प्रारंभिक कार्य को पूरा करने के लिए मेगा ब्लॉक का कार्य पूरा हो गया है तथा नवम्बर, 2008 में मेगा ब्लाक का कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

(ग) इस परियोजना को 2009-10 में पूरा किए जाने की संभावना है।

श्रीलंका के साथ समझौता

1856. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने सुनामी से उखड चुकी श्रीलंका की रेल लाइन को पुन: बनाने के लिए श्रीलंका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समझौते की निबन्धन एवं शर्तें क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका ने उनके कार्मिकों को भारतीय रेल के संस्थापनों में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् मैसर्स राइट्स लिमिटेड और मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने श्रीलंका सरकार के परिवहन मंत्रालय के साथ 160 कि.मी. लंबाई की तटीय रेलवे लाइन (कोलंबो-गाले-मटारा खंड), के पुनर्वास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्य का निष्पादन दो चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। चरण-1 में डीजल मल्टीपल यूनिट, लोकोमोटिव स्पेयर्स की आपूर्ति, मानव संसाधन विकास और राइट्स द्वारा डीजल मल्टीपल यूनिट की अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना और मैसर्स इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा गाले मटारा खंड का निश्पादन शामिल है। कार्य भारत सरकार से "लाइन आफ क्रेडिट" के माध्यम से वित्त पोषण से निष्पादित किया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां। श्रीलंका सरकार ने अपने कर्मिकों को भारतीय रेल संस्थापनाओं में प्रशिक्षण देने के लिए आग्रह किया है। श्रीलंका रेलवे से लगभग 600 कर्मिकों को मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा देश में विभिन्न भारतीय रेल संस्थापनाओं और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

निजी एयरलाइनों की बढ़ती भूमिका

1857. **डा. टोकचोम मैन्या :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनों को उद्योग में हर बात के लिए प्राथमिकता मिलती है तथा एयर इण्डिया अब गौण भूमिका निभा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वर्ष एयर इंडिया की तुलना में निजी कंपनियों ने ज्यादा लाभ अर्जित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। सरकार की सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों के लिए एक जैसी नीति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सभी निजी एयरलाइनों के वित्तीय परिणामों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है तथा एयरलाइनों की लाभप्रदता की तुलना सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

1858. **श्री विजय कृष्ण :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को अब तक बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई;

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के विचारार्थ कौन-कौन सी पर्यटन परियोजनाएं हैं; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन रुचि के स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर, राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता 8609.92 लाख रुपए और बिहार के लिए 4344.27 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए अभी तक निम्नलिखित परियोजनाएं, जो पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण थी, स्वीकृत की गई हैं:

बिहार :

(लाख रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	लौरिया नंदनगढ़ का विकास	134.87
2.	वैशाली (कोल्हुआ) का विकास	388.97
3.	सुजाता कुटीर-बकरोर, बौधगया का विकास	158.04
4.	बौधगया, परागबोधी हिल्स में पर्यटन अवसंरचना का विकास	156.50
	उत्तर प्रदेश :	
1.	एक पर्यटक परिपथ के रूप में सुलतानपुर का विकास	423.13
2.	एक पर्यटक परिपथ के रूप में अमेठी का विकास	576.71

[हिन्दी]

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव

1859. श्री पंकज चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्जरी कार मालिकों से पेट्रोल एवं डीजल का ज्यादा मूल्य वसूलने का है क्योंकि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नजीबाबाद-मुरादाबाद लाइन का विद्युतीकरण कार्य

1860. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजीबाबाद-मुरादाबाद रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने सहारनपुर तथा मुरादाबाद के बीच अब तक कोई विद्युत रेलगाड़ी शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मार्ग का विद्युतीकरण कार्य कब तक शुरू होने एवं पूरा हो जाने तथा इस मार्ग पर विद्युत रेल गाड़ियां कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. आर. वेलु) : (क) से (घ) नजीबाबाद-हथरला खंड (90 मार्ग किलोमीटर) का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है तथा हरथला-मुरादाबाद खंड (8 मार्ग किलोमीटर) पर कार्य प्रगति पर है। बिजली गाड़ियां वर्ष 2009-10 में चलाए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एयर टिकट के लिए मूल्य बैण्ड प्रणाली

1861. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण इंडियन एयरलाइन्स तथा अन्य विमान कंपनियों ने लंबी दूरी अर्थात 750 कि.मी. से अधिक की उड़ानों के किराये में अत्यधिक वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य बैण्ड प्रणाली लागू करने तथा एयर टिकटों की कीमत कम करने के लिए विमान कंपनियों की लाभ प्रतिशतता में भी कमी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई प्रणाली कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरकार एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले किराये को विनियमित नहीं करती है। एयरलाइनें बाजार रूझान को ध्यान में रखकर किरायों का निर्धारण करती हैं। तथापि, विमानन टरबाईन ईंधन मूल्य में कमी को ध्यान में रखकर, एअर इंडिया ने 2 दिसम्बर 2008 से अपने सभी घरेलू सैक्टरों पर ईंधन अधिभार को 400 रुपये तक घटा दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में आमान परिवर्तन के लिए बजटीय प्रावधान

1862. श्री हरिन पाठक :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री महेश कनोडीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने कतिपय रेल लाइनों के आमान परिवर्तन/उन्नयन के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आमान परिवर्तन/उन्नयन हेतु प्रत्येक लाइन के लिए अनुमोदित बजटीय प्रावधान कितना है; और

(घ) आमान परिवर्तन/उन्नयन से संबंधित कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, गुजरात सरकार से चल रही निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों के आबंटन के लिए विगत में अनुरोध प्राप्त हुए थे:-

क्र. सं.	परियोजना	2008-09 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय	पूरा होने की स्थिति तथा लक्ष्य तारीख, जहां-कहीं निर्धारित किया गया हो,
1	2	3	4
(i)	वेरावल-सोमनाथ नई लाइन तथा राजकोट-वेरावल आमान परिवर्तन के भाग के रूप में वंशजालिया-जेतलसर आमान परिवर्तन।	80 करोड़ रुपये	वेरावल-सोमनाथ नई दिल्ली का काम पूरा हो चुका है। वंशजालिया-जेतलसर आमान परिवर्तन 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।
(ii)	सुरेन्द्रनगर-पिपावाव आमान परिवर्तन परियोजना का सुरेन्द्रनगर-ध्रान्गध्रा खंड	1 करोड़ रुपये	मुख्य लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। सुरेन्द्रनगर-ध्रान्गध्रा के लिए अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
(iii)	विरमगाम-महेसाना-पाटन आमान परिवर्तन परियोजना	40 करोड़ रुपये	आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है।
(iv)	भरूच-दहेज आमान परिवर्तन	5 करोड़ रुपये	इस परियोजना को विशेष प्रयोजन योजना के माध्यम से शुरू किया जा रहा है जिसके लिए अंशधारक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रियायत समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 2009-10 तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित है।
5.	राजपिपला-अंकलेश्वर	15 करोड़ रुपये	विस्तृत अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।

1	2	3	4
(iv)	प्रतापनगर-छोटा उदयपुर	55 करोड़ रुपये	प्रतापनगर-दाभोई (35 किमी) खण्ड खोल दिया गया है। शेष खण्ड 2009-10 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
(vii)	अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर	0.01 करोड़ रुपये	रेलवे बजट 2008-09 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक गतिविधियां जैसे नक्शा, अनुमान तैयार करना, आदि से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

संसाधनों की उपलब्धता और परियोजना की प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था की गई है।

पेट्रोल पंपों को पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति पर प्रतिबंध

1863. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आईओसी) ने पेट्रोल पंपों को पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया है जिससे इन पंपों पर इनकी कमी हो रही है एवं लाइनें लग रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो आपूर्ति में प्रतिबंध किस सीमा तक लगाया गया है तथा इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने देश में कहीं भी पेट्रोल पंपों को पैट्रोल और डीजल की आपूर्ति सीमित/न्यून नहीं की है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली-सादुलपुर के बीच रेलगाड़ी सेवा

1864. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में रेवाड़ी और सादुलपुर के बीच कोई यात्री रेलगाड़ी चलाई जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वाया रेवाड़ी सादुलपुर से दिल्ली तक रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सादुलपुर से दिल्ली के बीच रेलगाड़ी सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 4705/4706 दिल्ली सराय रोहिल्ला-सादुलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) को चालू करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रारंभ करने की तिथि तय नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तन पर उपभोक्ता सेवा

1865. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर उपभोक्ता संतुष्टि का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन विमानपत्तनों पर सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु सेवाओं में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन हवाईअड्डों पर सुविधाओं का विस्तार करते हुए अतिरिक्त टर्मिनल और एयर साइड क्षमता विकसित की गई है।

(घ) दिल्ली व मुम्बई के मामले में, ऐसे करार किए गए हैं जिनके तहत एक निश्चित समय अवधि के दौरान वे हवाई अड्डा प्रचालनों के निष्पादन मानकों में सुधार करने के लिए बाध्य हैं ऐसा न करने पर उनपर पेनल्टी लगाई जाएगी।

स्मारकों का संरक्षण

1866. श्रीमती मेनका गांधी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिल्ली में विशिष्ट इमारतों के लिए संरक्षण योजनाएं तैयार करने हेतु 25 करोड़ रुपए की विशेष राष्ट्रमंडल निधि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संरक्षण किए जाने वाले स्मारकों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्मारक-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) दिल्ली में विशिष्ट इमारतों के लिए संरक्षण योजनाएं तैयार करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में समर्थन व्यक्त किया है तथा दिल्ली के 46 स्मारकों पर संरक्षण कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 25.73 करोड़ रुपए आबंटित करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित किए जाने वाले 46 स्मारकों की पहचान की है। इसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग, 2008-09 में अब तक 99.80 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की प्राप्ति हुई है। इस प्रावधान को तुगलकाबाद किला तथा किला राय पिथौरा के संरक्षण हेतु इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उक्त 46 स्मारकों के संरक्षण कार्य को जुलाई, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

क्र.सं.	स्मारक का नाम
1	2
1.	पुराना किला परिसर, मथुरा रोड
2.	खैरूल मंजिल मस्जिद, मथुरा रोड
3.	शेरशाह गेट, मथुरा रोड
4.	हुमांयू का मकबरा परिसर, निजामुद्दीन पूर्व
5.	खान-ए-खाना मकबरा, निजामुद्दीन पूर्व
6.	सब्ज बुर्ज, निजामुद्दीन
7.	नीला गुम्बद, निजामुद्दीन पूर्व निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास
8.	बू-हालिमा मकबरा, हुमांयू का मकबरा के पास, निजामुद्दीन
9.	अरब की सराय, निजामुद्दीन पूर्व
10.	बारा खम्भा, निजामुद्दीन पश्चिम
11.	हजरत निजामुद्दीन परिसर में स्मारक समूह
12.	सफदरजंग मकबरा परिसर, जोरबाग

1	2
13.	लोदी गार्डन स्मारक (5)
	1. मोहम्मद शाह का मकबरा
	2. बड़ा गुम्बद मस्जिद
	3. शीश गुम्बद
	4. सिकन्दर लोदी का मकबरा
	5. अथपुला
14.	नजफखान का मकबरा, बलीगंज, किदवई नगर
15.	नगर दीवार, कश्मीरी गेट, आई एस बी टी के पास
16	वजीराबाद पुल, मकबरा तथा मस्जिद
17.	कोटला फिरोजशाह, बहादुर शाह जफर मार्ग
18.	दिल्ली गेट, दरियागंज, बहादुर शाह जफर मार्ग
19.	नगर दीवार, दरियागंज, बहादुर शाह जफर मार्ग
20.	खूनी दरवाजा, बहादुर शाह जफर मार्ग कोटला फिरोज शाह के पास
21.	जन्तर मन्तर परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट
22.	लाल बंगला, गोल्फ कोर्स, गोल्फ लिंक
23.	उग्रसेन की बावली, हेले रोड़
24.	लालकिला परिसर, पुरानी दिल्ली
25.	अजमेरी गेट, आसफ अली रोड़
26.	सलीम गढ़ किला, लाल किला
27.	अशोक की शिला लेख, ईस्ट आफ कैलाश
28.	वीरां का गुम्बद, ग्रीन पार्क
29.	दादी पोती, हौज खास
30.	सकरी गुम्टी, हौज खास
31.	बारा खम्भा, हौज खास
32.	मोहम्मदी वाली मस्जिद, माई फेयर गार्डन
33.	लाल गुम्बद, मालवीय नगर
34.	तीन बुर्जी, मोहम्मद पुर गांव
35.	सीरी फोर्ट दीवार
	1. पंचशील पार्क के साथ लगा क्षेत्र
	2. ऐशियाड विलेज के साथ लगा क्षेत्र
	3. ऐशियाड टावर से सीरी फोर्ट खेल परिसर तक की दीवार का हिस्सा
36.	हौज खास परिसर, हौज खास
37.	जहाँपनाह दीवार, अध चीनी तथा हौज रानी
38.	किला राय पिथौरा दीवार, लाडोसराय
39.	सतपुला, खिड़की गांव
40.	कुतुब मीनार परिसर, महरौली
41.	जमाली कमाली का मकबरा तथा मस्जिद, महरौली
42.	आजिम खान का मकबरा, अणुव्रत मार्ग, दिल्ली गुड़गांव रोड़
43.	बलबान का मकबरा तथा अवशेष, अणुव्रत मार्ग, दिल्ली गुड़गांव रोड़
44.	तुगलकाबाद किला, एम बी रोड़
45.	घियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, एम बी रोड
46.	आदिलाबाद किला, एम बी रोड़

[हिन्दी]

रांची में जोनल कार्यालय

1867. श्री टेकलाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रांची में रेलवे का एक जोनल कार्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित रेलवे जोन का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नए जोनों की स्थापना बिना किसी भौगोलिक विचार के मितव्ययिता और कुशलता के अनुरूप विभिन्न कारकों जैसे आकार, कार्यभार, पहुंच, यातायात प्रवृत्ति और अन्य परिचालन/प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। प्रस्ताव को उपर्युक्त मापदंडों के आलोक में देखा गया तो इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला को हुआ घाटा

1868. श्री किरिप चालिहा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला को पूर्वोत्तर राज्यों में खोले गए उसके 61 खुदरा बिक्री केन्द्रों से घाटा उठाना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को मूल्य निर्धारण न्यून वसूलियों के कारण उत्तर-पूर्व में उनके 61 आरओज सहित उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के जरिए पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा विपणन पर घाटा हुआ था। तथापि, देश में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट के कारण नवम्बर, 2008 से एनआरएल को उत्तर-पूर्व सहित खुदरा विपणन कार्यकलापों में लाभ हुआ है।

[हिन्दी]

सूरत रेलवे स्टेशन की श्रेणी

1869. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत रेलवे स्टेशन किस श्रेणी के रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत है;

(ख) इस श्रेणी के निर्धारण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सूरत स्टेशन को 'ए' श्रेणी का रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने के बावजूद भी इस स्टेशन पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) सूरत रेलवे स्टेशन को वर्ष 2006-07 के वार्षिक यात्री उपार्जन के आधार पर 'ए-I' कोटि में रखा गया है।

(ख) 50 करोड़ रु. से अधिक वार्षिक यात्री उपार्जन वाले अनुपनगरीय स्टेशनों का 'ए-I' कोटि के अंतर्गत कोटिबद्ध किया गया है।

(ग) से (ङ) पूर्व में सूरत रेलवे स्टेशन को 'ए' श्रेणी स्टेशन में कोटिबद्ध किया गया था। वर्ष 2006-07 की वार्षिक आय के आधार पर, सूरत रेलवे स्टेशन को संशोधित करके 'ए-I' कोटि में वर्गीकृत किया गया है। इस स्टेशन पर कोटि 'ए' के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। कोटि 'ए-I' के अनुसार अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था यथासमय किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोड

1870. **श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स जिनका पिछले वर्ष विलय किया गया था, अब भी दो कोडों अर्थात ए.आई. और आई.ए. का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी उड़ानों की समान कोड पर संचालित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समान कोड को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्ववर्ती एयर इंडिया आयटा कोड एआई तथा पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइन्स आयटा कोड आईसी का उपयोग करती रहेगी। दोनों एयरलाइनें अपने स्वयं की लीजेसी यात्री सेवा प्रणाली (पीएसएस) का उपयोग कर रही हैं चूंकि वे संगत नहीं हैं और एक कामन कोड का प्रयोग किया जाना संभव नहीं था।

(ग) और (घ) जी, हां। विलयित निकाय के रूप में, एक कामन कोड के अधीन सभी उड़ानों का प्रचालन करने का प्रस्ताव है। एयर इंडिया इस समय एक संयुक्त नए आधुनिक पीएसएस को लागू करने की प्रक्रिया में है। सभी पूर्ववर्ती एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को एक कामन कोड के अधीन इस नए पीएसएस के प्रयोग के लिए माइग्रेट करना होगा।

(ङ) पीएसएस (और इसके साथ कामन कोड को) आगामी 12 महीनों के अंदर लागू किए जाने का कार्यक्रम है।

एयर इंडिया की उड़ानें

1871. **श्री निखिल कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल ही में अपने नेटवर्क में से अनेक अंतराष्ट्रीय शहरों को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया का विचार देश में कुछ शहरों की उड़ानों की संख्या में भी कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया को कितना लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) हाल के महीनों में, एयर इंडिया ने भारी हानि वाले मार्गों जैसे लाहौर, सीयोल और दार-ए-सलाम, लासएंजेल्स और बर्मिंघम के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं तथा घरेलू सेक्टर में अपनी उड़ानों का युक्तिकरण भी कर दिया है।

(घ) एयर इंडिया के अनेक अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पुनर्संरचना करके लगभग 10-15 प्रतिशत तक क्षमता में कटौती से प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपये की बचत होने की प्रत्याशा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरिपुल

1872. **मो. मुकीम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे सड़क उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है और इनमें अनुमानित रूप से कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक सड़क उपरिपुल के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(ग) इन सड़क उपरिपुलों के कब तक चालू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों का विवरण निम्नानुसार है:—

विवरण

क्र सं.	रेलवे	अनुमोदन का वर्ष	कार्य का नाम	रेलवे का अंश (करोड़ रु. में)	राज्य का अंश (करोड़ रु. में)	2008-09 के लिए रेलवे हिस्से के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	रेलवे के हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य	पहुंच मार्गों को पूरा करने का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लागत में भागीदारी के आधार पर कार्य								
1.	उ.रे.	1999-00	चौपाल-समपार सं. 358 विशेष और 250/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल (खंभे 8×18मी. + 1×26मी. + 1×13मी. + 1×17.5मी. + 2×41मी.)	6.95	7.81	1.10	संपूर्ण	संपूर्ण
2.	उ.रे.	2002-03	बिजनौर-नजीबाबाद रोड समपार सं. 484-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.33	5.20	0.0001	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
3.	उ.रे.	2002-03	अमरोहा-गाजियाबाद-मुरादाबाद पर ऊपरी सड़क पुल-समपार स. 26-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	4.35	3.67	1.30	संपूर्ण	पहुंच मार्ग का कार्य पूरा होने वाला है
4.	उ.रे.	2002-03	अकबरपुर-मौजूदा समपार सं. 83-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.94	5.61	0.60	संपूर्ण	संपूर्ण
5.	उ.रे.	2003-04	महरौली-डासना-समपार सं. 95 के बदले ऊपरी सड़क पुल	4.85	4.91	0.0001	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
6.	उ.रे.	2004-05	लखनऊ-समपार सं. 1-बी (कानपुर क्रॉसिंग) और 218-ए (हरदोई क्रॉसिंग) के बदले ऊपरी सड़क पुल	10.69	13.29	0.20	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
7.	उ.रे.	2004-05	दिल्ली-शामली-सहारनपुर-शामली के नजदीक समपार सं. 90 के बदले ऊपरी सड़क पुल	4.10	5.05	0.0001	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
8.	उ.रे.	2005-06	शारदानगर-समपार सं. 86-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	4.20	4.53	2.03	दिसंबर, 08	मई, 08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	उ.रे.	2006-07	राय बरेली-समपार सं. 176 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.85	5.73	0.42	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
10.	उ.रे.	2006-07	मेरठ कैंट-समपार सं. 30-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	8.91	8.45	0.01	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
11.	उ.रे.	2006-07	मुजफ्फरनगर-समपार सं. 53-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	8.02	8.49	0.0050	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
12.	उ.रे.	2006-07	मेरठ सिटी-समपार सं. 26-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	10.50	11.10	0.02	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
13.	उ.रे.	2006-07	हापुड़-समपार सं. 41-विशेष एवं 74-विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल	9.35	9.06	0.0001	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
14.	उ.रे.	2006-07	गाजियाबाद-समपार सं. 4-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	8.17	9.63	0.25	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
15.	उ.रे.	2006-07	फैजाबाद यार्ड-समपार सं. 120 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.61	5.71	0.42	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
16.	उ.रे.	2006-07	गाजियाबाद-समपार सं. 98-विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल	8.77	8.19	1.50	जनवरी, 09	जनवरी, 09
17.	उ.रे.	2006-07	सुल्तानपुर-प्रतापगढ़-छिबलिया के नजदीक समपार सं. 84-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	3.29	10.63	0.01	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
18.	उ.रे.	2007-08	रामपुर-समपार सं. 413-ए (दो लेन का) के बलदे ऊपरी सड़क पुल	5.08	7.77	0.01	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
19.	उ.रे.	2008-09	राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर जौनपुर में लखनऊ वाराणसी खंड पर किमी. 826/ 3-4 पर समपार सं. 4-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	8.09	8.80	0.15	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
20.	उ.रे.	2008-09	रायबरेली पर लखनऊ रायबरेली खंड पर किमी. 995/14-15 पर समपार सं. 150 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	6.21	5.67	0.20	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
21.	उ.रे.	2008-09	मेरठ हापुड-समपार सं. ए-55/ई-3 के बदले 4 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल	1.03	1.11	0.01	नए कार्य	नए कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	उ.रे.	2008-09	गाजियाबाद-समपार सं. 99-विशेष के ऊपरी सड़क पुल	9.01	9.57	0.02	नए कार्य	नए कार्य
23.	उ.रे.	2008-09	खतौली जनसथ-समपार सं. 44 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.18	5.62	0.02	नए कार्य	नए कार्य
24.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	बहराईच-रियोचिया-समपार सं. 42 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.62	5.62	0.01	नए कार्य	नए कार्य
25.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	सहजनवा-मगहर-समपार सं. 169-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.53	5.53	0.01	नए कार्य	नए कार्य
26.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	तिनिच-गौड़-समपार सं. 213-सी/ई-2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.50	5.50	0.01	नए कार्य	नए कार्य
27.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	गौरी बाजार-गौरी चौड़ा-समपार सं. 139-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.32	5.32	0.01	नए कार्य	नए कार्य
28.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	बस्ती-गोरखपुर-समपार सं. 192-विशेष/ई-3 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.75	5.75	0.01	नए कार्य	नए कार्य
29.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	मगहर-खलीलाबाद-समपार सं. 178-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.00	5.00	0.01	नए कार्य	नए कार्य
30.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	बस्ती-गोविंदनगर-समपार सं. 201-ए/ई-3 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.75	5.75	0.01	नए कार्य	नए कार्य
31.	पूर्वोत्तर रेलवे	2008-09	लखीमपुर-खीरी टाउन-समपार सं. 120-विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.44	5.44	0.01	नए कार्य	नए कार्य
32.	उ.म.रे.	2008-09	मंजूरगढ़ी-हरदुआगंज-समपार सं. 85-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	6.91	9.00	0.01	नए कार्य	नए कार्य
33.	उ.म.रे.	2008-09	वायर-दनकौर-समपार सं. 139-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.51	9.93	0.01	नए कार्य	नए कार्य
34.	उ.म.रे.	2008-09	दादानगर-समपार सं. 240-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.32	8.73	0.01	नए कार्य	नए कार्य
35.	उ.म.रे.	2008-09	फफूंद-समपार सं. 8-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	9.28	12.08	0.01	नए कार्य	नए कार्य
36.	उ.म.रे.	2008-09	झांसी-आगरा-समपार सं. 492-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	6.12	8.39	0.01	नए कार्य	नए कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	उ.म.रे.	2008-09	झांसी-कानपुर-समपार सं. 147 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.58	6.72	0.01	नए कार्य	नए कार्य
38.	उ.म.रे.	2008-09	हनुमान चौकी-नदौनी-समपार सं. 102-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.46	10.23	0.01	नए कार्य	नए कार्य
39.	उ.म.रे.	2008-09	ग्वालियर-आगरा कैंट-समपार सं. 477-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	6.12	8.39	0.01	नए कार्य	नए कार्य
40.	उ.म.रे.	2008-09	अलीगढ़ जं.-बरेली जं.-समपार सं. 83-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	8.19	11.62	0.01	नए कार्य	नए कार्य
41.	उ.म.रे.	2008-09	सासनी-विजयगढ़-समपार सं. 99-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.46	10.23	0.01	नए कार्य	नए कार्य
42.	उ.म.रे.	2008-09	हाथरस सिटी-जलेसर सिटी-समपार सं. 90-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.56	10.33	0.01	नए कार्य	नए कार्य
43.	उ.म.रे.	2008-09	सिंकदर-समपार सं. 503 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.53	5.53	0.01	नए कार्य	नए कार्य
44.	उ.म.रे.	2008-09	फतेहपुर-बिंदकी रोड-समपार सं. 90-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.16	10.01	10.01	नएं कार्य	नए कार्य
45.	उ.म.रे.	2008-09	शिकोहाबाद-बटकेश्वर रोड-समपार सं. 51-विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल	10.75	18.49	0.01	नए कार्य	नए कार्य
46.	उ.म.रे.	2008-09	मिर्जापुर-विंध्याचल-समपार सं. 7 के बदले ऊपरी सड़क पुल	8.22	15.71	0.01	नए कार्य	नए कार्य
47.	उ.म.रे.	2008-09	आगरा-झांसी-समपार सं. 472-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	6.43	8.75	0.01	नए कार्य	नए कार्य
48.	उ.म.रे.	2008-09	नैनी-समपार सं. 35-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	9.40	12.68	0.01	नए कार्य	नए कार्य
49.	उ.म.रे.	2008-09	मिर्जापुर-समपार सं. 60-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	9.92	13.70	0.01	नए कार्य	नए कार्य
50.	उ.म.रे.	2008-09	खपरा-मोझल-समपार सं. 83-डी के बदले ऊपरी सड़क पुल	11.71	13.79	0.01	नए कार्य	नए कार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	उ.म.रे.	2008-09	मंजूरगढ़ी-हरदुआगंज-समपार सं. 84 के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.05	9.14	0.01	नए कार्य	नए कार्य
52.	उ.म.रे.	2008-09	मंजूरगढ़ी-हरदुआगंज-समपार सं. 84 के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.17	9.25	0.01	नए कार्य	नए कार्य
53.	उ.म.रे.	2008-09	बीकानेर-समपार सं. 139 के बदले 2 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	5.56	6.93	0.01	नए कार्य	नए कार्य
54.	उ.म.रे.	2008-09	जोधपुर-समदड़ी-बाड़मेर-समपार सं.सी-325 के बदले ऊपरी	5.85	6.54	0.01	नए कार्य	नए कार्य
55.	उ.म.रे.	1996-97	हाथरस-पीलीभीत आगरा रोड को जोड़ने वाले गाजियाबाद-सीएनबी पर किमी. 1296/29-31 पर समपार सं. 95-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल (एसएच-33)	3.19	4.86	0.03	संपूर्ण	संपूर्ण
56.	उ.म.रे.	1999-00	मेजा रोड-एमजीएस-एएलडी खंड पर समपार सं. 25-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल (एसएच-44)	3.63	4.17	0.1	संपूर्ण	संपूर्ण
57.	उ.म.रे.	1998-99	कानपुर-इलाहाबाद कानपुर खंड पर किमी. 1016/5-11 जीटी रोड पर समपार सं. 79-डी के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.94	22.59	0.91	फरवरी, 09	फरवरी, 09
58.	उ.म.रे.	1998-99	इरादतगंज-राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सतना-इलाहाबाद रोड को जोड़ने वाले एएलडी एमकेपी खंड पर समपार सं. 430-ए/1 के बदले ऊपरी सड़क पुल	6.12	2.87	1.5	दिसंबर, 08	जून, 08
59.	उ.म.रे.	2002-03	अलीगढ़-समपार सं. 112/सी-3 के बदले ऊपरी सड़क पुल	4.28	3.98	0.21	संपूर्ण	संपूर्ण
60.	उ.म.रे.	2003-04	कानपुर-टाटमील क्रॉसिंग के नजदीक ऊपरी सड़क पुल सं. 253 को चौड़ा करना	3.96	8.93	0.88	संपूर्ण	संपूर्ण
61.	उ.म.रे.	2005-06	इटावा-कानपुर टुंडला पर किमी. 1155/27-29 पर समपार सं. 27-विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.30	6.96	0.72	संपूर्ण	संपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	उ.म.रे.	2006-07	इलाहाबाद-कानपुर खंड पर फतेहपुर जिले में समपार सं. 48 के बदले ऊपरी सड़क पुल	5.53	8.90	1.81	सितंबर, 09	दिसंबर, 09
63.	उ.म.रे.	2006-07	इलाहाबाद-कानपुर खंड पर कानपुर में समपार सं. 81 डी के बदले ऊपरी सड़क पुल	4.49	7.27	0.25	दिसंबर, 09	दिसंबर, 09
64.	उ.म.रे.	2006-07	मथुरा-पलवल खंड समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	14.10	9.06	2.1	जून, 09	जून, 09
65.	उ.म.रे.	2007-08	चुनार-मुगलसराय-समपार सं. 119-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	9.17	12.90	3.5	सितंबर, 09	दिसंबर, 09
66.	उ.म.रे.	2007-08	इलाहाबाद-कानपुर-समपार सं. 62-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	7.91	11.30	3.15	दिसंबर, 09	दिसंबर, 09
67.	उ.म.रे.	2008-09	कानपुर-इलाहाबाद कानपुर खंड पर श्यामनगर पर किमी. 1014/0-1 पर समपार सं. 77-डी के बदले ऊपरी सडक पुल	15.50	0.00	0.1	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
ऊपरी सड़क पुल के निम्न एक कार्य का निर्माण रेलवे की लागत पर किया जा रहा है								
1.	उत्तर प्रदेश	2007-08	टुंडला यार्ड में किमी. 1249/1-3 पर सतपार सं. 72 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	13.29	लागू नहीं	4.15	दिसंबर, 09	—

उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में 31 कार्यों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एक कार्य को निक्षेप शर्तों पर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सुविधाओं की कमी की शिकायतें

1873. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री चन्द्र देव प्रसाद राजभर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को वातानुकूलित शयनयानों में आम सुविधाओं यथा गंदे बेड रोल्स, बदबुदार कोचों, शौचालयों में लिक्विड सौंप की अनुपलब्धता इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक शिरकायतें किए जाने के बावजूद भी भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे ने इस संबंध में क्या कार्रवाई शुरू की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और

(ख) जी हां। गंदे बेडरोल की आपूर्ति, यात्री डिब्बों में सफाई तथा शौचालयों में तरल साबुन की अनुपलब्धता जैसे कुछ उदाहरण नोटिस में आए हैं। बहरहाल, इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान किरायों में कमी

1874. श्री रायपति सांबासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एविएशन टरबाइन फ्यूल के मूल्यों में की गई कमी के मद्देनजर विमान किरायों में कमी किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विमान किरायों में कमी किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) विमान किरायों का विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। विमान कंपनियां अपने वाणिज्यिक विवेक अनुसार विमान किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि एयर इंडिया ने हाल ही में घरेलू सेक्टर में ईंधन अधिभार को 400 रुपये तक कम किया है।

[हिन्दी]

शोलापुर में पुरातात्विक संग्रहालय

1875. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के शोलापुर में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इस समय महाराष्ट्र में शोलापुर में अपना पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पर्यटन गाइडों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

1876. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विदेशी भाषाओं के पेशेवर गाइडों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षित पेशेवर गाइडों की संख्या का भाषावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए निकट भविष्य में योग्य गाइडों की संख्या को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गाइडों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक राज्य में पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। भाषा-वार उपलब्ध प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, परीक्षा और प्रशिक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए, मार्केट मूल्यांकन के आधार पर, विदेशी

भाषाओं सहित योग्य गाइडों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सभी प्रयास करता है।

तथापि, न्यायालय के हाल ही के आदेश के अनुसार, गाइडों की नियुक्ति हेतु प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष अधिनियम/नियम, 1958 के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय को प्रदत्त शक्तियों की बिना किसी अधिकार क्षेत्र की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने इस हेतु अपील की है।

(ङ) और (च) वर्तमान में गाइडों के प्रशिक्षण हेतु कोई भी संस्थान विशेष रूप से विचाराधीन नहीं है।

विवरण

उपलब्ध भाषा गाइड

क्र. सं.	क्षेत्र	भाषाएं						
		चीनी	रूसी	कोरियन	जर्मन	जापानी	फ्रेंच	स्पेनिश
1.	उत्तर	19	19	03	145	95	210	120
2.	दक्षिण	शून्य	02	शून्य	27	05	46	02
3.	पूर्व	शून्य	03	12	10	25	14	10
4.	पश्चिम	1	03	शून्य	39	31	37	26
5.	उत्तर-पूर्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	20	27	15	221	156	307	158

कुल योग : 904 गाइड

स्रोत : भारत पर्यटन क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी।

रेलगाड़ियों का ठहराव

1877. **श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अगरतला-लमडिंग एक्सप्रेस, (रेलगाड़ी संख्या 5695/5696) अप और डाउन दोनों का भंगा में वाणिज्यिक ठहराव प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि कायलताली सहित पूर्वोत्तर सीमांत रेल के अंतर्गत करीमगंज और धर्मानगर के बीच के कई स्टेशनों पर यात्री रेलगाड़ियों के ठहराव को समाप्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय नागरिकों को अपने आवागमन तथा वस्तुओं के परिवहन में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर पुन: ठहराव प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। फिलहाल, भंगा में 5695/5696 अगरतला-लमडिंग एक्सप्रेस का ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) करीमगंज-धरमनगर सेक्शन पर दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां (एक दिन के समय तथा दूसरी रात्रि के दौरान) चलती हैं। एकमात्र रात्रिकालीन गाड़ी, अर्थात् 855/856 मनु-लमडिंग फास्ट पैसेंजर का कतिपय स्टेशनों से ठहराव टिकटों की अत्यधिक कम बिक्री के कारण समाप्त कर दिया गया है, जबकि दिन के समय चलने वाली गाड़ी, अर्थात् 863/864 अगरतला-सिल्चर पैसेंजर, उक्त सेक्शन के सभी स्टेशनों पर ठहरती है और समुचित रूप से यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

बहरहाल, वाणिज्यिक औचित्य के अभाव में कथालताली हाल्ट स्टेशन को 09-09-2002 से बंद कर दिया गया है।

विमानपत्तनों पर व्यापारिक केन्द्रों का उद्भव

1878. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी नए विमानपत्तनों को व्यापारिक केन्द्रों के रूप में बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान विमानपत्तनों को व्यापारिक केन्द्रों के रूप में बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय रुझानों की तर्ज पर तथा हवाईअड्डों पर गैर वैमानिक राजस्व में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा निजी हवाईअड्डा प्रचालकों ने ऐसे हवाईअड्डों के मौजूदा तथा प्रस्तावित हवाईअड्डा टर्मिनलों और सिटी साईड के इष्टतम वाणिज्यिक दोहन पर विशेष बल दिया है।

[हिन्दी]

उत्पादन हेतु तेल कंपनियों को कर छूट

1879. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री किरेन रिजीजू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून को नई अन्वेषण लाइसेन्स नीति (एन ई एल पी-7) की कोई नीलामी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन कंपनियों ने भाग लिया था तथा इसका परिणाम क्या निकला;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल तथा गैस लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को उनको उत्पादन हेतु कर छूट प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो कितनी कर छूट दिए जाने की संभावना है तथा कितने वर्षों तक यह छूट दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की कितनी हानि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली के लिए 57 ब्लाक प्रस्तुत किए थे उसमें से 44 विभिन्न कंपनियों को सौंपे गए थे। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के सातवें दौर (एन ई एल पी-VII) के सातवें दौर में भाग लेने वाली कंपनियों के नाम तथा ब्लाक सौंपी गई कंपनियों के नाम तथा ब्लाक सौंपी गई कंपनियां/परिसंघ के नाम क्रमशः विवरण-I और II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सभी संभावित बोलीदाताओं को स्पष्ट कर दिया गया था कि 27-6-2008 को जारी प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन पर सात वर्षीय आय कर छूट के संबंध में स्पष्टीकरण, जो संलग्न विवरण-III पर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए एन ई एल पी-VII के तहत अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।

(ङ) यह खोज के बाद वाणिज्यिक उत्पादन, यदि कोई हो, पर निर्भर करेगा जिसका अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता है।

विवरण-I

नई एलपी-VII में भाग लेने वाली कंपनियों के नाम

(I) विदेशी कंपनियों की सूची

क्र. सं.	कंपनी कोड	कंपनी का नाम	देश
1	2	3	4
1.	बीएचपीबीपी	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम (इंटरनेशनल एक्सप्लोरेटरी) पीटीवाई लिमिटेड	आस्ट्रेलिया

1	2	3	4
2.	सीईआईएल	कैर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई लिमिटेड	आस्ट्रेलिया
3.	एनईओएन	नियोम एनर्जी	आस्ट्रेलिया
4.	जीजीआर	ज्यो ग्लोबल रिसोर्सिस लिमिटेड	बारबोडास
5.	बीईएन 01	बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल इंक	कनाडा
6.	नाइको	नाइको रिसोर्सिस लिमिटेड	कनाडा
7.	पीओई	पैन ओरियन्ट एनर्जी	कनाडा
8.	नोबल	नोबल एनर्जी इंटरनेशनल लिमिटेड	केमैन द्वीप
9.	एसयूआईडब्ल्यूए	सुईवाह कॉर्पोरेशन बीएचडी	मलेशिया
10.	ईईएल	एस्सार एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन लिमिटेड	मॉरिशस
11.	एचएसएल	हॉल वर्दी शिपिंग लिमिटेड	पानामा
12.	एमईपीएल	मूनस्टोन एनर्जी पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर
13.	एसडब्ल्यूईपीएल	सिल्वर वेव एनर्जी पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर
14.	जीएसएमई	ग्लोबल सर्विसिस मिडल ईस्ट	संयुक्त अरब अमीरात
15.	बीपी (अल्फा)	बीपी एक्सपलोरेशन (अल्फा) लिमिटेड	यू.के.
16.	पर्ल	पर्ल ऑयल (थेरालाइट) लिमिटेड	यू.के.
17.	एसएएलएमए	सालामेंदर एनर्जी	यू.के.
18.	टीआईओएल	टुल्लो इंडिया आपरेशन लिमिटेड	यू.के.
19.	डीईएल	दीप एनर्जी, एलएलसी	यू.एस.ए.
20.	एचईपीओआई	हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक	यू.एस.ए.
21.	बीईआई	बंगाल एनर्जी इंक	कनाडा

(II) भारतीय कंपनियों की सूची

भारतीय कंपनियों में से प्रथम बार के बोलीदाता

क्र. सं.	कंपनी कोड	कंपनी का पूरा नाम
1	2	3
1.	एएपीएल	अरिहंत आर्केड प्राइवेट लिमिटेड
2.	एईआईपीएल	अम्बर एन्टरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3.	बीआरपीएल	भारत पेट्रोसोर्सिज लिमिटेड
4.	बीपीआरएल	भारत पेट्रो रिसोर्सिस लिमिटेड
5.	सीआरएल	कैर्न इंडिया लिमिटेड
6.	सीएमआई	कैम्बे मैरीन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
7.	डीईपी	दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8.	डीओजीएल	दिवा ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
9.	ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
10.	ईएनआरएल	ईपीटोम नेचुरल रिसोर्सिस लिमिटेड
11.	जीवीके	जीवीके इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
12.	एचसीजीडीएल	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटेशनल लिमिटेड
13.	एचडीआईएल	एचडीआईएल ऑयल एण्ड गैस
14.	एचआईपीएल	हर्ष इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
15.	एचएमईएल	एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड
16.	आईपीसीएल	इंटिग्रेटिड कोरिन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
17.	आईएमसी	आईएमसी लिमिटेड
18.	आईओबीएल	इमेक्यूलेट ऑयल ब्लाकस लिमिटेड
19.	जेसीसीपीएल	जसवंत लाल छोटे लाल एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
20.	जेईएल	जॉन एनर्जी लिमिटेड
21.	जेएचसीपीएल	जे पी हाइड्रोकार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	जेपीआईपीएल	जे पी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
23.	जेपीएल	जय हिन्द प्रोजेक्टस लिमिटेढ
24.	जेपीपीएल	जे पी पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
25.	केएफपीएल	कानवेल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
26.	एलईआरएल	लेशा एनर्जी रिसोर्सिस लिमिटेड
27.	एमआईईएल	मूननेट इस्पात एण्ड एनर्जी
28.	एनईओवीपीएल	नेपचुन एनर्जी एण्ड ऑयल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	ओएमकेएआर	ओमकार नेचुरल रिसोर्सिस प्राइवेट लिमिटेड
30.	पीईएन 01	पेनीनसुला हेटवेज प्राइवेट लिमिटेड
31.	पीओएनजीएल	प्रतिभा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
32.	पीआरआईएम	प्रीमेरा एनर्जी रिसोर्सिस लिमिटेड
33.	क्यूक्यूवीएस	क्विप्पो ऑयल एण्ड गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
34.	क्यूयूईएसटी	क्वेस्ट पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
35.	आरएसएल	राणा स्पोंज लिमिटेड
36.	आरटीई 01	आर टी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
37.	एसआईओजी2	सिनर्जी आयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड
38.	एसआईसीसीएल	सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
39.	एसईपीएल	सावला इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
40.	एसआरईआई	श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड
41.	एसआरपीएल	शिवा रिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
42.	यू2911	स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
43.	वीएईपीएल	वैक्ट्रा एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
44.	वीआईपीएल	वालडेल इन्वेस्टमैंट्स प्राइवेट लिमिटेड
45.	वीआईपीएल2	वैक्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
46.	वीओजीपीएल	वालडेल ऑयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड
47.	वीआरएल	वसुंधरा रिसोर्सिस लिमिटेड
48.	डब्ल्यूओईपीएल	विंडलास ऑयल एक्सपलोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
49.	जेडओओएम	ज़ूम डैवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
	एनईएलपी-VII में भाग लेने वाली अन्य भारतीय कंपनियां	
50.	एसीएल	असम कंपनी लिमिटेड
51.	एडब्ल्यूईएल	आदानी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड
52.	ईपीपीएल	एनसर्च पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
53.	गेल	गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
54.	जीईईसीएल	ग्रेट इस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
55.	जीएसपीसी	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
56.	एचएल	हीरामेक लिमिटेड
57.	एचओईसी	हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड
58.	एचपीसीएल	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
59.	आईओसी	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
60.	आईपीएल	इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड
61.	जेएल	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड

1	2	3
62.	जेईकेपीएल	जुबीलेंट एनर्जी (खरसांग) प्राइवेट लिमिटेड
63.	जेओडीपीएल	जुबीलेंट ऑफशोर ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड
64.	जेओजीपी	जुबीलेंट ऑयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड
65.	जेएसपीएल	जेएसपीएल ऑयल एण्ड नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
66.	एमपीपीएल	मरकेटर पेट्रोलियम
67.	एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
68.	ओआईएल	ऑयल इंडिया लिमिटेड
69.	ओएनजीसी	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
70.	ओसवाल	ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
71.	पीपीसीएल	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड
72.	आरआईएल	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
73.	टीपीएल	टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड
74.	वीआईएल	विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

विवरण-II

ब्लॉक प्रदान की गई कंपनियों की ब्लॉक-वार सूची

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	रैंकिंग	कंपनियां
1	2	3	4
1.	एमबी-डब्ल्यूएन-2005/2 एकल बोली	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
2.	एमबी-डब्ल्यूएन-2005/3 एकल बोली	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
3.	एमबी-डब्ल्यूएन-2005/4 एकल बोली	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
4.	एमबी-डब्ल्यूएन-2005/5 एकल बोली	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
5.	एमबी-डब्ल्यूएन-2005/7 एकल बोली	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
6.	एमबी-डब्ल्यूएन-2005/9 एकल बोली	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड
7.	केके-डब्ल्यूएन-2005/1	1	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल पीटवाई लिमिटेड-जीवीके इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड

1	2	3	4
8.	केके-डब्ल्यूएन-2005/2 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
9.	केजी-डब्ल्यूएन-2005/1	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
10.	केजी-डब्ल्यूएन-2005/2	1	बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड-रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
11.	एनएन-डब्ल्यूएन-2005/1 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-ऑयल इंडिया लिमिटेड
12.	एमबी-ओएसएन-2005/1	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
13.	एमबी-ओएसएन-2005/2	1	अदानी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड
14.	एमबी-ओएसएन-2005/3 एकल बोली	1	एस्सार एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन लिमिटेड-नोबल एनर्जी इंटरनेशनल लिमिटेड
15.	एमबी-ओएसएन-2005/5	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
16.	एमबी-ओएसएन-2005/6	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
17.	केजी-ओएसएन-2005/1	1	ओएनसीजी, जीएसपीसी एण्ड एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड
18.	केजी-ओएसएन-2005/2	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी लिमिटेड
19.	एए-ओएनएन-2005/1 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-ऑयल इंडिया लिमिटेड-असम कंपनी लिमिटेड
20.	पीए-ओएनएन-2005/1 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21.	पीए-ओएनएन-2005/2 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/2 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/3 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-ऑयल इंडिया लिमिटेड
25.	जीवी-ओएनएन-2005/3 एकल बोली	1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड

1	2	3	4
26.	एसआर-ओएनएन-2005/1 **एकल बोली**	1	**दीप एनर्जी एलआईसी, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड**, कानवेल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एण्ड सावला इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	वीएन-ओएनएन-2005/1 **एकल बोली**	1	**ज्यो ग्लोबल रिसोर्सिस (बारबोडास) इंक**
28.	वीएन-ओएनएन-2005/2 **एकल बोली**	1	**ज्यो ग्लोबल रिसोर्सिस (बारबोडास) इंक**
29.	आरजे-ओएनएन-2005/1	1	एचओईसी, बीपीआरएल, जेएसपीएल, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लि. एण्ड आईएमसी
30.	आरजे-ओएनएन-2005/2	1	ओआईएल, एचओईसी, एचपीसीएल एण्ड मित्तल एनर्जी लिमिटेड
31.	आरजे-ओएनएन-2005/3	1	जीएसपीसी एण्ड ओएनजीसी
32.	सीबी-ओएनएन-2005/1	1	**इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड**, मूनस्टोन एनर्जी पटीई लिमिटेड एण्ड एनसर्च
33.	सीबी-ओएनएन-2005/2	1	**इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
34.	सीबी-ओएनएन-2005/3	1	**मरकेटर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड**
35.	सीबी-ओएनएन-2005/4	1	**ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
36.	सीबी-ओएनएन-2005/5	1	**ओमकार नेचुरल रिसोर्सिज प्राइवेट लिमिटेड**
37.	सीबी-ओएनएन-2005/6	1	**ओमकार नेचुरल रिसोर्सिज प्राइवेट लिमिटेड**
38.	सीबी-ओएनएन-2005/7	1	**इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
39.	सीबी-ओएनएन-2005/8	1	**वसुंधरा रिसोर्सिज लिमिटेड**
40.	सीबी-ओएनएन-2005/9	1	**मरकेटर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड**
41.	सीबी-ओएनएन-2005/10	1	**ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**-गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
42.	सीबी-ओएनएन-2005/11	1	**क्वेस्ट पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, विप्पो ऑयल एण्ड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एण्ड प्राइमेरा एनर्जी रिसोर्सिज लिमिटेड
43.	पीआर-ओएनएन-2005/1	1	**ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**-टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड
44.	सीवाई-ओएनएन-2005/1	1	**गेल (इंडिया) लिमिटेड**, जीएसपीसी एण्ड बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल इंक

नोट—प्रचालक का नाम मोटे तौर पर निर्दिष्ट किया गया है।

विवरण-III

प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन पर 7 वर्ष तक आय कर में छूट के संबंध में स्पष्टीकरण

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तथा कोल बेड मीथेन (सीबीएम्) नीति के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार संभावित बोलीदाताओं को वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने से सात वर्ष की अवधि के लिए आयकर छूट का आश्वासन देता रहा है। तथापि, कुछ आयकर प्राधिकारियों ने आयकर अधिनियम में संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत शब्द "प्राकृतिक गैस" का विशिष्ट रूप से समावेश न किए जाने के कारण प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में उपर्युक्त राहत को अस्वीकार कर दिया है। यह मामला इस समय न्यायाधिकरणों तथा न्यायालयों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के सक्षम न्यायाधीन है।

एन ई एल पी-VII बोली दौर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना (एन आई ओ) जिसके लिए बोलियां 30 जून, 2008 को प्राप्त की जानी हैं तथा पेट्रोलियम कर गाइड, में भी पहले के बोली दौरों के समान ऐसा ही आश्वासन दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सात वर्ष के लिए आयकर राहत केवल "कच्चे तेल" के वाणिज्यिक उत्पादन पर ही मिलेगी। ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण को देखते हुए, एन ई एल पी-VII बोली दौर के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी एन आई ओ तथा पेट्रोलियम कर गाइड में आयकर से संबंधित प्रावधानों को तदनुसार पढ़ा जाए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह स्पष्ट करता है कि सभी संभावित बोलीदाता उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए एन ई एल पी-VII के अधीन अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।

मेहसाणा, गुजरात से तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन

1880. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में गुजरात के मेहसाणा जिले से दोहन किए गए तेल एवं गैस की लागत कितनी है;

(ख) सामुदायिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई तथा किस प्रयोजनार्थ जारी किया गया; और

(ग) पिछली तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सी एस आर के अंतर्गत जारी की गई धन राशि के संदर्भ में मेहसाणा जिले को सी एस आर के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) द्वारा मेहसाना जिले में निकाले गए तेल और प्राकृतिक गैस की लागत निम्नानुसार है:—

वर्ष	कच्चे तेल की लागत (रुपए प्रति एम टी)	प्राकृतिक गैस की लागत (रुपए प्रति 1000 घन मीटर)
2005-06	4993 रुपए	2161 रुपए
2006-07	6727 रुपए	2599 रुपए
2007-08	8057 रुपए	3430 रुपए

(ख) उद्देश्य सहित समुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत ओ एन जी सी कि मेहसाना कार्य केन्द्र में निर्गत निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(लाख रुपये)

उद्देश्य	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षा	12.24	40.85	45.07
स्वास्थ्य की देखभाल	6.40	9.89	6.07
सामुदायिक विकास	19.04	3.00	5.76
खेल कूद और संस्कृति	0.80	2.50	शून्य
आपदा, मुख्यालय और स्वीकृति और अन्य	33.89	13.76	22.48
(क) उप योग	72.37	60.00	71.38
(ख) वार्षिक संघटक योजना	5.00	5.00	6.00
(ग) संरचना विकास अर्थात पहुंच मार्ग	40.89	46.82	193.80
(क)+(ख)+(ग) कुल योग	190.63	181.82	350.6

(ग) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में सी एस आर के अंतर्गत निर्गत निधियों के साथ पिछले 3 वर्षों के लिए सी एस आर के अंतर्गत निर्गत निधियों की प्रतिशतता निम्नानुसार है:—

वर्ष	ओ एन जी सी द्वारा सी एस आर पर किए गए कुल खर्च के संदर्भ में निधियों की प्रतिशतता
2004-05	4.28%
2005-06	5.77%
2006-07	9.88%

सुलभ इंटरनेशनल

1881. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा सिल पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व:रोजगार योजना के अंतर्गत सुलभ इंटरनेशनल को तथा अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी योजनाओं के लिए पृथक-पृथक कितनी सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इस सहायता के किए गए कार्यों की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) प्रदान की गई धनराशि का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने संबंधी क्या उपबंध है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व:रोजगार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन (एसआईएसएसओ) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएससीएफडीसी) को 50.53 लाख रुपए संवितरित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष है और यह मार्च, 2009 में पूरी हो जाएगी। सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व:रोजगार योजना के अंतर्गत एसआईएसएसओ द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और आरएससीएफडीसी द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति विकास (अनुसंधान और प्रशिक्षण) हेतु अखिल भारतीय अथवा अंतर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को समर्थन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, नई दिल्ली में 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2007 तक "विश्व शौचालय शीर्ष-सम्मेलन" के बारे में चार दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए एसआईएसएसओ को 5 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया। एसआईएसएसओ ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

निधियों का समुचित उपयोग, उपयोगिता प्रमाणपत्र जो अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन में ओ.एन.जी.सी. द्वारा अन्वेषण

1882. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) के कावेरी बेसिन के गहरे जल ब्लाक में पेट्रोलियम का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में विमानपत्तन

1883. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु विमानपत्तनवार कितनी धनराशि प्रस्तावित है तथा कितनी जारी की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई मुख्य योजनाओं (हवाईअड्डा का नाम, स्कीम का नाम, प्रस्तावित राशि, सितम्बर, 2008 तक खर्च की गई राशि तथा हुई प्रगति) का ब्यौरा क्रमानुसार निम्न प्रकार है:-

कोडप्पा :- एटीआर 72 प्रकार के विमानों के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण जिसमें रनवे, लिंक टैक्सी वे, एप्रैन, फायर स्टेशन व नियंत्रण टावर श्रेणी V, चारदीवारी, नये ट्रर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबंधित कार्य शामिल हैं। इस कार्य की प्रस्तावित राशि 5 करोड़ रुपये तथा सितम्बर, 2008 तक खर्च की गई राशि एक करोड़ रुपये है। रनवे कार्य प्रगति पर है।

राजामुंदरी :- नये टर्मिनल भवन, कार पार्क, एप्रोच रोड आदि का निर्माण कार्य है। इस कार्य की प्रस्तावित राशि 12.10 करोड़ रुपये तथा सितम्बर, 2008 तक खर्च की गई राशि 0.00 रुपये है। कार्य प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

विशाखापत्तनम :- नये समेकित टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य है। इस कार्य की प्रस्तावित राशि 75 करोड़ रुपये तथा सितम्बर, 2008 तक खर्च की गई राशि 52.44 करोड़ रुपये है। कार्य प्रगति पर है।

विजयवाड़ा :- उपलब्ध भूमि में ए-320 प्रकार के विमानों के लिए रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार कार्य तथा सम्बद्ध कार्य, नये टर्मिनल भवन परिसर, कार पार्क, एप्रोच रोड इत्यादि का निर्माण कार्य है। इस कार्य की प्रस्तावित राशि 34.27 करोड़ रुपये तथा सितम्बर, 2008 तक खर्च की गई राशि 0.00 रुपये है। कार्य प्रगति पर है/आरंभिक अवस्था में है।

मनमाड़-सेंधवा-इंदौर रेल लाइन

1884. **श्री प्रतीक पी. पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड़-सेंधवर-इंदौर मार्ग पर प्रस्तावित रेल लाइन का व्यवहार्यता सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) मनमाड-इंदौर नई लाइन (350 कि.मी) के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण मार्च 2004 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस नई लाइन की लागत 1001.20 करोड़ रु. आंकी गई थी जिसकी प्रतिफल की दर 7% थी। रेलवे से मौजूदा कीमतों के आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। यह लाइन स्वीकृत परियोजना नहीं है।

दिल्ली राउरकेला के बीच रेलगाड़ी

1885. **श्री जुएल ओराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का दिल्ली और राउरकेला के बीच रेल सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है जो कि बरास्ता रांची होगी तथा इलाहाबाद और वाराणसी से जुड़ी होगी; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशन का विकास

1886. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए चीन से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्टेशनों की पहचान

की गई है तथा दक्षिण रेलवे के अंतर्गत स्टेशनों सहित इन्हें कब तक विकसित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विभिन्न स्टेशनों पर उसकी अप्रयुक्त सरप्लस भूमि पर सिनेमा हाल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भारतीय रेल ने भुवनेश्वर और बैय्यप्पानहली (बेंगलुरू के समीप) स्टेशनों को विश्व श्रेणी के स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु डिजाइन तैयार करने के लिए चीनी रेलवे विशेषज्ञों से अनुरोध किया है। विश्व श्रेणी के स्टेशनों के रूप में उनके विकास के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दक्षिण रेलवे के किसी भी स्टेशन का चीनी रेलवे की सहायता के माध्यम से विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई यात्री रेलगाड़ियों हेतु समय-सारणी का निर्धारण

1887. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई यात्री रेलगाड़ियों हेतु समय सारणी निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव इस समय रेलवे की समय-सारणी समिति के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के रेल बजट में घोषित सभी यात्री रेलगाड़ियां आरंभ कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परिचय

क्रम सं.	गाड़ी संख्या	रेलवे	से	तक	प्रकृति	फेरें
1	2	3	4	5	6	7
1.	2255/2256	दपरे	यशवंतपुर	पुदुचेरी	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
2.	1401ए/1402ए	मरे	बल्हारशाह	मुंबई	लिंक एक्सप्रेस	दैनिक
3.	2233/2234	उरे	लखनऊ	दिल्ली	एसी एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
4.	2931/2932	परे	अहमदाबाद	मुंबई	एसी एक्सप्रेस	साप्ताहिक
5.	2741/2742	दपरे	वास्को-डि-गामा	पटना	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
6.	273/274	परे	अहमदाबाद	पाटन	पैसेंजर	दैनिक
7.	2113/2114	मरे	पुणे	नागपुर	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
8.	2187/2188	पमरे	जबलपुर	मुंबई	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन

1	2	3	4	5	6	7
9.	2983/2984	उपरे	जयपुर	चंडीगढ़	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
10.	2213/2214	उरे	वाराणसी	दिल्ली	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
11.	2257/2258	दरे	बंगलुरू	कोचुवेली	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
12.	2877/2878	दपूरे	रांची	नई दिल्ली	गरीब रथ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
13.	5107/5108	उमरे	मथुरा	छपरा	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
14.	2447ए/2448ए	उमरे	खजुराहो	दिल्ली	लिंक एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
15.	4019/4020	उरे	राधिकापुर	आनंद विहार	एक्सप्रेस	साप्तहिक
16.	4019ए/4020ए	पूसीरे	दिल्ली	जोगबनी	लिंक एक्सप्रेस	साप्तहिक
17.	8415/8416	पूतरे	केंदुझारगढ	पुरी	एक्सप्रेस	दैनिक
18.	8419/8420	पूतरे	पुरी	दरभंगा	एक्सप्रेस	साप्तहिक
19.	8413/8414	पूतरे	पारादीप	भुवनेश्वर	एक्सप्रेस	दैनिक
20.	3415/3416	पूरे	मालदा टाउन	पटना	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
21.	2389/2390	पूमरे	गया	चेन्नै	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
22.	8603/8604	दपूरे	रांची	भागलपुर	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
23.	5619/5620	पूसीरे	कामख्या	गया	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
24.	2981/2982	उपरे	उदयपुर	दिल्ली	चेतक एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
25.	5927/5928	पूसीरे	न्यू डिब्रुगढ़ टाउन	कामख्या	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
26.	5901/5902	पूसीरे	न्यू डिब्रुगढ़ टाउन	यशवंतपुर	एक्सप्रेस	साताहिक
27.	2879/2880	पूतरे	भुवनेश्वर	मुंबई	सुपरफास्ट	सप्ताह में दो दिन
28.	2361/2362	पूरे	आसनसोल	मुंबई	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
29.	5667/5668	पूसीरे	कामख्या	गांधी धाम	एक्सप्रेस	साप्तहिक
30.	7211/7212	दमरे	मछलीपटनम	यशवंतपुर	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन
31.	8613/8614	दपूरे	रांची	चोपान	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन

1	2	3	4	5	6	7
32.	2287/2288	दरे	कोचुवेली	देहरादून	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
33.	2483/2484	उरे	अमृतसर	कोचुवेली	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
34.	3113/3114	पूरे	कोलकाता	मुर्शिदाबाद	हजार दौरी एक्सप्रेस	दैनिक
35.	4259/4260	उरे	वाराणसी	रामेश्वरम	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
36.	6853/6584	दरे	चेन्नै	तिरूचचिरापल्ली	एक्सप्रेस	दैनिक
37.	6735/6736	दरे	चेन्नै एग्मोर	तिरूचेंदूर	एक्सप्रेस	साप्ताहिक
38.		दरे	विल्लुपुरम	मयिलादुतुरै	पैसेंजर	दैनिक
39.	6775/6776	दरे	चेन्नै एग्मोर	नागोर	एक्सप्रेस	दैनिक
40.	8495/8496	पूतरे	भुवनेश्वर	रामेश्वरम	एक्सप्रेस	साप्ताहिक

विस्तार

क्रम सं.	गाड़ी संख्या	रेलवे	से	तक	प्रकृति	फेरें
1.	3240/3239	उरे	मथुरा	लखनऊ	एक्प्रेस	पटना
2.	6733/6734	दरे	मदुरै	मनमाड़	एक्सप्रेस	ओखा/रामेश्वरम
3.	8311/8312	दपूरे	वाराणसी	रांची	एक्सप्रेस	संबलपुर
4.	356/357	दपरे	धारवाड़	गदग	पैसेंजर	बीजापुर
5.	2409/2410	उरे	निजामुद्दीन	बिलासपुर	गौंडवाना एक्सप्रेस	रायगढ़
6.	571/572	दरे	बंगलुरू	सेलम	पैसेंजर	नागोर

फेरों में वृद्धि:

क्रम सं.	गाड़ी संख्या	रेलवे	से	तक	प्रकृति	फेरें	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2431/2432	उरे	निजामुद्दीन	तिरूवंतपुरम	राजधानी एक्सप्रेस	सप्ताह में दो दिन	सप्ताह में तीन दिन

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2151/2152	मरे	लोकमान्य तिलक (ट)	हावड़ा	समरसता एक्सप्रेस	साप्ताहिक	सप्ताह में दो दिन
3.	2449/2450	उरे	निजामुद्दीन	मडगांव	गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस	साप्ताहिक	सप्ताह में दो दिन
4.	2203/2204	उरे	अमृतसर	सहरसा	गरीब रथ	सप्ताह में दो दिन	सप्ताह में तीन दिन
5.	3403/3404	दपूरे	रांची	भागलपुर	वनांचल एक्सप्रेस	पांच दिन	दैनिक
6.	5109/5110	पूर्वो.रेलवे	वाराणसी	राजगीर	एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन दिन	दैनिक
7.	2421/2422	उरे	भुवनेश्वर	नई दिल्ली	राजधानी एक्सप्रेस	सप्ताह में दो दिन	सप्ताह में तीन दिन

पालेज रेलवे स्टेशन का उन्नयन

1888. **श्री मनसुखभाई डी वसावा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भरूच और वडोदरा के बीच पालेज रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने तथा उसके उन्नयन पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पालेज रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन किए जाने की योजना बनाई गई है। इसमें पेयजल की व्यवस्था, शौचालय सुविधाएं तथा बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था किया जाना शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरो-IV मानक पेट्रोल

1889. **श्री हंसराज गं. अहीर :**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) द्वारा यूरो-IV मानक पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ स्वदेशी तकनीक प्रयोग की जा रही है;

(ग) यूरो-IV मानक पेट्रोल का उत्पादन कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यूरो-IV मानक पेट्रोल का किस प्रकार से वितरण तथा विपणन किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), विभिन्न संसाधन लाइसेंसधारकों से प्रौद्योगिकी आयात करते हुए 1.4.2010 तक यूरो-IV पेट्रोल के उत्पादन हेतु, अपनी मुंबई और विशाख दोनों रिफाइनरियों में रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

1.4.2010 से देश में यूरो IV मानक वाले पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल सहित, उद्योग के सदस्य शामिल प्रचालनीय और संभारतंत्रीय मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तन

1890. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तन बहुत छोटे हैं तथा वहां केवल छोटे और हल्के विमानों के उतरने की सुविधा है, जिनकी यात्रा महंगी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के विमानपत्तनों का विस्तार करने का है ताकि वहां मध्यम आकार के विमान भी उतर सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भूभाग की स्थितियों के कारण और इकाओ अपेक्षाओं के अनुसार, उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में मध्यम आकार के विमानों के प्रचालन के लिए हवाईअड्डों का विस्तार करना संभव नहीं है। हालांकि, इकाओ अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता होने पर हिमाचल प्रदेश में हवाईअड्डों को व्यवहार्य सीमा तक आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि एटीआर प्रकार के विमानों का बिना किसी लोड पेनल्टी के प्रचालन किया जा सके।

[अनुवाद]

विकलांगों की समस्याएं

1891. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विकलांग यात्रियों से उचित सुविधाओं के अभाव के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों की प्रकृति किस प्रकार की है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों विशेषकर व्हील चेयर पर निर्भर यात्रियों के लिए कोई विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित जांच की जाती है और उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) अशक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुसरण में, सभी 'ए-1' और 'ए' कोटि के स्टेशनों को मानक रैम्प, पार्किंग क्षेत्र, गैर-स्लीपरी पैदल मार्ग, साइनेज, शौचालय, पानी के नल, ''मैं आई हैल्प यू'' बूथ और व्हील कुर्सियां मुहैया कराई गई हैं। 'बी' कोटि के स्टेशनों पर मार्च 2009 तक इन सुविधाओं को पूरा किए जाने की योजना है।

रेलवे ने अंतर-प्लेटफार्म स्थानांतरण को सुकर बनाने हेतु व्हील कुर्सियों में अशक्त व्यक्तियों के लिए प्लेटफार्मों के अंत में उपलब्ध पैदलमार्गों के उपयोग के जरिए अंतर-प्लेटफार्म स्थानांतरण की सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाई है। रेलवे 26 से ऊपर मुख्य और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जिनकी विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकास हेतु पहचान की गई है, में लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था के जरिए स्टेशनों पर निर्बाध बैरियर मुक्त पहुंच मुहैया कराने की भी योजना बना रही है।

भारतीय रेलवे व्हील कुर्सी प्रयोग करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अलग डिब्बे वाले कतिपय यात्री सवारी डिब्बों का उत्पादन कर रही है। इन कम्पार्टमेंटों में सुविधाएं जैसे चौड़े प्रवेश दरवाजे, व्हील कुर्सी के आसान संचलन वाले चौड़े रेल और नी प्लेस, ऐसे यात्रियों की आवश्यकतानुसार शौचालय, यात्रा के दौरान व्हील कुर्सी सुरक्षित करने हेतु व्यवस्थाएं आदि सुविधाएं शामिल हैं।

गुजरात में जनजातीय लोगों को केरोसिन का आबंटन

1892. श्री वसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों के कितने प्रतिशत लोगों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ख) सरकार का किस तरीके से गुजरात के विशेषकर दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों के सभी जनजातीय लोगों को केरोसिन प्रदान करना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने सूचित किया है कि वे गुजरात राज्य समेत देश के जनजातीय के कितने परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन है, इनके आंकड़े नहीं रखती हैं।

तथापि, दिनांक 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार ओ एम सीज गुजरात राज्यों में 541 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन कर रही हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के द्वारा ओ एम सीज लगभग 54.19 लाख एल पी जी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती हैं, जो गुजरात राज्य की आबादी का 50.22% है।

(ख) मिट्टी तेल (एस के ओ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के द्वारा वितरण किए जा रहे वस्तुओं में एक है। पी डी एस एस के ओ का आबंटन भारत सरकार द्वारा केवल खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था करने के लिए पी डी एस के तहत वितरण करने के लिए तिमाही आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यू टीज) को आबंटित किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पी डी एस नेटवर्क के द्वारा वितरण करना संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का दायित्व है।

[हिन्दी]

आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में पालनपुर

1893. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पालनपुर को एक आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रेलवे स्टेशन पर अब तक एक आदर्श स्टेशन की सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. आर. वेलु) : (क) पालनपुर रेलवे स्टेशन पर उन्नत यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयोजन से उसकी आदर्श स्टेशन के रूप में पहले ही पहचान की गई है और इस संबंध में अनुदेश 29.05.2006 को जारी किए गए थे।

(ख) आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत पालनपुर स्टेशन पर निम्नलिखित यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं:—

विश्राम कक्ष, क्लॉक रूम, पूछताछ काउंटर, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली, जन उद्घोषणा प्रणाली, बुक स्टॉल, जलपान गृह, इलैक्ट्रॉनिक गाड़ी संकेतक बोर्ड, सार्वजनिक फोन, टच स्क्रीन पूछताछ प्रणाली, वाटर कूलर, खानपान स्टॉल, पे और यूज शौचालयों और शिकायतों का कंप्यूटरीकरण कराना।

इस स्टेशन पर 31 दिसंबर, 2009 तक पूरा करने हेतु निम्नलिखित यात्री सुविधाओं की योजना बनाई गई हैं:—

बार्थिंग सुविधा सहित प्रतीक्षा कक्ष (उच्चतर और दूसरी श्रेणी), राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली, लाइटों सहित पार्किंग/परिचलन क्षेत्र, स्वचालित टिकटिंग मशीनों और स्वचालित वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.एम.यू. सेवाएं

1894. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की दक्षिणी राज्यों में इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ई एम यू) के परिचालन की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली की तर्ज पर दक्षिणी राज्यों में ई एम यू के परिचालन की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे उन रेलवे स्टेशनों को बसों से जोड़ने का मामला केरल परिवहन विभाग के साथ उठाएगी जहां इस समय रेलवे स्टेशनों के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) चेन्नै सेंट्रल-सुल्लुरूपेटा, चेन्नै सेंट्रल-अरकोणाम्, चेन्नै बीच-चेंगलपट्टू और चेन्नै बीच-वेलाचेरी खंडों पर बिजली गाड़ी (ई एम यू) सेवाएं उपलब्ध हैं। आनलाइन 63 रेकों के साथ चेन्नै उपनगरों में 651 ई एम यू गाड़ियां चल रही हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में बिजली गाड़ी

(ई एम यू) सेवाओं का विस्तार अन्य खंडों पर करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) केरल क्षेत्र के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन प्रत्यक्ष रूप से सड़क परिवहन से जुड़े हुए हैं। जब कभी कोई नई मांग उत्पन्न होगी तो इस संबंध में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

बड़ी रेल लाइनों से जुड़े राजस्थान के जिले

1895. **श्री सुभाष महरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राजस्थान के कितने जिलों को बड़ी रेल लाइनों से जोड़ा गया है;

(ख) राजस्थान के शेष जिलों को कब तक बड़ी लाइनों से जोड़ दिए जाने की संभावना है; और

(ग) कुल कितने जिले बड़ी लाइनों से जुड़े हुए हैं तथा कितने जिलों को अब तक बड़ी लाइनों से जोड़ा नहीं जा सका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेल द्वारा विभिन्न जिलों को जोड़ने की कोई नीति नहीं है।

खिजिदिया-अमरेली-वेरावल रेलवे स्टेशन

1896. **श्री वी.के. ठुम्मर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के खिजिदिया-अमरेली-वेरावल खण्ड अब भी आधुनिक रेल सुविधाओं से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खण्ड को बड़ी लाइन के रूप में परिवर्तित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। इस खंड पर सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशनों की श्रेणी के आधार पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं। इसके अलावा, स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार/अपग्रेडेशन एक सतत् प्रक्रिया है और ये यात्री यातायात में वृद्धि तथा अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर आवश्यक होने पर उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) इस खंड का आमान परिवर्तन कार्य अभी स्वीकृति नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रिंग रेलवे, दिल्ली को नया रूप प्रदान करना

1897. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रिंग रेलवे, दिल्ली में यात्रियों की कम संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपर्याप्त परिवहन प्रणाली तथा दिल्ली में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर रेलवे को रिंग रेलवे की बढ़ती मांग की जानकारी है;

(ग) क्या रिंग रेलवे को नया रूप प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रिंग रेलवे, दिल्ली पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अप्रैल से अक्टूबर 2008 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में बढ़ी है।

(ख) सेवा के लिए मांग की समीक्षा और सहायक परिवहन प्रणाली के साथ उनकी अंतःक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान मांग बढ़ने की संभावना है।

(ग) और (घ) बड़ी गाड़ियों को जगह देने के लिए प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने की योजना है।

(ङ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए इन्हें यथासमय क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

एटीएफ के मूल्यों में वृद्धि

1898. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आम आदमी विमान यात्रा को वरीयता नहीं दे रहा है और ईंधन के बढ़ते मूल्यों के कारण विमान यात्रियों की संख्या भी कम होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) एक अविनियमित उत्पाद है। एटीएफ के मूल्य संशोधनों को जेट ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक कारणों से निर्धारित किया जाता है। पहले कीमतों में संशोधन मासिक आधार पर किया जाता था लेकिन अब इन कीमतों में पाक्षिक आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटा-बढ़ी के अनुसार, या तो बढ़ाकर या कम करके संशोधन किया जाता है। इस समय एटीएफ की कीमत अगस्त, 2008 के उच्चतम स्तर से लगभग 50 प्रतिशत नीचे आ गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। जनवरी से अक्तूबर, 2008 तक अंतर्देशीय एअरलाईनों द्वारा वहन किए गए यात्रियों की संख्या, वर्ष 2007 की इसी अवधि में 353.67 लाख की तुलना में घटकर, 346.81 लाख रह गई है। अंतर्देशीय एअरलाइनों ने अक्तूबर, 2007 में वहन किए गए 36.01 लाख यात्रियों की तुलना में अक्तूबर, 2008 में 31.80 लाख यात्रियों का ही वहन किया। एटीएफ एअरलाइनों की प्रचालनिक लागत का एक अहम हिस्सा है। एअरलाइनों ने एटीएफ की कीमतों में वृद्धि की वजह से किरायों में वृद्धि की थी। अब, एटीएफ की घटती कीमतों की वजह से एअरलाइनों ने किराए घटाने शुरू कर दिए हैं। तथापि, यात्री यातायात भी अर्थव्यवस्था की वैश्विक वित्तीय गिरावट की वजह से प्रभावित हो रहा है।

लिच्छवी एक्सप्रेस

1899. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लिच्छवी एक्सप्रेस का नई दिल्ली से दरभंगा तक विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 4005/4006 नई दिल्ली-समस्तीपुर लिच्छवी एक्सप्रेस का विस्तार दरभंगा के रास्ते सीतामढ़ी तक 4.11.2008 से पहले ही कर दिया गया है।

[अनुवाद]

ग्यारेहल्ली गांव (कर्नाटक) के निकट रेलवे द्वारों की बहाली

1900. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिला के होलालकेरे तालुक के ग्यारेहल्ली गांव के मौजूदा रेलवे द्वार की बहाली के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.आई.एल. और लीबिया के राष्ट्रीय तेल निगम के बीच समझौता

1901. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने तेल अन्वेषण के लिए लीबिया के राष्ट्रीय तेल निगम के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और अन्वेषण ब्लाकों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एवं इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) परिसंघ ने लीबिया में तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए लीबिया की राष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ 3 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं (पीएससीज) निष्पादित की हैं जो विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	क्षेत्रफल	अन्वेषण समयावधि	परिसंघ
1.	क्षेत्रफल-86, लीबिया	7,087 वर्ग कि.मी. (सिर्ते बेसिन)	31.03.2005 से 30.03.2010	ओआईएल (50%-प्रचालक) और आईओसी (50%)
2.	102/4, लीबिया	2,710 वर्ग कि.मी. (सिर्ते बेसिन)	10.12.2005 से 9.12.2010	ओआईएल (50%-प्रचालक) और आईओसी (50%)
3.	क्षेत्रफल 95/96 (4 ब्लाक) लीबिया	6,629 वर्ग कि.मी. घडेम्म बेसिन	मई, 2008 से अप्रैल, 2003	सोनाट्रेक (50% प्रचालक) ओआईएल (25%) और आईओसी (25%)

सिद्धगंगा मठ पर सड़क उपरिपुल

1902. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का सिद्धगंगा मठ पर एक सड़क उपरिपुल (आरओबी) का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में सी एन जी बिक्री केन्द्र खोले जाना

1903. श्री गिरिधारी यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में कितने सी एन जी बिक्री केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या अभी तक खोले गए बिक्री केन्द्र इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए गए लक्ष्य से अभी भी कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) वर्तमान में बिहार में कोई सी एन जी खुदरा बिक्री केन्द्र काम नहीं कर रहा है। प्राकृतिक गैस ले जाने वाली कोई ट्रंक पाइपलाइन बिहार में नहीं है।

बिहार सहित देश में विभिन्न राज्यों में सी एन जी ढांचे का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। सी एन जी सुविधाएं उपलब्ध कराना गैस की उपलब्धता, आवश्यक ढांचे की स्थापना करने और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। देशभर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और शहरी/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" बनाया है और "प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कस के विकास के लिए नीति" अधिसूचित की है।

[अनुवाद]

पुरी-केन्दूझारगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन

1904. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृत की गई नई पुरी-केन्दूझारगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन कब तक शुरू की जाएगी;

(ख) क्या इस ट्रेन का कटक में कोई ठहराव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे इस ट्रेन को कटक के रास्ते चलाने और इस ट्रेन का पहले बारबिल तक विस्तार करने और तत्पश्चात् टाटानगर तक चलाने पर विचार करेगा;

(घ) क्या रेलवे का बारबिल और क्योनझारगढ़ के रास्ते हावड़ा और पुरी के बीच एक सीधी ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अनुरोध की जांच करने और इस पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) चालू वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अर्थात् 31.03.2009 तक केन्दुझारगढ़ तथा पुरी के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी प्रारम्भ करने के लिए रेल बजट 2008-09 में घोषणा की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर एकीकृत रनवे प्रेक्षण प्रणाली की स्थापना

1905. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री पंकज चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर एकीकृत रनवे प्रेक्षण प्रणाली की स्थापना करने का है ताकि मौसम की बेहतर भविष्यवाणी की जा सके और उड़ान में विलम्ब को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन विमानपत्तनों पर उक्त प्रणाली की स्थापना पहले किए जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रणाली की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत मौसम विज्ञान विभाग की आधुनिकीकरण योजना के अधीन, चरणबद्ध रूप में समेकित स्वचालित विमानन मौसम विज्ञान उपकरण प्रणाली (आईएएमएस) संस्थापित करने की योजना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 8 हवाईअड्डों अर्थात मुम्बई, दिल्ली, चैन्नई, गुवाहाटी, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद (नया) और बंगलौर (नया) हवाईअड्डों पर समेकित स्वचालित विमानन मौसम विज्ञान उपकरण प्रणाली संस्थापित करने की प्रक्रिया में है। पांच हवाईअड्डों अर्थात्, दिल्ली, मुम्बई, जयपुर, हैदराबाद और बंगलौर हवाईअड्डों पर समेकित स्वचालित विमानन मौसम विज्ञान उपकरण प्रणाली संस्थापन का कार्य पूरा हो गया है तथा शेष 3 हवाईअड्डों अर्थात अमृतसर, चैन्नई और गुवाहाटी हवाईअड्डों पर यह कार्य प्रगति पर है। एक हवाईअड्डे के लिए समेकित स्वचालित विमानन मौसम विज्ञान उपकरण प्रणाली संस्थापन प्रणली की लागत प्रति प्रणाली 1.5 करोड़ रुपये (अनुमानित) है।

रेलवे कियोस्क

1906. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केवल चार कंपनियां 80 प्रतिशत रेलवे कियोस्क चला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक कंपनी को कितने कियोस्क आबंटित किए गए हैं;

(घ) क्या अपने मौजूदा स्टालों/बिक्री लाइसेंसों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करने वाले बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी/वेंडर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में रेलवे ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भारतीय रेल में प्रत्येक लाईसेंस धारकों को आबंटित तथा शुरू की गई स्वचालित वेंडिंग मशीनों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे जोन वार संचालित स्वचालित वेंडिंग मशीनें

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	एमालगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग क.लि.	बालन नैचुरल इंटरनल फूड (प्र.) लि.	देवयानी इंटरनल लि.	हल्दीराम फूड इंटरनेशनल लि.	हिन्दुस्तान कोका कोला बिवरेज (प्र.) लि. सीसीबीपीएम	हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि.	नेसले इंडिया लि.	पेपसी फूड प्र.लि.	सूर्या फूड एंड एग्रो प्र.लि.	श्री आदिटिवस (फर्मा एंड प्र.लि.)	टाटा कॉफी लि.	कुल
1.	दक्षिण मध्य रेलवे	11	69	—	1	—	—	—	—	9	—	—	90
2.	दक्षिण रेलवे	26	17	—	—	—	—	16	—	90	—	—	149
3.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	23	6	—	—	—	26	6	—	—	—	—	61
4.	उत्तर रेलवे	—	3	5	3	20	—	—	—	—	3	—	34
5.	पूर्वोत्तर रेलवे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
6.	उत्तर मध्य रेलवे	—	2	—	—	16	—	—	—	43	—	—	61
7.	उत्तर पश्चिम रेलवे	40	27	—	—	—	—	—	—	19	—	—	46
8.	मध्य रेलवे	24	12	—	—	—	—	6	—	18	—	—	76
9.	पश्चिम रेलवे	2	2	—	—	—	—	7	—	4	—	—	37
10.	पश्चिम मध्य रेलवे	—	—	—	10	—	—	32	—	—	—	—	44
11.	पूर्वोत्तर रेलवे	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5
12.	पूर्व मध्य रेलवे	—	34	—	—	—	—	9	—	15	—	—	58
13.	पूर्व रेलवे	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
14.	दक्षिण पूर्व रेलवे	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5
15.	पूर्व तट रेलवे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
16.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	—	2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10
	कुल	126	174	5	14	36	26	95	0	198	3	0	677

नोट: मैसर्स एफएक्सीएल को आबंटित की गई 11 अदद स्वचालित वेंडिंग मशीनें रद्द कर दी गई हैं (दक्षिण रेलवे)

आईओसी के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री

1907. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारतीय तेल निगम (आईओसी) के बीच आंध्र प्रदेश देश भर में अपने इंडेन गैस बिक्री केन्द्रों और पेट्रोल पंपों के माध्यम से रेल टिकटें बेचने के लिए कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पंपों के माध्यम से टिकटों की बिक्री शुरू की गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके कब तक प्रचालन शुरू करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय तेल निगम के 657 निर्गम केन्द्रों का पंजीकरण किया गया है जिनमें से 34 आंध्र प्रदेश राज्य में है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गौतमी एक्सप्रेस में अग्नि कांड

1908. **श्रीमती जयाप्रदा :**
श्री मो. ताहिर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल एन. पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में वारंगल के निकट सिकंदराबाद-काकीनाडा गौतमी एक्सप्रेस में आग लग जाने के कारण बड़ी संख्या में यात्री जिंदा जल गए थे, जैसा कि हाल ही में सभी समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हुई मौतों का ब्यौरा क्या है और क्या इस दुर्घटना का कारण जानने के लिए कोई आरंभिक जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग)

(i) गौमती एक्सप्रेस में अग्निकांड के कारण 1.8.08 को 31 यात्रियों की मृत्यु हुई थी।

(i) रेल सुरक्षा आयुक्त, सिकंदराबाद ने अग्निकांड के कारणों की सांविधिक जांच की है। उन्होंने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी दी है:

(1) केसमुद्रम-तडालापुसालापल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच काजीपेट-विजयवाड़ा दोहरी लाइन पर गाड़ी नं. 2738 गौमती एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों में आग किसी अंजान अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ (द्रव्य अथवा ठोस रूप से) जिसे कोच एस-10 में किन्हीं अंजान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा गाड़ी के 75 किमी प्रति घंटा की गति पर चलाने के दौरान रखा गया, के कारण लगी प्रतीत होती है। यह आग नेकोंडा में फर्श तल से प्रारंभ हुई प्रतीत होती है।

(2) यह दुर्घटना "रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों की गलती" कोटि के अंतर्गत आती है।

(iii) सरकारी रेलवे पुलिस/बारंगल ने भी दिनांक 1.8.08 के अपराध प्रक्रिया संहिता के दौरान 174 और सी.आर. सं. 191/2008, दुर्घटनावश अग्निकांड-वर्गीकरण के अंतर्गत दर्ज किया है। इसकी जांच उप अधीक्षक, रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है।

(घ)
- गाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री और खतरनाक वस्तुएं ले जाने के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं और रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है।
- गाड़ियों में धूम्रपान की नियमित जांच की जाती है और रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की

धारा 167 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है।

- रेलवे किसी दुर्घटना के मामले में आग बुझाने के लिए सबसे पिछले द्वितीय श्रेणी लगेज वैन और वातानुकूलित सवारी डिब्बों में गार्ड के प्रभाराधीन अग्निशामक की व्यवस्था कर रही है।
- गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने के लिए यात्रियों को मेगा फोन और जन उद्घोषणा के माध्यम से जानकारी दी जा रही है/शिक्षित किया जा रहा है।
- गाड़ियों में परिवहन के लिए बुक किए गए दोपहिया वाहनों की औचक जांच की जाती है और वाहनों में पेट्रोल पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।
- जब कभी चलती गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मिलती है तो ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए सभी गाड़ियों में मार्गरक्षी कर्मचारी और स्टेशन ड्यूटी कर्मचारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे निकटतम फायर सर्विस स्टेशन को सूचित करें।

गाडियों में ज्वलनशील पदार्थ/विस्फोटक ले जाने के खतरों का पत्र-पत्रिकाओं/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

[हिन्दी]

एस सी आई एल की इकाइयों को निजी क्षेत्र को सौंपना

1909. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफ सी आई एल) की बंद पडी इकाइयों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक) : (क) और (ख) सरकार ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की प्रत्येक बंद इकाई के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय मॉडलों तथा गैस सहित लिंकेज पर विचार करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

[अनुवाद]

रेलवे की वेगन आवश्यकता

1910. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे की भावी वेगन आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवश्यक वेगनों की कितनी अनुमानित संख्या होगी;

(ग) क्या रेलवे ने भावी वेगन आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत भारी उद्योग निगम (बीबीयूएनएल) की एक रुग्ण वेगन विनिर्माण कंपनी भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग को अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल मालडिब्बा आवश्यकता का चौपहिया इकाइयों में 1,55,000 मालडिब्बों के रूप में आकलन किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत वैगन और इंजीनियरी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 13.08.2008 से रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचनात्मक प्रस्ताव के रूप में, रेलवे ने बीडब्ल्यूईएल में निम्नलिखित निवेश की योजना बनाई गई है:

(i) योजना इक्विटी के रूप में 6.83 करोड़ रुपए

(ii) (बीडब्ल्यूईएल) को योजना ऋण के रूप में 6.83 करोड़ रुपए

(iii) पांच वर्ष हेतु बिना ब्याज के संचालन पूंजी आवश्यकता को पूरा करने हेतु बीडब्ल्यूईएल को गैर-योजना अग्रिम के रूप में 5 करोड़ रुपए

पोत भंजन उद्योग

1911. श्री के.एस. राव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पोत भंजन उद्योग का निष्पादन कैसा रहा और इसकी भावी संभावनाएं क्या है;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्रों में पोत भंजन के लिए कितनी क्षमता उपलब्ध है और इन कार्यों के लिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्योग को अधिक सुदृढ़ बनाने और पोत भंजन के जोखिमपूर्ण प्रचालनों में लगे कामगारों की निजी सुरक्षा के लिए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) आयरन स्टील स्क्रैप एंड शिपब्रेकर्स एसोसिएशन आफ इंडिया तथा गुजरात मैरीटाइमबोर्ड (जीएमबी) से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि प्राइवेट एजेंसियों के पास पोतों री-साइकिलिंग की कुल क्षमता लगभग 4 मिलियन लाइट डिसप्लेसमेंट टनेज (एलडीटी) वार्षिक है। तथापि, 2005-06 से 2007-08 तक पिछले 3 वर्षों के दौरान तोड़ा गया वार्षिक टनेज लगभग 1.7 मिलियन एलडीटी था। चालू वर्ष 2008-09 में अक्तूबर तक तोड़ा गया पोत लगभग 0.5 मिलियन एलडीटी था। भारत में पोत तोड़ने के कार्यकलाप केवल निजी क्षेत्र तक सीमित हैं। इस समय इस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति उपलब्ध है। जहाज तोड़ने के उद्योग को सुदृढ़ करना और उसका आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में पोत तोड़ने के खतरों को कम करने के लिए विभिन्न उपाए किए गए थे और पोत तोड़ने के यार्ड में सुरक्षा उपायों के संबंध में काफी सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी कमी का पता चलता है, उसी समय उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

डीजल के लिए दोहरी मूल्यनिर्धारण नीति

1912. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री के.एस. राव :
श्री उदय सिंह :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल के उपभोग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाजार में सब्सिडी प्राप्त डीजल की आपूर्ति और वितरण तथा एक समान मूल्य के लिए आटो और घरेलू क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या डीजल के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से तेल कंपनियों को हो रहे कुछ घाटे की भरपाई हो सकती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के लिए डीजल पर सब्सिडी वापस लेने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र के लिए डीजल की बिक्री मुख्यत, खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) के द्वारा की जाती है। आर ओज के द्वारा डीजल की क्षेत्रीय मांग के निर्धारण करने हेतु ईस्टवाईल तेल समन्वय समिति (ओसीसी) ने भारतीय आजार अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) के द्वारा 1998 में एक अध्ययन किया था, जिसमें

आकलित किया गया कि वर्ष 1998-99 में डीजल की कुल खुदरा बिक्री का 23.5% कृषि क्षेत्र के लिए परिकलन किया है।

हाल ही में, जून/जुलाई, 2008 में देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के द्वारा विक्रय कर रहे डीजल की क्षेत्रवार मांग के निर्धारण करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा एक द्रुत सर्वेक्षण आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के द्वारा विक्रय किए जा रहे डीजल का प्रतिशत 13.8% आकलित किया था। अध्ययन के लिए आकार एवं लगभग एक हफ्ते की समयावधि को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन से प्राप्त किए आकलन निर्देशात्मक प्रकृति के हैं।

आर ओज से क्षेत्र-वार बिक्रियों का विस्तृत विवरण रखने हेतु वर्तमान में कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 के प्रथम छमाही के दौरान डीजल की बिक्री पर पीएसयूओएम सीज की कुल अल्प वसूलियां निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2007-08	अप्रैल-सितम्बर, 2008
डीजल	35166	55265

*तेल बांड और अपस्ट्रीम सहायता पर विचार किए बिना सकल अल्प-वसूलियां

(घ) से (छ) तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की बिक्री का बाजार मूल्य वाणिज्यिक आधार पर किया जाना है। समिति की सिफारिशें सरकार के पास जांच के लिए हैं।

केरल में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1913. श्री पी. सतेन्द्रन :
श्री पी.सी. थामस :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम, ऐरनाकुलम, कोल्लम, तिरूवनन्तपुरम, कोझीकोडे और अलपुझा जिलों में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। दक्षिण रेलवे के सभी रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराया गया है। इसके अलावा, केरल राज्य में 19 रेलवे स्टेशनों को माडल स्टेशन योजना तथा टच एंड फील योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। भारतीय रेलों पर जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत चुने गए स्टेशन हैं: अलवाय, कोझीकोडे, कन्नानूर, चेंगानूर, एर्णाकुलम जं., एर्णाकुलम टाउन, कोट्टायम, पालक्काड, कोल्लम, त्रिचूर, तिरूवनंतपुरम सेंट्रल, कन्याकुमारी, वरकला, शोरवण्णूर, तेलीचेरी, तिरूवल्ला, बाडागरा, तिरूर तथा एल्लेप्पी। इसके अलावा, तिरूवनंतपुरम सेंट्रल को विश्व श्रेणी के स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।

[हिन्दी]

घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1914. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री अजीत जोगी :
श्री देवव्रत सिंह :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री काशीराम राणा :
श्री अनन्त नायक :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को व्यापक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन इकाइयों को सरकारी क्षेत्र उपक्रम-वार कितना घाटा हुआ है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) घाटा उठाने वाले इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) और (ख) तीन वर्षों, अर्थात् 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का घाटा नीचे दिया गया है।

वर्ष	घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या	घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों का घाटा
2004-05	73	9003
2005-06	63	6845
2006-07	59	8223

घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के बारे में सूचना लोक उद्यम सर्वेक्षण 2006-07 के खण्ड-I के विवरण सं. VI में दी गई है, जो 29.02.2008 को संसद में रख दिया गया था तथा एक सरकारी दस्तावेज है।

(ग) घाटे के अनेक कारण हैं तथा प्रत्येक इकाई में भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, घाटा उठाने वाले उद्यमों को सामान्य तौर पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें पुराना संयंत्र एवं मशीनरी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, संसाधन दबाव, क्षमता का कम उपयोग, कम उत्पादकता, श्रमशक्ति आधिक्य, भारी ब्याज भार, कड़ी प्रतियोगिता, कमजोर विपणन रणनीतियां आदि शामिल हैं।

(घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं जिनमें वित्तीय एवं व्यापारिक पुनर्गठन संबंधी उपाय शामिल हो सकते हैं, यथा-दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज एवं ऋण में छूट, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन, सरकारी गारण्टी, ब्याज/ऋण के भुगतान पर रोक, संयुक्त उद्यमों का गठन, संविलयन/बन्दकरण, आधुनिकीकरण, बेहतर विपणन रणनीतियां, श्रमिकों का पृथक्करण, प्रबंधन में परिवर्तन, नई पूंजी का निवेश आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसरण में दिसंबर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार के मामलों पर विचार करेगा और सरकार को उपयुक्त अनुशंसाएं करेगा।

(ङ) पंजीकृत कार्यालय के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों की राज्य-वार सूची तथा वर्ष 2006-07 की अवधि के दौरान उनके लाभ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए)

राज्य/ क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	2006-07
1	2	3
1.	भारत डायनामिक्स लि.	3274
2.	इलैक्ट्रानिक्स कारपो. ऑफ इंडिया लि.	12837
3.	मिश्र धातु निगम लि.	2319
4.	नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपो. लि.	232021
5.	प्रागा टूल्स लि.	9192
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	136343
7.	स्पंज आयरन इंडिया लि.	403
अरुणाचल प्रदेश		
8.	डोनी पोलो अशोक होटल लि.	23
असम		
9.	असम अशोक होटल कारपो. लि.	4
10.	बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	18498
11.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	56880
12.	ऑयल इंडिया लि.	163998

1	2	3
चंडीगढ़		
13.	फेरो स्क्रेप निगम लि.	126
14.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	123689
दिल्ली		
15.	एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	85986
16.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	241470
17.	भारत संचार निगम लि.	780587
18.	सीमेण्ट कारपो. ऑफ इंडिया लि.	16661
19.	सेण्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपो. ऑफ इंडिया लि.	192
20.	सेण्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	285
21.	सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपो.	8870
22.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	512
23.	कंटेनर कापो. ऑफ इंडिया लि.	70382
24.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	18873
25.	एजुकेशनल कंसलटेण्ट्स (इंडिया) लि.	279
26.	इंजीनियसर्स इंडिया लि.	14299
27.	गेल (इंडिया) लि.	238667
28.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	566
29.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	8101
30.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	30093
31.	हाउसिंग एंड अर्बन डव. कारपो. लि.	31013
32.	एचएससीसी (इंडिया) लि.	798
33.	इंडिया इन्फ्रास्टक्चर फाईनेंस कं. लि.	347

1	2	3
34.	इंडिया टूरिज्म डव. कापो. लि.	7522
35.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	4763
36.	इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजीज लि.	72
37.	इंडिया रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपो. लि.	2023
38.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लि.	39870
39.	इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डव. एजेंसी लि.	3460
40.	इनकॉन इंटरनेशनल लि.	8687
41.	कुमारकृपा फ्रंटीयर होटल्स लि.	859
42.	एम एम टी सी लि.	12680
43.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	68174
44.	नेशनल बेकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डव. कं.	2060
45.	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपो. लि.	8088
46.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	17610
47.	नेशनल हैंडीपैपेड फाइनेंस एंड डव. कारपो.	201
48.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपो. लि.	92480
49.	नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कारपोरेटिड	3773
50.	नेशनल माइनोरिटीज डव. एंड फाइनेंस कारपो.	1015
51.	नेशनल प्राजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपो. लि.	440
52.	नेशनल रिसर्च डव. कारपो.	11
53.	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डव. कारपो.	312
54.	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डव. कारपो.	524
55.	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डव. कारपो.	1089
56.	नेशनल सीड्स कारपो. लि.	1305

1	2	3
57.	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपो. लि.	284
58.	एनटीपीसी इलैक्ट्रिक सप्लाई क. लि.	293
59.	एन टी पी सी लि.	686471
60.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	651
61.	न्यूक्लियर पॉवर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	157078
62.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपो. लि.	1564292
63.	ओएनजीसी विदेश लि.	105256
64.	पी ई सी लि.	2755
65.	पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.	953
66.	पॉवर फाइनेंस कारपो.	98614
67.	पॉवर ग्रिड कारपो. ऑफ इंडिया लि.	122937
68.	रेल विकास निगम लि.	359
69.	रेलटेल कारपो. इंडिया लि.	4085
70.	राइट्स लि.	11818
71.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपो. लि.	66026
72.	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपो. इंडिया लि.	26838
73.	स्टेट फार्म्स कारपो. ऑफ इंडिया लि.	30
74.	स्टेट ट्रेडिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	8827
75.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	620229
76.	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स (इंडिया) लि.	122
77.	वाटर एंड पॉवर कंसलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लि.	1187
गोवा		
78.	गोवा शिपयार्ड लि.	4069

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
79.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	73271
झारखण्ड		
80.	भारत कोकिंग कोल लि.	4958
81.	सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	64973
82.	सेण्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टि. लि.	259
83.	इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	1530
84.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	286
85.	मेकॉन लि.	2038
86.	प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लि.	1005
87.	रांची अशोक बिहार होटल कारपो. लि.	30
88.	यूरेनियम कारपो. ऑफ इंडिया लि.	2750
कर्नाटक		
89.	अंतरिक्ष कारपो. लि.	10559
90.	बीईएमएल लि.	20493
91.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	71816
92.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	114676
93.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	137
94.	एचएमटी लि.	5430
95.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	420
96.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	98
97.	कुद्रेमुख आयरन ओर क. लि.	1377
98.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	52552

1	2	3
99.	एसटीसीएल लि.	1200
100.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	104
	केरल	
101.	कोचीन शिपयार्ड लि.	5812
102.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	1747
103.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	3192
	मध्य प्रदेश	
104.	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपो. लि.	24
105.	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रीक डव. कारपो. लि.	45431
106.	नॉदर्न कोलफील्ड्स लि.	136649
	महाराष्ट्र	
107.	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाइसिज लि.	816
108.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	180548
109.	कॉटन कारपो. ऑफ इंडिया लि.	1551
110.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपो. ऑफ इंडिया लि.	36970
111.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	20812
112.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	1704
113.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	157117
114.	इंडियन ऑयल कारपो. लि.	749947
115.	इंडियन रेयर अर्थ्स लि.	6423
116.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	1850
117.	मेंगनीज और (इंडिया) लि.	13421
118.	मझगांव डॉक लि.	16808

1	2	3
119.	मिलेनियम टेलिकॉम लि.	3
120.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपो. लि.	5957
121.	मुंबई रेलवे विकास कारपो. लि.	994
122.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि.	14874
123.	शिपिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	101458
124.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	68238
	मेघालय	
125.	नॉर्थ इंस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपो. लि.	21864
	उड़ीसा	
126.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	136845
127.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	238138
	पांडिचेरी	
128.	पांडिचेरी अशोक होटल कारपो. लि.	26
	राजस्थान	
129.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.	631
130.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	189
131.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	232
	तमिलनाडु	
132.	केमिकल पेट्रोलियम कारपो. लि.	56527
133.	पन्नौर पोर्ट लि.	3064
134.	नेवेली लिग्नाइट कारपो. लि.	56678
135.	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	439

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
136.	आर्टिफिशल लिंब मैन्युफैक्चरिंग कारपो. ऑफ इंडिया	430
137.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि.	1911
138.	भारत यंत्र निगम लि.	1
139.	ब्रोडकोस्ट इंजी. कंसलटेंट्स इंडिया लि.	362
140.	नेशनल हैंडलूम डवलपमेंट कारपो. लि.	104
	उत्तरांचल	
141.	इंडियनमेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपो. लि.	27
142.	टिहरी हाइड्रो डव. कारपो. लि.	11748
	पश्चिम बंगाल	
143.	बालमेर लॉरी एंड कं. लि.	7022
144.	बालमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लि.	929
145.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं. लि.	122
146.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	25
147.	बीएको लॉरी एंड कं. लि.	231
148.	ब्रेथवेट एंड कं. लि.	57
149.	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.	447
150.	सेण्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपो. लि.	26288
151.	कोल इंडिया लि.	282281
152.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	11060
153.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरर्स लि.	12014
154.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	31394
155.	हुगली प्रिंटिंग कं. लि.	12
156.	एमएसटीसी लि.	5900
	कुल योग	8977286

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाने में अनियमितताएं

1915. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क माफी योजना के अंतर्गत विमानों के आयात के लिए देश के शीर्षस्थ कार्पोरेट घरानों की कुछ निजी विमान कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाने में अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

1916. **श्री पी.सी. थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोरनूर से मंगलौर, ऐरनाकुलम से कोट्टायम, कोट्टायम से कायमकुलम, ऐरनाकुलम से अलापुझा और अलापुझा से कायमकुलम तक रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) शोरानुर-मंगलौर मार्ग पर नेत्रवती-कनकनाडी खंड को छोड़कर

संपूर्ण मार्ग का दोहरीकरण पूरा हो चुका है। नेत्रवती-कनकनाडी का कार्य 2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

एर्णाकुलम-कोट्टायम-कायनकुलम के दोहरीकरण का कार्य खंडों में शुरू किया गया है। एर्णाकुलम-मुलानतुरूती खंड का दोहरीकरण पूरा किया जा चुका है। शेष दोहरीकरण अगले 2-3 वर्षों में चरणों में पूरा किए जाने की संभावना है।

एर्णाकुलम-एलेप्पी-कायनकुलम मार्ग पर कायनकुलम अंबालापुझा का दोहरीकरण खंडों में शुरू किया जा चुका है और कार्य मार्च 2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दवाइयों/चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक कीमतों पर बिक्री

1917. **श्रीमती करुणा शुक्ला :**
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारी कर रियायत की सुविधा प्राप्त करने के बावजूद दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को बहुत अधिक कीमतों पर बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनको दी जा रही कर रियायतों को वापिस लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दवाइयों की कीमतें कम करने के लिए क्या कदमं उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत 74 बल्क औषध और इन अनुसूचीबद्ध औषधों में से किसी एक के अवयव वाले फार्मूलेशन नियंत्रित हैं। एनपीपीए/सरकार डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचीबद्ध औषधों/ फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित या संशोधित करती है। कोई भी, एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी अनुसूचीबद्ध औषध/फार्मूलेशन को नहीं बेच सकता है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत नहीं आने वाले औषध, अर्थात गैर-अनुसूचीबद्ध औषधों के संबंध में विनिर्माता, सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर स्वयं ही मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आमतौर पर फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषध की लागत, एक्सीपिएंट की लागत, अनुसंधान एवं विकास की लागत, उपयोगिताओं/पैकिंग सामग्री की लागत, बिक्री संवर्द्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयात की अवतरित लागत आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, एनपीपीए गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करता है। ओआरजी आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग विनिर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की मोनिटरिंग के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं असामान्य मूल्य वृद्धि पायी जाती है, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामले में विनिर्माता को स्वेच्छा से मूल्य कम करने के लिए कहा जाता है और यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो औचित्य होने पर डीपीसीओ 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

भारी कर रियायत के बावजूद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अत्यधिक दरों पर दवाएं बेचे जाने संबंधी कोई विशिष्ट सूचना सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई है।

(ङ) दवाओं को मूल्यों को कम करने के क्रम में सरकार ने 1.4.2007 से गैर अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में अनुमत्य मूल्य वृद्धि सीमा को विगत की प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि को संशोधित कर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 15.1.2007 को डीपीसीओ 1995 के पैराग्राफ 10 के अंतर्गत अपनी शक्ति डीपीसीओ, 1995 के पैराग्राफ 26 के अनुसरण में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को प्रत्यायोजित कर दी है। तदनुसार, एनपीपीए यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो जांच कर सकता है, सूचना मांग सकता है और किसी गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन का खुदरा मूल्य निर्धारित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, एनपीपीए ने पैरा 10 (ख) के अंतर्गत 27 गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों

ने 60 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्यों में कमी की है। इस प्रकार, कुल मिलाकर एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप नियंत्रणमुक्त औषधों के 87 पैकों के मूल्य कम कराए गए हैं। एनपीपीए ने प्रवर्तन कार्यकलापों में भी तेजी लायी है और एक पृथक प्रवर्तन प्रभाग प्रारंभ किया गया है जो यह जांच करने के लिए बाजार से दवाएं खरीदता है कि एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य कार्यान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं।

[अनुवाद]

नए विमानपत्तनों की स्थापना

1918. प्रो. एम. रामदास :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों से देश में नए विमानपत्तन स्थापित करने तथा विमानपत्तनों तथा हवाई पट्टियों के उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, विमानपत्तन-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(ङ) क्या इन योजनाओं में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3 नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को 90:10 के अनुपात में (90% भारत सरकार से तथा 10% भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आंतरिक संसाधनों से) के वित्त पोषण पैटर्न के द्वारा योजना आयोग के अनुमोदन के अनुसार विकसित किया जाना है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) 24 पहचाने गये गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के सिटी साईड विकास को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड के अधीन हाथ में लिया जाना है। इसे आरंभ करने के लिए, अमृतसर और उदयपुर हवाईअड्डों का विकास कार्य हाथ में लिया गया है। आदर्श रियायत करार को तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को 2010 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार विकसित किये जा रहे हवाईअड्डे

क्रम सं.	राज्य सरकार का नाम	हवाईअड्डा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख	स्थिति/की गई कार्रवाई/कैफियत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	14.02.2007	मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को भूमि आवश्यकता की जानकारी दे दी गई है। भूमि अधिग्रहित

1	2	3	4	5
				किए जाने तथा इसे सौपें जाने की प्रतीक्षा है। भूमि अधिग्रहण के लम्बित रहते, रनवे की कुल लम्बाई की प्रारम्भिक तौर पर 7500 फुट किए जाने के लिए उपलब्ध भूमि में रनवे के विस्तार का कार्य हाथ में लिया गया है। पूरा होने की संभावित तारीख जून, 2009 है।
		राजामुंदरी	14.02.2007	मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को भूमि आवश्यकता की जानकारी दे दी गई है। टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए कार्य को जल्दी सौंपे जाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। भूमि अधिग्रहण करने और इसे सौंपने की प्रतीक्षा है।
		वारंगल	30.03.2007	भूमि के अधिग्रहण तथा अपेक्षित अतिरिक्त भूमि को सौंपने के लिए मास्टर प्लान को आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।
		कुडप्पा	30.03.2007	मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि सौंप दी गई है। नये रनवे, एप्रैन और सहायक सुविधाओं के विकास हेतु एटीआर 72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए, चरण-1 कार्य सौंप दिया गया है। पूरा होने की संभावित तारीख मार्च, 2009 है। नये टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए विस्तृत अनुमान कार्य निविदा प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए प्रगति पर है।
2.	गुजरात	सूरत	30.09.2003	सूरत हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन, विकास, अनुरक्षण और प्रचालनों के लिए गुजरात सरकार और भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

राज्य सरकारों के साथ अंतिम रूप दिए जाने/हस्ताक्षर के लिए लंबित समझौता ज्ञापन वाले हवाईअड्डे

1.	कर्नाटक	हुबली तथा बेलगांव	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित समझौता ज्ञापन के प्रारूप को नागर विमानन मंत्रालय को भेज दिया गया है और विकास कार्य शुरू किये जाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ हस्ताक्षर से पूर्व उनकी सहमति की प्रतीक्षा है।
2.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	समझौता ज्ञापन के प्रारूप को तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया है तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए उनकी अंतिम सहमति की प्रतीक्षा है।

3. पश्चिम बंगाल	बेहला	सितम्बर, 2006 के दौरान एटीआर प्रचालनों के लिए बेहाला एयरफील्ड को विकसित करने के लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए 24.05.2006 को राज्य सरकार को समझौता ज्ञापन भेजा गया था। उत्तर की प्रतीक्षा है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2800 फुट वाले वर्तमान रनवे के पुनर्संरचना तथा उड़ान क्लब कार्यकलापों के लिए चारदीवारी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने पर एटीआर प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का 1200 फुट तक विस्तार कार्य सहित इस हवाईअड्डे को और विकसित किया जाएगा।
4. मेघालय	तुरा	कार्य पूरा हुआ। तुरा हवाईअड्डे के प्रचालनात्मक लीज के लिए समझौता ज्ञापन पर कार्रवाई की जा रही है।
5. मिजोरम	लेंगपुई	एरोड्राम प्रचालन में है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रचालनात्मक लीज के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने हैं।
6. उत्तराखंड	पंतनगर	चरण-I कार्य पूरा हो गया। समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं।
7. अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	653 करोड़ की अनुमानित लागत से ईटानगर में नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है। सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।
8. नागालैंड	चितू (कोहिमा के नजदीक)	परामर्शदाता से नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए परियोजना लागत की समीक्षा किये जाने को कहा गया है।

गुर्जर के विरोध प्रदर्शन के कारण रेलवे की संपत्ति का नुकसान

1919. **श्री रेवती रमन सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किन्जुरपु येरननायडु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में गुर्जरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गयी रेलवे की संपत्ति का ब्यौरा क्या है तथा रेल सेवा बाधित होने से राजस्व का कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे की उक्त क्षतिग्रस्त संपत्ति के रख-रखाव पर भारतीय रेल द्वारा कितना व्यय किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क), (ख)

और (ङ) जी हां। गुर्जर आंदोलन के दौरान 7.88 करोड़ रु. की रेल सम्पत्तियों और रद्दीकरण/आंशिक रद्दीकरण डायवर्जन, पूर्व, पूर्वोत्तर, उत्तर, उत्तर मध्य, उत्तर, पश्चिम, पश्चिम मध्य और पश्चिम में गाड़ी सेवाओं में व्यवधान के कारण लगभग 81.53 करोड़ रु. के राजस्व का नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) उत्तर रेलवे ने भारतीय दंड संहिता और रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध संख्या 19/08 द्वारा 34 व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

उत्तर मध्य रेलवे में आंदोलनकारियों के विरुद्ध छः मामले दर्ज किए गए जिसमें 22 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। ये सभी मामले एसडीएम/छाता के न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अपराध संख्या 25/07 के द्वारा राजकीय रेल पुलिस, गंगापुर द्वारा दर्ज एक मामले को 10.7.2007 को सेशन कोर्ट/गंगापुर द्वारा बंद कर दिया गया था। वर्ष 2008 में, राजकीय रेल पुलिस द्वारा रेल संपतियों की क्षति के लिए जिम्मेदार चिन्हित 29 आंदोलनकारियों के विरुद्ध छः मामले दर्ज किए गए थे और उन मामलों की जांच की जा रही है। मामले को भारतीय दंड संहिता और रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध संख्या 188/08 द्वारा दर्ज किया गया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे में 35 आंदोलनकारियों (25 औरतें और 10 पुरुष) जो रेल संपतियों को क्षति पहुंचाने में शामिल थे, को सिविल पुलिस, बांदीकुई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अपराध संख्या 331/08 के अंतर्गत एक मामले को दर्ज किया गया है। राजकीय रेलवे पुलिस, बांदीकुई ने भी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अपराध संख्या 25/08 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया।

पश्चिम बंगाल में अंडल में नए विमानपत्तन की स्थापना

1920. श्री अबु अयीश मंडल :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में अंडल विमानपत्तन के प्रस्तावित स्थल तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के नीचे कोयले के विशाल भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने इस मामले पर कोयला मंत्रालय से बात की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय प्रस्तावित विमानपत्तन को एक वैकल्पिक स्थल पर स्थानान्तरित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्तावित स्थल किसी व्यापक रूप से कोयले की भावी खुदाई को प्रभावित नहीं करेगा। परियोजना क्षेत्र के नीचे कोयले के भंडार होने के स्थिति में भी, ये मौजूदा अंडरग्राउंड खनन (इनमें से ज्यादातर 300 मीटर से कम की गहराई में है) की तुलना में अधिक गहराई में है तथा और भावी खनन में समस्याओं, यदि कोई हों, को कम करने के उपाए शामिल होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में बर्दमान जिले के अनदल-फरीदपुर ब्लाक में एक घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था। संचालन समिति की दिनांक 03 दिसम्बर, 2003 की चौथी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था और समिति ने सैद्धांतिक रूप से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

गुजरात में नई रेलगाड़ियों की मांग

1921. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे जामनगर से विरामगम-मेहसाना होते हुए नई दिल्ली तक गरीब रथ रेलगाड़ी चलाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारका (जिला जामनगर) से विरामगम-मेहसाना होते हुए नई दिल्ली तक आश्रम एक्सप्रेस की तर्ज पर एक रेलगाड़ी प्रति दिन चलाने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ओखा (द्वारका) से रामेश्वरम (तमिलनाडु) तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की योजना बना रहा है;

(च) यदि हां, तो ये रेलगाड़ियां कब तक शुरू की जाएंगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) ओखा और रामेश्वरम के बीच सीधी रेल सेवा मुहैया कराने के लिए 6733/6734 मदुरै-मनमाड़ एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का एक छोर पर ओखा तक और दूसरे सिरे पर रामेश्वरम तक विस्तार करने की घोषणा रेल बजट 2008-09 में की गई है।

इस्पात का उत्पादन

1922. **श्री गुरूदास दासगुप्त :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रमुख इस्पात कंपनियों ने मांग में भारी कमी तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण अपना उत्पादन कम का दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सितंबर, अक्तुबर तथा नवंबर, 2008 के दौरान सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में गत वर्ष में समान अवधि की तुलना में संयंत्र-वार कितना उत्पादन किया गया;

(घ) क्या उक्त कारणों की वजह से कतिपय इस्पात संयंत्रों ने नौकरियों में भी कटौती की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) संलग्न विवरण-I में दी गई तालिका में सितंबर, अक्तूबर और नवंबर, 2008 के लिए देश में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों के अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के दिए गए आंकडों के अनुसार सितंबर, 2008 में हुए उत्पादन की तुलना में अक्तूबर, 2008 में उत्पादन में मामली सी बढ़ोतरी हुई है। तथापि, सरकारी क्षेत्र की दोनों कंपनियों नामत: स्टील अॅथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के उत्पादन में 11.3 प्रतिशत की कमी आई है और टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के उत्पादन में अक्तूबर, 2008 के उत्पादन की तुलना में नवंबर 2008 में हुए उत्पादन में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

संलग्न विवरण-II में दी गई तालिका में प्रमुख इस्पात कंपनियों के अप्रैल से नवंबर 2008 (एस्सार, इस्पात और जेएसडब्ल्यूएल के संबंध में नवंबर, 2008 के अनुमानित आंकड़ों सहित) और वर्ष 2007-08 की इसी अवधि के लिए अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-09 में सरकारी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों नामत: सेल और आरआईएनएल के उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की मामूली सी कमी आई है और निजी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों नामत: टीएसएल, एस्सार, इस्पात और जेएसडब्ल्यूएल के उत्पादन में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों के संबंध में सितंबर, अक्तूबर, और नवंबर, 2008 के अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के उपलब्ध आंकड़े और पिछले वर्ष के इन्हीं माहों में हुए उत्पादन से इसकी तुलना संलग्न विवरण-I में दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों नामत: सेल और आरआईएनएल द्वारा नौकरियों में कोई कटौती नहीं की गई है। निजी क्षेत्र में नौकरियों में की गई कटौती से संबंधित जानकारी इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

विवरण-I

अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (हजार टन)

उत्पादक	सितंबर			अक्तूबर			नवंबर		
	2007	2008	% बदलाव	2007	2008	% बदलाव	2007	2008	% बदलाव
क. सरकारी क्षेत्र									
सेल	1140	1172	2.8	1227	1198	-2.4	1212	1079	-11.0
आरआईएनएल	257	263	2.3	275	269	-2.2	236	205	-13.1
उप-योग (क)	1397	1435	2.7	1502	1467	-2.3	1448	1284	-11.3
ख. निजी क्षेत्र									
(i) प्रमुख उत्पादक									
टीएसएल	419	445	6.2	429	488	13.8	418	514	23.0
एस्सार	287	334	16.4	329	347	5.5	304	उपलब्ध नहीं	
इस्पात	238	242	1.7	245	246	0.4	226	उपलब्ध नहीं	
जेएसडब्ल्यूएल	258	272	5.4	286	278	-2.8	268	उपलब्ध नहीं	
उप-योग (ख) (i)	1202	1293	7.6	1289	1359	5.4	1216		
(ii) अन्य	1840	1952	6.1	1963	2029	3.4	1837	उपलब्ध नहीं	
उप-योग (ख)	3042	3245	6.7	3252	3388	4.2	3053		
योग (क+ख)	4439	4680	5.4	4754	4855	2.1	4501		

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

विवरण-II

अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (हजार टन)

उत्पादक	अप्रैल-नवंबर		
	2007	2008	% बदलाव
1	2	3	4
क. सरकारी क्षेत्र			
सेल	9158	8978	-2.0
आरआईएनएल	2051	2027	-1.2
उप-योग (क)	11209	11005	-1.8
ख. निजी क्षेत्र			
(i) प्रमुख उत्पादक			
टीएसएल	3281	3609'	10.0

1	2	3	4
एस्सार	2364	2555*	8.1
इस्पात	1857	2019*	8.7
जेएसडब्ल्यूएल	2045	2179*	6.6
उप-योग (ख) (i)	9547	10362	8.5
(ii) अन्य	14632	14853	1.5
उप-योग (ख)	24179	25215	4.3
योग (क+ख)	35388	36220	2.4

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

*इसमें नवंबर, 2008के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं।

घरेलू यात्री यातायात का तुलनात्मक अध्ययन

1923. श्री अमिताभ नन्दी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया तथा निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों के घरेलू यात्री यातायात की तुलनात्मक अध्ययन क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2005 से 2008 (अक्तूबर तक) की अवधि में एअर इंडिया तथा अनुसूचित एअरलाइनों द्वारा वहन किए गए अंतर्देशीय यात्रियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	वहन किए गए यात्री (लाख में)		बाजार में भागीदारी (%)	
	एअर इंडिया	निजी एअरलाइनें	एअर इंडिया	निजी एअरलाइनें
2005	67.85	155.22	30.4	69.6
2006	69.03	257.65	21.1	78.9
2007	81.26	351.63	18.8	81.2
2008 (अक्तूबर तक)	55.39	291.42	16.0	84.0

(ख) नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निष्पादन में सुधार लाने तथा निजी सेक्टर की एअरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सीटों की तुलना में बेहतर सुविधाओं तथा सुखसाधनों यथा सीटों, आधुनिकतम उड़ागत मनोरंजन प्रणाली से युक्त 111 अत्याधुनिक विमानों को नए बेड़े में शामिल करना जबकि अभी तक 42 विमान प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ii) मौजूदा विमानों की पुनर्सज्जा।

(iii) भारत के भीतरी स्थानों से अंतर्राष्ट्रीय यातायात स्थलों यथा मुंबई तथा दिल्ली के लिए हब एण्ड स्पोक उड़ानों की शुरूआत।

(iv) थ्रू चैक-इन, ई-चैक-इन, आई-चैक-इन, सेल्फ सिटी चेक-इन आदि जैसी सुविधाएं।

(v) स्टार एलायंस की सदस्यता - इसमें स्टार एलायंस के मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रणालियों तथा प्रक्रिया में विस्तार किया जाना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की सुविधाओं तथा सेवाओं का स्तरोन्नयन होगा।

(vi) एअर इंडिया के यात्रियों की सुविधा तथा उन्हें अधिक

सम्मान प्रदान करने के लिए "फ्रीकवेन्ट फ्लायर प्रोग्राम" में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं

(vii) उच्च घनत्व वाले सेक्टर मल्टीपल फ्रीकवेन्सी, अधिकांश सेक्टरों पर दो श्रेणी के विमानों आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यात्री मैत्री शड्यूल्स।

(viii) नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के सामान्य बिक्री एजेंटों (जीएसए) योक्तिकरण।

(ix) वैश्विक बाजार में बेहतर उपस्थिति तथा इंटरलाइनिंग का आसान प्रवाह प्राप्त करने के लिए अन्य एअरलाइनों के साथ "मल्टीलेटरल इंटरलाइनिंग ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट" किया जाना।

(x) प्रोत्साहक ऑफर तथा स्कीमें जिनमें मूल्य निर्धारण संबंधी पहल, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक स्कीमें तथा लायल्टी प्रोग्राम शामिल हैं।

(xi) एक एकल खिड़की व्यवस्था द्वारा दोनों एअरलाइनों (पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा पूर्ववर्ती इंडियन एअरलाइन्स) के आरक्षण, टिकटिंक, माल-सूची तथा प्रस्थान नियंत्रण में सुधार करने के लिए एकीकृत यात्री सेवा प्रणाली।

(xii) एकीकृत काल सेंटर आरंभ किया जा रहा है।

(xiii) भारत-यूएसए मार्ग पर अविराम उड़ानों की शुरुआत।

कोलकाता विमानपत्तन

1924. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमानपत्तन को दूसरे तथा तीसरे रनवे सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवनों के प्रावधान के साथ पुनः निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है तथा इसे पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कोलकाता से चीन, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय और खाड़ी देशों के लिए उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, उक्त उड़ाने कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाईअड्डा, कोलकाता के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना के अनुसार, 20 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष (एमपीपीए) की हैंडलिंग के लिए अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों हेतु 1,80,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। जबकि 4.06 एमपीपीए के मौजूदा अंतर्देशीय टर्मिलन भवन को उपयुक्त सुधार करके इस्तेमाल किया जाता रहेगा। योजना के तहत मौजूदा दूसरे रनवे का भी 400 मीटर तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) दिनांक 22.08.2008 को अवार्ड किए गए रनवे संबंधी कार्य को पूरा किया जा रहा है। एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य दिनांक 06.10.2008 को अवार्ड किया जा चुका है और शीघ्र ही कार्य आरंभ होने की आशा है। परियोजना कार्य की पूर्णतः अवधि 30 महीने होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) इस समय, चीन, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएई, कुवैत, ओमान आदि समेत 48 देशों की नामित एअरलाईनों के लिए कोलकाता अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध है। तथापि, किसी भी वाहक द्वारा वास्तविक प्रचालन हमेशा उसके वाणिज्यिक निर्णय द्वारा निर्देशित होते हैं। इस समय यूके, चीन, यूएई (दुबई), बहरीन तथा जर्मनी की नामित एअरलाइन (एअरलाईनें) कोलकाता-यूरोप/खाड़ी/चीन सेक्टरों पर हवाई सेवा सम्पर्कता प्रदान कर रही हैं।

[हिन्दी]

कुवैत के लिए विमान सेवाएं

1925. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री संजय धोत्रे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की सस्ती सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुवैत के लिए विमान सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में कोझीकोड, कोची तथा मंगलौर से कुवैत के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोझीकोड तथा कोची से कुवैत के लिए प्रति सप्ताह तीन उड़ानें, कोझीकोड तथा मंगलौर से कुवैत के लिए प्रति सप्ताह दो उड़ानें तथा कोझीकोड तथा चेन्नई से कुवैत के लिए प्रति सप्ताह दो उड़ानें प्रचालित कर रही है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली और कोलकाता के बीच यात्री रेलगाड़ियां

1926. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बड़े शहरों विषय रूप से कोलकाता और नइं दिल्ली के बीच यात्रियों की बढ़ती संख्या के संबंध में कोई आकलन कियां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इस स्थिति से निपटने के लिए विद्यमान रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अप्रैल से अक्टूबर, 2008 के दौरान, दिल्ली और हावड़ा के बीच यात्री यातायात में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता तथा वाणिज्यिक औचित्य के अध्यधीन गाड़ी सेवाओं में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अलावा छुट्टियों, त्यौहारों इत्यादि के दौरान अतिरिक्त भीड़ को समाप्त करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं।

संग्रहालयों की स्थापना

1927. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर के संग्रहालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसे संग्रहालयों की स्थापना हेतु प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) संग्रहालयों की स्थापना हेतु अब तक प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ङ) ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) सरकार की "क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता" की योजना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत पंजीकृत सोसायटियों या स्वायत्त निकायों द्वारा नए संग्रहालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत, पात्र संस्था को श्रेणी-I तथा श्रेणी-II संग्रहालयों की स्थापना हेतु अधिकतम क्रमशः 6.00 करोड़ रु. तथा 3.00 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

(घ) अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) राज्य सरकार के तहत पंजीकृत सोसायटी या स्वायत्त निकाय, जिसकी अपनी भूमि हो, नए संग्रहालय की स्थापना हेतु आवेदन का पात्र है।

(च) 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 60.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

विमानपत्तन प्रबंधन

1928. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचारवर्तमान में एक अकेली एजेन्सी

द्वारा किए जा रहे विमानपत्तन प्रबंधन तथा विमान यातायात नियंत्रण के कार्यकरण को अलग-अलग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो विमापत्तन प्रबंधन तथा विमान यातायात नियंत्रण के प्रस्तावित पृथकीकरण का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) हवाई दिक्चालन सेवा सुविधाओं को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अलग करके इनका निगमीकरण किए जाने का मुद्दा सरकार के पास विचाराधीन है। पूर्व मंत्रिमंडल सचिव श्री नरेश चन्द की अध्यक्षता वाली समिति ने इस संबंध में सिफारिशें की थीं। तदोपरांत, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस मामले में सलाह देने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। परामर्शदाता ने सुझाव दिया है कि हवाई दिक्चालन सेवाओं को दो चरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पृथक सरकारी निकाय के रूप में अलग कर दिया जाना चाहिए अर्थात् प्रथम चरण में हवाई दिक्चालन सेवाओं से संबंधी सभी गतिविधियों को एक पृथक सदस्य (एएनएस) के अधीन एकत्रित किया जाना चाहिए और बाद में इसे एक नए सरकारी निगम के रूप में अलग कर दिया जाना चाहिए। सलाहकार की सिफारिशों की जांच की जा चुकी है और इन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार्य पाया गया है।

[हिन्दी]

विमानपत्तन की भूमि का अतिक्रमण

1929. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री महावीर भगोरा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा अधिगृहित भूमि/भवनों का राज्य-वार तथा शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विशेष रूप से मुम्बई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि के अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो अतिक्रमित भूमि का कुल क्षेत्र कितना है जिसके संबंध में प्राधिकरण के संपदा विभाग ने कब्जे से मुक्त करने संबंधी नोटिस जारी किया है;

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार अथवा विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उक्त अतिक्रमण से निपटने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बजाय राज्य सरकार उत्तरदायी है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमण से निपटने के लिए किस प्रकार की समन्वय प्रणाली विद्यमान है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों पर आयोजन

1930. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) संरक्षित स्मारकों का भुगतान करके कतिपय आयोजनों के लिए प्रयोग करने की अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थलों के प्रयोग की अनुमति देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ऐसे आयोजनों का स्मारक-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अनुमति दी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे आयोजनों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितना राजस्व अर्जित किया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों अधिमानतः शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक का आयोजन करने हेतु चुनिंदा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के विशिष्ट संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी दिशानिर्देशों की एक प्रति विवण-I में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान 33.70 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है।

विवरण-I

कार्यालय ज्ञापन संख्या 17/37/2004-एम दिनांक 14.01.2005 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा जिसमें उन स्मारकों/स्थलों की सूची दी गई है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है

1. साधारण रूप से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण [भा.पु.स.] स्मारकों तथा ऐसे स्मारकों से जुड़ी भूमि को समारोहों/कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोग में लेने की अनुमति नहीं देना चाहेगा। तथापि, मंडलों द्वारा, उपवाद के रूप में, इस प्रकार के प्रयोग की अनुमति तभी दी जा सकती है जब महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय पूर्णतथा संतुष्ट हों कि समारोह/कार्यक्रम से स्मारक, इसकी भूमि तथा उस पर स्थित अन्य निर्मित संरचनाओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।

2. मंडल, केवल उन्हीं स्मारकों के लिए अनुमति प्रदान करेंगे जिनकी पहचान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजना के लिए की गई है। ये उन स्मारकों के क्षेत्र/हिस्सों को रेखांकित भी करेंगे जहां इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्यविद्, मंडल कार्यालय, पहचाने गए स्मारक/स्थल में समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर सकते हैं यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जीर्णोद्धार/सौन्दर्यकरण कार्य किए गए हैं तथा इस प्रकार के आयोजन से जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा/क्षति पहुंच सकती है।

4. यदि कोई स्मारक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए अनुमति देने हेतु सूची में नहीं है, तो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात, इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इस प्रकार के किसी अनुरोध को रद्द कर देने का अधिकार भी सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम होगा।

5. उच्च दर्जे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बरीयता: शास्त्रीय, के आयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, शास्त्रीय अवसरों का आशाय शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा नाटक होगा। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई अवसर सांस्कृतिक अवसर है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा।

6. ऐसे किसी समारोह/कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जहां प्रवेश का विनियमन टिकटों की बिक्री या प्रवेश शुल्क लगा कर किया जाएगा।

7. किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जो वाणिज्यिक/धार्मिक गतिविधि जैसे बिक्री, प्रदर्शनी तथा बिक्री आदि से संबंधित होगा।

8. केवल सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक निकायों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निजी व्यक्तियों, निजी निकायों या अन्य व्यावसायिक संगठनों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यह निर्णय लेने के लिए कि क्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध सार्वजनिक निकाय से प्राप्त हुआ है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा। सार्वजनिक निकायों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते समय, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय संबंधित संगठन के पूर्व इतिहास तथा कार्य कलापों, कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्वरूप तथा अवधि पर विचार करेंगे।

9. कुछ मामलों को छोड़कर जहां रिकार्ड किए गए कारणों के कारण अनुमति एक दिन से अधिक दी जा सकती है, जारी की गई अनुमति केवल एक दिन के लिए वैध होगी। सभी अस्थायी संरचनाएं उसी दिन रात्रि 11.00 बजे तक बनाई व हटाई जानी चाहिए। सभी कार्यक्रम रात्रि 10.00 बजे तक सम्पन्न हो जाने चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के संगीत या लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।

10. एक अस्थाई मंच या स्टेज बनाने के अलावा जिसे हटाया जा सकता है किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की

अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की अस्थायी संरचनाओं को बनाने में किसी प्रकार की चिनाई का कार्य नहीं किया जाएगी।

11. चूंकि स्मारक या इसकी सीमा के भीतर किसी कार्यक्रम के आयोग से निर्मित अवसंरचना तथा इसके परिवेश को क्षति पहुंच सकती है अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क लगाएगा:-

(क) किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ी भूमि (बाहरी) में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 25,000/- रुपए प्रति दिन तथा यदि भूमि के साथ-साथ निर्मित स्मारक (आंतरिक) के किसी भाग का भी प्रयोग किया जाना हो तो 50,000/- रुपए प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा (दिल्ली के चुने हुए स्मारकों में)

(ख) अन्य मंडलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ा क्षेत्र (बाहरी) के प्रयोग के लिए 10,000/- प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा तथा जहां संरक्षित स्मारक का एक भाग भी प्रयोग किया जाना है तो 25,000/- रुपए प्रतिदिन प्रभार लगाया जाएगा। अन्य अंतर किए जाने की आवश्यकता होने पर उसे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित करेंगे।

उपर्युक्त के साथ-साथ दिल्ली के सभी स्मारकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 50,000/- रुपए प्रतिदिन की प्रतिदाय प्रतिभूमि जमा की मांग भी करेगा। अन्य मंडलों में यह प्रतिदाय प्रतिभूति जमा 30,000/- रुपए होगी। यह प्रतिभूति जमा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घास-फूस/कूड़ा कचरा आदि या क्षति की मरम्मत, यदि कोई होती है तो, उस पर किए गए व्यय के पश्चात् आयोजन के एक सप्ताह के पश्चात् वापिस कर दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभिन्न पहलुओं जैसे पार्किंग, आगन्तुकों की अधिकतम संख्या, शोर तथा प्रकाश स्तर आदि पर अपनी उचित शर्तें लगा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मारक तथा इसका परिवेश सुरक्षित तथा संरक्षित रहे तथा कार्यक्रम के संचालन से स्मारक (बाहरी रूप से) या इसकी सांस्कृतिक सद्भावना को कोई नुकसान न पहुंचे।

मंडल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति प्रदान की जा सकती है उन स्मारकों की सूची अनुबंध में दी गई है। यह सूची संपूर्ण नहीं है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस सूची को, जब कभी अपेक्षित हो, संशोधित कर सकता है।

उपर्युक्त दिशानिर्देश तुरन्त प्रभावी होंगे तथा अगले आदेश जारी होने तक वैध रहेंगे।

अनुबंध

उन स्मारकों की सूची जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है।

1. **आगरा मंडल**

   1. राम बाग

   2. अबकर का मकबरा

   3. दीवान-ए-आम (आगरा किला)

   4. कंकाली टीला, मथुरा

   5. बादशाही गेट का बाहरी ओर खुला क्षेत्र फतेहपुर सीकरी

2. **औरंगाबाद मंडल**

   1. बीबी-का-मकबरा का लान, औरंगाबाद

   2. शैलकृत गुफाओं के सामने खुला क्षेत्र, एलोरा

   3. खुले क्षेत्र में किला, दौलताबाद

3. **बंगलौर मंडल**

   1. हाथीशाला का खुला क्षेत्र, हम्पी

   2. विट्ठल मंदिर परिसर का खुला क्षेत्र, हम्पी

   3. केशव मंदिर के पूर्व में खुला क्षेत्र, सोमनाथपुर

4. होयसलेश्वर मंदिर का खुला क्षेत्र, हलेबिडु

5. चेन्ना केशव मंदिर का खुला गलियारा, बेलूर

6. बाहुबली की प्रतिमा का खुला क्षेत्र तथा आवृत्त कोर्ट, श्रवणबेलगोला

7. बाहुबली प्रतिमा के चारों ओर खुला क्षेत्र, कारकला

8. खुले क्षेत्र में किला, चित्रदुर्ग

9. खुले लान, टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर

10. टीपू के मकबरे के चारों ओर खुला क्षेत्र, श्रीरंगपटना

11. खुला क्षेत्र-दौलताबाद बाग महल, श्रीरंगपटना

12. श्री हरिहरेश्वर मंदिर, हरिहरा

13. ईश्वर मंदिर, अरसीकेरे

14. किला देवानाहल्ली

15. सोमेश्वरा मंदिर, कोलार

16 खुला क्षेत्र मंदिर समूह, नंदी

17. अन्नतपद्मनाभू मंदिर परिसर, कारकला

18. किला, बेलारी

19. स्मारकों के चारों ओर खुला क्षेत्र, हम्पी

4. भोपाल मंडल

1. चित्रगुप्त मंदिर का उत्तर, खजुराहो

2. तानसेन का मकबरा, ग्वालियर

3. सास बहू मंदिर के आस पास खुला क्षेत्र, ग्वालियर

4. शिव मंदिर के पश्चिम में खुला क्षेत्र, भोजपुर

5. जहाज महल का खुला क्षेत्र, मांडू

5. भुवनेश्वर मंडल

1. राजारानी मंदिर के आसपास खुला क्षेत्र, भुवनेश्वर

2. खुला क्षेत्र मुक्तेश्वर मंदिर

3. परशुरामेश्वर मंदिर

4. खुला क्षेत्र सूर्य मंदिर, कोणार्क

5. सीता भांजी

6. हरिपुर गढ़

7. रत्नागिरि

6. चण्डीगढ़ मंडल

1. जल महल के आर पास खुला क्षेत्र, नारनोल

2. किला, नुरपुर

3. खुला क्षेत्र, कांगडा किला

4. दक्खनी सराय

5. भटिन्डा किला

7. चेन्नई मंडल

1. बृहदेश्वरा मंदिर, तंजावुर

2. बृहदेश्वरा मंदिर, गंगईकोंडा चोलापुराम

3. ऐरावतेश्वरा मंदिर, दारासुरम्

4. मंदिर समूह, शैलकृत गुफाएं, महाबलीपुरम

5. मंदिर समूह का खुला क्षेत्र, मूवारकोइल

6. किला क्षेत्र मद्रास

8. दिल्ली मंडल

1. अरब की सराय (हुमायूं मकबरा परिसर)

2. ईसाखान मकबरा का बाहरी लान (हुमायूं मकबरा परिसर)

3. जहाज महल

4. रोशनारा गार्डन

5. कुतुब मीनार परिसर का खुला क्षेत्र

6. लान तथा बाहरी खुला क्षेत्र, पुराना किला

7. खुला क्षेत्र किला रायपिथौरा

8. खुला क्षेत्र लालकिला (रामलीला का क्षेत्र तथा भीतरी) क्षेत्र

9. देहरादून मंडल

1. रूद्रनाथ मंदिर परिसर, गोपेश्वर, जिला चमोली

10. धरवाड़ मंडल

1. खुला क्षेत्र दुर्गा मंदिर परिसर, एहोल

2. खुला क्षेत्र ज्योर्तिलिंग मंदिर परिसर, एहोल

3. मंदिरों के उत्तर का खुला क्षेत्र, पट्टडकल

4. मंदिर समूहों के बीच खुला क्षेत्र, अशतुर

5. किला गुलबर्गा के भीतर खुला क्षेत्र

6. खुला क्षेत्र महमूद गावान मदरसा, बीदर

7. गोल गुम्बज के चारों ओर खुला क्षेत्र, बीजापुर

8. इब्राहिम रोजा के लान, बीजापुर

9. खुला क्षेत्र, नवरसपुर

10. खुला क्षेत्र स्मारक समूह, लक्कुंडी

11. महादेवी मंदिर के आस पास खुला क्षेत्र, हट्टगी

12. सिद्धेश्वर मंदिर के पश्चिम की ओर खुला क्षेत्र, हवेरी

13. मधुकेश्वर मंदिर समूह, बनवासी

14. मुक्तेश्वर मंदिर, चन्दानानपुर

15. खुला क्षेत्र किला, सौदा

11. गोवा मंडल

1. किला के भीतर खुला क्षेत्र अगुवाड़ा

2. महादेव मंदिर परिसर, ताम्दीसुरला

3. खुला क्षेत्र सफा मस्जिद, पोंडा

12. हैदराबाद मंडल

1. गोलकोंडा किला के अन्दर क्षेत्र

2. सिद्धौट किला, कुड्डपा

3. संकाराम, विशाखापट्टनम

4. रामाप्पा मंदिर, पालमपेट

5. किला के अन्दर क्षेत्र, वारंगल

6. स्थानांतरित स्मारक नागार्जुनकोंडा तथा अनुपू के आस पास खुला क्षेत्र (केवल एक दिन के दौरान)

7. अमरावती के चारों ओर का क्षेत्र, स्तूप स्थल

13. जयपुर मंडल

1. अन्ना सागर, बारादरी

2. प्राचीन स्थल, भानगढ़

3. डीग महल, डीग, जिला भरतपुर

4. किला, बयाना

5. मंदिर समूह, बादोली

6. महानल मंदिर, मेनाल

7. मंदिर समूह, बिजोलिया

8. किला, चित्तोडगढ़

9. किला, कुम्भलगढ़

10. किला, रणथम्भौर

11. किला, जैसलमेर

12. पुरातत्वीय स्थल, लुद्रवा

13. घाट/जहांगीरी महल, पुष्कर

14. कोलकाता मंडल

1. कूच बिहार महल के सामने खुला क्षेत्र

2. बिष्णुपुर मंदिर समूह के चारों ओर खुला क्षेत्र, बिष्णुपुर

15. लखनऊ मंडल

1. रेजीडेंसी लखनऊ

2. खुला क्षेत्र किला, झांसी

16. मुम्बई मंडल

1. खुला क्षेत्र एलीफेंटा

2. किला रायगढ़

3. महल परिसर, शनिवारवाड़ा, पुणे

17. पटना मंडल

1. पुरातत्वीय स्थल, सारनाथ

2. पुरातत्वीय स्थल, नालन्दा

3. खुला क्षेत्र शेरशाह मकबरा, सासाराम

18. रायपुर मंडल

1. स्मारक समूह, सिरपुर

19. रांची मंडल

शून्य

20. शिमला मंडल

1. खुला क्षेत्र वायस रीगल लॉज, शिमला

21. श्रीनगर मंडल

1. महल रामनगर

2. किला का खुला क्षेत्र, रामनगर

22. त्रिशूर मंडल

1. किले के अन्दर खुला क्षेत्र,, बेकल

2. फोर्ट सेंट एग्लो के अन्दर क्षेत्र, कन्नूर

3. किला, पलक्कड

23. वड़ोदरा मंडल

1. खुला क्षेत्र/सूर्य मंदिर के आस पास उद्यान, मोधेरा

2. किला के अन्दर खुला क्षेत्र, पावागढ़

3. किला, द्वीव

4. किला क्षेत्र, मोती दामन

5. किला क्षेत्र, नानी दामन

6. सीढ़ी कुआं के आस पास क्षेत्र, पाटन

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष (2008-09) के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र.सं.	मंडल का नाम	स्मारक का नाम	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	बंगलौर मंडल	हाथी शाला, हम्पी	कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम
2.	चेन्नई मंडल	वेल्लोर किला में दक्षिण पूर्व की तरफ, वेल्लोर	विभिन्न सरकारी तथा निजी ऐजेंसियों द्वारा सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शिनियां आदि

1	2	3	4
3.	दिल्ली मंडल	पुराना किला	महानिदेशक, आईसीसीआर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
		पुराना किला	निदेशक, नेशनल स्कूल आफ ड्रामा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
		पुराना किला	साहित्य कला परिषद द्वारा अनन्य उत्सव
		पुराना किला	निदेशक, आनसेट सौल्यूशन प्रा. लिमिटेड द्वारा दिल्ली पेंटिंग प्रतियोगिता
		जहाज महल, महरोली	अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां द्वारा फूल वालों की सैर उत्सव
		पुराना किला	संस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम
		पुराना किला	आईटीडीसी के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
		पुराना किला	आईटीडीसी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम
		लाल किला 15 अगस्त पार्क	लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन
		लाल किला 15 अगस्त पार्क	नव धार्मिक लीला कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन
4.	शिमला मंडल	क्षतिग्रस्त किला (नरपुर) जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, नरपुर द्वारा आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी
5.	भोपाल मंडल	तानसेन का मकबरा	उस्ताद अल्लाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी, भोपाल द्वारा आयोजित तानसेन समारोह

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं का पुनः शुरू होना

1931. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को पुनः शुरू करने का है जहां के लिए विमान सेवाएं बन्द कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिलासपुर के लिए विमान सेवा को पुनः शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पीछे हाल में, तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस ने केवल अगाति के लिए सेवाओं को अस्थाई रूप से निलम्बित किया है। डोनियर प्रकार के विमानों को बेड़े से हटाए जाने के कारण अगाति में सेवाएं निलम्बित करनी पड़ी थी। शीघ्र ही अन्य प्रकार के विमानों द्वारा यह सेवा आरंभ कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) नेसिल या एलाइंस एयर की इस समय बिलासपुर के लिए/से विमान सेवा आरंभ करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि नेसिल रायपुर के लिए/से नियमित विमान सेवाएं प्रचालित कर रही

है, जो बिलासपुर से लगभग 100 किमी. की दूरी पर स्थित है। नेसिल रायपुर के रास्ते दिल्ली, मुम्बई, नागपुर तथा भुवनेश्वर के लिए नियमित सेवाएं प्रचालित कर रही है।

[अनुवाद]

पर्यटन और रोजगार सृजन

1932. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन देश के सकल घरेलू उत्पाद के 5.83 प्रतिशत तथा रोजगार के 8.27 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो रोजगार के स्रोत के रूप में पर्यटन की कितनी क्षमता है;

(ग) देश के पर्यटन उद्योग के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यटन का रोजगार उन्मुखी क्षेत्र के रूप में विकास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) भारत के लिए टूरिज्म सेटेलाइट एकाउंट (टीएसए) के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान पर्यटन ने कुल सकल घरेलू उत्पाद के 5.83% और कुल रोजगार के 8.27% का योगदान दिया। यात्रा एवं पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से आतिथ्य, परिवहन, आवास, केटरिंग, मनोरंजन, क्रीड़ा और अन्य क्षेत्र भी हैं, जो यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं। ये सभी सेवाएं व्यापक रोजगार सृजित करती हैं। टीएसए के अनुसार वर्ष 2002-03 में देश में पर्यटन से सृजित नौकरियों की संख्या 38.6 मिलियन थी। तथापि, पर्यटन उद्योग में राज्य-वार रोजगार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटन क्षेत्र की रोजगार संभावना को पूरी तरह से मान्यता दी गई है। देश में पर्यटन के विकास हेतु और इसके परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र में रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:—

- अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से पर्यटन स्थलों में पर्यटन अवसंरचना का विकास करना;
- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;
- प्रचार सामग्री का उत्पादन एवं वितरण;
- विदेशी बाजारों में एयरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की परिचायक यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम का पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्व रेल का आमान परिवर्तन कार्य

1933. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेल के गोरखपुर-नौटवां-गोंडा खंड पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। पूरे परियोजना खंड में मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी संबंधी इत्यादि कार्य शुरू कर दिए गए हैं। समग्र वास्तविक प्रगति 27% है। मार्च, 2008 तक इस परियोजना पर 110.73 करोड रु. का व्यय हुआ है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 25 करोड रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(ग) समूची परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

सी.पी.एस.यू. में अधिशेष निधियां

1934. श्री रामजीलाल सुमन :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) के पास कितनी अधिशेष निधियां उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो सी.पी.एस.यू. द्वारा अधिशेष निधियों का किस प्रकार निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सी.पी.एस.यू. द्वारा अधिशेष निधियों के निवेश हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सी.पी.एस.यू. की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2006-07 के अनुसार, केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पास 31 मार्च, 2007 तक नकद एवं बैंक शेष 203260 करोड़ रुपये था।

(ख) संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिशेष निधियों के परिनियोजन का निर्णय लेते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अधिशेष निधियों के परिनियोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल, 2008 में केंद्रीय सरकारी उद्यमों को अन्य बातों के साथ-साथ यह परामर्श देते हुए अनुदेश जारी किए गए थे कि वे अपनी उपलब्ध अधिशेष निधियों का कम से कम 60% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखें।

[अनुवाद]

केरल में विमानपत्तनों पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं

1935. श्री एस. अजय कुमार :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में विमानपत्तनों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु क्या समय सारणी है;

(ग) क्या सरकार का केरल में किसी अन्य विमानपत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केरल में त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में तथा कालीकट अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार का कार्य आरंभ किया है। त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वाईड बाडी विमान की पार्किंग के लिए नए एप्रन, चार एयरोब्रिज सहित विश्वस्तरीय एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कालीकट हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय/घरेलू टर्मिनलों भवनों के विस्तार और आधुनिकीकरण, एप्रन के विस्तार का कार्य पूरा हो गया है। बी-747-400 विमानों के सुरक्षित प्रचालन के लिए रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा इंजीनियर्ड मटीरियल एरेस्टिंग सिस्टम (इएमएएस) को उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) जी हां। कन्नूर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा संघ सरकार के दिनांक 19.02.2008 की अधिसूचना के तहत सैद्धान्तिक

स्वीकृति प्रदान कर दी है। केरल सरकार द्वारा इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जानी है।

[हिन्दी]

नांदेड़-पुणे जाने वाली रेलगाड़ियां

1936. **श्री डी.बी. पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांदेड़-पुणे जाने वाली रेलगाड़ियों को दैनिक आधार पर चलाना लाभकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुरू की गद्दी पर्व के महत्व को मद्देनजर रखते हुए मध्य रेलवे इस मार्ग पर एक दैनिक रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। कम लोकप्रियता के कारण 1.7.2006 से 2729/2730 नांदेड़-पुणे एक्सप्रेस के फेरे घटाकर सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर सप्ताह में दो दिन कर दिए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं।

[अनुवाद]

उड़ान से पहले पायलटों की चिकित्सा जांच

1937. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पटना उड़ान का एक पायलट हाल ही में शराब में धुत पाया गया था जिससे उड़ान रद्द करनी पड़ी और यात्रियों को काफी असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलटों के कार्य शुरू करने से पूर्व उनकी उड़ान पूर्व शराब संबंधी जांच अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पायलट शराब में धुत पाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसमें पायलट की शराब संबंधी जांच के पाजिटिव पाए जाने के कारण उड़ान को रद्द किया गया हो।

(ग) और (घ) पायलटों की उड़ान पूर्व शराब संबंधी जांच औचक आधार पर की जाती है। यदि पायलट पाजिटिव पाया जाता है तो उसे उड़ान प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती और प्रचालक के प्रचालन मैनुअल में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) जी, हां। 2005 से 2007 के दौरान 37 घटनाएं तथा 2008 के दौरान 23 घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कॉकपिट क्रू शराब संबंधी जांच में पाजिटिव पाए गए थे।

(छ) यदि पायलट पाजिटिव पाया जाता है तो उसे उड़ान प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती और प्रचालक के विरुद्ध प्रचालन मैनुअल में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसमें प्रचालक की सेवाओं से निलम्बन भी शामिल है।

[हिन्दी]

अप्रयुक्त रेल भूमि

1938. **श्री रामदास आठवले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में विभिन्न रेलवे जोनों के तहत रेलवे की काफी भूमि रिक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अप्रयुक्त भूमि पट्टे पर आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सितंबर, 2008 तक रेलवे के पास 29679 हेक्टेयर भूमि रिक्त पड़ी है। लेकिन, भविष्य में विकास कार्यों के लिए रेलवे को इस रिक्त भूमि की आवश्यकता है। जोनवार पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

रेलवे	खाली भूमि (हेक्टेयर में)		
	2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)
1	2	3	4
मध्य	79	79	79
पूर्व	1547	1525	1526
उत्तर	3337	3337	3337
पूर्वोत्तर	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्वोत्तर सीमा	3457	4741	4681
दक्षिण	शून्य	शून्य	शून्य
दक्षिण मध्य	3921	4248	4248
दक्षिण पूर्व	2331	1789	1591
पश्चिम	7389	7388	7388
पूर्व मध्य	4019	4013	4015
पूर्व तट	1938	1939	1932
उत्तर मध्य	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर पश्चिम	398	398	397
दक्षिण पूर्व मध्य	486	486	485
दक्षिण पश्चिम	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिम मध्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन का विकास

1939. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री महेश कनोडीया :
श्री हरिन पाठक :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार से अब तक केन्द्र सरकार को कितनी पर्यटन परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की तारीख तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए कितनी पर्यटन परियोजनाओं पर विचार किया गया है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता दी गई है;

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन-कौन सी पर्यटन परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) वित्तीय सहायता कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए अब तक स्वीकृत/जारी की गई राशि और पर्यटन स्थलों, सर्किटों आदि के विकास में हुई वास्तविक उपलब्धियों का कार्यक्रम-वार और मद-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) पर्यटक रुचि के स्थानों का संवर्धन तथा विकास मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटक मंत्रालय, प्रति वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर निधियां प्रदान करता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित शीर्षों के अंतर्गत उपलब्धता की शर्तों पर निधियां अवमुक्त की जाती हैं।

गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (आजतक), पर्यटक गंतव्यों/परिपथों की निम्नलिखित अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	गुजरात में गंतव्य विकास योजना के अधीन चम्पानेर-पावागढ़ का विकास।	360.00
2.	तारनेतर जिला सुन्दरनगर, गुजरात का गंतव्य विकास।	310.60
3.	गुजरात में द्वारका-नागेश्वर-बेटद्वारका का एक वृहत् पर्यटक परिपथ के रूप में एकीकृत विकास।	798.90
4.	गुजरात के अम्बाजी में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास।	353.94
5.	गुजरात के पाटन में पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास	295.22

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	2005-06	2011.58	1433.04
2.	2006-07	443.65	359.51
3.	2007-08	474.25	379.00
	कुल	2929.48	2171.55

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ तैयार की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निष्पादन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

विवरण

2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
	2005-06			
1.	गुजरात के मान्डवी जिला कच्छ में सड़क तथा संबद्ध सेवाओं जैसे अवसंरचनात्मक कार्यों का किया जाना	गंतव्य	428.31	342.64

1	2	3	4	5
2.	गुजरात के बालासिनोर में डायनासोर फोसिल पार्क	गंतव्य	345.00	100.00
3.	दांडी का गंतव्य विकास	गंतव्य	380.27	304.00
4.	अदालज, गांधी नगर में थीम पार्क का विकास	गंतव्य	480.00	384.00
5.	सपुतारा का गंतव्य विकास	परिपथ	378.00	302.40
	कुल		2011.58	1433.04
	2006-07			
1.	गुजरात में जूनागढ़-भेरावल-पोरबंदर-द्वारका पर पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	परिपथ	329.83	263.86
2.	शरद उत्सव, 2006 मनाना	उत्सव	2.90	2.32
3.	ताड़नेतर उत्सव मनाना	उत्सव	2.90	2.32
4.	नवरात्रि उत्सव मनाना	उत्सव	6.55	5.24
5.	अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाना	उत्सव	5.55	4.44
6.	आई टी परियोजनाएं	आई टी	45.92	41.33
7.	दांडी ग्राम, जिला नवसारी में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	50.00	40.00
	कुल		443.65	359.51
	2007-08			
1.	गुजरात के अमरेली जिले में अम्बारडी वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल पार्क का विकास	गंतव्य	474.25	379.00
	कुल		474.25	379.00

[हिन्दी]

एल पी जी की मांग आपूर्ति

1940. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग हेतु तथा अन्य उद्देश्य से क्षेत्रवार एल पी जी की मांग और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी की पहुंच वाले परिवारों की संख्या के संबंध में वर्तमान स्थिति सहित ग्रामीण क्षेत्रों में

एल पी जी की उपलब्धता के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं।

(ग) अगले पांच वर्षों में एल पी जी की अनुमानित मांग क्या होगी और उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए एल पी जी की कीमतों में किस-किस तारीख को बढ़ोतरी की गयी; और

(ङ) प्रत्येक सिलेंडर में आपूर्तित गैस की प्रमात्रा सहित प्रत्येक अवसर प्रति सिलेंडर कितनी राशि की बढ़ोतरी की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) इस समय घरेलू मांग पूरी करने के लिए एल पी जी का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है। उपलब्धता में आने वाली कमी को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान, देश में मांग/वास्तविक बिक्रियों के क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

(आंकड़े हजार मीटरी टन (टी एम टी) में)

क्षेत्र	घरेलू एल.पी.जी.	वाणिज्यिक एल.पी.जी.	औद्योगिक एल.पी.जी	आटो एल.पी.जी.
उत्तर	1705.50	55.12	7.64	6.01
पूर्व	672.60	20.78	7.75	1.31
पश्चिम	1308.12	94.41	67.56	22.67
दक्षिण	1447.10	129.28	44.15	55.62
योग	5133.32	299.59	127.10	85.61

(ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को परामर्श दिया है कि वे अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओ एम सीज ने एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटशिप स्थापित करने के लिए देश में 1340 स्थलों को शामिल करते हुए साझी उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का लगभग 78% ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेगा। देश में सभी स्थलों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और उसका चयन-कार्य नीति के अनुसार प्रगति पर है। 01.11.2008 के स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 247.3 लाख ग्रामीण ग्राहकों को एल पी जी उपलब्ध कराई गई है।

(ग) देश में आगामी चार वर्षों के लिए एल पी जी की अनुमानित मांग निम्नानुसार है:–

(आंकड़े टी एम टी में)

वर्ष	मांग
2008-09	12100
2009-10	11700
2010-11	12200
2011-12	12800

तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए एल पी जी की अनुमानित मांग/बिक्रियां उपलब्ध नहीं है क्योंकि 11वीं योजना अवधि के बाद अनुमान नहीं लगाया गया है।

तेल उद्योग ने एल पी जी क्षेत्र में उभरती परिस्थितियों की पुनरीक्षा की है और चल रही विभिन्न उन्नत और विस्तार परियोजनाओं के विस्तार से देश में एल पी जी का उत्पादन 2011-12 में बढ़कर 12.8 एम एम टी तक हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) घरेलू एल पी जी के खुदरा बिक्री मूल्यों को विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार संशोधित किया गया था:–

तारीख	दिल्ली में मूल्य (रु.)/ 14.2 कि. ग्राम सिलिंडर
05.11.2004	281.60
01.04.2005	294.75 (वैट लागू होने के कारण)
05.06.2008	346.30

तथापि, कुछ राज्यों में, घरेलू सिलिंडरों की दर में वृद्धि राज्यों द्वारा कुछ सीमा तक खपा दी गई थी। तदनुसार, 09.06.2008 से

14.2 कि. ग्रा. घरेलू एल पी जी सिलिंडर का खुदरा बिक्री मूल्य दिल्ली में 304.70 रुपये है।

वाणिज्यिक एल पी जी सिलिंडरों के मूल्य की प्रत्येक माह पुनरीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक माह की पहली तारीख से मूल्यों में परिवर्तन किया जाता है। सांविधिक उद्ग्रहणों जैसे शुल्कों/करों आदि में संशोधन के आधार पर बीच में भी संशोधन किया जा सकता है।

घरेलू एल पी जी सिलेंडर में 14.2 कि. ग्रा. एल पी जी होती है और वाणिज्यिक उपयोग के लिए गैर-घरेलू सिलेंडर का विपणन 19 कि. ग्रा. और 47.5 कि. ग्रा. क्षमता के सिलेंडरों में जाता है। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों की मांग पूरी करने और परिवहन में सुविधा के लिए पर्वतीय भूभागों और आंतरिक क्षेत्रों तक एल पी जी की पहुंच का विस्तार करने के लिए ओ एम सीज 5 कि. ग्रा. क्षमता में भी घरेलू एल पी जी का विपणन करती हैं।

[अनुवाद]

बंगलौर-सत्यामंगला रेलवे लाइन

1941. श्री एम. शिवन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विभागों में स्वीकृति न मिलने के कारण बंगलौर-सत्यामंगला रेलवे लाइन के कार्य में प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) बंगलौर-सत्यामंगलम नई रेलवे लाइन परियोजना पर बंगलौर से गट्टेवाडी (बंगलौर छोर) और सत्यामंगलम से बेन्नारी (सत्यामंगलम छोर) तक लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया है। तथापि, गट्टेवाडी और बेन्नारी (58 किमी.) के बीच तमिलनाडु के वन विभाग द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण कार्य रोक दिया गया है। रेलवे सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से संपर्क किया। सेंट्रल एम्पावर्ड ने अनेक सुनवाई करने के पश्चात् 14.5.2008 को अपना निर्णय दिया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वेक्षण कार्य की सिफारिश नहीं की। इसके अलावा, आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

जेट ईंधन का आयात

1942. श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ानों की प्रचालन लागत में कमी करने के लिए जेट ईंधन का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक लागू होंगे;

(घ) क्या सरकार ने विमानन उद्योग में मंदी के कारण जेट ईंधन की कीमतों में कटौती का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) नागर विमानन मंत्रालय का विमानन टरबाइन ईंधन के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि देश में विमानन टरबाइन ईंधन उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) सरकार विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों को विनियमित नहीं करती है। बहरहाल, वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के कारण तेल कंपनियों ने भी सितम्बर, 2008 से विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में कमी की है।

अगस्त, 2008 में विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत चेन्नई में प्रति किलो लीटर 77661 रुपए, मुम्बई में प्रति किलो लीटर 73674 रुपए, दिल्ली में प्रति किलो लीटर 71028 रुपए तथा कोलकाता में प्रति किलो लीटर 80763 रुपए थी। अक्टूबर, 2008 में विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत चेन्नई में प्रति किलो लीटर 62051 रुपए, मुम्बई में प्रति किलो लीटर 58479 रुपए, दिल्ली में प्रति किलो लीटर 56448 रुपए तथा कोलकाता में प्रति किलो लीटर 65678 रुपए थी। 01 नवम्बर, 2008 से विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत मुम्बई में प्रति लीटर 48656 रुपए तथा दिल्ली में प्रति किलो लीटर 47017 रुपए थी। दिसम्बर,

2008 में विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत दिल्ली में घटकर प्रति किलो लीटर 36899 रुपए हो गई है।

उर्वरकों का उत्पादन

1943. श्री हितेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक उत्पाद संयंत्रों द्वारा उत्पादित किए जा रहे उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या उर्वरकों की कोई एक ऐसी किस्म भी है जिसकी यहां पर मांग तो है परंतु उनका उत्पादन इस देश में नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उर्वरक की अपेक्षित किस्म का उत्पादन करने में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वकर मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) देश में उत्पादित किए जा रहे प्रमुख उर्वरकों में यूरिया, डाई-अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी), मिश्रित ग्रेड उर्वरक और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) शामिल है। इन उर्वरकों का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थिति के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), जिसकी मांग है, की आवश्यकता के लिए देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है क्योंकि देश में पोटाश का आर्थिक रूप से दोहन योग्य कोई भण्डार नहीं है।

(घ) हालांकि आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती, अतः सरकार रासायनिक उर्वरकों, मुख्यतः यूरिया की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कार्य कर रही है। यह वृद्धि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करके और नए संयंत्र स्थापित करके की जानी है।

सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए आयात सम मूल्य (आईपीपी) पर आधारित एक नई निवेश नीति की घोषणा की है।

देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों की उपलब्धता पर निर्भर है। इसलिए, डीएपी और मिश्रित ग्रेड के उर्वरकों के उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के सृजन का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, फॉस्फेटयुक्त कच्ची सामग्री में समृद्ध देशों के साथ संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का लगातार पता लगाया जा रहा है।

विवरण

देश में उत्पादकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे संयंत्र-वार उर्वरक

इकाई/संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम
1	2
सार्वजनिक क्षेत्र:	
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): नंगल-II	यूरिया
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): भटिण्डा	यूरिया
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): पानीपत	यूरिया

1	2
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): विजयपुर-I	यूरिया
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): विजयपुर-II	यूरिया
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल): नामरूप-I	यूरिया
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल): नामरूप-II	यूरिया
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट): उद्योगमण्डल	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट): कोचीन-II	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ): ट्राम्बे	15:15:15 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ): ट्राम्बे-IV	20:8:20:18 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ): ट्राम्बे-V	यूरिया
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ): थाल	यूरिया
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल): चेन्नै	यूरिया
	17:17:17 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	19:19:19 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
सहकारी क्षेत्र:	
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): कांडला	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): कलोल	यूरिया
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): फूलपुर-I	यूरिया
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): फूलपुर-II	यूरिया
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): आंवला-I	यूरिया
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): आंवला-II	यूरिया

1	2
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको): पारादीप	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको): हजीरा	यूरिया
संयुक्त उद्यम क्षेत्र	
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): वदोदरा	यूरिया
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): सिक्का-I	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): सिक्का-I	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): सिक्का-II	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. (जीएनएफसी): भरूच	यूरिया
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लि. (केएसएफएल): शाहजहांपुर	यूरिया
निजी क्षेत्र	
कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि. (सीएफएल)-विशाखापत्तनम	28:28 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	14:35:14 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (एसएफसी)-कोटा	यूरिया
डंकन्स इण्डस्ट्रीज लिमि. (डीआईएल)-कानपुर	यूरिया
जुआरी इण्डस्ट्रीज लि. (जैडआईएल): जुआरी नगर, वास्को, गोवा	यूरिया
	19:19:19 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)

1	2
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन (एसपीआईसी): तूतीकोरिन	यूरिया
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	17:17:17 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ) - मंगलौर	यूरिया
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	16:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि. (सीएफएल)-एन्नोर	16:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल)-हल्दिया	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	28:28 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	14:35:14 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)
	15:15:15 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएफसीएल): काकीनाडा	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	14:35:14 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)

1	2
इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स (आईजीएफ)-जगदीशपुर	यूरिया
हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.: दाहेज	डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लि.	23:23 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
(डीएफपीसीएल): तलोजा	
नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल): काकीनाडा-I	यूरिया
नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल): काकीनाडा-II	यूरिया
चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (सीएफसीएल): गडेपान-I	यूरिया
चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (सीएफसीएल): गडेपान-II	यूरिया
टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल): बबराला	यूरिया
पारादीप फॉस्फेट्स लि. (पीपीएल): पारादीप	डाई-अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी)
	20:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	16:20 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	14:35:14 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	28:28 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	12:32:16 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)
	10:26:26 (मिश्रित ग्रेड उर्वरक)

सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) संयंत्र स्थान सहित

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	स्थान
1	2	3
1.	श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मुजफ्फरपुर

1	2	3
2.	द जय श्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (इकाई-I)	खारदाह, 24 परगना (एन)
3.	द जय श्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (इकाई-II)	खारदाह, 24 परगना (एन)
4.	द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड	हुगली
5.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (हिन्द लीवर केमिकल्स लि.)	हल्दिया, मिदनापुर
6.	टिस्टा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जलपाईगुडी
7.	साई फर्टिलाइजर्स प्रा. लि.	खड़गपुर
8.	एशियन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	गोरखपुर
9.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स मालवा इकाई●	फतेहपुर
10.	नटराज ऑग्रनिक्स लिमिटेड	मुजफ्फर नगर
11.	वी.के. फॉस्फेट लिमिटेड●	शाहजहां पुर
12.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	झांसी
13.	जुबिलेंट ऑग्रनसिस लि.	गुजरावला
14.	कृषि उर्वरक लिमिटेड (एनपी)	लखनऊ
15.	द आंध्र शुगर लिमिटेड	तनुकु
16.	केमटेक फर्टिलाइजर्स लि.	मेडक
17.	कृष्णा इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड	निडाडावोल
18.	सुभोदया केमिकल्स लिमिटेड	गौरीपटनम
19	प्रगति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	विशाखापटनम
20	प्रियंका फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड●	विशाखापटनम
21	प्रत्यूष फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड●	विशाखापटनम
22.	एग्री ग्रीन फटर्स एण्ड केमिकल्स●	कुडप्पा
23.	के.पी.आर. फर्टिलाइजर्स (प्रा. लि.)	बलभद्र
24.	तुंगभद्र फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कंपनी	कोप्पल

1	2	3
25.	कोयम्बटूर पायनियर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कोयंबटूर
26.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ईआईडी पैरी(।)लिमिटेड)	चेन्नई
27.	लिबर्टी फॉस्फेट लिमिटेड (पूर्व: हिन्द रसायन)	नंदेसरी, वडोसरा
28.	निरमा लिमिटेड (पूर्व किसान इंडस्ट्रीज लिमिटेड)	अहमदाबाद
29.	सोना फॉस्फेट लिमिटेड	सरीगाम, वलसाड
30.	आरती फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	वलसाड
31.	टी.जे. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नवसारी
32.	नर्मदा एग्रो केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	मंगरौल, जूनागढ़
33.	लिबर्टी उर्वरक लि.	नीरमानी
34.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	नीमरानी, खरगांव
35.	रामा फॉस्फेट लि.	इंदौर
36.	स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	इंदौर
37.	मेक्सिकन एग्रो केमिकल्स लि.	मंदसौर
38.	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि.@	सागर
39.	मध्य प्रदेश ऑग्रोकैम लि.@	नया गांव, नीमच
40.	मध्य भारत फॉस्फेटस लि.	दिवानगंज, रायसेन
41.	एग्रो फॉस। (इंडिया) लि.@	देवास
42.	मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.@	उज्जैन
43.	के.एम.एन. केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	रायसेन
44.	अरिहंत फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इंडिया लि.	कनावती, नीमच
45.	रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	हीरापुर, बांदा
46.	जय राम फॉस्फेट लि.@	फरहाद, राजनंदगांव
47.	बी.ई.एस. फर्टिलाइजर्स लि.	बिलासपुर

1	2	3
48.	बी.ई.एस. फर्टिलाइजर्स लि.	फुलगांव
49.	भारत फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज लि.	थाने
50.	द धर्मसी मौरारजी केमिकल्स कंपनी	अंबरनाथ, थाने
51.	राजलक्ष्मी एग्रो टैक इंडिया लि. (एनपी)	जलना
52.	रामा कृषि रासायनी	लोनी कलभोर
53.	शिवा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नान्देड
54.	बसंत एग्रो टैक (इंडिया) लिमिटेड@	अकोला
55.	श्री भवानी मिश्रा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नान्देड़
56.	बालाजी फर्टिलाइजर्स प्रा. लि.	नान्देड़
57.	लिबर्टी फॉस्फेट लिमिटेड@	पाली, राजगढ़
58.	जयराम फॉस्फेट लिमिटेड@	नागपुर
59.	श्री गजराज फर्टिलाइजर्स प्रा. लि.@	यावपमाई
60.	श्री डाटा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	अमरावती
61.	आर.सी. फर्टिलाइजर्स प्रा. लिमिटेड	नासिक
62.	मंगलम फॉस्फेट लि.	हमीरगढ़
63.	लिबर्टी फॉस्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	उदयपुर
64.	रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड	उदयपुर
65.	शुरवी कलर केमिकल्स लिमिटेड	उदयपुर
66.	श्री गनपति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड@	जयपुर
67.	टीईडीसीओ ग्रेनाइट लिमिटेड	भीलवाड़ा
68.	अरावली फॉस्फेट लिमिटेड	उदयपुर
69.	अरिहंत फॉस्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	चित्तौड़गढ़
70.	बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड@	उदयपुर

1	2	3
71.	गायत्री स्पिनर्स लिमिटेड@	भीलवाड़ा
72.	द धर्मसी मौरारजी केमिकल्स कंपनी, लिमिटेड	खेमली, उदयपुर
73.	साधना फॉस्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड@	उदयपुर
74.	लिबर्टी फॉस्फेट लिमिटेड@.	जगपुरा, कोटा
75.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टर्स@	नींबाहेड़ा
76.	जुबिलेंट ऑग्रेनसिस लिमिटेड	चित्तौड़गढ़
77.	इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड@	उदयपुर
78.	प्रेम शक्ति फर्टिलाइजर्स लि.	उदयपुर

टिप्पणी: एनपी-उत्पादन में नहीं

@-नई इकाई

तमिलनाडु में रेल लाइनों का लंबित विद्युतीकरण कार्य

1944. **श्री एम. अप्पादुरई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कितने प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत होने की संभावना है और तमिलनाडु की चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं प्रगति पर हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का नाम	तमिलनाडु में मार्ग किमी	लागत	31.03.08 तक खर्च	2008-09 के लिए परिव्यय	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4	5	6
विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्लि (178 मार्ग किमी)	178	96.67	34.08	26.52	मार्च, 2010
तिरुचिरापल्लि-मदुरै (154 मार्ग किमी)	154	96.85	0.25	57.37	मार्च, 2010

1	2	3	4	5	6
त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी तथा त्रिचूर-गुरूवयूर सहित एर्णाकुलम त्रिवेंद्रम (429 मार्ग किमी)	57	255.54	200.24	42.37	(1) एर्णाकुलम-त्रिवेंद्रम पहले ही पूरा हो चुका है
					(2) त्रिचूर-गुरूवयूर मार्च, 2009
					(3) त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी सितंबर, 2009
मदुरै-तूतीकोरीन-नगरकोइल	262	146	—	0.01	अनुदान की पूरक मांग अक्टूबर, 2008 में शामिल
वेल्लोर-विल्लुपुरम	151	97	—	—	आमान परिवर्तन कार्य के महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में हाल ही में (दिसंबर, 2008 में) मंजूर

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना

1945. **श्री महावीर भगोरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितनी रेलगाड़ियों को पैसेंजर से फास्ट पैसेंजर और फास्ट पैसेंजर से सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में बदला गया है; और

(ख) इस संबंध में रेलवे को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बायोडीजल क्रय नीति

1946. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी बायोडीजल क्रय नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस नीति से कोई लाभ नहीं मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बायोडीजल क्रय नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) देश में बायो-डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर, 2005 में एक बायो-डीजल खरीद नीति की घोषणा की है जो 1.1.2006 से लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, तेल विपणन कंपनियां पूरे देश में अभिज्ञात खरीद केन्द्रों पर 5% तक हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) युक्त मिश्रण के लिए बायो-डीजल की खरीद करेगी। ओ एम सीज समान उतराई मूल्य पर बायो-डीजल की खरीद करेंगी। जिसकी हर छह महीने में समीक्षा की जाएगी। इस समय बायो-डीजल का खरीद मूल्य 22.8.2006 से 26.50 रुपए प्रति लि. है।

इस नीति के अंतर्गत पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के 20 खरीद केन्द्रों को अभिज्ञात किया गया है। ओ एम सीज उन बायो-डीजल विनिर्माताओं से भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बायो-डीजल

की खरीद करेंगी जो एक निर्धारित सुपुर्दगी मूल्य पर तकनीकी विशिष्टियों को पूरा करने के बाद उनके पास पंजीकृत हों। ओ एम सीज अनुभव की गई आवश्यकता और तैयारी के अनुसार, और खरीद केन्द्रों की स्थापना भी कर सकती हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां अब तक अभिज्ञात खरीद केन्द्रों पर बायो-डीजल खरीद नहीं पाई है क्योंकि जिन पार्टियों ने स्वीकृति दी थी वे घोषित मूल्यों पर आपूर्ति करने की इच्छुक नहीं हैं। उन दूसरी पार्टियों के पास अभी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिन्होंने बायो-डीजल की आपूति करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा और कर्नाटक में अल्पसंख्यकों पर हमला

1947. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री पी.सी. थामस :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उड़ीसा और कर्नाटक के उन स्थानों का दौरा किया है जहां पर हाल ही में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने सरकार को देश भर के गिरजाघरों पर हुए गंभीर हमलों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक दल ने उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों का दौरा क्रमशः दिनांक 11 से 13 सितम्बर, 2008 तक तथा 16 से 18 सितम्बर, 2008 तक किया। आयोग की रिपोर्ट को, जिसमें की गई प्रतिकारी और निवारक कार्रवाई की अनुशंसा को सम्बद्ध राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

रेल सेवा रद्द करना

1948. श्री अधीर चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा कारणों, कानून व्यवस्था में गड़बड़ी और बाढ़ की स्थिति आदि के कारण रेलवे ने हाल ही में कुछ महीनों में देश के कई भागों की रेल सेवाएं रद्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे को हुई क्षति का मण्डलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रद्द की गई रेल सेवाओं को पुनः बहाल करने के लिए रेलवे ने कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जो गाड़ियां नहीं चल रही है उनके लिए अनुमानित राजस्व घाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) स्थिति सामान्य होने पर आस्थगित गाड़ियां पुनः चलाने का रेलें हर संभव प्रयास करती हैं। इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं संबंधी मामलों में गाड़ियां पुनः चलाने के लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ उनकी क्लीयरेंस लेने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखा जाता है। जिन मामलों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण गाड़ियां प्रभावित होती है। समग्र रेलवे अवसंरचना अर्थात रेलपथ, पुल आदि की संरक्षा के मद्देनजर जांच की जाती है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने पर ही गाड़ी सेवाएं पुनः बहाल की जाती है।

[अनुवाद]

बारंग-कटक खंड का दोहरीकरण

1949. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उड़ीसा में बारंग-कटक खंड पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी राशि आबंटित की गई तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष में आबंटित की गई राशि - 35.00 करोड़ रु. 31.10.2008 तक किया गया व्यय - 21.69 करोड़ रु.

(ग) 2009-10.

[हिन्दी]

इस्पात की मांग/बिक्री

1950. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की खरीद हेतु देश के इस्पात उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, प्रत्येक श्रेणी में पहचान किए गए उपभोक्ताओं सहित इस प्रकार की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस्पात संयंत्र के कुल उत्पादन में से बेचे गए इस्पात की औसत वार्षिक मात्रा कितनी है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो पा रही है;

(ङ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस्पात खरीदने के लिए इस्पात उपभोक्ताओं का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) नियंत्रणमुक्त और उदारीकृत अर्थव्यवस्था में इस्पात का उत्पादन मुख्यत: मांग परिस्थितियां (स्थानीय और वैश्विक बाजार दोनों) से तथा उत्पादन का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने हेतु कच्चे माल की उपलब्धता से भी प्रभावित होता है। उत्पादन से संबंधित निर्णय अनिवार्य रूप से इस्पात उत्पादन यूनिटों द्वारा लिए जाते हैं। सरकार इस प्रकार की बाजार व्यवस्था में केवल सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करती है — वह उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र रूप से नीतिगत माहौल प्रदान करती है। घरेलू इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने सचिव (इस्पात) का गठन किया है ताकि देश में अवसंरचना, कच्चे सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य संसाधनगत समस्याओं से संबंधित बड़े इस्पात निवेशकों से जुड़े मुद्दों की मॉनीटरिंग और समन्वय किया जा सके।

इस्पात की अतिरिक्त मांग जो घरेलू आपूर्ति से पूरी नहीं हो जाती है उसकी पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। गत पांच वर्षों के दौरान फिनिश्ड कार्बन स्टील के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

मात्रा: हजार टन

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम)
1753	2293	4305	4927	6921

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रमुख घरेलू इस्पात उत्पादकों ने ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों उद्यमों के माध्यम से अपनी विद्यमान क्षमताएं बढ़ने के माध्यम से अपनी विद्यमान क्षमताएं बढ़ने की योजनाएं घोषित की है। इन क्षमता वृद्धियों पर आधारित नवीनतम अनुमानों के अनुसार अपरिष्कृत इस्पात की उत्पादन क्षमता के वर्ष 2012 तक लगभग 124 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।

[अनुवाद]

गैस वितरण नेटवर्क

1951. **श्री परसुराम माझी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने कुछ राज्यों में गैस वितरण नेटवर्क प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल का विचार अपने गैस वितरण नेटवर्क में विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने आठ संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई हैं अर्थात् इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल), महानगर गैस लिमिटेड (एम जी एल), भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बी जी एल), सेंट्रल यू पी गैस लिमिटेड (सी यू जी एल), त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टी एन जी सी एल), ग्रीन ग्रास लिमिटेड, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एम एन जी एल) और असम गैस कंपनी लिमिटेड (ए जी सी एल) जो परिवहन क्षेत्र को कम्प्रैस नेचुरल गैस (सी एन जी) और घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को पाइपलाइन नेचुरल गैस (पी एन जी) की आपूर्ति कर रही हैं। ये संयुक्त उद्यम कंपनियां (जे वी सी) दिल्ली जैसे विभिन्न शहरों में, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, आगरा और बरेली, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और विजयवाड़ा, त्रिपुरा में अगरतला और मध्य प्रदेश में इन्दौर में परिवहन क्षेत्र को सी एन जी की आपूर्ति कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, पी एन जी की आपूर्ति कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, पी एन जी की आपूर्ति दिल्ली, मुंबई, अगरतला आदि शहरों में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को की जा रही है। ये जे वी सीज विभिन्न शहरों में शहर गैस वितरण (सी जी डी) परियोजनाओं में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही हैं। इसके अतिरिक्त, सी जी डी कारोबार को केन्द्रित ढंग से हाथ में लेने और सी एन जी और पी एन जी की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी पूर्णत: स्वामित्व की सहायक कंपनी बनाई है अर्थात् गेल गैस लिमिटेड/गेल गैस लिमिटेड 7 शहरों में सी जी डी नेटवर्क विकसित करने के लिए जून, 2008 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी एन जी आर बी) को रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) प्रस्तुत कर चुकी है।

कोच्चुवेली रेलवे टर्मिनल का द्वितीय चरण

1952. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोच्चुवेली रेलवे स्टेशन को थिरूवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे के सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष में कोच्चुवेली रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) कोच्चुवेली रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों की स्थिति क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) कोचुवेल्ली रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों को दो चरणों में निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। चरण-I के अंतर्गत कार्यों को 10.45 करोड़ रुपए की लागत पर पहले ही पूरा कर लिया गया है और शुरू कर दिया गया है। इनमें पूर्वी छोर पर एक नया स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर और बेज सहित एक पूर्ण लंबाई का प्लेटफार्म, कैरिज वाटरिंग सुविधाएं, एक नई पिट लाइन और दो अतिरिक्त लाइनें शामिल हैं। कोचुवेल्ली रेलवे स्टेशन के विकास का चरण-II जिसे 34.68 करोड़ रुपए की लागत पर 2006-07 में स्वीकृत किया गया है, में शेल्टरों सहित अतिरिक्त उच्च स्तर के प्लेटफार्म, ऊपरी पैदल पुल और यात्री सुविधाएं जैसे बैंच और पानी के नल और परिचालन क्षेत्र में सुधार शामिल है। इसके साथ-साथ, अनुरक्षण सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। 2008-09 हेतु 3.4 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और चरण-II के कार्यों के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम उत्पाद परिशोधनशालाओं द्वारा अर्जित लाभ

1953. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में निजी क्षेत्र को पेट्रोलियम उत्पाद परिशोधनशालाएं भारी लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कंपनियों द्वारा कमाए जा रहे भारी लाभ के संबंध में सरकार ने आंकलन किस प्रकार से किया है;

(ग) तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार की कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में कमाए गए लाभ के मद्देनजर सरकार इन कंपनियों पर किसी प्रकार का कर अथवा अप्रत्याशित लाभ कर लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) दो निजी क्षेत्र शोधन कंपनियों, नामत: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) और एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई ओ एल) में से आर आई एल ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान क्रमश: 7722.59 करोड़ रुपए एवं 120372.76 करोड़ रुपए के लाभ (ब्याज एवं कर पूर्व) की घोषणा की है। ई ओ एल ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान क्रमश: 54.55 करोड़ रुपए एवं 44.09 करोड़ रुपए की हानि (कर पूर्व) की घोषणा की है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

इस्पात के आयात पर रोक लगाना

1954. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात आयात पर रोक लगाने के संबंध में प्राथमिक इस्पात उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस्पात की मांग में अचानक गिरावट आने, इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक कमी आने के बारे में इस्पात उद्योग तथा उद्योग से संबंधित एसोसिएशनों से इस्पात मंत्रालय को काफी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और देश में इस्पात के सस्ते आयात से बचने के लिए उपयुक्त आर्थिक उपाय करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है।

(ग) सरकार ने 18.11.2008 से इस्पात पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 31.10.2008 से इस्पात की सभी मदों के निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया है, 14.11.2008 से इस्पात के निर्यात पर डीईपीबी लाभ को बहाल कर दिया है, 21.11.2008 से आयात की प्रतिबंधित सूची में तप्त बेल्लित क्वॉयलों के आयात को रख दिया है तथा 7.12.2008 से इस्पात की मदों पर उत्पाद शुल्क 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

धार्मिक पर्यटन

1955. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थानों की अवसंरचना के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित निधियों का राज्य-संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को धार्मिक पर्यटन संबंधी परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (च) धार्मिक स्थलों पर, अवसंरचना विकास सहित, पर्यटन का विकास तथा संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्तों पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/ संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमश: संलग्न

विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, धार्मिक पर्यटन सहित पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची विवरण-III में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अंजता-एलोरा संरक्षण तथा पर्यटन विकास चरण-II के लिए जापानिज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन से ऋण सहायता के साथ 299.00 करोड़ रुपए (लगभग) की परियोजना भी लागू की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	2615.82	3	1540.56	9	2629.48
2.	असम	10	2140.00	9	2453.39	5	1271.90
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	2240.16	12	1887.80	10	3330.12
4.	बिहार	3	1212.23	2	1937.29	3	1194.75
5.	छत्तीसगढ़	7	1775.59	16	3540.17	4	1274.09
6.	गोवा	1	10.00	0	0.00	0	0.00
7.	गुजरात	5	2011.58	7	443.65	5	576.58
8.	हरियाणा	7	639.71	5	1836.16	11	2260.27
9.	हिमाचल प्रदेश	6	1645.00	8	1871.00	12	2286.22
10.	जम्मू और कश्मीर	22	6656.01	29	5233.82	36	6851.15
11.	झारखंड	5	1227.27	3	956.35	7	1130.47
12.	कर्नाटक	8	1706.52	4	1323.89	5	2004.71
13.	केरल	13	4858.88	18	4474.02	10	3124.31

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	12	3047.39	10	3668.47	16	3952.66
15.	महाराष्ट्र	9	2075.04	13	2839.05	5	1279.44
16.	मणिपुर	2	49.80	9	939.35	5	1110.77
17.	मेघालय	1	5.00	9	1435.29	2	674.40
18.	मिजोरम	10	2273.41	9	2613.38	5	1692.94
19.	नागालैण्ड	9	2528.97	8	2340.32	21	2241.35
20.	उड़ीसा	10	2309.61	13	2826.84	12	2376.30
21.	पंजाब	5	1437.67	13	3223.37	1	397.89
22.	राजस्थान	7	2591.87	8	953.84	2	1554.46
23.	सिक्किम	14	2844.56	13	2609.42	27	6036.48
24.	तमिलनाडु	19	4264.62	11	1866.41	13	2831.80
25.	त्रिपुरा	3	716.26	4	291.27	11	1110.76
26.	उत्तराखंड	13	2738.00	16	1907.50	5	2081.04
27.	उत्तर प्रदेश	18	3905.23	7	3329.06	7	2833.03
28.	पश्चिम बंगाल	5	989.35	10	2978.32	12	3243.17
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	6.25	0	0.00	0	0.00
30.	चण्डीगढ़	1	13.70	2	15.00	2	20.00
31.	दादरा एवं नागर हवेली	2	29.79	0	0.00	0	0.00
32.	दिल्ली	2	20.00	5	2400.09	7	749.08
33.	दमन एवं दीव	4	262.28	0	0.00	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	1	7.00	1	782.73
35.	पुडुचेरी	2	469.39	1	500.00	6	1610.88
	कुल	253	61316.96	278	64242.08	277	64513.23

विवरण-II

वर्ष 2008-09 (सितम्बर, 08 तक) में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	2008-09	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	8629.79
2.	असम	2	1321.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	2031.12
4.	बिहार	1	389.45
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00
6.	गोवा	0	0.00
7.	गुजरात	4	1823.44
8.	हरियाणा	4	551.21
9.	हिमाचल प्रदेश	10	3477.66
10.	जम्मू एवं कश्मीर	16	2706.25
11.	झारखंड	0	0.00
12.	कर्नाटक	2	3758.21
13.	केरल	4	633.82
14.	मध्य प्रदेश	6	1721.12
15.	महाराष्ट्र	0	0.00
16.	मणिपुर	1	5.72
17.	मेघालय	6	1238.54
18.	मिजोरम	4	318.38
19.	नागालैंड	7	2410.46
20.	उड़ीसा	1	3022.80
21.	पंजाब	1	1585.53
22.	राजस्थान	2	721.98
23.	सिक्किम	15	5777.93
24.	तमिलनाडु	5	1374.59
25.	त्रिपुरा	5	355.94
26.	उत्तरांचल	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3	1757.84
28.	पश्चिम बंगाल	6	2832.73
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	1	10.00
31.	दादरा और नगर हवेली	2	19.88
32.	दिल्ली	1	15.00
33.	दमन एवं दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	0	0.00
35.	पुडुचेरी	1	20.00
	कुल	119	48523.86

विवरण-III

महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान
स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(लाख रुपये)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
2005-06		
1.	महाराष्ट्र में 2005-06 के दौरान एलिफेन्टा उत्सव	5.00
2.	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत माथेरन का विकास	451.42
3.	कोंकण रिवीरिया पार्ट-III परिपथ जिसमें गणपतिपूले-वलनेश्वर-सिंधुदुर्ग-तरकारली	594.17
4.	कार्यक्रम के अंतर्गत पूणे उत्सव 2008	15.00
5.	ऐलोरा-औरंगाबाद उत्सव 2005-06 मनाना	5.00
6.	गंतव्य विकास योजना के अधीन सिंहागद फोर्ट का जीर्णोद्धार	470.11
7.	करला, पुणे जिले, महाराष्ट्र का गंतव्य विकास	485.02
8.	मुंबई, महाराष्ट्र में पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण	44.32
9.	वर्ष 2004-05 के लिए कालीदास उत्सव मनाना	5.00
	कुल	2075.04
	2006-07	
1.	न्यू महाबालेश्वर हिल स्टेशन का विकास	15.00
2.	कालीदास उत्सव मनाना	5.00
3.	एलोरा-औरंगाबाद उत्सव मनाना	10.00
4.	हाथी उत्सव मनाना	10.00
5.	चिकालदारे उत्सव मनाना	5.00
6.	मुंबई फोर्ट परिपथ — सेवारी फोर्ट, घोडबंदर फोर्ट, वर्ली फोर्ट तथा बांद्रा फोर्ट का एकीकृत विकास	728.44

1	2	3
7.	कुनकेश्वर का गंतव्य विकास	314.04
8.	महाबलेश्वर (चरण-II) जिला सतारा, का अवसंरचना तथा गंतव्य विकास	480.57
9.	कोल्हापुर परिपथ का एकीकृत विकास	704.03
10.	औरंगाबाद कला और हस्त कला केन्द्र का विकास	442.16
11.	आईटी परियोजनाओं का विकास	54.81
12.	मोराची चिनचोली ग्राम, जिला पुणे, का ग्रामीण पर्यटन विकास	50.00
13.	मोराची चिनचोली ग्राम, जिला पुणे, का ग्रामीण पर्यटन विकास (सीबीएसपी)	20.00
	कुल	2839.05
	2007-08	
1.	गोरे गांव फिल्म सिटी मुम्बई में कला एवं हस्तकला गांव का विकास	386.62
2.	मंधरदेव, ताल-वाई, जिला सतारा का गंतव्य विकास	498.40
3.	भांदरदारा पर्यटक परिपथ, अहमदनगर का एकीकृत विकास	374.42
4.	चीखलदारा तथा कालीदास उत्सव	10.00
5.	एलोरा-औरंगाबाद उत्सव	10.00
	कुल	1279.44

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

1956. **श्री संतोष गंगवार :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने शहर रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे ने उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों को आधुनिक बनाया है और उनका विस्तार किया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में खंड-वार मीटर गेज लाइन की कुल लंबाई कितनी है;

(ग) क्या रेलवे को आमान परिवर्तन परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल से जुड़े विभिन्न शहरों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में बहुत फैला हुआ रेल नेटवर्क है जो प्रान्त के विभिन्न शहरों को

रेल से जोड़े हुए है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में स्टेशनों के आधुनिकीकरण संबंधी सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश में मीटर गेज सेक्शन्स जो अस्तित्व में हैं निम्नलिखित हैं:—

क्र.सं.	सेक्शन का नाम	लंबाई (किमी. में) लगभग
1.	मथुरा-कासगंज	104
2.	कासगंज-बरेली	106
3.	बरेली-मैलानी	131
4.	भोजीपुर-लालकुंआ (पार्ट)	39
5.	मनथाना-ब्रह्मवर्त	8
6.	पीलीभीत-टनकपुर (पार्ट)	28
7.	पीलीभीत-शाहजहांपुर	83
8.	ऐशबाग-मलानी	194
9.	मलानी-गोंडा	266
10.	गोरखपुर-गोंडा	220
11.	नानापरा-नेपालगंज रोड	20
12.	आनंदनगर-नौतनवा	40
13.	गैनसारी-जरवा	15
14.	कप्तानगंज-थावे (पार्ट)	63
15.	इन्दरा-दोहरीघाट	35
16.	अचनेरा-मथुरा-वृन्दावन	46
17.	औरनीहार-जौनपुर	60
	कुल	1458

दो स्टेशनों के बीच कुछ सेक्शनों की लंबाई राज्य सीमा के लगभग है।

(ग) जी, नहीं। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, अभी हाल ही तक इस तरह का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर चोरी के मामले

1957. **श्री उदय सिंह :**
श्री निखिल कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई ए) दिल्ली सहित प्रसिद्ध विमानपत्तनों में पिछले कुछ महीनों में यात्रियों का सामान चोरी होने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आई इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा, सीमा शुल्क और विमानपत्तन के अधिकारी जानबूझकर विमानपत्तनों से यात्रियों का सामान चुरा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के मामलों की जांच करने और इस प्रकार की चोरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को गिरफ्तार करने का है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) चोरी के मामलों की सूचना पुलिस से एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोडिंग से पहले तथा लोडिंग के पश्चात् लोडरों की व्यापक जांच की जाती है, हवाई अड्डों पर सर्तकता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के सुपरविजन में चैक-इन बैगेज की लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य किया जा रहा है तथा प्रमुख हवाईअड्डों पर स्वचालित इन-लाइन बैगेज एक्स-रे स्क्रीनिंग प्रणाली आरंभ की गई है।

कर्नाटक में दोहरी रेल लाइन

1958. श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में दोहरी रेल लाइन बिछाने और उनके सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन रेल लाइनों को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 01.04.2008 तक कर्नाटक राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं हैं। 2008-09 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए मुहैया कराया गया परिव्यय, इन परियोजनाओं पर 31.3.2008 तक किया गया खर्च तथा लक्ष्य तारीख जहां कहीं भी निर्धारित की गई हो, सहित पूरा होने की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना	मार्च, 2008 तक किए गए खर्च	2008-09 के दौरान परिव्यय व्यवस्था	स्थिति/लक्ष्य तारीख जब कभी निर्धारित किया गया हो
1	2	3	4	5
1.	कॅगेरी-रामानगरम (32.43 किमी)	50.91	5	पूरा हो चुका है।
2.	यशवंतपुर-तुमकूर (64 किमी)	126.55	8	पूरा हो चुका है।
3.	बैंगलोर-व्हाईटफील्ड-बैंगलोर सिटी-कृष्णाराजपुरम (23.08 किमी)	0.016	0.01	अपेक्षित मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा।
4.	धारवाड़-कमबारगनवी (26.15 किमी)	25.06	50	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य तथा गिट्टी आपूर्ति से संबंधित कार्य शुरू हो चुके हैं। धारवाड़-मुगद (13 किमी) पर कार्य 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	हुबली-हेबसूर (18.75 किमी)	2.61	40	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य तथा गिट्टी आपूर्ति से संबंधित कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य को 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	अरसीकेरे-बिरूर (44.25 किमी)	0.30	50	अंतिम स्थान निर्धारण कार्य पूरा हो चुका है कार्य के विस्तृत अनुमान की मंजूरी दे दी गई है। कार्य शुरू हो चुका है।
7.	कॅगेरी-मैसूर का विद्युतीकरण सहित रामानगरम-मैसूर दोहरीकरण (91.50 किमी)	0.43	50	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य तथा गिट्टी आपूर्ति से संबंधित कार्य शुरू हो चुका है।

1	2	3	4	5
8.	गुंतकल-हास्पेट (115 किमी)	242.75	21	पूरा हो चुका है।
9.	रायचूर-गुंतकल (81.1 किमी)	37	100	इस कार्य को रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा शुरू किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य तथा गिट्टी आपूर्ति से संबंधित कार्य शुरू हो चुके हैं। इस कार्य को 2009-10 के दौरान पूरा करने की योजना है।

कर्नाटक राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए हाल ही में पूरा किए गए सर्वेक्षण और उनकी प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सर्वेक्षण	स्थिति
1.	हासपेट-हुबली-लोंडा-वास्को (341 किमी)	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है।
2.	यलहंका-पेनुकोंडा (120 किमी)	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
3.	हसन-मंगलोर (159 किमी)	नए सर्वेक्षण को बजट 2008-09 में शामिल कर लिया गया है।
4.	(दौंड) होटगी-गुलबर्गा (225 किमी)	इस परियोजना को रेल विकास निगम लि. द्वारा शुरू किया जा रहा है। कार्य की व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण पूरा हो चुका है।
5.	सलेम-बैंगलोर (218 किमी)	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(घ) दोहरीकरण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां मुहैया कराई जा रही हैं। कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आरवीएनएल को सौंप दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की समाज कल्याण योजनाएं

1959. **श्री मानिक सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षोंके दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और गेल (गैस अथारिटी आफ इंडिया) द्वारा मध्य प्रदेश में जनता के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत क्या कार्य किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी जन-कल्याण योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कंपनी-वार कितनी धनराशि आबंटित/खर्च की गई है; और

(ग) जनहित में ऐसे कार्य करने के लिए क्या मानक और मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) कंपनी के नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों ने पिछले वित्तीय वर्ष के प्रत्येक कंपनी के कर पश्चात निवल लाभ की 0.75 से 1.0 प्रतिशत के बीच की राशि खर्च की है। विभिन्न योजनाएं/कार्यकलाप जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों

के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आरम्भ की गई हैं वे निम्नलिखित सात प्राथमिक क्षेत्रों में हैं-

समुदायिक विकास

पेयजल/स्वच्छता

शैक्षिक सहायता

अवस्थापना/सड़कों पर रोशनी

स्वास्थ्य रक्षा/चिकित्सा

पर्यावरण संरक्षण

साक्षरता

विकास/अधिकारिता

सी एस आर मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, स्थानीय/सांविधिक/सामाजिक समूहों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व कार्यालयों कलेक्टर कार्यालय, राज्य प्राधिकारियों, जिला अस्पतालों/सी एम ओज, स्कूल प्राधिकारियों तथा विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करके इन कार्यक्रमों का पता लगाया जाता है।

जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध हैं, इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न कल्याण परियोजनाएं संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई हैं। प्रमुख सरकारी तेल उपक्रमों द्वारा ऐसी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च की गई राशियों के विस्तृत विवरण संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास क्रियाकलाप

	क्रियाकलाप	स्थान/संस्था
	1	2
1.	**इंडियन आयल कारपोरेशन**	
1.	मंगलीगांव डिपो के आसपास के आवासीय क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल सुविधा का प्रावधान	सांवर, इन्दौर
2.	कैंसर जागृति और उसका पता लगाले के लिए शिविर	ग्लोबल कैंसर कन्सर्न इंडिया (जीसीसीआई), भोपाल
3.	निशातपुर डिपो के आसपास की कालोलियों के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान	भोपाल
4.	जल प्रशीतकों, धुलाई मशीनों, रंगीन टी वी/वी सी डी आदि के लिए अंशदान	बाल संरक्षण गृह, उज्जैन
5.	जल प्रशीतक और प्रिंटर सहित कम्प्यूटर के लिए अंशदान	सेंट जोसेफ सहशिक्षा विद्यालय, भोपाल
2.	**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन**	
1.	हैप्पी डेज स्कूल के लिए चहार दिवारी/रसोई का निर्माण किया	बिनागा, शिवपुरी
2.	स्नायुतांत्रिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक और उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई	रोशनी, ग्वालियर

1		2
3.	मानसिक रूप से पिछड़े बधिर और मूक बच्चों के लिए पिक अप वाहन उपलब्ध कराया गया	रीवा
4.	फर्नीचर उपलब्ध कराया गया	परीक्षापूर्व प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
5.	प्रिंटर सहित कम्प्यूटर, जल प्रशीतक और आक्वागार्ड उपलब्ध कराए गए	चार बाल एवं बालिका छात्रावास, देवास
6.	प्रयोगशाला उपकरण, यूपीएस व प्रिंटर सहित कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया	ग्राम बलदेव भण्डारी सेवा विद्या मंदिर स्कूल, गोविंदपुरा, भोपाल
7.	पूरे भोपाल में गंदी बस्ती के बच्चों के लिए 200 कंबल उपलब्ध कराए गए	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्रिस्चियन फोरम, भोपाल
8.	पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सहायता	निशातपुरा
9.	कम्प्यूटर, यू पी एस, प्रिंटर, कुर्सी, मेज, जल प्रशीतक, टैंक उपलब्ध कराए	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दशहरा मैदान, उज्जैन
10..	सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, चिनावरे
11.	सिलाई मशीनें वितरित की गई	गैर सरकारी संगठन, छिंदवाड़ा
3.	**भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन**	
1.	"आवश्यकता का आकलन" हाथ में लिया। तेल ईंधन रहित, विद्युत-रहित आटा मिल, तेल ईंधन रहित, विद्युत-रहित सिंचाई प्रणाली। आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जड़ी-बूटी औषधि उद्यान	गांव नीलगढ़, जिला रायसेन
4.	**गेल (इंडिया) लिमिटेड**	
1.	गरीब बच्चों के लिए औषधियां उपलब्ध कराई	झाबुआ
2.	फर्नीचर उपलब्ध कराया	आदिवासी शेखों की संस्कृतिक, झाबुआ
3.	आदिवासी विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति	निराश्रित बाल आश्रम, झाबुआ
4.	नाली, सफाई और रख रखाव	जिला अस्पताल गुआनो
5.	चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए	झावान, आबजुरिंग गार्न एवं मीना में पीएचसी
6.	निशुल्क मरामर्श और औषधि वितरण	अहमदपुर, अहीर खेड़ी, भैसाना, इका दिया, डोगर, विजयपुर, बेल्का, बदरपुर, भुमलाखेड़ी और चिनपुरा

1		2
7.	खिलौनों और बर्तनों का वितरण	माजरे-टोलो
8.	वर्षाजल एकत्रण	बदरपुर और गेल विजयपुर
9.	एपीआरडी निदान केन्द्र की स्थापना की	ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन
10.	निराश्रित बाल आश्रम के लिए अनुदान	महिला मंडल, झाबुआ
11.	नलकूल का अधिष्ठापन	राजकीय उच्च विद्यालय, झाबुआ
12.	निराश्रित आदिवासी बच्चों के लिए साक्षरता और विद्यालय प्रभाव	झाबुआ
13.	जल से उत्पन्न बीमारियों के उन्मूलन के लिए परियोजनाएं	उज्जैन

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में लोक कल्याण योजनाओं/परियोजनाओं के लिए आबंटित/खर्च की गई धनराशि

	वर्ष	व्यय
	1	2
1.	**इंडियन आयल कार्पोरेशन**	
	2005-06	2.5
	2006-07	4.5
	2007-08	6.65
2.	**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन**	
	2005-06	10.60
	2006-07	00.91
	2007-08	22.87
3.	**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन**	
	2005-06, 2006-07 और 2007-08	1.96
4.	**गेल (इंडिया) लिमिटेड**	
	2005-06	239.45
	2006-07	131.45
	2007-08	175.19

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण कार्य में विलम्ब

1960. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार पाए जाने के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार के अन्वेषण कार्य में विलंब के कारण भारी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तथा राज्य-वार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां भण्डार पाए गए हैं परन्तु अन्वेषण कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के समय से अन्वेषण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे अन्वेषण कार्य में कोई विलंब नहीं हुआ है जहां खोज उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी एस सी) व्यवस्था के तहत की गई हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पी एस सी व्यवस्था के तहत प्रत्येक अन्वेषण चरण के लिए समय सीमा भली भांति परिभाषित है और प्रचालक को न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पी एस सी के अनुसार विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है।

[अनुवाद]

बोगीबील पुल परियोजना

1961. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माणाधीन बोगीबील परियोजना की स्थिति क्या है और वर्ष 2008-09 में इसके लिए कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण द्वारा प्रभावित हुए लोगों को मुआवजे के भुगतान का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, लिंक लाइनों पर छोटे और बड़े पुलों सहित बोगीबील रेल सह सड़क पुल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों पर कार्य शुरू हो गया है। गाइड बंधों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा बोल्डर संग्रह तथा सुरक्षा संबंधी कार्य लगभग पूरा हो गया है। 296.73 लाख घन मी. में से 198.42 लाख घन मी. का मिट्टी संबंधी कार्य, 19 बड़े पुलों और 98 छोटे पुलों में से 90, 15 ऊपरी/निचले सड़क पुलों में से 10 का कार्य पूरा हो चुका है। पहुंच तटबंध सहित मुख्य पुल उपसंरचना तथा साऊथ गाइड बंध का कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना पर 31.03.2008 तक 952 करोड़ रु. व्यय हो चुके हैं। 2008-09 के बजट में 75 करोड़ रु. के परिव्यय (रेल सकल बजटीय सहायता के जरिए) की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, इस राष्ट्रीय परियोजना के लिए 2008-09 के पूरक बजट में अतिरिक्त रूप से 58.25 करोड़ रु. परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना को मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) से (ङ) दो मामलों को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण द्वारा प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। साऊथ बैंक के गांव बानीपुर के लिए डीसी/डिब्रुगढ़ के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान/उपर्युक्त भूमि अतिरिक्त रूप से मांगी गई थी। दूसरा मामला नार्थ बैंक के धुलिया पुखुरी गांव डीसी/धेमजी के अंतर्गत लंबित है। भूमि मुआवजे का भुगतान स्वामित्व के विवाद के कारण भूमि मालिकों को नहीं किया गया है जिसे अब धेमजी जिले के राजस्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से सत्यापित किया गया है।

[हिन्दी]

विरासत स्थलों का पुनरुद्धार

1962. **श्री अजीत जोगी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विरासत स्थलों एवं पर्यटन केन्द्रों की पहचान तथा पुनरुद्धार करने का है ताकि अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उक्त परियोजना में शामिल

किए जाने हेतु किसी विरासत स्थल का पर्यटन केन्द्र का नाम प्रेषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटक स्थलों/हैरिटेज स्थलों की पहचान और विकास मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को हैरिटेज स्थलों सहित महत्वपूर्ण गंतव्यों/परिपथों में पर्यटन अवसंरचना के सृजन/सुधार के लिए, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति राशि (लाख रुपये)
1.	रतनपुर का विकास	249.57
2.	डूंगरगढ़ का विकास	316.97
3.	रायपुर-मुखथंगन-चम्पारन-कोडार पर पर्यटक परिपथ का विकास	665.50
4.	जिला रायपुर के औध ग्राम में ग्रामीण पर्यटन	42.05
	कुल	1274.09

[अनुवाद]

गुजरात में नई रेल लाइन

1963. श्री महेश कनोडीया :
श्री हरिन पाठक :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

*उत्तर के भाग (क) से (ग) को तदुपरांत 19.2.2009 को सभा में दिए गए शुद्धि विवरण द्वारा सही किया गया।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विभिन्न सेक्टरों में फैली 10 नई रेल लाइनों के निर्माण तथा इनके लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने हेतु फरवरी, 2008 में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क)* उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल/डीजल की मांग और आपूर्ति

1964. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस (एलपीजी) की अनुमानित मांग तथा आपूर्ति राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति में सुधार करने तथा अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में अप्रैल-अक्तूबर, 2008 के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की अनुमानित मांग अनन्तिम रूप से नीचे दी गई है:-

उत्पाद	मांग (एमएमटी)
पेट्रोल	6.44
डीजल	29.26
एलपीजी	6.90

उपर्युक्त मांग, घरेलू उत्पादन के जरिए या कमी होने के मामले में आयातों के जरिए उत्पादों की आपूर्ति करके पूरी की गई।

अप्रैल-अक्तूबर, 2008 की अवधि के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (निजी आयातों को छोड़कर) की राज्यवार बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्धता में होने वाली कमी को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। अप्रैल-अक्तूबर, 2008 की अवधि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

उत्पाद	आयात (एमएमटी)	मांग का %
पेट्रोल	0.27	4.2
डीजल	1.37	4.7
एलपीजी	1.32	19.1

(घ) मांग पूरी करने के लिए उत्पादों की घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं- विस्तार कार्यक्रमों के जरिए मौजूदा रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ाना और अपशिष्ट उन्नत सुविधाएं स्थापित करना और नई ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करना।

विवरण

चुनिंदा उत्पादों की राज्य-वार संचयी बिक्री एम टी में 2008-09 (अनंतिम) (अप्रैल से अक्तूबर, 2008)

राज्य	एलपीजी	पेट्रोल	डीजल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	546919	484752	3036655
अंडमान और निकोबार द्वीपसमह	3263	4421	45932
अरुणाचल प्रदेश	6396	8455	29356
असम	101685	63637	303925
बिहार	160350	102632	758368
चंडीगढ़	19295	43194	43905
छत्तीसगढ़	66692	99194	503196
दादरा और नगर हवेली	7894	6847	38342
दमन और दीव	4038	7471	32250
दिल्ली	351369	454153	760333
गोवा	30547	46068	195816
गुजरात	374636	461718	1731066
हरियाणा	233626	280159	2064125
हिमाचल प्रदेश	53245	44885	221129
जम्मू और कश्मीर	68771	59588	258303
झारखंड	61465	94158	558248
कर्नाटक	464301	439168	1818746
केरल	308436	343664	926400
लक्षद्वीप	138	0	6772
मध्य प्रदेश	261679	266978	1157104
महाराष्ट्र	1016451	902450	3121384
मणिपुर	10172	12099	26683
मेघालय	8123	17375	101540
मिजोरम	9798	7129	18744
नागालैंड	8281	9340	14902
उड़ीसा	89711	129424	773166
पांडिचेरी	17441	41521	186737

1	2	3	4
पंजाब	311398	287714	1597947
राजस्थान	276103	301720	1888948
सिक्किम	5055	4749	18421
तमिलनाडु	631650	607786	2655364
त्रिपुरा	10537	10477	31395
उत्तर प्रदेश	691629	553663	2864010
उत्तराखण्ड	82808	70010	260566
पश्चिम बंगाल	340306	173423	1167741
कुल योग	6634208	6440022	29217519

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा विदेशी कंपनियों को प्रदत्त अंशधारिता

1965. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विचार कृष्णा-गोदावरी बेसिन ब्लाकों पर अपने दावे की अंशधारिता विदेशी कंपनियों को दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय ने ओएनजीसी के अनुरोध पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क)से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने निम्नलिखित दो गहरे समुद्री अन्वेषण ब्लाकों में विदेशी कंपनियों को साझीदार बनाने का प्रस्ताव किया था:-

ब्लाक	मौजूदा साझीदार	प्रस्तावित साझीदार
केजी-डी डब्ल्यू एन-98/2	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) 90% कैर्न इंडिया लिमिटेड 10%	ओएनजीसी-65% (प्रचालक) कैर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीईआईएल)-10%, पेट्रोब्रास इंटरनेशनल ब्रासपेट्रो बी वी-15%, नोर्स्क हाइड्रो आयल एंड इनर्जी इंडिया बी वी 10% पी आई
केजी-डी डब्ल्यू एन-98/4	ओएनजीसी-85% आयल आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)-15%	ओएनजीसी-55% ओआईएल-15% ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजीईपीआईएल)-30%

भारत सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केरोसिन, डीजल, एलपीजी तथा पेट्रोल का आबंटन

1966. **डा. टोकचोम मैन्या :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री गिरिधारी यादव :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्रीमती के. रानी :
श्री टेक लाल महतो :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में केरोसिन, डीजल, एलपीजी तथा पेट्रोल की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आपूर्ति किए गए केरोसिन, डीजल, एलपीजी तथा पेट्रोल की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित अनेक राज्यों में केरोसिन, डीजल, एलपीजी तथा पेट्रोल की अत्यन्त कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड से केरोसिन, डीजल, एलपीजी तथा पेट्रोल का कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(च) केरोसिन/एलपीजी के अन्यत्र उपयोग/कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन वस्तुओं को उचित दर पर ग्राहकों को उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके; और

(छ) केरोसिन/एलपीजी के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल को छोड़कर, पेट्रोलियम पदार्थों के आबंटन के लिए कोई राज्यवार कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। पीडीएस मिट्टी तेल का राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आबंटन मिताही आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 2008) के दौरान पेट्रोल (एमएस), डीज़ल (एचएसडी), एलपीजी तथा एसकेओ के राज्य-वार खपत के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस मंत्रालय को देश में मिट्टी तेल की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, सरकार को विभिन्न राज्यों में पेट्रोल तथा डीजल के न होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। तथापि, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचना दी है कि वे पूरी मांग को पूरा कर रहे हैं। कुछ राज्यों में बिजली की अत्यधिक कमी के कारण बिजली उत्पादन के लिए डीजल की मांग में वृद्धि देखी गई है। ओएमसीज जहां कहीं संभव हुआ है, ऐसी मांग को पूरा कर रही हैं।

ओएमसीज ने सूचना दी है कि वे हर समय देश में पेट्रोल तथा डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और मांग पत्रों के अनुसार आर ओज को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं। ओएमसीज ने यह सूचना भी दी है कि उन्होंने देश में कहीं भी अपने आर ओज को पेट्राल और डीजल की आपूर्ति प्रतिबंधित/कम नहीं की है।

चूंकि पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए उसके लिए कोटा बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार को बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु की संख्या सरकारों से पीडीएस मिट्टी तेल को कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हाल में झारखंड राज्य सरकार खंड से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीज) ने पीडीएस एसकेओके अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया है ताकि बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न तत्काल और अत्यावश्क स्थितियों से निपटा जा सके। सरकार ने इन अनुरोधों पर तत्काल कार्रवाई की है और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आबंटन किए हैं।

(च) उच्च मूल्य अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कालाबाजारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिट्टी तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का निर्धारण) आदेश 1993 के प्रावधानों को जारी किया है जिनके द्वारा डीलर, सरकार अथवा ओएम सीज द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर पीडीएस मिट्टी तेल नहीं बेच सकते हैं और पीडीएस मिट्टी तेल डीलरों को भण्डार के स्थान सहित व्यापार के ध्यानाकर्षी स्थान पर बोर्ड पर स्टाक एवं मूल्य लिखकर अवश्यक दर्शाना चाहिए।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिट्टी तेल के विपथन तथा काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के तहत, राज्य सरकारों को कालाबाजारी तथा अन्य अनियमितताओं में लिप्त सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल नेटवर्क का आमूल चूल सुधार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना जन केरोसिन परियोजना (जेकेपी) का भी अनुमोदन किया है। यह अत्यधिक रियायती उत्पाद वास्तव में अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्राओं में उपलब्ध कराया जाए और द्वितीयत: इस प्रकार मिलावट के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित, कम और अंतत: समाप्त किया जा सके। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि

उप थोक केन्द्रों को आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की प्रत्यक्ष निगरानी और उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाएंगी। यह योजना 2 अक्तूबर, 2005 से देश में 414 ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है।

रियायती मिट्टी तेल का विपथन/चोरी को रोकने के मद्देनजर और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी कराने हेतु सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 31.3.2007 तक सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया है। इस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एसकेओ को ले जाने वाले वाहन पर एक उपकरण लगा होता है और इसके आपूर्ति स्थान से जाने और गन्तव्य तक पहुंचने तक इसका वास्तविक समय आधार पर पता लगाया जा सकता है।

वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए और साथ ही राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल का विपथन रोकने के लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओएम सीज) को अपमिश्रकों में मार्कर आरम्भ करने का परामर्श भी दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएम सीज ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्ट तेल में मार्कर प्रणाली आरम्भ कर दी है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरम्भ किए जाने की द्योतक है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में बहुत थोड़ी मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है।

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये थे-

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की ओएम सीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी वर्जित है। राज्य सरकारों को इस आदेश के प्रावधानों के अधीन दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होता है। राज्य सरकारों को अनिधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने हेतु समय समय पर सतर्क किया जाता है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएम सीज के अधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी बिन्दुओं और मार्ग में भी औचिक जांच करते रहते हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विपथन/काला बाजारी ने होने पाए। एमडीजी के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर का विपथन/काला बाजारी सिद्ध हो जाने के मामले में वितरक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है।

(i) पहले अपराध के मामले में 20,000 रुपये जुर्माना प्लस वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एलपीजी की कीमत।

(ii) दूसरे अपराध के मामले में 50,000 रुपये जुर्माना प्लस वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एलपीजी की कीमत।

(iii) तीसरे अपराध के मामले में डिस्ट्रीब्यूटशिप समाप्त कर देना।

(छ) मिट्टी तेल एलपीजी समेत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में सुधार करने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में सुधार करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेसिंग नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौरों के अंतर्गत, अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उन्हें पेशकश पर रखना।

(2) उत्पादन चालू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का अधिक तेजी से विकास करना।

(3) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग करना।

(4) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति बढ़ाने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर) उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों को लागू करना।

(5) पुराने क्षेत्रों में आ रही गिरावट को रोकना।

(6) देश में इक्विटी तेल लाने के लिए अन्वेषण रकबों और उत्पादनशील सम्पत्तियों का अर्जन करना।

(7) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों, जैसे बायो डीजल, एथेनोल, आदि के इस्तेमाल के जरिए तेल को प्रतिस्थापित करना।

(8) अतिरिक्त शोधन क्षमता तथा अपशिष्ट उन्नयन परियोजनाओं के द्वारा वृद्धि कराना।

विवरण-I

राज्यवार पेट्रोल बिक्री (मी टन)

अवधि राज्य	2005-06 मात्रा मी. टन	2006-07 मात्रा मी. टन	2007-08 मात्रा मी. टन	2008-09 (अक्तूबर 2008, तक) मात्रा मी. टन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	586318	641135	729529	484752
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6458	5800	7647	4421
अरुणाचल प्रदेश	12619	11982	13047	8455
असम	94973	95171	101057	63637
बिहार	122760	130899	151332	102632
चंडीगढ़	62171	63522	68266	43194
छत्तीसगढ़	117092	126059	146514	99194
दादरा और नगर हवेली	8387	10027	10639	6847
दमन और दीव	9435	10320	11384	7471
दिल्ली	676047	702498	748887	454153
गोवा	66693	73517	79772	46068
गुजरात	620849	633405	684686	461718
हरियाणा	319177	367576	432407	280159
हिमाचल प्रदेश	59814	63652	69851	44885
जम्मू और कश्मीर	85677	89557	100342	59588
झारखंड	124995	128323	143047	94158
कर्नाटक	513784	552258	630283	439168
केरल	446623	477703	527578	343664
मध्य प्रदेश	318401	337575	393231	266978
महाराष्ट्र	1153111	1257975	1419252	902450

1	2	3	4	5
मणिपुर	15063	17924	19513	12099
मेघालय	27441	28875	31867	17375
मिजोरम	10248	10386	11095	7129
नागालैण्ड	14552	14215	15904	9340
उड़ीसा	159617	171967	197385	129424
पांडिचेरी	53824	64825	69426	41521
पंजाब	411666	428668	470266	287714
राजस्थान	355235	394609	451761	301720
सिक्किम	6274	6154	6818	4749
तमिलनाडु	761404	802551	907554	607786
त्रिपुरा	14701	15490	16382	10477
उत्तर प्रदेश	711380	736427	829868	553663
उत्तराखण्ड	77325	89988	105920	70010
पश्चिम बंगाल	229617	242330	272984	173423
कुल योग	8253731	8803384	9875493	6440022

विवरण-II

राज्यवार पेट्रोल बिक्री (मी टन)

अवधि राज्य	2005-06 मात्रा मी. टन	2006-07 मात्रा मी. टन	2007-08 मात्रा मी. टन	2008-09 (अक्तूबर 2008, तक) मात्रा मी. टन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	800669	847169	916958	546919
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4851	5238	4916	3263

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	9521	10138	10933	6396
असम	162243	167347	177005	101685
बिहार	243573	251712	266437	160350
चंडीगढ़	30601	32550	35085	19295
छत्तीसगढ़	97689	105635	116068	66692
दादरा और नगर हवेली	8827	9743	13378	7894
दमन और दीव	5464	6068	6952	4038
दिल्ली	566644	585041	619636	351369
गोवा	44338	47905	52333	30547
गुजरात	579497	602629	655240	374636
हरियाणा	368532	391033	439092	233626
हिमाचल प्रदेश	78438	82074	89962	53245
जम्मू और कश्मीर	105642	110814	123423	68771
झारखंड	92179	95391	106400	61465
कर्नाटक	652967	707970	780005	464301
केरल	455876	478784	516804	308436
मध्य प्रदेश	174	243	209	138
महाराष्ट्र	390482	411292	452919	261679
मणिपुर	1511123	1612385	1778282	1016451
मेघालय	15937	15211	17467	10172
मिजोरम	12261	12868	13289	8123
नागालैंड	17231	17801	17440	9798
उड़ीसा	12935	13634	14302	8281

1	2	3	4	5
पांडिचेरी	129502	134334	145372	89711
पंजाब	23521	24358	30184	17441
राजस्थान	494468	521686	556800	311398
सिक्किम	422565	443694	503453	276103
तमिलनाडु	7829	5624	8376	5055
त्रिपुरा	932718	977780	1070558	631650
उत्तर प्रदेश	17844	18988	20061	10537
उत्तराखण्ड	1052033	1113938	1202725	691629
पश्चिम बंगाल	126977	134491	148612	82808
	501017	534474	571308	340306
कुल योग	9976168	10530044	11481982	6634208

विवरण-III

राज्यवार पेट्रोल बिक्री (मी टन) केवल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अवधि	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अक्तूबर 2008, तक)
राज्य	मात्रा मी. टन	मात्रा मी. टन	मात्रा मी. टन	मात्रा मी. टन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3232424	3838438	4655219	3036655
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73571	82584	95115	45932
अरुणाचल प्रदेश	44682	47446	51419	29356
असम	446960	476890	500496	303925
बिहार	921393	995772	1178729	758368
चंडीगढ़	63578	68772	73559	43905

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	612097	690369	799519	503196
दादरा और नगर हवेली	60403	69442	64186	38342
दमन और दीव	52055	50925	46237	32250
दिल्ली	1163193	1325796	1394204	760333
गोवा	272535	324539	365376	195816
गुजरात	2056946	2491442	2685158	1731066
हरियाणा	2306747	2615083	3162360	2064125
हिमाचल प्रदेश	306835	341706	377487	221129
जम्मू और कश्मीर	365778	381661	425593	258303
झारखंड	889122	834060	924870	558248
कर्नाटक	2387767	2662480	2878647	1818746
केरल	1333875	1377306	1456833	926400
मध्य प्रदेश	4323	7196	15975	6772
महाराष्ट्र	1380531	1504411	1773596	1157104
मणिपुर	3345770	3999578	5024010	3121384
मेघालय	31939	37630	42647	26683
मिजोरम	165090	174065	192264	101540
नागालैण्ड	25825	28805	30125	18744
उड़ीसा	27045	26509	26977	14902
पांडिचेरी	966823	1092845	1263161	773166
पंजाब	257920	304696	318699	186737
राजस्थान	2110946	2356316	2571661	1597947
सिक्किम	2412911	2783391	3131404	1888948

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	33293	28798	26959	18421
त्रिपुरा	2981109	3282840	3896291	2655364
उत्तर प्रदेश	42941	49167	51989	31395
उत्तराखण्ड	4014981	4183775	4596857	2864010
पश्चिम बंगाल	324086	378063	431243	260566
	1593997	1704123	1914045	1167741
कुल योग	36307689	40016916	46442912	29217519

इस्पात का आयात

1967. **श्री विजय कृष्ण : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पिछले कुछ वर्षों से इस्पात का मुख्य आयातक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान कितने इस्पात का आयात किया गया;

(ग) क्या इस्पात की मांग में वृद्धि के कारण भारत द्वारा अगले कुछ वर्षों के दौरान 50 मी. टन इस्पात का आयात करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नई इस्पात नीति में विशेषरूप से निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। भारत वर्ष 2007-08 में इस्पात का निवल आयातक बन गया है और वर्ष 2008-09 में यह रुख जारी है।

(ख) नीचे तालिका में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से नवंबर, 2008) के दौरान देश में कुल परिसज्जित इस्पात का आयात दर्शाया गया है:-

वर्ष	कुल परिसज्जित इस्पात का आयात (एमटी)
2005-06	4.31
2006-07	4.93
2007-08*	6.92
अप्रैल से नवंबर, 2008	3.80

स्रोत: संयुक्त संत्रंत्र समिति, *-अनंतिम

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए इस्पात उद्योग से संबंधित कार्य समूह द्वारा दिसंबर, 2006 में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2012 तक इस्पात की मांग 70.34 मिलियन टन तथा इस्पात की आपूर्ति 80.23 मिलियन टन होने का अनुमान है। तथापि, नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 तक इस्पात का घरेलू उत्पादन 124.06 मिलियन टन तक होने का अनुमान है।

(घ) घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने देश में अवसंरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरण संबंधी मंजूरी तथा अन्य संसाधनों संबंधी अड़चनों जैसे प्रमुख इस्पात निवेश संबंधी मुद्दों को मानीटर करने और समन्वय करने के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक इंटर-मिनिस्टरियल ग्रुप (आईएमजी) का गठन किया है।

फाईबर ग्लास के एल.पी.जी. सिलेंडरों का विनिर्माण

1968. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अर्धपारदर्शक फाईबर ग्लास एल.पी.जी. सिलेंडर शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि ग्राहक सुपुर्दगी के समय तरल पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) के स्तर को देख सके जिससे ग्राहकों द्वारा कम भार के एल.पी.जी. सिलेंडरों की सुपुर्दगी संबंधी शिकायतों को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भरत में सिलेंडरों के विनिर्माण हेतु नार्वे की एक कंपनी ने चीफ कंट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव से स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) को देश में लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरने वाले विदेशी एल.पी.जी. फाईबर ग्लास सिलेंडर विनिर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ओ.एम.सी. की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने घरेलू एल.पी.जी. के विपणन के लिए यौगिक (पार भासी फाइबरग्लास) सिलिंडरों के शुरू करके उत्पाद लाइन का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम. सीज) को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन सूचित कर दिया है बशर्ते कि इन यौगिक सिलिंडरों के जरिए विपणन की जाने वाली एल.पी.जी. में कोई राजसहायता नहीं मिलेगी। ये यौगिक सिलिंडर, सिलिंडर में विद्यमान एल.पी.जी. का स्तर दर्शाएंगे

(ग) से (च) ओ.एम. सीज ने रिपोर्ट दी है कि आज की स्थिति के अनुसार, यौगिक सिलिंडरों के दो आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् मैसर्स रागैस्को, नार्वे और मैसर्स कम्पोजिट स्कॅडिनेविया, स्वीडन को मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक (सी.सी.ओ.ई) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। ओ.एम. सीज भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलतम प्रौद्योगिकी पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर नई नेविगेशन प्रणाली

1969. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली व मुंबई विमानपत्तनों पर नई नेविगेशन प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक संख्या में विमान उतारे जा सकें और उड़ान भर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली को कब तक आरम्भ किया जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि के विमान ईंधन के बचने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर ग्राउण्ड आधारित संवर्धन प्रणाली (जीबीएएस) संस्थापित की जा रही है। जीबीएएस वैश्विक पोजीशनिंग उपग्रह प्रणाली पर आधारित एक नई प्रौद्योगिकी है तथा जहां यह संस्थापित है वहां यह किसी हवाईअड्डे पर सभी रनवे के लिए सटीक पहुंच उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह सुविधा पहुंच मार्गों पर सीधी एप्रोच उपलब्ध कराने के साथ-साथ कर्वड एप्रोच उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। दिल्ली में इस प्रणाली को जून 2009 तक तथा मुम्बई में फरवरी, 2010 तक संस्थापित किए जाने की योजना है। बहरहाल, विमानों के प्रयोग के लिए प्रमाणित प्रणाली अप्रैल, 2010 तक उपलब्ध हो जाएगी।

अहमदाबाद और उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन

1970. श्री हरिन पाठक : क्या रेल मंत्री अहमदाबाद-उदयपुर रेल लाइन के बीच रेल लाइन के बारे में दिनांक 17, अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3609 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत हेतु बजटीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर (299.20 किमी.) का आमान परिवर्तन कार्य 742.88 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2008-09 के बजट में शामिल कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजन के लिए एक लाख रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। योजना अनुमानों की तैयारी आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

तारानारी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाएं

1971. **श्री टेकलाल महतो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमी-चंद्रपुरा रेलवे लाइन पर स्थित तारानारी रेलवे स्टेशन पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे तारानारी रेलवे स्टेशन पर एक रेल उपरिपुल तथा मुख्य सड़क के समीप रेल समपार का निर्माण करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है तथा इस शीर्ष के तहत प्रस्तावित तथा आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। पूर्व मध्य रेल के गोमो-चन्द्रपुरा खंड पर तारानारी नाम का कोई-रेलवे स्टेशन नहीं है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व मध्य रेल के गोमो – चन्द्रपुरा खंड पर 23.11.2008 को पटरी में दरार के कारण पटरी से गाड़ी उतरने की केवल एक दुर्घटना हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में बाड़मेर-सांचोर बेसिन से तेल का वाणिज्यिक उत्पादन

1972. **श्री किरिप चालिहा** :
श्री सुभाष महरिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में तेल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भण्डार पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी भण्डारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में बाड़मेर-सांचोर बेसिन से वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ङ) उत्पादन आरम्भ किए जाने के पश्चात राजस्थान को कितना हिस्सा दिए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को दिए जा रहे हिस्से का प्रतिशत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) तेल का उत्पादन अरुणाचल, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में किया जा रहा है।

(ख) से (घ) जी हां। तेल तथा गैस की खोज राजस्थान के बाड़मेर जिले में आरजे-ओएन-90/1 ब्लाक में की गई है। इस ब्लाक से वाणिज्यिक उत्पादन 2009 की दूसरी छमाही से आरम्भ होने की संभावना है। 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार, 79 मि. टन के भंडारों की पुष्टि की गई है।

(ङ) और (च) उत्पादन भागीदारी संविदा (पी.एस.सी) के अनुसार, प्रोफिट पेट्रोल का भाग केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा क्योंकि यह ब्लाक पूर्व एन.ई.एल.पी. का है। राजस्थान सरकार लागू कानूनों के अनुसार रायल्टी तथा अन्य करों की हकदार होगी।

गगन (जीएजीएएन) परियोजना को शुरू किया जाना

1973. **श्री रूपचन्द मुर्मू** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीपीएस एडिड जियो आगमेंटिड नेविगेशन (जीएजीएएन) परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या यह प्रणाली बढ़ते विमान यातायात से निपटने में सक्षम होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरकार ने गगन परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से निष्पादित किया जाना है।

(ख) गगन परियोजना भारतीय फ्लाइट सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर उड़ान प्रचालनों के सभी चरणों के लिए दिक्चालन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धित प्रणाली (एस-बेस) है। इस कार्यक्रम का पहला चरण अर्थात्, प्रौद्योगिकी प्रदर्श प्रणाली (टीडीएस) का कार्य अगस्त, 2007 में पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा इसका अन्तिम चरण अर्थात्, अन्तिम प्रचालन चरण (एफओपी) को मई, 2011 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) परियोजना की कुल लागत 774 करोड़ रुपए है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का भाग 604 करोड़ रुपए है तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का भाग 170 करोड़ रुपए है।

(घ) जी हां।

(ङ) गगन कार्यक्रम इस प्रकार होगा:

(i) महासागरीय क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध कराएगा जो भूतल प्रणाली से संभव नहीं है।

(ii) सभी ऊंचाइयों पर प्रचालक-वरीयता प्राप्त प्रक्षेप-पथ के संवर्धित प्रयोग द्वारा कुशलता तथा लचीनेपन में सुधार लाएगा।

(iii) त्रि-विमीय (3 डी) एप्रोच प्रचालनों के प्रयोग द्वारा विमान प्रचालनों की सुरक्षा में वृद्धि करेगा।

(iv) विश्वसनीयता बढ़ाएगा तथा होने वाले विलम्बों में कमी करेगा।

(v) विमान यातायात नियंत्रकों के कार्य-भार को कम करेगा तथा उत्पादकता में सुधार लाएगा।

(vi) समग्र वायुक्षेत्र में दिक्चालन निष्पादन के स्तरों में एकरूपता तथा सटीकता लाएगा।

(vii) रनवे की क्षमता में वृद्धि करेगा।

(viii) ईंधन कुशन कौरिडोर उपलब्ध कराएगा।

(ix) ग्राउंड एलिमेंट सपोर्ट के बिना श्रेणी-1 एप्रोच उपलब्ध कराएगा।

(x) ऊपरी वायु क्षेत्र प्रबंधन में सहयोग करेगा।

एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन में आग

1974. **श्री निखिल कुमार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में शास्त्री नगर में एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन में भीषण आग लग गई थी जैसा कि दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हताहतों और सम्पत्ति को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संपूर्ण देश में एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशनों में उचित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन पर आग लगने के कारण की जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। 11.10.2008 की रात को सुभाष नगर, जयपुर में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) के आटो एल.पी.जी. डिस्पैंसिंग स्टेशन (ए.एल.डी.एस.) में आग लग गई।

(ख) आई.ओ.सी. ने सूचित किया है कि इसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दो लोग जलने से मामूली रूप से जख्मी हो गए। संपत्ति की क्षति निम्नानुसार है:-

(i) खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) के केनोपी ढांचे को पूर्ण क्षति और आर.ओ. के शोरूम को मामूली क्षति।

(ii) डिस्पैंसर्स को आंशिक क्षति।

(iii) दो कारों और पास में खड़ी हुई मोटर बाइक को क्षति पहुंची।

(iv) आर.ओ. के पास के कुछ घरों की खिड़कियों के शीशे टूटे।

(v) लगभग 7 मीट्रिक टन (एम.टी.) उत्पाद से भरी टैंक लारी पूर्णतः क्षतिग्रस्त।

(vi) भूमिगत टैंक में लगभग 2 एम.टी.एल.पी. जी की क्षति।

(ग) स्थापित किए जा रहे ए.एल.डी.एस. का डिजाइन स्टेटिक एण्ड मोबाइल प्रैशर वैस्सल (एस.एम.पी.वी.) नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है और निर्माण से पहले पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। चालू किए जाने से पहले ए.एल.डी.एस. के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाता है और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मानक 210 द्वारा यथानिर्धारित प्रत्येक ए.एल.डी.एस. पर सुरक्षा उपकरण स्थापित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच कराई है और ओ.आई.एस.डी. द्वारा स्थल और पद्धतियों की विस्तृत जांच ओर विश्लेषण किए जा रहे हैं।

रेलवे द्वारा अर्जित लाभ

1975. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं;

(ग) क्या तत्काल आरक्षण प्रणाली ने रेलवे को लाभ अर्जित करनें में मदद की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सृजित अधिशेष निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अधिशेष
2005-06	6193.32
2006-07	10206.32
2007-08	13431.09

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान अधिशेष में वृद्धि मुख्यतः यातायात उपार्जन में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा तर्कसंगत स्तर के भीतर व्यय पर नियंत्रण रखने की वजह से हुई है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्काल योजना से अनुमानित उपार्जन में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	उपार्जन
2006-07	207
2007-08	396
2008-09 (अक्तूबर 2008 तक)	356

[हिन्दी]

बरहज से दोहरीघाट तक नई रेलवे लाइन

1976. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बरहज से दोहरीघाट तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी, हां। दोहरीघाट के रास्ते बरहज से फैजाबाद तक नई लाइन के

निर्माण के लिए सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2006-07 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 194 कि.मी. लंबी इस लाइन के निर्माण की लागत (-) 6.06% प्रतिफल की दर सहित 782 करोड़ रु. आंकी गई है। इस कार्य को अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं की भारी थ्रो-फारवर्ड तथा संसाधनों की तंगी के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

प्राचीन स्मारकों का पुनर्सृजन

1977. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरालेखीय चित्रों तथा दस्तावेजों की मदद से स्मारकों का पुनर्सृजन करने पर विचार कर रही है जैसा कि दिनांक 5 नवम्बर, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने स्मारकों का पुनर्सृजन किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) केवल पुरालेखीय चित्रों तथा प्रलेखों की सहायता से स्मारकों को पुनः सृजित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। दाय संरक्षण एक जटिल मामला है जहां सभी मामलों में कोई विशेष दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता। उपलब्ध साक्ष्य तथा संरचनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर हस्तक्षेप का स्वरूप निश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले की स्वतंत्र रूप से तथा गहराई से जांच करने की आवश्यकता होती है। लघु स्तर पर जीर्णोद्धार के विशिष्ट मामलों पर तभी कार्य किया जाता है जब मूल इमारत के पर्याप्त परिणाम तथा प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

शोलापुर से वायु सेवा

1978. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के शोलापुर शहर को वायु सेवा से जोड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शोलापुर शहर को कब तक वायु सेवा से जोड़ दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरकार ने विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा देश में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। सभी एयरलाइनें मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करके देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कुछ निजी एयरलाइनों ने शोलापुर के लिए/से प्रचालन में अपनी रुचि दर्शाई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसायनों का उत्पादन

1979. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रसायनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या रसायन उत्पादन करने वाली इकाइयों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : (क) से (ङ) हाइड्रोसाइनिक

एसिड और इसके व्युत्पादों, फास्जीन और इसके व्युत्पादों तथा हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनेट्स और डाय-आइसोसाइनेटस जैसे कुछ खतरनाक रसायनों जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है, को छोड़कर रसायन क्षेत्र लाइसेंसमुक्त और विनियमनमुक्त है। रसायन क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है। चूंकि रसायन क्षेत्र विनियमनमुक्त है, इसलिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। रसायन क्षेत्र में निवेश के संवर्द्धन के लिए सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति की घोषणा की है जिसमें रसायन और पेट्रोरसायन युनिटों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय आधारभूत सुविधाओं और एक समेकित नीति से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजित कर घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की योजना है। बजट 2008 में सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए रसायनों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रमुख रसायनों का उत्पादन नीचे दिया गया है–

(इकाई 000 टनों में)

वर्ष	अल्कली केमिकल्स	अकार्बनिक रसायन	कार्बनिक रसायन	पेस्टीसाइड्स	डाय व डायस्टफ्स	कुल प्रमुख रसायन
2006-07	5269	602	1545	85	33	7534
2007-08	5443	609	1546	83	44	7725

(स्रोत/डीसीपीसी का एस एण्ड एम प्रभाग)

एड्स के इलाज के लिए औषधियों का पेटेन्ट

1980. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने कहा है कि यदि एड्स और इससे सम्बद्ध बीमारियों का इलाज करने में प्रयुक्त होने वाली औषधियों का पेटेन्ट करने से औषधियों की लागत में बहुत वृद्धि हो जाएगी तथा इससे देश में एचआईवी ग्रस्त रोगियों के लिए समस्या पैदा हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) का मानना है कि यदि पेटेंट्स स्वीकृत किए जाते हैं, तो एंटी रिट्रोवायरल औषधियों की लागत में भारी वृद्धि होगी और इससे राष्ट्रीय एआरटी कार्यक्रम खासकर द्वितीय पंक्ति की एआरवी औषधियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। जो मरीज प्राइवेट तौर पर उपचार करा रहे हैं, वे भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण प्रभावित होंगे।

पेटेंट के संभावित खतरे वाली औषधियां हैं:-

(1) टेनोफोविर (2) टेनोफोविर + लेमीवूडाइन (3) टेनोफोविर + लिमिबुडाइन + ईएफबी (4) लोपिनाविर/रिटोनाविर (5) रिटोनाविर हीट स्टेबल (6) एटाजानाविर

वर्तमान में प्रयोग नहीं की जा रही नई एंटीरिट्रोवायरल औषधियां भी जिन्हें अगले कुछ वर्षों में प्रयोग किए जाने की संभावना है, उनमें शामिल है:-

(1) राल्टेग्राविर (2) एलविटेग्राविर (3) रिलप्रिविराइन (4) इट्राविराइन (5) विक्रिविरोक (6) मेराविरोक (7) डेरुनाविर (8) वल्गनक्लोविर

(ग) पेटेंट अधिनियम 1970 में रोगियों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

अवैध खनन

1981. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस अवैध खनन की

पहचान की है जो मध्य प्रदेश के मुरैना में 13वीं शताब्दी के दाय स्थल बटेश्वर मंदिर में चल रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने सैण्डस्टोन के लिए अवैध एवं बिना अनुज्ञप्ति के डायनामाइट किए जाने वाले विस्फोट को रोकने हेतु क्या ठोस उपाय किए हैं; और

(घ) बटेश्वर के 100 प्राचीन मंदिरों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक बजट क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मुरैना जिला, मध्य प्रदेश में पत्थर उत्खनन के उन आठ मामलों की पहचान की है जो केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों अर्थात् बटेश्वर तथा गढ़ी पधवाली के मंदिर समूह के लिए हानिकारक हैं।

(ग) मुरैना के जिला प्रशासन ने सभी 8 लाइसेंसों/खनन पट्टों को रद्द कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय में एक केवियट भी दायर की गई है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बटेश्वर मंदिर समूह के रखरखाव/मरम्मत के लिए 30.95 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

एशियाई विकास बैंक

1982. श्रीमती के. रानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत के कतिपय रेल मार्गों के निर्माण हेतु वित्तपोषण करने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार और जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) रेल नेटवर्क की क्षमता आवर्धन तथा परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से रेल क्षेत्र सुधार परियोजना के एक भाग के रूप में 212.3 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण के जरिए भारतीय रेल परियोजनाओं में वित्त पोषण कर रहा है।

एशियाई विकास बैंक से जिन रेल परियोजनाओं के लिए सहायता ली जा रही है उनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे जोन	राज्य	लंबाई किमी.	परियोजना की किस्म
1.	महानदी पर दूसरा पुल	पूर्वतट	उड़ीसा	3	पुल
2.	कटक-बारंग दोहरीकरण	पूर्वतट	उड़ीसा	143	दोहरीकरण
3.	रजतगढ़-बारंग दोहरीकरण	पूर्वतट	उड़ीसा	29.32	दोहरीकरण
4.	गुत्ती-पलमपेट दोहरीकरण	दक्षिण मध्य	आंध्रप्रदेश	151	दोहरीकरण
5.	बारंग-खुर्दारोड तीसरी लाइन	पूर्वतट	उड़ीसा	32.32	तीसरी लाइन
6.	भटापाडा-उरकुरू तीसरी लाइन	दक्षिण पूर्व मध्य	छतीसगढ़	60	तीसरी लाइन
7.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	उत्तर तध्य	उत्तर प्रदेश	106.15	तीसरी लाइन
8.	तिरूवलूर-अराकोनम तीसरी लाइन	दक्षिण	तमिलनाडु	26.83	तीसरी लाइन

रेल परियोजनाओं में विलंब

1983. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण अनेक रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे को कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या रेलवे ने तमिलनाडु सहित देश में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भूमि की समय पर उपलब्धता परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित एक मुद्दा है। भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से संबंधित क्लीयरेंस (वन भूमि के मामले में) में अत्यधिक समय लगता है जो परियोजना कार्यान्वयन में विलंब करता है। बहुत सी परियोजनाएं विशेष रूप से नई लाइनें भूमि अधिग्रहण से संबंधित विलंब के कारण प्रभावित होती हैं। भूमि अधिग्रहण के साथ अन्य कारण भी हो सकते हैं और लागत के अधिक होने को आंकना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार और वन विभाग पदाधिकारियों के साथ मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। विगत में, विशेष रेल परियोजनाओं के लिए तेजी से भूमि अधिग्रहण करने के उद्देश्य से, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त; अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बड़ी संख्या में जैसे सार्वजनिक निजी भागेदारी, राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी और/या परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के उपाय किए गए हैं। इन उपायों से, तमिलनाडु की परियोजना सहित चालू परियोजनाओं के समापन में तेजी आएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में प्राकृतिक गैस और तेल की चोरी

1984. श्री जीवाभाई ए. पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी गुजरात में अधिकारियों की सांठ-गांठ से गैस एवं तेल के कुएं से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस और तेल की चोरी हो रही है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चोरी की ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तथा दोषी व्यक्तियों को दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन.ओ.सीज) को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी संस्थापनाओं से तेल और गैस की चोरी रोकने के लिए सभी कदम उठाएं। जहां तक आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) का संबंध है, गुजरात में चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान, ओ एन जी सी के कच्चे तेल की चोरी के पता लगाए गए/सूचित मामलों की कुल संख्या और सुरक्षा कर्मचारियों/पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:–

2006	–	36 मामले	–	68 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए
2007	–	34 मामले	–	29 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए
2008 (30.11.2008)	–	48 मामले	–	53 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए

उपर्युक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकारिक पुलिस थानों में आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं और पुलिस ने कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

विमानन उद्योग पर मंदी का प्रभाव

1985. श्री जुएल ओराम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक मंदी का भारतीय विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जनवरी, से अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरान अंतर्देशीय यात्री वृद्धि दर में पूर्ण कैलेण्डर वर्ष 2006 तथा 2007 में हुई क्रमशः 46.5% तथा 32.5% वृद्धि की तुलना में 1.94% की गिरावट आई है।

(ग) विमान उद्योग में आई गिरावट की चुनौतियों का सामना करने के लिए, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:

(i) एटीएफ के आयात पर सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ii) राज्य सरकारों से एटीएफ पर बिक्री कर को कम करने का अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने कुछ मामलों में एटीएफ पर बिक्री कर में 4% तक की कमी की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पुणे तथा मुम्बई को छोड़कर और हवाईअड्डों, से प्रचालित होने वाली उड़ानों के लिए एटीएफ पर बिक्री कर को 25% घटाकर 4% कर दिया है।

(iii) तेल कंपनियों ने भी एयरलाइन कंपनियों को 6 महीने से अधिक की देयताओं को आगे-पीछे देने को कहा है।

(iv) विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से, तेल कंपनियां सितम्बर, 2008 से एटीएफ की कीमतें घटा रही हैं।

[हिन्दी]

कोटा रेलवे कार्यशाला का आधुनिकीकरण

1986. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा स्थित रेलवे कार्यशाला के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसे पूरा करने हेतु निर्धारित तारीख का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के पूरा हो जाने के बाद इस कार्यशाला की क्षमता में कितनी वृद्धि होगी तथा इसके बाद कितना लाभ होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 48 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत से कोटा कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 2007-08 में मंजूर किया गया है।

(ख) कोटा कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत अनुमान तैयार किया गया है, जो स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है। विस्तृत अनुमान की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्तावित कार्य तीन वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद शॉप की आवधि ओवर हॉलिंग क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी। बहरहाल, उपर्युक्त निवेश के कारण शॉप में निम्नलिखित सुधार/लाभ होंगे:—

(i) बीओएक्सएन, बीसीएन जैसे बॉडी मालडिब्बों के लिए कारखाने की आवधिक ओवर हॉलिंग क्षमता बढ़ेगी। वर्कशॉप में बॉडी मालडिब्बा और टंकी मालडिब्बों का मिक्स 40% के वर्तमान स्तर से बेहतर हो सकता है।

(ii) आवधिक ओवर हॉलिंग के लिए औसत शॉप साईकल समय वर्तमान स्तर से 30% कम हो जाएगा।

(iii) वर्कशॉप में कोटा मार्ग पर चलने वाले कंटेनर मालडिब्बों की आवधिक ओवर हॉलिंग की जा सकेगी।

(iv) वर्कशॉप में काम करने के हालात सुधरेंगे और कार्य स्थल अधिक स्वच्छ रहेगा। सामग्री सम्हलाई के कार्य में सुधार होगा।

[अनुवाद]

लाइट एण्ड साउण्ड शो

1987. श्री बसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से गुजरात के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर लाइट एण्ड साउण्ड कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इरादा कब तक ऐसी योजनाएं बनाने का है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) देश में साउण्ड एण्ड लाइट शो लगाने सहित पर्यटक अभिरुचि के स्थलों का विकास एवं संवर्धन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों के परामर्श से परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर निधियां उपलब्ध कराता है।

गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात राज्य में साउण्ड एण्ड लाइट शो लगाने हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति दी है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)
1.	1998-99 में सोमनाथ मंदिर, जूनागढ़ में साउण्ड एण्ड लाइट शो	93.77
2.	गांधी परिपथ के हिस्से के रूप में साबरमती आश्रम में सेल (2003-04 में स्वीकृत, 2008-09 में पुनः स्वीकृत)	180.00

[हिन्दी]

कोडीनार और जूनागढ़ के बीच रेल सेवा

1988. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडीनार और जूनागढ़ के बीच रेल मार्ग होने के बावजूद उनके बीच कोई रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस खंड में रेल सेवा शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) प्राची रोड पर गाड़ी बदलकर जूनागढ़ और कोडिनार के बीच रेल सेवा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जूनागढ़ और कोडिनार के बीच रेल सेवा की शुरूआत की जांच की गई है लेकिन वर्तमान में संसाधनों की कमियों के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड को हानि

1989. श्री वी.के. खारवेनथन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास बीएचपीवीएल का पुनरुद्धार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस यूनिट का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये)

मद	2005-06	2006-07	2007-08
कारोबार (उत्पाद शुल्क के बिना)	115.35	173.98	191.33
लाभ (करपूर्व)	-71.38	-34.36	-55.89
लाभ (करपश्चात्)	-71.38	-34.70	-56.05

हानि के कारण:

(i) भारत सरकार के पिछले के ऋण के कारण भारी ब्याज भार,

(ii) सरकारी लेखापरीक्षकों के निदेशानुसार 2007-08 के दौरान फुटकर देनदारों को भगुतान,

(iii) अपर्याप्त क्रयादेश के कारण निष्क्रिय क्षमता,

(iv) बैंक ऋण की अनुपलब्धता के कारण कार्यशील पूंजी की समस्या जिसके फलस्वरूप हस्तगत क्रयादेश के क्रियान्यवन में विलंब हुआ, और

(v) वर्ष 1992 के वेतनमान के कारण कर्मचारियों में उदासीनता।

(ग) से (ङ) जी, हां।

(i) सरकार द्वारा एक पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया है जिसमें 415.61 करोड रुपए के ऋण और ब्याज की माफी, बाण्ड के लिए 250 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी, बीएचईएल द्वारा इसे सहायक कंपनी बना कर बीएचपीवी की परिसम्पत्तियों और देयताओं दोनों का अधिग्रहण शामिल है।

(ii) समय सीमा दर्शायी नहीं जा सकती क्योंकि यह कंपनी बीआईएफआर के अधीन है और बीआईएफआर द्वारा अभी पुनरुद्धार स्कीम अनुमोदित किया जाना शेष है।

[हिन्दी]

विमान सेवा से जोड़े गए नये स्थान

1990. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2008 से अब तक किन स्थानों को विमान सेवा से जोड़ा गया है तथा वहां विमान सेवा शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार देश के सभी जिलों को विमान सेवा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने जिलों को विमान सेवा से जोड़ने हेतु कार्य शुरू हो गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जनुवरी, 2008 से अब तक जैसलमेर, लातूर, नानदेड, नासिक तथा पठानकोट नए स्थानों को विमान सम्पर्क से जोड़ा गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा देश में विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। बहरहाल, यह एयरनलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्य के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराए। एयरलाईनें मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करके देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को राजसहायता

1991. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरन देश के विभिन्न भागों में, राज्य-वार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को कुल कितनी धनराशि राजसहायता के रूप में और अन्य क्या सुविधाएं दी गई;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य-वार, विस्तृत अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) कर्नाटक के कौन-कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व्यावहारिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। देश में गत तीन वर्षों के दौरान उद्यमियों को उपलब्ध कराए गए सहायता अनुदान के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की राज्यवार और संघराज्य क्षेत्रवार अनुमानित आवश्यकता और इनकी उपलब्धता का आकलन करने के लिए कोई

विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया है। वैसे उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड जैसे देश के विभिन्न राज्यों में एक उपाय के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण/अध्ययन/मूल्यांकन आयोजित किए गए हैं। 11वीं योजना में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जिसमें कर्नाटक स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं, के नाम केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	725.215	936.357	605.645
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	57.240	957.810	446.645
बिहार	24.510	0	7.730
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ़	91.760	91.640	84.310
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	36.770	36.590	49.830
गोवा	47.575	22.575	0
गुजरात	282.245	422.630	217.360
हरियाणा	88.795	282.450	218.070
हिमाचल प्रदेश	110.100	180.735	203.490
जम्मू और कश्मीर	63.655	42.550	26.810
झारखंड	48.280	25.000	4.335
कर्नाटक	295.575	439.530	197.530
केरल	351.580	614.235	636.140
मध्य प्रदेश	208.810	149.240	77.730
महाराष्ट्र	866.130	1399.640	1182.720
मणिपुर	11.770	68.805	0
मेघालय	13.260	21.850	37.760
मिजोरम	10.150	0	0
नागालैंड	17.350	58.805	27.485
उड़ीसा	22.260	25.000	36.250
पांडिचेरी	7.170	16.300	31.300
पंजाब	476.615	512.890	287.155
राजस्थान	106.795	471.060	381.300
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	362.235	493.615	814.245
त्रिपुरा	0	0	13.865
उत्तर प्रदेश	627.590	561.855	485.607
उत्तराखण्ड	160.205	427.642	625.365
पश्चिम बंगाल	392.200	381.055	441.530

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन

1992. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दोनों के बीच संशोधित विमान सेवा के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार तथा यूएई सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्टमंडल की भारत-यूएई (दुबई) विमान सेवा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में 23 अप्रैल 2008 को एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन में, प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कम्पनियों को क्षमता हकदारी को ग्रीष्म 2008 से शरदकालीन 2009-10 की अनुसूची में चरणबद्ध रूप में प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह/सीटों की संख्या को 31,300 से बढ़ाकर 54,200 तक करने तथा यूएई (दुबई) की नामित विमानकम्पनी के लिए अतिरिक्त अवतरण-स्थल के रूप में स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा के माननीय नेता, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब गृह मंत्री हाल में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले पर वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठ जाइए। हमने आपका नोटिस देखा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम सबकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सोमालिया के...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको हम ईश्यू उठाने का मौका देंगे। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। अभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका देंगे।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

आज नहीं हो सकेगा, तो कल आपको मौका देंगे।

[अनुवाद]

डा. शर्मा, मैं आपको अनुमति दूंगा। कल मैंनें निधन संबंधी उल्लेख में इसका जिक्र किया है। यह अति गंभीर मामला है परंतु इसे आज शुरू करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सरकार की ओर से अनुरोध किया गया है और मैने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। माननीय गृह मंत्री मुंबई पर हुए हाल ही के हमले के बारे में वक्तव्य देंगें तत्पश्चात हम चर्चा आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : 22 दिन तक डाकुओं में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। अभी आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यह अति गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि हमें देश की स्थिति और समस्या के मद्देनजर शांतिपूर्ण चर्चा करने दें।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) मुंबई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 26 नवम्बर, 2008 से 29 नवम्बर, 2008 के बीच मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ इस सदन को यह सूचित करना है कि इन हमलों में 164 व्यक्तियों (नागरिकों तथा सुरक्षा कार्मिकों) की जाने गई तथा 308 व्यक्ति घायल हुए। मारे गये नागरिकों में 26 राष्ट्रों के नागरिक थे। इसके अतिरिक्त सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियानों में 9 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी पर काबू पा लिया गया तथा उसे पकड़ लिया गया।

प्रारंभ में, मैं मारे गए निर्दोष नागरिकों तथा अनेक व्यक्तियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सुरक्षा कार्मिक को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने, इन परिवारों को हुए अत्यधिक नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ उपायों की घोषणा की है। घायलों को आर्थिक क्षतिपूर्ति और मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। यद्यपि सहानुभूति के शब्द तथा धन से इस नुकसान की कभी पर्याप्त रूप से भरपाई नहीं की जा सकती किन्तु मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस प्रयास से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत जरूर मिलेगी।

इस भयंकर त्रासदी के पूरे तथ्यों के बारे में अब तक माननीय सदस्यों तथा भारत की जनता को पता चल चुका है। जांच के दौरान मिली जानकारी से यह प्रतीत होता है कि एक अवैध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से सम्बद्ध दस पाकिस्तानी नागरिक दिनांक 23 नवम्बर, 2008 को कराची से चले, उन्होंने अलहुसैनी नामक एक जहाज पर सवार होकर भारतीय तट की ओर आकर गुजरात के तट पर एक भारतीय मत्स्य जहाज एम. वी. कुबेर का अपहरण किया; उस पर सवार व्यक्तियों की हत्या की; और मुम्बई के तट से थोड़ी दूरी पर उस मत्स्य जहाज को छोड़ दिया और एक हवा से भरी रबड़ की छोटी नौका में सवार हो गए और वे 26 नवम्बर, 2008 को सायं आठ से साढ़े आठ बजे के बीच बुधवार पार्क, कोलाबा मुम्बई के निकट उतरे। ये आतंकवादी चार दलों में बंट गए और इन चारों दलों के मुख्य निशाने थे- (i) छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सीएटी); (ii) लियोपोल्ड कैफे और ताज होटल; (iii) द ओबराय-ट्रिडेंट होटल और; (iv) द नरीमन हाउस। इन हमलों में 13 स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, हथगोले फेंके गए तथा बम विस्फोट किए गए। इन हमलों के मुख्य केन्द्र सीएसटी, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस, द ओबराय ट्रिडेंट होटल तथा ताज होटल थे। मीडिया द्वारा तथा सरकारी व्यक्तव्यों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण के पहले से हुए व्यापक प्रचार को देखते हुए मेरे लिए इस बात की गहराई में जाना आवश्यक नहीं है कि इनमें से प्रत्येक स्थान पर क्या घटना घटी।

अब मैं आपको इस आतंकवादी हमले के जवाब में प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त ब्यौरा दूंगा। सीएसटी पर मुम्बई पुलिस और आरपीएफ के सुरक्षा कार्मिकों की भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस दो आतंकवादी से मुठभेड़ हुई। सीएसटी पर विध्वंस मचाने के बाद ये दोनों आतंकवादी स्टेशन के सामने एक गली से बचकर भाग निकले। इसी बीच, सीएसटी पर तथा कामा हास्पिटल के निकट गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। इन दोनों आतंकवादियों तथा पुलिस कार्मिकों के बीच एक अचानक और आकस्मिक मुठभेड़ हुई जिसमें तीन अधिकारी मारे गए। तत्पश्चात् एक पुलिस दल ने इन दोनों आतंकवादियों को ललकारा और दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया और एक को जीवित पकड़ लिया गया। पकड़े गए आतंकवादी का नाम मोहम्मद अजमल आमिर है। पूछताछ और जांच से यह पता चला है कि वह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के ठकाड़ा जिले के फरीदकोट गांव का है।

जैसे ही नरीमन हाउस, ताज होटल और ओबराय ट्रिडेंट होटल से इन आतंकवादी हमलों के बारे में सूचना मिली, इन स्थानों पर तत्काल पुलिस दल भेजे गए।

26 नवम्बर, 2008 को रात 11 बजे से कुछ पहले केन्द्र सरकार को सूचना मिली कि मुम्बई में अनेक स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों ने तुरंत महाराष्ट्र सरकार के प्राधिकारियों से सम्पर्क किया। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर स्थानीय सेना और नौसेना प्राधिकारियों से सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया। तदनुसार, प्रभावित क्षेत्रों की घेराबंदी करने के लिए सेना ने 5 दस्ते तैनात किए तथा नौसेना ने आतंकवादियों से निपटने के लिए अपने कमांडो तैनात किए। इसी बीच रात 11.30 बजे महाराष्ट्र सरकार

[श्री पी. चिदम्बरम]

ने राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मांगे। केन्द्र सरकार ने तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को सजग किया और हरियाणा में मानेसर स्थित उनके आतंकवाद-रोधी यूनिटों को मुकाबले के लिए तैयार किया। लगभग 200 जवानों के एक दल (जिसमें अगले दिन कुछ और जवानों को शामिल किया गया) को हवाई जहाज से देर रात मुम्बई भेजा गया। उन्हें 27 नवम्बर, 2008 को प्रात: इस अभियान के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। केन्द्र सरकार ने तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को सतर्क किया और उनकी हरियाणा के मानेसर में स्थित आतंकवाद-रोधी इकाईयों को जुटाया। उसी दिन देर रात में लगभग 200 कार्मिकों का एक दल वायुयान से मुम्बई भेजा गया (जिसे अगले दिन तैनात किया गया) उन्हें 27 नवम्बर, 2008 को भोर में अभियान के विभिन्न स्थलों पर तैनात किया गया।

ये अभियान अत्यधिक विकट परिस्थितियों में चलाए गए: आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार थे, बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, आतंकवादी जिन भवनों में घुसे थे वे ऊंचे थे और उन्हें उनकी ऊंचाई और ढाल/कवच का फायदा मिल रहा था। इन सबके बावजूद भी सुरक्षा बलों ने कुशलता और शौर्य का परिचय देते हुए आतंकवादियों को निष्प्रभावी किया और भवनों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। अभियान 29 नवम्बर, 2008 को लगभग पूर्वाह्न 8.20 बजे समाप्त हुए।

मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच का दायित्व मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया है। जांच-कार्य में मुम्बई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा पूरी सहायता दी गई है। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि मुम्बई पुलिस ने सरकारी तौर पर जो विवरण दिया है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के अलावा जांच के किसी भी विवरण का खुलासा करना समुचित नहीं होगा। मैं उन रिपोर्टों पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जो समय-समय पर मीडिया में आती रही हैं। मैं आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि जांच पूरी होने और न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट दायर होने तक धैर्य धारण किया जाए।

फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि संदेह की अंगुली बेहिचक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के भू-भाग की तरफ उठ रही है। पकड़े गए आतंकवादी से पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक साक्ष्य मिले हैं। भारत में प्रविष्ट हुए 10 आतंकवादियों के मूल स्थान के बारे में निश्चयात्मक साक्ष्य मिल चुके हैं। हवा से भरी रबड़ की डोंगी/छोटी नाव, मछली पकड़ने वाली नौका और आतंकवादियों के शरीरों से भी ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर जांचकर्ता शुरू से अंत तक की घटनाओं को सिलसिलेवार जोड़ पाए हैं।

मुझे पता है कि माननीय सदस्य और देश के नागरिक भारत के समक्ष आतंकवादी खतरे के स्वरूप और दायरे, आसूचना एकत्र करने वाली मशीनरी, हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी, अभियानों की प्रभावकारिता और आगे की कार्रवाई के बारे में अनेक प्रश्न पूछना चाहेंगे। इन मुद्दों में से प्रत्येक पर चिंता करना वास्तविक है। मैं भी इन मुद्दों को लेकर चिंतित हूं। पिछले दस दिनों में, सुरक्षा स्थिति की और गृह मंत्रालय, आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों तथा राज्य पुलिस बलों की कार्य प्रणाली की जानकारी लेते वक्त भी मैंने अनेक कदम उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि इन कदमों से सुरक्षा में वृद्धि होगी और लोगों में विश्वास बहाल होगा।

माननीय सदस्य, मेरे आकलन में दक्षिण एशिया आतंक के साये में है। भारत की सीमाओं से दूसरी ओर के देशों से सक्रिय अनेक आतंकवादी संगठनों की भारत में आतंकवादी हमलों के स्रोतों के रूप में पहचान की गई है। भारत ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि "भारत इस प्रकार के जघन्य हमलों से अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए कार्रवाई करेगा; भले ही यह कार्रवाई कितनी ही लम्बी और कठिन क्यों न हो। हमने आतंकवादी हमलों के बावजूद संयम से काम लिया। हमें अपना काम अपने लोगों के माध्यम से करना होगा तथा उनकी सुरक्षा के लिए हम जो भी कार्रवाई उचित समझेंगे वो हम करेंगे।" यही हमारी नीति है। मेरे साथी श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री इस चर्चा में भाग लेंगे और मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति के विदेशी और कूटनीतिक पहलुओं को देखेंगे।

हमारे पास आसूचना एकत्र करने वाली अनेक एजेंसियां हैं। आसूचना का आदान-प्रदान होता है, मूल्यांकन होता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। तथापि, मैंने पाया है कि आसूचना संबंधी कुछ जानकारियां जो विशिष्ट या एकदम सही नहीं होती, उन्हें कार्रवाई योग्य नहीं समझने की प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त, आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर कार्रवाई करने का दायित्व भी पूर्णत: मिश्रित है। मुम्बई हमलों के मामलों में भी समुद्री रास्ते से होते हुए घुसने का प्रयास करने वाली एक संदिग्ध एल.ई.टी. नौका के बारे में महानिदेशक, तटरक्षक तथा प्रधान निदेशक, नेवल आसूचना के साथ आसूचना का आदान-प्रदान किया गया है। तटरक्षक ने संदिग्ध नौका का पता लगाने के लिए जलपोत तथा विमानों की तैनाती करने सहित प्रयास किया किन्तु सफलता नहीं मिली। नौसेना को पता चला कि जहाज के कोर्डिनेशन में, जैसी की सूचना मिली थी, पाकिस्तान के समुद्री भाग में ला दिया। फिर भी नौसेना ने 19-20 नवम्बर, 2008 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में अनेक सरफेस यूनिट और हवाई जहाज तैनात किए। संबंधित एजेंसियों से और सूचना के अभाव में नौसेना ने यह निष्कर्ष निकाला कि उपलब्ध सूचना के आधार पर आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि आसूचना संबंधी सभी पहलुओं पर मेरी नजर है। मूल ढांचा तो मजबूत प्रतीत होता है फिर भी आसूचना एकत्र करने और आसूचना के आदान-प्रदान को और अधिक प्रभावशाली तथा परिणामोन्मुखी बनाए जाने की आवश्यकता है। कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं तथा कुछ और किए जा रहे हैं।

आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद हमारा सबसे अधिक प्रशिक्षित और शस्त्र-सुसज्जित बल है। विगत में बहुत से अवसरों पर और मुम्बई में भी इस बल ने असाधारण साहस और कौशल का प्रदर्शन किया है। मुख्यालय और हवाई अड्डे के बीच की दूरी, समर्पित वायुयानों का अभाव, अभियान-स्थलों पर खराब संभार-तंत्र का होना उनके लिए बाधक हैं। फिर भी एक बार तैनात हो जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा गारद एक अत्यधिक प्रभावकारी आतंकवाद-रोधी बल बन जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद की गतिशीलता और तैनाती में संभार-तंत्र संबंधी कमियों को दूर करने के लिए मैंने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद की इकाइयों को कुछ क्षेत्रीय केन्द्रों में अवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। उन हबों में भी राष्ट्रीय सुरक्षा गारद की इकाइयां अवस्थित किए जाने का निर्णय लिए जाने तक और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के लिए सशस्त्र बलों की कमांडो इकाइयां बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इन निर्णयों को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों से हमारी 7,500 कि.मी. लम्बी तटीय सीमा की सुभेद्यता तथा समुद्री और तटीय सुरक्षा बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता का स्पष्ट पता चला है। जनवरी, 2005 में एक तटीय सुरक्षा योजना अनुमोदित की गई थी जिसे पांच वर्ष की अवधि में पूंजीगत व्यय के लिए 400 करोड़ रुपये और पहले पांच वर्षों के दौरान आवर्ती व्यय के लिए 151 करोड़ रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित किया जाना है। हमने इस योजना की समीक्षा की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि इसे सुदृढ़ बनाने तथा एक वृहद सुरक्षा प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता है। समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के समग्र पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए एक तटीय कमान गठित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। तटीय कमान का अधिदेश भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा करना होगा।

मैं इस सदन को सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में लिए गए अन्य कई निर्णयों के बारे में भी सूचित करता हूं:

(एक) आसूचना एकत्र करने के लिए मानव संसाधन और तकनीकी संसाधन आवश्यक हैं। हमने कमियों का पता लगाया है। आसूचना संगठनों में रिक्त पदों को भरने तथा उन्हें उन्नत तकनीकी उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

(दो) केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से कई राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन किया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक बटालियन की दो कम्पनियों को विशेष कमांडो यूनिटों के रूप में गठित करने के लिए उन्हें पहले ही अधिकृत कर दिया है। इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण, उपस्कर आदि के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

(तीन) राज्य पुलिस बलों की कमांडो यूनिटों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न भागों में 20 विद्रोह-रोधी और आतंकवाद-रोधी स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

आतंकवादी कृत्यों से संबंधित विधियों को मजबूत बनाने के लिए पृथक रूप से कार्रवाई की जा रही है। हम विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श कर रहे हैं और मुझे आशा है कि मैं इस सदन की अनुमति से, आतंकवादी कृत्यों के निवारण, जांच, अभियोजन और उनके लिए दण्ड से संबंधित कानूनी उपबन्धों को मजबूत बनाने के लिए इसी सत्र में कुछ विधेयक प्रस्तुत कर दूंगा। इनमें से एक विधेयक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन करने के संबंध में है। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इन विधेयकों पर इसी सत्र में विचार किया जाए और इन्हें पारित किया जाए। मेरा इस सदन से यह भी अनुरोध है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 संबंधी संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया जाए।

प्रधानमंत्री जी ने 27 नवम्बर, 2008 को संबोधित करते हुए राष्ट्र और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव कड़े उपाय करने के सरकार के संकल्प की घोषणा की है। मैं सरकार की ओर से वचन देता हूं कि हम इस संकल्प को ठोस कार्रवाई में परिणत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं: खतरे के स्वरूप को देखते हुए हम अपनी "परम्परागत कार्य प्रणाली" पर वापस नहीं जा सकते। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में मेरा प्रयास कुछ कड़े निर्णय लेने और देश और जनता को आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करने का होगा।

मैं इस माननीय सदन और भारत की जनता से आतंकवाद की चुनौती का साहसपूर्वक और एक-जुट रह कर सामना करने की अपील करता हूं। मैं आप से सहायक उप-निरीक्षक तुकाराम ओम्बोवाले के असाधारण साहस को याद करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने बंदूक की नली को पकड़कर सारी गोलियां अपने सीने पर इसलिए झेली

[श्री पी. चिदम्बरम]

ताकि उसके साथी पुलिस कार्मिक मोहम्मद अजमल आमिर नामक आतंकवादी पर काबू पा सकें। मैं आपसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के सर्वोच्च बलिदान को भी याद करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने आतंकवादियों से जूझते हुए अपने जवानों को पीछे बने रहने का आदेश दिया। हमारे जैसे साधारण पुरुष और महिलाएं उनकी इस बहादुरी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं परन्तु हम अपने संकल्पों और कार्रवाईयों में एकजुट रह सकते हैं। हमें कोई बांट नहीं सकता- न धर्म, न भाषा, न जाति। आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में हमें आत्म-संयम, अनुशासन और कुछ बलिदान की भावना की भी आवश्यकता होगी। मैं आपका समर्थन मांगता हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपके और जनता के समर्थन से हम आतंकवादी शक्तियों पर काबू पा लेंगे और उन्हें परास्त कर देंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 9514/08]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* उनके वक्तव्य में असम बम-विस्फोट का उल्लेख नहीं किया गया है...*(व्यवधान)* उत्तर-पूर्व के बारे में क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.19 बजे

(इस समय डा. अरुण कुमार शर्मा, श्री नारायण चन्द्र बरकटकी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनोवाल, प्लेकार्ड न दिखाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्लेकार्ड न दिखाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माफ कीजिएगा, तब मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार मुझे सुनिए। शान्ति बनाए रखें। अन्यथा मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सरकार को निदेश दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अध्यक्षपीठ के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर सभा में चर्चा हो। मैंने सरकार को एक वक्तव्य देने का निदेश दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए और वह नहीं दिखाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह मत दिखाइए।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : कृपया मेरी बात सुनिए... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवहार का तरीका नहीं है। इतने गैर-जिम्मेदार मत बनिए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज की कार्यसूची में यह कहा गया है कि मुंबई में हाल के आतंकवादी हमले के बारे में अमुक व्यक्ति वक्तव्य देगा। मैं असम पर एक अलग वक्तव्य देने के लिए तैयार और इच्छुक हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही निदेश दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.22 बजे

(इस समय श्री नारायण चन्द्र वरकटकी और अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सरकार को असम पर एक वक्तव्य देने का निदेश दिया है। वे सहमत हो गए हैं। असम पर पूरी चर्चा होगी। आप अध्यक्ष के प्रति सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाते हैं कि वे आपको बता सके कि क्या निर्णय लिया गया है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

(इस समय डा. अरुण कुमार शर्मा और अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय क्या सरकार को निदेश दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि मैं पहले ही निर्देश दे चुका हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं सदस्यों को यह सूचित करने में समर्थ नहीं हूं कि असम पर पूर्ण चर्चा होगी। मैंने सरकार को विशेष रूप से असम पर वक्तव्य देने का निदेश दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार कब वक्तव्य देगी?

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में किया जाएगा। श्री आचार्य हम एक-एक करके चले। सभी को एक जगह शामिल नहीं किया जा सकता है।

मैं मानता हूं कि यह चर्चा नियम 193 के अधीन होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सबने नोटिस दिया हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाउंगा।

अभी मैं श्री आडवाणी जी को बुलाता हूं। हम सब इस मुद्दे पर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कम-से-कम इस मुद्दे पर देश एक है और इस प्रकार का व्यवहार करेगा जिससे राजनीतिक वर्ग, जिनकी आज कड़ी आलोचना हो रही है, की चिन्ता को दर्शाएगा और हम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया शान्ति बनाए रखें, बैठ जाएं। कोई भी मेरी अनुमति के बिना खड़ा नहीं होगा। हां, केवल श्री आडवाणी का वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाएगा।

अब विपक्ष के माननीय नेता भाषण देंगें।

नियम 193 के अधीन चर्चा

मुम्बई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले

पूर्वाह्न 11.24 बजे

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, सारा देश इस बात को स्वाभाविक मानेगा कि जब 10 दिसम्बर को सदन की बैठक फिर से आरम्भ हुई तो सबसे पहले दिन कोई चर्चा हो

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

सकती है, तो वह मुम्बई की भयंकर घटना के बारे में ही हो सकती है, जहां 26 नवम्बर को एक ऐसी घटना हुई, जिसने सारे देश को दहला दिया।

सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यह घटना नहीं है, इस घटना ने इस बात को उजागर किया है कि कई वर्षों से यह देश एक युद्ध का सामना कर रहा है। इसीलिए सचमुच में उसे टैरर-वार कहना उपयुक्त है। इसलिए पहली बार शायद यह हुआ होगा कि सरकार ने अपनी ओर से ही तय किया कि प्रश्नोत्तर-काल न करके माननीय गृह मंत्री जी अपना जो वक्तव्य देना चाहते हैं, वह शुरू में ही दें, जिससे अधिक से अधिक समय सदन में चर्चा करने को मिले। मैं इस बात के लिए भी आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सबसे पहले बोलने का अवसर दिया और मैं समझता हूं कि अब मेरा कर्तव्य होगा कि- मैं माननीय गृह मंत्री जी के साथ मिलकर सारे सदन की पीड़ा और शोक प्रकट करूं।

वहां पर इतना भयंकर कांड हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गये, जिसमें भारतीयों के साथ-साथ विदेशी लोग भी थे। बहुत बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा-कर्मियों ने उनका सामना किया, जिसमें एनएसजी के कमांडोज भी थे, मुम्बई पुलिस के, आर्मी और नेवी के जवान भी थे। सभी ने मिलकर उनका सामना किया। मैं समझता हूं कि जब वर्णन आता है तो उसमें रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई, उसमें रेलवे के कर्मचारियों ने जिस वीरता का परिचय दिया, जिन दो-तीन होटल्स में घटना हुई, उसमें होटल्स के कर्मचारियों ने भी अपने प्राणों को संकट में डालकर लोगों की सहायता करने की कोशिश की, ये सारे लोग हमारे आदर के पात्र हैं, देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। सरकार और सदन के साथ मिलकर उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

कुछ नामों की चर्चा तो देश भर में लगातार होती रही हैं, पत्र-पत्रिकाओं में होती रही है जिनमें हेमंत करकरे, अशोक काम्टे, विजय सालस्कर और संदीप उन्नीकृष्णन का नाम कोई भूल नहीं सकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने सही किया जब उन्होंने उस तुकाराम का नाम लिया, जिसने असीम वीरता का परिचय देते हुए एक टैरिस्ट को केवल लाठी के सहारे जीवित पकड़ा। केवल एक लाठी के सहारे उसने यह काम करके दिखाया।

मैं मानता हूं कि यह अवसर है कि विगत वर्षों में जिस आतंकवाद का यह देश सामना करता रहा है, उसका कुछ गहराई से विश्लेषण करें। मेरी मान्यता है और जैसा माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है कि सारा *[अनुवाद]* "दक्षिण एशिया आतंक की आंधी के मध्य में है।" इस वाक्य का आपने उपयोग किया है। अब हम महसूस करें और स्पष्ट रूप से कहें कि यदि दक्षिण एशिया आतंक की आंधी के मध्य में है, तब इसका केन्द्र बिन्दु पाकिस्तान है। हमें ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यद्यपि जब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गए तब हमने पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया है- मैं नहीं जानता क्यों- लेकिन मैं खुश हूं कि जो हमने प्रारूप संकल्प तैयार किया है जो अनेक पार्टी नेताओं के बीच परिचालित किया गया है, मैंने पाया है कि हमने सुस्पष्ट रूप से कहा है कि मुंबई में आतंकवादी हमले पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए हैं। यह अच्छी बात है। यही नहीं हमने संकल्प में विशेष रूप से प्रतिबन्धित संगठन लश्कर-ए-तोइबा, जो विभिन्न नामों से अपने कार्यकलापों को जारी रखे हुए हैं, के नाम का भी उल्लेख किया है।

यह एक प्रतिबन्धित संगठन है। यह विश्व के अनेक देशों में दबाव के अधीन पाकिस्तान में भी प्रतिबन्धित है, लेकिन इसके कार्यकलाप अभी भी जारी हैं। इसके बारे में बाद में अलग से अपने भाषण में बोलूंगा।

[हिन्दी]

महोदय, इन घटनाओं के बारे में जितनी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसी राष्ट्र या देश की परीक्षा संकट के समय में होती है। मुम्बई के साधारण लोगों ने संकट के समय असीम साहस का परिचय दिया है। कभी-कभी शिकायत होती है कि टेलीविजन के चैनल्स और अखबारों में बड़े होटलों की चर्चा होती है, लेकिन जितने लोग मरे हैं, उनमें से आधे या आधे से अधिक रेलवे स्टेशन पर मरे हैं, जो कि सामान्य लोग थे, जो रेल से उतरते ही इस प्रकार के अचानक हमले के शिकार बने। मैं कल रात्रि को एक टीवी चैनल देख रहा था और उसे देख कर मुझे सही लगा, क्योंकि उसमें साधारण लोगों की चर्चा थी, जिसमें कहा गया था कि "हौंसला टूटे न"। शायद "आज तक" चैनल था, बहुत अच्छा दिखाया था। पूरे का पूरा फोकस ऐसे लोगों पर था, जो सामान्य लोग थे और रेलवे स्टेशन पर आए थे या कहीं जा रहे थे। किस प्रकार से उन्हें अचानक हमले का सामना करना पड़ा। एक कपल था, जो मुम्बई में रहता है, लेकिन तमिलनाडु से बिलोंग करता था। उस व्यक्ति ने गोली लगी हुई लड़की से विवाह किया और बाद में उसका ओपरेशन करवाया। कई घटनाएं ऐसी थीं, जिनके कारण सारे देश का आत्मविश्वास बढ़ता है कि संकट के समय जब देश इस प्रकार का प्रत्युत्तर देता है, तो वह राष्ट्र को उन्नत बनाता है। राष्ट्रमें विश्वास पैदा करता है कि हम संकट का सामना कर सकते

हैं। मुझे यह भी अच्छा लगा, जब यह घटना समाप्त हो गई, तब एक टीवी चैनल ने दिखाया कि सुरक्षाकर्मी जा रहे थे, तो एक साधारण जवान से किसी टीवी चैनल ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। उस जवान का उत्तर था कि 'हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।' मैं समझता हूं कि जब शाम को हम सदन की तरफ से प्रस्ताव पारित करेंगे, तब उसका भाव भी यही होना चाहिए कि वर्षों से हमारे खिलाफ चलाए जा रहे आतंक के युद्ध पर विजय पाना इस देश के लिए किसी भी प्रकार से मुश्किल नहीं है और हम इस पर विजय पा कर ही रहेंगे।

जैसा मैंने कहा कि इसका एपिसैंटर पाकिस्तान है, इसीलिए यह सिर्फ टैरिज्म मात्र नहीं है, यह क्रास बार्डर टैरिज्म है। इस शब्द का प्रयोग करने के लिए आगरा में जनरल मुशर्रफ तैयार नहीं थे। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मैं इसे क्रास बार्डर टैरिज्म के रूप में नहीं देखता हूं। खास कर उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करके कहा कि यह तो आजादी की जंग है। इससे हम सहमत नहीं हुए और हमने कहा कि हम इसे क्रास बार्डर टैरिज्म मानते हैं और अगर आप इसे नहीं मानते हैं, तो किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। आपने सही कहा है और जितनी घटनाएं आपने गिनाई हैं एक्ट्स आफ टैरर कमिटेड इन जयपुर, बंगलौर, सब का उल्लेख किया है, यह बहुत अच्छी बात है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि गृह मंत्री ने कहा है कि असम की चर्चा हम अलग करेंगे। उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं। मैंने जब सुबह सदन के नेता से बात की थी, तब मैंने कहा था कि असम का उल्लेख होता, तो कोई गलत नहीं होता। उसका कारण है और मुझे स्वयं को लगता है कि असम, बंगलादेश के माध्यम से भी बहुत बार जो गतिविधियां होती हैं, आईएसआई उसकी तह में होता है और वे वहां माध्यम ढूंढ लेते हैं लेकिन सदन के नेता का मत था कि शायद इससे हमारा फोकस मुम्बई के घटनाक्रम और लश्कर-ए-तोएबा से डायल्यूट हो जाएगा, मैंने कहा कि ठीक है, अलग बात हो जाए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन असम में जो कुछ हो रहा है, वह बहुत गम्भीर है और उसकी चर्चा अलग करने का जो निर्णय किया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यद्यपि मैं समझता हूं कि असम के साथियों को अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने का अवसर था और उन्होंने किया।

मैंने एक बात और भी सुझायी थी और मैं विश्वास करता हूं कि हम शाम को जो प्रस्ताव सम्मिलित करेंगे, उसमें जरूर इस बात का उल्लेख होगा और वह यह है कि कुछ समय पहले इसी साल अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में जो हमारा दूतावास काबुल में है, उस पर हमला हुआ था। सामान्यत: उसमें आईएसआई का नाम आया था कि उसे आईएसआई ने करवाया है। वह ऐसा संगठन है जो पता नहीं, जरदारी साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि हां, मैं मानता हूं कि मुम्बई में जो लोग गए थे, वे पाकिस्तान से गए थे, कराची से गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि वे नान स्टेट एक्टर्स थे। उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया। नान स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? नान स्टेट एक्टर्स इस प्रकार का जो आपरेशन वहां किया, ऐसा लगता था कि मानो आर्मी कमांडोज थे। जितने लोग वहां थे और जिन्होंने उनको देखा, जिन लोगों ने उनका मुकाबला किया, उन सब का यह मत है कि वे कोई साधारण नागरिक नहीं थे, साधारण टैररिस्ट्स नहीं थे। *[अनुवाद]* उन्होंने वृहद तैयारी की थी। *[हिन्दी]* उनको कितना समय लगा होगा।

सचमुच मेरा माथा उस समय ठनका जब दो होटल्स के अलावा नरीमन हाउस का नाम लिया गया। नरीमन हाउस का नाम लेते ही मुझे समझ आया कि वह काफी सर्वेलेंस करके किया गया है। साधारणतया किस को पता है कि नरीमन हाउस में ज्यूस रहते हैं, यहूदी रहते हैं, यहूदियों की फैमिलीज रहती हैं या इस्त्राइल से आकर लोग रहते हैं। मुझे यह जान कर एक प्रकार से संतोष हुआ और यह बात मुझे इस्त्राइल के अम्बेसैडर ने आकर कही कि अगर यह घटना बुधवार को न होकर शुक्रवार को होती तो भंयकर परिणाम होते, इस नाते कि हर शुक्रवार को *[अनुवाद]* जो उनके लिए कोशर डे की पूर्व संध्या होती है, *[हिन्दी]* वे शनिवार की पूर्व संध्या को मिल कर प्रार्थना करते हैं। यहूदी परिवार के जितने लोग मुम्बई में होते हैं, वे सब आते हैं और साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकार उनकी बहुत बड़ी संख्या हो जाती और उसके भयंकर परिणाम होते, लेकिन उनको इन सब बातों का पता था कि वे यहां रहते हैं। ताज होटल और ओबरॉय होटल फाइव स्टार होटल और मशहूर है, कोई भी पहचान सकता है। मैं नहीं जानता लेकिन मुझे किसी मित्र ने कहा कि रामपुर में जो सीआरपीएफ कैम्प पर अटैक हुआ था, उसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया था, उसने मुम्बई के ताज होटल का जिक्र किया था और कहा था कि उस पर हमला होगा। यह अगर सही बात है तो *[अनुवाद]* यह एक और आयाम है, एक और साक्ष्य है और एक सूचना है जिसकी पूरी तरह जांच की करानी चाहिए *[हिन्दी]* कि उसके बाद क्या हुआ।

मैं यह बात मानता हूं कि आज का यह अवसर विश्लेषण करने का है और साथ-साथ दुनिया को भी संदेश देने का है। यह जो युद्ध है जिस को हम कोई घटनाक्रम नहीं मानते, इस युद्ध में सरकार और विपक्ष एक साथ है, इस युद्ध में सारा देश कोई जाति हो, कोई भी सम्प्रदाय हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी हो, सब एक हैं, यह संदेश जाना चाहिए, यह प्रस्ताव का उद्देश्य होना चाहिए।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

इसके साथ यह संकल्प भी प्रकट होना चाहिए कि हमारा यह युद्ध आखिर तक चलेगा और हम इसे लाजिकल परिणाम तक पहुंचाएंगे। गृह मंत्री जी के आखिरी वाक्य में उल्लेख आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दो-चार महीने हैं में हमें हार्ड डिसीजन लेने होंगे। मैं अपनी पार्टी और एनडीए की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि चाहे सरकार कोई भी कठोर कदम उठाना चाहे, आप कोई भी हार्ड डिसीजन लें, जो डिसीजन इस युद्ध में देश को विजय दिलाने वाला होगा, उसमें मेरी पार्टी और एनडीए आपका साथ देगी। मैं यह बात आज ही नहीं कह रहा हूं बल्कि जब मुंबई की घटना हुई थी, उसके चार दिन बाद हमारी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने यह प्रस्ताव किया था, मैं इसमें से कोट करता हूं:

[अनुवाद]

"भारत की वाणिज्यिक राजधानी, मुंबई पर हुआ चार दिन लंबा आतंकवादी हमला एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना पूरी तरह, प्रत्यक्ष रूप से तथा प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि पाकिस्तान ने सरकार के सभी अनुरोध ठुकरा दिए हैं हम आशा करते हैं कि सरकार ऐसे सख्त कदम उठाएगी जो पाकिस्तान को जिहादी आतंकवाद फैलाने से रोके जाने हेतु आवश्यक हैं। एक राष्ट्रीय दल होने के नाते भाजपा इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने में सरकार का साथ देगी।"

[हिन्दी]

मैं हमेशा याद करता हूं कि चाहे हमारे बहुत मतभेद रहते हैं और हम बहुत आलोचना भी करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते लेकिन हम महाभारत के प्रसिद्ध कवि की बात को भूल नहीं सकते, जिसमें गंधर्व ने पाण्डवों और कौरवों पर हमला किया था और वे कौरवों को पराजित कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहा कि जाकर कौरवों का साथ दो, उनकी सहायता करो। किसी ने कहा - आप क्यों उनकी सहायता करने के लिए कह रहे हैं तब उन्होंने कहा कि हमारे आपस में विवाद हैं लेकिन इस युद्ध के समय सौ नहीं एक सौ पांच हैं, "वयम पंचाधिकरणाम् शतम"। अगर किसी दूसरे का सवाल आता है तो हम एक सौ पांच हैं। यह बात सबके लिए है।

[अनुवाद]

यह सभी पर लागू होता है।

[हिन्दी]

मैंने जिक्र किया जो इन्होंने कहा कि ये नान स्टेट एक्टर हैं।

[अनुवाद]

आईएसआई स्वयं भी एक तरीके से राजकीय नहीं है क्योंकि यह पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह केवल सेना के प्रति जवाबदेह है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : इसकी राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इसमें संदेह है। मुझे वास्तव में संदेह है। केवल मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अमेरिकी सरकार जिससे अपेक्षा की जाती है कि शायद वह पाकिस्तान के कार्यकरण को बेहतर ढंग से समझती है, के प्रवक्ता ने भी इस तथ्य को मेरे समक्ष स्वीकार किया है। जब वह (डा. कान्डोलीजा राइस) यहां पर आईं तो मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा। *[हिन्दी]* मैं एक मुख्य समस्या जो पाकिस्तान से संबंधित है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर कौन अथौरिटी है? डेमोक्रेटिक देशों में जैसे हमारा देश है, यहां हर एक जानता है कि कौन फाइनल अथौरिटी है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, जहां बहुत बार तख्ता पलट हुए हैं और कितनी बार आर्मी रूल आया है, वहां अब इस समय एक नाम है, तथाकथित प्रधानमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं लेकिन कौन अथौरिटी है? यह निर्णय करना आसान नहीं है। उनका कहना था और लगता है कि जो आर्मी चीफ हैं, वही सर्वेसर्वा हैं।

मुझे इस प्रसंग में एक बात और कहनी है कि पिछले दिनों विल्सन जान द्वारा लिखा गया एक बहुत परसेप्टिव लेख छपा था पायोनियर अखबार में। विल्सन जॉन ऑब्सर्वर रिसर्च फौंडेशन में सुरक्षा के विषय में अनुसंधान करते हैं।

उसमें उन्होंने कहा है कि- *[अनुवाद]* आई एस आई में गुप्त होने के साक्ष्य हैं जिनका जाने माने पाकिस्तानी विद्वान अहमद राशिद- *[हिन्दी]* जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है" "डीसेंट इनटु क्योस।" *[अनुवाद]* यह आदिगर्त में कैसे गया? उनका कहना है कि आई एस आई के अंदर एक आई एस आई है। *[हिन्दी]* यह जो कबाल है *[अनुवाद]* हो सकता है कि यह निकाय अफगानिस्तान और भारत में पाकिस्तानी राज्यों की जिहादी रणनीति तैयार करने और उसे अंजाम देने के लिए मुख्य तौर पर उत्तरदायी हो और इससे सेना और नागरिक स्थापनाओं को खण्डन करने का अवसर मिलता है। उन्होंने 'आई एस आई के भीतर आईएसआई' तथ्य की अपनी नवीनतम पुस्तक 'डिस्सेंट

इन टू क्योस' में व्याख्या की है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध किस प्रकार की लड़ाई की जा रही है? इस पर गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। *[हिन्दी]* कि किस प्रकार से डिनायबिलिटी के लिए, यह हमने नहीं किया है, एन.ई.टी. ने किया है लश्कर-ए-तैय्यबा ने किया है और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, किसी को हाउस अरैस्ट में रख दिया, *[अनुवाद]* हमें इस प्रकार की कार्यवाहियों के धोखे में नहीं आना चाहिए। *[हिन्दी]* हमें किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। यह कोई आपरेशन नहीं है, दिखावा है, छलावा है, धोखा है, प्रवंचना है।

और यह बात केवल मात्र विल्सन जॉन और अहमद रशीद ने नहीं लिखी है, परंतु मैं देख रहा हूं कि इस समय अमरीका में जो पाकिस्तान के एम्बैसेडर हैं जिनका नाम हुसैन हक्कानी है, उन्होंने कुछ समय पहले यह लिखा था- *[अनुवाद]* सबसे प्रमुख जिहादी दल लश्कर-ए-तैय्यबा है जिसे चलाने हेतु सऊदी से धनराशि प्राप्त होती है और जो पाकिस्तान आसूचना सेवाओं द्वारा संरक्षित है। यह आई एस आई एक पाकिस्तानी आसूचना सेवा हैं। *[हिन्दी]* और फिर आगे हक्कानी ने 2005 में यह भी लिखा कि- *[अनुवाद]* उस इस्लामी गुट ने 1990 के दशक में जब भारत पर हमले किये तब आई एस आई ने उसे धनराशि और दिशा प्रदान की।

[हिन्दी]

9/11 के पश्चात् आई.एस.आई. ने इसी ग्रुप लश्कर-ए-तैय्यबा को पैसे देकर कहा कि कुछ समय चुप रहो, 9/11 हुआ है, इसीलिए हमारे ऊपर दबाव है, इसलिए तुम चुप रहो। उन्होंने इसका पैसा भी उन्हें दिया। ये सारी बातें, जो आज अमेरिका में पाक एम्बैसेडर है, उसने तथ्य दिये है-

[अनुवाद]

ताकि कोई इसे चुनौती न दे सके।

[हिन्दी]

मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दिनों में हम भी पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि अगर यू.एन. सिक्युरिटी काउंसिल में जाकर हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो और प्रभाव होगा। लेकिन मुझे यू.एन. सिक्युरिटी काउंसिल का नाम सुनकर डर लगता है। इस नाते डर लगता है, क्योंकि हमारा कश्मीर का जो अनुभव है, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम अपनी डिप्लोमैटिक शक्ति से, डिप्लोमैटिक कुशलता से जितना कुछ कर सकें, वह जरूर करना चाहिए। हम अपनी ताकत से जो कुछ भी इनके खिलाफ कर सकें, वह जरूर करना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करें कि यू.एन. सिक्युरिटी काउंसिल हमें बचायेगा, यह समस्या हमारी है और इस समस्या को हमें ही हल करना चाहिए। हमने जम्मू-कश्मीर की समस्या भी उस समय अगर हमने अपने बलबूते पर हल की होती तो हल हो गई होती। यू.एन. सिक्युरिटी काउंसिल में जाने का क्या परिणाम हुआ है, उसे हम काफी भुगत चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। यह मेरा अनुरोध होगा।

अध्यक्ष जी, आपने अचानक मुझे कह दिया, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं आप विशेषज्ञ हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं बिल्कुल नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं असुविधा के लिए माफी चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

हमें आश्चर्य नहीं होता है, जब ये ऐसा करते हैं। लश्कर-ए-तैय्यबा के लोग या उसके प्रमुख क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, वह हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं और कई बार इस बात को कह चुका हूं कि किसी आतंकवादी का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। आतंकवाद एक अपना धर्म है लेकिन साथ ही साथ वास्तविकता यह है कि लश्कर-ए-तैय्यबा नाम की संस्थायें, जिन्हें पाकिस्तान ने आश्रय दे रखा है, उन पर बैन भी लगाती हैं तो दूसरे नाम से उन्हें चलने देती है। उनके नेता को गिरफ्तार भी करती हैं, तथाकथित गिरफ्तारी करती है और उन्हें हाउस एरैस्ट में रखती है, लेकिन जब यह मामला कुछ ठंडा हो जाये तो उन्हें सम्मान के साथ छोड़ देगी, प्रशंसा करेगी। लश्कर-ए-तैय्यबा का सुप्रीम धार्मिक और पौलिटिकल हैड हाफिज मोहम्मद सैय्यद ने नवम्बर महीने में दिसम्बर की घटना के पहले कहा था:

[अनुवाद]

"भारत केवल ताकत की भाषा समझता है; और इससे इसी भाषा में बात करनी चाहिए। लश्कर-ए-तैय्यबा के सर्वोच्च धार्मिक और

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

राजनीतिक प्रमुख ने ऐसा कहा था। *[हिन्दी]* लश्कर-ए-तय्यबा ने एक [''जब पम्फलैट ईश्यू किया *[अनुवाद]* हम जिहाद कर रहे हैं''], *[हिन्दी]* उसमें आगे लिखा है: *[अनुवाद]* इसके सिद्धांतों में केवल भारत की जम्मू और कश्मीर राज्य पर अखंडता को चुनौती देना ही शामिल नहीं है; अपितु यह वह अपना यह निश्चय भी बताता है कि इसकी कार्यसूची में ''भारत के सभी भागों पर इस्लामी शासन की पुनस्थापना करना'' भी शामिल है।''

उनकी ऐसी सोच है। *[हिन्दी]* यह चिन्तन है और इस चिन्तन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अगर हम इसके साथ लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों को इस बात को समझाना चाहिये, उन्हें बताना चाहिए कि जिहाद के नाम पर इन लोगों के मंसूबें बड़े भंयकर हैं। *[अनुवाद]* आध्यात्मिक इस्लाम का आदर किया जाना चाहिए लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक इस्लाम का सामना करना उससे लड़ना चाहिए। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। *[हिन्दी]* टैरिज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले दिनों यू.एस.ए. की सैक्रटरी आफ स्टेट, मिस कोंडालिसा राइस मुझे मिलने आयी थीं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप उसका उत्तर बाद में दे सकते हैं। यहां पर चर्चा को सही प्रकार से होने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब वह मुझ से मिलने आयी तो मैंने उन्हें कहा कि आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है, जिसमें हम चाहेंगे कि अमरीका जितना प्रभाव डाल सके, उतना डाले। लेकिन मैंने उन्हें यह भी कहा कि बार बार आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिये पाकिस्तान में अलग अलग लोग और विश्व में कई लोग कश्मीर का उल्लेख करते हैं। इस बात को समझना चाहिये कि इस में भारत कश्मीर विवाद का विषय नहीं था। हिन्दुस्तान में 530 रजवाड़े थे। उन सब में उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार केवलमात्र वहां के महाराजा ने निर्णय नहीं किया लेकिन वहां की जो जनप्रतिनिधि संस्था थी, उसे भी कहा गया, उन्होंने निर्णय किया कि हम भारत के साथ जायेंगे। अगर कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है तो उसका कारण नेकड अग्रेशन और इनवेजन है। इस अग्रेशन के बारे में संसद में कुछ साल पहले सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि यह हिस्सा भारत का हिस्सा है, वह हिस्सा कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, भले ही कब्जे में उसके होगा। इस तथ्य को दुनिया को पहचानना चाहिये और अमरीका को विशेष रूप से पहचानना चाहिये क्योंकि समय समय पर अमरीका में ऐसे ग्रुप खड़े होते हैं जो यह समझते हैं कि समस्या हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की है, कश्मीर की है और अगर कश्मीर आजाद हो जाये तो समस्या हल हो जायेगी, वे इस गलतफहमी में न रहें। भारत किसी भी सूरत में जम्मू-कश्मीर के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा क्योंकि यह भारत का अभिन्न अंग है।

यह हमारी संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। हां, लश्कर-ए-तोएबा ने अपने पैम्फलेट में यह बात डिकलेयर की कि हमारे तीन खास दुश्मन हैं और वे हैं– भारत, अमेरिका और इजरायल -*[अनुवाद]* जो इस्लाम के अस्तित्व के शत्रु हैं। *[हिन्दी]* इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने केवल ताज और ओबराय नहीं चुने, उन्होंने अपने इस टारगेट के लिए नरीमन हाउस को भी चुना। हमको इस आतंकवाद और इन आतंकवादी हमलों को पहचानना चाहिए। इसमें दो बातों के ऊपर टारगेट किया गया है, एक तो भारत की प्रगति होती गयी है और भारत आगे बढ़ता गया है, जिस प्रकार से यहां पर सब धर्म, सब मजहब, सब मत-मतान्तर एगजिस्ट करते हैं, यानी यहां पर सब आते हैं, यह देश ऐसा है जहां पर क्रिश्चियनिटि बहुत पहले आयी, सबसे पहली मस्जिद हिन्दुस्तान में केरल में बनी। जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में, मैं करांची में रहता था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें रोक रहा हूं। श्री रामदास, ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह जो भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केरल का जिक्र कर रहा था। जहां पर सबसे पहला एक चर्च बना। जो कोचीन जाता है तो वहां पर यहूदियों का भी सिनागाग दिखाते हैं। मैं स्वयं करांची का निवासी हूं। मेरा जन्म वहां हुआ। मैने अपने जीवन के पहले बीस वर्ष वहां पर बिताये। मेरे स्कूल में मेरे क्लासमेट कई ज्यूस थे। मैं जब 50 साल बाद इजरायल गया था तो मैंने उनमें से एक को ढूंढ निकाला। ये सारे अनुभव हैं, इसीलिए मैं इसको मानता हूं। यह हिन्दुस्तान जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ, भारत का विभाजन इस बात पर हुआ कि मुस्लिम बहुमत कहां पर है और हिन्दू बहुमत कहां पर है? पाकिस्तान ने भले ही अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया हो, थियोक्रैसी स्वीकार की होगी, हमने थियोक्रैसी स्वीकार नहीं की। हमने कहा कि हमारा राज्य सेकुलर राज्य होगा जिसमें सब धर्म, सब पंथ बराबर होंगे, चाहे व किसी भी धर्म व मजहब के अनुयायी क्यों न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास इस तरह व्यवहार मत कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह भारत की सभ्यता के आचार-विचार हैं।

[हिन्दी]

यह सिविलाइजेशनल इथोस आफ इंडिया पर आक्रमण है। यह हमें पहचानना चाहिए। यह हमारी प्रगति पर आक्रमण है। यह सिविलाइजेशनल इथोस आफ इंडिया पर आक्रमण है। इसको पहचानकर हम इसका सही उत्तर उनको दे पायें और इस उत्तर को देते हुए हम भारत के मुसलमानों को भी उसमें समाविष्ट कर सकें। जितनी मात्रा में हम कर सकेंगे उतनी मात्रा में ही हमने सही उत्तर दिया, यह कहा जाएगा। अभी-अभी रिसेन्टली मैंने देखा कि मुंबई की घटना के बाद कई स्थानों पर मुस्लिम समाज में गुस्सा है कि यह क्या हो रहा है? इनके कारण हम यहां पर बदनाम हो रहे हैं। इनके कारण यहां पर मतभेद पैदा होते हैं। अभी-अभी हैदराबाद में इमाम और मौलवी इकट्ठा हुए थे। जमियत उलेमा हिंद ने इसका आयोजन किया था। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कई लोग यहां आए और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं उसका स्वागत करता हूं। प्रसिद्ध पत्रकार एम.जे. अकबर मेरे मित्र हैं। वे रेगुलरली आजकल टाइम्स आफ इंडिया में लिखते हैं। उन्होंने लिखा, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने टोरंटों स्टार में एक लेख लिखा, जिसमें कहा कि-

[अनुवाद]

मैं एक भारतीय हूं और मुस्लिम हूं और मुझे दोनों होने पर गर्व है। किसी अन्य भारतीय की तरह मैं भी आज क्रोधित, हतोत्साहित और दुःखी हूं। मैं मुंबई पर हमला करने वाले युद्धोन्मत लोगों पर क्रुद्ध हूं।

[हिन्दी]

मध्याह्न 12.00 बजे

उन्होंने सही कहा और चिदम्बरम जी हां कह रहे है, लेकिन उसका जो फालोइंग सैन्टैन्स है, उसको भी हां कहेंगे। उन्होंने कहा कि:

[अनुवाद]

"मैं मुंबई और दिल्ली में सरकार की निष्क्रयता पर निराश हूं जो कि मेरे साथी नागरिकों के आक्रोश के प्रति तान-बधिर बनी हुई है। साथ ही, मैं भारत की अवधारणा के क्षतिग्रस्त होने से सुब्ध हूं।"

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : धन्यवाद। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि *[अनुवाद]* यह केवल आसूचना की असफलता नहीं है। *[हिन्दी]* क्योंकि मैं गृह मंत्री की बात मानता हूं कि मैं उन सवालों को जो सब अखबारों में छपे हैं, अभी नहीं उठाऊंगा क्योंकि जो ड्राफ्ट प्रस्ताव मुझे दिया गया, उसमें कहा है कि हम रिव्यू करेंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ जिसके कारण मुम्बई की घटना हुई। इसीलिए मैं वे सारे सवाल नहीं उठाता हूं लेकिन हां, पूछना जरूर चाहता हूं जिससे वे परस्यू करें, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। *[अनुवाद]* मैं उस सबसे इत्तेफाक नहीं रखता जो अखबारों में छपा है। *[हिन्दी]* आज सुबह के अखबार में केवल वैसल का नहीं बताया लेकिन वैसल के कोआर्डिनेट्स क्या हैं, यह भी बताया, गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि नेवी को एलर्ट किया गया, नेवी को बताया गया। नेवी का कहना है कि वह उस समय हमारे टैरिटोरियल वाटर्स में नहीं था। लेकिन यह भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहां से चोरी किया। वह कुबेर एक इंडियन शिप था जो गुजरात का था, जिसको उठाकर ये लोग ले गए। तो क्या हमें यह अधिकार नहीं कि इस प्रकार के जहाज को हम छुड़वाने के लिए कुछ करें? *[अनुवाद]* मैं नहीं जानता। इतनी सी बात कि वह भारत की जल सीमा के बाहर हैं तो क्या वे हमें हमारा पोत (वैसल) वापस लेने से रोक लेंगे? फिर वहां से उस स्थान तक जहां वे रबड़ की डिंगी से पहुंचे *[हिन्दी]* वह कितना डिसटैन्स है और कितनी देर उनको

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

आने में लगी होगी। पर उसमें कोई कमी रही क्या? क्योंकि कुल मिलाकर अभी तक *[अनुवाद]* मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के कुछ वरिष्ठ और वयोवृद्ध लोगों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बल्कि गृह मंत्री भी इसमें शामिल हैं और इसलिए सबसे पहले उन्होंने यही कहा "मैं इस असफलता के लिए मुंबई के लोगों से क्षमा मांगता हूं", और वह सही भी है। इसी प्रकार जलसेना अध्यक्ष ने भी ऐसा ही कुछ कहा था जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जवाबदेही केवल गृहमंत्री अथवा मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष संबंधित मुद्दे को उठाना ही नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि देश के लोगों के पास कुछ ही समय बाद यह निर्णय लेने का अवसर होगा कि नई सरकार किसे बनानी चाहिए अत: हमने औपचारिक तौर पर यह बात नहीं कही है।

लेकिन इस बात को समझना चाहिए। *[हिन्दी]* जो लोग समझते हैं कि आज जनता में गुस्सा नहीं है, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और जो लोग समझते हैं कि क्योंकि दिल्ली में या राजस्थान में बीजेपी नहीं जीती, इसलिए *[अनुवाद]* आतंकवाद एक मुद्दा नहीं है हम यदि इस प्रकार से सोचेंगे तो हम भारतीयों की बुद्धिमत्ता को कम आंक रहे हैं। *[हिन्दी]* हम अगर दिल्ली में या राजस्थान में सफल नहीं हुए तो मैं उसका क्रैडिट कोई कांग्रेस को नहीं देता हूं, अपनी कमी मानता हूं। *[अनुवाद]* ऐसा नहीं कि कांग्रेस जीती है बल्कि हम हारे हैं। लेकिन यह अलग मामला है। इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि लोग आतंकवाद को कोई मुद्दा नहीं मानते। आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)* अत: सभा यह चाहेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर सही प्रकार से चर्चा की जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पिछले दिनों मेरे साथी अरुण शौरी ने एक विस्तृत लेख इंडियन एक्सप्रैस में लिखा, जिसमें संसद के बहुत सारे सवालों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बार-बार यह बताया गया कि आगामी हमला समुद्र से हो सकता है। यह प्रधान मंत्री ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर ने कहा, सबने कहा, डिफैन्स मिनिस्टर ने कहा और उसके बाद भी यह हुआ है।

उसके बाद ऐसा क्यों हुआ? इसे आप रिव्यू करेंगे, इसकी मुझे खुशी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री एम.के. नारायणन ने यह कहते हुए चेतावनी दी है कि-

"पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर कई ऐसे नए स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं जो कई देशों में लड़ने के लिए आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड को प्रशिक्षण देने की विशिष्टता रखते हैं। प्रशिक्षण अत्यधिक कड़ा हो गया है। इसकी प्रकृति काफी हद तक भयावह है। संवेदनशीलता, खराब सुरक्षा होना और आतंकवाद रोधी उपायों का न होना आदि से संबंधित महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं। यहां तक कि जमीन पर भी आक्रमण करने के लिए समुद्री मार्ग पसंदीदा मार्ग बनते जा रहे है।"

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऐसा कहा है। मैं इसे केवल इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संकल्प के अनुसार की जाने वाली समीक्षा में इन सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाए।

[हिन्दी]

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एनएसजी के कमाण्डोज को मुंबई पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? उन्हें सूचना रात 11 बजे मिल गई थी, लेकिन वे सुबह पहुंचे थे, बहुत देर से। उसी प्रकार आईबी और रॉ के कोआर्डिनेशन के बारे में, इंटैलिजेंस एजेन्सीज की सिनर्जी के बारे में आपने कुछ बातें कही हैं। मैं आशा करता हूं कि उन सब बातों के बारे में आवश्यक करैक्टिव स्टैप्स उठाए जाएंगे।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि दाऊद इब्राहिम के बारे में मांग मुम्बई की इस घटना के बाद की गई या इससे पहले भी सरकार ने उसकी मांग पाकिस्तान सरकार से की है? यह बात कई बार कही जाती है कि दाऊद इब्राहिम किसी समय इस सारे आतंकवाद के काण्ड में लिप्त नहीं था और जिस कार्य में लिप्त था, उस कार्य से परिचित होने के कारण समुद्र के सभी रास्तों से परिचित हो गया कि कहां-कहां समुद्र के जरिए सामान लैण्ड किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। इससे भी मुम्बई के कई लोगों को लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे भी उनका योगदान हो सकता है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वह न भी हो तो भी यह बात सही है कि

मुम्बई के टाडा कोर्ट ने वर्ष 1993 के बम विस्फोट काण्ड के लिए बहुत सारे लोगों को दण्डित किया है, उसमें उन्होंने घोषित किया हुआ है कि प्रमुख अपराधी दाऊद इब्राहिम आज तक एबस्कौण्डिग है, गिरफ्तार नहीं हुआ है, फरार है। उसके बारे में दुनिया जानती है कि वह एक अच्छे खासे बंगले में कराची में रहता है, पाकिस्तान ने उसको आश्रय दे रखा है। कोई कारण नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको हमें न सुपुर्द करने में। इसके अलावा हमने बाकी 20 लोगों की मांग की है, उनको हमें सुपुर्द करना चाहिए। इस बारे में भी क्या कार्यवाही अभी तक हुई है, क्या होने वाली है और कब तक होने वाली है?

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं पूरी दुनिया को और खास तौर से हमारे दुश्मन, जिन्होंने हमारे ऊपर आतंकवाद का युद्ध छेड़ रखा है, उनको कहना चाहता हूं कि आज इस सदन का प्रस्ताव वास्तव में पूरे देश की दृढ़ता, निश्चय और संकल्प को प्रकट करेगा कि इस आतंकवाद के युद्ध पर विजय पाने के लिए पूरा राष्ट्र एक साथ है, एक मत है। सरकार और विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है। भाषाओं, मजहबों और सम्प्रदायों के कारण कोई मतभेद नहीं है। यह हमारे अंदर की डेमोक्रेसी है, जिसमें हमारे मतभेदों पर हम गर्व करते हैं। यह युद्ध की स्थिति है, इसमें हम सब एक हैं, इस बात पर मैं बल देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मिलिंद देवरा, क्या आप अपने स्थान पर बैठे हैं?

श्री मिलिन्द देवरा (मुंबई दक्षिण) : जी नही। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। क्या मैं अब बोलने के लिए आपकी अनुमति ले सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री मिलिन्द देवरा : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया।

मुझे पता है कि समय कम है और इसलिए मैं शब्द आडम्बर से दूर रहूंगा और जितने ज्यादा सुझाव हो सकेंगे उतने दूंगा जिसे सरकार राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के लिए कार्यान्वित कर सकेगी।

आरम्भ में, मैं विपक्ष के नेता से सहमत होना चाहूंगा कि भारत की जनता चिन्तित है। वह सभी राजनीतिज्ञों से महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। "हां" दक्षिण मुंबई निर्वाचन क्षेत्र, जो इन हमलों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, का संसद सदस्य होने के कारण जनता स्वभाविक रूप से सरकार से प्रश्न पूछ रही है। लेकिन विपक्षी दलो को यह याद दिलाना आवश्यक है कि जनता उनसे भी प्रश्न कर सकती है यदि जनता कथित आसूचना विफलता या अन्य सुरक्षा खामी के लिए सरकार की आलोचना कर रही हैं, तो वह पहले से जांच का राजनीतिकरण करने और एक समय यह कहने के लिए कि हम इन हमलों की जांच कर रहे व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं और अगले दिन भारत की जनता के साथ मिलकर उन लोगों को शहीद का दर्जा देकर अपने विचार बदलने के लिए विपक्ष से भी सवाल पूछ रही हैं।

यदि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं, यदि हम दलगत भिन्नताओं की ओर जाते हैं, तब मेरे विचार से हम कभी भी राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते हैं और हम आतंकवाद के विरुद्ध सही तरीके से लड़ाई लड़ने में विफल रहेगें। मुंबई की इस घटना से जुड़ी अनेक किस्से कहानियां हैं जो दुःख की भावना उत्पन्न करती है और ऐसी भी कहानियां हैं जो इस देश के लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। शहर के नागरिकों की बहादुरी और बहादुरीपूर्ण प्रयासों के किस्से कहानियां हैं। मेरे विचार से मुंबई शहर में मरने वाले लोगों की संख्या के बजाए अभी हमें भारतीय जनता, जिन्हें कुछ दिनों तक इस घटना को चलते हुए देखना पड़ा, को इस हमले से लगे मानसिक आघात पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम संसद सदस्य के रूप में, पूरे राजनीतिक परिदृश्य में विधायक और नीति निर्माता के रूप में अपने छोटे-मोटे भेदभावों को अलग रखकर संगठित नहीं हो सकते हैं तब तक मैं समझता हूं कि आतंकवाद से लड़ने में केवल हमें विफलता हाथ लगेगी।

भारत एक सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्र है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान सरकार भारत की जनता को पुनः आश्वस्त करेगी की वे कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं ताकि भविष्य में इन घटनाओं को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

मैं अत्यन्त स्पष्ट सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। बाहरी स्तर पर हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीमापार के कुछ आतंकवादी संगठनों को प्रतिबन्धित करने से इंकार किए जाने के बारे में सुना है। हमने इन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध न लगे उसे रोकने में एक अन्य बड़े पड़ोसी देश के शामिल होने की बात सुनी है। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण है कि सरकार, विदेश मंत्रालय इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठाए। इस चर्चा के आरम्भ होने से ठीक पहले, मैं समाचार देख रहा था और इसमें मुझे पता चला कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीमापार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ अत्यन्त खतरनाक आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है।

[श्री मिलिन्द देवरा]

आन्तरिक स्तर पर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम भारत में रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय दोनों सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ ठोस कदम उठाए। मेरे विचार से हमें अपनी पूरी आसूचना अन्वेषण क्षमता पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें राजनीति से अलग रखने का सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो और उनके द्वारा मुंबई शहर में इन हमलों की जवाबी कार्रवाही में लिए गए समय के बारे में सवाल उठाए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के गृहमंत्री ने घोषणा की है कि पूरे देश में मुंबई जैसे शहरों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तरह कमान्डों संगठनों की स्थापना की जाएगी। मेरे विचार से पूरे देश में केवल भारत के पश्चिमी भाग में नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता में और दक्षिणी क्षेत्र में उनके विस्तार की आवश्यकता है ताकि इन आतंकवादी हमलों का तेजी से उत्तर दिया जा सके।

आतंकवाद से लड़ने के दो भाग है। एक भाग है निवारण का और एक भाग है प्रतिक्रिया का। प्रतिक्रिया भाग में सब कुछ शामिल है, स्थानीय पुलिस को बेहतर उपकरण प्राप्त कराना, बेहतर आसूचना, बेहतर प्रशिक्षण, विभिन्न शहरों में एन.एस.जी. जैसे संगठन इत्यादि। लेकिन यहां प्रमुख तत्व निवारक तंत्र है। यह मुख्यत: आसूचना की अन्वेषण क्षमताओं पर निर्भर करता है हम सब सभी इस बात से अवगत हैं कि जब समुद्री सुरक्षा का संबंध है भारतीय तट रक्षक ऐसी घटनाओं को रोकने में प्रमुख आसूचना एजेन्सी है।

चर्चित रिपोर्टों के आधार पर हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि तट रक्षक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे और आसूचना के मामले में स्वयं नौसेना और पूरे भारत के विभिन्न तटों के राज्य पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करना जारी रखेगा।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों और एक संघीय एजेन्सी पर उनके लगातार जोर देने की प्रशंसा करता हूं। मैं नहीं समझता कि हममें से कोई भी ऐसे फेडरल ऐजेन्सी के महत्व पर बल दे सकता है जिसके पास आसूचना भागीदारी और संचय क्षमता ही न हों। मैं पुन: जोर देकर बोलता हूं कि न केवल आसूचना भागीदारी और संचय क्षमता बल्कि मेरे विचार से अभियोजन क्षमता होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से आतंकवाद विरोधी फेडरल एजेन्सी की स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है जहां केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर सकती है कि उनके पास आसूचना का पूल हो, उनके पास अन्वेषण योग्य आसूचना का संग्रहण हो, वे प्रभावकारी अभियोजना और समय पर सजा सुनिश्चित कर उसे कार्य में परिणत कर सकें। मेरे विचार से सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास पुन: स्थापित करना - और मैं सहमत हूं कि सुरक्षा व्यवस्था का महत्व राजनीतिक नेताओं से काफी ज्यादा है, यह केन्द्रीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है - सुरक्षा व्यवस्था में अनेक आम लोग भी शामिल होते है। अत: सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय जनता का विश्वास पुन: स्थापित करने के लिए मेरे विचार से हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के बाद क्या हुआ इससे सबक लेना चाहिए जहां उन्होंने '9/11 आयोग' नियुक्त किया जिसने 9/11 क्यों हुआ उसके कारणों की जांच की कि क्या सुरक्षा में कोई खामी रही और तत्पश्चात् आयोग के प्रतिवेदन को जनता के समक्ष रखा गया। इन कार्यों के पश्चात् कुछ कार्रवाई की गई जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में और हमले को रोका है।

महोदय, यदि माननीय मंत्री और भारत सरकार एक आयोग नियुक्त करने पर सहमत होगें जो शायद गैर-राजनीतिक, शायद राजनीतिक भी हो, यह संयुक्त संसदीय समिति की तरह भी हो सकता है जो इसका अध्ययन कर सकती है और अपना निष्कर्ष जनता के समक्ष रख सकती है, मेरे विचार से इससे भारत की जनता आश्वस्त होगीं कि सरकार ने इस समस्या के प्रमुख कारण को समझ लिया है और आवश्यक कदम उठा रही है।

महोदय, मैं बुधवार, 26 नवम्बर को मुंबई के उन सभी जगहों पर उपस्थित था जहां 10.15 बजे रात में हमला हुआ था से अनेक लोग है जो शूरवीरो की तरह उभरे है और जिन्होंने शहर और राष्ट्र की महान सेवा की है और हां हमें महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादरोधी दस्ते के श्री करकरे, श्री काम्टे, श्री सालस्कर और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के श्री उन्नीकृष्णन जैसे लोगों के प्रयासों की अवश्य सराहना करनी चाहिए। अन्य ऐसे भी लोग है जो शूरवीर तो है लेकिन आज उनका गुणगान नहीं हो पाया है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बताया कि ऐसा व्यक्ति वहां हैं जिसने आतंकवादियों की गोलियों को रोका और जिसकी वजह से दस में से एक आतंकवादी पकड़ा गया जो भारत के लिए नियोजन के रूप में काफी सूचना लाएगा और भारत को अपनी अन्वेषण क्षमता में वृद्धि करने में सहायता करेगा। ये सभी लोग शूरवीर है और हमारे सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं।

महोदय, अत्यन्त संक्षेप में हम सब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर की मांग कर रहे है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि हम एक राज व्यवस्था के रूप में एक साथ आते हैं, यदि हम एक संसद के रूप में साथ आते हैं और सही सवाल पूछते हैं, तब हमें वे उत्तर मिलेगें। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं माननीय विपक्ष के

नेता की इस बात से सहमत हैं कि यदि आतंकवादी मुस्लिम समुदाय का हो, तब हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वे किसी खास समुदाय से संबंधित हैं। हमें आतंकवादियों को आतंकवादियों की तरह ही देखना चाहिए और हमें किसी समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति का बचाव नहीं करना चाहिए। यह सभी धर्मों पर लागू होता है। यह हिन्दुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों सब पर लागू होता है। यदि कोई आतंकवादी किसी समुदाय का पाया जाता है तब किसी भी राजनीतिक दल को उस व्यक्ति के बचाव में आगे नहीं आना चाहिए। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण बात हैं। हम इस देश के राजनेता और नेता के रूप में मुंबई की जनता एनएसजी के बहादुर कमांडो, महाराष्ट्र पुलिस के कार्मिकों, सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों और इस हमले में मरने वाले सभी नागरिकों के ऋणी हैं और इसलिए उनके लिए जो सबसे आधारभूत कार्य हम कर सकते हैं वह है कि हम इस आतंक संबंधी चर्चा को राजनीतिक रंग न दें।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की सरकार, माननीय गृहमंत्री अपने उत्तर में यह सुनिश्चित करेंगे कि उठाए गए कदमों से राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर होगी और सभी सुरक्षा स्थापनाओं में सुधार आएगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : धन्यवाद, सर।

कुछ न करने से भी छिन जाता है, एजाजे सुखन,
चुप रहने से भी कातिल की मदद होती है।

इस सदन में, लोक सभा में 2004 से आज तक हर वर्ष 1-2 बार हम टैररिज्म अटैक्स, ब्लास्ट, विस्फोट, उससे हुई मौतों, शहादत, कुर्बानी और फिर उसका जायजा लेना और उसके लिए कुछ ठोस कदम, एकदामात उठाने के लिए हुकूमत के पास कुछ पेशकश रखना, यह करते आये हैं। मैं पिछले कुछ रोज से सारी इस 14वीं लोक सभा में जितनी वार चर्चा हुई, उसको मैं एक बार देख रहा था, उसका अवलोकन कर रहा था और गृह मंत्रालय के सामने जिन बातों को हम लोगों ने रखा, मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि मुम्बई के जो हादसे हुए, उसके बाद ऐसा कुछ हिस्सों से प्रकट करने की कोशिश की गई कि संसद, सांसद, राजनेता, राजनैतिक दल, इनकी इस मामले पर कोई चर्चा नहीं होती, कुछ बोला नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता और लोग मारे जा रहे हैं। वह एक गलत अंदाजे बयां था। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं संसद को भी डिफेंड नही कर रहा हूं, संसद भी अहकाक हुए हैं। अभी दूसरे तरीके से भी अटैक किया जा रहा है। यहां तक कि हमारी जम्हूरियत को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे प्रतिष्ठानों को, जिन्हें और भी मजबूती प्रदान करनी है, यहां तक कि हमने एक टेलीविजन चैनल पर देखा कि नेवल फोर्स कहां थी, यह भी सवाल उठाया जा रहा है। खामियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन मुंबई के जो वाकयात हुए, जो अटैक हुए, उससे अगर हमें लड़ना है तो हमारी कमजोरियों और खामियों का रूट काज से एलान करने से हम नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि उन खामियों और कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, उसका जायजा भी लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी अपनी कॉम्पीटेंसी लेविल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से वे हथियारों से लैस हो रहे हैं, जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस तरह से उन्हें मदद मिल रही है, उससे हमारी सिक्योरिटी के लिए जो इन्तजामात हैं, वे हमेशा, यह देखा जाता है कि नाकाफी साबित हो रहे हैं।

मैं सबसे पहले, इस मंत्रालय में इस जिम्मेदारी में हमारे नये गृह मंत्री ने जो बयान दिये, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि जितनी बार हमने दिसम्बर महीने से अब तक चर्चा की, हर बार तत्कालीन गृह मंत्री के सामने हमने ये सब बातें रखीं और जवाब के बाद यही कहा कि वह ठीक से एड्रैस नहीं हुआ। उन मुद्दों का आकलन सही ढंग से नहीं हो रहा है, यह क्षोभ बोलिये, दुख बोलिये, परेशानी बोलिये, इस सदन में यह हमेशा होता है। नये मंत्री जी जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम सराहते हैं। यह कोशिश की शुरूआत है।

सबसे पहले विपक्ष के नेता भी मंत्री जी के बयान के बाद जिस स्पिरिट और जिस भावना से यह चर्चा हुआ, हमें बहुत दिनों से इन्तजार था, मैं इसका स्वागत करता हूं। पहली बार मैं कर रहा हूं, इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं, इतने खून, कुर्बानी और जान देने के बाद, जहां पर वह छोटी-मोटी छेड़खानी, इससे उसको वह फायदा हो जाये, उसको वह नुकसान हो जाये, अपने-अपने रंगीन चश्मे से इसको देखने से हम बाज आये हैं। यह इस संसद के लिए और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम एक हैं। इस तरह से चुनौती का सामना करने के लिए हमारी बाकी सियासी, राजनैतिक कोई भी फायदे-नुकसान का अगर हिसाब करना है तो उसके लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वह यह नहीं है। 5 दिसम्बर, 2004 को जब यू.पी.ए. सरकार आने के बाद पहली चर्चा हुई। अब तो सब वीडियो रिकार्डिंग है, पिछले साल जब 13 दिसम्बर को यहां टैररिज्म के ऊपर चर्चा हो रही थी तो बड़ी नोंक-झोंक हुई। सब अपना-अपना कोई बहाना, छोटे-मोटे जो बाकी मामले हैं, उनको बीच में लाने की कोशिश की गई। वह सब वीडियो क्लीपिंग्स हैं। इससे हमने सबक लिया। पूरे देश के लिए यह मालूम होना चाहिए कि संसद, सांसद, राजनैतिक दल और राजनेता राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनेता बनने की कोशिश

[मोहम्मद सलीम]

कर रहे हैं और एक साथ, एक लफ्ज में इस वाकये की कंडैमनेशन कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं।

दूसरी बात, इससे जब जीतना पड़ता है, लड़ना पड़ता है तो हमें सवालात उठाने पड़ेंगे। सवालात का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को जस्टीफाई कर रहे हैं। सवालात का मतलब यह है कि हम उस बीमारी का इलाज सही ढंग से कर सकते हैं, जिसको हम डाइग्नोज कर सकते हैं। अगर डाइग्नोज सही नहीं होगा तो हम उसका उपचार भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए मुम्बई के इस आक्रमण, टैरिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले के बाद भी बहुत से सवालात उठे हैं। अखबारों में, टेलीविजन में, कई दिनों से जो लाइव टेलीकास्ट और एक्सटेंडेड टेलीकास्ट हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इस डिस्क्रिप्टिव बयान से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है।

हम अपनी पार्टी की तरफ से आप सबके साथ और पूरे देश के साथ जुड़ते हैं। जिन्होंने शहादत दी, कुर्बानी दी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से बहादुरी के साथ, लड़ीं, तमाम परेशानियों के बावजूद भी जिस तरह से वे कामयाब हुए, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। जो हमें छोड़कर चले गए, हमें उनके लिए बड़ा अफसोस है, हम उनके परिवार को भी अपनी इजहार-ए-अकीदत भी पेश कर रहे हैं और श्रद्धा भी दे रहे हैं। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज ही नहीं, उसके साथ-साथ जो सिविलियंस, इंक्ल्यूडिंग फारेनर्स उनको भी श्रद्धा देते हैं। सरकार की ओर से जो कुछ भी उनके लिए करना चाहिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, वह करे। मुल्क के लिए जब कोई कुर्बानी देता है, तो मुल्क उसे भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिसाल की तरह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और पूरे राष्ट्र की यह जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि मिलिन्द देवड़ा जी ने कहा कि हमारे एटीएस के तीन बहादुर हेमंत करकरे, सालस्कर, अशोक काम्टे की जिस तरह से उनकी जानें गयीं, उसके साथ संजीव उन्नीकृष्णन और हमारे महाराष्ट्र पुलिस के साथी, खासकर तुकाराम, हम उन सबको याद करते हैं और उनकी देशभक्ति के प्रति नमन करते हैं। मुंबई के लोगों ने जिस तरह से बहादुरी दिखायी और जो लोग अफेक्टेड डायरेक्टली नहीं हुए, लेकिन पूरे मुल्क के साथ इनडायरेक्टली अफेक्टेड हुए, उनके साथ जो मुंबईवासी हैं, उनके साथ भी हम अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और वे उसके शिकार बने, जो उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हुआ। इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन में जो आरपीएफ है, रेलवे स्टाफ है, वहां के कर्मचारी हैं, एक रेलवे स्टेशन में कई किस्म के लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पैसेंजर्स भी और इसके साथ-साथ इन दोनों होटल्स के कर्मचारी और अधिकारी और जो रेजीडेंस और कस्टमर्स थे, उन सबके साथ भी मैं अपनी एकजुटता प्रकट करता हूं और उनकी बहादुरी की मिसाल हम हमेशा याद रखेंगे।

इस बात को कहते हुए, मैं समझता हूं कि बयान में भी यह बात आयी है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरह के हादसे को रोकने का पहला कदम होता है कि हम किस तरह से अपनी इंटेलीजेंस को और भी चुस्त करें और उसे ज्यादा मजबूती प्रदान करें। इंटेलीजेंस इसलिए कहा, क्योंकि गृहमंत्री जी, अगर आप पुराने डिस्कशंस को देखेंगे, मैं 5 दिसंबर, 2004 और 13 दिसंबर, 2007 के पार्लियामेंट के डिस्कशन में वे तमाम सवालात आए कि को-आर्डीनेशन एमंग डिफरेंट वैरियस एजेंसीज, अगर एक्शनेबल कोई कोर्ट है, तो किस तरह से आप पास-आन करेंगे? हमारे स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज हैं, उसके साथ किस तरह से को-आर्डीनेटेड रहेंगे? हमारी जो मिलिट्री और सिविलियन एजेंसीज हैं, उनके साथ किस तरह से को-आर्डीनेट करेंगे, इंटरमिनिस्टीरियल जो को-आर्डीनेशन है और हमारी कोस्ट लाइन के बारे में भी बातचीत हुयी है। वर्ष 2003 से यह लंबित है कि साढ़े तीन हजार किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, उसमें खासकर जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम यह कहते हैं कि स्टेट पुलिस पांच किलोमीटर तक देखे, कोस्ट गार्ड बीस किलोमीटर तक देखे और उसके बाद नेवल फोर्स बाकी इंट्रेस्ट में जो हमारा क्षेत्र है, उसे देखे, इसका आकलन भी करना पड़ता है। हम पिछले चार साल से इस सरकार से यह कह रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन को हमें एसेस करना पड़ता है, जैसे इंडीविजुअल्स की करते हैं, पालिटिशियंस की करते हैं, बड़े-बड़े ओहदे के लोगों के लिए करते हैं, उसी तरह से हमारे मुल्क की भी करनी होगी।

आज हमें अच्छा लगा कि बयान देते हुए गृहमंत्री जी ने पहली बार यह कहा कि हमें मैरीटाइम एंड कोस्टलाइन की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा ध्यान देना है, वरना हम पिछले पांच साल से जितनी ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मलक्का से लेकर स्वेज तक, सब बेकार हो जाएगी। इस सबसे हम अपनी मिलिटेंट सिक्योरिटी को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कोस्ट है, उसको हम नजरंदाज कर रहे थे। हम मिलिटेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, बेशक वह रहेगी। आप आज या पिछले कई दिनों के अखबार देखिए तो यह देखने को मिलेगा कि जब इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान से जहाज में एलईटी अपने जहाज को लेकर हम पर अटैक करने आ रहे हैं, वे कितने डिग्री पर कहां पर हैं, उनकी पोजीशन पता चल रही है, यह कहां तक सच है या झूठ है, हम तो नहीं समझ

सकते, लेकिन ये बातें आ रही हैं। इस घटना बाद हमने देखा कि एक के बाद एक एजेंसीज अलग-अलग बयान दे रही हैं कि उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर है और वे कहते हैं कि उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर है। हम इस तरह से कब तक अंधेरे में घूमते रहेंगे। यह तो पोलिटिकल डिस्कोर्स भी नहीं, आफिशियल है, चाहे रिटायर्ड आफीसर्स के नाम में हो, चाहे करेंट आफीसर्स के नाम में हो, चाहे मीडिया के दबाव में हो, अलग-अलग से बयानबाजी शुरू हो गयी कि हमने तो दे दिया था, उसके बाद नहीं आए, ए से बी प्वाइंट गए, बी से सी गए, सी से डी गए, लेकिन कहां मिस हो गए,- हमें नहीं मालूम।

[अनुवाद]

यह आगे और समन्वय की ओर इंगित करता है।

[हिन्दी]

हम जानते हैं कि हमारे पास कोआर्डीनेशन की एक संस्था एमएसीसी (मल्टी एजेंसी कोआर्डीनेशन कमेटी) है, लेकिन वह कहां तक कारगर है, कहां तक काम कर रही है, वह सरकार को देखना पड़ेगा। जब बहुत सी एजेंसीज होती हैं तो उन्हें एक जगह सूत्रवत करने के लिए तमाम इंटैलीजैंस इनपुट्स होते हैं, इंटैलीजैंस का मतलब यह नहीं है कि हम हार्ड खबर इकट्ठी करें। उसे ऐनालेसिज करने की जो जरूरत होती है, उसमें फिर हमारी अपनी जो सोच है और जो पास्ट एक्सपीरिएंस है, उसके साथ उसे क्रास ऐग्जामिन करना पड़ता है, फिर उसके अंदर से एक्शनेबल ड्यूएबल्स निकालना पड़ता है, फिर जो एजेंसीज हैं उन्हें वे ड्यूएबल्स देंगे। लेकिन इसे करने के लिए जैसे हम शेयर मार्किट के इंडैक्स देखते हैं, एनएसई इंडैक्स देखते हैं। मैंने खुद दिसम्बर, 2005 की डिबेट में यह कहा था कि हमारा नेशनल सिक्युरिटी इंडैक्स है, सिक्युरिटी एजैंसीज, नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल को यह करना पड़ता है कि किस तरह से उसके तारतम्य हो रहे हैं, उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, कहां से वह ज्यादा होगा, कब वह नार्थ-ईस्ट में ज्यादा हो रहा है, कब कश्मीर में ज्यादा हो रहा है, कब मुम्बई या वैस्ट कोस्ट में हो रहा है, साउथ में कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे जो औपोनैंट्स हैं, जो हमें अटैक करना चाह रहे हैं, वे भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, टैक्टिक्स लेते रहते हैं, तो हम भी फिक्स एंड स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। उसके लिए हमारे नेशनल सिक्युरिटी इंडैक्स के कई इनपुट्स हैं - फारेन पालिसी परसैप्शन, दूसरे मुल्क की स्ट्रैटजी, साउथ एशिया के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में जो सोच है, हमारे अपने मुल्क की जो अंदरूनी पोलीटिकल और सोशल सिचुएशन है, इकोनामिक सिचुएशन है, हमारे मुल्क के अंदर चाहे क्रिमिनल एक्टीविटीज हों, चाहे टैरोरिज्म हो, चाहे सैक्टेरियन पोलीटिक्स हो, उनके जो रोल्स होते हैं, भूमिका होती है, उसके साथ देश के बाहर क्रास बार्डर टैरर करके जो हमें भेजना चाहता है, उन तमाम सवालातों के बारे में मैं बहुत जल्दी से बोलना चाहता हूं। इन सबको लेकर उसके बाद सिक्युरिटी इंडैक्स का मामला रहता है और उसी के मुताबिक हमें वह करना पड़ता है। कहीं न कहीं हमारे यहां नाकामी हुई है, कमजोरी हुई है, चूक हुई है। मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, कोई समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, कोई मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए और यह भी अच्छी बात है जो आपने बयान में कही कि अभी सब डिसक्लोज नहीं करना चाहिए कि इन्वैस्टीगेशन में क्या-क्या मिला, यह भी एक नई परम्परा है। हम पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं कि कोई विस्फोट हो जाए, कोई आतंकी हमला हो जाए, कोई भी ऐसी घटना हो जाए, वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले दूसरे दिन प्रैस कौन्फ्रैंस करके या किसी स्रोत को कोट करके कह दिया जाता है कि हमने उसे बर्स्ट कर दिया, हमने उसे औरस्ट कर लिया, हमने कमांडर इन चीफ को पकड़ लिया, हमने उसके बाद उसे जेल में डाल दिया और जो स्लीपर सैल था और जो टैरर नेटवर्क था, उन्हें हमने बर्स्ट कर दिया। हमारे जैसे इतने बड़े मुल्क में इतनी परेशानियों के आलम में, खासकर हमारी जो साउथ एशियन जियो-पोलीटिकल सिचुएशन है, वहां इतना आसान नहीं है कि एक वाकया हो जाए और दूसरे दिन गृह मंत्रालय के कोई अफसर हों या किसी स्टेट या शहर के पुलिस कमिश्नर हों और वे बयान देकर कह दें कि बाकी सब ठीक हो गया। बाद में हम देखते हैं कि वह कहीं का नहीं रहा। अक्सर केसेज में ऐसा होता है। यह अच्छी बात है। *[अनुवाद]* आप कोई नई परिपाटी नहीं बना रहे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं *[हिन्दी]* कि अभी हमें डायवल्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर हमें हार्ड एवीडैंस का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद चाहे हमारे मुल्क में हो, चाहे दूसरे मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, उसके अगेन्स्ट हमारे एवीडैंस इकट्ठे करके फिर उसके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी, कार्यवाही करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, जिस एजेंसी को करना है। यह अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि मिलिन्द देवरा जी ने कहा कि जो एजैंसीज हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, यह सब कुछ इकट्ठा करने के लिए आपने नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल बनाई, सैक्रेटेरिएट बनाए, नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर बनाए, तो सिर्फ गृह मंत्री, पाटिल साहब की आपने छुट्टी कर दी। मुम्बई का वाकया क्या यहीं तक है? मुम्बई में जो अटैक हुआ और हम जो पूरे विश्व को कह रहे हैं, जिस तरह से हमारे ऊपर हमले हुए, जो नुकसानात हमारे हुए, सिर्फ फिजिकल नुकसानात नहीं, *[अनुवाद]* यदि सभी को एक साथ मिलाया जाए *[हिन्दी]* तो और भी जो

[मोहम्मद सलीम]

बाते हैं जिन पर माथापच्ची करनी थी, जो माथापच्ची नहीं की, अगर मैं स्पैसीफिक कहूं तो नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर ने पिछले चार साल सिक्युरिटी को लेकर बातचीत कम की, उन्होंने फारेन पालिसीज, पोलीटिकल पार्टीज के अंदर मीटिंग और ब्रीफिंग करना ज्यादा किया। उन्हें आप फारेन पालिसी एडवाइजर कर दीजिए। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेज दीजिए। जिसकी जहां एक्सपर्टीज हो सकती हैं, वह वहां अच्छा काम कर सकते हैं। हमें ऐसा प्रतिष्ठान चाहिए जो हमारे मुल्क को सिक्योर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को सही मशविरा और मदद दे सकें। यह कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, एक प्रतिष्ठान है। उस प्रतिष्ठान को सही ढंग से मैन करना पड़ेगा और हमें जो जिम्मेदारी दी गयी है, उस जिम्मेदारी की एकाउंटेबिलिटी ऐस्टेबलिश करनी पड़ेगी। विदाउट ऐस्टेबलिशिंग एकाउंटेबिलिटी हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पायेंगे। इसी तरह मैं बाकी और नाम न लेते हुए कहना चाहता हूं कि एकाउंटेबिलिटी ऐस्टेबलिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है।

इसके साथ-साथ जिस तरह से अभी कोस्टल अटैक हो रहे हैं, आप जानते हैं कि जब कारगिल में अटैक हुए थे, इंट्रूजन हुए थे, वह लैंड से हुए थे। हिमालय पहाड़ी क्षेत्र था और पाकिस्तानियों ने वहां इनफिल्ट्रेशन किया। हमारे यहां सब लोगों ने कहा कि वह फेल्योर है। हो सकता है कि उस वक्त गवर्नमैंट आफ दी डे पहले मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं इसमें किसी बहस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद कमेटी बनी, चूंकि अभी कमेटी की बात आयी। उसके बाद फिर क्या हुआ, कहां तक पहुंचा? अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहां कोई सिस्टेमिक फेल्योर होता है, छोटा-मोटा जब फेल होता है, तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन फेल्योर है इसलिए उसके नीचे वाले को सजा दे दो। लेकिन जब कोई बड़ा फेल्योर होता है, तो उसके लिए कहते हैं कि वह सिस्टेमिक फेल्योर है और सिस्टेमिक फेल्योर में वहां कोई ह्यूमन फेस हमें देखने को नहीं मिलता है। बाद में उस सिस्टम को सुधारने के लिए हमने क्या-क्या किया और उसका क्या नतीजा निकला, वह राष्ट्र के सामने, देश के सामने, संसद के सामने हम नहीं लाते। हम समझते हैं कि यहां पर सिस्टेमिक फेल्योर है। सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है और उसके लिए एकदम तह तक जाना पड़ेगा और जाने के बाद फिर वह राष्ट्र को मालूम होना चाहिए कि कहां हमारे से चूक हो गयी और उसको सुधारने के लिए हमने क्या-क्या बंदोबस्त किये। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक घटना हो गयी, तो उसके बाद एक और नयी संस्था बना दी। एक संस्था के बाद दूसरी संस्था बना दी और दूसरी संस्था के साथ तीसरी संस्था बना दी। बाद में यह समस्या हो जाती है कि फिर उन संस्थाओं के बीच में हमारी एक फ्यूडल मैनटैलिटी भी है। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बम्बूवाल्स जैसे हम आयरन कर्टन बोलते हैं वैसे हम अपने-अपने बम्बूवाल्स बनाकर कहते हैं कि यह हमारा इलाका है, यह अपना क्षेत्र है और यह उनका क्षेत्र है और फिर कोआर्डीनेशन नहीं होता। जैसे एकदम आयरन कर्टन नहीं होना चाहिए वैसे वह बम्बूवाल्स भी नहीं होना चाहिए कि बांस को बेड़ा बनाकर हम एक नयी संस्था बना दे और फिर उसको अलग कर दें। उसके कोआर्डिनेशन का मामला है, इसलिए मैं बार-बार इस तरह से जोर दे रहा हूं।

दूसरी बात एक और है। आज यह स्पष्ट है कि ये जो अटैक हुए, अब तक जो कुछ सरकार से मालूम हुआ कि इन हमलावरों ने पाकिस्तान की जमीन से ट्रेनिंग ली, मदद ली, जहाज लिये और फिर हमारे यहां हमले किये। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होने से उसमें बड़ा माहौल बनता है, इमोशनल होते हैं। जहां तक हमारे इंडो-पाकिस्तान के रिलेशन का मामला है, तो चलो हम वीर पराक्रम बने, आपरेशन पराक्रम करें। 13 दिसम्बर को जब यहां हमले हुए, तो उन हमलों को पाकिस्तान द्वारा ही माना गया कि वहां से वे आरिजिनेट किये गये और वे क्रास बार्डर टैरोरिज्म का हिस्सा है। हमने फिर आपरेशन पराक्रम किया। हमने टेलीविजन में देखा कि मेरठ की छावनी से हमारी फौज निकल रही है। उन्हें तिलक लगाया जा रहा है, माला दी जा रही है और फिर वह बार्डर तक गये। बाद में जो अंडरग्राउंड माइन्स लगाई गई थीं, उनसे हमारे किसानों को परेशानी भी हुई। उन्हें हमें मुआवजा भी देना पड़ा और कुछ जानें भी गयीं। मैं मिलिट्री स्ट्रेटिजिस्ट नहीं हूं। अगर उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, तो वह ठीक है लेकिन हम समझते हैं कि उस वक्त क्या था-दी गवर्नमैंट आफ दी डे उस आपरेशन पराक्रम को आपरेट कर रही थी और मीडिया उसे टैप कर रहा था। इस बार ऐसा हुआ कि मीडिया ने ही जंग छेड़ दिया और गवर्नमैंट को कहा कि तुम हमारे साथ चलो। हम गन लेकर चले गये, बम लेकर चले गये जंग करने के लिए, आप हमारे साथ-साथ चले आओ। यह जो इंटरनैशनल रिलेशन का मामला है और जो दो देशों के बीच का मामला है यानी टैरोरिज्म का जो सवाल है, उसे कुछ व्यक्तियों ने कह दिया कि कारपेट बाम्बिंग होना चाहिए, उसे कारपेट मालूम है, बम मालूम है लेकिन कारपेट बम क्या है, वह नहीं मालूम है। लेकिन वह एक्सपर्ट्स के द्वारा, चूंकि हमारी मीडिया बहुत स्ट्रांग है इसलिए वह बह जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं बह गये, यह अच्छी बात है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वह भी नहीं है। हमें करना पड़ेगा, यह हम सब शिकायत कर रहे हैं कि कटिंग एक्रास पार्टी लाइन कि टैरेरिज्म का जो सवाल है, आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। आज से नहीं कई, दो दशक से हम देख रहे

हैं कि किस तरह से यह बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात है कि जो दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड थे यूएस, यूके, उनके तट पर जब यह समस्या थी, जैसे बिजनेस में आउटसोर्स कर देते हैं, उसकी तरह से टैरेरिज्म का हादसा और परेशानी थी, उसको वह अपने तट से आउटसोर्स कर दिया और वह एशिया में आकर पड़ा। अब हम उसे साउथ एशिया को मान रहे हैं। यह साउथ एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती है।

अब हम उसे साउथ एशिया का मान रहे हैं, यह दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हमें आज के आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवाद का आज जो रूप है, उससे लड़ना है, तो उसे किसी एक धर्म, मजहब, जाति, भाषा या प्रदेश के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है और उसी तरह से किसी एक विशेष देश के नजरिए से भी नहीं देखा जा सकता है। दक्षिण एशिया में हम आतंकवाद के शिकार हुए हैं। यह बात सही है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हिन्दुस्तान के ऊपर हमला करने में किया जा रहा है। इसके लिए हमें 9/11 के बाद यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पारित किए गए रिजोल्युशन नंबर 1373 को देखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि यूएन का कोई भी सदस्य देश अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है दूसरे मुल्क में हमला करने के लिए, टेरर नेटवर्क को पनपने के लिए तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम आपको बधाई देते हैं कि आज ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास हुआ। हम कोई नया इनिशिएटिव लेने की बात नहीं कह रहे हैं, 9/11 के वाकये के बाद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मिडनाइट सेशन बुलाकर वह रिजोल्युशन पास किया गया। हम जब मुंबई में आतंकवाद के शिकार हुए तो हम बेशक इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर सकते हैं। यहां आदरणीय विपक्ष के नेता जी से मेरा मत कुछ भिन्न है, उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्यों? उसके साथ कश्मीर का मामला, नेहरू का मामला आदि बातें कहते हुए वे अपने एजेंडे पर चले गए, लेकिन हम समझते हैं कि 9/11 के बाद यूएन और पूरा विश्व टेरिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए वचनबद्ध है, कम से कम कागजी तौर पर। इसलिए जब हम हमले का शिकार होते हैं तो पूरे विश्व को हमें यह बताना चाहिए कि तुम इसे कागजी मत रखो, इसे कारगर बनाने के कोशिश करो और उस जगह पर अगर हम पूरा अण्डा सिर्फ अमेरिकी बास्केट में डाल देंगे तो उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए कोंडोलीजा राइस अगर भारत आएं, वह इंडिया और पाकिस्तान में चाहे जंग हो या पीस हो, मीडवाइफरी का रोल प्ले करें, तो उससे हमें तसल्ली नहीं है, बल्कि इसके लिए जो मल्टीलैटरल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन्स, हमें उसे बताना चाहिए। हम शुरूआत से ही यूएन से जुड़े हुए हैं। हमें यह यूएन को भी बताना है कि आपका एक मेंबर स्टेट हमारे नजदीक में, हमारे बार्डर में यह काम कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल का यह रिजोल्युशन है, इसके तहत वह काम नहीं कर रहा है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, आप उसे मजबूर करो। इसे डिप्लोमैटिक एडवांटेज भी मिलता है। पाकिस्तान को भी मजबूर होना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के जो वर्तमान सदर हैं, वह भी सदर बनें क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की टेररिस्ट अटैक में शहादत हुई। यह बात पाकिस्तान के लोगों और सियासतदां को भी समझना होगा कि अगर हम दहशतदगर्दी के शिकार हैं और होते रहेंगे तो पाकिस्तान की जमीन भी नहीं बचेगी। दूसरे के लिए कब्र खोदने पर खुद को भी उसी कब्र में जाना पड़ता है। इसलिए इस बात को जिस तरह से पूरी दुनिया को बताना है, उसी तरह से पाकिस्तान को भी बताना है। मैं न्यूयार्क टाइम्स में आसिफ अली जरदारी का लेख पढ़ रहा था, कम से कम लेख में तो वह कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें अपना दबाव बढ़ाते रहना होगा कि आपको एक्शन लेना है। इससे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी के काम करने वाले लोग हैं, उसी तरह से अमनपसन्द, शांतिकामी लोग भी हैं, तो उन लोगों के लिए भारत की ओर से मैसेज जाना चाहिए कि आप अपनी हुकूमत को मजबूर करो, इसमें आपका भी हित होगा और हमारा भी। आज पाकिस्तान हाट-बेड क्यों बना है, साउथ एशिया की ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्यों हम मल्टीलैटरल बोल रहे हैं? पिछले 20-25 सालों से अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, वहां पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके टेररिस्ट मैनुफैक्चरिंग की जो मशीन बनाई गयी, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आज हम उसी अमेरिका से कहेंगे कि आप उस समस्या को दूर कर दो जिस परेशानी का सबब वही है।...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : उनकी पालिसी यही थी।

मोहम्मद सलीम : वह ठीक है, रोल चेंज होते रहते हैं। आज चाइना का एक हिस्सा, साउथ-वेस्ट चाइनीज प्राविंस, रशिया का चेचन्या प्रान्त, इरान का अफगानिस्तान से लगा हुआ स्टेट, पाकिस्तान खुद और हम, ये सभी इस तरह के टेररिज्म के शिकार हैं, जिसे पनपाया गया एक ब्लूप्रिंट तैयार करके। धर्म का इस्तेमाल किया गया, मजहब का इस्तेमाल किया गया और कहा गया, *[अनुवाद]* कि अफगानिस्तान में इस्लाम खतरे में है। *[हिन्दी]* उसे बचाने के लिए ये सब मालिक एक हुए। नजीबुल्ला को फांसी दी गई, यू.एन. के सिक्योरिटी कैम्प से, दूतावास से बाहर निकालकर, तो हमें अफसोस है कि उस वक्त हमारी संसद में बहुत से लोग, जब वे मुजाहिदीन आए, बर्बाद करने वाला नजीबुल्ला गया, तालियां मारकर स्वागत कर रहे थे। मैं उस वक्त राज्य सभा का सदस्य था। हमने कहा था कि यह अफगानिस्तान का मामला अफगानिस्तान तक नहीं रहेगा, वह स्पिल ओवर करके

[मोहम्मद सलीम]

पाकिस्तान तक जाएगा। आज जो पाकिस्तान के फाताह्य इलाके में आपरेशन चल रहा है, वे वहां के लोगों को मजबूर कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज वहां अनविलिंग्ली लड़ाई लड़ रही है, अमेरिका के कारण नहीं लड़ रही है। लेकिन उसका स्पिल ओवर हमारे तट पर होगा, हमारे मुल्क में होगा, यह हमने कहा था। इसलिए पिछले साल दिसम्बर में जब हमारे मुल्क में चर्चा हो रही थी आतंकवाद की, उस समय हमने यह कहने की कोशिश की कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, उसका रिपल इफेक्ट और स्पिल ओवर हमारे मुल्क पर होगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी।

कश्मीर में इस यूपीए सरकार को उपलब्धि हासिल हुई है, यह भी ठीक बात है। वहां पर मिलीटेंसी, इंसर्जेंसी और आतंकवाद पर काबू पाने में बहुत हद तक रोका गया है, वे फेल हुए हैं, क्योंकि वहां की जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। चुनाव के वक्त भी देखा गया कि *[अनुवाद]* जनता की भागीदारी का प्रतिशत क्या है। *[हिन्दी]* वह जाहिर बात है कि उनके द्वारा अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश की गई, जो क्रास बार्डर टेरोरिज्म स्पांसर कर रहे थे कि हम किस तरह इसे और ज्यादा क्षेत्रों में ले जाएं। हम क्या उन क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, यह बड़ी बात है। आज दुनिया में "इस्लामिक टैरोरिज्म" की बात हो रही है। वैस्टर्न वर्ल्ड जिसे क्लैश आफ सिविलाइजेशन बोल रहा है, एक नया तत्व पिछले दस साल से खड़ा हो गया है। एक तरफ वे कहते हैं कि *[अनुवाद]* इस्लाम खतरे में है। *[हिन्दी]* इसे बचाओ, आरडीएक्स लो, तलवारें लो। दूसरी तरफ वे कहते हैं, *[अनुवाद]* इस्लाम में खतरा है। *[हिन्दी]* तब वह क्लैश होता है। हमारे मुल्क में भी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ताकते हैं जिनके दिमाग में यह बात बसी हुई है कि *[अनुवाद]* हां, इस्लाम में खतरा है। दूसरी तरफ *[अनुवाद]* इस्लाम खतरे में है। *[हिन्दी]* जो फेंडामेंटलिस्ट रिलिजीयस ग्रुप हैं, उनकी एक ही सोच है कि चाहे इसके लिए मजहब का इस्तेमाल किया जाए, तो करो। वह कोई भी हो सकता है, वह क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, हिन्दु धर्म हो सकता है। *[अनुवाद]* यदि हम राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी के लिए धार्मिक भावनाओं का उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं तो *[हिन्दी]* उसका एक्सटेंशन होगा, ओवर शूट करेंगे। हम कम्युनल बिल्डअप करेंगे, फंडामेंटलिस्ट बिल्डअप करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं डैमोक्रेटिक दायरे के बाहर चुनाव का हथियार नहीं रहेगा, वोट का हथियार नहीं रहेगा, वह कहीं न कहीं ओवर शूट करेगा। एक धर्म के खिलाफ दूसरा धर्म ही नहीं, उसी धर्म के लोग भी शूटअप होंगे। आज पाकिस्तान में आतंकी घटना होती है, तो वह नान मुस्लिम देखकर नहीं होती। जब मुम्बई पर हमला हुआ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में जो इनडिस्क्रीमिनेट ए.के. 47 लेकर गोलियां चलाई गई, तो किसकी क्या भाषा है, कौन मराठी है, कौन उत्तर भारतीय है, कौन मुसलमान है, उसका आकलन किसी ने किया। जब हम शिकार होते हैं, भाषा और प्रदेश से ऊपर उठकर होते हैं, तो इससे ऊपर उठाकर हमें इससे लड़ना भी पड़ेगा, तब ही हम यह चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, तब ही हम लड़ सकते हैं। अगर हम अलग-अलग ग्लास से देखेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमारा नुकसान इसलिए भी हुआ कि यह जो क्रास बार्डर आतंकी वहां से आए, हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को रिक्रूट करके उस जगह नहीं धकेल सकते अगर उसके अंदर कांफीडेंस इंस्टिल नहीं कर सकते, अगर स्टेट मशीनरी जेनरेट नहीं कर सकते, अगर हम इन्साफ नहीं दिला सकते, अगर हम ऐसा जो कम्युनल बिल्डअप करते हैं, उनके साथ जूझ नहीं सकते, राजनीतिक दल जिम्मेदारी के साथ इससे ऊपर उठकर नहीं सोचते तो फिर ऐसा माहौल बनता है, कुछ लोग जो इसे दूर तक ले जाना चाहते हैं वे हमारे मुल्क के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। यह बात हम बार-बार कहते रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि *[अनुवाद]* उपचार से निदान भला। *[हिन्दी]* हम सिर्फ यह समझें कि हम औजार से लैस हो जाएंगे, मुल्क को और ज्यादा सिक्योरिटी स्टेट बना देंगे, मिलिटरी को और ज्यादा पावर दे देंगे, मुल्क को मिलिटरी स्टेट बना देंगे, बेशक इसकी जरूरत है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी से कोई अनुभव नहीं लिया, जब भी लिया तो वहां एबोर्टेड हुआ, जब भी वहां लोकतंत्र आने लगा, उसकी मिलिटरी को एनोरमोस पावर मिली। उसकी सिक्योरिटी एपार्टस को एनोरमोस पावर मिली। वहां के ह्युमन राइट्स को उन्होंने सिक्योर नहीं किया, पीपल राइट्स को सिक्योर नहीं किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका मुल्क सिक्योर हो गया या उसकी नेशनल सिक्योरिटी हो गयी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जो अवधारणा है और जैसा माननीय आडवाणी जी ने भी कहा कि हमारा जो कल्चर इथोस है, सिविलाइजेशन इथोस है, हजारों साल से जो हमने अपने मूल्यों को बचाए रखा है, उन्हें हमें अब भी बचाए रखना पड़ेगा, संवारे रखना पड़ेगा, उसे हम नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते, उसके साथ छेड़खानी होने नहीं दे सकते। पाकिस्तान की परेशानी यही है कि वह उन मूल्यों से हट गया है, भारतवर्ष के जो मूल्य हैं, उनसे वह हट गया है, लेकिन हम उनसे नहीं हट सकते हैं। हमारा जो सेक्युलर फैबरिक्स है, हमारे जो सेक्युलर इंस्टीट्युशन्स हैं, उन्हें हमें बनाए रखना पड़ेगा, संजोए रखना पड़ेगा, तभी हम इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अभी सरकार कह रही है कि हम नेशनल इंवेस्टीगेटिव एजेंसी बनाएंगे, लेकिन ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उसमें हमारे स्टेट्स और सेंटर का जो रिलेशन है- *[अनुवाद]* उसमें राज्यों को शामिल किया जाए। *[हिन्दी]* वह हम एक को छोड़ करके दूसरे से व्यवहार नहीं कर सकते। उसमें

बैटर कोर्डिनेशन, बैटर मैकेनिज्म चाहिए। साथ में बिल का कापी चाहिए, फाइन बिल चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, उसे हम देखेंगे।

इस मुल्क में हमने कहा है कि चुनौती का स्वीकार करने की हमें चिंता करनी चाहिए और उससे निपटने के लिए हम सबको एक होकर खड़ा होना पड़ेगा, *[अनुवाद]* एकता मूलमंत्र है। *[हिन्दी]* इसके साथ-साथ जो कंफिलिक्ट्स इश्यूज हैं उनको हटाना पड़ेगा और जो कामन इश्यूज हैं उन्हें सामने लाना पड़ेगा। आपको यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ है और इस उपलब्धि को आपको आगे भी ले जाना पड़ेगा। इस सेशन में ऐसा कोई सवाल हुकूमत की तरफ से नहीं आना चाहिए जो इस हाउस का बंटवारा कर सके, इस हाउस को बांट सके। अगर *[अनुवाद]* धन मुहैया करना बचाव *[हिन्दी]* है, चूंकि टेलर की जो मेक-वर्क है, उसके जो फाइनेंस होते हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा, लेकिल आप इसी बहाने देखें कि चलो एक नया नेशनलिस्ट वातावरण तैयार हुआ, मुल्क के पीछे सब लोग खड़े हो गये, चलो हम इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा डायलूट कर दें, हम गृह मंत्रालय में आये हैं। तमाम फाइनेंस बिल्स को भी नहीं लाने की कोशिश करें, जहां पर लोग एक राय नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे सुअवसर पर बोलें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : यह सब वहां करो, जहां नेशनल कानसेंसस है, जिस मामले में लोग इकट्ठा हैं उस काम को आप करो। जिस मामले में युनिटी नहीं है, उस काम को आप पीछे करो। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सत्र के डिस्कशन में हम सब और पूरा देश जिस तरह से एक साथ होकर खड़ा हुआ है हम केवल पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह मैसेज देने में कामयाब रहेंगे कि हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के इत्तेहाद के साथ, हमारे अवाम के चैन और सुकून के साथ छेड़खानी मत करो। इस धरती से हमने पिछले पांच हजार सालों से शांति की वाणी सुनाई है और उस शांति को बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो हम भी उसे सबक सिखाने से बाज नहीं आयेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के माननीय नेता, विदेश मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी अपना भाषण प्रस्तुत करें।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले, मैं उन तीनों माननीय सदस्यों जिन्होंने अभी तक अपने वक्तव्य दे दिए हैं और उन अन्य सदस्यों जिन्हें अभी चर्चा में भाग लेना है, को धन्यवाद देता हूं।

मेरे सहयोगी, माननीय गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि मैं इस हमले से संबद्ध कुछ बाह्य कारकों और तथ्यों को बताने के लिए अपनी बारी से पहले बोलूं। यदि यह केवल हिंसात्मक हमले के परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था तक सीमित होता तो शायद वहां पर विदेश मंत्री के रूप में मेरे हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होगी। लेकिन हम सभी इस बात से पूर्णतया अवगत हैं और अभी कहा भी गया है कि इस हमले का केन्द्र और केवल इसी का नहीं अपितु इस हमले से पहले होने वाले कई हमलों का केन्द्र एक पड़ोसी देश में स्थित है।

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपके माध्यम से एक अपील कहना चाहूंगा। शायद यह चर्चा सभा में होने वाली उन चर्चाओं में से एक है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केन्द्र होगी। हम हमले के तुरंत बाद मिल रहे हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम को 26 नवम्बर से देख लिया गया है और यह अभी भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई नेताओं द्वारा इस संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। 16 से भी अधिक राज्यों और सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात कर अपनी चिंता जताई है। लगभग सभी राज्य और सरकार के प्रमुखों द्वारा लिखित संदेश भेजे गए हैं। मुझे विश्वभर में विदेशमंत्रियों ने फोन किए और अधिकांश ने न केवल हमसे सहानुभूति जताई अपितु यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत इस समस्या से पार पा लेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि कई देशों की राष्ट्रीय सभाओं के पीठासीन अधिकारियों ने हमारे दु:ख को बांटते हुए हमें संदेश भेजे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : धन्यवाद, महोदय।

तो यह वातावरण है जिसमें हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र और चर्चा साथ-साथ चलते हैं लेकिन इसके साथ-साथ छोटे मुद्दों पर मतभेदों को एक तरफ रखकर हम बड़े मुद्दों पर एकजुट हो जाते हैं और अपने विचार एकजुट होकर व्यक्त करते हैं। अत:, ऐसे अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें इस अवसर पर आगे आना चाहिए।

महोदय, 164 लोगों ने अमूल्य जान गंवाई। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यद्यपि इन 164 में से प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण

[श्री प्रणब मुखर्जी]

है लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मरने वालों में 26 से भी अधिक लोग दूसरे देशों के थे। वे हमारे मेहमान थे। जब मैंने उन देशों के विदेश मंत्रियों के समक्ष शोक-संवेदना व्यक्त की तो मैंने सबसे पहले इजरायल सहित उन सभी 13 देशों के विदेश मंत्रियों से माफी मांगी और खेद व्यक्त किया जिनके नागरिक, जिनमें इजराइल के विदेश मंत्री भी शामिल थे, मारे गए थे। मैंने कहा कि वे हमारे मेहमान थे और हम उन्हें बचा नहीं सके, इसके लिए मैं आपसे तहेदिल से माफी मांगता हूं। यद्यपि उनमें से अधिकांश ने यही कहा कि यह हमारी गलती नहीं है क्योंकि आतंकवाद इतने पैर पसार चुका है कि यह केवल किसी एक देश या किसी राज्य की प्रादेशिक सीमा तक सीमित नहीं है। यह सीमा-पार तक फैल चुका है और वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य बन चुका है।

हमने भारतीय जनता के रोष और गुस्से को व्यक्त किया है। अगर यह पहला अवसर होता तो शायद, यह इस हद तक नहीं होता और इतने गुस्से और रोष की संभावना नहीं थी जितना इस बार हुआ है।

अपराह्न 1.00 बजे

जब यह घटना हो रही थी, जब हमला हो रहा था, उससे कुछ घंटे पहले मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो कि भारत में मेरे मेहमान थे और जो मेरे निमंत्रण पर भारत आए थे, से द्विपक्षीय वार्ता कर रहा था। अगले दिन हमें चंडीगढ़ में एक संयुक्त सेमिनार में भाग लेना था जिसमें मुख्यत: इस बात पर चर्चा की जानी थी कि लोगों का आपसी संपर्क कैसे सुधारा जाए और दोनों देशों के संबंध किस प्रकार सुधारे जाए। यह हमला बिल्कुल तभी हुआ। यद्यपि उसके पश्चात् मेरे लिए चंडीगढ़ जाना संभव नहीं था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री दो दिन बाद वापस लौट गए। मैं इस पहलू पर कुछ देर बाद बात करूंगा।

लेकिन, देश में गुस्से और रोष को देखते हुए, हमारे लोग और हम आशा करते हैं कि देश इस अवसर पर आगे आए और कृत संकल्प होकर कार्रवाई करे जिससे यह संदेश मिले कि इस देश की प्रादेशिक सार्वभौमिकता और अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और इसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता तथा कोई हम पर हमला करने की हिम्मत न करे। यह संदेश जरूर दिया जाना चाहिए।

हाल की घटनाओं के क्रम और हाल में हुए बम धमाकों के स्थान को देखिए। जयपुर एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है, बंगलौर भारतीय बुद्धिजीवियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केन्द्र है, अहमदाबाद हमारे महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में से एक है और मुंबई भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी है। क्या यह केवल संयोग है? क्या ये महज इतफाक हैं? अथवा इसमें कोई चाल है? इन सभी के पीछे कोई तरकीब है। यह पूरे ढांचे की चीर-फाड़ करने का समय नहीं है क्योंकि उसमें समय लगेगा। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि चाहे हमारे भीतर कितना भी गुस्सा हो, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह ऐसा तथ्य है जिसे आसानी से आरंभ या समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें धैर्यपूर्वक इसका सामना करना होगा। जिन लोगों ने आमने सामने के सशस्त्र युद्ध में जीतने में अथवा इस देश को हराने में असफल होने के पश्चात् हम पर हजारों घाव लगाने की अवधारणा को बढ़ावा दिया है, उन्होंने इस देश को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर यह कार्य किया है लेकिन यह देश दिनों दिन मजबूत ही हुआ है।

हम उकसावे में नहीं आए हैं। हमारी मंशा भी नहीं कि हम उकसाने में आएं। सभी प्रकार के प्रचार गढ़े गए हैं। हमने अपने सैन्य बलों की लामबंदी कर दी है, हवाई संपर्क स्थगित कर दिए हैं और अन्य गतिविधियां इत्यादि रोक दी हैं। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। हां, हमने अपने रोष को जता दिया है और अपनी भावनाओं की गहराई व्यक्त कर दी है। मैंने 28 नवम्बर को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी और इसका एक-एक शब्द राजनयिक मानकों के अनुसार लिखित पाठ से था और इस बातचीत के प्रत्येक शब्द को रिकार्ड में दर्ज है।

एक झूठे काल के आधार पर यह अफवाह फैला दी गई कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रहा है और कि सशस्त्र सैनाओं को तैयार किया जा रहा है; एवं यह कि भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को टेलीफोन पर धमकी दी है। आदर पूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान गाणराज्य के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन जब मैंने मई, 2008 में पाकिस्तान की यात्रा की थी और उनसे मिला था। तभी एक बार मेरी उनसे बात हुई थी यह उनके राष्ट्रपति बनने से पूर्व की बात है जब वे अपनी पार्टी के नेता थे। उनसे यह बातचीत पहली और आखिरी थी। कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा और विशेषकर विधिवत् रूप से गठित सरकार के मामले में कि किसी राष्ट्र का विदेश मंत्री किस प्रकार किसी अन्य देश के राष्ट्रपति से टैलिफोन पर सीधे बात कर सकता हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार की टैलिफोन बातचीत पहले से ही तय की जाती है। यदि कोई विदेश मंत्री किसी अन्य देश के विदेश मंत्री से बात करता है तो समय पहले से ही निर्धारित रहता है; काल निर्धारित किया जाता है; और ये सारी चीजें विदेश कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये चीजें

होती नहीं है। किंतु हमें जो चिंता हो रही है वह यह कि यदि विधिवत् रूप से गठित सरकारी तंत्र इन चीजों में विश्वास करता है और इसके अनुसार चलता है तो कभी-कभी इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है।

विदेश मंत्रालय के दृस्टिकोण से कई मुद्दे उठाए गए हैं और मैं उनमें से कुछ मुद्दों का जवाब देना चाहूंगा। श्री आडवाणी जी ने सुझाव दिया है कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएसी) में जाना चाहिए। श्री सलीम ने सुझाव दिया है कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए। मैं दोनों ही से सहमत हूं। हां, हमें आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियान छेड़ना चाहिए; हमें अभियान चलाना चाहिए; और हमें सभी संबंधित राष्ट्रों से बात करनी चाहिए कि यह भारत-पाकिस्तान का मुद्दा भर नहीं है। यह जम्मू और कश्मीर से जुड़ा मसला नहीं है। यह एक मुद्दा है और विश्व आतंकवाद के मुद्दे का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कदाचित प्रत्येक वार्षिक सत्र में हम भारत की ओर से यह संकल्प पटल पर रखते रहे हैं कि यही उचित समय है कि सीमा-पार आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक समझौता होना चाहिए, यह आतंकवाद विश्व शांति और शीत युद्ध युग पश्चात् आयी शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्यवश, यह अब तक भी संभव नहीं हो पाया है किंतु हम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अपनी कोशिश जारी-रखेगें।

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े नाजुक संबंधों पर निर्भर करता है और हमें स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी घरेलू समस्याएं हैं, और वर्तमान सरकार को इससे निपटना ही होगा। किंतु यही एक मुद्दा है जहां पर्याप्त दबाव बनाया जाना है और पर्याप्त दबाव बनाया जा रहा है।

मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं। मैंने दो दर्जन से अधिक विदेश मंत्रियों से बात की है और सभी इससे सहमत हैं - यह सिर्फ हमारा ही विचार नहीं है, यह विचार उन बहुत से देशों का है जिनके साथ हमने बात-चीत की और जिनके साथ हमने चर्चा की - कि ये आतंकी पाकिस्तान से आये थे और इस संपूर्ण आतंकी कार्रवाई के पीछे दीर्घकालीन योजना थी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ए.के.-47 राइफल लेकर आता है और अंधाधुंध गोली बरसाता है और लोगों की हत्या करता है और तत्पश्चात् भागने की कोशिश करता है अथवा मारा जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं है।

इस आतंकी हमले का सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पहली बार भारत में हुए आमंकी हमले में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया - इसमें यहूदी और अन्य उपस्थित विदेशी नागरिक निशाने पर थे। मैंने अन्य विदेश मंत्रियों से बात की है और हमने जो कदम उठाए हैं उनसे उनको अवगत कराया है। औपचारिक रूप से, मैंने 28 तारीख के सायं 7-7.30 बजे पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी; इसके बाद कूटनीतिक भाषा में 'स्पीकिंग नोट' के रूप में इस पर आगे कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् 1 दिसम्बर को हमने औपचारिक डेमार्श दर्ज की। इसमें हमने आग्रह किया था कि वे उन कुछ संगठनों, जो आतंकी कार्रवाई में लिप्त हैं और उन भगोड़ों जिन्होंने भारत में अपराध और भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है और जो वहां शरण लिए हुए हैं, के खिलाफ कार्रवाई करें। हमने कहा: "कृपया उन्हें गिरफ्तार कर हमें सौंप दें।"

प्रतिपक्ष के नेता यह जानना चाहते थे कि हमने प्रत्यर्पण के बारे में बात की है और दाऊद इब्राहिम को वापस भेजने के लिए कहा है। पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तर, विदेश सचिव स्तर की प्रत्येक बैठक और संयुक्त आंतक-विरोधी तंत्र की चारों बैठकों में यह मामला उठाया गया है। हमने उन्हें एक नहीं, 20 नहीं 42 लोगों की सूची दी है। हमने यह भी कहा है कि 'ना' कह देने से समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। हमने कहा कि आप उनके होने से इंकार कर सकते हैं किंतु जब ये चेहरे टेलीविजन पर प्रकट होते हैं तो आप अपने लोगों को कैसे समझाएंगे?"

मुझसे पूछा गया है अथवा मुझे सुझाव दिए गए हैं कि जब पाकिस्तान में कुछ गिरफ्तारियां हुई है तो मैं प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा हूं। समाचार पत्र रिपोर्ट के अनुसार कुछ कैंपों को भी बंद कर दिया गया है। मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही सामान्य है। मैं संसद की बैठक शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं यहां अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि कृपया इसे उतनी ही गंभीरता से लें जितनी कि वर्ष 2001 में संसद पर हुए आक्रमण के बाद गंभीरता दिखाई गयी थी। इसलिए, संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर और उस पार उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, जिससे आतंकी घुसपैठ करते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं, को पूरी तरह से नष्ट करके ही कार्रवाई को तार्किक परिणति दी जानी है। पाकिस्तान में लश्करे तैय्यबा एक प्रतिबंधित संगठन है। किंतु नाम और साइन बोर्ड बदल कर इसकी आतंकी क्रियाकलाप जारी है। इससे हमें किस प्रकार मदद मिलेगी? स्थान वही हैं; विचारधारा भी वही है। मुख्यालय और क्रियाकलाप भी वही है।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि आज सबेरे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जमात-उद-दावा जो, लश्कर-ए-तैय्यबा का नया आतंकी गुट है, को प्रतिबंधित घोषित किया है। हमने जिन लोगों का नाम दिया है उन्हें शामिल कर चार लोगों को यूएनएससी ने आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है। हमें बताया गया है कि शामिल लोगों

[श्री प्रणब मुखर्जी]

में हाफिज़ सईद है। एक अंतर्राष्ट्रीय संभाषी ने हमें बताया कि इस व्यक्ति के गिरफ्तार होने की सूचना है। तथापि, बीस मिनट के पश्चात् मुझे हमारे मिशन द्वारा सूचित किया गया कि वह आदमी टेलीविजन पर एक साक्षात्कार देता हुआ दिख रहा है।

मसूद अजहर को नजरबंद कर दिया गया है। 'नजर-बंद' का क्या अर्थ होता है? पाकिस्तान में भारतीय दंड संहिता जैसा ही कानून है। आपराधिक कानून भी एक ही जैसा है। आपराधिक मामलों में दो तरह की हिरासत होती हे जो अपेक्षित है- एक न्यायिक हिरासत और दूसरी पुलिस हिरासत क्या यह एक विश्वासोत्पादक कदम है?

पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हम पाकिस्तान में लोकतंत्र वापसी का स्वागत करते हैं। शायद मैं उन प्रथम विदेश मंत्रियों में से एक का जिसने नई सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान की यात्रा की थी। भारत सरकार की ओर से मैंने प्रगति करने और हमारे बीच सहयोग स्थापित करने हेतु कदम उठाए जाने की अपनी सद्इच्छा जतायी थी। मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लोगों के बीच संपर्क बढ़ोतरी की संभावना तलाशने के लिए संयुक्त रूप से चंडीगढ़ के सेमिनार में आने और हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था।

जहां तक गैर-सरकारी लोगों का प्रश्न है, क्या ये लोग आसमान से आते हैं? क्या ये अलग ग्रह से आये हैं? गैर-सरकारी लोग किसी खास देश की सीमा में ही हैं। ये लोग किसी विशेष देश के भीतर रहकर कार्रवाई कर रहे है। हम पाकिस्तान सरकार को सुझाव देना चाहते है कि वे कृपया इन पर कार्रवाई करे। केवल इरादा जताए जाना पर्याप्त नहीं है।

पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि दो बार इस बारे में हमें आश्वासन दिया है। 6 जनवरी, 2004 को - जब श्री आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे - राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के साथ संयुक्त वक्तव्य में आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आंतकवादियों द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के अन्य राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी ने भी 24 सितम्बर, 2008 को इसी आश्वासन को दुहराया था। किंतु, आप देखते हैं कि पाकिस्तान से अब भी आतंकवादी आ रहे है।

गृह मंत्री जी के पास और अधिक जानकारी है। कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि जब यह आतंकी कार्रवाई चल रही थी तो इसे अंजाम देने वालों को नियंत्रित करने वाले लोग जो इन्हें विभिन्न निर्देश दे रहे थे, पाकिस्तान में हैं। कभी कभी हम भी यही महसूस करते हैं, मैं श्री सलीम से सहमत हूं कि हमें इससे काफी सबक सीखने की आवश्यकता है। लोकप्रियता पाने में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में कुछ चैनल पर्दे पर लोगों की भीड़ दिखा रहे थे। आतंकवादियों को यह निर्देश दिया गया कि इस भीड़ पर एक ग्रेनेड फेंके ताकि वे भाग जाएं।

कुछ लोगों की जाने गई। यह केवल प्रचार-पाने की उत्सुकता की वजह से हुआ। यदि वहां कैमरा नहीं लगाया जाता और यदि जो लोग बाहर से निगरानी रख रहे थे उन्हें भीड़ नहीं दिखाई जाती तो शायद ये बातें नहीं हुई होती। अत:, हमें सबक लेना है कि हमें कहां रूकना है और कहां विराम लेना है।

हमारे बहादुर जवानों ने अपने जीवन बलिदान कर दिए हैं, जिसका स्पष्ट और सही चित्रण गृह मंत्री द्वारा किया गया है: जिस तरह से महाराष्ट्र के ए.एस.आई. ने दूसरे पुलिसकार्मियों द्वारा आतंकवादी को गिरफ्त में लेने के लिए अपने शरीर पर गोलियां खाई, हम, आम लोग, इस प्रकार के बलिदान के बारे मं सोच भी नहीं सकते हैं। उस ए.एस.आई. को सलाम। मैं अपने सुरक्षा कार्मियों को सलाम करता हूं। जब वे अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे थे, तब एक सुरक्षित दूरी पर खड़े रहकर कोई यह सोचता है कि वह नवीनतम समाचार को अधिकाधिक दर्शकों तक पहुंचाकर अपने प्रतिस्पर्धियों को मात दे देगा, तो वह अपनी कम्पनी के हितों का साधन तो कर सकता है परन्तु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्र के हित का साधन नहीं करेगा। मैं यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इससे यह सबक लेना है कि कहां रूकना है और हमें कहां नहीं जाना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति, आसिफ जरदारी के उस लेख को पढ़ता हूं जो ''द न्यूयार्क टाइम्स'' नामक समाचार पत्र में छपा है। मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता हूं जब वे कहते हैं कि मुम्बई की घटनाओं से उनके जहन में उस वक्त की याद ताजा हो जाती है जब बेनजीर का सरेआम कत्ल किया गया था। सुश्री बेनजीर भुट्टो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसे वर्ष 2008 में सस्टर लिमिटेड द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित किया गया था। मैं मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे आन्तरिक स्थिति का पता चल जाएगा। मैं उदधृत करता हूं:

''परन्तु पाकिस्तान में चीजे शायद कभी भी ऐसी नहीं रही जैसी लगती हैं। सदैव चक्कर के अन्दर चक्कर है। सीधा कुछ भी

नहीं है इसे ऐसा रूप दिया गया जैसे कि यह अल-कायदा और तालिबान की कारिस्तानी हो और मुझे कोई शक नहीं है कि वे इसमें संलिप्त थे। पाकिस्तानी इन्टेलीजेन्स सर्विसेज के अन्दरूनी तत्वों ने ही 1980 के दशक में वास्तव में तालिबान को बनाया था और कतिपय तत्वों ने अल-कायदा के साथ अैद्वान्तिक रूप से और धार्मिक आधार पर सहानुभूति जताई थी। कुछ ने इसमें भर्तियों की व्यवस्था की थी और इसमें काम किया था। मुझे जिन पर शक था उनके बारे में मैंने जनरल को लिखे अपने पत्र में बताया था---।''

जनरल का आशय है राष्ट्रपति मुशर्रफ

''........मेरी अपनी वापसी से पहले।''

यह-किसके द्वारा लिखा गया है? यदि वे जीवित होती तो आज पाकिस्तान की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होती।

अत: वह आन्तरिक स्थिति हो सकती है। यह बिल्कुल वही बात है जो मैंने अपने संवाददाताओं को कहा था कि उन्हें इस बात को समझना होगा और वे एक सामान्य सीधा-सपाट फार्मूला अपनाने का प्रयास न करें कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, कश्मीर समस्या की जड़ है, कश्मीर की समस्या को सुलझाइए और सब ठीक हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि मैं इस सीधे-सपाट सरल फार्मूले पर विश्वास नहीं करता हूं। यह पेचीदा स्थिति है। मुझे इस पर सन्देह नहीं है। हम पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक संस्थाओं और लोकतान्त्रिक प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहते हैं परन्तु इसे कैसे किया जाए इसका निर्णय हमें नहीं करना है। हम यह निर्णय नहीं दे सकते हैं। पाकिस्तान की जनता, वहां के संस्थानों और सभ्य समाज को यह कार्य करना है। और मैं यह विनम्रनिवेदन करना चाहता हूं कि केवल यह उन्माद फैलाने से कि एक शक्तिशाली देश पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रहा है और भारत के विदेशी मंत्री से झूठ काल मिलने की दलील द्वारा ध्यान बाटने का प्रयास करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान कुछ सकारात्मक कदम उठाए। तथापि, यह निर्णय उन्हें ही लेना है। मैं सविनय कहता हूं कि हमने सभी अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मंचों पर, उनसे बातचीत और पत्र व्यवहार के जरिए, अनेक बार कहा है कि उन्हें आश्रय न दें, तथ्यों को स्वीकारें और स्थिति का समाधान करने का प्रयास करें और हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव था कि पाकिस्तान के डी.जी., आई.एस.आई. भारत आएंगे। परन्तु कुछ ही घण्टों में इस तथ्य से इन्कार कर दिया गया था। ऐसा पाकिस्तान की आन्तरिक समस्याओं के कारण हो सकता है, परन्तु ऐसा करने से भारत की सहायता किस प्रकार होगी? यदि वे अपनी आन्तरिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल उनकी सहायता कर सकता है।

परन्तु हम इतिहास की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। साम्यवाद की बढ़त को रोकने के नाम पर, वे हथियारों से लैस हैं, जिससे तालिबान पनप रहा है। मुझे 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बीच की एक बातचीत याद है। मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम का उल्लेख कर सकता हूं। वे थीं - श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्रीमती थैचर। मैं इसका साक्षी था और सबेरे के नाश्ते पर यह बैठक हुई थी। एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती गांधी ने पूछा, मुझे बताइए, एक भी ऐसा निशाना है जो पाकिस्तान ने भारत को छोड़कर किसी और देश पर दागा हो?'' इस बात का कोई जवाब नहीं था।

हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं। मैं उद्धत राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं अथवा इस प्रकार की किसी बात में नहीं उलझना चाहता हूं। बल्कि मैं सीधे-सीधे अपना क्रोध व्यक्त कर रहा हूं। यह भारत के लोगों की भावना है। हमें उनसे बातचीत करनी होगी - मैं जानता हूं कि मैं अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकता हूं और मैं अपने पड़ोसी के साथ लगातार तनाव की स्थिति में नहीं रह सकता हूं। हम इसी नीति का पालन कर रहे हैं। परन्तु हमें आशा है कि समस्याओं का निराकरण होगा, मुद्दों से बचा नहीं जा सकता है और इनसे किनारा नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि मैं ये संकल्प का एक प्रारूप माननीय नेताओं को परिपत्रित किया है। इसके पश्चात् यदि वे किसी प्रकार की बातचीत करना चाहें तो हम उनके साथ बैठ सकते है। परन्तु जैसा कि इस वाद-विवाद का स्वरूप है, जिस नियम के अंतर्गत इसकी चर्चा की जा रही है, इससे संकल्प के अंगीकरण की आशा दिखाई नहीं देती है। अत:, यह चर्चा का परिणाम नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि मैं ठीक-ठीक समझता हूं, तो आप नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा की अनुमति दे रहे हैं; और सामान्य तौर पर, संसद नियम, 184 के अंतर्गत अथवा उसी तरह के किसी नियम के

[श्री प्रणब मुखर्जी]

अंतर्गत, मौलिक प्रस्ताव के माध्यम से अपना मत व्यक्त करती है। परन्तु वे तकनीकी विषय हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, और इसलिए, वाद-विवाद के अंत में हम संकल्प को पारित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। आप पूरी जानकारी रखते हैं और आप इसका ध्यान रखेंगे। हम इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : हम कितने दिन पाकिस्तान के साथ चर्चा करते रहेंगे? आपने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सुबूत हैं, तो पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं करते?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : वह बात नहीं है। वह मुद्दा नहीं है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अटैक उसका समाधान नहीं है। हमें बड़ा ही स्पष्ट और स्पष्टवादी होना है कि वह समाधान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : वहां से हमारे देश में आतंकवादी घुस रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं विपक्ष के नेता को भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपना सहयोग देने के लिए सभी नेताओं का आभारी हूं।

सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.18 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से संबंधित कार्यवाही की शुरूआत करेगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं, श्री टी.आर. बालु, की ओर से निम्नालिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया तथा पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9398/08]

(दो) हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9399/08]

(तीन) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9400/08]

(चार) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9401/08]

(पांच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9402/08]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578(अ), जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 49(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9403/08]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के लिए प्रतिपूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि) नियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल देयता) नियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9404/08]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9405/08]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मैं श्री ए.आर. अतुले की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अंतर्गत जुलाई, 2005 से जून, 2006 तक के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 44वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9406/08]

(3) (एक) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9407/08]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथां अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9408/08]

(3) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9409/08]

(5) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9410/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय मैं, श्री प्रफुल पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) चीफ कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चीफ कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9411/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय मैं, श्री एम.एस गिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9412/08]

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9413/08]

(5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9414/08]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय मैं, श्री विजय हान्डिक, की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9415/08]

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9416/08]

(तीन) प्रोजेक्टस् एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9417/08]

(चार) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9418/08]

(पांच) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9419/08]

(छः) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9420/08]

(सात) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9421/08]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9422/08]

(2) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9423/08]

[श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी]

(4) (एक) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, वोलेंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, वोलेंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, वोलेंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9424/08]

(6) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9425/08]

(8) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2008 जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9426/08]

(10) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9427/08]

(11) (एक) नेशनल एकेडमी आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9428/08]

(13) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नियम, 2008 जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विनियम, 2008 जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 574(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9429/08]

(14) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 27 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9430/08]

(15) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(अ) जो 13 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9431/08]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं श्री नारनभाई रठवा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9432/08]

(2) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9433/08]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : महोदय, मैं श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2008 का संख्यांक पीए 16) का प्रतिवेदन-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (निष्पादन लेखा परीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9434/08]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 280(अ) जो 8 फरवरी, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलमंगला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने-छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 434(अ) जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (मंगलौर-कोचीन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण,

[श्री के. वेंकटपति]

प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन करने के लिए सहायक आयुक्त, मंगलौर सब-डिवीजन, मंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का.आ. 503(अ) जो 14 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलमंगला-हसन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 334(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 631(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 336(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 630(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 490(अ) जो 13 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु/केरल सीमा (वायालार-त्रिशुर खण्ड)] के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 505(अ) और का.आ. 506(अ) जो 14 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो केरल राज्य में बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 849(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 77(अ) जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के चित्तूर-कुरनूल मार्ग के सड़क ऊपरिपुल के सम्पर्क के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन हेतु राजस्व डिवीजन अधिकारी, कडप्पा को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2093(अ) जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2463(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 2491(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1869(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 1600(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोडुंगलूर बाईपास) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2046(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु/केरल सीमा (वायालार-त्रिशुर खंड)] के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2077(अ) जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उपर्युक्त राजमार्ग (तिरूवनंतपुरम से केरल/तमिलनाडु सीमा खंड पर भूमि के अर्जन के लिए डिप्टी कलेक्टर (एल.ए.) तिरूवनंतपुरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2078(अ) जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (केरल तमिलनाडु सीमा से कन्याकुमारी खंड तक) और 47ख (नागरकोईल से कवलकीनारू खंड तक), पर भूमि के अर्जन के लिए विशेष जिला राजस्व अधिकारी, तिरूनेलवेली जिसका मुख्यालय नागरकोईल में है, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1249(अ) जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर सिरसा कस्बे में रेवाड़ी-भटिंडा रेल लाइन पर रेलवे क्रासिंग संख्या 143 पर रेल ऊपरिपुल के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के लिए जिला राजस्व अधिकारी सिरसा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 1275(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 1276(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-II (पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2179(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 294(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 2230(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1562(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ हैं।

(बाईस) का.आ. 2049(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2304(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खंड) पर स्थायी येनेगुर पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले पुल शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2229(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (काम्टी-कन्हन बाईपास और नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2089(अ) जो 22 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2182(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के

[श्री के. वेंकटपति]

निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 2062(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 1197(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तबूर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1834(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ. 1050(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुरली-कीरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1279(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1461(अ) जो 17 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर चार लेन वाले रेल ऊपरिपुल के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन कं बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2100(अ) और का.आ. 2101(अ) जो 25 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 868(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), उत्तर दिनाजपुर जिला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1862(अ) जो 28 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1867(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तबूर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 1868(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1223(अ) और का.आ. 1225(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन

वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1199(अ) और का.आ. 1200(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1284(अ) जो 3 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1400(अ) जो 9 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 875(अ) जो 15 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1766(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बयालीस) का.आ. 927(अ) जो 24 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अगस्त 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1316(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तैंतालीस) का.आ. 928(अ) जो 24 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1318(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चवालीस) का.आ. 1113(अ) और का.आ. 1114(अ) जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1222(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इन्दौर-खालघाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1401(अ) जो 9 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 1555(अ) से का.आ. 1558(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-एम.पी./महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1871(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

[श्री के. वेंकटपति]

जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-एम.पी./महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1879(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-एम.पी./महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 2048(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-रायपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 2051(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 2231(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर-मुरैना खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 687(अ) जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1372(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ. 1092(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का.आ. 1093(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (सारंगा-संथापाड़ा खंड) और 200 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 1141(अ) जो 15 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 1554(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1290(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ. 1516(अ) और का.आ. 1517(अ) जो 23 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमुली-राजामुंडा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और

प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1880(अ) से का.आ. 1882(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमुली खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 1649(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (डुबुरी-भुवन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 791(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलमंगला-हासन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 896(अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 556(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का.आ. 1032(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबगल-कोलार-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 1074(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के उनमें उल्लिखित विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 1123(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के संबंध में, उसमें उल्लिखित दरों पर केन्द्रीय सरकार की ओर से शुल्क एकत्र करने के लिए मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), कर्नाटक, लोक कल्याण विभाग अथवा उसके प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छियासठ) का.आ. 1569(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 1698(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के पणजी-मंगलौर खण्ड पर श्रावती नदी पर बने पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 1913(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबगल-कोलार-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 2126(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

[श्री के. वेंकटपति]

जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 2128(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 2190(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (बंगलौर-मंगलोर खंड) पर नेत्रवती नदी पर बने पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 2551(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (चांदपुरा-कोट्टापुरम खंड) पर कोडुगलूर बाईपास के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 2552(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 [चांदपुरा-कोट्टापुरम (कोडुगलूर बाईपास) खंड] के निर्माण/चौड़ा करने अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौहत्तर) का.आ. 2363(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का.आ. 2364(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 2365(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं.का.आ. 631(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का.आ. 2545(अ) जो 29 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का.आ. 1695(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 पर काबिनी नदी पर नए मुख्य पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी और राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंगलौर को प्राधिकृत किया गया है।

(उन्नासी) का.आ. 1696(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर रोड अंडर ब्रिज में अतिरिक्त वेंट के लिए अप्रोच के निर्माण के लिए विशेष

भू अर्जन अधिकारी और राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंगलौर को प्राधिकृत किया गया है।

(अस्सी) का.आ. 1697(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 पर मालप्रभा नदी पर पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड़ को प्राधिकृत किया गया है।

(इक्कासी) का.आ. 2518(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हुबली-धारवाड़) में बाईपास मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड़ को प्राधिकृत किया गया है।

(बयासी) का.आ. 2597(अ) और का.आ. 2598(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबागल-कोलार-बंगलौर खंड) के विभिन्न के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का.आ. 2267(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (माखनपुर से इटावा और इटावा बाईपास खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौरासी) का.आ. 2268(अ) 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख के चार लेन वाले खंड (भिलाड़ी से जैतपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) से (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले बारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9435/08]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 543(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9436/08]

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2008 जो 15 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9437/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं श्री वी. नारायणसामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 (खंड-एक) समावेशी विकास।

(दो) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 (खंड-दो) सामाजिक क्षेत्र।

[श्री पवन कुमार बंसल]

(तीन) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 (खंड-तीन) कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सेवा और भौतिक अवसंरचना।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9438/08]

(2) (एक) डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर आफ दि इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर आफ दि इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9439/08]

(3) (एक) इंस्टीट्यूट आफ अप्लायड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ अप्लायड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9440/08]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9441/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं श्री पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2007 जो 1 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2007 जो 1 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 257 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2007 जो 1 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 258 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2007 जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2007 जो 25 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 665(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 जो 27 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 जो 27 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9442/08]

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9443/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9444/08]

(3) (एक) भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9445/08]

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियम, 1979 संशोधन विनियम, 2006 जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. सं. एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/5207/2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9446/08]

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ता का ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआरडी/रेग/1/42/2008 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री पवन कुमार बंसल]

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ता का ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008 जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआरडी/रेग/2/43/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्त्ताओं की लाइसेंसिंग) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 9 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआरडी/रेग/2/39/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 5 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआरडी/रेग/4/41/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9447/08]

(7) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ सं. आईआरडीए/आर 1/1/38/2007 जो 6 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा भारतीय पुन: बीमाकर्ता के साथ प्रत्येक साधारण बीमा पालिसी के पुनर्बीमित किए जाने पर बीमित राशि की प्रतिशतता छोड़े जाने में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9448/08]

(9) शेयरों के लेन-देन से संबंधित अपराध अधिनियम, 1992 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) संशोधन नियम, 2008 जो 17 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9449/08]

(10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ) जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 और अन्य प्रयेक्ता अभिकरणों की अपेक्षाओं के अनुसार नई टैरिफ प्रविष्टियां आरंभ किए जाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9450/08]

(11) भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.नि. 2189(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 130(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9451/08]

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्द तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 204(अ) जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित क्षेत्र को स्मगलिंग के लिए भेद्य विनिर्दिष्ट किया गया है, जैसाकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में है।

(दो) सा.का.नि. 261(अ) जो 2 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

उसमें उल्लिखित माल, जिनके संबंध में उनके अवैध निर्यात को रोकने और उक्त माल जिनका अवैध रूप से निर्यात संभावित है, जिसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम भू-भाग के भीतर आने वाले बंगलादेश के साथ भारत की भू-सीमा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ले जाया जाएगा, की पहचान सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए विशेष उपाय विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9452/08]

(14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 720(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001 के.उ.शु. (गैटै) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 721(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002 के.उ.शु. (गैटै) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9453/08]

(15) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1277(अ) की एक प्रति जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर को 1 जून, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9454/08]

(16) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का अर्जन आदेश, 2008 जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 589(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9455/08]

(17) ऋण सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अंतर्गत जारी ऋण सूचना कंपनी (विनियम) (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2008 जो 2 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. 201 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9456/08]

(18) (एक) सेन्टर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9457/08]

(19) (एक) नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकनामिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकनामिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9458/08]

(20) (एक) मद्रास स्कूल आफ इकनामिक्स, चेन्नई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री पवन कुमार बंसल]

(दो) मद्रास स्कूल आफ इकनामिक्स, चेन्नई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9459/08]

(21) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट इकनामिक्स, दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डेवलपमेंट इकनामिक्स, दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9460/08]

(22) (एक) इंस्टिट्यूट फार सोशल एण्ड इकनामिक चेंज, बंगलोर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार सोशल एण्ड इकनामिक चेंज, बंगलोर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9461/08]

(23) (एक) इंस्टिट्यूट आफ स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9462/08]

(24) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के उपखण्ड 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात और साधारण) नई दिल्ली को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उसमें उल्लिखित अधिकारियों की सभी शक्तियां निविष्ट की गई हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9463/08]

(25) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 744(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 757(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 259(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 66/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 760(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयरन और फाइन्स पर 200 रुपये प्रति टन की दर से विशिष्ट निर्यात शुल्क विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 761(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या

79/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 763(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 769(अ) जो 4 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 779(अ) जो 7 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 116/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 794(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 814(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 29/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9464/08]

(26) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 736(अ) जो 16 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय एंटी डंपिग और एलायड ड्यूटी महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट रिव्यू जांच का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक 2 सितम्बर, 2009 तक और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां निर्यातित कलोरोक्वीन फास्फेट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 743(अ) जो 21 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय एंटी डंपिग और एलायड ड्यूटी महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट रिव्यू जांच का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक 23 अक्तूबर, 2009 तक और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां निर्यातित विटामिन सी के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 745(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय मेसर्स एच.के. कारपोरेशन, कोरिया आरपी द्वारा उत्पादित और निर्यातित किसी भी विनिर्देशन पालिस्टर के फुली ड्रान यार्न या फुली प्रिंटेड यार्न या स्पीन ड्रान यार्न या फ्लैट यार्न के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 746(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 15 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 69/2008/सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 758(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशांसित दरों पर सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित फिनायल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 762(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ताईवाद में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित केबल टाईके आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री पवन कुमार बंसल]

(सात) सा.का.नि. 806(अ) जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशांसित दरों पर थाईलैंड और कोरिया आरपी में उद्भूत या वहां से निर्यातित एकरीलिक फायबर के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 815(अ) जो 31 नवमबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, श्रीलंका और वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित कंपैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9465/08]

(27) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 793(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007 सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9466/08]

(28) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता विनिश्चयन और शुल्क संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 20 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9467/08]

(29) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9468/08]

(दो) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9469/08]

(तीन) रूसीकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9470/08]

(30) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऊपर लिखित बैंक के संबंध में समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9471/08]

(31) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9472/08]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9473/08]

(ख) (एक) नेशनल शिडयूल कास्ट फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शिडयूल कास्ट फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9474/08]

(3) वर्ष 2006 के लिये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9475/08]

(5) वर्ष 2006 के लिये अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9476/08]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9477/08]

(दो) भारत पंप एण्ड कंप्रेशर लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9478/08]

(तीन) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9479/08]

(चार) ब्रिज एण्ड रूफ कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9480/08]

(पांच) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9481/08]

(छः) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9482/08]

(सात) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9483/08]

[श्री रघुनाथ झा]

(आठ) एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9484/08]

(नौ) नेपा लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9485/08]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9486/08]

(ख) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9487/08]

(ग) (एक) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9488/08]

(घ) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9489/08]

(ङ) (एक) नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9490/08]

(च) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9491/08]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : महोदय, मैं श्री नमोनारायन मीना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंटर आफ एक्सेलेंस आन मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रैडीशनल नालेज, फाउंडेशन फार रिवाइटेलाइजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रैडीशंस, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर आफ एक्सेलेंस आन मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रैडीशिनल नालेज, फाउंडेशन फार रिवाइटेलाइजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रैडीशंस, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9492/08]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 865(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9493/08]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2008 जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खतरनाक अवशिष्ट (प्रबंधन, संभलाई और सीमापार संचलन) नियम, 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2265(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9494/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं श्री आनन्द शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9495/08]

(2) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9496/08]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9497/08]

(ख) (एक) स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9498/08]

(ग) (एक) मैगनीज और (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[कुंवर जितिन प्रसाद]

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9499/08]

(घ) (एक) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9500/08]

(ङ) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9501/08]

(च) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9502/08]

(छ) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9503/08]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9504/08]

(झ) (एक) मेकान लिमिटेड, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकान लिमिटेड, रांची के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9505/08]

(ञ) (एक) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9506/08]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9407/08]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9408/08]

(2) (एक) आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9409/08]

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 59 के अंतर्गत जारी पेट्रोलियम गैस विनियामक बोर्ड (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2008 जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1110(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9410/08]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9511/08]

(1) (एक) पद्‌मजा नायडु हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्‌मजा नायडु हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9512/08]

अपराह्न 2.24 बजे

संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री चन्द्रभान सिंह के विरुद्ध श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य द्वारा दी गई याचिका पर लोक सभा के दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9513/08]

अपराह्न 2.24½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(दो) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II के तहत माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश 73क के अनुसरण में रेल संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

दिनांक 16.4.2008 को लोक सभा को प्रस्तुत ''अनुदानों की मांगों, 2008-09'' पर समिति के 36वें प्रतिवेदन में 18 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं और इन पर की गई कार्रवाई टिप्पण विवरण दिनांक 5.09.2008 (अंग्रेजी संस्करण) और 17.09.2008 (हिन्दी संस्करण) समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सभी सिफारिशों और इसकी कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। चूंकि ये विवरण बहुत विस्तृत है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पठित माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9515/08

अपराह्न 2.25 बजे

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं दिनांक 28.9.2004 के राज्य सभा बुलेटिन भाग-II के द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 20वें में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की बीसवीं रिपोर्ट लोक सभा में 23.4.2008 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2008-09 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच करने से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कृत कार्रवाई विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को 29.7.2008 को भेजा गया था।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 24 सिफारिशें की गई थीं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से ई एंड पी क्षेत्र को आधारभूत ढांचा दर्जा प्रदान करने, ओ.एन.जी.सी. और आई.ओ.सी. के. आर. एंड डी. कार्यकलापों के लिए आबंटन बढ़ाने, ओएनजीसी द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने, तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने, ओएनजीसी द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने, एथनॉल के मूल्य का वार्षिक आधार पर निर्धारण करने, ब्राजील में एथनॉल आधारित उद्यमों पर कार्यकलापों में शीघ्रता लाने, एथनॉल निवेश संबंधी मुद्दों को अंतिम रूप देन राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति को अंतिम रूप देने, बॉयो-डीजल संवर्धन में पी.सी.आर.ए. की सक्रिया भूमिका, भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने, पी.एन.जी. नेटवर्क का व्यवस्थित विस्तार करने, गेल और पेट्रोनेट एन.एन.जी. द्वारा एल.एन.जी. आयात के दीर्घावधि ठेके देने, पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने, एल.पी.जी. के वितरण नेटवर्क

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9516/08

को सुदृढ़ करने, रिफाइनरियों की उच्च सल्फर कच्चे तेल के संसाधन की क्षमताओं को बढ़ाने, मिट्टी तेल के विपथन रोधी उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करने जैसे मुद्दों से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाया गया है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के पूरे पाठ को पढ़कर संसद का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 2.46 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया जाना जाएगा और इन्हें कार्यवाही का हिस्सा माना जाएगा।

(एक) गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : भारत गन्ना और चीनी का प्रमुख उत्पादक देश हैं बड़ी संख्या में देश के किसान गन्ना उत्पादन में लगे हुए है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी हैं। वर्ष 1950-51 के दौरान हमारा गन्ना उत्पादन 57.05 मिलियन टन था और अब यह 355 मिलियन टन तक पहुंच गया है। देश में चीनी मिलों की संख्या भी 1930-31 की 29 मिलों से बढ़कर 2007-08 में 475 से अधिक हो गई है।

गन्ना उत्पादन में लगे किसान चीनी निर्यात के माध्यम से सरकार के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होते हैं। तथापि, किसानों को अपने गन्ना उत्पादन के बदले पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। प्रो. टी. हक की अध्यक्षता वाले कृषि लागत और मूल्य (सी ए सी पी) आयोग ने गन्ना किसानों के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस एम पी) के रूप में 1550 रुपए प्रति टन और प्रोत्साहन राशि के रूप में 140 रुपए की सिफारिश की है। इसके बावजूद सरकार ने वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य 811.80 रुपए निर्धारित किए हैं जो पिछले वर्ष के जितने ही है और यह सीएसीपी द्वारा संस्तुत मूल्य से बहुत कम है। इस कारण गन्ना उत्पादक किसान, विशेषकर तमिलनाडु में आंदोलन के मार्ग पर हैं तथा वे राज्यभर में प्रदर्शन कर रहे है। हजारों किसानों ने 10 दिसम्बर, 2008 को दिल्ली में रैली और आन्दोलन किया। अतः, गन्ना किसानों की ओर से, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति टन तय करें।

इसके अतिरिक्त, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह छोटे, मझौले और बड़े किसानों के निरपेक्ष सभी गन्ना किसानों के सारे बकाया ऋणों को माफ करे।

(दो) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की प्रगति की निगरानी किए प्रदान की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : जिला प्रशासन के साथ सम्यक तत्परता से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन को उठाए जाने के बावजूद बिहार स्थित मेरे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इस स्कीम के तहत बहुत ही कम जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और जहां इन्हें जारी भी किया गया, वहां अपेक्षित संख्या में कार्य नहीं दिए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ही किसी प्रकार का भत्ता दिया गया है। मेरे जिले को आबंटित 38 करोड़ रुपए की राशि में से अब तक मात्र 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। चूंकि हम दावा करते हैं कि यह एक केन्द्रीय योजना है जिसे ग्रामीण बेरोजगारों के लाभ के लिए 15000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी लागत तैयार की गई है; किंतु लोग सोचते हैं कि इसे कार्यान्वित नहीं किए जाने से केन्द्र सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यद्यपि हम स्पष्ट करते हैं कि इसे राज्य सरकार द्वारा ही कार्यान्वित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश केन्द्र द्वारा जारी अनुदेशों से मेल नहीं खाते हैं जिस से अत्यधिक उलझन पैदा हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप इस योजना में देरी होती है। साथ ही, पंचायत सेवकों रोस्टर रखने में हिचकते हैं। जिस कारण भत्तों की अदायगी नहीं होती। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी सूक्षम निगरानी की आवश्यकता है जो जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला आयोजित करने पर विचार कर सकता है ताकि इस योजना के बारे में उनकी जानकारी स्पष्ट हो और वे इस स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सके। वास्तव में कुल मिलाकर केन्द्रीय एजेन्सियों जैसे इरकॉन, पावरग्रिड तथा आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी अन्य हैंडलिंग कार्यों द्वारा इसकी समग्र सूक्ष्म निगरानी की आवश्यकता है। जहां तक एन आर ई जी स्कीम का प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसके प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) देश में गरीबी तथा बेरोजगारी को रोकने के लिए मूल्य वृद्धि के अनुरूप आवधिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग को परिभाषित करने के लिए नए मापदंडों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी को परिभाषित करने के लिए 13 नए मानकों को अधिसूचित किया है। न्यूनतम मजदूरी गरीबी मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी के मापदण्ड में भी समानुपात बढ़ोत्तरी करने के साथ-साथ नए मानकों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पहले गरीबी के नीचे की श्रेणी की परिभाषा करने के लिए 13 नए मानकों को अधिसूचित किया है, जैसे आवास, कपड़े, खाद्य, सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी आदि। यह देखने में आया है कि पंचायतों में हुए अध्ययन के अनुसार सूची अनुमोदन के लिए दूसरी ग्रामसभा की बैठक तक नहीं होती और जहां सूची पढ़ी जाती है वहां गांव वालों को यह नहीं बताया जाता कि उन्हें मिलने वाले अंकों का अर्थ क्या है। कितने अंक मिलने पर वे गरीबी की रेखा के नीचे संरक्षण प्राप्त करेंगे और कितने अंक मिलने पर नहीं। एक तरह से अगर अब भी इस प्रक्रिया में ग्राम सभा को शामिल नहीं किया गया तो एक बार फिर गरीबों की सूची में सम्पन्न और प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व होगा। इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी के मापदण्ड में भी समानुपात बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए जिससे तय समय सीमा में गरीबी एवं बेरोजगारी को पूर्ण रूप से मिटाया जा सके तथा गरीब वर्ग के लोगों को बीपीएल का संरक्षण प्राप्त होने के साथ-साथ गरीब वर्ग का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित हो सके।

(चार) हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी नई रेल लाईन परियोजना के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान, माननीय प्रधान मंत्री जी के हिमाचल प्रवास के दौरान दिए गए उस आश्वासन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने का कमिटमेंट किया था। इस संबंध में रेल मंत्रालय में हुई बैठकों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा देना तय हुआ। फलस्वरूप प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008-09 के अपने बजट में इस हेतु वांछित धनराशि का प्रावधान कर दिया, किंतु रेल मंत्रालय ने इस परियोजना हेतु इस वर्ष न तो बजट में धन का प्रावधान किया और न ही इस कार्य को अब तक प्रारंभ किया। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी वर्ष इस कार्य को प्रारंभ करने हेतु बजट में तत्काल पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री का आश्वासन पूरा हो सके।

(पांच) गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : गुजरात में वृहद तट रेखा है और पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के होने के कारण तटीय सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है। यह पाया गया है कि जखाउ और छाड के बीच के कतिपय क्षेत्रों की गश्त किसी भी सुरक्षा गश्ती द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही है। न तो तटरक्षक बल और न ही सीमा सुरक्षा बल की जल कमान गश्त कर सकती है क्योंकि छिछले पानी के कारण मौजूदा नावों का संचालन नहीं हो पाता है। समुद्री पानी के उतार (भाटा) के दौरान कतिपय भूक्षेत्र उभर आते हैं और उन क्षेत्रों में पहुंचना कठिन हो जाता है जिनका उपयोग आतंकवादियों और घुसपैठियों द्वारा निषिद्ध वस्तुएं जमा करने के लिये किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों को उपयुक्त उपस्कर, विशेष रूप से नावें, उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे क्षेत्र की गश्त प्रभावी ढंग से लगा सकें। इसके अतिरिक्त, तटरेखा के साथ-साथ अनेक छोटे-छोटे द्वीप हैं जिनकी निगहबानी करने की आवश्यकता है। पत्तनों पर मुहैया कराई गयीं सुरक्षा प्रणालियां पर्याप्त नहीं हैं और विशिष्ट उपस्कर न होने के कारण, गैर-वांछित सामग्री की तस्करी आसानी से की जा सकती है। छोटे मछुवाही बन्दरगाहों पर सुरक्षा जांच की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और अनेक मछुवाही नावें वर्ष भर तटों तक आती जाती रहती हैं। सीमा-शुल्क विभागों के पास ऐसी मछुवाही नावों द्वारा निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी प्रभावी ढंग से रोकने के लिए साधन नहीं हैं। समस्त तटवर्ती क्षेत्र में जहाज यातायात निगरानी प्रणाली का आरंभ शीघ्रातिशीघ्र किए जाने की आवश्यकता है।

गुजरात राज्य सरकार ने भारत सरकार के समक्ष दि. 30.5.2005 के तटीय सुरक्षा के संबंध में 392.47 करोड़ रुपए की एक व्यापक

योजना का प्रस्ताव भेजा था जिसके राज्य के 11 तटीय जिलों में 51 तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था जिनमें से केवल 10 पुलिस स्टेशनों को अनुमोदन मिल पाया है। 70 चौकियों का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि केवल 46 चौकियों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने 53 ऊंटों और 106 ऊंट सवारों की ऊंट गश्त प्रणाली का प्रस्ताव भी दिया है जिसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने 90 निगेहबानी बुर्जों को बनाने का प्रस्ताव दिया था, भारत सरकार ने इसे भी अनुमोदन नहीं दिया है। 392.47 करोड़ रुपए कि प्रत्याशित योजना का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि भारत सरकार ने केवल 58.42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, तटरेखा पर 39 विद्यमान पुलिस स्टेशनों के उन्नयन हेतु दि. 29.12.2006 के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अब तक विचार नहीं किया गया है। प्रभावी सुरक्षा के लिए तटरेखा पर पुलिस स्टेशनों, चौकियों इत्यादि जैसे सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की दरकार है क्योंकि समुद्र से सटे अनेक क्षेत्र पहुंच से बाहर हैं और मछुवाही गतिविधियों की बहुतायात के कारण समुद्र में प्रभावी अवरोधन कठिन है।

इन परिस्थिति में मैं सरकार से गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव को तत्काल अनुमोदित करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) गुजरात में मगदल्ला और अन्य छोटे पत्तनों का विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात राज्य की सरकार ने क्षेत्र में तट रेखीय पोत परिवहन को सुगम बनाने की दृष्टि से मगदल्ला पत्तन को विकसित करने के लिए दि. 11.5.2005 को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तदनन्तर राज्य सरकार द्वारा 21.6.2005 को राज्य में अन्य छोटे पत्तनों, जिनमें मगदल्ला, नवियासी, पोरबन्दर और वेरावल के पत्तन शामिल हैं, के विकास के लिए एक और प्रस्ताव भेजा गया था। मैं भारत सरकार से इन प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) राष्ट्रीय राजमार्ग 9 (पुणे-सोलापुर-हैदराबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग 13 (पुणे-सोलापुर-बीजापुर) को चार लेन वाला बनाने और इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शोलापुर के अंतर्गत नेशनल हाइवे 9 (पूना-शोलापुर-हैदराबाद) एवं नेशनल हाईवे 13 (पूना-शोलापुर-बिजापुर) पर भारी यातायात दबाव के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आये दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं।

इन दोनों राष्ट्रीय महामार्गों पर बढ़ते हुए भारी यातायात को देखते हुए चार लेन का किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही दोनों महामार्गों पर होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक प्रत्येक निश्चित दूरी के पश्चात् समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की भी आवश्यकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल हाईवे 9 (पूना-शोलापुर-हैदराबाद) एवं नेशनल हाईवे 13 (पूना-शोलापुर-बिजापुर) को चार लेन का बनाते हुए इन महामार्गों पर एक निश्चित दूरी के पश्चात् चिकित्सा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(आठ) सादुलपुर (राजस्थान), हिसार (हरियाणा) और सादुलपुर-दिल्ली रेलमार्गों पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, उत्तर-पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी से सादुलपुर, सादुलपुर-हिसार रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हुए काफी समय हो गया है। मात्र सादुलपुर से रेवाड़ी तक दो पैंसेजर गाड़ियां अभी तक चलाई गई हैं। यह एक महत्वपूर्ण रेल लाईन है। काफी समय से यात्री गाड़ियों के अभाव में परेशानी का सामना कर रहे हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि सादुलपुर-हिसार, सादुलपुर से दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी शीघ्रताशीघ्र चलाई जाये, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

(नौ) तटवर्ती क्षेत्रों में सामुद्रिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मछुआरा समुदाय को उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : समुद्र के माध्यम से बढ़ती हुई आतंकवादी चुनौती को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौ सेना और तटरक्षक बल को मजबूत करने के अतिरिक्त, मछुआरों को, जो समुद्र के नैसर्गिक वासी हैं, अधिकार सम्पन्न बनाया जा सकता है और समुद्रवर्ती निगरानी और सुरक्षा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। ऐतिहासिक रूप

[डा. के.एस. मनोज]

से भी, मछुआरे देश की समुद्रवर्ती सीमा के साथ सुरक्षा की पहली पंक्ति में आते हैं। वे स्वाभाविक रूप से तटीय रक्षक हैं। मछुआरा समुदाय हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करता रहा है। प्रायः मछुआरे ही महासमुद्र में रहस्यमयी जहाजों को सर्वप्रथम देखते हैं। उन्हें अचूक दूरबीन और अन्य संचार यंत्र देकर देश की तट रेखाओं की रक्षा करने के लिए सूचना प्रदाता के रूप में काम में लिया जा सकता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मछुआरा समुदाय को मुखबिरों के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में सम्मिलित किया जाए।

(दस) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित अलॉय स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : दुर्गापुर स्थित अलॉय स्टील प्लांट संयंत्र (ए एस पी) राष्ट्र और स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के लिए एक परिसम्पत्ति है। यह संयंत्र 1960 के दशक में भारत का सर्वश्रेष्ठ संयंत्र माना जाता था और विशेष इस्पातों और जंगरोधी इस्पात की विभिन्न ग्रेडों को विकसित करने के लिए 3 लाख टन की ईष्टतम क्षमता के साथ प्रति वर्ष 1 लाख टन इस्पात का उत्पादन करता था ताकि रेल, परिमाणविक अनुसंधान केन्द्र, पेट्रो रसायनों, रक्षा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और आटोमोबाइल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ए एस पी की स्थापना का उद्देश्य विदेशों से विशेष इस्पातों के आयात को रोकना और विदेश मुद्रा की बचत करना था। 70 के दशक के प्रारंभ में ए एस पी के सामूहिकों ने इसके विस्तार और ए एस पी के संयंत्र में सीवनहीन ट्यूब संयंत्र के अधिष्ठापन एवं आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। 'सेल' के बोर्ड ने मांग को मान तो लिया परन्तु कुछ अनजान कारणों से उस सीवनहीन ट्यूब संयंत्र का अधिष्ठापन तमिलनाडु में बी एच ई एल की त्रिची इकाई में किया गया। बाद में 'शीट मिल' में विस्तार की मांग को भी स्वीकृति मिल गई। परंतु इसे मूर्त्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि सलेम में एक शीट रॉलिंग प्लांट का अधिष्ठापन कर दिया गया गया था जिससे ए एस पी और सलेम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) दोनों ही अर्ध-अक्षम हो गए हैं। सलेम को एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की आवश्यकता है जबकि ए एस पी को एक निर्मित मिल की आवश्यकता है परंतु ऐसा नहीं किया गया है। अब, सलेम इस्पात संयंत्र के पश्चगामी एकीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए के निवेश का एक अच्छा निर्णय लिया गया है परंतु एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के अग्रवर्ती एकीकरण हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए, सभी श्रमिक संघों ने सामूहिक रूप से उत्पादन बन्द करने के प्रबंधन के प्रयास के निर्णय के विरोध में अभियान चलाया। इस कारण, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वायर रॉड मिल वाली आधुनिक बार मिल, उच्चतर क्षमता वाली अद्यतन भट्टी कर्मशाला, पूर्णरूपेण शीट मिल, गर्री मिल, सीवनहीन ट्यूब संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) से तरल इस्पात का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण जैसी अंतिम रूप से तैयार इकाइयों के साथ एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के पूर्ण आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य पूरा किया जा सके। इस प्रकार, सेल — डी एस पी — ए एस पी — एस एस पी के बीच गठजोड़ के माध्यम से विद्यमान संसाधनों के अधिकतम उपयोग से संयंत्र का पुनरुद्धार किया जा सकता है।

(ग्यारह) उत्तर-पूर्व रेलवे के बरेली-लखनऊ क्षेत्र में आमान परिवर्तन कार्य कराए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय रेल की उत्तर-प्रदेश के 'तराई' क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्यवश बरेली-लखनऊ खंड पर आमान परिवर्तन के कार्य में विलंब के कारण विकास रूक गया है। इस आमान परिवर्तन से क्षेत्रीय किसानों को महत्वपूर्ण निर्यात केन्द्रों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक आने-जाने में सहायता मिलेगी। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर-पूर्व रेलवे के बरेली-लखनऊ खंड पर आमान-परिवर्तन का कार्य अविलंब पूरा करें।

(बारह) देश में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, इस वर्ष उत्तर भारत में बारिश बेहतर होने के कारण किसानों ने अच्छी फसल के सपने संजोए थे पर किसानों के सपने साकार होते और किसान अपने खेतों में बुआई कर अच्छी फसल उगाकर लाभ कमा पाते, यह सब तब हो पाता जब सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवा दिया जाता। परंतु केन्द्र व राज्य सरकारों की ढुलमुल नीतियों के कारण किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो सका और जो खाद मिला भी वह मिलावटी व डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद उपलब्ध करवाई गई। इससे किसानों को डीएपी की एक बोरी के एवज में एनपीके की ढाई बोरी खाद खेतों में डालनी पड़ी है। इससे किसानों को काफी मंहगी कीमत चुकानी पड़ी।

देश के किसानों द्वारा उर्वरकों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में कोई अच्छा कदम नहीं उठाया है, यह अत्यधिक चिंताजनक है। सरकार को चाहिए कि वह उर्वरक की उपलब्धता हर वर्ष समय रहते सुनिश्चित करें और किसान को खेती में प्रयोग होने वाली बुनियादी खाद जैसी उर्वरकों के संकट से दूर करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 'शिक्षा मित्र' के रूप में नियोजित शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : महोदय, उत्तर प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान पर खर्च होने वाले व्यय के अंतर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षा मित्र नियुक्त किये जाते हैं। शिक्षा मित्र पूर्ण रूप से सहायक अध्यापक का कार्य करते हैं। प्रदेश सरकार इस मद के व्यय को अन्य मद में अधिक खर्च करती है जबकि बुनियादी रूप से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को केवल 3000 रु. प्रति माह ही दिया जाता है। इतने कम मानदेय में शिक्षा मित्रों का जीवन-यापन संभव नहीं है। मेरी इस सदन के माध्यम से मांग है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाने वाली सहायता में शिक्षा मित्रों को कम से कम 6000 रु. प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाये जिससे शिक्षा मित्र अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निर्वाह कर सके।

मेरी सदन के माध्यम से यह मांग है कि 5 वर्षों के अनुभव के पश्चात मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाये।

(चौदह) गरीबी रेखा से नीच जीवन-यापन कर रहे भूमिहीन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के बजट आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, देश में लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि सरप्लस है, जो बिना उपयोग के बेकार पड़ी हुई है तथा वहीं दूसरी ओर हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दूसरे समुदाय के ऐसे बहुत से नागरिकों की संख्या करोड़ों में हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है।

देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 26 प्रतिशत से भी अधिक है। आगामी 10 वर्षों में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली लोगों को ऊपर उठाये जाने हेतु एक विस्तृत योजना बनाये जाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को रोजगार के विशेष अवसर सुलभ कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का बजट बढ़ाया जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार देश के भूमिहीनों को सरप्लस भूमि से भूमि का आबंटन किए जाने एवं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने हेतु एक विस्तृत योजना बनाये जाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के बजट आवंटन में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाये।

अपराह्न 2.26½ बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

मुंबई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा जारी रहेगी। श्री रामजीलाल सुमन, आप अपना वक्तव्य आरंभ करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में आतंकवादी हमले में जो निर्दोष नागरिक मारे गए, सुरक्षाकर्मी मारे गए और न सिर्फ हमारे देश के लोग, बल्कि दुनियां के कई अन्य देशों के लोग भी मारे गए। हम अपनी ओर से, सबसे पहले उन सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपकी मार्फत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो पीड़ित परिवार हैं उनकी ज्यादा इमदाद करने की जरूरत है।

महोदय, इस चर्चा का जो लब्बो-लुबाव है, इस चर्चा की जो भावना है, वह यह है कि मुम्बई में आतंकी हमले के बाद, आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया है। यह बात सही है कि हम लोग हिन्दुस्तान में अलग-अलग पार्टियों के लिए काम करते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग-अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है। जब अन्य विषयों पर चर्चा होती है, बहस होती है, तो हम अपने-अपने दलों की जो राय होती है, उसे व्यक्त करते हैं, लेकिन इस चर्चा का सीधा मतलब है कि हमारे दलों से महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, तो वह देश के लोग हैं। देश की सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा और देश की इज्जत, दलों की मर्यादाओं से कहीं बड़ा सवाल है।

महोदय, एक भारतीय होने के नाते, इस संकट की घड़ी में जो हमारा दायित्व है कि हम सब लोग मिलकर खड़े हो जाएं। यह संदेश हम पूरी दुनियां को देना चाहते हैं और भारत सरकार से यह कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है और आतंकवाद से निपटने के लिए जितनी दूरी तक आप जा सकते हैं, उतनी दूरी तक आप जाएं। इसके लिए आपको पूरी आजादी है, लेकिन देश के लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए।

[श्री रामजीलाल सुमन]

महोदय, अभी आडवाणी जी बोल रहे थे। अभी पांच राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव हुए और जब चुनाव हो रहे थे, तभी मुम्बई पर आतंकवादी हमला हुआ। मैं स्वयं सोचता था कि निश्चित रूप से यह एक मुद्दा बनेगा क्योंकि यह गंभीर मामला है, लेकिन चुनाव में आतंकी हमला, मुद्दा नहीं बना क्योंकि इसका सीधा कारण यह है कि अब तक हमारे काम करने का जो तरीका रहा है, वह ऐसा रहा है कि भले ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही और चाहे डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, लोगों का दृष्टिकोण यह बन गया, गुस्सा हैं कि इस सवाल पर दोनों गंभीर नहीं हैं, दोनों घिसी-पिटी भाषा बोलते हैं और कार्रवाई में, एक्शन मे कुछ दिखाई नहीं देता।

महोदय, इस सदन पर हमला होने के बाद, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अब तो आर-पार की लड़ाई होगी। मुम्बई में जब हमला हुआ और सरकार के जिस प्रकार के बयान आए, उनसे कुल मिलाकर देश के लोगों का विश्वास टूटा है और लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई लड़े। यह देश का अवाम, देश की जनता चाहती है।

महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि सब कुछ होने के बावजूद भी यह चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। जहां एक ओर हम पाकिस्तान को इसका दोषी मानते हैं, वहीं मैं कहना चाहता हूं और गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो पुलिस है और हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, वे आज के इस दौर में, पुराने तौर-तरीके से नहीं चलेंगे। इसलिए नए तरीके से कुछ सोचने की आवश्यकता है। भविष्य में इन आतंकी गुटों से जैविक आक्रमण हो सकता है, रासायनिक आक्रमण हो सकता है और आणविक हथियारों के हमले हो सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि बदलती हुई परिस्थितियों में आपके जो सुरक्षा बल हैं, उनके पास यदि अत्याधुनिक हथियार नहीं होंगे और अत्याधुनिक तकनीक से वे लैस नहीं होंगे, तब तक उनसे अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

हमारी फौज की खुफिया एजेंसी है। इसी तरह की कोई खुफिया एजेंसी बनाई जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि नये संदर्भ में, नई बदलती हुई परिस्थितियों में हमें नये तरीके से उनके बारे में सोचना होगा। जो सबसे दुख की बात है, तकलीफ की बात है, वह यह है कि सुरक्षा एजेंसियों में आपस में कोई तालमेल नहीं होता। बकौल गृह मंत्री जी के रॉ का कहना है कि हमने नौसेना को पहले ही कह दिया था और हमारे पास सूचना है कि समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, जबकि नौसेना के लोग मना करते हैं। तटों की सुरक्षा का जिम्मा जिस कोस्ट गार्ड पर है, उनके पास पर्याप्त रफ्तार की जो नावें होनी चाहिए, वे नहीं हैं। अफसोस की बात है कि कई वर्षों से ये योजनाएं फाइलों में दबी पड़ी हैं। गृह मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि तटों की सुरक्षा का जो काम है, इसके सिलसिले में सरकार जो कुछ करना चाहती है, मेहरबानी करके उन फाइलों को निकालकर तत्काल यह व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो सकती है, इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है।

उसमें एक व्यावहारिक दिक्कत यह भी है कि सूबों का जो खर्चा है, उसमें तमाम राज्य सरकारें अपेक्षित सहयोग नहीं करतीं। यह ऐसा अवसर है कि देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इस अति संवेदनशील सवाल पर हर राज्य के लोगों को बुलाना पड़े, मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़े, उनसे बात करनी पड़े, उनका जो हिस्सा है, उसको सुनिश्चित करने के बाद इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। यह एक असल और बुनियादी सवाल है।

हालांकि यह कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सरकार का सवाल है। मुम्बई ब्लास्ट के बाद दो पाटिलों का बलिदान हो गया, यह समस्या का कोई हल नहीं है। जो मूलभूत और जड़ की समस्या है, उसकी ओर आप जाइये। श्री शिवराज पाटिल गृह मंत्री नहीं रहे, उनकी जगह चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर बन गये, यह समस्या का कोई हल नहीं है। देश की जनता दो टूक भाषा में जवाब चाहती है। यहां पर आपने जो भाषा बोली है, वह भाषा हम नहीं सुनना चाहते, हमें आपके कार्य करने में यह दिखाई देना चाहिए कि सही मायने में आप आतंकवाद से लड़ने में ईमानदार हैं। यही देश का आम नागरिक चाहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक सुरक्षा का आपका जो तंत्र है, इस तंत्र का पूरा कायाकल्प नहीं करेंगे, तब तक अच्छे परिणाम नहीं आ सकते हैं।

पुलिस सुधारों के नाम पर रुस्तम जी और धर्मवीर कमीशन से लेकर राज्य सरकारों ने तमाम कमीशन बनाये। आप कमीशन क्यों बनाते हैं, जब उन कमीशनों की रिपोर्ट को आप लागू नहीं करते? इस देश में कितने कमीशन ही बने। मुझे लगता है कि जनता का तत्काल ध्यान हटाने के लिए आप कमीशन बना देते हैं, लेकिन किसी भी सवाल पर, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सुझाव भी अगर कोई कमीशन देता है तो उस कमीशन की सिफारिशों को, उसकी अनुशंसाओं को आप लागू नहीं करते। आप मेहरबानी करके यह देखें कि पुलिस में सुधार के लिए जो विभिन्न प्रकार के कमीशन बने हैं, उनमें उनकी सिफारिशों की क्या सार्थकता है, उनको लागू करने का आप काम करें।

आज ही अखबारों में छपा कि लाखों पुलिसकर्मियों की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक हैं, उसमें एक लाख लोगों पर 222 पुलिसकर्मियों को होना चाहिए, जबकि हमारे देश में 126 हैं और विकसित देशों में एक लाख लोगों पर यह संख्या 250 से लेकर 500 तक है। आपके यहां फोर्स की बहुत कमी है अब अगर ऐसे समय पर भी आप भर्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लिहाजा इसमें अत्यधिक जल्दी की आवश्यकता है।

चिदम्बरम साहब, अंग्रेजों का बनाया हुआ 1816 का पुलिस एक्ट है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। यह बाबा आदम के जमाने की बात है, जबकि आप इस सदी में काम कर रहे हैं। यह एक्ट इतना पुराना है कि इसमें परिवर्तन की, संशोधन की और आज के तरीके से सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आतंकवाद का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए इसमें यह भी आवश्यकता है कि इसके लिए कोई विश्व कानून बने, यह बहुत जरूरी है। यह जो मौजूदा कानून है, मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है तो नये संदर्भ में आपको विश्व कानून भी इस सिलसिले में बनाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 1993 में मुम्बई का जो विस्फोट हुआ, उसका फैसला 14 साल बाद आया है। इसमें एक सीमा होनी चाहिए कि एक, दो या तीन महीने के अन्दर इसका फैसला होना चाहिए। हमारे देश में जो कानून है, हमारे देश में जो न्यायालय का काम करने का तरीका है, अगर कोई फालतू आदमी हो तो 20-25 साल लगना तो मामूली बात है। उसकी कोई सीमा या मर्यादा नहीं है और सिविल नेचर के जो वाद हैं, उनका फैसला 35-40 सालों में हो पाता है। इसलिए इस तरह के जो आतंकवादी हमले होते हैं, उसके लिए एक समय-सीमा तय होनी चाहिए कि इस समय-सीमा के तहत इन समय-सीमा के तहत इन वादों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो अमेरिका ने कहा कि इस समय जो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, इस तरह से जो हमारे साथ नहीं है, वह आतंकवाद का हमदर्द है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार इस भाषा को बोल सकती है या नहीं बोल सकती, लेकिन इस तरह का हिंदुस्तान की तरफ से जरूर जाना चाहिए कि आज हमारे सामने संकट है और यह संकट दुनिया के दूसरे देशों के सामने भी हो सकता है, इसलिए संकट की इस घड़ी में हमारा साथ दें। यह समस्या केवल हमारी समस्या नहीं है, यह समस्या पूरे देश और दुनिया की समस्या है।

महोदय, मुंबई की घटना के बाद पाकिस्तान सकते में था। हिंदुस्तान ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो वहां के राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी ने कहा कि हमारे यहां के आईएसआई के जो डायरेक्टर हैं, उन्हें बात करने के लिए हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, लेकिन 10 दिसंबर को उनकी भाषा बदल गई। इस संगठन का पाकिस्तान में क्या अहम रोल है? सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आईएसआई पाकिस्तान की सुरक्षा की पहली पंक्ति है और इसे कमजोर करना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। यह पाकिस्तान की सबसे उपयोगी संस्था है। पाकिस्तान की वह संस्था जो हमें बर्बाद करने में लगी है, वह पाकिस्तान के शासकों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इसलिए हम जब आईएसआई के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यह मानकर चलना चाहिए कि यह बात सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार जुड़ी है।

यह कितना गंभीर मामला है कि कल ही सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि देश में वर्ष 2004 से अक्टूबर, 2008 तक आतंकी हमलों की 22,107 घटनाएं हुयीं, जिनमें मुंबई की घटना शामिल नहीं है। इससे भी ज्यादा क्या कोई गंभीर सवाल हो सकता है कि चाहे जब निर्दोष लोग मारे जाएं, नागरिक मारे जाएं, लोगों की जिंदगी की कोई निश्चितता न हो।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी भी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, उसके संबंध में हमने जो कुछ भी किया, वह घटना होने के बाद किया। यह हाल हमारे खुफिया तंत्र का है और कई बार सरकार ने स्वीकार भी किया कि हमको जानकारी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। बहस और विचार इस बात पर होनी चाहिए कि जब किसी घटना की जानकारी आपको है कि घटना हो सकती है, तो घटना होने के पहले आपने क्या कदम उठाए? हिंदुस्तान में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि जानकारी होने के बाद इस घटना को रोकने के लिए आपने कुछ सार्थक प्रयास किए हों। जो अब तक प्रयास हुए हैं, सब घटना घटित होने के बाद हुए हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि 21 दिसंबर, 2006 में आई.बी. की रिपोर्ट सरकार को मिली, जिसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान की आईएसआई और नेवी 600 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। यह ट्रेनिंग तीन चरणों में दी जाती है। उनके प्रशिक्षण का काम 12 महीने से 18 महीने तक चलता है। मार्च, 2007 को कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप के डायरेक्टर जनरल ने स्वीकार किया कि समुद्री मार्ग से भी आतंकी हमला हो सकता है। लोक सभा में मार्च, 2007 में श्री एंटनी ने कहा और मई, 2007 में उस समय के गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील जी ने राज्य सभा में कहा कि समुद्री मार्ग से भी आतंकवादी हमला हो सकता है। सरकार ने इस संबंध में क्या किया? यह बहुत तकलीफदेह है। नये गृह मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि हमसे चूक हुई है। यह भी कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमारे जो पुराने अनुभव हैं, अगर हम

[श्री रामजीलाल सुमन]

उनसे नहीं सीखेंगे, तो भविष्य में अच्छे परिणामों की हम अपेक्षा नहीं कर सकते।

मैं जानता हूं कि यह बहुत संवेदनशील सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते कि हमारी नीयत ठीक हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। हमें अधिक से अधिक विश्व समुदाय को विश्वास में लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बगैर खून-खराबे के आतंकवाद पर काबू पाएं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जब तक सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां खत्म नहीं होंगी और आतंकवादी ठिकाने नष्ट नहीं होंगे, तब तक फौरी इलाज तो हो सकता है लेकिन इसका स्थायी इलाज नहीं हो सकता। इसलिए, जिस परिस्थिति में सरकार है, सरकार कूटनीति से कोई ऐसा हल निकाले कि हमारा देश जिस समस्या से पिछले दो दशकों से जूझ रहा है, हम उस पर नियंत्रण पा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार को भरोसा दिलाता हूं कि हमारा दल पूरी तरह उनके साथ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद आज अंतर्राष्ट्रीय जटिल समस्या बन गई है। 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में जो आतंकी हमले हुए, वे कोई साधारण हमले नहीं हैं। पिछले दिनों में हमारे देश के अंदर जितने आतंकी हमले हुए हैं, यह उससे अलग किस्म का आतंकी हमला है, क्योंकि जिस तरह प्रशिक्षित होकर, ट्रेंड होकर पाकिस्तान की जमीन से हमारे देश में आक्रमण हुआ, वह निश्चित रूप से वैश्विक आतंकवाद का एक हिस्सा माना जा सकता है। पूरी घटना में 189 अमूल्य जीवन गए हैं जिनमें 26 विदेशी नागरिक और एनएसजी के दो कमांडो, 18 सुरक्षा बल के बहादुर अधिकारियों ने भी बलिदान दिया है। यहां तक कि एटीएस के प्रमुख श्री हेमंत करकरे, उनके साथी श्री कामते, श्री सालेश्कर और दो एनएसजी के कमांडो सहित मुम्बई पुलिस के बहादुर जवानों और आरपीएफ स्टेशन पर पांच सौ लोगों को जिल्लू यादव ने बचाया। आरपीएफ स्टेशन पर साधारण बंदूक से बहादुरी दिखाई। सभी बहादुर सुरक्षाकर्मी चाहे एटीएस के चीफ हों, चाहे अन्य हों, जिन लोगों ने साहस और वीरता का परिचय दिया, हमारे देश में आतंकवादी हमले का सामना करते हुए शहीद हुए, बलिदान दिए, मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं, सबसे पहले सलाम करता हूं, नमन करता हूं और ऐसी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यह मैं कामना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन मारे गए। देसी मारे गए, विदेशी मारे गए, एनएसजी के कमांडो मारे गए, हमारे बहादुर अधिकारी मारे गए, एंटी टैरोरिस्ट प्रशिक्षित अधिकारी थे, आतंकवादियों ने किसी को नहीं देखा कि हम किसको मार रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी अपने मिशन को पूरा करते हैं।

अभी गृह मंत्री जी ने एक बयान देकर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया, खुलासा किया। मैंने आज विपक्ष के नेता को भी देखा, लास्ट में थोड़ा सा अपने एजेंडे पर जाने की कोशिशभर की, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्तर की डिबेट की, मैं इसे मानता हूं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को जो सावधानी बरतनी चाहिए, महाराष्ट्र राज्य को जो सावधानी बरतनी चाहिए, आतंकी हमले हुए, सरकार ने भी स्वीकार किया है कि खूफिया तंत्र विफल रहे हैं। खूफिया तंत्र ही नहीं, तटीय रक्षकों की भी लापरवाही रही है। मेरीन की जो पैट्रोलिंग होती है, वह पैट्रोलिंग कहां चली गई थी। तट पर आकर, गुजरात में जाकर कुबेर जहाज को लेते हैं, फिर तट पर पहुंच जाते है और मुम्बई में जिन-जिन ठिकानों पर उन्हें हमला करना था, आर्थिक नगरी में उन्होंने अपना जुल्म ढाने का काम किया। वे अपने कत्ल के मिशन को पूरा करने में लग गए। समन्वय की भी कमी थी। राज्य की पुलिस हो, चाहे सुरक्षा बल हों, तटीय रक्षक हों, मेरीन पैट्रोलिंग हों, उनके समन्वय का भी पूरी तरह अभाव था। लैक ऑफ कोआर्डीशन था, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि रॉ का रिसर्च एंड ऐनालेसिस विंग, जब छः रिपोर्ट, सितम्बर से लेकर 19 नवम्बर तक, 26 नवम्बर को घटना घटती है और छः रिपोर्ट में समुद्री रास्ते में फिदायीन हमले की आशंका जताई गई थी, यहां तक कि ताज होटल और सीएसटी स्टेशन पर हमले का पूर्व संकेत दिया गया था।

इंडीकेशन होने के बावजूद भी चूक हुई है। इसे नकारने की जरूरत नहीं है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे चूक हुई है। इसमें चूक हुई है, यह भी जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि हमें चेतावनी नहीं दी गयी जबकि केन्द्र सरकार कहती है कि नहीं, पूरी तरह रिपोर्टों के जरिये उनको संकेत दिया गया कि मुम्बई में ताज होटल और सीएसटी स्टेशन पर फिदायीन हमला हो सकता है। राज्य सरकार इसे नकारती है और कहती है कि नहीं, हमें चेतावनी नहीं दी गयी। यह कोऑर्डीनेशन भी अपने आप में एक जांच का विषय है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। अभी मैंने पहले कहा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। कम्युनलिज्म और टैरोरिज्म ये दोनों जुड़वां बहनें हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक देश के अंदर हमारा साम्प्रदायिक सद्भाव मजबूत नहीं रहेगा तब तक हमारा जो दुश्मन है,

बाहरी आतंकवादी ताकत है, उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज हमें इस सदन में एकजुट होने का संकल्प लेना होगा। कहने को कुछ और कहने को कुछ और नहीं होना चाहिए। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने की भी जरूरत है। इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए हम सबको, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इस देश को यदि हम धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, तो हमारा देश एकजुट नहीं रहेगा। हम बाहरी आतंकवादी ताकतों से मुकाबला करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक हों, क्योंकि आपको मालूम है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, हम नहीं चाहते कि हम आज इस बात का जिक्र करें, क्योंकि बहस का जो स्तर है, अपने आप में एक ऊंचाई पर है। लेकिन बहुत तकलीफ होती है कि पूरे देश में किसी भी चीफ मिनिस्टर की देशभक्ति नहीं जागी। पूरे देश में एक मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, उनकी बड़ी देशभक्ति जागी। उनकी देश भक्ति कब जागती है? जब एटीएस के प्रमुख श्री हेमंत करकरे का बलिदान हो जाती है तब वह थैला लेकर उनकी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। उस बहादुर अधिकारी की पत्नी भी बहादुर थी। उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि हमें आर्थिक सहयोग के लिए एक करोड़ रुपये नहीं चाहिए। राष्ट्रभक्ति का प्रमाण इससे बड़ा और क्या होगा? एटीएस के प्रमुख बड़े निष्ठावान, देश और राष्ट्र के प्रति बड़े समर्पित अधिकारी थे जिन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने जिस तरह से मालेगांव के कांड की जांच की है, उसमें जो तार जुड़े हुए हैं, वे लोग बड़े परेशान हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। हम आज जो संकल्प ले रहे हैं, वह संकल्प तभी मजबूत होगा जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। हम थोड़ा इन सबसे ऊपर उठें। हमें दलीय संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि यह देश और राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र में आतंकवादी हमले का मुकाबला करने का सवाल है। यह बहुत बड़ा सवाल है इसलिए हमें अपनी संकीर्ण भावना से ऊपर उठना होगा। हमें दलों की सीमाओं से भी ऊपर उठने की कोशिश करनी होगी और इसका मन बनाना होगा कि यह मामला क्यों हुआ? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आपको मालूम है, आपने चर्चा कर दी, मैं नहीं चाहता था कि यहां दिल्ली और राजस्थान की कभी चर्चा हो। इस तराजू पर, इस कसौटी पर, इस चीज को देखने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं, हमारे माननीय विपक्ष के नेता लॉस्ट में उस तराजू को भी देखने लगे। हम उसे यहीं छोड़ देते, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं जिस पर आज कहा जा रहा है कि अजहर मसूद को नजरबंद किया जा रहा है, तो वह कौन है? यह वही आतंकवादी है जिसे हिन्दुस्तान के एक मंत्री ने कंधार ले जाकर छोड़ा था। उसी दिन आतंकवादियों का मनोबल ऊंचा हो गया। आज हमारे जवान शहीद को रहे हैं, क्योंकि उस दिन आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा था। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमें दूसरे देशों को देखकर एक नीति बनानी होगी। पूरी दुनिया में जो एंटी टैरोरिस्टि एक्ट है, उसकी समीक्षा की जाये, रिव्यू किया जाये।

क्या हम अपने देश की अस्मिता को कम करने के लिए तैयार हो जाएं और किसी पकड़े गए आतंकवादी को जेल से निकालकर कंधार लेकर छोड़ दें? आज वही आतंकवादी हिन्दुस्तान के खिलाफ फिर से बाघ बना हुआ है, इस तरह की आग उगल रहा है।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : यादव जी, उस जहाज में लगभग 150 पैसेंजर्स थे, क्या हम उनको मरवा देते?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सिविलियन्स की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन क्या इसीलिए कानून में बदलाव हो जाए? ...*(व्यवधान)* टेररिज्म से, टेररिस्ट्स से कोई समझौता नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबले स्वाई : क्या हम 150 पैसेंजर्स को मर जाने देते? ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ...**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]-

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, बड़ी अच्छी तरीके से बहस चल रही थी। इसकी सीरियसनेस को समझिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं इन बातों की चर्चा करना नहीं चाहता था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आप ऊपर देखने की बजाए मेरी ओर देखकर अपनी बात कहें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आप लोगों की सारी बातें खोल दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आप मेरी ओर देखकर बोलिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूं। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नही जा रही है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : लालू जी उस बैठक में उपस्थित थे...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी भी उस बैठक में उपस्थित थे।

[हिन्दी]

जिस मीटिंग में फैसला हुआ, उसमें आपके नेता भी शामिल थे।..*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, लेकिन इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आप पहले मेरी बात सुनें। आप ऊपर देखकर बोलने की बजाए मेरी ओर देखकर अपनी बात कहिए। हम एक बहुत सीरियस डिबेट कर रहे हैं, इसकी सीरियसनेस को बनाए रखें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो भी कहा है मैंने उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

देवेन्द्र जी, आप डिबेट की सीरियसनेस को बनाए रखिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, ये दिल जोड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये हिन्दुस्तान के दिल को तोड़ने वाले लोग हैं। हम लोग दिल जोड़ने वाले हैं। आप दिलों को मत तोड़िए।...*(व्यवधान)*

आप लोग देश की एक खास कम्युनिटी पर शंका करते हैं। मैं इन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता था।...*(व्यवधान)* अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो आपके नेता भी नहीं बोलने पाएंगे। ...*(व्यवधान)* आप लोग चर्चा को गलत पटरी पर मत ले जाइए। अगर आप कम्युनल वायरस फैलाएंगे तो देश की एकता कैसे रहेगी? आन्तरिक सुरक्षा को खतरे में डालकर हम बाहरी असुरक्षा का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इसलिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए हमें सभी वर्गों के बीच सद्भावना को मजबूत बनाना होगा। किसी कौम पर शंका करने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या यह नहीं देख रहे हैं कि इस घटना का अल्पसंख्यक लोग भी विरोध कर रहे हैं, वे भी आतंकवाद के खिलाफ पैगाम दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस घटना के विरोध में समूचा देश एक हो रहा है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : इसमें कोई शक नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपने सही कहा, लेकिन आज आप लोग यह बात कहते हैं, उस समय किस बिल में घुस गए थे। आपने तो बड़ी भारी महाराष्ट्र सेना बनाई है, उसने तब क्या किया? भारत की सेना ने उस समय साहस और वीरता का परिचय दिया, आपने कुछ नहीं किया। आप तो राष्ट्रवाद के बड़े नारे लगाते थे। मैं कहना चाहता हूं कि देश को एक रखिए, हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें, यह संकल्प लेने की जरूरत है। समाज में सद्भावना को मजबूत बनाकर हमें आतंकवादियों को धूल चटाने की आवश्यकता है। हमारा देश एक महान देश है। हम आतंकवादियों से खुद जूझ सकते हैं, इसके लिए हमें किसी दूसरे देश की सहायता की जरूरत नहीं है। किस देश में क्या कूटनीति बन रही है, यू.एन.ओ. की सिक्योरिटी कौंसिल में क्या निर्णय हो रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम देश की एकता को मजबूत करें, इसकी जरूरत है। यह ठीक है कि कूटनीतिक प्रयास हम करते रहें। लेकिन हम लोग आगे बढ़कर आतंकवाद का मुकाबला करें, इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे बाध्य किया इसलिए कहना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि इस आतंकवाद पर आम सहमति बने, यह बहुत ही जरूरी है। राजनैतिक दलों को संकीर्ण सरोकारों को त्याग कर एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसलिए, हमें एकजुट होना चाहिए।

हमारे देश में ऐसी भी मिसाल है, जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उस समय कैप्टन अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को तोड़कर देश भक्ति का, राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। इसलिए, इस वतन में रहने वाले जिस भी बिरादरी के हों, सबके खून में भारतीयता है, राष्ट्रीयता है और अपने वतन के प्रति प्यार है। इसलिए हम इसका बंटवारा नहीं कर सकते, इसे अलग नजरिए से नहीं देख सकते। यही कारण है कि इस घटना में जो लोग मारे गए, वे सभी बिरादरी के लोग थे। उनमें देशी भी थे और विदेशी भी थे। इसके अलावा जो सैन्यकर्मी शहीद हुए, वे भी सभी धर्मों के लोग थे।

इस घटना की शक की सुई हमेशा की तरह पाकिस्तान की तरफ गई है। इस बात के स्पष्ट सबूत भी मिल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आतंकियों के विरुद्ध जो भी कठोर फैसला इस सरकार को लेना है, वह लेना चाहिए। इस पर बहस हो सकती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसा और क्या कड़ा फैसला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत में चल रहे जो भी आतंकी हमले हैं, उनके खिलाफ एक निर्णायक माहौल तैयार किया जाए। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमें दुनिया के दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि हम खुद अपनी तरफ से ठोस कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। इसलिए, कठोर कार्रवाई के लिए संकल्प और इच्छाशक्ति की जरूरत है। हमें इस पर गौर करना होगा। पिछले कुछ समय में चाहे मुम्बई हो या देश की अन्य जगह, ऐसी घटनाएं घटी हैं। उनके खिलाफ हमें संगठित होने की जरूरत है।

हमारे अतीत में अहिंसा रही है। हमारी पालिसी रही है कि हमारा देश अहिंसा चाहता है। लेकिन उसका क्या फायदा, जब हम अपनी सीमा पर और देश के अंदर बाहर से हमला करने वालों को बाहर का रास्ता न दिखा दें। सन् 1963 में डा. लोहिया जी ने भी कहा था कि आज हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, कल शायद हो सकता है। जिस देश की सीमाओं और भीतर बाहर से खतरा हो, तो उस देश को अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना का सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक सम्प्रभु देश हैं, उसके लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरी नहीं है। अगर कुछ हिन्दुओं को यह बात समझ में न आए, उन्हें यह दलील समझ में न आए तो उन्हें जल्द से जल्द यह बात समझा देनी चाहिए कि पाकिस्तान के विरोध के लिए यह जरूरी है कि वह मुसलमानों का दोस्त हो, वहां की जनता का दोस्त हो।

अपराह्न 3.00 बजे

जो हुक्मरान हैं, जो टैररिस्ट्स हैं, जो मुजाहिद्दीन हैं, फिदायीन हैं, चाहे आईएसआई है, ऐसे लोगों का दोस्त नहीं बनना है बल्कि जो पाकिस्तान का अवाम है, उसका दोस्त बनना हमारे लिए जरूरी है। वहां की जनता हमारे खिलाफ नहीं है। वहां जो शिविर में टैररिस्ट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जिनको भारत के खिलाफ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नफरत का जहर उनके मन में हमारे खिलाफ घोला जा रहा है, वे लोग भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान की अवाम हिन्दुस्तान के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों का विरोध करना, उन्हें दबाना, दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करने से पाकिस्तान को ताकत मिलती है। सांप्रदायिक दंग करने वालों के खिलाफ सरकार को तेजी से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक हम समाज में सद्भाव को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी तकरीर में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के अंदर भी अगर कोई आतंकवादी शिविर हो तो उसका पता लगाना चाहिए। चाहे वह किसी भी कौम का शिविर क्यों न हो, अगर कोई भी शिविर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो उसको रेखांकित करने का काम सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। चाहे वह अभिनव भारत का हो, चाहे ड्रामा करने का हो, चाहे जो भी हो, उसको रेखांकित करना चाहिए। राज्यों में सीआईडी, लोकल इंटैलिजेंस यूनिट तथा केन्द्रीय स्तर पर आईबी, सीबीआई, मिलिट्री इंटैलिजेंस या डायरेक्टर ऑफ रैवेन्यू, इंटैलिजेंस, रॉ, कस्टम इंटैलिजेंस, इन्कमटैक्स सर्विलेंस को कोआर्डिनेट करके एक नोडल इंडिपेंडेंस एजेंसी बनानी चाहिए, जो ऐसे मामलों का मुकाबला कर सके।

जो पुलिस है उसको लॉ एंड आर्डर लाने हेतु कंकरेंट लिस्ट में लाने हेतु भी विचार होना चाहिए। एनएसजी के जवानों की प्रशिक्षित टुकड़ी हर स्टेट की कैपिटल में होनी चाहिए जिससे आतंकवादियों का मुकाबला मजबूती से किया जा सके। उसके लिए आवश्यक स्टॉफ और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए।

अंत में जो क्रिमनल्स और टैररिस्ट के मामले हैं उन्हें जल्दी से जल्दी टाइम-बाउंड मानकर निपटारा करना चाहिए, तभी हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। संसद में आज तक संकल्प होना चाहिए कि हम सब एक स्वर में बोले, अलग-अलग बोलने की जरूरत नहीं है। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मित्रसेन यादव (फ़ैज़ाबाद) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस विषय पर बोलने का आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, आतंकवादी समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और किसी भी समस्या का समाधान जिस प्रकार से उसका जन्म होता है उसी प्रकार से उसका हल भी निकालना चाहिए। चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संगठित होकर हमें इसका हल भी निकालना चाहिए। जब तक हम किसी मर्ज के कारण को नहीं समझेंगे तब तक उसका डायग्नोसेज नहीं होगा और अगर उसका डायग्नोसेज नहीं होगा तो उसका इलाज नहीं होगा। आतंकवाद क्यों पैदा हुआ, चाहे हमारी गलती से हो, चाहे दोस्तों की गलती से हो, चाहे और किसी बड़े राष्ट्र की गलती से हो, लेकिन कहीं न कहीं गलती हुई है, तभी आतंकवाद पैदा हुआ है। यदि हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने सोवियत यूनियन से अपनी सुरक्षा के लिए ताकत मांगी थी और इस सुरक्षा के आधार पर, अमरीका ने पाकिस्तान से मिलकर अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जब अमरीका ने यह गड्ढा खोदा तो उस गड्ढे को अमरीका को भी झेलना पड़ा। हमारा यह कहना है कि हिन्दुस्तान को भी इस बात को देखना चाहिए कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है। हिन्दुस्तान पर आतंकवादियों का हमला होने का कारण क्या है? अभी तक हिन्दुस्तान की सरकार ने इस बात को जाहिर नहीं किया कि आखिर आतंकवादी हिन्दुस्तान पर हमला क्यों करते हैं?

महोदय, हमने बंगलादेश की लड़ाई में पाकिस्तान का विरोध किया था, क्या पाकिस्तान उसका बदला ले रहा है या किसी और कारण से या कश्मीर को ले कर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है या साम्प्रदायिकता उग्रता के मामले के कारण ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करके हिन्दुस्तान पर आतंकवादी हमले क्यों करवा रहा है? हिन्दुस्तान की जांच एजेंसिया अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई हैं। जब तक आप जान नहीं पाएंगे, तब तक कैसे इस आतंकवाद को रोक सकेंगे? इस देश में भी कहीं न कहीं आतंकवाद पैदा हो रहा है और वह भी आपकी गलतियों की वजह से पैदा हो रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात सदन के सामने कही है कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। पंजाब में उग्रवाद कैसे पैदा हुआ था, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि पूरे देश में उग्रवाद कैसे पैदा हुआ, आपकी सियासी कमजोरियों की वजह से। अपनी सत्ता को प्राप्त करने की गलत नीतियों के कारण आपको खामियाजा भुगतान पड़ेगा। देश में आतंकवाद की बदौलत मुम्बई में जो कुछ हुआ है, उसके लिए कल माननीय सदन ने शोक व्यक्त किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हम कब तक श्रद्धांजलियां अर्पित करते रहेंगे, हमें इसका निदान ढूंढ़ना पड़ेगा।

मान्यवर, आतंकवादी हमले के समय में मारे गए लोगों ने और अन्य लोगों ने जिस ताकत के साथ आतंकवादियों का मुकाबला किया था, जिन अधिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनकी तारीफ

करने में कमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश का गृह विभाग कमजोर था, हमारा गृह मंत्री कमजोर था। हमारी नौ सेना भी कमजोर थी, हमारा तटीय प्रबंधन कमजोर था। कई चीजें स्वीकार की गई हैं। अगर हमारे देश का गृह मंत्री बदला गया है, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि गृह मंत्री की गलती थी, सरकार की गलती थी। हमारी नौ सेना और दूसरी एजेंसियों ने भी स्वीकार किया कि उनकी गलती थी। आज भारत सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए कि इनकी कमजोरियों के कारण देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। हमारे पास सही टूल्स, सही जानकारियां हासिल करने के तरीके नहीं है, जिनके आधार पर आतंकवाद को रोका जा सके। इसके लिए गृह मंत्री और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जो हमले हुए हैं, हमारे रामपुर में आरपीएफ के ऊपर जो हमला हुआ, उसमें आठ लोग मारे गए और पांच लोग घायल हुए। जो आदमी गिरफ्तार हुआ था, उसने मुम्बई की एक-एक घटना के बारे में नियोजित ढंग से जो होने वाला है, उसका जिक्र किया था, उसका नाम फरदीम अंसारी था। उसने सारी बातें बताईं और कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं दिसम्बर, 2007 और जनवरी, 2008 में फैजाबाद में और लखनऊ में कई जगह बम ब्लास्ट हुए। उसमें 13 लोग मारे गए। उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में आतंकवाद कहां-कहां बढ़ रहा है, कौन सी साजिशें कर रहा है, कौन टार्गेट है, सारी चीजें उजागर हुईं। अखबारों में आया, जांच रिपोर्टों में आया, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गोरखपुर के बम कांड में भी सारी चीजें जांच में आईं, उन पर भी नजर नहीं डाली गई। कहने का मतलब यह है कि जब आपके सामने मर्ज दिखाई पड़ रहा है, उसका इलाज नहीं करोगे तो वह फोड़ा कैंसर का रूप ले लेगा। भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि सारी गलती इनकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान भी परमाणु अस्त्र से लैस है और हम भी परमाणु अस्त्र से लैस हैं।

आप जिस दिन लड़ाई छेड़ेंगे, हिन्दुस्तान का कम नुकसान नहीं होगा। यह समस्या लड़ाई से हल नहीं हो सकती। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब दुनिया की तमाम आतंकवाद विरोधी ताकतें जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो और दूसरे कई लोगों की हत्याएं की, उन सब को मिलाकर और एक जनमत तैयार करके इससे लड़ेंगे। यह शक्ति आपके पास है और आप अभी तक कबूल कर रहे हैं कि दुनिया के 24 राष्ट्रों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने टेलीफोन किया और सहयोग करने के लिए कहा। जब आपको इतनी बड़ी ताकत अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर मिल रही है तो इस आतंकवाद से लड़ने में कोई कमजोरी महसूस नहीं करनी चाहिए। देश में जिस प्रकार की एकता है, जहां विभिन्न भाषा, संस्कृति, बोल-चाल, रहन सहन और देश-भूषा के लोग रहते हैं, वे विपत्ति की इस घड़ी में पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं, उसके बाद भी आप ऐसे आतंकवाद से लड़ नहीं पाए तो हम इस सरकार को काबिल सरकार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आपके प्रति जनमत है। आज देश महसूस करता है कि वर्तमान सरकार को आतंकवाद से लड़ने के लिए जितनी सक्रियता, संजीदगी और सतर्कता बरतनी चाहिए तथा आंतरिक तौर पर प्रदेश सरकारों की तरफ से जिन प्रकार का तालमेल रखना चाहिए और उनके संगठनों को जिस प्रकार से सुदृढ़ करना चाहिए, उधर भारत सरकार की नजर नहीं है, यही हमारी कमजोरी है और आतंकवाद के कारण इतना भारी नुकसान हो रहा है, इतनी जन और धन की हानि हो रही है। तमाम तरीके के लोगों में अन्तर्विरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे राजनीति भी करने की कोशिश की जा रही है। अगर आतंकवाद के पीछे राजनीति की जाएगी तो इस समस्या का हल नहीं होगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां अगर ऐसा करेंगी तो पूरे देश को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में कई जगह आतंकवाद की घटनाएं हुईं। वहां की सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला किया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और सारा पर्दाफाश कर दिया, वहां डेढ़ लाख पुलिस पदों का सृजन किया गया, आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया गया, पूरी ताकत के साथ आतंकवाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी मुहिम चलायी है लेकिन इसमें आपका जो सहयोग मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इस सहयोग के जरिए उन्होंने जितनी सूचनाएं आतंकवाद के विरोध में लाकर दी हैं, उससे पूरे हिन्दुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का पूरा खुलासा हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे मौके पर देश की एकता को देखते हुए जिस सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, उस सरकार को पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। इस मामले में पूरी संजीदगी बरती जाए। आपने स्वीकार किया है कि पूरी दुनिया के देशों ने इस समस्या के साथ मजबूती से खड़े होने का वायदा किया है। आप उन सब को आगे लेकर आएं। पाकिस्तान में अगर ऐसी आतंकवाद विरोधी ताकतें हैं तो जासूसी ताकतों को साथ लेकर पूरी दुनिया के पैमाने पर आतंकवाद से लड़ें, इसमें कामयाबी मिलेगी और देश की जीत होगी।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री, तिरु पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए वक्तव्य का स्वागत करता हूं। इसे व्यापक, रचनात्मक और दूरगामी माना जा सकता है। मुझसे पहले मेरे

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

जिन सहयोगियों और मित्रों ने आतंकवाद के कायरतापूर्ण कार्यों की भर्त्सना की है और सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की है, मैं उनका समर्थन करता हूं।

इसके कोई संदेह नहीं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने और जो लोग भारत को वैश्विक ताकत बनने से रोक रहे हैं उनकी घृणित प्रवृत्तियों को शिकस्त देने के लिए देश को एकजुट होना होगा।

आज, हमने देखा कि हमारे विपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने इस सदन में बहुमूल्य सुझाव दिए कि हमें इस संकटकाल में एकजुट होना चाहिए। जब भी वह बोलते हैं, हिन्दु और मुस्लिम धर्म के बारे में बोलते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा धर्म है जिसके विरुद्ध हमें लड़ना है। मैं आडवाणी जी के भाषण का भी समर्थन करता हूं।

हमारे नेता, डा. कलइयार ने भी इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा आतंकवाद से लड़ने में सुरक्षा बलों के सैनिकों और अन्य अर्द्धसैनिक बलों की उत्कृष्ट भूमिका की सराहना की तथा उन्होंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा था।

महोदय, मैं यहां 26 नवम्बर को मुंबई के ताज होटल, ओबेराय होटल और नरीमन हाउस सहित विभिन्न स्थानों पर हुए अति भयावह हमलों की निंदा करता हूं जिनका हमारी पुलिस, सुरक्षा बलों, नौसेना कमांडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों द्वारा करारा जवाब दिया गया।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मेरा नाम मेंशन किया कि जब कंधार में आतंकवादियों को भेजा गया तब उसमें मैं भी था और माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे जबकि हम इसमें नहीं थे।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें मनमोहन सिंह जी भी थे और लालू जी भी थे। उसमें सारी पार्टियों के लीडर थे, जिसमें फैसला हुआ था।... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप हमें लाकर दिखाइए। आप गलत बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* गलत बोलने से तो आप हार गए हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं भी उस मीटिंग में था जिसमें आप थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ कराने के लिए कोई भी कदम उठाएं, उसको तय किया गया।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैं इस तरह के काम में नहीं जाता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, वह मेरा नाम गलत ले रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं नाम दे दूंगा। उनमें मनमोहन सिंह जी, मुलायम सिंह जी और आप भी थे।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : इस तरह के काम में मैं नहीं जाता।... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसमें सभी नेता थे।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : नहीं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कैसे नहीं?

श्री लालू प्रसाद : ये काम आप ही कर सकते हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णास्वामी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए. कृष्णा स्वामी : महोदय, आतंकवादियों द्वारा 26 नवम्बर को किए गए बम धमाकों और हमलों में दुर्भाग्यवश 164 लोग मारे गए और उनमें 26 विदेशी नागरिक थे। इन घृणित कार्यों की जितनी भी निंदा की जा जाए वह कम है। हम एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए जीवन का बलिदान दिया। हम आतंकवादी रोधी दस्ते। एंटी टैररिस्ट स्कवैड) के तत्कालीन प्रमुख और अन्य अधिकारियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। हम उन बहादुर सैनिकों और अधिकारियों को नमन करते हैं जो मुंबई में विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर रखे गए निर्दोष लोगों और विदेशी नागरिकों की जान बचाते हुए और उन्हें रिहा कराते हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। हम शोक संतप्त परिवारों

के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आतंकवादियों द्वारा निर्दयता से मारे गए लोगों और विदेशी नागरिकों के परिवारों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन आतंकवादियों की चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना करें और यह भी आग्रह करता हूं कि राज्य और केन्द्र स्तर पर आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय पर कार्रवाई की जा सके। मैं केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से कई राज्यों में भारत रिजर्व बटालियन बनाए जाने के सरकार के निर्णय की प्रशंसा करता हूं। उसी प्रकार, सभी राज्यों में भविष्य में ऐसे खतरों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता से एनएसजी की तर्ज पर विशेष कार्य बल अथवा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जिस पर राज्य सरकारों का नियंत्रण हो। मैं विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस बलों के कमांडो एककों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव का भी स्वागत करता हूं। विभिन्न राजयों में पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है जैसा राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस मुद्दे पर जोर डाला है।

महोदय, आतंकवादियों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमलों से राज्य सरकारें नहीं निपट सकती है; जहां कहीं भी यह घटित होता है यह राज्य पुलिस द्वारा नहीं निपटा जा सकता है क्योंकि राज्य पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और अन्य छोटे अपराधों को देखती है। आतंकरोधी दस्ता बलों में वृद्धि करने एवं इसे मजबूत करने के लिए केन्द्र को नौसेना कमांडो, एनएसजी इत्यादि प्रदान कर इसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। किंतु साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा और आतंकरोधी कदमों को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो कुछ भी कदम उठाए जाएं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य सरकार के अधिकारों और क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण न हो।

महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे तमिलनाडु राज्य के नागरिकों से एक एसएमएस संदेश मिला है। संदेश इस प्रकार है: "एक ओलम्पिक निशानेबाज एक खिलाड़ी को तीन करोड़ रुपए मिलते हैं; किंतु एक वास्तविक निशानेबाज आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा जाता है और सरकार से उसके परिवार को केवल पांच लाख रुपए दिए जाते हैं।" यह एसएमएस मुझे प्राप्त हुआ है। एक वास्तविक निशानेबाज को केवल पांच लाख रुपए मिलने है किंतु खिलाड़ी निशानेबाज को तीन करोड़ रुपए मिले हैं। अपनी जान न्यौछावर करने वालों के परिवारों को दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। इसे अवश्य किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करता हूं जिसे आतंकवादी कृत्यों की एकमत से भर्त्सना करने और विश्व समुदाय को स्पष्ट संकेत देने के लिए, कि भारत एक है और इस देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सदन के समक्ष रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषण अभी यहां चिदम्बरम साहब और प्रणव मुखर्जी साहब ने दिये थे, उन भाषणों को सुनकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई। उन भाषणों में जिन बातों को उल्लेख किया गया, उसमें श्री प्रणव मुखर्जी साहब की भाषा काफी कठोर और सख्त थी और मुझे कई बार लग रहा था कि वह भाषण हमारी तरफ से दिया जा रहा है, इस प्रकार की बातें उसमें दिखाई देती थीं।

महोदय, मुम्बई में जो कांड हुआ, यह सारे देश के लिए एक शोक का विषय तो है ही, परंतु यह राष्ट्रीय शर्म की बात भी है। उसमें चिदम्बरम साहब ने माफी मांगी, श्री शिवराज पाटील का इस्तीफा हो गया, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का इस्तीफा हो गया, महाराष्ट्र के उप-मुख्य मंत्री का इस्तीफा हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं हुई है। वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठे होकर, मोमबत्तियां जलाकर सारे राजनीतिज्ञों के बारे में एक तरह की अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग किया। सारे देश में क्रोध है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु इस बारे में कुछ बातों का उल्लेख करना इसलिए भी जरूरी है कि क्या यह घटना एक आकस्मिक घटना थी। प्रणव जी ने कहा कि यह घटना एक सिस्टम के थ्रू, एक षड्यंत्र के थ्रू हुई और यह बात भी कही गई कि पाकिस्तान चार युद्धों में जब हिन्दुस्तान को नहीं हरा सका, हमने उनके 91 हजार कैदियों को अपनी कैद में ले लिया था। उसके बाद उसने तय किया कि इसे बदला जाए और हिन्दुस्तान को थाउजैन्ड कट्स, हजार जगहों पर घाव दिये जाएं, जिससे ब्लीड होकर हिन्दुस्तान एक तरह से खत्म हो जाए और इस पर बाद में एज ए स्टेट पालिसी वहां की सरकार की नीति के मुताबिक इस आतंकवाद को प्रश्रय दिया दिया, आतंकवाद को पैसा दिया गया और आतंकवाद बढ़ाने के लिए वहां पर सारी घटनाएं की गईं। अब इस बात पर हाउस को डिवाइड नहीं होना चाहिए। हाउस को इस पर मिलकर काम करना चाहिए, यह बात ठीक है। परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस ने दो प्रस्ताव सामूहिक तौर पर पहले भी पास किये थे। जब चीन का आक्रमण हुआ, तब एक प्रस्ताव पास किया और चीन के आक्रमण के समय, जब आक्रमण चल रहा था तो श्री जवाहर लाल नेहरू ने हाउस में एक प्रस्ताव रखा था।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

वह इसी प्रकार का प्रस्ताव था और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि अपनी एक इंच जमीन तक को छुड़ाये बिना हिंदुस्तान कभी चैन से नहीं बैठेगा। परंतु उस प्रस्ताव का क्या हुआ? खड़े होकर यूनेनिमस रेजोल्यूशन दोनों हाउसेज में हुआ और उस प्रस्ताव का आज कोई नामो-निशान नहीं है। हमारी चालीस हजार मील जमीन चाइना के पास है। हम उससे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत ऐसे ही जारी है।

दूसरा प्रस्ताव इस हाउस में पाकिस्तान के बारे में पास किया गया। जब इस प्रकार की घटना हुई थी तो पाकिस्तान के बारे में श्री नरसिंहराव जी ने यहां प्रस्ताव रखा था। उसमें यह कहा गया कि केवल एक काम बाकी है—पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेना। यही एक काम बाकी रह गया है और सारा हिन्दुस्तान इस बात का संकल्प करता है कि हम उस जमीन को वापस लेंगे। आज उस जमीन को वापस लेने की कोई बात नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा कहना है कि हम जो प्रस्ताव यहां पारित कर रहे हैं, इस प्रस्ताव का हश्र क्या होगा?

अभी मुम्बई कांड हुआ और उसके बाद गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया। क्या इसके बाद कोई कांड नहीं होगा, क्या कोई इस बात का आश्वासन देगा कि पाकिस्तान फिर से ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा और यदि वह ऐसी कार्रवाई फिर से करेगा तो क्या किया जायेगा, इसके बारे में न प्रस्ताव में कोई बात कही गई है और न सरकार की ओर से कोई बात कही गई है। मैं इन चीजों के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप देखें, यहां कितनी बार इसकी चेतावनी हुई, एक, दो, तीन या चार बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ। अभी हमारे मित्रों ने इसका जिक्र भी किया कि 26 नवम्बर को हमला होता है और 22 नवम्बर को श्री शिवराज पाटील कहते हैं-

[अनुवाद]

प्रदेश के भीतर आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए हमें यह देखना है कि भारत और मित्र देशों के समुद्री रास्तों और इनकी सीमाओं के माध्यम से अन्य देशों से आतंकवादियों की घुसपैठ न हो। तटीय क्षेत्र की नौसेना, तट रक्षकों और तटीय पुलिस बलों द्वारा सुरक्षा की जानी चाहिए विशेष बल और सीआईडी को लोगों की पहचान करनी चाहिए, इत्यादि..."

[हिन्दी]

चार दिन पहले उन्होंने यह बात कही और चार दिन के बाद यह घटना हो गई। उससे पहले 13 नवम्बर, 2008 को 13 दिन पहले प्रधान मंत्री कह रहे हैं,

[अनुवाद]

"समुद्र के रास्ते आतंकवाद और खतरा राज्य के अधिकारियों के लिए चुनौती रही है।

[हिन्दी]

इससे पहले कम से कम 15 बार चेतावनी दी गई कि सी-रूट से यह होने वाला है। लक्षद्वीप के रास्ते से पाकिस्तान के लोग वहां आते हैं, आकर अपने अड्डे कायम करते हैं और फिर वहां से अपनी सारी कार्यवाहियां करते हैं। आपने सुरक्षा के नाम पर वहां केवल एक गार्ड और एक इंस्पेक्टर लगा रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि ताज होटल के मालिक को इस हमले की चेतावनी दी गई थी कि ताज पर हमला होगा। हमारे दोस्त कह रहे थे कि रामपुर में जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उसने कहा कि ताज होटल पर हमला होगा। ताज होटल के अंदर सात दिन तक सुरक्षा रखी गई, फिर उस सुरक्षा को हटा दिया गया। हमारे मित्र कह रहे थे, जिस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने ए.टी.एफ. के बारे में जिक्र किया या अन्य बातों के बारे में कहा। मेरा कहना है कि इन बातों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं कार्यवाही की गई? सन् 2005 से कोस्टल गार्ड की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है लेकिन 2008 तक कोस्टल गार्ड पुलिस स्टेशन कायम नहीं किया गया। कोस्टल गार्ड पुलिस स्टेशन के लिये धनराशि रखी जानी चाहिये, जिसे सरकार ने नहीं रखी। कोस्टल गार्ड नौसेना पर इलजाम लगा रहे हैं, नौसेना के चीफ रॉ पर लगा रहे हैं, रॉ होम मिनिस्टर पर लगा रहा है। यह तो एक तरह से सिविल वॉर हो रहा है। इसके बारे में विचार करने की जरूरत है कि आखिर कहां गलती हुई है? सरकार ने कहा कि इन सब बातों का विवेचन करेंगे। अभी तक किसी अधिकारी के सामने बात नहीं आई। रॉ कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को सूचना दी, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने नौसेना को सूचना दी और नौसेना कह रही है कि हमने महाराष्ट्र सरकार को सूचना दी। इस तरह सभी एक-दूसरे को सूचना देने की बात कह रहे हैं लेकिन यह कब से चल रहा है? अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि यह केवल एक दिन की बात नहीं है। ऐसा लगातार कई दिनों से चल रहा है। मैंने यह सब इसलिये कहा क्योंकि सारे देश में गुस्से की लहर है और इस लहर के कारण आपने यह प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में आपने जिक्र किया है। *[अनुवाद]* जब तक आतंकवादी और जिन्हें प्रशिक्षण, धन दिया गया है और दुष्प्रेरित किया

है, को सामने लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं कर देता, भारत अपने प्रयास तब तक बंद नहीं करेगा। *[हिन्दी]* हमारे यहां लोग कह रहे थे कि आतंकवादियों के टुकड़े कर दिये जाने चाहिये परन्तु क्या मैं गृह मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि *[अनुवाद]* "हम उन्हें न्याय के कटघरे तक लाएंगे" *[हिन्दी]* जस्टिस होने के बाद, आज तक निचली कोर्ट से ऊपर कोर्ट तक ने पार्लियामेंट पर हमला करने वाले अफजल के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई, जिसे आपने चार साल से रोक रखा है, आखिर क्यों रोक रखा है? यह घटना आज से सात साल पहले हुई और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा-ए-मौत दी। अगर आतंकवादी को लगे कि पहले तो वह पकड़ा ही नहीं जायेगा, पहले उसकी सूचना ही नहीं मिलेगी, अगर सूचना मिल भी गई तो यहां आने के बाद मारा नहीं जायेगा, अगर पकड़ा भी जाता है तो सजा ही नहीं होगी और अगर सजा हो भी गई तो उसे एक्जीक्यूट नहीं किया जायेगा-*[अनुवाद]* इच्छा शक्ति कहां है? *[हिंन्दी]* आप कह रहे हैं कि आतंकवाद को कुचलने के लिये पाकिस्तान पर हमला करने से हल नहीं हो सकता है। अगर यह हल नहीं तो फिर क्या है? आतंकवादी को पकड़ने के बाद, सजा-ए-मौत होने के बाद अभी उसे माफी देने के लिये फाईल 6 साल तक दबा कर रखी, क्या आतंकवाद से मुकाबला करने का यह तरीका है? मैं इसका जिक्र इसलिये करना चाहता हूं कि अभी बाटला हाऊस में केस हुआ। उसके बारे में पुलिस को सारी सूचना थी और होम मिनिस्टर के यहां की पुलिस को थी। इंस्पैक्टर मूल चंद शर्मा की शहादत हो गई लेकिन उस पर भी सवाल खड़े किये जा रहे हैं। यह कोई गुजरात की पुलिस नहीं थी, आपके अपने यहां की पुलिस थी जिसने वहां रेड किया और इसमें मूल चंद शर्मा मारे गये। इस मुठभेड़ में दो आदमी पकड़े भी गये। उसका पता लगने के बाद अगले दिन महरौली में घटना हो गई। इस प्रकार की घटनायें कब तक चलती रहेंगी? यहां जो भाषा कही गई है, वह आपके नेता ने कही है कि हम आपके साथ हैं, आखिर इस सवाल का कोई जवाब है जो आप कह रहे हैं कि *[अनुवाद]* "भारत एकता, संप्रभुता और अंखडता के विरुद्ध सभी बुराईयों का दृढ़ता से मुकाबला करेगा।" *[हिन्दी]* सारी दुनिया में ईराक को छोड़कर हिन्दुस्तान सब से ज्यादा आतंकवाद से प्रताड़ित है परंतु इतना प्रताड़ित होने के बावजूद पाकिस्तान से लड़ाई करना मुनासिब नहीं होगा, यह आप कह रहे हैं। फिर आतंकवाद से आप कैसे मुकाबला करेंगे? हिन्दुस्तान में कोई लॉ नहीं है, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात और हो सकती है?

हिन्दुस्तान अकेला एक बदकिस्मत देश है, जहां 80 हजार से ज्यादा लोग मारे गये हैं। हमारे चारों युद्धों में जितने सेना के जवान मारे गये, पाकिस्तान से हमारी चार लड़ाईयां हुई हैं, चारों लड़ाईयों में हमारे जितने सैनिक और अर्द्धसैनिक बल के जवान मारे गये हैं, उससे दुगने से ज्यादा आतंकवादियों के हाथों मारे गये हैं। हमने बहुत जोर से इस बात को उठाया है। आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए जिन शहीदों ने शहादत दी है, हम उनको नमन करते हैं। यह कहा गया कि हमारे जवान 303 रायफल के साथ लड़ रहे थे और वे ए.के. 47 लेकर आये थे। हमने अपने जवानों को ए.के. 47 क्यों नहीं दीं? हमने अपने जवानों, कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं और दूसारे हैं, उनको पूरी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराई? आपने गृह मंत्रालय के बजट में ये बातें क्यों नहीं रखीं? यह बात तीन साल से कही जा रही हे कि सी-रूट से हमला होगा। अगर मैं तीन साल का सारा विवरण बताना चाहूं तो कम से कम बीस बार वार्निंग दी गई है कि सी-रूट से हमला होगा। अभी आडवाणी जी ने उसको पढ़कर सुनाया था। शिवराज पाटिल जी के 2006 के बयान में क्लियरली लिखा है कि हिन्दुस्तान पर सी-रूट से हमला होने वाला है। इसके लिए सावधानी क्यों नहीं बरती गई? अगर सावधानी बरती नहीं जानी है, केवल यह प्रस्ताव पारित कर देना है और यह केवल प्रस्ताव ही रह जाएगा, तो हम आपसे यह जरूर पूछना चाहते हैं कि क्या इसी प्रकार से आतंकवाद का मुकाबला होगा? पोटा कानून नहीं होगा, पोटा कानून नही है, तो चिदम्बरम कानून बना दीजिए, राजीव गांधी एन्टी टेरेरिज्म लॉ बना दीजिए। कोई एन्टी टेरेरिज्म लॉ हिन्दुस्तान में हो तो सही। इंग्लैंड के अंदर केवल एक लॉ है और उसका नाम उन्होंने पैट्रियाटिक लॉ रखा है। वह हमसे कहीं ज्यादा सख्त है।

मानवाधिकारों का हनन करने की बात यहां आती है। मानवाधिकारों के हनन की बातें मानव के लिए होता है, शैतानों के लिए नहीं होता है। जो औरतों और बच्चों को मार डालें, यहां पर आकर लोगों को खत्म कर दें, उनके खिलाफ बहुत भावना व्यक्त की जा रही है, सारा हाउस भावना व्यक्त कर रहा है, परंतु भावना व्यक्त करने के बाद भी, उसके खिलाफ कोई कानून कहां है? इसमें लिखा हुआ है कि आतंकवादियों के पास अकूत धन है, अनलिमिटेड रिर्सोसेज हैं। उनके पास बेइंतहा पैसा है। उस पैसे से वे लोगों को खरीद भी सकते हैं, वैहिकल भी खरीद सकते हैं, सी-रूट से भी आ सकते हैं, नावें भी ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनकी सरकार भी पीछे खड़ी है। प्रणव जी कहते हैं कि ये सरकार से बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग कहां से आये हैं – कोई आसमान से तो नहीं टपके हैं, पाकिस्तान से नहीं आये हैं। पाकिस्तान को वार्निंग देते हैं तो वे एक जगह से दूसरी जगह बदल लेते हैं। एक जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी से हटकर तीसरी जगह चले जाते हैं, इतना पैसा उनके पास है। उनको पकड़ने के लिए कौन सा कानून है? आपके द्वारा कोई कानून न बनाना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नाकामी, इससे ज्यादा गलत बात, इससे ज्यादा आतंकवादियों को प्रश्रय देना, आतंकवाद का समर्थन करना – यह नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तान में उसके लिए कोई कानून न हो। आपने जिक्र नहीं

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

किया कि हम कोई ऐसा हार्ड एन्टी टैररिज्म लॉ बनाएंगे, जिससे टेररिस्टों में कोई आतंकवादियों में आतंक नहीं है और सारी जनता आतंकित है, सारा देश आतंकित है, सारा देश सहमा हुआ है। अभी कल परसों ही आया है कि दिल्ली निशाने पर है। कल रात को दिल्ली में एक छोटी सी घटना हुई, सारी दिल्ली सहम गई, सब एक-दूसरे को फोन कर रहे थे। किसी ने वहां कोई सामग्री रख दी थी। इससे सारी दिल्ली दहली हुई है। लोग इस बार रामलीला, दुर्गा पूजा में नहीं गये। दिल्ली सहमी हुई है, सारा हिन्दुस्तान सहमा हुआ है। आप कहते हैं कि हम बड़े जोर से मुकाबला करेंगे। हमारे नेता ने आपसे कहा है कि आप कदम उठायें, हम आपके साथ हैं। आप कदम उठाये तो सही, आप पोटा बनाइए, हम आपके साथ हैं। आप यहां पर आतंकवादियों को सजा दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपका साथ इस बात पर नहीं दे सकते कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी भी तरह आतंकवादियों को छोड़े रखें, आतंकवादियों के खिलाफ कदम न उठाएं, आतंकवाद को फैलने दे। आपके नारायणन साहब ने कहा कि– *[अनुवाद]* भारत में 800 ऐसे गुट हैं जिन्हें आईएसआई द्वारा धन दिया जा हरा है। *[हिन्दी]* उनको यह मालूम होगा तभी उन्होंने आपसे जिक्र किया है। आप उन 800 को स्मैश कीजिए। अगर आप उन 800 को स्मैश करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई भी जोरदार कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं और पूरा देश आपका साथ देगा, किन्तु यह नहीं हो सकता है कि आप कोई कदम न उठाएं, अपने सी-कोस्ट को भी खुला छोड़ दें और बांग्लादेश के मार्फत आयें, असम के अंदर पाकिस्तानी झंडे लहरायें और कोई कदम न उठाएं। क्या गृह मंत्री जी आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि असम के अंदर जिन्होंने पाकिस्तानी झंडे लहराये, और झंडे लहराकर वहां डेढ़ सौ आदमी मार दिये, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, उनको टीवी पर दिखाया गया। आखिर लोग कहते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाएं, तो कोई कार्रवाई नहीं। अगर सरकार चाहे कि उनको इस बात पर समर्थन किया जाए कि बंगलादेश हो या पाकिस्तान हो या कोई और सेन्टर हो, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करें और केवल भाषा से, कागज की तलवारें चलाएं उससे आतंकवाद मिटने वाला नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सारा देश इस समय आपका साथ दे रहा है। यह समय है कि आप कठोर कार्रवाई करें। एक बात यहाँ कहीं गयी कि ऐसा नहीं हो सकता। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो कैसे होगा? अगर वे एक आंख फोड़ते हैं तो उनकी दोनों आंखें नहीं फोड़नी, अगर उन्होंने एक दांत तोड़ा है तो उनका जबड़ा नहीं तोड़ना, अगर इस प्रकार की बात नहीं करनी तो कोई घबराएगा कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा। इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। यह एक रिजॉल्यूशन है – हम रिजॉल्यूशन पास करते हैं कि आतंवाद को कभी सफल नहीं होने देंगे। ऐसे रिजॉल्यूशन तो बीसियों बार पास हुए और मैंने आपको बताया कि चाइना के खिलाफ वार के समय का रिजॉल्यूशन हुआ, पाकिस्तान के संबंध में रिजॉल्यूशन हुआ, उन सब रिजॉल्यूशन्स को बाद में सारी दुनिया भूल जाती है। अगली घटना कभी घटी तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्या फिर यही होगा कि एक और गृह मंत्री को हटा दें और अगर एक और कांड हो गया तो फिर तीसरा बना दें इसमें जॉइंट रिस्पान्सिबिलिटी होती है। गृह मंत्री की जिम्मेदारी सारी बातों को नहीं है। परंतु इस समय हमने कहा नहीं है, आडवाणी जी न इसका उल्लेख नहीं किया कि जाना चाहिए था तो सारी सरकार को जाना चाहिए था। परंतु इस समय जिस तरह की स्थिति में आप काम कर रहे हैं, उसमें कम से कम रिजॉल्यूशन में तो पोटा को वापस लाने का, एंटी टैरर ला बनाने की बात होनी चाहिए थी। जो आप सेन्ट्रल जांच एजेन्सी बनाने की बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि एक फैडरल जांच एजेंसी होनी चाहिए, पर वह अगर बिना कानून के होगी तो क्या काम करेगी? एक फैडरल एजेन्सी को अगर सिर्फ ला एंड आर्डर मेनटेन करना है, केवल उसने किसी चोर या डाकू को पकड़ना है, कोई कानून नही है तो फिर ला एंड आर्डर तो स्टेट सब्जैक्ट है। कोई स्टेट क्यों मानेगा? आप फैडरल एजेंसी बनाएं। उसके पीछे कोई जोरदार पैट्रियॉटिक लॉ रखें। जैसा कानून इंग्लैंड में है, अमरीका में है, ऐसा कानून उसके साथ रखें तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम भी उस फैडरल एजेन्सी का पूरा समर्थन करेंगे बशर्ते कि उसके हाथ में आतंकवाद को रोकने लिए कोई बड़ा कानून हो। आज दुर्भाग्य से यह हो गया है कि पैट्रियॉटिस्म या पेट्रियाट या नेशनलिज्म माने गाली सी हो गई है। नेशनलिज्म की बात करना, पैट्रियाटिज्म की बात करने को कहा जाता है कि यह कम्यूनल है, इसे कम्यूनल बातें कहकर हटाया जाता है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमने आपको पूरा समर्थन दिया है, सारा सदन और सारा देश समर्थन दे रहा हैं उसको लेकर आप कोई कड़ी कार्रवाई करिये और वह कड़ी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बाद आतंवाद रुके। ऐसा न हो कि फिर कोई आतंकवादी घटना हो और हमें फिर ऐसा प्रस्ताव पास करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमने लोक तांत्रिक व्यवस्था को यहां स्वीकार किया है। इस व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष का होना स्वाभाविक है। इस लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में जब हम चुनाव के माध्यम से सत्ता में आते हैं तो

चुनावी मुद्द होना स्वाभाविक है। जब कोई चुनावी मुद्दे की बात बनती है तो विवाद होना, मतभेद होना लोकतंत्र में स्वाभाविक है। इसलिए कई बार इस सदन में भी हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। कई बार हम एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। अनेक मुद्दे ऐसे हैं, जिनमें मतभेद होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, इसके बावजूद हमारे देश का यह इतिहास रहा है कि जब भी देश में पर हमला हुआ है, तब हम सारे विवादों, मतभेदों और सारी राजनीति को भूल कर देश की रक्षा करने में एक रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, उसके साथ हम एक रहे हैं। यह हमारा इतिहास रहा है और उसी इतिहास को आज इस सदन में दोहराया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने सही दिशा में इस चर्चा को शुरू किया। मुंबई में जिस प्रकार से आतंकियों के हमले हुए, उनमें जो शहीद हुए, उसमें चाहे पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी, एनएसजी के कमांडो या जो भी हमारे कर्मचारी हों, जो देशी-विदेशी नागरिक शहीद हुए, उनके प्रति कल इस सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने जान हथेली पर लेकर सारे आतंकवादी हमले से मुकाबला किया। 60 घंटे तक यह संघर्ष चलता रहा, उसके बाद हमारे एनएसजी और पुलिस को सफलता मिली। इसलिए उन सारे वीरों को, जिनके प्रति हमें गर्व है, पूरे देश को उनके प्रति गर्व है।, उनका सम्मान भी इस सदन में किया और देश ने भी किया। उस आतंकवादी हमले की सफलता के बाद, आडवाणी जी ने जिस बात का यहां जिक्र किया, मीडिया ने एक जवान से पूछा कि आज जब सफलता मिली है, आपने आतंकवादी हमले पर काबू पाया है, आतंकवादियों को खत्म कर दिया है तो आपको कैसा लगता है, उन्होंने उसका जो जवाब दिया, मैं उसे यहां दोहराना चाहता हूं। उस जवान ने यह कहा कि हमारे पास इस देश में इतनी ताकत है कि हमारे ऊपर कोई भी हमला हो, उससे मुकाबला करने की एवं टकराने की ताकत हम में है। हम हर हमले में दुश्मन से जीत सकते हैं, टकरा सकते हैं। हर हमले से टकराने की ताकत हम में है। उसका दूसरा अर्थ यह निकलता है कि हमारी सेना, एनएसजी एवं पुलिस सक्षम है, सिर्फ राजनीतिक हौसले की आवश्यकता है। सबसे बड़ी कमजोरी यदि है तो वह आज पोलिटिकल विल की है। हम सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्यवाही होनी चाहिए या कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, उसके लिए जो पोलिटिकल विल चाहिए, दुर्भाग्य से उसकी आज कमी है। इसलिए आज सारे देश की जनता हम पर नाराज है। एसएमएस सभी को आते हैं और वे यही कहते हैं कि हम इस देश के जो राजनीतिज्ञ एवं पोलिटिशियंस हैं, उन पर नाराज हैं। जनता यह मानने लगी है कि इनमें ताकत नहीं है, आतंकवाद से लड़ने और इसे रोकने के लिए ये सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार की नाराजगी आज देश की तमाम जनता में है। इसलिए किसी भी राजनीतिक समर्थन के बगैर, जो दो लाख से ज्यादा लोग वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, उनका जो क्रोध एवं गुस्सा था, उसे टी.वी. पर हमने देखा है, अखबारों में पढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया। मुझे याद है कि जब भी आतंकी हमले देश पर हुए, चाहे वह मुम्बई में जुलाई में रेलों में आतंकवादियों का हमला हो, उसके बाद जयपुर का हमला हो, उसके बाद दिल्ली में हमला हुआ, वह हो, हर बार जब यह चर्चा इस सदन में आई, तब कभी भी इस बात को गृह मंत्री ने स्वीकार नहीं किया कि यह आई.बी. की या हमारी असफलता है। पहली बार, गृह मंत्री जी ने मुंबई हमले के बाद, इस बात को स्वीकार किया है कि यह हमारी या आई.बी. की असफलता है। उन्होंने मुम्बई जाकर इस बात को स्वीकार किया और स्वयं एपोलौजी मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने मुम्बई जाकर कहा कि जो हमारी कमी रही या जो हमारे विफलता है, उसके लिए मैं क्षमायाचना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल केवल क्षमायाचना करने का नहीं है। यह तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया। मैं उनके बारे में एक बात और कहूंगा कि जब उन्होंने आज प्रातः यहां स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने दो बिल लाने का जिक्र किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में सुबह इस बात का जिक्र किया कि सऊदी अरब से इन सारे आतंकवादियों को धन मिल रहा है और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था, आई.एस.आई. की तरफ से इन्हें आतंकवादी कार्रवाइयों हेतु इंटैलीजेंस मिल रही है। इन दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें अच्छे कानून की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वे दो बिल लाना चाहते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सदन में इन बिलों पर हमें समर्थन मिले और उन बिलों को हम इसी सत्र में पारित करना चाहते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे, जो भी बिल लाएंगे, उनका समर्थन यह सदन करेगा। उनका विरोध बिलकुल भी सदन नहीं करेगा। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। इसमें राजनीति करने का कोई सवाल नहीं है।

महोदय, आज सुबह जब प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी बोल रहे थे, तब उन्होंने पोटा का जिक्र किया। मैं इस चर्चा को किसी दूसरी दिशा में नहीं मोड़ना चाहता हूं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, जो दिशा दी है, मैं भी उसी दिशा में बोलना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि सख्त से सख्त और कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है। अतः कम से कम इतना साहस तो इस सरकार को अवश्य दिखाना चाहिए कि जो धन आतंकवादियों को सऊदी अरब से मिल रहा है, उस धन का हमारे

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

राष्ट्र के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है और आतंकवाद का हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है या इन आतंकवादियों को आई.एस. आई. के माध्यम से जो इंटैलीजेंस का सपोर्ट मिल रहा है, उसे रोकने के लिए हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में आतंक का साया छाया हुआ है। जो गुस्सा हमारे देश में है और उसे देखकर जब किसी सदस्य ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, तो तुरन्त यहां पर दो राय हो गईं। एक तो हमारे विदेश मंत्री और सदन के नेता ने तुरंत खंडन कर दिया कि पाकिस्तान पर आक्रमण करना आतंकवाद का कोई हल नहीं है। उन्होंने तुरंत यहां पर कह दिया कि आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान पर हमला करना कोई हल नहीं है। इसके बाद हमारे कई दूसरे सदस्यों ने भी कहा कि पाकिस्तान पर हमला करना आतंकवाद को समाप्त करने का कोई हल नहीं है।

महोदय, हमले की बात अलग है। आज इस देश की जनता यह चाहती है कि कम से कम हमारी सरकार यह साहस दिखाए और कहे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बन्द नहीं करेगा या आतंकवाद को दबाने के लिए सही कदम नहीं उठाएगा, तब तक पाकिस्तान के साथ भारत के सारे संबंध हम तोड़ देंगे। यह कहने की आवश्यकता है और सरकार को इन सारे संबंधों को तोड़ना चाहिए। हमें पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जब हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुम्बई पर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, उसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, हमारे विदेश मंत्री भी यही कह रहे हैं कि मुम्बई पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के प्रैसीडेंट भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने मुम्बई पर हमला किया, वे सारे पाकिस्तानी हैं। वे इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रैसीडेंट, श्री जरदारी हैं, उनका आपने बयान पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आपको पता लगेगा कि वे इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी हैं, लेकिन वे यह भी कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर में, जब पूरा स्टेटमेंट खत्म हुआ, तब एक तौर पर वे यह कहकर हमें चेतावनी दे रहे हैं, कि यदि हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है - इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के प्रेसीडेंट यह कह रहे हैं कि यदि हिन्दुस्तान इस मामले को लेकर हमला करता है तो पाकिस्तान हिन्दुस्तान से टकराने में सक्षम है - इसका अर्थ क्या होता है? इसलिए सबसे पहले हमें यह फैसला करना चाहिए, सरकार को यह निर्णय करना चाहिए कि जो भी हमारे पाकिस्तान से संबंध हैं, उन्हें तुरन्त खत्म करना चाहिए। प्रस्ताव इस बात का होना चाहिए था, आज सदन में इस बात का प्रस्ताव लाना चाहिए था और सदन से राय लेनी चाहिए थी कि हमें पाकिस्तान से संबंध तोड़ देने चाहिए।

हमारे एक गजल गायक जगजीत सिंह हैं। हमने उनका एक बयान कल अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ए.के. 47 भेजता है, मशीनगन भेजता है और उसके बाद हारमोनियम भेजता है। हमारे एक गजल गायक हैं और गजल गाने वाला बहुत भावुक होता है, जो गजल गायक हैं, वे ज्यादा भावुक होते हैं, वे ज्यादा शान्तिप्रिय होते हैं, वे ज्यादा अहिंसावादी होते हैं, लेकिन इस देश के गजल गायक को भी यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि पाकिस्तान पहले ए. के. 47 भेजता है और उसके बाद हारमोनियम भेजता है। हमें आगे से किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को अपने देश में नहीं आने देना चाहिए, यह हमारे देश का एक गजल गायक कहने लगा है, और हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, हमें किसकी और राय चाहिए?

आज देश की आम जनता चाहती है कि हमें पाकिस्तान से संबंध तोड़ देने चाहिए, तोड़ ही देने चाहिए। जिस दिन हम यह एलान करेंगे, आतंकवाद को सबसे पहला झटका उसी दिन लगेगा कि आज सचमुच हिन्दुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ है। यह उसी समय साबित होगा, हमला तो बाद में करने की बात है। पाकिस्तान आक्यूपाइड कश्मीर के अन्दर जो आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र हैं, उनके ऊपर हमला करने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन सबसे पहले इन सारे संबंधों को खत्म कर दो। हमें समझौता एक्सप्रेस नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमारे यहां से बस वहां पर जाये, यह कोई समझौते का विषय नहीं है। पाकिस्तान आज जिस प्रकार से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वह हम पर यहां हमला करता है।

ये जो आतंकवादी हमले हैं, पहली बार मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमला मुम्बई पर हुआ, लेकिन सरकार ने कम से कम यह तो बयान दिया कि यह हमला मुम्बई पर नहीं, पूरे देश पर हमला है। अब पहली बार हम कम से कम यह अहसास तो करने लगे हैं कि यह मुम्बई पर हमला नहीं है, यह देश पर हमला है और पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान इस बात को पूरी तरह जानता है। पाकिस्तान को इस बात का अहसास है कि आम युद्ध, डिक्लेयर्ड वार में पाकिस्तान हमसे कभी जीत नहीं सकता और इसीलिए उन्होंने आतंकवाद के नाम पर यह छिपा युद्ध शुरू किया है। कहते हैं कि यह लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक प्रकार से यह हमारे देश के खिलाफ चलाया हुआ अघोषित युद्ध है। यदि हमें आतंकवाद से टकराना है, आतंकवाद

पर काबू पाना है तो भारत सरकार को भी यह कहने की आवश्यकता है कि यह हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी हमला नहीं, यह हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा चलाया हुआ युद्ध है और युद्ध के स्तर पर ही हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, और आवश्यकता होगी तो हम इस स्तर पर इसका मुकाबला करेंगे। कम से कम यह कहने का साहस तो हमें दिखाना चाहिए। जब तक हम यह साहस नहीं दिखाएंगे, हम इस पर कैसे काबू पाएंगे। कल रात को किसी अनजान जगह पर कनाट प्लेस में एक चीज मिली थी और 11 बजे आज तक में एक खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि आर.डी.एक्स. मिला या कुछ आतंकी विस्फोटक सामान वहां पर मिला।

इससे पूरी रात दिल्ली सो नहीं पायी। हमारी क्या हलात है? हमारा सार्वभौम देश है। सौ करोड़ से ज्यादा आबादी वाला यह देश है। हमारे पास हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सक्षम सेना है, दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने वाली सेना हमारे पास है, हमारे पास उतनी ही सक्षम नौसेना है, हमारे पास उतनी ही सक्षम आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास केवल राजनीतिक मनोबल नहीं है। यह देश कमजोर है तो सिर्फ राजनीतिक मनोबल के मामले में कमजोर है। अब समय आया है राजनीतिक मनोबल को प्रकट करने का, राजनीतिक मनोबल को दृढ़ करने का और यह कहने का कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा, अभी दो दिन पहले कोंडालीजा राइज हमारे देश में आकर वापस गयीं। यहां आकर उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया। पाकिस्तान में जाकर एक बयान दिया और फिर अमरीका में जाकर उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया कि जो टेररिस्ट कैंप पाक आक्यूपाईड कश्मीर में चलाये जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान उन्हें खत्म नहीं करेगा, तो हमें हमला करना पड़ेगा। अमरीका की विदेश मंत्री वहां से ललकार सकती हैं। आडवाणी जी ने कहा कि हमें किसी के बल पर नहीं, इस आतंकवाद से अपने ही बल पर लड़ना होगा, अपनी ही ताकत पर लड़ना होगा और यह दिखा देना होगा कि देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है, चाहे इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े, हम उठायेंगे। इस संदर्भ में सरकार जो भी कदम उठाएगी, यह सदन ही नहीं सारा देश इस सरकार के साथ में होगा।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई नरसंहार के आतंक की घटनाओं का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है।

महोदय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य में यह कहा गया है कि लगभग 164 लोगों (आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों) की जानें गयीं और 308 लोग घायल हुए। मारे गए आम नागरिकों में 26 विदेशी नागरिक थे जो विभिन्न देशों के थे।

महोदय, प्रारंभ में, मैं मारे गए निर्दोष नागरिकों और उनके परिवारों और कई अन्य लोगों की जान की रक्षा करने में अपनी जान न्यौछावर करने वाले बहादुर सुरक्षा कर्मियों को अपनी श्रद्धांजली अर्पित और सम्मान व्यक्त करता हूं।

महोदय, अब देश ने मुम्बई में हुई आतंकी हमले के बाद की स्थिति का सामना किया है। मुझे संतोष का एक असली कारण यह है कि सभी धर्मों के हमारे देशवासियों ने यह दिखा दिया है कि वे एक हैं और यह सबसे संतोषजनक बात है कि उन्होंने अपना गुस्सा और दृढ़निश्चय व्यक्त किया है। किंतु मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सचमुच एक आतंकवादी हमला था या इससे कुछ अधिक था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने इसका ब्यौरा दिया है। मैं मानता हूं कि यह घटना पारम्परिक विशेष बल अथवा कमांडो शैली धावा वाली घटना के समान लग रही थी, जैसाकि हमने पहले भी देखा है यह किसी आतंकी हमला के समान नहीं था।

महोदय, मुझे विश्वास है कि मछली पकड़ने वाली नौका को अगवा कर लेना, समुद्र के रास्ते इनफ्लेटेबल वोट द्वारा घुसपैठ करना, विभिन्न दिशाओं में हमले करना, बाद में आने वाले समूहों जिन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबराय, ताजमहल होटल, नरिमन केन्द्र पर हमला किया था, के रास्ते से पहले आये हमलावरों को हटाना तथा आतंकियों के पास उपकरण और उनके वस्त्र, ये सभी परम्परागत आतंकी हमला की अपेक्षा एक गुप्त विशेष बल का हमला था।

अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राज्य सहायता से प्रायोजित और योजनाबद्ध हमला था। माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने पहले ही देश को कह दिया है कि सरकार के पास स्पष्ट और अकाट्य सबूत हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने पहले ही देश को बता दिया है। उन्होंने देश को बता दिया है कि सरकार के पास स्पष्ट और अकाट्य सबूत है कि लश्करे-तयैबा ने ये हमले किए हैं और इस समूह के अगुवा को पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा प्रशिक्षण और समर्थन दिया गया था।

हाल में भी, गत अगस्त, 2008 को काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर बम हमले के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकारियों और हमला करने वाले आतंकियों के बीच बातचीत इंटरसेप्ट किया तो यह साक्ष्य भी उभर कर सामने आया था। इसलिए ऐसे पर्याप्त

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

सबूत है कि ये सभी हमले पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा योजनाबद्ध ढंग से किए जा रहे हैं और इन्हें समर्थन दिया जा रहा है।

लश्करे तयैबा एक आतंकी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1267 में सूचीबद्ध है और पाकिस्तान में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और अब यह दूसरे नामों से कार्य कर रहा है। अब यह आवश्यक है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा सितम्बर, 2001 में अंगीकृत संकल्प 1373 जो एक आतंकरोधी उपाय है जिसमें यूएन के सदस्य देशों को अधिकार है कि वे आतंकी कार्रवाईयों को रोकने के लिए कदम उठाएं, के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में जाकर मुम्बई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए यद्यपि यूएन सुरक्षा परिषद् ने इस संकल्प 1373 को वर्ष 2001 में अंगीकृत कर लिया है, किंतु इसमें कुछ भी नहीं किया गया हैं पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि जारी रखे हुए है। सारी योजना पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाई जाती है और सहायता दी जाती है। यद्यपि, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों पर पाकिस्तान में भी प्रतिबंध लगा हुआ है, किंतु वे विभिन्न नामों से गतिविधि चला रहे हैं उन्हें धन सहयोग दिया जा रहा है किंतु इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सुरक्षा परिषद् महज संकल्प 1373 को पारित कर मूकदर्शक बनकर इन चीजों को देख रहा है।

भारत के समक्ष चुनौती है कि वह कुशलता और शांतिपूर्वक आतंकी हमलों का प्रत्युत्तर दे। भारत को संकल्प 1373 के शक्तिशाली हथियार के माध्यम से विश्वास और लोकतांत्रिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामले को ले जाना चाहिए। इससे भारतीय कूटनीति और राजनैतिक क्षमताएं प्रदर्शित होंगी। इसकी आने वाले दिनों में अजमाइश होगी। इससे पता चलेगा कि यह सरकार 1373 के अनुदेश का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस प्रकार अनुसरण और उपयोग करेगी जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाया गया है। यह इस सरकार की परीक्षा होगी कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे किस प्रकार उठाने में सक्षम रहती है।

प्रशासन और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के मामले में भी जो संविधान के अनुच्छेद 385 के अंतर्गत इस सरकार का संवैधानिक दायित्व है, विफलता की कहानियों से इस सरकार की क्षमता का पता चलता है।

वास्तव में, भारत ने वर्ष 2009 से आतंकवादी घटनाओं में बहुत लोगों की जानें गवाईं हैं जिनकी संख्या इराक की घटना के बाद से सारे विश्व में लोगों की गंवाई गई कुल जानों के बराबर हैं। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला हुआ हो, आम नागरिक ही मारे गए। उनकी संख्या इराक की घटना के बाद सारी दुनिया में मारे गए कुल लोगों के बराबर है। 75000 से अधिक भारतीय नागरिक, जिनमें सिविलियन और सुरक्षाकर्मी दोनों हैं, आतंकवादी हमले में विगत दो दशकों में अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध में भी, हमने इतने लोगों को नहीं गंवाया है। पिछले 20 वर्षों में, देश ने सुरक्षा कर्मियों सहित 75000 से अधिक लोगों को खो दिया है। इसलिए भारतीय नागरिकों पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला भारत पर हमला है। हमें इस भावना के साथ इस पर विचार करना चाहिए। यह हमला केवल मुम्बई पर ही किया गया हमला नहीं है बल्कि यह भारत पर आक्रमण है और यह आतंकवादी हमला कोई सामान्य हमला नहीं है। वे भारत के विरुद्ध युद्ध का एलान कर रहे हैं।

अत: हमें इन आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमारे देश में आतंकवाद का समूल नाश कैसे किया जाए। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सप्रंग सरकार के चार वर्षों से अधिक अवधि के शासन के दौरान, आतंकवादी घटनाओं में 7,000 लोग हताहत हुए हैं और 25000 आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। साढ़े चार वर्षों में 7,000 हताहतों के आंकड़ें में मुम्बई हमले में मारे गए लोगों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

महोदय, आतंकवाद से निपटने के लिए हमें दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अनेक माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है और इसलिए मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस संख्या के पास आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना आतंकवाद से लड़ना संभव नहीं है।

मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 का आतंकवादी हमला उसी तरह का हमला है जो यूएसए में 9 सितम्बर 2001 को हुआ था। परंतु 7 वर्षों में यूएसए में आतंकवाद संबंधी एक भी घटना नहीं हुई है। 9 सितम्बर, 2001 की घटना के पश्चात्, यूएसए मं सुरक्षा परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। क्या भारत यूएसए की तरह आतंकवाद की चुनौती से निपट सकता है? गृह मंत्री ने यूएसए से अनेक बातें सीखी हैं और अब हमें अपने देश के आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए यूएसए से बहुत सी बातें सीखनी होंगी। मंत्री महोदय क्या आप हमारे देश में यूएसए जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर सकते हैं?

अत:, हमारे देश में ऐसे हमलों की पुरावृत्ति को रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं कुछ सुझावों के रूप में इस प्रश्न

का उत्तर देना चाहता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि तत्वर्ती सुरक्षा हेतु व्यापक रणनीति बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तत्वर्ती राज्यों, नौसेना, और तट रक्षकों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई जाए। गृहमंत्री महोदय क्या आप एकल खिड़की व्यवस्था योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं? आतंकवाद से निपटने के लिए यू. एस. ए. में अपनायी गई एकल खिड़की व्यवस्था को अपनाए जाने की आवश्यकता है। उनका होम लैण्ड सिक्युअरिटी डिपार्टमेन्ट है और उनका एकल खण्ड की व्यवस्था हैं। क्या आप ऐसा हमारे देश में भी कर सकते हैं?

समर्पित फास्ट ट्रैक आतंकवाद-विरोधी न्यायालयों के साथ दृढ़ आतंकवाद-विराधी विधान की आवश्यकता है; केवल विधान से काम नहीं चलेगा; मामलों का निर्णय शीघ्रता से करने के लिए फास्ट-ट्रैक आतंकवाद-विरोधी न्यायालयों की भी आवश्यकता है। अन्यथा, ये मामले सामान्य न्यायालयों में वर्षों तक चलते रहेंगे। और फिर भारतीय बन्दरगाहों पर संदिग्ध जहाजों को रोकने और उनकी तलाशी लेने के लिए भारतीय नौसेना और तट रक्षाकों को अनुमति देने के लिए भी विधान आवश्यक है। वर्तमान में उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई विधान नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि हमारी नौसेना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे जहाज पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र से संचालित किए जाते हैं। अत: इस प्रयोजनार्थ विधान की आवश्यकता है।

सरकार को नौसेना, तट रक्षकों समुद्री पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों में कर्मियों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। जैसा गृह मंत्री ने कहा कर्मचारियों की कमी है। और फिर, 13 बड़े पत्तनों की सुरक्षा नौसेना को सौंपी जानी चाहिए। सरकार से ऐसा मेरा निवेदन है। इसके बाद, 36 छोटे पत्तनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तट रक्षकों को सौंपी जानी चाहिए। क्या माननीय गृह मंत्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे? इसके अतिरिक्त, एकल खिड़की नेशनल मरीन एडवाइजरी अथारिटी बनाई जानी चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने बताया कि वह इस प्रकार की कोई अथारिटी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एक राष्ट्रीय मैरीटाइम एडवाइजरी एथारिटी अथवा इसी प्रकार का कोई प्राधिकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, हमारे पास राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक आतंकवाद-विरोधी डाटा लिंक और डाटा बैंक नहीं है। हमें इसकी भी आवश्यकता है। हमें उन समुद्र से घिरे राष्ट्रों से भी सम्पर्क रखना चाहिए जो आतंकवाद और घुसपैठ की ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

मुंबई आतंकी हमलों के बाद केन्द्र और महाराष्ट्र की गुप्तचर एजेंसियों, तट रक्षकों और भारतीय नौसेना को काफी कुछ उत्तर देने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद कर्मियों ने जबरदस्त बहादुरी और साहस दिखाया है और हमने उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है परन्तु यह अजीब बात है कि उनकी गलती नहीं होते हुए भी उन्हें दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में नौ घंटों का समय लगा - यह सरकार कितनी कुशल और दक्ष है यह इस बात से पता चलता है कि दिल्ली से मुंबई पहुंचने में नौ घंटे लगते हैं - और इस दौरान आतंकवादी घुसे और उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया।

इस सरकार के बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसके पास कार्रवाई करने की न तो इच्छा शक्ति है और न ही संकल्प और इससे भी बदतर यह कि राजनीतिक संरक्षण की आशंका व्यक्त की जा रही है। आतंकी हमलों को रोकने और मौत के सौदागरों को कटघरे में खड़ा करने की सरकार के ढुलमुल रवैये ने देशवासियों को आहत और निराश किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह सरकार राजनीतिक सदमे से उबरेगी और उसमें राष्ट्र को न्याय देने की सद्‌बुद्धि आएगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं पाकिस्तान की धरती पर प्रशिक्षित अपराधियों द्वारा मुंबई में किए गए घृणित आतंकवादी हमले की साफ शब्दों में निन्दा करने में राष्ट्र के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूं। हम इस हत्याकांड की भर्त्सना करते हैं।

भारत केवल एक हैं और हमारे समक्ष उपस्थित आतंकवादी से लड़ने में हम एक रहेगें। हम उन ताकतों, जो भारत को अस्थिर करना चाहते है और देश को कठिनाई में डालने चाहते है, के प्रयासों को विफल कर देंगें। हम उन राष्ट्रीय नायकों का नमन करते हैं जिन्होंने आतंकवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजली देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी। हम इसके शिकार बने शोक संतप्त परिवारों, विशेषकर उनको जो अन्य देशों से आए थे, को अपनी शोक संवेदना भेजते हैं।

सदन एक स्वर में बोल रहा है यह भारतीय लोकतंत्र का निहित शक्ति है। परन्तु हमें रोष, जो कि स्वभाविक है, के साथ-साथ साहस और धैर्य का भी परिचय देना होगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे रोष को गैर-जिम्मेदार लापरवाह कार्य के रूप में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारी प्रतिक्रिया सुदृढ़ और जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। हमें ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए जो पाकिस्तान में आतंकवाद के परामर्शदाताओं को वास्तव में अलग-थलग कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज एक पाकिस्तान नहीं है। अनेक पाकिस्तान हैं। भुट्टो का पाकिस्तान, लोकतंत्र का पाकिस्तान, जैदियों का पाकिस्तान और आतंकवादियों का पाकिस्तान।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध एक कर दे। पाकिस्तान के लोकतांत्रिक ताकतों, जो स्वयं अपने देश में आतंकवाद के शिकार हुए है, के साथ हमारी दोस्ती, दोस्ती के राह को अवश्य आगे बड़ाना चाहिए। भारत में होटल को नष्ट का प्रयास किया गया, उसी प्रकार पाकिस्तान में एक होटल को नष्ट कर दिया गया था। अतः महोदय हमें उन ताकतों, जो विश्व के इस भाग को अस्थिर करना चाहते हैं और जो भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते है के विरूद्ध इस महाद्वीप के उन सभी लोगों के बीच जो लोकतंत्र और आजादी से प्यार करते हैं मैत्री और सहयोग के सेतु का अवश्य निर्माण करना चाहिए।

महोदय, मैंने अपने से पूर्व के वक्ताओं को सुना है। अत्यन्त रोचक भाषण दिए गए हैं। मैं गृह मंत्री के व्यक्तव्य की तारीफ करता हूं और उससे ज्यादा विदेश मंत्री के भाषण की तारीफ करता हूं। इस बहुआयामी समस्या का अत्यधिक-सरलीकरण भारत के लिए खतरनाक है। इस नृशंस घटना का राजनीतिकरण एक घृणित खेल है; यही खेल खेलने का प्रयास किया जा रहा है।

अपराह्न 4.16 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, लेकिन मैं कहूंगा कि एक मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर माननीय गृह मंत्री को देना है या इस पर उन्हें विचार करना है। आत्मचिन्तन की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या 26/11 घटना को रोका जा सकता था। यह एक प्रमुख प्रश्न है। सच्चाई यह है कि एक विशेष खुफिया एर्जेसी ने पाकिस्तान स्थित में एक प्रमुख अल-कायदा नेता का किसी जगह पर किसी अनजान व्यक्ति के लिए अनेक संदेश पकड़े (इन्टसेप्ट) गए थे। तीन संदेश इंटरसेप्ट किये गये थे। यह सरकार को पता लगाना है। 18 सितम्बर को कंप्यूटरों ने एक संदेश पकड़ा था और यह उपग्रह वर्तालाप थी। इसमें यह कहा गया था कि बम्बई में गेटवे आफ इंडिया स्थित एक खास होटल में एक आपरेशन की योजना बनाई जा रही है। यह काफी पहले, 18 सितम्बर की बात है। छः दिन बाद भारत की प्रमुख खुफिया एजेन्सियों में से एक ने कम्प्यूटर पर अन्य संदेश पकड़ा था जिसमें भारत का एक कुख्यात अपराधी एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था और कह रहा था कि एक हमला होने वाला है। अगला संदेश खतरनाक था। 19 नवम्बर, की घटना के केवल सात दिन पूर्व, एक विशेष खुफिया ऐजेन्सी ने एक संदेश पकड़ा था। आवाज स्पष्ट थी। जो कहा गया था उसे मैं उद्धृत करता हूं। कहा यह गया था कि "हम रात में 9 और 11 के बीच बम्बई पहुंचेगें"। अब यह माननीय मंत्री जी को बताना है कि क्या इसमें सच्चाई है। लेकिन यह गम्भीर चूक का मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री, श्री ए.के. एन्टोनी ने केरल में एक विशेष नौसेना-सत्र में भाग लेते हुए एक व्यक्तव्य दिया था। यह एक प्रमुख दैनिक 'द हिन्दू' में प्रकाशित हुआ थ। मैं उद्घृत करता हूं:

"एक समय था जब हिमालय क्षेत्र को एक सीमा समझा जाता था, लेकिन अब तटीय क्षेत्र विशेष रूप से हिन्द महासागरीय क्षेत्र (आईओआर)खतरा को समझने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः तटीय सुरक्षा के मामले में हमें ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है।"

महोदय, प्रश्न यह है कि यदि तीन संदेश 'रॉ' द्वारा पकड़े गए थे, यदि माननीय रक्षा मंत्री ने ऐसा व्यक्तव्य दिया था, तब स्पष्ट निष्कर्ष है कि कहिं न कहि कोई अन्तर है, खुफिया एजेन्सियों, देश की खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों के बीच एक निश्चित खाई है। यह स्पष्ट है कि मिली सूचना पर कार्यवाई नहीं की गई थी।

मेरे विचार से एक-जांच ही सच्चाई बता सकती है। अतः मैं जांच की मांग करता हूं और देश को जानना चाहिए कि क्या चूकें हुई थी।

अंत में नौसेना प्रमुख द्वारा जारी व्यक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि यह व्यवस्था की विफलता है। हमने अर्थव्यवस्था में व्यवस्था के विफलता की बात सुनी लेकिन हमने कभी भी सुरक्षा बलों के आपरेशन में व्यवस्था विफलता की बात नहीं सुनी है। वह कौन हैं? वह कोई और नहीं बल्कि नौसेना प्रमुख हैं। अतः महोदय, जब आज राष्ट्र आतंकवाद से लड़ने में, अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने में, पाकिस्तान को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने में राष्ट्र एक जुट होकर सरकार के साथ खड़ा है तब एक अन्य प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। वह यह है कि हमें अपनी घरेलू तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हमारी सुस्पष्ट घरेलू तैयारी भारत पर भावी हमलों को रोकने की एकमात्र गारंटी है। यह आंख के बदले आंख नहीं है; यह पत्थर के बदले पत्थर नहीं है; यह बम के बदले बम नहीं है; यह चुल्दोन्माद नहीं है। यह गारन्टी है। पोटा गारंटी नहीं है। यह गारन्टी हमारी तैयारी है। यह गारन्टी हमारी राजनैतिक इच्छा शक्ति है। यह गारन्टी हमारे राष्ट्र की एकता है। गारंटी यह है कि लोगों को राजनैतिक लाभ उठाने की अनुमति दिए बिना और स्थिति का पक्षपात पूर्ण विचार रखने कि अनुमति दिए बिना आतंकवाद से लड़ने के लिए राजनीति और रंग पर ध्यान दिए बिना पूरा राष्ट्र एक है। यदि ऐसा है तो यही एकमात्र गारन्टी है। पोटा किसी बात की गारंटी नहीं नहीं देता है

जब संसद पर हमला हुआ पोटा लागू था। पोटा निवारक नहीं है। स्थिति का सामना करने की हमारी तैयारी ही एक इसका एकमात्र निवारक है। अतः, महोदय, हमें पहले अपनी आंतरिक स्थिति को सही करना है जो अव्यवस्थित इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में केवल एक ही व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए लेकिन चूक तो हुई है। इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ऐसे किसी व्यक्ति का पक्ष भी नहीं ले रहा हूं जिसने मंत्रिमंडल में स्थान गंवा दिया है। मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं लेकिन मुख्य बात यह है कि केवल एक व्यक्ति पर आरोप न लगाया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए लेकिन अन्य कमियां भी हैं, कई समस्याएं है, खामियां हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और देश में भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शत प्रतिशत त्रुटिरहित तैयारी वाला तंत्र लाना चाहिए।

हमें आसूचना डाटा को एकत्र करने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक मिश्रित मानीटरिंग तंत्र की आवश्यकता है। हमें सूचना एकत्र करने तथा यह जानने कि क्या प्राप्त सूचना पर कार्रवाई हो रही है, एक व्यापक व्यवस्था की आवश्यकता है।

महोदय, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि 26/11 की घटनां दुबारा न घटे, समुचित कदम उठाने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में आम राय कायम करनी होगी। यह संकल्प किसलिए है? मेरे कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि यह संकल्प किसलिए है; यह केवल कागजों पर है क्योंकि इसी प्रकार का एक संकल्प तथा कथित चीनी आक्रमण के दौरान भी पारित हुआ था और भारत-पाक युद्ध के दौरान भी समान संकल्प पारित हुआ था। संकल्प केवल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं जो संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट होकर देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रेरित करता हैं। इसलिए संकल्प की आवश्यकता होती है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

अंततः, महोदय, पाकिस्तान अपनी धरती से होने वाले आतंकवाद पर रोक लगाए, इसके लिए उसे बाध्य करने थे लिए अंतर्राष्ट्रीय आम राय बनाई जानी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की राय बनाई जानी चाहिए।

महोदय, पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। अतः पाकिस्तान के लोगों को भारत के विरूद्ध आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों से अलग रखकर देखा जाना चाहिए।

महोदय, युद्ध का उन्माद नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं को युद्ध के उभाद से अलग रखना चाहिए। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान का आर्थिक तौर पर बहिष्कार अथवा उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ा जाना गलत है।

पाकिस्तान के लोग भी आतंकवाद के शिकार हैं।

महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी से सहमत हूं कि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसके लिए राजनीतिक दूरदर्शिता होनी चाहिए। आतंकवाद को रोकने का रास्ता सीधा-साधा नहीं है। चुनावी लाभ के लिए इसका उपयोग नारे के लिए किया जा सकता है। लेकिन इससे राष्ट्र को लाभ नहीं होने वाला।

अतः महोदय, मुझे पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। हम गंभीर त्रासदी की छाया में जी रहे हैं। अभी राष्ट्र को एकजुट कर दें; संसद को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाये; संकल्प से नई पहल करें और संपूर्ण विश्व को यह बताए कि भारत में विद्यमान मतभेदों के बावजूद स्थिति से लड़ने के लिए सभी पूर्णतः एकजुट है। यही संकल्प, यही दृढ़ता और केवल यही आश्वासन महत्वपूर्ण होना चाहिए कि केवल सरकार सरकार की सहायता करनी है। ऐसा करके हम केवल सरकार की सहायता नहीं कर रहे है, हम राष्ट्र की सहायता कर रहे रहे हैं, हम स्वयं की सहायता कर रहे है ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके।

अतः मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से सहमत हूं और संकल्प लाने का समर्थन करता हूं तथा राष्ट्रीय एकता का आह्वान करता हूं और ऐसा कहते हुए मुझे लगता है कि भारत इतना मजबूत है कि इसे न तो कमजोर बनाया जा सकता है और न ही इसे झुकाया जा सकता है

[हिन्दी]

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मुम्बई में जो बहुत भयानक घटना हुई है, उसकी निंदा करने के लिए, एक राष्ट्रीय संकल्प लेने के लिए और देश ही नहीं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हिंदुस्तान, यहां की संसद, यहां के सांसद और यहां का पूरा नेतृत्व इस देश के साथ खड़ा है। इस भयानक घटना के बाद जो एकता की भावना पूरे देश में फैली है, उसका प्रतिबिम्ब बन कर हम आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत समय पश्चात् मुझे एक युवा व्यक्ति होने के कारण भी और एक सांसद होने के कारण भी, कहीं न कहीं दिल में इस बात की उत्पत्ति हुई, जब गृह मंत्री जी के बाद सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण दिया, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, बल्कि इस देश के प्रतिपक्ष का नेता अपनी बात सदन के सामने कह रहा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद विदेशी मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी बात कही, कठोर

[श्री. संदीप दीक्षित]

शब्दों में, लेकिन संयम के साथ देश के सामने विकल्पों की बात बताई, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का उल्लेख किया, पूरी स्थिति की पेचीदगियों के बारे में बताया और बिना संकोच अपनी कड़ी वाणी में इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, तो जिस संयम से आज यह देश काम ले रहा है, उस संयम से आगे जाने का भी कहीं न कहीं हमारे अंदर संकल्प है। इस बात के लिए भी उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उसके बाद कई वक्ताओं ने अपनी बात सदन के सामने कही। यह जरूर दुर्भाग्य की बात है कि एक-दो वक्ता इस बात का राजनीतिकरण करने से नहीं चूके। मैं नहीं चाहता कि मैं उसी वाणी में बोलूं, जैसा अन्य सदस्यों ने कहा है और मैं चाहता हूं कि आगे बोलने वाले वक्ता भी राष्ट्र हित में राष्ट्र हित की बात यहां से पूरे देश को कहें। गृह मंत्री जी आपका आने वाला समय अत्यंत कठिन है। हमारे सामने बहुत विकल्प हैं। आतंकवाद की चर्चा में जब आप किसी चीज को लक्ष्य बना कर चलें, जब यह भी पता न हो कि हमारे सामने लक्ष्य क्या है, जिस धरती से या जिन देशों से या जहां से भी आतंकवाद उत्पन्न होता है, जहां आतंकवाद की माता बैठी हुई है, उस स्थान को चिह्नित करने में हमें दिक्कत हो रही है। जैसा कहा गया कि एक नहीं बल्कि कई पाकिस्तान है। पाकिस्तान कितना सशक्त है, उसका चेहरा क्या है? हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही जाती है और युद्ध की भी बात कही जाती है। युद्ध का मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन युद्ध किसके खिलाफ किया जाए? क्या हमारी सरहद के पास पाकिस्तान की जो फौज खड़ी है, वह हमारा असली दुश्मन है, क्या उनके जनरल जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वे हमारे दुश्मन हैं?

क्या युद्ध की स्थिति में हम उनको परास्त कर सकेंगे? क्या वे कैम्प जहां आतंकवादी प्रशिक्षित होते हैं जो बार्डर में 300-400 किलोमीटर दूर या कश्मीर के किसी हिस्से में जो पाकिस्तान के कब्जे में है क्या हम उन्हें नेस्तनाबूद कर पाएंगे, क्या इसके पीछे ऐसे लोग, संगठन जो पाकिस्तान में नहीं, किसी दूसरे देश में बैठे हैं जिन में मिडल ईस्ट के देशों का नाम आता है, क्या हम उन पर प्रभाव डाल पाएंगे? मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि उस लक्ष्य को निर्धारित करना और वे कौन से लक्ष्य हैं, उनके बारे में संवाद करना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप कहीं चले जाइए, चाहे दिल्ली की किसी गली में चले जाइए, मुम्बई में जहां के लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं या देश के किसी गांव में चले जाइए, अगर आतंकवाद पर चर्चा होती हे तो हर किसी का यह मत है, क्रोध में भी मत है, जब हम किसी चीज पर प्रतिक्रिया की बात करते हैं या युद्ध की बात करते हें या सेना के इस्तेमाल की बात करते हैं तो क्रोध के कारण हैं। सरकार हमारे यहां के लोगों को कान्फिडेंस में लेती है, संवाद से बताती है कि उसके क्या लक्ष्य हैं और कहां तक जाना चाहती है। बहुत हद तक हमारे यहां का जो आक्रोश है हम उसे सकारात्मक रूप में डाल सकते है।

पिछले 5-10 दिनों से कई बातें आ रही हैं। विपक्ष के नेता पोटा की भी बात करते हैं। मैं यहां दूसरे मत से एक बात कहना चाहता हूं। चाहे पोटा की बात हो या सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे जो भी बात हो उसे केवल लक्ष्यों से मापा जाए। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर सरकार को लगे पोटा की आवश्यकता है तो पोटा लगाए और आवश्यकता नहीं है तो न लगाए। उसके पीछे राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर टुकड़ियों को सशक्त करने की जरूरत है, सेना को दूसरे रूप में प्रशिक्षित करने की या नियोजन करने की बात हो तो उसे करें लेकिन जो भी करें, उसमें कहीं राजनीति दिखायी नहीं देनी चाहिए। उसमें केवल राष्ट्र हित दिखायी देना चाहिए। मैं स्वयं आज भी तय नहीं कर पाता हूं जब लोग हमारे सामने विकल्प रखते हैं या सवाल-जवाब करते हैं तो उसके पीछे राजनीति छुपी है या नहीं? यह वह समय है, जब देश के नागरिक राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक दलों की तरफ देख रहे हैं। अगर नागरिक के रूप में आक्रोश है तो कहीं एक आशा भी है कि इस घिनौने कांड के बाद हमारा राष्ट्र ऐसी दिशा पर चलेगा जो आने वाले समय को और ज्यादा सशक्त करेगा और देश आतंकवाद के खिलाफ अग्रिम भूमिका निभाएगा। इस मौके का इस्तेमाल करना आज हमारा दायित्व है। हम चाहे खुफिया एजेंसियों की बात करें उसे सशक्त करने, समन्वय लाने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खुफिया एजेंसियां बनाने, या दूसरी कोई बात करें, मैं एक ही बात गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे दिल को बहुत चोट लगी है। जब मुम्बई में दुखद घटना हुई थी तो कई लोग टेलीविजन चैनल्स में आकर बयानबाजी कर रहे थे। उसमें खुफिया एजेंसियों के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे, कोई रॉ का चीफ था, कोई फौज का था, कोई आईबी का था। वे वहां बैठकर जिस धड़ल्ले से इसी सरकार के बारे में बातें कर रह थे, उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस संस्था के पूर्व चीफ अपनी संस्था के बारे में लायल्टी न रख सकें, उस संस्था की आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं। यह इसी बात से दर्शाता है कि रिटायर होने के दो साल बाद भी उनके मन में अपनी संस्था के बारे में यह भावना नहीं पनपती है कि क्या भावना इंटैलीजैंस एजेंसी में आएगी स्टाफिंग की बात करें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं लेकिन क्या हमारी खुफिया एजेंसियां उनके लिए नहीं हैं जो किसी-किसी स्टेट्स में जाकर पुलिस का काम नहीं करना चाहते हैं। क्या हमारी खुफिया एजेंसियों में ऐसे लोग आ रहे हैं जो देश के हर कोने की समस्या का विश्लेषण कर सकें? क्या उनमें इंटैलिजेंस की बात आती है? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों के पास वे हथियार हैं जो जमीनी हकीकत को समझ सकें।

बार-बार पुलिस रिफार्म्स की बात की जाती है। क्या उन रिफार्म्स में पुलिस विभाग को सशक्त करने की बात की जाती है। पुलिस विभाग से जुड़ी इंटैलिजेंस की जब बात आती है, आपस में संबंध बनाने की बात आती है, कान्फिडेंस जताने की बात आती है, क्या वे इंटैलिजेंस गैदर कर पाएंगे जिन को वहां की गलियों में रहने वाले लोग सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अगर मेरे पास कोई भी चीज बताने के लिए होगी तो पुलिस का आला अधिकारी आखिरी व्यक्ति होगा जिस को मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहूंगा। मेरे हिसाब से पुलिस वालों के प्रति लोगों में कान्फिडेंस नहीं है। ये छोटी-छोटी जमीनी हकीकत है। यही से बात चालू होती है कि कैसे धीरे-धीरे सूचनाएं आगे जाएंगी। अगर मुझे अपने इलाके में कोई व्यक्ति संदिग्ध रूप में दिखायी देता है तो मैं जाकर नहीं बताऊंगा इसलिए नहीं कि मेरा मन किसी को बताने का नहीं है लेकिन उस व्यक्ति से ज्यादा कोई संदिग्ध दिखायी देता है तो पुलिस वाला दिखाई देता है।

आदरणीय दास गुप्ता जी ने जवाबदेही फिक्स करने की बात कही है। यह बहुत बढ़िया बात है और सबने कहा कि राजनीतिक रूप में जो लोग हैं, उनसे कहीं गलती होती है तो मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और तुरंत इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दिया और वहां के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। ऐसे बहुत आला अधिकारी हैं, हो सकता है उन पर सीधा दायित्व न आता हो लेकिन जब किसी संगठन में इतनी बड़ी कमजोरी दिखाती है तो दायित्व कहीं न कहीं तो बनता ही है। वहां पर क्यों कदम नहीं उठाए जाते हैं? इस देश पर बहुत बड़ा आघात हुआ है तो क्यों नहीं कान्फिडेंस दिया जाता है कि केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि जो भी व्यक्ति कमजोर पाया जाएगा उसे बदलना पड़ेगा।

सभापति जी, आज हमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां जिसमें फौज भी है, का करेक्टर या नेचर बदलना पड़ेगा। जब आर्मी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना बनाई गई थी तब उस समय का नजरिया और था। तब दुश्मन दिखता था। तब दुश्मन और हमारे बीच में सरहद बनती थी और वह सरहद पहचानी हुई होती थी। वह किस वर्दी में है और हम किस वर्दी में हैं, हम किस जहाज में है और वह किस जहाज में है, हम किस कमांडर के नीचे हैं और वह किस कमांडर के नीचे है, यह बात स्पष्ट थी। यह बात अब के लिए नहीं बल्कि पहले जो युद्ध होते थे, उसके बारे में है लेकिन अब युद्ध का नजरिया बदल गया है। अब सरहद पर लड़ाई नहीं होती है, हमारे घरों की दीवारों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई हमारी कालोनियों, स्कूलों और होटलों में होती है। आज हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वे हमारे जैसा कपड़ा पहनता है, हमारे जैसी भाषा बोलता है और हमारे पड़ोसी की तरह लगता है। आज यही थल सेना, वायु सेना और नौ सेना अपने आपको शक्तिशाली नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि ये ऐसे नहीं बनाई गई हैं कि उस तरह की चीजों को टैकल कर सकें या सोच सकें। इन्टेलीजेंट एजेंसियों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हम जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समन्वय कर रहे थे, उसे अपनी बात बदलनी पड़ेगी। विदेश मंत्री जी भी यहां बैठे हैं इसलिए मैं एक बात का आग्रह करता हूं। अमरीका ने हमें सहायता देने की कोशिश की है और कहा है कि वह पाकिस्तान पर प्रभाव डालेगा। लेकिन हमें अमरीकका को दो-तीन बातें कहनी पड़ेंगी। यह बात ठीक है कि 9/11 की घटना के बाद अमरीका ने आतंकवाद को दूसरे रूप में देखा है। लेकिन एक बात अमरीका को देखनी पड़ेगी कि अगर वह चाहता है कि उसकी लड़ाई में सारे देश हर रूप में उसके साथ रहें तो अगर दूसरे देशों पर आघात होता है तो उस रूप में अमरीका को दूसरे देशों के साथ उसी तरह साथ देना होगा। आपस में सही मित्रता और संवेदनशीलता तब बनती है अगर मैं बीमार हूं और आप घर आकर दवा दें और जब आप बीमार हों तो मैं भी आपके घर डाक्टर लेकर जाऊं। हिन्दुस्तान जैसा शायद ही कोई देश होगा जिसने आतंकवाद का इतना नुकसान पाया और उसके बावजूद इस देश ने जितना संयम दिखाया है। इस देश ने इतनी गहराई से चीजों को विश्लेषण करके संवेदनशीलता से अपने आपको संयम में रखा है, इतना किसी और देश ने नहीं रखा है। इस चीज को कभी-कभी हमारी कमजोरी भी माना जाता है लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आतंकवाद के खिलाफ नेतृत्व दिखाना चाहिए। हमें अपने आपको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री जी आप प्रबंधन के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, आपने पूरे हिन्दुस्तान की वित्तीय संस्थाओं को देखा है। आज हमें आतंकवाद को रोकने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल जैसी चीजों की आवश्यकता है। यह बात बार-बार आती है कि हमारे फौजियों को हथियार नहीं मिलते हैं, एसपीजी में बुलेट प्रूफ नहीं मिलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज है। माननीय मंत्री जी आपके पास बहुत ज्ञान है, आप इन संगठनों और संस्थाओं को जानते हैं, आप ऐसे तौर तरीके बनाइए कि जब भी जिस चीज की जरूरत हो, फौजियों, सिपाहियों और अधिकारियों के लिए वह इस्तेमाल हो। इसके लिए किसी आदमी की कलम और दस्तखत की जरूरत न पड़े क्योंकि उनकी जरूरत उनकी जरूरत नहीं है, आपकी मेरी, सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति की जरूरत है। हम जिन लोगों का प्रतिनिधि बनकर आते हैं उनकी जरूरत है। अगर बुलेट प्रूफ किसी फौजी की छाती पर चढ़ती है तो वह हिन्दुस्तान की छाती पर चढ़ती है। अगर किसी पुलिसवाले के हाथ में बंदूक आती है जिससे वह रक्षा करता है तो वह देश की रक्षा करता है। मेरी बेटी, आपके घर और सम्पूर्ण देश की रक्षा करता है। मैं कहना चाहता हूं कि असाधारण समय में हमेशा असाधारण चीजों की आवश्यकता होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश ने जिस तरह से पिछले दिनों में संयम और कठोरता के साथ

[श्री संदीप दीक्षित]

पड़ौसी और अन्य देशों से बात की है, हम इसी रूप से चलेंगे। विदेश मंत्री जी के आज सुबह के बयान से बहुत आशा बंधी है। हमने आपकी आवाज के पीछे जो जोर और कठोरता देखी है उससे हमें ढांढ़स बंधा है। मैं आशा करता हूं कि अगर वांछित प्रयास अन्य देशों से नहीं होते हैं तो आपकी आवाज में जो कठोरता और पौरुष दिखा है, इसका प्रभाव हमारे आने वाले समय में इस देश के कदमों में होगा। जो कदम हमें उठाने पड़ेंगे, वे उसी कठोरता और पौरुष से आप उठायें। यह देश सम्पूर्ण रूप में आपके साथ है, यह देश सम्पूर्ण रूप से आपकी तरफ देख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*__श्री शरनजीत सिंह ढिल्लो__ (लुधियाना) : महोदय, मेरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल इस सम्माननीय सभा में आतंकवाद के विरुद्ध सभापटल पर रखे गए संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करती है। मुंबई पर आतंकवादी हमले से न केवल भारत अपितु समग्र विश्व को चोट पहुंची है। आज आतंकवादी मनमाने ढंग से देश के विभिन्न भागों पर हमला कर रहे है। आतंकवादी देश में हिंसा फैलाने के लिए नई-नई रणनीतियों और तकनीको का प्रयोग कर रहे हैं। या तो आसूचना एजेंसियां आवश्यक जानकारी देने में असफल हुई हैं या फिर हमारी राज्य सरकारों ने उन जानकारियों पर कार्रवाई नहीं की है। यह आशंका जताई जा रही थी कि आतंकवादी समुद्री रास्ते से हमला कर सकते है। यह भी खबर थी कि मुंबई में ताज होटल को निशाना बनाया जा सकता है। यह चिंता का विषय है कि माननीय गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया है हमारे समुद्री तटों और महासागरों पर तैनात लोगों से कुछ गलती हुई है।

हमने एकमत होकर निर्णय लिया है कि हम आतंकवादियों की चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। इसलिए शिरोमणि अकाली दल इस संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

महोदय, पूर्व में, पंजाब आतंकवाद का शिकार रहा है। हम उन बुरे दिनों से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। इससे हमारा विकास प्रभावित हुआ। ऐसा भी समय था कि लोग पंजाब जाने से डरते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम उस स्थिति से बाहर निकल आए हैं और अब पंजाब में शांति है।

महोदय, सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित करना चाहती है। लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। समय की मांग है कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए राज्यों को सुदृढ़ बनाएं। राज्यों को प्रचुर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। महोदय हमारे देश की पुलिस के पास पुराने और अप्रचालित हथियार है।

ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हथियार हैं। तब हमारे बहादुर पुलिस वाले आतंकवादियों के स्वचलित हथियारों का सामना कैसे कर सकते हैं? यदि आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो सकते हैं तो हम अपने सुरक्षा बलों को इन आधुनिक हथियारों से लैस क्यों नहीं कर सकते हैं?

महोदय आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे बहादुर पुलिसवालों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी राज्यों में अधिकाधिक प्रशिक्षण अकादमियां खोली जानी चाहिए। मुंबई में, आतंकवादियों के पास उस पूरे क्षेत्र का मानचित्र का किंतु हमारे पुलिसवाले लाचार थे क्योंकि उनके पास प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र नहीं था। हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए।

महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे खुफिया सूचना तंत्र में सुधार किया जाए, हमारे पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार दिए जाएं और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नई तकनीकों का इन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षित नौजवान पुलिस बल में भर्ती किए जाएं और हमारे पुलिसकर्मियों के लिए सभी राज्यों में प्रशिक्षण अकादमियां खोली जाएं।

साथ ही महोदय, हमारे कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता है। ये कानून ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। हमारे आपराधिक कानूनों में कई कमियां हैं और अपराधी एवं आतंकवादी इससे बचकर निकल जाते हैं। बदलते समय में इन कानूनों को उपयुक्त तरीके से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ऐसे कड़े कानून को बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे आतंकवादी पकड़े जाने के बाद बचकर न निकल पाए। तभी आतंकवादियों को दोषी ठहराया जाएगा।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए। आतंकवाद के मुद्दे पर व्यापक और गम्भीरता से चर्चा की जानी चाहिए। मुख्य मंत्रियों की इस बैठक में यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय एजेन्सी की स्थापना करना चाहिए अथवा हमें आतंकवादी कार्रवाई रोकने के लिए राज्यों को मजबूत करना चाहिए।

महोदय, पंजाब को आज वित्तीय सहायता की सख्त आवश्यकता है क्योंकि इसे पूर्व में आतंकवाद से लड़ाई में काफी धन खर्च करना

---

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

पड़ा। मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वे पंजाब को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

अपराह्न 4.47 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर की रात के 9.30 बजे के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर जिस तरह से पाकिस्तान स्पांसर्ड आई.एस.आई. और लश्कर-ए-तैय्यबा की ओर से आतंकवादियों ने हमला किया, उससे निर्दोष लोगों की जानें गई और देश पर मर-मिटने वाले हमारे पुलिस के जवानों और नेशनल सिक्युरिटी गार्ड्स के कमांडों ने अपनी कुरबानी दी, उससे सारा देश शोक की लहर में डूबा रहा।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने सब से बड़ी चुनौती आतंकवाद की है जिसे आज सुबह से सदन एकमत से कह रहा है। हमारे यहां यह आतंकवादी हमला न होकर पाकिस्तान की ओर हिन्दुस्तान की धरती पर किया गया अघोषित युद्ध का हिस्सा था। हम लोग पिछले 20 साल से भुक्तभोगी हैं। यहां पर इस बात की कई बार चर्चा हो चुकी है मगर उन 60 घंटों के बाद देश की जनता में आक्रोश पैदा हुआ और वह एकजुट होकर खड़ी हो गई। सभी वर्गों के लोगों में यह आवाज निकली जिसने हम सब को अपने कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक निर्वहन करने के लिये प्रेरित किया। आज सुबह से नियम 193 के अंतर्गत कहें या माननीय गृह मंत्री जी ने सब की वेदना को समझ कर, सदन में चर्चा के लिए विषय को संकल्प के रूप में रखा है।

उसके बाद इस सदन के दो वरिष्ठ आदरणीय, मित्र नेतागण, श्रृद्धेय आडवाणी जी, श्रृद्धेय मुखर्जी जी ने जिस तरह से इस पूरे संकल्प के सामने अपनी प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट, अपने विचार रखे, मुझे लगता है कि शायद पिछले बीस साल में मैंने इस दृढ़तापूर्वक देश के खिलाफ जंग की लड़ाई में एकजुट होते हुए सदन में कम देखा है। मैं उन सभी माननीय सांसदों का आभारी हूं, और हम सब आज मिलकर सिर्फ संकल्प नहीं, मेरे एक साथी अभी कह रहे थे कि संकल्प करना जरूरी है, मगर संकल्प के साथ अगर हम एक्शन नहीं कर सकते, कई बार इस रोल में संकल्प करना बहुत जरूरी होता है, अगर संकल्प करने के बाद उसका अमलीकरण न हो तो यह ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संकल्प हमने कई बार किये हैं। आज देश एक बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। जब पहली बार प्रतिपक्ष के नेता आडवाणी जी ने आज से करीबन दस साल पहले एक शब्द प्राक्सी-वार का प्रयोग किया था, उस वक्त शायद मेरे कई साथियों को यह शब्द पसंद नहीं आया था। पाकिस्तान की तरफ से हिन्दुस्तान के प्रति एक प्राक्सी-वार, एक अघोषित युद्ध आतंकवाद के नाम से हो रहा है, क्रॉस वॉर टेरेरिज्म के नाम से हो रहा है। आज यह हमारे सामने एक खुली किताब की तरह साबित हो चुका है। आज जरूरत यह है कि हम सब एक होकर इस अघोषित लड़ाई के खिलाफ, अपनी पार्टियों के मतभेद से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता से कार्य करें और इन सारे संकल्पों को एक्शन में रखें तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी, हमें जो इस सदन में दायित्व दिया गया है, वह हमने ठीक तरह से निभाया है, का आज जो आक्रोश है, उसे हम ठंडा कर पाएंगे। इस पर काफी चर्चा हुई है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मगर संकल्प के साथ-साथ हमें यह भी देखना है। जब गृह मंत्री जी संकल्प करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, और आडवाणी जी, प्रणव दा जी और सभी सांसदों ने जो कहा है, और मैं इस माध्यम से देश के बाहर जो भी तत्व पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी, हिन्दुस्तान में विभिन्न राजनीतिक दल हैं, सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय में हमारी आस्थाएं अलग-अलग हैं, मगर इस मातृभूमि की तरफ अगर कोई देश या उस देश में पनपने वाला कोई भी संगठन हिन्दुस्तान की एकता, सामाजिक समरसता, उसके संविधान और उसकी संस्कृति और सभ्यता को खत्म या नष्ट करने की कोशिश करेगा तो हिन्दुस्तान की जनता और राजनीतिक दल एकजुट होकर उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे अंदर राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सत्ता में आना-जाना होता है, इस्तीफे होते रहते हैं, मगर इस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मुझे दो-चार सुझाव देने हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दे दीजिए।

श्री हरिन पाठक : काफी बातें हो चुकी हैं। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को इस सदन में, देने वाले अपने कुछ सुझावों को उचित नहीं मानता हूं, मुझे सदन के सदस्यों के सामने इस बात को नहीं रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे जहन में आती हैं, मुझे भी एक लम्बा अरसा राजनीति में हो चुका है, कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई हैं और हमें वे गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। मैं आपको अपने सुझाव लिखकर भेजूंगा। पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज ने बहुत अच्छी तरह से कार्यवाही की है।

मगर उस कार्रवाई से पहले कुछ राजनैतिक अपरिपक्वता हमें देखने को मिली। मैं समझता हूं कि उस अपरिपक्वता ने इस पूरे साठ घंटों में कई लोगों की जिन्दगी को जोखिम में डाला। मुम्बई के हमले

[श्री हरिन पाठक]

में 26 नवंबर को जिन लोगों ने जाने गंवाईं, जिन जवानों ने, हमारे कमांडोज ने शहादत दी, अगर उनकी शहादत को हम ठीक तरह से लें, उनके सामने श्रद्धा सुमन समर्पित करें, वह तभी सही अर्थ में माना जाएगा जब हम ये जो जितनी भी बातें हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, रामपुर से इंटरसैप्ट करके जो हमारे पास संदेश आए थे, लैक आफ कोआर्डिनेशन, लैक आफ पोलिटिकल विल रही। यहां सांसद जी बैठे हैं। वे भी थे। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। शायद ही 26 तारीख की रात कोई सोया होगा। पूरा देश जागता रहा और हम सब भी जागते रहे। हमारे सामने प्रश्न यह है कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई? क्यों अमेरिका में 9/11 के बाद दोबारा वैसी घटना नहीं घटी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे समाप्त करे।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मैंने अभी शुरू किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट हो गए हैं।

श्री हरिन पाठक : 9/11 के बाद अमेरिका में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटी तो हमारे देश में हर सप्ताह ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? *[अनुवाद]* कृपया मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को जो कुछ हुआ, उसकी समीक्षा करें। क्या कमियां है? *[हिन्दी]* अगर रामपुर में कहा गया था दो-चार घंटे पहले कहा गया था कि ताज होटल, मुम्बई में हमला होने वाला है तो हम कहां चूके? इस पूरी घटना पर सिर्फ संकल्प करने के बजाय मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि मैं जांच शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, श्रद्धेय आडवाणी जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, आप रेव्यू करिये, जो भी अखबारों में आता है, मीडिया में आता है, आपके पास गुप्त संस्थाओं से इनफार्मेशन आती है, उसको बैठकर तालमेल करिये। मेरे तीन सुझाव हैं। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं तो बोलने वाला भी नहीं था, मैंने मना किया था, मगर मेरे तीन सुझाव हैं।

एक तो अभी गीते जी और मेरे एक साथी ने कहा, आपने सुबह अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हमें दो तरह से इस लड़ाई को जीतना हैं। एक तो हम सालिडैरिटी की बात करें कि हम सब एक हैं, पूरा देश इस लड़ाई में एक है और दूसरा, इस लड़ाई को जीतने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आपने नेशनल इंटैलिजैन्स एजेन्सी की बात कही, मगर उसके बाद और क्या? जब पोटा की बात आती है, आपको शायद वह अच्छी बात नहीं लगती मगर गीते जी और आडवाणी साहब ने कहा था कि उसके साथ अगर कानून ठीक तरह से नहीं होगा, कानून मजबूत नहीं होगा, वह कानून केन्द्र का हो या राज्य का हो, वह कानून अगर मजबूती से आतंकवाद को कुचलने में समर्थ नहीं है तो मुझे लगता है कि सिर्फ नेशनल इंटैलिजैन्स एजेन्सी बनाने से हमारी बात पूरी नहीं होगी। मुझे तो सिर्फ इतना उल्लेख करना है कि स्ट्रिंजैन्ट कानून बनना चाहिए। मोइली जी बैठे हैं। एक रिपोर्ट सैकेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन में जो मोइली जी ने पेश की है, *[अनुवाद]* ''आतंकवाद से लड़ाई और धर्मपरायणता द्वारा सुरक्षा'' *[हिन्दी]* उसके पेज 115 पर मोइली जी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उसकी सबसे पहली रिकमंडेशन है। आप चाहे उसको नाम पोटा दो, लोटा दो या टोटा दो, जो भी नाम दो, लेकिन कानून तो बनाओ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पृष्ठ संख्या 115 का अवलोकन कर सकते है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री हरिन पाठक : यह सिफारिशों के सार की पृष्ठ सं. 115, पैरा 4.1. 6. में है।

अध्यक्ष महोदय : आप पृष्ठ 115 को नोट कर सकते है।

श्री हरिन पाठक : मैं उद्धृत करता हूं:-

''आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक व्यापक और प्रभावी कानूनी ढांचा बनाए जाने की आवश्यकता है। इस कानून में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय होने चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए कानूनी प्रावधान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के पृथक अध्याय में, शामिल किया जा सकता है।'' *[हिन्दी]* आप एक कानून बनाइए लॉ एंड आर्डर, हम कहते कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, आज तय करें कि आतंकवाद या देश के अंदर नक्सलिस्टिक जैसी, राष्ट्र को तोड़ने वाली प्रवृत्तियां हों तो उसका भी समावेश आप इसमें करिए। राज्यों को भी कानून बनाने की सत्ता मजबूती से दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात आखिर में कहूंगा कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र एवं कई राज्य हैं, जिन्हें ऐसी आतंकवादी घटनाओं से बार-बार

निपटना पड़ता है। उन्होंने जो कानून बनाए हैं, आज जब पहली बार हम लोग राजनीति से ऊपर उठ कर चर्चा कर रहे हैं, पहली बार हम एक सुर में बोल रहे हैं तो मैं यह भी आग्रह करूंगा और चाहूंगा कि पहली बार आप भी राजनीति से ऊपर उठ करके गुजरात कंट्रोल आफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (गुजकोक), जो हमने बनाया है, राजस्थान ने बनाया है, जो महाराष्ट्र में कानून है, ऐसा कानून जो बाकी राज्यों ने बनाया है, जो राज्य ऐसे सख्त कानून बनाना चाहते हैं, अगर वे राज्य कानून बनाते हैं तो उन्हें अविलम्ब सम्मति देकर उनके हाथ मजबूत करिए, वरना केन्द्र तो मजबूत होगा, मगर राज्य कमजोर पड़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना होगी कि गुजकोक और जो राजस्थान ने कानून बनाया है, उस कानून को आप जल्दी से, सर्वसम्मति से, जो सम्मति आपको देनी बाकी है, वह उन्हें दें, उस पर राजनीति से ऊपर उठ करके कार्यवाही करें और राज्यों को भी मजबूत बनाएं।...*(व्यवधान)* केन्द्र में भी आज के संकल्प के साथ-साथ एक्शन लेकर पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने अपनी बात रखें कि यह दोतरफा बात नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, कबीर जी का दोहा कह कर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है- "विनय न मानत जलधि, जड़ गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीति।" बार-बार कहने पर अगर कोई हमारी प्रार्थना नहीं मानता है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कबीर के ऊपर कुछ मत जोड़िए

[हिन्दी]

कबीर के ऊपर कुछ एड मत कीजिए।

श्री हरिन पाठक : मैं कुछ एड नहीं कर रहा हूं, यह सही बात है। वह हमारे देश की संस्कृति है। गांधी जी ने भी यही कहा- *[अनुवाद]* मैं महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि हिंसा और अहिंसा में से चुनाव करना हो तो मैं अहिंसा चुनना पसंद करूंगा किंतु यदि हिंसा और कायरता में चुनाव करना हो तो मैं हिंसा चुनना पंसद करूंगा।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* यह देश की सुरक्षा एवं एकता का सवाल है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कबीर की बात की है, अब वायोलेंस की बात कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : कबीर जी की बात में तकलीफ है तो महात्मा गांधी जी का उदाहरण देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 25 और सदस्या की सूची है जिन्हें बोलना है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : पाकिस्तान हमारी शांति एवं सहनशीलता को हमारी कमजोरी न समझे और देश के खिलाफ पाकिस्तान ने जो जंग छेड़ी है, उसे नेस्तनाबूत करने के लिए हम एकजुट होकर आज संकल्प करें और संकल्प के साथ उसे कार्यान्वित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मुंबई की घटना पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं।

मुंबई में हताहत होने वाले सभी लोगों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मुम्बई के सभी लोगों के लिए मैं कहता चाहता हूं कि उनके जोश और साहस से हम प्रेरित हुए हैं। इस अत्याचार पर देशभर की कड़ी और सामूहिक प्रतिक्रिया आयी है। मुम्बई में 164 लोगों की जान गई है। सैंकड़ों लोगों को यह घाव लेकर जीवित रहना होगा। शोर कम होने के बाद भी इन्हें चुपचाप यह पीड़ा सहनी होगी। हमारे बहादुर लोगों ने आतंकवादियों से मुकाबला किया। उनके मन में मुम्बई की भयावहता बनी रहेगी मैं उन सुरक्षा कर्मियों को सलाम करता हूं जिन्होंने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी जान दे दी। कांस्टेबल अम्बादास पवार; कांस्टेबल अरुण चित्ते; एसीपी अशोक काम्टे; सबइन्सपेक्टर बापूसाहेब दुरूगडे; कांस्टेबल मुलीधर लक्ष्मण; हवलदार गजेन्दर सिंह; संयुक्त पुलिस आयुक्त हेमन्त करकरे; कांस्टेबल जयवंत पाटील; होमगार्ड मुकेश जादव; एएसआई नाना साहिब भोंसले; सबइंस्पेक्टर प्रकाश मोरे; कांस्टेबल राहुल शिंदे; मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, इंसपेक्टर शशांक शिंदे, एएसआई आम्बले; कांस्टेबल विजय खंडेकर; इंस्पेक्टर विजय सलास्कर; कांस्टेबल योगेश पाटील; सीएसटी के कर्मचारी; होटलों और अस्पतालों के कर्मचारियों; और मुम्बई के दमकल कर्मचारियों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। हमारा राष्ट्र इन लोगों का ऋणी है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है।

[श्री राहुल गांधी]

आतंकवाद ने मुम्बई पर आक्रमण किया; उन्होंने मुम्बई के लोगों पर आक्रमण किया। किंतु ऐसा करते हुए उन्होंने हमारी जीवन शैली पर आक्रमण किया। उन्होंने हमारे लोगों की स्वतंत्रता पर आक्रमण किया। उन्होंने लोगों की प्रगति पर आक्रमण किया। जो लोग मुम्बई में मारे गए उन्हें इस देश में विश्वास था। उनमें से अधिकांश अपने बेहतर भविष्य के लिए मुम्बई गए थे जिस बेहतर भविष्य का वादा यह देश करता है। अधिकांशत: उसे पूरा भी करता है।

आतंकवादियों ने केवल मुम्बई की जनता पर ही हमला नहीं किया। उन्होंने इस सदन में बैठे हम सभी लोगों पर हमला किया; उन्होंने इस देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर हमला किया। उन्होंने इस देश की विचारधारा कि हम लड़ाई के वक्त एक हैं और साथ खड़े है, पर हमला किया।

मीडिया ने कहा है कि यह एक नए प्रकार का हमला था। उन्होंने कहा है कि यह एक भिन्न प्रकार का हमला था। मैं कहना चाहूंगा कि, "हां" यह अलग तरह का हमला है। यह नए तरह का हमला है यह आतंकवाद में व्यापक विस्तार है। किंतु, मुम्बई हमला अन्य कारणों से अलग था। ऐसा पहली बार हुआ कि आतंकवादी हमले में इस देश की संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ। हमारे राज्य की स्वतन्त्रता, हमारी प्रेस की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करना और हमारी राजनीति की लोकतान्त्रिक प्रकृति हमारी राष्ट्रीयता का आधार स्तम्भ है। आतंकवादियों ने अपने कार्य को अंजाम देने के समय का चयन बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया था। उन्होंने एक ऐसा दिन चुना जब हम चुनावों में व्यस्त थे। उन्होंने एक ऐसे दिन को चुना जिसका मंतव्य हमारे राजनीतिज्ञों के बीच व्याप्त मतभेदों को प्रदर्शित करना था। आतंकी हमला इस मंतव्य से भी किया गया था कि यह एक लोक मामला प्रतीत है क्योंकि इसमें आर-पार की लड़ाई का मंसूबा बांधा गया था और उनकी मंशा इसे लंबी अवधि तक खिंचने की थी।

हमला इस प्रकार तैयार किया गया था ताकि हमारी मीडिया इसका प्रसारण सारे विश्व में और हमारी जनता के लिए करे। इसलिए, मेरे लिए मुम्बई में जो सबसे बड़ा अन्तर नजर आता है वह है कि बड़े पैमाने पर यह घटित हुआ और लोग जो बड़ी संख्या में मारे गए, परन्तु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह हमला हमारे देश की संस्थाओं पर हमला था जिसकी रक्षा करने के लिए हम सब यहां है।

महोदय, मुंबई, जैसा कि मैंने कहा, अलग है तथा मीडिया ने भी यही बात कही है, परन्तु अनेक मायनों में, मुंबई भी वैसी ही है। अन्ततोगत्वा, भारतीय मारे गए; लोग जो इस देश में विश्वास करते हैं मारे गए जैसा कि वे सांसद अपहरणों, रामपुर और अन्य स्थानों पर हमले में मारे गए थे। इसलिए, यद्यपि इस हमले में एक अन्तर नजर आता है, परन्तु एक समानता है और वह समानता यह है कि हम सभी पर एक नए तरीके के युद्ध का वार हुआ है। जो बात मुझे परेशान करती है और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि मुझे ये आतंकवादी हमलों एकल घटना के रूप में नहीं अपितु घटनाओं के एक सिलसिले के रूप में देखता हूं और मैं इसे एक ऐसी चीज के रूप में नहीं देखता हूं जो अभी हाल में प्रारम्भ हुई हो बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखता हूं जो काफी लम्बे समय से चल रही है। मैनें देखा कि लोगों में वास्तविक गुस्सा इस बात का है कि एक राष्ट्र के रूप में हमने एक आम भारतीय के जीवन को महत्व देना छोड़ दिया है। यह गुस्सा सिर्फ आतंकवाद से ही संबंधित नहीं है अपितु इसमें बहुत सी अन्य बातें भी शामिल हैं।

परन्तु आतंकवाद के संबंध में, हमें मुंबई की घटना की आवश्यकता नहीं है जिससे हमें स्मरण हो आए कि लोग मर रहे है। हमें यह आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमें विराट प्रेस प्रसारण और 200 मृत लोग यह अहसास कराएं कि हमें भारतीय होने के नाते, राजनीतिज्ञ होने के नाते, इस सभा में प्रतिनिधि होने के नाते यह पता रहे कि चूंकि सभी कुछ हमारे नियंत्रण में है हर भारतीय की रक्षा की जानी चाहिए और प्रत्येक भारतीय की चाहे वह कोई हो, चाहे वह कहीं का रहना वाला हो, हमारे शासन में हर प्रकार से सभी की रक्षा की जाएगी। यदि आप विफलताओं को देखें - जिसका मेरे माननीय साथी, श्री संदीप दीक्षित ने उल्लेख किया है, और कुछ विपक्ष के अन्य साथियों ने भी बताया है। यदि आप केन्द्र की विफलताओं को देखे; तो वे सब एक मात्र इसी बात से उभर कर सामने आई हैं कि एक राष्ट्र के रूप में; और यह सरकारों और राजनीतिज्ञों से परे है, हम सहन करने के लिए तैयार है और हम इन मौतों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि हम इन मोतों को स्वीकार नहीं किया होता, तो आपको उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, उदाहरणार्थ, जहां सहायक उपनिरीक्षक, ओम्बले के पास इतना साहस है, कि वह आतंकवादी तक जाता है और आतंकवादी की राइफल को अपने हाथ से झपटता है, परन्तु उसके पास अपने साहस का साथ देने के लिए कोई औजार नहीं है और उसके पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है जिससे उसकी जान बच सके। यदि हम यथार्थ में यह मानते कि प्रत्येक भारतीय जीवन की रक्षा करना जरूरी है, तो हमारा तंत्र ऐसा नहीं होता जो अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा देने के कार्य में ही लगा होता, जिसे हम लखनबी के रूप में जानते हैं। परन्तु हम मुम्बई की रेलगाड़ियों अथवा मुंबई की गलियों पर उसी प्रकार का ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं। यदि हम सचमुच इस बात को मानते कि प्रत्येक भारतीय के जीवन की रक्षा करना जरूरी

है, तो हमारी गुप्तचर महत्वपूर्ण गुप्तचर सूचना वहां पहुंचा रही होती जहां यह पहुंचना चाहिए अथवा गुप्तचर एजेंसियों तक महत्वपूर्ण आसूचना पहुंच रही होती।

हमारी पुलिस संस्था भी नहीं चाहेगी कि यह उसकी तरफ से हो। इसलिए, मेरा विचार है, केन्द्र बिन्दु जिसमें हमने परिवर्तन करना है वह यह है कि हम आम भारतीयों के जीवन को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एक देश के रूप में, हमें यह तय करना है कि हम इस बात को सहन नहीं करेगे कि इस तरह से किसी भी भारतीय की जान व्यर्थ में जाए।

महोदय, गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि वे इस विचार को अपनाएंगे और इसे हमारी गुप्तचर एजेंसियों, हमारी सभी सुरक्षा संस्थाओं में लागू करेंगे क्योंकि यह वही विचार है जिसके बारे में हम वास्तव में चर्चा कर रहे हैं। हमारी संस्थाओं की कार्ययोजना का निर्माण और संचालन पदानुक्रम में किया जाता है। मेरे पास इस प्रकार की संस्थाओं का बहुत अनुभव है। मुझे स्वयं भी इन्हीं में से कुछ संस्थाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्थाएं वरिष्ठ पदों के लिए कार्य करने हेतु बनाई गई हैं। नीचले स्तर पर तैनात अधिकारी और यह व्यक्ति जो वास्तव में उस स्थिति का सामना कर रहा है, उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिए। इसलिए, हमें यह कहने की जरूरत है कि हमें इनमें से कुछ संस्थाओं में अमूल-चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और हमें यह विचार इन संस्थाओं तक पहुंचाने की जरूरत है कि चाहे आप एक कनिष्ठ अधिकारी हो अथवा एक वरिष्ठ अधिकारी हो, आप सब उस संस्था के एक अंग हैं जो आम भारतीयों को हिंसा से बचाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे लिए आम भारतीय को ही नहीं बचाना है बल्कि हमें इससे एक कदम और आगे जाना है। जिन लोगों ने यह किया है उन्हें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, चाहे वे जो भी हो - मैं समझता हूं कि हम उनका पता लगा लेंगे कि- हम अपने जीवन को परम प्रिय ही नहीं मानते हैं बल्कि उन्हें भी यह समझना होगा कि निर्दोष भारतीयों को मारने की कीमत चुकानी होगी और हमारे शहरों में आतंकी घुस कर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारें यह भारत चुपचाप सहन नहीं करेगा।

दों तीन बातें और हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। हम जन प्रतिनिधि हैं। इसलिए, इस तरह, विचारों को प्रस्तुत करके और हममें से कुछ विचारों का कार्यान्वियन करने के लिए हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। दो बाते हैं जो मैं उठाना चाहूंगा। देश भर में यह विदित तथ्य है कि पुलिस बल का राजनीतिकरण हो रहा है। स्थानांतरण में हस्तक्षेप किया जा रहा है पदोन्नतियों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। हमारे बीच सच कहूं तो हम राजनीतिज्ञों के बीच यह सामान्य धारणा बन गई है कि हम इन संस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः, मैं समझता हूं; एक युवा राजनीतिज्ञ के रूप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने देश के हित में और निर्दोष नागरिकों के हित में, हमें इस प्रकार की गतिविधि से बचना चाहिए कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि केन्द्रीय संस्थाएं हैं जो हमारी प्रजा की सुरक्षा में मूल भूमिका निभाती हैं जिनके मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि जब आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया, तो उन्होंने युवाओं अथवा वृद्धों, हिन्दुओं अथवा मुस्लिमों अथवा ईसाइयों अथवा ऊंची जाति अथवा नीची जाति के लोगों पर हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने भारतीयों पर हमला किया।

यदि आप मुम्बई में रहने वाले भारतीय होते, वे आपको भी मारना चाहते थे और उसी प्रकार जैसे हमारे शत्रु हमें एक ही मानते है इसलिए हमें एक जुट रूप में कार्रवाई करनी हैं। इसलिए, उस प्रकार की राजनीति जहां हम एक-दूसरे को बांटते हैं, उस प्रकार की राजनीति जहां हम समूह के विरूद्ध दूसरे को लड़ाते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। हमें प्रयास करके उस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। ये दो वे बाते हैं जो मैं हमारे अर्थात राजनीतिज्ञों के बारे में कहना चाहता था।

अंतिम बिन्दु जिसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जैसे कि मैनें पहले कहा, यह भारत के विरुद्ध युद्ध है। यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसके लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। जैसा कि युद्ध में, हमें देश को पहले रखना चाहिए। राष्ट्र को मुम्बई द्वारा पेश उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए और एक जुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अपने भाषण के प्रारम्भ में मैंने मृतकों के प्रति अपनी श्रंद्वाजलि अर्पित की थी और कहा था कि आतंकवादियों ने उनकी आवाज को खामोश कर दिया है। आतंकवादी उनको खामोश नहीं कर सकते हैं। भारत में एक अरब लोग जो आज उनके समर्थन में बोल रहे हैं। इस देश में हर दल, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोग उन 200 लोगों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि आज पूरी सभा भी एक जुट खड़ी है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध को लड़ेगा और इसमें विजय भी प्राप्त करेगा।

अपराह्न 5.22 बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं अगले

वक्ता को बुलाऊं, मुझे इस सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है:-

(एक) आंध्र प्रदेश के नरसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री हरिराम जोगैया ने अपने दिनांक 17 अगस्त, 2008 के पत्र द्वारा लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने 6 नवम्बर, 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

(दो) बिहार के महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, बगहा और बिक्रमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों क्रमश: सर्वश्री प्रभुनाथ सिंह, जॉर्ज फर्नांडीज, राजीव रंजन सिंह 'ललन', कैलाश बैठा और श्रीमती मीना सिंह ने 7 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। और मैंने 11 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

(तीन) राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री विश्वेन्द्र सिंह ने 13 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और मैंने 14 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

(चार) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बृजभूषण शरण सिंह ने 20 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और मैंने 20 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 5.24 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

मुम्बई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपमें से हरेक को जिन्होंने अपना नाम दिया है बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा परंतु संभवत: बाद में हमें आपके समय को विनियमित करना पड़ सकता है। अब प्रो. रामदास बोलेंगे।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई में हाल के आतंकवादी हमले से संबंधित चर्चा में भारी मन से शामिल हो रहा हूं। हाल के इस हमले में 164 लोगों की जानें गई है, यह सीधे-सीधे देश पर हमला है और इस घटना ने भारत के लोगों की चेतना को झकझोर दिया है।

सर्वप्रथम हमारी पार्टी पी.एम.के.आर. इसके स्थापक अध्यक्ष नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों पर किए गए इस हमले की निंदा करती है जिसमें कि इन लोगों की जानें गई थी और हम इस घृणित अपराध की साजिश रचने वालों की भी निंदा करते हैं।

हम पूरी सभा के साथ मिलकर उन नागरिकों को जो मारे गए है और सुरक्षा बलों तथा एन.एस.जी. के उन बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा के लिए इस हमले का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अब जबकि मुंबई हमलों की विभिन्न कोणों से व्याख्या की जा चुकी है और हमने देखा है कि इस हमले और अन्य हमलों में समानताएं और भिन्नताएं दोनों हैं। हमारे माननीय विदेश मंत्री ने आज सुबह बताया कि किस प्रकार इस मुम्बई हमले के अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे और उन्होंने यही कहा था कि इस समस्या के समाधान या मुम्बई हमले के दोषियों को सजा दिलाने में पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ है।

यह हमला न केवल हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पर है बल्कि देश के विकास के हमारे प्रयासों पर भी है। जैसा कि विश्व के देशों ने माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था उसका समाज और उसके शासन तंत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और कुछ भारत विरोधी शक्तियां इस तरह के तत्वों को भारत के विकास के खिलाफ कार्य करने के लिए उकसा रहे है। इसी कारण से, विकास से हमारा ध्यान हटाने और बंटाने के लिए ही घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जबतक इस देश में आतंकवाद की इन घटनाओं और किसी भी प्रकार के अतिवाद को रोका नहीं जाता है, विकास की योजना रेत पर लिखी इमारत की तरह होगी जो समुद्र की लहरों में लगातार धुल कर मिटती रहेगी।

इसलिए, हमें इस पूरे द्रोह को, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, दोनों प्रकार के उपायों के व्यापक परिदृश्य में देखना पड़ेगा। हमें इस मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि हम देश में आतंकवाद की इस समस्या को बढ़ावा देने वाले स्थायी कारकों तथा अल्पकालिक कारकों पर ध्यान दे सकें।

महोदय, इस देश को बहुधा और बार-बार इस प्रकार के नृशंसता पूर्ण घटनाओं को झेलना पड़ रहा है और इन हमलों और घटनाओं

को कुछ कट्टरतावादी ताकतों की मदद के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमें इस समस्या के विविध आयामों पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के घृणित अपराधों के पीछे कई बार धार्मिक कारक, कई बार सामाजिक कारक और कईबार आर्थिक और राजनीतिक कारक होते हैं। हमें इन कारकों पर ध्यान देने और इनकी जांच करने के लिए अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकालना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम उन समस्याओं को बेहतर ढंग से कैसे सुलझा सकते हैं।

महोदय, हमें केवल अल्पावधि उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें वे दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए जो सरकार कर सकती है। मैं महसूस करता हूं कि लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, सरकार को इस प्रकार के घृणित अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए यह बेहतर होगा कि सरकार सभी देशों की मदद ले जो हमारी मदद करने के इच्छुक हैं।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें पाकिस्तान से अपने संबंध समाप्त कर लेने चाहिए और हमें अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि यह कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है ओर लोग जो वहां रह रहे हैं वे भी शांतिप्रिय हैं और हमें इन लोगों को पकड़ने में पाकिस्तानी जनता का सहयोग लेना चाहिए।

दूसरे हमें इस घटना की सभी आयामों और सभी पहलुओं से जांच करानी चाहिए और हमें निश्चित रूप से इसके कारणों, तथा इसके परिणामों और निकट भविष्य में लिए जाने वाले नीतिगत उपायों की भी जानकारी होनी चाहिए।

पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि देश में सभी एजेंसियों के बीच तालमेल होना चाहिए और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। अनेक एजेन्सियां बिना समुचित सहयोग के प्रचालित हो रही हैं और हमें किसी तंत्र के माध्यम से उनके बीच समन्वय स्थापित करना चाहिए।

दूसरे, महोदय, हमें राहत प्रदान चाहिए.......

अध्यक्ष महोदय : यह आपका दूसरा है।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं केवल कुछ अल्पकालिक उपायों के बारे में इंगित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है, लेकिन पुनः यह दूसरा है।

प्रो. एम. रामदास : महोदय उन लोगों को, जिन्होंने अपने प्राण गवाएं हैं, मेरे विचार से उन्हें भारत सरकार शौर्य पुरस्कार से नवाजे। हमें एक सामुदायिक स्व-पुलिसिंग की प्रणाली भी आरम्भ करनी चाहिए जो विभिन्न स्थानों पर बेहतरीन कार्य कर रही है। छोटे स्तर पर इस प्रकार की सामुदायिक स्व-पुलिसिंग से हमें आतंकवादियों और अन्य समूहों के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्रीमती रंजीत रंजन।

प्रो. एम. रामदास : पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और पुलिस उपकरणों का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। सारे पुलिस बल को इंफ्रारेड बन्दूकें दी जानी चाहिए और उनके पास इन चीजों का पता लगाने के लिए रोबोट निगरानी कैमरे होने चाहिए।

हमें अपने पुलिस बल को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और हम दूसरे देशों में प्रचलित प्रशिक्षण पद्धति भी प्राप्त कर सकते हैं और इसे यहां के लोगों को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें; अनेक माननीय सदस्यों को बोलना है।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : तटीय सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। इस घटना के अनुभव से पता चलता है कि वहां के मछली मारने की नौकाओं का उचित पंजीकरण नहीं हुआ था और इस कारण दोषी व्यक्ति मछली मारने वाले ट्रालर में यात्रा करके मुंबई आए। अतः मेरा विचार है कि तटीय क्षेत्र की मछली मारने की सभी नौकाओं का पंजीकरण अवश्य होना चाहिए।

अंत में देश की सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय के लिए निर्धारित निधि के वर्तमान स्तर में वृद्धि की जानी चाहिए और सुरक्षा बलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रो. एम. रामदास : मुझे आशा है कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी के प्रेरक मार्गदर्शन में संप्रग सरकार इस आतंकवाद से लड़ने और इस देश की अखण्डता को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति हासिल करने में सक्षम होगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब से आगे प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने के लिए 5 मिनट दिये जाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

मैं आज यहां पर एक आम आदमी की जुबान, उसकी फीलिंग्स को बोलना चाहूंगी कि आज मुंबई बम ब्लास्ट की घटना के बाद आम आदमी क्या सोच रहा है। मैं बहुत से लोगों से मिली। आम आदमी में आज जितना रोष उस घटना से है, उससे कहीं अधिक रोष राजनीतिक लोगों पर है। आज आम आदमी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह अपने को न किसी चौराहे पर, न किसी पार्क में, न किसी थिएटर में, न किसी शाप में, न किसी स्टेशन पर सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी भी जगह आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं एक आम आदमी की तरह सोचती हूं तो यही कंक्लूजन निकलता है कि आज जो हुआ है, जो पिछले कई सालों से हो रहा है, उसके बाद अब हमें न किसी डिस्कशन की जरूरत है, न किसी डिबेट की जरूरत है, अब हमें केवल एक्शन की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में यह एक तत्व रहा है कि हम लोगों को माफ करते आए हैं और आज उसी का नतीजा है कि मुंबई की यह घटना सामने आई है। आज आम लोग ठोस भरोसे की तलाश में हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उस भरोसे को विश्वास के रूप में बदल नहीं पा रहे हैं, अब इसे विश्वास में बदलने के लिए हमें एक्शन करना होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यूपीए सरकार ने जो एक्शन लिया है, उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यह बात ठीक है कि कोंडोलीजा राइस जी भारत आई, वह पाकिस्तान भी गयीं, हमारी सरकार ने पाकिस्तान को 40 लोगों की लिस्ट देकर उनको सौंपने की मांग की, लेकिन हम किस व्यक्ति पर विश्वास करें? क्या उस व्यक्ति या संघ पर विश्वास करें जिन्होंने हमारी कश्मीर की समस्या का आज तक हल नहीं निकाला? क्या हम उस व्यक्ति पर विश्वास करें जिसने खुद कारगिल वार के अपने ही फौजियों को यह मानने से मना कर दिया कि वे उसके ही फौजी या शहीद हैं? हम उस देश पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और आज इसी की जरूरत है। हमें अपने देश के आम लोगों के बारे में खुद सोचना होगा। माननीय गृहमंत्री जी ने सबसे पहले बोला कि मैं उन शहीदों का नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बार-बार हर व्यक्ति ने यही बोला है कि हम उनको नमन करते हैं।

मैं कहना चाहूंगी कि अब लोग थक चुके हैं, अब वे शहीद थक चुके हैं कि अब हम उन्हें नमन न करें और न ही उनके लिए तालियां बजाएं। अब हम राजनैतिक दलों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वे लोग हमारे लिए नमन करें। उन्हें महसूस हो कि किसी राजनीतिज्ञ ने हमारे लिए शहादत दी और वह शहीद हुए। अगर हम उन्हें ऐसा करके दिखाएंगे तो सही मायनो में हम अपने आम व्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, न कि सिर्फ डिबेट करने के और यहां चर्चा करने के। आज इतनी मर्सी ही इस बात का परिचायक है कि कल जो कंधार कांड हुआ था, हम अपने यहां आतंकवादियों को पकड़ते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, चाहे कितने भी लोगों का उन्होंने मर्डर किया हो, हम उन्हें मेहमान की तरह रखते हैं। वे हमारे यहां प्लेन हाईजैक करते हैं और फिर हम उन्हें मेहमान की तरह छोड़ने जाते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम एक टाइट डिसीजन, एक हार्ड डिसीजन एक्शन के रूप में लें। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि हमारे पास कूटनीति के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। मैं मानती हूं कि कूटनीति भी एक रास्ता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मान लीजिए कोंडालिजा राइस ने जो कहा, पाकिस्तान ने जो कहा, जो उसकी नीयत है, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, जिस तरह से वह आज कहकर कल पलट जाता है कि हम जांच करेंगे उसके बाद कहता है कि हमारे यहां आतंकवादी नहीं है और कल फिर ऐसी स्थिति आती है, तो क्या करेंगे। क्या हम इस पर भी सोच रहे हैं? हम एक तरफ कहते हैं कि उसका समाधान युद्ध नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह युद्ध से कम है कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा होता है तो उसके घर वाले सोचते हैं पता नहीं वह वापस आएगा या नहीं?

मैं विपक्ष को भी इस बात के लिए सैल्यूट करती हूं कि हम सब पांच साल में पहली बार किसी मुद्दे पर एकजुट हुए हैं। हम सब लोग अपने लिए धर्म, जाति और राजनीति की बात करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जब तक हम जाति, धर्म और वोट की राजनीति करते रहेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। हमारी सरकार ने इनीशिएटिव नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, तो इस बार हिन्दुस्तान के आम आदमी के मन में इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि मुझे लगता है वह सक्षम हो जाएगा अपना बदला लेने के लिए। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें अपना मुंह सफेद रखना है तो हमें एक्शन लेना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती निवेदिता माने - उपस्थित नहीं।
श्री रामदास आठवले - उपस्थित नहीं
कुमारी ममता बैनर्जी

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं। आज यह सदन इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने जा रहा है।

महोदय, हमने इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण को सुना। यह सदन लोकतांत्रिक है, हमारे देश की आधारभूत और प्रमुख संस्थान है, लेकिन हमेशा ही एक लोकतांत्रिक संस्थान लोकतांत्रिक आधारशिला पर आधारित होगा। आज पूरा विश्व भारतीय संसद का कार्यनिष्पादन देख रहा है और यह भी सुन रहा है कि हमारी संसद क्या कह रही है।

महोदय, अपने दल और अपने लोगों की ओर से हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से उन जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी और हमारे अतिथियों को जो विदेशी थे और जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिये, उनको भी नमन करते हैं।

[हिन्दी]

जो .खून गिरा मुम्बई में वह खून था हिन्दुस्तानी। जो हिन्दुस्तानी का खून गिरा, चाहे मुंबई का रहने वाला हो, चाहे देश के किसी अन्यं कोने का रहने वाला हो।

[अनुवाद]

साथ ही देश के अन्य भाग के रहने वाले 26 लोगों ने भी अपने प्राण गंवाए। आज एक स्वर में हमें संदेश भेजना चाहिए कि आतंकवादी का अवश्य खात्मा होना चाहिए, और हम इसका अन्त देखना चाहते हैं। अमरीकी सेन्टर से कंधार तक संसद से जम्मू कश्मीर तक और मुंबई से बंगलौर तक, हम न केवल अपने देश में बल्कि अन्य देश में भी विनाश देख रहे हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत एक शान्तिप्रिय देश है। जो भारत आज सोचता है वह विश्व कल सोचता है क्योंकि भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेता है और भारत विश्व का नेता है।

भारत हमेशा आशा की किरण प्रदान करता है। भारत हमेशा विचार का रास्ता देखता है। भारत में हमारे सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक, सर्वोत्कृष्ट तकनीशियन, और राजनीति के क्षेत्र से लेकर हरेक क्षेत्र में विशेषज्ञ हुए हैं, हमारी क्षमताएं अपरिमित हैं।

लेकिन भारत में समस्या यह है कि हम केवल तब ध्यान देना आरम्भ करते हैं जब कुछ हो जाता है। हम निरन्तर कदम नहीं उठाते हैं। कुछ प्रक्रियाएं और निगरानी निरन्तर चलते रहना चाहिए। नासा से भाभा तक, भारतीय कहां नहीं हैं। भारतीय हरेक जगह हैं। नासा में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारे महान वैज्ञानिक किस प्रकार महान योगदान कर रहे हैं। भारत की मेधा वहां है, यह अत्याधुनिक है और भारत में पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का योगदान कर रहा है। लेकिन आज हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आतंकवाद से अकेले लड़ रहे हैं अपितु समूचा विश्व आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि भारत को पहल करनी चाहिए। हमें आतंकवाद की समस्या को समाप्त करना है। आज आतंकवाद आधुनिक रूप में फैल रहा है। वे ऐसा कैसे करते हैं? उन्होंने अपनी सभी गतिविधियों को संस्थागत रूप दे दिया है। इसलिए आतंकवाद आधुनिक रूप में सामने है। वे कैसे कार्य करते हैं? वे इसमें सैटेलाइट का भी उपयोग कर रहे हैं। वे इसमें प्रत्येक माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं।

अतः, हमें इस समस्या को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पूर्व जिन भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है, उन्होंने लगभग सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अपने भाषण में शामिल किया है। यही नहीं, आज हमें विषय के दायरे में रहकर ही चर्चा करनी है। माननीय गृहमंत्री ने पहले ही कहा है कि: "हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय दें।" मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। उन्हें जांच कर लेने दीजिए; उन्हें जानकारी एकत्र करने दीजिए।

लेकिन मैं दो-तीन महत्त्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आतंकवाद हमारे समाज में कैंसर की तरह है। यह विश्व में भी कैंसर की तरह है। अतः, हमें देखना है कि आतंकवाद को कैसे दूर किया जाए। कभी सरकार बदलेगी। और यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए सबसे पहले मैं विशेष रूप से हमारे युवा सांसद, राहुल गांधी द्वारा उठाई गई बात का उल्लेख करना चाहता हूं और उसका समर्थन करना चाहता हूं। हम प्रशासन के लोगों को स्वतंत्रता से कार्य क्यों नहीं करने देते? राजनेता यह निर्णय क्यों करते हैं कि पदोन्नति किसे मिलेगी? यह कार्य किसका है? यह राजनीतिक संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। प्रशासन निष्पक्ष होता है। प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। उन्हें उनकी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने दिया जाए। अब हम आतंकवादियों पर नियंत्रण में व्यस्त नहीं हैं लेकिन हम राजनेताओं और जनता की आवाज को नियंत्रित करने में व्यस्त हैं। जनता की आवाज को नियंत्रित करने का अर्थ है कि जहां भी उनका विरोध होता है हम उनसे सचेत रहते है। राजनेता आतंकवादियों की बजाय विपक्षी राजनीतिक दलों के बारे में अधिक सचेत रहते है क्यों? अक्सर, यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू कर देते हैं, हम पूरा आरोप गृह मंत्रालय पर मढ़ देते हैं लेकिन यह मामला केवल गृह मंत्रालय से संबद्ध नहीं है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे बड़े-बड़े राज्य हैं। प्रत्येक राज्य में हमें सावधानी पूर्वक आसूचना एकत्र करनी होती है। सीमाओं पर बीएसएफ और सीआईएसएफ के सैनिक तैनात हैं। लेकिन मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? पंजाब, पूर्वोत्तर, बंगाल, गुजरात और तटीय भाग भी में हमारी सीमाएं हैं। तमिलनाडु में भी श्रीलंका के साथ हमारी सीमा लगी हुई है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलती रहिए। यह घंटी केवल पहली चेतावनी के लिए थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक वक्ता को 5 मिनट दिए जा रहे हैं। आप अपना भाषण जारी रखें।

कुमारी मतता बनर्जी : महोदय, एक दल के कई सदस्यों ने बोला है और मेरे दल से बोलने वाली मैं एकमात्र सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : यही होता रहा है, आप यह जानती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है। महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आपको अपनी बात कहने का अधिकार है।

कुमारी ममता बनर्जी : धन्यवाद, महोदय।

विशेषतौर पर सीमा क्षेत्रों के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। आजकल सीमा क्षेत्रों में सीमा-पार आतंकवाद अत्यधिक बढ रहा है। आप वहां पर जाएं और जांच करें कि इन आतंकवादियों को श्रय देने वाले राजनीतिक दल कौन से हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारी सीमाएं हैं और क्षेत्राधिकार हैं। यदि आपको ज्ञात होता है कि मेरा दल इस मामले में शामिल है तो आप पहले मेरे दल के विरुद्ध कार्रवाई करें। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहती हूं कि यह निरंतर बढ रहा है। मुझे गुजरात अथवा पंजाब सीमा की अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे पूर्वोत्तर सीमा के बारे में पता है।

मुझे पूर्वोत्तर सीमा के संबंध में जानकारी है। आप कम से कम इस बात की सराहना तो करेंगे कि बचपन से ही मेरी यही राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। पहले मैं कांग्रेस में थी। अब भी, मैं तृणमूल कांग्रेस में हूं? मामला वह नहीं है। मामला यह है, मैं शुरू से ही इस मुद्दे को उठा रही हूं। सीमा क्षेत्रों में, मुझे नहीं पता कि सीमा पर बाड़ है या नहीं। सीमा पर बाड़ कहां है? रोज सीमा पार आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। उनके अपने पहचान पत्र हैं। उनके पास कई सिम कार्ड हैं। यदि आप अमेरिकन सेंटर से कंधार तक अथवा कंधार से संसद तक कार्रवाइयों के ब्लूप्रिंट देखें तो आपको ज्ञात होगा कि मुख्य रास्ता कौन सा है और यह किन स्थानों से होकर आ रहा है। महोदय, मैं, पुनः आपको बता रही हूं कि कृपया देश के उत्तर और पूर्वी भागों के सीमा क्षेत्रों को अधिक महत्व दें।

पूर्वोत्तर को देखिए। मैं पश्चिम बंगाल से हूं। भौगोलिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल, बांग्लादेश पकिस्तान और नेपाल के प्रवेश द्वार हैं अरुणाचल प्रदेश चीन, बर्मा और पूर्वोत्तर सीमाओं का प्रवेशद्वार है। यदि आप देखें तो सभी सीमाएं खुली हैं। यहां पर सिमकार्ड, पहचान पत्र और मतदाता सूची पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनके पास सब कुछ है। वहां पर सब कुछ उपलब्ध है। यदि आप एक राजनीतिक केन्द्र में जाएंगे तो वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि ऐसा सब है तो मेरे ख्याल से यदि आप केवल केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हैं तो राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह एक संयुक्त संघीय व्यवस्था है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को ही ध्यान रखना होगा। मैं यह नहीं कह सकती कि केवल केन्द्र सरकार को सुरक्षा का ध्यान रखना होगा राज्य सरकार को नहीं। राज्य सरकार प्रश्रय देगी और आरोप केन्द्र सरकार पर लगे, यह कोई ठीक बात नहीं है। प्रत्येक को जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, उत्तरी बंगाल को लीजिए। आप जानते हैं कि जब आप वित्त मंत्री थे आपने एक बार भारतीय रिजर्व बैंक की जांच की थी। विदेशी मुद्राएं परिचालन में हैं। यह सब चल रहा है। यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रही हूं कि देश का पूर्वोत्तर भाग और पूर्वी भाग भी एक दिन देश से अलग हो जाएगा। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आप विशेष रूप से ध्यान देते हैं।

तटीय क्षेत्र के संबंध में भी मैं आपको एक सूचना दे रही हूं। महोदय, यदि हमें आपको कोई जानकारी देनी हो, यदि हमारे पास कोई जानकारी हो तो हम वह कहां दे सकते हैं? कृपया हमें बताएं। आम आदमी भी आपको जानकारी दे सकता है। लेकिन कैसे? इसकी क्या पद्धति है? वे जानकारी कैसे देंगे? केवल एक संस्था, पुलिस जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। प्रेस, मीडिया और आम जनता सूचना दे सकती है लेकिन सूचना किसे दें? वे सूचना कहां दें?

कई बार मुझे फोन आता है और मुझे पता है कि यह कॉल वास्तविक नहीं है। चाहे मेरा फोन काम न कर रहा हो लेकिन डुप्लीकेट सिम कार्ड भी उपलब्ध हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। मैं आपसे इस पर व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि यदि कोई मुझे कॉल करता है तो मुझे कितनी कठिनाई होती है और मैं पुनः जांचती हूं। कि कॉल करने वाले का नाम सही है या नहीं। अक्सर मुझे लगता है कि यह सही नहीं है क्योंकि आतंकवाद बढ़ रहा है; इसलिए मैं यह जानकारी सभी को देना चाहती हूं। लेकिन मैं यह जानकारी किसे भेजूं? कभी कभी मैं प्राथमिकी भी दर्ज करा देती हूं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ नहीं होता।

महोदय, दो-तीन महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं।

कृपया इस ओर ध्यान दे कि जनता के लिए एक सार्वजिक इन्फामैशन विंडो सेन्टर हो ताकि जनता आप तक पहुंचा सके।

एक जगह है- बंगाल की खाड़ी। मैं आपसे तटीय क्षेत्र के बारे में बात कर रही हूं। यहां पर एक बहुत ही संवदेनशील तटीय स्थल है। इस स्थान का नाम है जम्बू द्वीप। क्या मैं आपको इसके बारे में बताऊं? मैंने इसके बारे में कई बार कहा है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। किसको चिंता है? बांग्लादेशी जिहादी आ रहे हैं? बांग्लादेश के झंडे से युक्त जहाज आ रहे हैं। लेकिन जब वे सीमा पार करते हैं, भारतीय झंडा लगा देते हैं। इसी प्रकार से कई गतिविधियां हो रही हैं। मैं इसमे ज्यादा नहीं कह सकती। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पूरी जानकारी दे दूंगी। यह सब चल रहा है।

इसलिए, यदि ऐसा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति दोष देगा। किंतु जब सब कुछ तैयार है तो मैं अपने देश को इस तरह मरता नहीं देख सकता हूं। हम चाहते हैं कि हमारा देश विद्यमान रहे क्योंकि हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत करता हूं:

"जहां मन भयमुक्त हों वहां सिर ऊंचा रहता है; जहां ज्ञान बंधनहीन है; जहां संसार संकीर्ण क्षेत्रीय विचारधाराओं में नहीं हैं। जहां मन सदैव बड़ा सोचने और कर्म करने को करता है।"

मैं चाहता हूं कि मेरा देश जाग उठे।

महोदय, हम अपने पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं हूं। किंतु उन्हें यह बात समझनी होगी कि उन्हें आतंकवादियों, आतंकवाद और आतंकी संगठनों को संरक्षण नहीं देना है। वे कूटनीतिक रूप से दोहरी भूमिका नहीं निभा सकते है। एक ओर तो वे आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति अथवा कोई पंथ नहीं होता है। वे आतंकवादी होते हैं। आतंकवाद का कोई जाति या पंथ नहीं होता।

यहाँ मैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की प्रशंसा करती हूं कि उनके लिए देश हित सर्वोपरि हैं और देशभर में सभी लोग एकजुट हैं और उनके लिए देशहित सर्वोपरि है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इसीलिए हम एकजुट हैं। किंतु हमें पाकिस्तान से कहना है कि वह आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करें। आतंकवादी अलग हैं और उनकी कोई जाति अथवा उनका कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ के साथ मैं समाप्त करती हूं।

आज जो भी सहयोग चाहते हैं, कृपया हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम आपको सूचना भी दे सकें। हमारी पार्टी खत्म हो सकती है किंतु यह देश समाप्त नहीं हो सकता है। यह संसद सदैव चलती रहे। यह संदेश हर जगह पहुंचे कि हम एक हैं, हम एक साथ हैं और हम मिलकर युद्ध और संघर्ष करेंगे। कमजोरी मृत्यु होती है; ताकत हमारी दवा है। ताकत संसुदीक बीमारियों की दवा है। हमें आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना है, हमें उन्हें बताना है कि भारत एक है और भारत संसार को राह दिखाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अब श्रीमती प्रिया दत्त को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट के स्थान पर आपने 14 मिनट का समय लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति को पांच मिनट का समय मिल रहा है; आपने 14 मिनट लिया है। आपने 14 मिनट का समय ले लिया है। आप अवसर का लाभ उठाना जानती है।। मुझे पता है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए दुर्भाव न पालें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं अक्सर यहां नहीं आती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको अक्सर आना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया हमें भी कुछ स्नेह दीजिए. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा पूरा स्नेह है। मैं आप से कह रहा हूं कि आप यदि आएं ताकि हर बार आप बोल सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह है।

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय,।

महोदय, देश 26 नवम्बर के दिन को कभी नहीं भूल सकता है। महोदय, 26 नवम्बर की शाम कई लोगों के लिए हर शाम की तरह थी; बच्चों को सुलाया जा रहा था; माता-पिता रात के खाने के लिए जा रहे थे, सारा काम सदा की भांति चल रहा था लियोपोल्ड में मुंम्बई के युवा बैठकर बातचीत कर रहे थे। किंतु किसी ने कभी नहीं अंदाजा लगाया होगा कि आगे क्या होने वाला था। कोई भी व्यक्ति इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यह तीन दिनों का आतंक और कुछ लोगों की जान जाने की शुरूआत थी।

महोदय, 26 नवम्बर को मुम्बई ही नहीं वरन् संसार ने टेलिविजन पर्दे पर इस आतंक को देखा, उन रातों को मुम्बई पीड़ितों के साथ जगी रही, लोग अपने परिवारों के साथ होटलों के भीतर रहे। वे यह देखने के लिए जगे रहे, उन्होंने प्रार्थना की, उनमें चिंता, गुस्सा, हताशा, थी, वे असहाय दिख रहे थे क्योंकि हमने देखा कि होटलों से लाशें निकाली जा रही थी, सियोपोल्ड से लाशें निकाली जा रही थी, हमने देखा कि पुलिस अधिकारी इन आतंकवादियों की गोलियों से ढेर हो रहे थे, शुरूआत में इनका चेहरा नहीं दिख रहा था। किंतु जल्द ही उनके चेहरे टेलिविजन पर्दे पर उभर कर आ रहे थे। संपूर्ण देश और मुम्बई ने उनके चेहरे को देखा।

शुरूआत में डर था, डर यह था कि हमारे देश के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया था, यह युद्ध शहरी युद्ध था। सभी ने कहा है कि यह आतंकवाद एक नए तरह का आतंकवाद था। मैं सहमत हूं। हमने न तो इस तरह का आतंकवाद देखा है और न ही हम इस तरह के आतंकवाद से जुझने के लिए सुसज्जित थे। मेरे विचार से टी. वी. पर दिखाए गए कार्यक्रम हमारी चूक तथा इस तरह के आतंक का सामना करने की हमारी अक्षमता उजागर हुई थी।

मैं इसे दुहराना चाहूंगी कि किसी भी राज्य में प्रथम पंक्ति की सुरक्षा पुलिस होती है। हमारे पुलिस बल सबसे पहले लोगों की रक्षा के लिए आगे आए, वे शुरूआत में यह नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। किंतु जल्द ही वे जान गए कि यह आतंकी हमला था। आतंकवादियों ने स्वचलित हथियारों का प्रयोग किया जबकि हमारे पुलिस बल लाठी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हथियार के साथ खड़े थे। अग्रिम पंक्ति में खड़े थे और स्वयं की रक्षा के किसी उपकरण से रहित हमारी रक्षा कर रहे थे। मैं उन अधिकारियों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करती हूं और उन्हें सलाम करती हूं जिन्होंने अग्रिम पंक्ति में रह कर लड़ाई लड़ी और हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया।

मैं अपने माननीय गृह मंत्री की प्रशंसा करूंगी जो स्थिति के आकलन और उपचारात्मक कदम उठाने के एक-सूत्रीय कार्यक्रम के साथ शहर आए थे। मैं उन सभी मुद्दों से सहमत हूं, जिन्हें उन्होंने नोट किया है क्योंकि उन्हीं जगहों पर हमारी सुरक्षा असफल हुई, यथा तटीय सुरक्षा, एनएसजी में देरी, गुप्तचर सूचना एकत्रित करने एवं इसे प्रेषित करने में चूक। हम इन बदलावों का स्वागत करते हैं और मैं मानती हूं कि ये बदलाव हमारे देश की आतंरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम हैं।

तीन बिंदु हैं जिन्हें मैं उठाना चाहूंगी। पहला, मैंने पुलिस के बारे में कहा। मैं महसूस करती हूं कि पुलिस सुधार एक उपाय है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस नए युग के आतंक से 8 मुकाबले के लिए सुसज्जित किए जाएं तो ये सुधार आवश्यक है। इन हमलों में हमने अपने तीन बेहतरीन अधिकारी खो दिए है और इससे उन आतंकवादियों के समक्ष पुलिस बल अनावृत हो गया जो सुसज्जित, सुप्रशिक्षित और प्रतिबद्ध थे। इसलिए इस तरह के आतंक से लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षत पुलिस बल की आवश्यकता है।

जिन अधिकारियों ने अपना बलिदान दिया उनके प्रति सबसे अच्छी श्रद्धाञ्जलि यह होगी कि पुलिस बल में लागू किए जा सकने वाले बदलाव किए जाएं। यहां बैठे हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि लोगों को ईमानदार, समक्ष, प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान की जाए ताकि कानून का शासन, सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित हो। जैसा कि मेरे साथी श्री राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस बल, जो हमे सुरक्षा प्रदान करता है, को राजनीति से मुक्त करना बड़ा महत्त्वपूर्ण है। हम अपने सशस्त्र बलों अथवा अपने पुलिस बल पर पैसा खर्च करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं की, अपने परिवारों और बच्चों की सुरक्षा कर रहे है। ये पैसा बेकार खर्च नहीं किए जाते हैं।

दूसरा, जहां तक सामयिक सुधारो का संबंध है, हमने देश कि मसूद अजहर जैसे लोगों, जो 6 साल से अधिक समय से हमारे जेलों में थे और जो आतंकवादियों के लिए मोल-तोल का मुद्दा बन गए, के परिप्रेक्ष्य में है। हमने देखा कि उन्हें जहाज अगवा करने वालों को सौंपा गया और आज वही व्यक्ति लश्करे तयैबा का मुखिया है और मुम्बई घुसने वाले इन आतंकवादियों को जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, उनमें से एक हो।

तीसरा और सबसे मतत्वपूर्ण पहलू है, हम मीडिया की भूमिका देखते हैं। मैं जानता हूं कि कुछेक समाचार चैनलों को जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत प्रभावनीय जानकारी दी, परन्तु अनेक चैनल ऐसे भी थे जिन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस घटना को सनसनीखेज बना दिया। अनेक बार, हमने देखा कि इससे कार्यवाही (आपरेशन) को जोखिम में डाला जा रहा था क्योंकि पुलिस और हमारी एनएसजी की गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा था, और यह सूचना सीधे आतंकवादियों के पास तक पहुंच रही थी।

सायं 6.00 बजे

अन्दर बन्धकों के साक्षात्कार लिए जा रहे थे जिन्हें प्रसारित किया जा रहा था। कुछ चैनल ऐसे भी थे जिन्होंने अन्दर से आतंकवादियों से बात करने का दावा किया। मेरे विचार में ऐसे जोखिम पूर्ण कार्य के कारण घटना के शिकार लोगों और सुरक्षा बलों के जीवन को जोखिम में डाला हैं। मैं सोचता हूं; जहां तक मीडिया का संबंध है कतिपय दिशानिर्देश और मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सहयोग के लिए धन्यवाद। माननीय सदस्यों मेरे पास नौ और लोगों के नाम हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी के उत्तर देने से पहले बोलने के लिए बुलाना है। पांच मिनट की समयावधि को पूरी सख्ती से लागू करने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. महादेव राव शिवनकर (चिमूर) : सर, जब मेरा नाम आकर गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है। आपका टाइम खत्म नहीं हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें। सदस्यों में सहयोग की भावना है। अध्यक्ष पीठ भी यह सहयोग चाहती है। जो कोई भी अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं उनका बहुत स्वागत है। वे इसे पढ़ने की बजाय, उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : "मुम्बई में ताज होटल और अन्य स्थानों पर 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में "आतंकवादी" हमले" के इस विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका अभारी हूं। आतंकवादियों ने विदेशियों सहित 150 से अधिक लोगों की जान ली है और लगभग 600 लोग घायल हुए थे। विदेशी हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए आए थे और जो नागरिक मारे गए वे सभी निर्दोष लोग थे। इन आतंकी कृत्यों की निन्दा होनी चाहिए। मैं यहां उस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं जिसे माननीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें से अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी और अन्य अधिकारी थे। जिन लोगों ने हमारे देश को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है हम उन्हें नमन करते हैं।

महोदय, 26 नवम्बर, 2008 बहुत दुःखद दिन था। आठ राज्यों और चार केन्द्र शासित राज्यों में तेज गति से चलने वाली नौकाओं और कर्मचारियों से सुसज्जित विशिष्ट समुद्री पुलिस स्टेशनों की स्थापना, जो हमारे भारतीय तटवर्ती क्षेत्र के कुल 7600 किलोमीटर क्षेत्र को समाहित करेंगी, एवं स्वागत योग्य कदम है। स्थायी उपाय के रूप में पर्याप्त संख्या में तटवर्ती गश्ती जहाज और विमान तैनात किए जाने चाहिए। राज्य की प्रभुसत्ता और हमारे नागरिकों की सुरक्षा में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, हमें भारतीय तट सीमा की रक्षा करने के लिए समुचित प्रशिक्षण और जागरूकता रखने वाले अथवा चौकस दस्तों या समूहों को नियुक्त करना चाहिए।

अब सही समय है कि हम अपने कोस्टल गार्डों को पर्याप्त अवसंरचना और उपस्कर उपलब्ध कराकर मजबूत बनाएं जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता के अनुरूप हों उन आतंकवादियों का सामना किया जा सके जो ऐसे उपस्करों का उपयोग करते हैं। गृह मंत्रालय के एनएसजी, जैसे बल सभी मेट्रो शहरों में भी भारी संख्या में होने चाहिए और अपेक्षित संख्या में क्षेत्रीय एनएसजी को तैयार किया जाना चाहिए जिन्हें जमीनी और समुद्री दोनों स्थितियों में कमाण्डो कार्रवाई करने संबंधी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब हमें भूमि और समुद्री दोनों से अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना होगा।

महोदय, मैं श्री वायको जो वर्ल्ड तमिल्स के नेता हैं की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु की समुद्री एमडीएम के पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। मैं पुनः जोर देना चाहता हूं कि हम मुम्बई में ताज होटल और अन्य स्थानों पर आतंकवादी हमलों की निन्दा करते हैं। देश में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम सभी एकजुट हैं।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मोहतरम स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले हुकूमत की तरफ से जो खरादात पेश की गई है, उसकी पुरजोर ताइद करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मुम्बई में जो वाकया हुआ, किस तरीके से इंसानी जानों को वहां खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। लाशों के अम्बार लगाये गये। चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिये मेरा पहला पाइंट यह है कि हकूमत की तरफ से जो कौमी तहकीकात एजैंसी का ऐलान किया गया है, मैं इस खैर-मखद्दम करता हूं कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, महज रियासत और मरकज से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि आज यह हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि रियासती पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वह इन तहशतगर्दी के वाकयात का सही तरीके से तहकीकात कर सके। इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जयपुर में जो बम बलास्ट हुआ, उस बम बलास्ट के लिये जिस अखबार में बम रखा गया, वह तेलुगू अखबार था और वहां की पुलिस को पता ही नहीं था कि यह तेलुगू अखबार था। ऐसी कई चीजें हैं कि जो कौमी तहकीकात एजैंसी बनायी जा रही है, उसका हम खैर मखदम करते हैं।

स्पीकर साहब, मेरा दूसरा पांइट यह है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने इस बार बकरीद बहुत ही सादगी से मनाई। इसलिये कि हम मुल्क को बताना चाहते हैं कि हमारा उन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बार बार कहते आये हैं और कहते रहेंगे कि पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हिन्दुस्तान हमारा मुल्क है, यहीं पर हमारा मुकद्दर है। आज भी जो लोग हिन्दुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, 60 साल पहले हमारे लोग पाकिस्तान नहीं गये। क्यों नहीं गये, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर ये अलफाज इस्तेमाल किये थे कि तुम लोग हिजरत के मुकद्दस नाम पर फराज की जिन्दगी गुजार रहे हो। वे अलफाज आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, हिन्दुस्तान हमारा मुल्क है, यकीनन हम यहां पर रहेंगे और पाकिस्तान की सरजीं से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, एक वक्त आयेगा जब पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को नहीं रोकेगा और एक दिन ऐसा भी आयेगा कि कहीं पाकिस्तान का आशियाना इसमें न जल जाये। कहीं पाकिस्तान के और टुकड़े न हो जायें मगर साथ ही साथ मोहतरम स्पीकर साहब, हम हकूमत को आपके जरिये से बताना चाहते हैं कि आप बातचीत के सिलसिले को जारी रखिये। पाकिस्तान में जो लोग हिन्दुस्तान के मौकों की ताईद करते हैं, उनसे बातचीत करिये। किसी हद तक हमें बहुत दूर जाने की जरूरत है, उन तमाम कातिलान को उनके किरदार तक पहुचने की जरूरत है।

मोहतरम चिदम्बरम साहब को नया चैलेंज है क्योंकि वह नये वजीरे-दाखिला हैं। मगर मैं तो कहूंगा कि उनके लिये एक घातक चुनौती है और उनके लिये हमारी नेक तमन्ना उनके साथ है। स्पीकर साहब, हैदराबाद में एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया कि ओवैसी साहब, मैंने टी.वी. पर उस वक्त के वजीरे-दाखिला को कहते सुना कि तीन घंटे के अंदर हमारी एन.एस.जी. मुम्बई पहुंच जायेगी, सवा एक बजे दिल्ली से फ्लाईट निकलेगी। तो वह नौजवान मुझ से पूछना चाह रहा था कि क्या हिन्दुस्तान के सियासतदान, हिन्दुस्तान के वजीरे-दाखिला इस तरह के बयान देकर तीन घंटे का टाइम उन दहशतगर्दों को दे रहा है कि उन तीन घंटे में जो तबाह करना चाहते हो, तबाह कर दो। आपको इस पर भी नोट लेना पड़ेगा। एक अहम बात आज के नौजवानों के दिलों में यह बात है कि अखबारात में आया कि हुकूमत की कौमी सलामती के मुशीर, जिस वक्त दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, यहां पर एक पार्लिमान के घर पर बैठकर दावत खा रहे थे। दो घंटे तक वहीं पर रहे। तीन घंटे के बाद वजीरे आजम के घर पर क्राइसेज मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग होती है। अगर इस तरह का रवैया होगा तो हम किस तरह से दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं? एक बहरान का हमारा मुल्क शिकार हो चुका है। इसके, लिये, स्पीकर साहब, एक सही तरीके से सिस्टम को लागू किया जाये। स्पीकर साहब, हमारे सामने जो सब से खतरनाक बात आ रही है, वह यह है कि अमरीका में बैठकर नरीमन हाउस में दहशतगर्दों ने जिन लोगों को गमाल बनाये हैं, उन से बातचीत करते हैं। कि मुल्क की सौवरनेटी मदाखलत नहीं है। किस तरह अमरीका में बैठे हुये यहूदी लोग नरीमन हाउस में दहशतगर्दों से बातचीत कर सकते हैं? उस पर हमारी हकूमत खामोश क्यों बैठी हुई है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से लोग कह रहे थे कि 9/11 की तरह जिस तरह अमरीका ने किया, क्या हिन्दुस्तान में हम ग्वानटानमों बनायेंगे? और अमरीका की 9/11 की जंग दुनिया में और दहशतगर्दों को और फायदा करेगी? स्पीकर साहब, एक नहीं बल्कि हजारों दहशतगर्द पैदा होंगे। हिन्दुस्तान को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिये।

स्पीकर साहब, आखिर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर सियासी जिम्मेदारी है, वहां पर तानाशाही पर भी जिम्मेदारी आ जाती है। जहां पर उजरा को अपनी गद्दियों को छोड़ना पड़ा, तो ब्यूरोक्रसी क्या करेगी? स्पीकर साहब, हमारे अपोजीशन लीडर ने एक बात कही कि *[अनुवाद]* आध्यात्मिक इस्लाम तो ठीक है परन्तु राजनीतिक इस्लाम नहीं। *[हिन्दी]* अगर इनकी बात बिलकुल सही है तो मैं मानता हूं कि *[अनुवाद]* आध्यात्मिक हिन्दुत्व तो ठीक है लेकिन राजनीतिक हिन्दुत्व नहीं। *[हिन्दी]* अगर आप हर चीज को इस्लाम से जोड़ेंगे तो बात कहां पर खत्म होगी? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को एहतमाद में लें और दहशतगर्दों के खिलाफ हम आपके साथ हैं। अगर आप हम पर एहतमाद करेंगे, अगर आपके दिलो दिमाग में शक की सुई है, उसे निकालें। आखिर कब तक हम पर शक करेंगे? मैं आपसे फिर कहूंगा कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन इंशा अल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों से तमाम तरह से निपट लेंगे।

جناب اسد الدین اوویسی (حیدر آباد): محترم اسپیکر صاحب، میں سب سے پہلے حکومت کی طرف سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ممبئی میں جو واقعہ ہوا، کس طریقے سے انسانی جانوں کو وہاں کھلونے کی طرح استعمال کیا گیا۔ لاشوں کے انبار لگائے گئے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لئے میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو قومی تحقیقات ایجنسی کا اعلان کیا گیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، محض ریاست اور مرکز سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ آج یہ ہندوستان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اور ریاستی پولس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے واقعات کی سہی طریقے سے تحقیقات کر سکے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جے پور میں جو بم بلاسٹ ہوا۔ اس بم بلاسٹ کے لئے جس اخبار میں بم رکھا گیا تھا، وہ تیلگو اخبار تھا، اور وہاں کی مقامی پولس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تیلگو اخبار تھا، ایسی کئی چیزیں ہیں۔ جو قومی تحقیقات ایجنسی بنائی جا رہی ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔

اسپیکر صاحب، میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس بار بقرعید بہت سادگی سے منائی۔ اس لئے کہ ہم ملک کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اُن واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بار بار کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، اور یہیں پر ہمارا مقدر ہے۔ آج بھی جو لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں، 60 سال پہلے ہمارے آباواجداد پاکستان نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہوکر یہ الفاظ استعمال کئے تھے کہ تم لوگ ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی گزار رہے ہو۔ وہ الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، یقیناً ہم یہاں پر رہیں گے، اور پاکستان کی سرزمیں سے جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اگر پاکستان ان دہشت گردوں کو نہیں روکے گا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، پاکستان کا آشیانہ اس میں جل جائے گا اور شاید پاکستان کے اور ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم اسپیکر صاحب، ہم حکومت کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ پاکستان میں جو لوگ ہندوستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں، ان سے بات چیت کریئے۔ کسی حد تک ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت ہے، ان تمام قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔

اسپیکر صاحب، میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ محترم چدمبرم صاحب کے سامنے نیا چیلنج ہے کیونکہ وہ نئے وزیر داخلہ ہیں۔ مگر میں تو کہوں گا کہ ان کے لئے یہ ایک poisonous chalice اور ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہے۔ اسپیکر صاحب، حیدرآباد میں ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ اوویسی صاحب، میں نے ٹی۔وی۔ پر اس وقت کے وزیر داخلہ کو کہتے سنا کہ تین گھنٹے کے اندر ہماری این۔ایس۔جی۔ ممبئی پہنچ جائے گی، سوا ایک بجے دہلی سے فلائٹ نکلے گی، تو

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

وہ نوجوان مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہندوستان کے سیاست داں، ہندوستان کے وزیرِ داخلہ اس طرح کا بیان دے کر تین گھنٹے کا ٹائم ان دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ تم تین گھنٹے کے اندر جو تباہ کرنا چاہتے ہو، تباہ کردو۔ آپ کو اس پر بھی دھیان دینا پڑے گا۔ آج کے نوجوانوں کے دلوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اخبارات میں آیا ہے کہ حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر، جس وقت دہشت گردی کے واقعات ہور ہے تھے، وہ یہاں پر ایک رکن پارلیمنٹ کے گھر بیٹھ کر دعوت کھا رہے تھے۔ دو گھنٹے وہی پر رہے، تین گھنٹے کے بعد وزیرِ اعظم کے گھر پر Crisis Management Group کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کا رویّہ ہوگا تو ہم کس طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت ایک بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے لئے اسپیکر صاحب، سہی طریقے سے سسٹم کو لاگو کیا جائے۔ اسپیکر صاحب ہمارے سامنے جو سب سے خطرناک بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ امریکہ میں بیٹھ کر زیمن ہاؤس میں بیٹھ کر دہشت گردوں نے جن لوگوں کو یرغمال بنایا، ان سے بات چیت کرتے ہیں، کیا یہ ملک کی سوورینٹی میں مداخلت نہیں ہے۔ کس طرح امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ زیمن ہاؤس میں دہشت گردوں سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اس پر ہماری حکومت خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ میں آپ کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ 9/11 کی طرح جس طرح امریکہ نے کیا، کیا ہندوستان میں ہم گوانتانموں بنائیں گے؟ اور امریکہ کی 9/11 کی جنگ دنیا میں اور دہشت گردوں کو پیدا کر دے گی، ایک نہیں بلکہ ہزاروں دہشت گردوں کو پیدا کر دے گی، ہندوستان کو اس راستے پر نہیں جانا چاہئے۔

اسپیکر صاحب، آخر میں، میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر سیاسی ذمہ داری ہے، وہاں پر تاناشاہی پر بھی ذمہ داری آجاتی ہے۔ جہاں پر وزراء کو اپنی گدی کو چھوڑنا پڑا، تو بیوروکریسی کیا کرے گی؟ اسپیکر صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر نے ایک بات کہی ہے کہ Spiritual Islam is all right but not politcal Islam، اور اگر ان کی بات بالکل سہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ Spiritual Hinduism is all right but not Political Hindutva. اگر آپ ہر چیز کو اسلام سے جوڑیں گے تو بات کہاں پر ختم ہوگی؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اعتماد میں لیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہم پر اعتماد کریں گے، اگر آپ کے دلوں دماغ میں شک کی سوئی ہے اسے نکالیں۔ آخر کب تک ہم پر شک کریں گے؟ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ہم سب کو ساتھ لیکر آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان دہشت گردوں سے تمام طرح سے نپٹ لیں گے۔۔۔۔ شکریہ

(ختم شد)

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मुंबई में, इस वर्ष तीन आतंकवादी हमले हुए। यह हमला बहुत कायरतापूर्ण और अमानवीय है; और हम जानते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता।

उन्नीकृष्णन से लेकर करकरे तक और वे सभी सुरक्षा कर्मी जो बहादुरी से लड़े और जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया- जिन लोगों ने देश की रक्षा करने में अपने जीवन होम कर दिए उन सभी के प्रति मैं, अपनी पार्टी और देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

यह आतंकवादी हमला क्यों हुआ? इस हमले का उद्देश्य क्या था? उन्होंने कभी भी फिरौती की रकम नहीं मागी, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को फिरौती की रकम के लिए नहीं पकड़ा; उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की। जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा और जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उसने बताया कि वे केवल लोगों को मारना चाहते हैं। वे लगभग 5000 लोगों को मारना चाहते थे। वे अंधाधुंध तरीके से हर उस व्यक्ति को मारना चाहते थे जो उनकी बन्दूक के सामने आ रहा था। क्यों? इस सबका उद्देश्य और लक्ष्य क्या था?

वे इस देश को बांटना चाहते थे और अल्प समय में ही वे साम्प्रदायिक विभालन के रूप में कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच इस देश में अलगाव पैदा करना चाहते थे। वे इसमें कभी भी सफल नहीं होने चाहिए और राष्ट्र को एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए। उनके लिए केवल यही एक प्रतिकार हो सकता है।

यह सही है कि उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया। हमने विदेश मंत्री का भाषण सुना है। हमें पाकिस्तान को एक राष्ट्र और पाकिस्तान से लोगों में अंतर को समझना चाहिए। पाकिस्तान का निर्माण ही रूढ़िवादी लोगों की सोच से हुआ है। यह कोई नैसर्गिक विभाजन नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान से लेकर महात्मा गांधी तक, सभी विभाजन के विरोधी थे। मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी इस हमले का शिकार है। बेनजीर भुट्टों ने अपनी जान गंवाई। मेरिअट होटल को विनष्ट किया गया। वे भी हमारी तरह आतंकवादी हमलों के शिकार रहे हैं।

पाकिस्तान में असैनिक सरकार को अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम असैनिक सरकार को अस्थिर करेंगे तो क्या होगा? सेना सत्ता संभाल लेगी, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें तथ्यों और आंकड़ों की पूरी जानकारी है।

ये सभी सूचनाएं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के समक्ष लायी जानी चाहिए और उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। यह न केवल हमारी सुरक्षा बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आई.एस.आई. संभवतः अपने स्तर से कोई साजिश रच रही हो जो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति की जानकारी में हो। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कोई विकल्प नहीं है। हम अपने पड़ोसी के साथ निरंतर युद्ध की स्थिति में नहीं रह सकते। हम किसी सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते जो लोगों द्वारा चुनी गई हो।

हमें आसूचना की स्थिति पर विचार करना चाहिए। किस प्रकार कोई हमारी समुद्री सीमा में आता है, बोट लेता है, हमारे तट पर आता है, आराम से अपने लक्ष्यों या उन स्थानों पर जाता है। जहां वे जाना चाहते हैं और लोगों पर गोलियां चलाते हैं? यह कैसे संभव हुआ? क्या हम किसी होटल में इस तरह घुस सकते है? हमारे देश में, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? यह आसूचना तंत्र की कमजोरी है। आसूचना एजेंसियों को निश्चित रूप से इसकी सूचना होगी। सभी कह रहे हैं कि उन्हें 2-3 महीने पहले से सूचना थी। फिर यह कैसे हो गया? यह बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं उनका कटु आलोचक हूं। परंतु हमारे तंत्र में कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं। इन्हें ठीक करना होगा। उन्होंने कहा कि वे इस पर ध्यान देंगे, मैं इससे बहुत खुश हूं।

अंततः पोटा और टाडा जैसे अत्यन्त सख्त कानून क्यों चाहते हैं। हमारे पास पोटा था; हमारे पास टाडा था, फिर भी संसद पर हमला क्यों हुआ? इन सभी कानूनों के रहते हुए भी संसद पर हमला हुआ। आप कोई भी कानून ला सकते है परंतु हमारे पास पहले से ही आतंकवाद से निपटने के लिए कानून है। हमारे पास उन कानूनों के रहते हुए भी हमारे देश में निर्दोष लोग इसके शिकार होते हैं। यदि मौजूदा कानूनों में खामियां है, उनमें अवश्य सुधार किया जाना चाहिए परंतु

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

पोटा और टाडा जैसे कानून नहीं होने चाहिए। हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए।

***श्री एस.के. खारवेन्थन** (पलानी) : 26-11-2008 को मुंबई पर आतंकी हमला देश की अर्थ व्यवस्था पर हमला था। भारत में हुए पहले के सभी आतंकवादी हमलों और मुंबई पर किए गए हमले की विवेचना में एक महत्वपूर्ण अंतर है। इस समय विवेचना करने वालों को काफी सारी सूचनाएं तुरंत उपलब्ध हो गयी हैं। आरंभिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया पाकिस्तान के खिलाफ साक्ष्य है। मुंबई पर आतंकवादी हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था और दुनिया भर के देश इस बात को मानते है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत पर किए गए प्रमुख आतंकवादी हमले इस प्रकार हैं-

2000 - दिल्ली लाल किला हमला

2001 - संसद भवन पर हमला

2002 - अक्षरधाम मंदिर, गुजरात पर हमला

2006 - अयोध्या, राम मंदिर पर हमला

2008 - मुंबई पर हमला तथा दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, हैदराबाद तथा देश के अन्य कई शहरों में किये गए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में जान-माल की काफी हानि हुई। ये सभी घटनाएं सुनियोजित थीं।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण अडवाणी ने 04-12-2008 को राजस्थान में अपने चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि ''केन्द्र की संप्रग सरकार देश को सुरक्षित नहीं रख सकती परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे कंधार विमान अपहरण की घटना को भूल गए। मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी संगठन तथा इस घटना की साजिश रचने वाले दुर्दांत आतंकवादी, वे आतंकवादी है, जो वर्ष 1999 में कंधार विमान अपहरण में शामिल थे। वर्ष 1999 में आई.सी.-814 का अपहरण कर कंधार ले जाया गया था और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। उस समय राजग सत्ता में थी। श्री आडवाणी उस समय इस देश के गृह मंत्री थे। उक्त घटना में बंधकों की रिपोर्ट के लिए तत्कालीन सरकार ने मौलाना मजूद अजहर को छोड़ा था और अब वह सर्वाधिक वांछित आरोपी और मुंबई आतंकवादी हमले का मुख्य साजिशकर्त्ता है।

राजग शासनकाल के दौरान सरकार तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने में असफल रही। वर्ष 2003 में गुजरात सरकार ने 1600 कि.मी. तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए 311 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था परंतु केन्द्र की राजग सरकार कोई कार्रवाई करने में विफल रही। इससे हमारे तटीय क्षेत्र सुभेद्य हो गए और तटीय सुरक्षा में कमियां आई।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मुंबई आतंकवादी हमले पर चर्चा के दौरान मैडम सोनिया जी ने आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए कड़े निर्णय लिए जाने पर बल दिया।

अब भारत चाहता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों आऊद इब्राहिम, छोटा शकील आदि सहित ''20 सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों को उसे सौंप दे। यदि पाकिस्तान उन्हें भारत को नहीं सौंपता है तो भारत को पाकिस्तान से सभी आतंकवादियों को निकाल बाहर करने के लिए और पूरे विश्व को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध घोषित कर देना चाहिए।

सम्पूर्ण देश पाकिस्तान और पाकिस्तान में छुपे आतकवादियों को सबक सिखाना चाहता हूं।

हमारी सरकार इस तरह के अपराधों के नियंत्रण के लिए संघीय पुलिस के गठन का निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही, मैं माननीय मंत्री श्री पी. चिदम्बरम से अनुरोध करता हूं कि वे आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए सख्त उपबंधों के साथ एक कानून अधिनियमित करें। देश भर में पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाया जाना है। उन्हें आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए हर प्रकार के आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पूरे पुलिस बल का आधुनिकीरण किया जाना चाहिए। उन्हें तीव्र गति वाले आधुनिकतम वाहन दिए जाने चाहिए। इस समय एन.एस.जी. के अधिकांश जवान सुरक्षा के नाम पर राजनेताओं की ड्यूटी पर लगे हुए हैं। उन सब को वहां से हटा कर जनता को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए तैनात किया जाना जरूरी है। एन.एस.जी. को आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले विशेष विमान उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि एन.एस.जी. जवान प्रभावित क्षेत्र तक अविलंब पहुंच सकें। वे पुलिस अधिकारी जिन्हें इस हमले में और इस कार्रवाई में जान गंवानी पड़ी है, उनके कानूनी वारिसों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य 'पोटा' वापस लाने पर जोर दे रहे हैं पर यह उचित नहीं है। 'पोटा' लगाए जाने के बाद भारतीय संसद पर हमला किया गया था। इसलिए पोटा से बेहतर एक सख्त कानून तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, प्रत्येक सदस्य को आबंटित पांच मिनट का समय अब चार मिनट का ही रह गया है।

श्री सुब्रत बोस (बारासाट) : आपने मुझे आज यहां इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मुझे प्रशन्नता है कि माननीय विपक्ष के नेता ने आज चर्चा को आरम्भ करते हुए उल्लेख किया कि सभी भारतीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट रहेगें। मुझे इस बात से भी काफी प्रसन्नता है कि सदन के नेता ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से किस प्रकार मामले को उठा रही है, क्या-क्या समस्याएं इत्यादि आ रही है इससे संबंधित कुछ तथ्य हमारे सामने रखें।

मैं समझता हूं कि इससे हमें विश्वास हुआ है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम एक साथ और एकजुट होकर खड़े रह सकते है।

जहां तक मुंबई की घटना का संबंध है, मैं केवल दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक मुद्दा कथित खुफिया रिपोर्ट जो सामने आयी है और जिस पर कार्रवाई नहीं की गई, से संबंधित है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सत्य है परन्तु यदि ऐसा हुआ है तब मेरे विचार से माननीय गृह मंत्री यह सुनिश्चित करेगें कि भविष्य में सभी खुफिया रिपोर्ट, जब वे प्राप्त होती हैं, तब उन्हें अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाए और उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा किया जाता है तब मेरे विचार से आतंकवादियों की अनेक कार्रवाइयों को विफल किया जा सकता है और हम उनसे निपटने में सफल होगें। इससे निश्चय ही आतंकवादियों के मन में निराशा का भाव पैदा होगा और वे हताशा के शिकार होगें। इसके परिणामस्वरूप हम आतंकवादियों की कार्रवाइयों को कम करने में प्रभावी सिद्ध होगें।

मैं इस तथ्य का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि गृह मंत्री ने कहा है कि वह शीघ्र ही सभा में निश्चित रूप से इसी सत्र में, एक विधेयक प्रस्तुत करेगें ताकि सभी आतंकवादियों के विरूद्ध चलाए जा रहे मुकदमे में तेजी लाई जा सके। यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह आतंकी कार्रवाइयों को रोकने में, यदि ज्यादा नहीं तो कुछ सीमा तक एकमात्र निवारक के रूप में कार्य करेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सामान्य न्यायिक व्यवस्था में काफी विलम्ब होता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन सभी व्यक्तियों पर, जिनपर आतंकवाद होने का आरोप है उनपर पर तेजी से मुकदमा चलाया जाए और यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे यह पता चले कि भारत को आतंकवादियों को दण्डित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

चूंकि समय की कमी है, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपने दल की ओर से सरकार को आश्वस्त करता हूं कि हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सरकार को पूरा सहयोग देगें। इस संदर्भ में, मैं सरकार से सदन के सभी दलों के साथ मत, विचार सूचना का भविष्य में आदान प्रदान करने कों लिए एक प्रणाली स्थापित करने का अनुरोध करूंगा ताकि हम कार्रवाई करने में वास्तव में एकजुट रह सके।

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : मुंबई में 26 नवम्बर, 2008 को आतंकियों द्वारा किया गया हमला देश के विरुद्ध युद्ध के समान था। पिछले कई वर्षों से बम विस्फोट की घटनाओं का सामना कर रहे मुंबई के लोगों को 60 घंटे का युद्ध देखने को मिला। इस 60 घंटे में मुंबई पर आतंकी साया छाया रहा। आज हम सभी मुंबई के तत्काल सामान्य होने के जज्बे का वखान कर रहे हैं, लेकिन मुंबई के लोगों में आज भी असुरक्षा की भावना बनी है। प्रारंभिक जांच के निष्कर्षो से पता चलता है कि मुंबई में आये आतंकी समुद्री रास्ते से आये थे। तो क्या अपनी समुद्री सीमा अब आतंकियों के लिए सुरक्षित आने का राजमार्ग बन गई है। मार्च 2007 में एल.ओ.सी. से सटे राजौरी जिले से गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकियों से 2 आतंकी करांची से समुद्र मार्ग से मुंबई आये और मुंबई से कश्मीर में पहुंचने की पुष्ठि हुई थी। नवाबशाह का अब्दुल मजीद और मनसेरा का मुहम्मद जमील के बयान के बाद तत्काल कार्रवाई कर समुद्री सीमा में खामियों को सुधारा गया होता तो 26 नवम्बर, 2008 का आतंकी हमले को हम रोक सकते थे। इसी तरह सरकार ने आतंकवादियों के समुद्री रास्ते को बंद करने के लिए 73 तटवर्ती थाने स्थापित करने का निर्णय लिया था इसमें बताया गया था कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 12 थाने, गुजरात में 10, केरल में 8, आंध्र और प. बंगाल में 6-6, कर्नाटक और उड़ीसा में 5-5, लक्षद्वीप

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

में 4, गोवा में 3 और पांडिचेरी, दमन और दीव में 1-1 तटरक्षक थाना स्थापित करने की योजना थी। क्या यह स्थापित किये गये है। मुंबई में आतंकी हमले में शहीद हुए एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे द्वारा स्वयं तटरक्षक थाने स्थापित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में महीनों से पड़ा था। अगर उस पर कार्रवाई समय रहते हो जाती तो आज यह हादसा नहीं होता। महाराष्ट्र मच्छीमार संगठन के अध्यक्ष तांडेल द्वारा राज्य के एक मंत्री के खिलाफ किये गये गंभीर आरोप को देखते इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी को 60 घंटे बंधक रखने का प्रयास करने वाले आतंकियों को तो हमने मार गिराया, लेकिन सुरक्षा रक्षक और नागरिकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए हमें इसके तह तक जाकर जांच और कार्रवाई करनी होगी। व्यक्ति जितना भी बड़ा हो उस बक्शा नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र सहित सारे देश को हिलाकर रखने वाले इस आतंकी हमले में हम सभी एक हैं। इसका पुनरुच्चार माननीय आडवाणी जी द्वारा दिया गया हम सब भी सरकार के साथ हैं। लेकिन देश की समुद्री सीमा के साथ सुरक्षा बलों को भी चौकस रखना होगा। इसके लिए धन की जरूरत तत्काल पूरी की जाये। मुंबई पुलिस के पास अगर अत्याधुनिक हथियार और अन्य साधन होते तो आतंकियों को पहले ही मारा जा सकता था। सस्ते बुलेटप्रूफ जेकेट के कारण महाराष्ट्र पुलिस के जांबाज सिपाहियों को अकारण प्राण गंवाने पड़े। डंडे के बल पर आतंकियों का सामना नहीं किया जा सकता। पुलिस को अत्याधुनिक हथियार, वाहन से लैस करना होगा। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भी देखा गया कि वहां पर तैनात पुलिस के पास अत्याधुनिक शस्त्र नहीं होने के कारण वह आतंकियों का सामना नहीं कर सके। यह देखते हुए केन्द्र सरकार आर्थिक राजधानी, मुंबई की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक शस्त्र और सुविधा दिलाने में राज्य सरकार को सहायता दे। इतना ही नहीं तो आगे मुंबई के लोगों को आर्थिक राजधानी के कारण हो रहे लगातार हमले, बम विस्फोट झेलना ना पड़े। वह सुरक्षित रहे इसलिए उपचारात्मक प्रयास करने होंगे। मैं इस आतंकी हमले के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस सुरक्षा कर्मी तथा नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए इस घड़ी में हम सब साथ हैं का पुनरुच्चार करता हूं।

मैं मुंबई के नागरिकों की भावना का आदर करता हूं, जो गुस्सा प्रकट किया व मुंबई इतना मीमित नहीं यह भारत की जनता का गुस्सा है। जो आजादी के बाद लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना के बाद जनप्रतिनिधियों के कार्यक्षमता-निर्णयक्षमता तथा साहस का आव्हान किया है प्रश्न चिन्ह लगाये है। इसका हम सभी सत्तापक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को आदर करना चाहिए और सभी को मिलकर इस घटना पर चिंतन ही नहीं कुछ साहसिक कृति करने की आवश्यकता है। इसे हमको भी आखरी कदम माना जाये दोबारा इतना साहस पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकी ना करे इतना साहसिक कदम सरकार द्वारा उठाने की अपेक्षा करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. अरुण शर्मा अगले वक्ता है। मुझे आशा है कि आप अपने सुबह के व्यवहार के लिए खेद प्रकट करेगें। आपको बोलने के लिए चार मिनट का समय है।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मामला उठाना था। सब कुछ तय था। आप इंतजार नहीं करेगें। आप कुछ नहीं सुनते।

डा. अरुण कुमार शर्मा : परन्तु, महोदय कार्य सूची में गृह मंत्री के व्यक्तव्य का कोई उल्लेख नही था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सबकुछ जानते हैं। कृपया अब आरम्भ करें।

डा. अरुण कुमार शर्मा : जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। हमें अपना आक्रोश व्यक्त करना था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्ष को दो सेकेंड का समय देते तो आप सब कुछ सुन सकते थे। समस्या यह है। कृपया अब आप अपनी बात आरम्भ करें। आपको चार मिनट का समय दिया गया है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय, मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं ए.जी.पी., और अपने साथियों की ओर से देश में विशेष कर मुंबई की घटना और असम सहित देश के अन्य भागों में आतंकवादी घटनाओं से कड़ाई से निपटने में इस सदन के संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, मुंबई में आतंकवादी हमले ने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को उजागर कर दिया है। हमने अपने सुरक्षा बलों की खामियों का पता लगाना है। लगभग साठ घंटों तक कुछ हमलावरों ने देश को बंधक बनाए रखा। हमें सटीक रूप से खामियों का पता लगाना है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों में स्पष्ट उल्लेख है कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस नहीं है। हम इस घटना में और देश के अन्य भागों में हुए

ऐसी घटनाओं में जिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ा उनके प्रति पूरी सहानुभूति प्रकट करते है। हम यह भी आशा करते हैं कि खुफिया तंत्र की खामियों, खुफिया तंत्र की चूकों पर गृह मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाएगा। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि चूक के इस पहलू की समीक्षा करेंगें ताकि भविष्य में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए हम बेहतर ढंग से तैयार रहें।

महोदय, आतंकवाद हाल के समय का मुद्दा नहीं है। यह समस्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्षों से रही है। केवल असम में ही गत चार वर्षों में 600 बम विस्फोट हुए हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताकतों के प्रयास हैं, ये केवल असम में ही कोई अलग-थलग घटना नहीं है। अत: हमें प्रसन्नता है कि आपने असम पर विशेष चर्चा और वक्तव्य की अनुमति दी है। हम उस चर्चा में भाग लेगें। राष्ट्रीय चिन्ता के इस विशेष पहलू पर हम सरकार के साथ हैं। हम पूरे सदन के साथ है क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। हमें एकजुट होना होगा और हम हर कीमत पर आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ संकल्प लेते हैं।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़) : महोदय मैं भी सुबह की घटना के लिए खेद व्यक्त प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : असम का मामला सोमवार को सबसे पहले लिया जाएगा।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल : महोदय, डा. अरुण कुमार शर्मा के साथ मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर संबद्ध करने का कोई व्यवस्था नहीं है। आप उनके भाषण के साथ अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं।

श्री रामदास आठवले, आपने अपना अवसर खो दिया है। जब मैंने आपका नाम बुलाया आप उपस्थित नहीं थे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं गलियारे में था।

अध्यक्ष महोदय : मुंबई के लोगों ने आपको गलियारे में रहने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने आपको सदन में उपस्थित रहने के लिए भेजा हैं। फिर भी आप अपना भाषण आरंम्भ कर सकते है। आपके पास केवल चार मिनट हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर, 1949 को बाबे साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान का ड्राफ्ट डा. राजेन्द्र प्रसाद एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू को दिया था। 26 नवम्बर का अटैक केवल इस देश पर अटैक नहीं है, बल्कि इस देश के संविधान पर अटैक था, भारत की एकता और सैक्यूलरिजम पर अटैक था। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस अटैक की निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारा इंटलीजेंस फैल्योर हो चुका था। वे लोग कराची से पोरबंदर आए और वहां से उनको तीन-चार दिन मुम्बई आने में लग गए। उन पर इसी दौरान अटैक किया जाना चाहिए था। आज तक देश में बम्ब ब्लास्ट होते रहे हैं, लेकिन यह ओपनली अटैक है। वे सीएसटी स्टेशन, अस्पताल, ताज होटल में गए, वहां चार आतंकवादी थे, ओबराय में दो आतकवादी थे, दो लोग नरीमन हाउस में थे। इस तरह से दस आतंकवादियों ने पूरी दुनिया और भारत को हिलाने का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आडवाणी साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सरकार को समर्थन दे दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इस इश्यू पर सरकार का समर्थन किया है। इसी तरह से 13 दिसम्बर, 2001 में अटल जी प्रधानमंत्री थे और आप गृहमंत्री थे, उस समय संसद पर हमला हुआ था। जब भी देश पर हमला होता है, हम सभी लोग इसी तरह की भावना व्यक्त करते हैं। मैं आडवाणी साहब का दोबारा अभिनन्दन करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्वधर्म का भारत है, सैक्यूलर भारत है। उन्होंने मस्जिद बनाने में मदद की है। हमारे हिन्दुओं ने मस्जिद, बौद्ध विहार और चर्च बनाने में मदद की है और हम लोगों ने मन्दिर बनाने में मदद की है। सैक्यूलर भारत का अर्थ यह है कि हम सभी लोगों को कोआपरेशन करना चाहिए, लेकिन जिस समय बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस समय आपकी यात्रा इधर से उधर आई थी। यह ठीक है कि जब आपकी यात्रा आई थी, उस समय देश में इसी तरह का माहौल पेदा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह के हमलों के खिलाफ ताकत से लड़ने की आवश्यकता है। जिस समय अटैक हुआ, उस समय सबओर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी वहीं थी। यदि मैं उस समय वहां होता, तो दो-चार आतंकवादियों को अवश्य मार देता। इस तरह की स्थिति में ऐसा ही होता है। एक फोटोग्राफर भी बोल रहा था कि आतंकवादी हमले के समय फोटो निकालनेकी बजाय, उन पर हमला करने की मेरी भावना हो रही थी।

हमारे मुंबई के इतने लोग मरे हैं - करकरे जी, सालस्कर जी, काम्टे जी, शिन्दे जी, उन्नीकृष्णन जी, इन लोगों ने हमारे देश की एकता को मजबूत करने के लिए बलिदान दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि प्रधान मंत्री जी ने जो आल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने मांग की थी कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, उन पर हमला करने की आवश्यकता है। उन अड्डों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। अगर पाकिस्तान बीस लोगों को हमारे हवाले नहीं करता है, दाऊद को हमारे

[श्री रामदास आठवले]

हवाले नहीं करता है तो एक दिन पाकिस्तान पर हमला करना होगा।. ..*(व्यवधान)* जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे भारत के कब्जे में लेने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, अगर वे हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम सभी पार्टी के लोग एक साथ हैं।...*व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संयोग से आप उस होटल में नहीं थे। यदि आप उस बैंठक में गए होते, तब आप बेहोश जरूर हो जाते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अगर पाकिस्तान हमारी बात नहीं सुनता है तो पाकिस्तान पर हमला करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मैं अपनी तथा बोडोलैंड क्षेत्र के तीस लाख लोगों की ओर से मुम्बई की भोली भाली जनता पर हुए पूर्व नियोजित तथा क्रूर हमलें की पुरजोर निंदा करता हूं। यह आतंकवादी हमला आकस्मिक नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि यह भारत के विरुद्ध एक व्यवस्थित और पूर्वनियोजित और अकारण किया गया हमला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह इस देश के ऊपर एक सुविचारित भाव से किया हुआ आक्रमण है, इसकी मैं बहुत ही जबरदस्त भाषा में निन्दा करता हूं। किन कारणों से सिर्फ दस आतंकवादियों ने हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोगों के ऊपर आक्रमण किया, उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे मौका मिला? सिक्युरिटी फोर्सेस में, इंटेलिजेंस एजेंसियों में जो खामियां हैं, जो-जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ स्ट्रींजेंट एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान से मुंबई तक आने के लिए कम से कम तीन दिन का समय लगा। इन तीन दिनों के बीच में क्या किया गया? *[अनुवाद]* भारतीय सैन्य बलों और आसूचना एजेंसियों के बीच सप्रेषण और समझ में कमी है। *[हिन्दी]* इंटेलीजेंस एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्टिंग की गई थी, उसके मुताबिक अगर कार्यवाही की गई होती तो आज हिन्दुस्तान में इतना भयंकर आक्रमण मुंबई में संभव नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय, असम में 30 अक्तूबर को श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट का जो अति भयंकर कांड हुआ, कोकराझार से शुरू होकर बोंगई गांव और बरपेटारोड से गुवाहाटी तक जो बम ब्लास्ट हुए, होम मिनिस्ट्री के लोगों ने असम सरकार को बताया था कि इस प्रकार से कांड असम के कुछ स्थानों में बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। 30 अक्तूबर को श्रृंखलाबद्ध बम बलास्ट हो गया और उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि असम में जो बम बलास्ट हुआ, उस घटना की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और वह इंक्वायरी सीबीआई के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिये जिन-जिन विषयों के ऊपर खामियां हैं, उन्हें ठीक करने के लिए होम मिनिस्टर साहब को अतिशीघ्र ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसका आज कोई गार्जियन नहीं है। इसलिए हिन्दुस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी की केन्द्रीय सरकार को स्वयं ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पूरे देश में एक नया केन्द्रीय बल/फोर्स लाने की जरूरत है। उसे नैशनल इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का नाम देना चाहिए। वह नैशनल इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, स्टेट सरकार के अधीन जो पुलिस प्रशासन है, उसके साथ काम करे।

महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से एक बात और जानना चाहता हूं कि आज तक हमारे हिन्दुस्तान की जमीन पर कितने पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा ट्रेंड एजेंट काम कर रहे हैं? इसका सही हिसाब हमें चाहिए, देश को चाहिए। कितने पाकिस्तानी ट्रेंड एजेंट हिन्दुस्तान की जमीन पर काम कर रहे हैं, यह हिसाब, थाना-वाइज, डिस्ट्रिक्ट-वाइज और स्टेट-वाइज हमें और देश की जनता को चाहिए। चाहे कोई आदमी हो, जनता हो, चाहे पालीटिकल पार्टी हो या कोई एजेंसी हो, जो इन्फार्मेशन दी जाएगी, उस पर विश्वास कर के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। पूरे देश की सुरक्षा के लिए आप जो भी सिद्धांत बनाना चाहते हैं, जो भी एक्ट पास करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : थैंक्यू वैरी मच।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से सरकार और आतंकवाद से लड़ने के लिए इसके द्वारा किए

गए सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता हूं। मुंबई में जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेगी। अब चूंकि देश इस मामले पर एकजुट है, मुझे विश्वास है कि सदन से यह जोरदार संदेश लोगों तक पहुंचेगा कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से सुदृढ़ और प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस संबंध में सख्ती से कार्य करेगी और रक्षा क्षेत्र तथा समग्र सुरक्षा क्षेत्र में हमारे बलों को सुदृढ बनाने के लिए हमारी प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में यथासंभव संगठनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

मेरा यह सुझाव है कि भारत के लोगों में इस मामले में इतनी अधिक एकता को देखते हुए हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास में ले सकते हैं। इन एजेंसियों से संबंधित सूचना आधारभूत स्तर पर लोगों को दी जानी चाहिए। लोगों को इन एजेंसियों की जानकारी नहीं है। अनेक एजेंसियां कार्य कर रही हैं। लोग सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्हें कितना सहयोग करना है। इस संबंध में लोगों से पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक जानकारी देते हेतु इस सभा और सरकार से उनके लिए कोई संदेश दिया जाना चाहिए।

मुझे केरल कांगेस पार्टी की ओर से इस मामले पर सरकार का समर्थन करने का अवसर प्रदान करने के लिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, आपके दल के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। चूंकि आप उस क्षेत्र से हैं और आपने विशेष अनुरोध किया है, इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चार मिनट का समय देता हूं। कृपया इस संबंध में सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में जो हादसा हुआ, उसमें जो फिशरमैन मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए, रेलवे पुलिस के लोग मारे गए, देशी और विदेशी और जो गरीब और सामान्य लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए, उन सभी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था या जहां मृत लोगों के शवों को लाया जा रहा था, मैं उस जगह पर तीन दिन लगातार था अस्पताल में 59 घंटे तक रहा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से मृतकों को देखा है और मैंने स्वयं लाशें देखी हैं। मैंने तीन दिन तक लाशें गिनी हैं। जी. टी. अस्पताल, सैंट जार्ज अस्पताल और जे.जे. अस्पताल के डाक्टर्स, नर्स और कर्मचारियों ने जो सेवा की है, उनके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सदन का भी आभार प्रकट करता हूं कि सदन ने मुम्बई के लोगों और देश-विदेश के लोगों के लिए संवेदना प्रकट की है। मैं मुम्बई से संसद सदस्य होने के नाते सदन का आभार प्रकट करता हूं।

जो अग्निशमन दल के लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जब गोलियां चल रहा थीं, जब हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बहुत से लोगों को बाहर निकाला। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें जो पुलिस के लोग मारे गये, हेमन्त करकरे और सब लोग मारे गये, रेलवे पुलिस के लोग मारे गये, उन्नीकृष्णन मारे गये, सब मारे गये, उनको गैलेण्टरी एवार्ड दिया जाये। उनके साथ ही जो जख्मी हुए, तुकाराम कुम्बले मेरे क्षेत्र का था, जिसने 5 गोलियां झेलीं, इसीलिए उस स्कोडा गाड़ी को हम पकड़ सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो जख्मी हुए, जो सदानन्द दाते, एडीशनल कमिश्नर हैं, जो अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हुए, अरुण जाधव ने इन्फोर्मेशन दी कि स्कोडा गाड़ी आ रही है। हेमन्त करकरे, काम्टे और विजय सालस्कर की गाड़ी में वह लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसने चांस लिया और वायरलैस करके बता दिया कि ऐसी-ऐसी गाड़ी आ रही है, इसलिए हम उसे पकड़ सके। जितने पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो मारे गये हैं या जख्मी हुए हैं, और फायर ब्रिगेड के जवानों ने जो बहादुरी दिखाई, उन्हें भी गैलेण्टरी एवार्ड देना चाहिए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

टैरेरिज्म के लिए हमारे यहां नेशनल पालिसी होनी चाहिए और टैरेरिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां नेशनल पालिसी कहां है, इस के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सरकार से प्रार्थना करता हूं। जिस जगह हेमन्त करकरे, काम्टे मरे, उस जगह पर मैंने जाकर देखा। वे स्लो गाड़ी से जा रहे थे और उनकी गाड़ी की 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, डै टैरेरिस्ट छुपकर बैठे थे, उन्होंने गोलियां चलाई। उससे पहले शिंदे नामक एक लड़का मारा गया, एक ठाकुरकर का खाना खाते हुए बच्चा मारा गया। बाद में वे आ गये। अगर आफिर के पास बुलेटप्रूफ कार रहती तो वे मारे नहीं जाते। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मुम्बई और महाराष्ट्र के लिए स्पीड बोट का प्रोवीजन करना चाहिए, 9 एम.एम. सब मशीनगनों, ए.के.47, सोफैस्टिकेटिड एसाल्ट रायफल्स, बुलेटप्रूफ व्हीकल्स, लाइट आर्मर्ड कार, माइन प्रोटैक्टिड व्हीकल की व्यवस्था करे, जिससे सुरंग से प्रोटैक्ट कर सकते हैं। मुम्बई में कम से कम 1000 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगें, कैंटनमेंट व्हीकल्स, जो बम लेकर जाते वक्त सुरक्षित लेकर जा सकते हैं, मोबाइल व्हीकल, एक्स-रैज स्कैनर, साइबर इंटरनेट और एन.एस.जी. ग्रुप की मुम्बई में रखने की आवश्यकता है। अमेरिका के 10 एन.सी.जी. ग्रुप के जो वहां वकालत में थे, एम्बेसी में थे,

[श्री मोहन रावले]

वे चले गये और 3-4 अमेरिकन लोगों को बाहर निकाला, उनमें से एक उनका बड़ा आदमी था।

मैं प्रार्थना करता हूं कि हम कितने दिन लाशें गिनते रहेंगे, इसके लिए कितने दिन लेंगे? सरकार कह रही है कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है। आई.एस.आई. किसकी है? आई.एस.आई. पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस है और उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी हुई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारे पास सैटेलाइट के पूरे सबूत हैं, सरकार ने पहले ही कहा है कि 52 टैररिस्ट्स ट्रेनिंग कैम्प्स हैं, जो पाक आक्यूपाइड कश्मीर में चलाये जा रहे हैं तो तुरन्त उन पर हमला किया जाये। अगर उसमें पाकिस्तान शामिल हो तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि हम चन्द्रयान में चले गये। मैं उन दोनों वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं। उन्होंने सैटेलाइट के द्वारा बहुत फोटोग्राफर्स निकाले। उसके द्वारा समुद्र के द्वारा जो आतंकवादियों का जहाज आया था, उसका भी फोटोग्राफ हम ले सकते थे और जानकारी मिल सकती थी। हमारे यहां नेवल और कोस्ट गार्ड के लोगों के साथ, महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई पुलिस के साथ शिवराल पाटिल जी ने जुलाई, 2008 में मीटिंग ली थी, उसमें इस बारे में जानकारी दी गई थी कि समुद्र द्वारा हमला हो सकता है।

आपने मुझे जो मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से एक विनती करता हूं कि कम से कम 10 लाख रुपया, जो मरे हैं, उनके आश्रितों को दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन.एन. कृष्णदास। वह अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति हैं। वह होटल में थे। मुझे यकीन है कि आप बहुत बहादुरी से लड़े होंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि हमारे सभी सदस्य वापस लौट आए हैं। हमें इस बात की खुशी है। निःसन्देह, मैं आपकी रक्षा में तैनात किए गए एचपीसीएल के अधिकारी के निधन पर सभा की ओर से दुःख व्यक्त कर चुका हूं। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हमने आश्वासन दिया है कि हम उनकी संसद से अन्य किसी तरीके से भी यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे।

श्री कृष्णदास, कृपया संक्षेप में भाषण दें।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : यह केवल हमारे बलों विशेषकर सुरक्षा गार्डों और अन्य पुलिस कार्मिकों के साहस और बलिदान के कारण ही संभव हुआ।

यह एक बहुत ही भयावह अनुभव रहा। सीमित समय होने के कारण मैं इस सम्माननीय सभा में उन सभी अनुभवों को नहीं बांट रहा हूं।

जैसा कि आपने कहा, हम वहां पर संसदीय कार्य अर्थात अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की 27 और 28 तारीख को होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए गए थे। हमारे कुछ माननीय सदस्य श्री सोलंकी, श्री पाटील, श्री लालमणि प्रसाद भी वहां पर मौजूद थे वे सभी यहां पर हैं। हमारे वरिष्ठ नेता श्री गयांग को भी उसी रात वहां पहुंचना था। कुछ संसद सदस्यों को अगली सुबह आना था। हम होटल ताज के शामियाना नामक उसी रेस्टोरेंट में रात का खाना खा रहे थे। जब हम रात्रि भोजन कर रहे थे तो हमने बहुत नजदीक से गोलीबारी की आवाज सुनी और आतंकवादी उसी रेस्टोरेंट में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। हमें नहीं पता हम यहां पर कैसे पहुंचे। वास्तव में मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि हम आज यहां पर हमारे देश के सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान के कारण ही हैं। यह हमारे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां हम उन्हें सलाम करते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : बिल्कुल, मैं उन्हें सलाम करता हूं, विशेषकर शहीदों को, एटीएस प्रमुख और उनके सहयोगियों को सभी कमांडो को, मेजर संदीप और अन्य पुलिस कार्मिकों को सलाम करता हूं। हम सभी को सलाम करते हैं। हम उन अन्य सभी कमांडो और सुरक्षा कार्मिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने आतंकवादियों के इरादों को परास्त किया और राष्ट्र की रक्षा की।

मेरा अनुभव है कि सभी में यह भावना होनी चाहिए। इस सभा में हो रही चर्चा इसकी साक्षी है। यही समय है कि हम सभी को आतंकवाद को समाप्त करने और इससे लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद मानवता, सभी मनुष्यों, हमारी प्रगति और सभी के विरूद्ध है। इसलिए हमें देश से और समस्त विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

महोदय, यह समय नहीं है कि हम किसी प्रकार की आलोचना करें अथवा किसी पर आरोप-प्रत्यारोप करें। मैं यह जानता हूं माननीय गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य देते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि यह पूछताछ रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट और इस प्रकार की अन्य सामग्री के बारे में बताने का समय नहीं है। मैं यह जानता हूं। यह सरकार पर आरोप लगाने अथवा सरकार की आलोचना करने का समय नहीं है, लेकिन, हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर राष्ट्र में चिंता उत्पन्न हो रही है। सरकार को राष्ट्र की, देशवासियों

की चिंता का समाधान करना चाहिए। इसलिए जहां पर भी जो भी त्रुटि है, उसे दूर किया जाना चाहिए। मैं न तो किसी की की आलोचना कर रहा हूं और न ही किसी पर आरोप लगा रहा हूं। लेकिन मैं सावधानीपूर्वक शब्दों का उपयोग कर रहा हूं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय सहित प्रत्येक स्थान पर मौजूद व्यवस्था, आसूचना विभाग की व्यवस्था सभी को अद्यतन किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे यहां आसूचना विभाग है। मैं किसी विभाग के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं सावधानी से इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि सरकार को चुनौतियों तथा विद्यमान स्थिति से निपटने के लिए हमारी सभी व्यवस्थाओं का अद्यतनीकरण करना चाहिए। सरकार को, चाहे जो भी त्रुटि हो, विद्यमान व्यवस्था को अद्यतन बनाने के लिए आगे आना चाहिए, मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

मैं माननीय सदस्यों के साथ कुछ बातों में सहभागी बनना चाहता हूं। मैं होटल के कर्मचारियों के मुद्दे पर आ रहा हूं। यह हमारा अनुभव है। हम होटल के कर्मचारियों को बधाई देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने संतुलित दिमाग और सूझबूझ से हमारी भी सहायता की।

अध्यक्ष महोदय : सदन की ओर से मैंने उन्हें बधाई भेज दी है। उन्होंने इसकी सराहना की है।

श्री एन.एन. कृष्णदास : हमें इसका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। हमारे देश की स्थिति ऐसी है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, देश को आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए। हमें आतंकवाद अथवा देश विरोधी गतिविधियों से समझौता नहीं करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-धन्यवाद। हमें खुशी है कि हमारे सभी सहयोगी और मित्र वापस लौट आने में सफल हो पाए हैं। आपकी बात सही है कि सुरक्षा बलों और कमांडो ने हमारे सदस्यों को बचाया है। लेकिन अन्य बल भी है। मुंबई पुलिस और होटल के स्टाफ ने भी अन्य लोगों के लिए बेहतरीन लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान भी दिया।

उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमें ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आप मुझे भी बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन, आपके दल के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन फिर भी, मैं आपको बोलते के लिए दो मिनट था समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुम्बई की घटना या अन्य कोई भी आतंकवादी घटना हो, उस घटना में शहीद हमारे देश के सुरक्षाकर्मी हों, बड़े अफसर हों या आम लोग हों, हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ-साथ हम उनके परिवार, उनके माता-पिता को भी नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो देश, राष्ट्र और मानव के काम आये। मैं सदन में सुबह से चल रही बहस को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। जब भी कोई घटना घटती है, तो मारे गये लोगों के सवाल लगातार उठते रहते हैं। जब भी देश की गरिमा का सवाल आता है, तो अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने अपनी जान गंवाकर भी देश की रक्षा की। हम उनके अतीत को याद करते हैं लेकिन वर्तमान को भूल जाते हैं। उसी तरह आज भी श्री करकरे जैसे लोगों ने शहादत दी है। हम उनके वर्तमान को याद करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम सिर्फ उनके अतीत को याद करके रह जाते हैं और वर्तमान को कभी याद नहीं कर पाते। लोग अब्दुल हमीद के परिवार के बारे में पेपर में पढ़ते हैं। हरियाणा के बार्डर पर मारे गये सैनिकों के परिवार के बारे में हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, रहने के लिए घर नहीं होता। हम ऐसे लोगों को तब तक ही याद करते हैं जब तक हमारे भीतर यह समस्या ज्वलंत होती है। उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज निश्चित रूप से सम्पूर्ण राष्ट्र, पूरा सदन, पक्ष और विपक्ष आतंकवाद के सवाल पर एकजुट खड़ा है।

मैं गृह मंत्री महोदय से दो-तीन आग्रह करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आज चाहे यूपीए सरकार हो या विपक्ष के लोग हों, सभी लोग इस सवाल पर इकट्ठे हैं कि देश से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। आम जन की सुरक्षा का जो सवाल है, वह निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान में आज जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हाउस अरैस्ट किया गया है, चाहे वे हमारे यहां की जेल से निकालकर कंधार भेजे गये हों, आज वे हाउस अरैस्ट हैं। हमारे गृह मंत्री जी और देश जानता है कि वे हाउस अरैस्ट हैं। यदि वे हाउस अरैस्ट हैं, तो क्या हम इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं कि यदि पाकिस्तान पुनः उन्हें

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

हाउस अरैस्ट से निकालकर कहीं दूसरी और भेज दे, क्यों नहीं हमारी सरकार इतनी गंभीर है कि ऐसे लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या हाउस अरैस्ट हैं, उन्हें अविलंब भारत लायें, नहीं तो जिन हाउस में उन्हें अरैस्ट किया गया है, हमारी सरकार उन जगह पर हमला करे ताकि ऐसे आतंकवादी फिर सिर उठाकर हिन्दुस्तान की आम जनता की सुरक्षा पर कुठाराघात नहीं कर सकें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण अस्मिता का सवाल है, रक्षा का सवाल है, गांव में, कस्बों में रहने वाले एक-एक लोग आज अपनी हिफाजत के लिए चिंतित हैं। सब लोग केन्द्र की यूपीए सरकार से उम्मीद जता रहे हैं कि अब यह आतंकवादी घटना अंतिम होगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से केन्द्र की यूपीए सरकार एक होकर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेगी। मैं गृह मंत्री महोदय, से आग्रह करूंगा कि जो अफसर मारे गये हैं, उनके परियोजनों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि उनकी कभी अब्दुल हमीद के परिवार जैसी स्थिति न हो। जो आम जन मारे गये हैं, जो गरीब लोग मारे गये हैं, उनके परिवार वालों को दस-दस लाख रुपये देने की व्यवस्था की जाये।...*(व्यवधान)*

आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आंतरिक संकल्प के साथ हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। किंतु, चूंकि आप पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, मैं बोलने के लिए आपको कुछ समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके बैठ जाने से हम भी आभार प्रकट करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं पुन: उन व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी एकता के साथ सरकार का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई हत्याकाड में मरने वाले लोगों के प्रति श्रद्धाजलि देने में संपूर्ण राष्ट्र के साथ हूं। मैं मुम्बई हत्याकांड की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करने में राष्ट्र के साथ हूं। मैं उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर भी संवेदना व्यक्त करता हूं जो मुम्बई हत्याकांड की कार्रवाई में शामिल थे। जैसा कि श्री मोहन रावले ने जिक्र किया, इनमें से प्रत्येक शहीद की पहचान इनके बहादुरी के कारनामें से की जाएगी और मेरा विश्वास है कि भारत सरकार इनकी बहादुरी को उपयुक्त सम्मान देगी।

इतना कहते हुए मैं, सरकार के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहूंगा जो हमारे ध्यान में आयी है। ऐसा लगता है कि आतंकवाद से लड़ने की कोई निश्चायक व्यापक नीति नहीं है। मैं कहूंगा कि ऐसी नीति होनी चाहिए। संघीय जांच एजेन्सी इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था और जिसका संदर्भ माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य में दिया गया है।

महोदय, इस संघीय जांच एजेन्सी के बारे में कुछ आशंका है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार ऐसा करना उनके विशेषाधिकार पर अतिक्रमण होगा। संविधान के प्रावधानों को देखते हुए यह आशंका उचित है। किंतु आतंवाद मात्र कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह मात्र कोई ऐसी घटना नहीं है जो कहीं घटती है और इसलिए इसे कानून और व्यवस्था के अधीन शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए इसे राज्य का विषय होना चाहिए।

संपूर्ण सदन ने बार-बार कहा, "देश पर आक्रमण राष्ट्र पर आक्रमण है और इसे अलग माना जाना चाहिए।" जब संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान बनाया जा रहा था, उस समय यह स्थिति नहीं थी। यदि उस समय ऐसी स्थिति रही होती तो शायद एक पृथक सूची बनाने की प्रणाली के लिए भिन्न दृष्टिकोण रहा होता। अभी भी, हमें इसे दुरस्त करना चाहिए, इसे कमी में सुधार लाना चाहिए और यदि यह आवश्यक हो, तो उपयुक्त संशोधन कर इसे संविधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं एक संघीय जांच एजेन्सी के विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं यद्यपि इसके लिए संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा यह है कि आतंकवादी, आतंकी कार्यवाही के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारे देश में तकनीकी कानून है, किंतु इसमें संशोधन हेतु विचार करने के लिए लाया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में तैयार किया गया था। इसमें संशोधन के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। यह आज बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम सेटेलाइट फोन के प्रयोग और इंटरनेट

के माध्यम से बातचीत पकड़ने के बारे में सुनते है। इंटरनेट संदेश को पकड़ने का कार्य आज बड़ा महत्वपूर्ण और सामयिक है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि लंबित पड़े सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में प्रस्तावित संशोधन को सदन के समक्ष लाया जाए और इस पर चर्चा की जाए ताकि हम इन संशोधनों जो वास्तव में महत्वपूर्ण और सामयिक हैं, की समीक्षा करने और लागू करने की स्थिति में हों।

अंत: में, यह ऐसा समय है जब हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। ऐसा हुआ है जैसाकि इस सम्माननीय सभा और इसके बाहर भी परिलक्षित हुआ है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बकरीद को शांति और बांह पर काली पट्टी बांध कर मनाने के अभूतपूर्व तरीके को सम्मान देता हूं। यहां भी मैं यह तथ्य बताना चाहता हूं कि दूसरे ही दिन हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और इसमें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लिए 1,300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आए थे।

वे यह कह सकते थे कि भारत सुरक्षित नहीं है और वे यहां नहीं आएंगे। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वे यहां आए और ऐसा कर उन्होंने हमारे साथ एकता प्रदर्शित की। मैं इस तथ्य के लिए ईमानदारी से प्रशंसा करना चाहता हूं कि इंगलिश क्रिकेट टीम भी भारत में है और अपने कार्यक्रमानुसार मैचों को खेल रही है जिसे मैं मानता हूं कि इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। और यह एकजुटता का उत्साह है जिसे संपूर्ण राष्ट्र में परिलक्षित होना चाहिए।

महोदय, एकबार पुन: आपका धन्यवाद। समय की बाध्यता नहीं होती तो मैं कुछ और कहता किंतु आपने संक्षिप्त समय मुझे दिया जिसके लिए मैं सचमुच आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री लालमणि प्रसाद के लिए दो मिनट। वे उस समय होटल में थे। मुझे खुशी है कि वे हमारे साथ है।

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे मुंबई की आतंवादी घटना के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, 26 तारीख को सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के इंसपेक्शन टूर में मैं भी शामिल होने के लिए ताज होटल पहुंचा था। हमारे लायजनिंग् आफिसर एवं अधिकारियों ने हमें वहां पहुंचाया। वहां मुझे रहने के लिए कमरा संख्या 228 दिया गया था। हमारे पदाधिकारियों ने बताया की लगभग साढ़े आठ या नौ बजे भोजन मिलेगा। मैं साढ़े आठ बजे के लगभग नीचे आया और मैं खाना खा ही रहा था कि जनपद संत कबीर नगर के मेरे एक साथी ने फोन किया कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने उनको वहां आने के लिए यह कहकर मना किया कि अब बहुत रात हो गयी है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, इसलिए हम आपके रूम पर मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं जब खाना खाकर अपने रूम में जा रहा था, उस समय अन्य लोग खाना खाने के लिए नीचे आ रहे थे। मेरे साथी मुझसे मिलने के लिए साढ़े नौ बजे पहुंचे। उन्होंने मुझसे बाहर चलने और बाहर चलकर खाने की बात की। मैंने उनको बताया कि मैंने खाना वगैरह खा लिया है, मैं सरकारी टूर पर हूं, इसलिए इस समय बाहर नहीं जा सकता हूं। कल दिन का शिड्यूल देखेंगे, अगर टाइम मिला तो आपके साथ चलेंगे। वे लोग साढ़े नौ बजे के लगभग मिलकर जैसे ही बाहर जा रहे थे, आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। जब होटल में गोलीबारी शुरू हो गयी, तो होटल वालों ने मुझे बताया कि आप अपना कमरा नहीं खोलें, होटल में आतंकवादी आ चुके हैं। उस समय मैं अपने कमरे में अकेला था। दहशत का वातावरण था, टेलीविजन बंद हो गया, लाइट कट गयी, केवल टेलीफोन चल रहा था। उस पूरे कमरे में धुआं भी गया, उस समय मुझे यह महसूस हो रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। पूरे कमरे में धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जान बचाने के लिए मैं पर्दे को थोड़ा सा हटाकर, उसके बगल से सांस ले रहा था। मैंने वहां से सामने का मंजर देखा कि गुंबद जल रहा है, धुंआ निकल रहा है और दरवाजे के सामने धड़ाम-धड़ाम की आवाजें आ रही थीं। दरवाजे पर की-होल से देखते थे, तो पूरा मंजर जल-जलकर ऊपर से गिर रहा था। वह दहशत का वातावरण था। 26 तारीख को रात भर गोलियों और बम की आवाजें आती रहीं, एकदम मालूम होता था कि पता नहीं कब यह होटल टूट जाएगा। पूरी रात भर मेरे मित्रों, पदाधिकारियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने मुझसे बात की और कहा कि घबराना नहीं। यह डर लगता था कि कहीं मोबाइल की आवाज बाहर न चली जाए, इसलिए रजाई के तकिया लगाकर मोबाइल की आवाज सुनता था।

अपराह्न 7.00 बजे

27 तारीख का दिन भी उसी तरह बीता और रात को भी वैसा ही माहौल रहा। आज भी मुझे वह भयानक मंजर भूलता नहीं है। हमारी प्रेस मीडिया के लोग जब बाहर निकले तो 28 तारीख को 10 बजे तीन कमांडो लोग आए और उन्होंने कहा कि वे हमें बाहर निकालने आए हैं, ऐसा ऊपर से आर्डर है। मैं दहशत में था और सोच रहा था कि पता नहीं अब बचूंगा या नहीं। मैं दो रात से सो नहीं पाया था इसलिए सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं बार-बार

[श्री. लालमणि प्रसाद]

कह रहा था कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा कि विश्वास कीजिए, हम आपको छुड़ाने आए हैं। तब मैंने दरवाजे की की-होल से देखा कि तीन कमांडो मिलिटरी वर्दी में थे। मुझे विश्वास हो गया कि ये लोग मुझे छुड़ाने आए हैं। इस पर मैंने डरते-डरते दरवाजा खोला तो देखा कि मिलिटरी के तीन कमांडो थे। मुझे कपड़े वगैरह समेटने में 15 मिनट लग गए। मैं डर रहा था कि बाहर भी निकल पाऊंगा या नहीं। बहरहाल मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ ऊपर कर लें और धीरे-धीरे बाहर आएं। इस पर मैंने उन्हें बताया कि मैं सांसद हूं तो उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ नीचे कर लें। जो तीन कमांडो थे, उन्होंने मुझे अपनी कस्टडी में ले लिया। कमरा बंद करके मैं अपने तीन सूटकेसों के साथ उनकी कस्टडी में चलने लगा। वे लोग धीरे-धीरे बात कर रहे थे, क्योंकि बार-बार गोलियों की आवाज आ रही थी। वह भयानक मंजर मुझे नहीं भूलेगा। एक नई जिंदगी मुझे मिली। करीब आधे घंटे में हम लोग सीढ़ियों के रास्ते लाबी में आए और वहां मिलिटरी के अधिकारियों ने मुझे कहा कि आप घबराएं नहीं, आप सुरक्षित हैं। उन्होंने मुझे चाय-पानी पिलाया। तब मैंने उन्हें बताया कि हमारे दो अधिकारी सेंकड और थर्ड फ्लोर पर हैं। पता नहीं वे किस हाल में होंगे और इसके अलावा हमारे तीन साथी जो मिलने आए थे, उनका भी पता नहीं है कि वे बचे होंगे या नहीं। 28 तारीख की रात को 11 बजे पता चला कि हमारे वे तीनों साथी मार दिए गए। अधिकारियों के बारे में पता चला कि आतंकवादियों ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके हाथ में गोली लगी। सिलावत जी ने कहा कि हमारे हाथ में गोली लगी थी, जो कि उग्रवादियों ने मारी थी। फिर हमें पता चला कि उन्होंने रात को दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश की थी। यह दहशत भरा मंजर हमने खुद देखा है। इस नाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने भी अपनी बात को मीडिया में रखा था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको दलीय भावना से ऊपर उठकर चाहे बाहरी आतंकवादी हों या अंदर के हों, चाहे जिले-जिले का मामला हो या देश का मामला हो, यह दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। मैं उन आतंकवादियों की घोर निंदा करता हूं, जिन्होंने इन तमाम लोगों को मार दिया। इसमें जो रक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, मैं वीरों के चरणों में नमन करता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप बच गए और आपने साहस से काम लिया। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं।

अब, गृह मंत्री बोलेंगे।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रधान मंत्री जी इस चर्चा में बोलने के लिए उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने और कुछ प्रश्नों, जिन्हें उठाया गया है, का उत्तर देने के लिए अनुमति दी जाए।

महोदय, सर्वप्रथम मैं विपक्ष के माननीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और अन्य सभी सदस्यों का न केवल सरकार बल्कि भारत के लोगों को यह आश्वासन देने कि हम एक साथ हैं, कि हम सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं और कि हमने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है, के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी लोगों को एक बार और धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा, साक्ष्य नि:संदेह पड़ोसी देश, पाकिस्तान की ओर इशारा करता है। गैर-पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा की गई कार्रवाई का जामा अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकता है।

गैर पाकिस्तानी नागरिक भी उसी देश के है; वे देश विहीन नहीं होते। हमारी जांच और पकड़े गए आतंकी की पूछताछ से यह अच्छी तरह से साबित हो गया है कि सभी आतंकवादियों का उद्गम स्थल पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था। इसलिए, मैं मानता हूं कि अब हमें एक राष्ट्र के रूप में न केवल खतरे के स्रोत बल्कि खतरे की गंभीरता को पहचान जाना चाहिए जो दुनिया के इस भाग से उत्पन्न होता है।

महोदय, मैंने मुम्बई में कहा था और पुन: यहां कहता हूं। हम सरकार में हैं। यह घटना घटी जब हम सरकार में हैं और इसलिए, हम जिम्मेदार है। चूक हुई है। दो तरह की चूक हुई है। एक गलती तंत्र में है, प्रणालीगत गलतियां और दूसरा दुविधा के कारण। जिस प्रकार हम सरकारी कामकाज करते हैं यह हमें उस बिंदु तक ले जाता है जहां निर्णय लेने के स्थान पर हम दुविधा की स्थिति में रह जाते है।

इसलिए, मैं मानता हूं कि अपने नागरिकों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारी कामकाज के तरीकों में सुधार लाएं और तत्काल, साहसपूर्वक और बिना लगातार यह देखते हुए निर्णय लिए जाएं कि सीवीसी हमसे प्रश्न पूछेगा अथवा कि सीएजी हमसे प्रश्न पूछेगा अथवा कि सीबीआई हमसे प्रश्न पूछेगा, मैं समझता हूं यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। सीबीआई हमसे प्रश्न पूछेगी, मेरे विचार से, निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। और, पिछले कुछ दिनों में, मैंने गृह मंत्रालय पर इस बात का जोर दिया है कि निर्णय लिए जाने चाहिए, निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। और मैं सभा को विश्वास दिलाता

हूं कि जहां कहीं भी खामियां दिखेंगी उसे दूर करने हेतु, हम निर्णय लेंगे और आपको समय समय पर सूचित करेंगे।

महोदय, मुआवजे के प्रश्न के संबंध में, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। आतंकी और साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजा देने की केन्द्र सरकार की योजना वस्तुतः एक विवरणिका में उपलब्ध है। हम इस योजना के अनुसार मुआवजे का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने यथेष्ट मुआवजा पैकेज घोषित किया है। लेकिन जैसा कि मैनें कहा, धन क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, यह केवल सद्भावना का प्रदर्शन है। सरकार ने प्रत्येक मारे गए नागरिक के लिए 5 लाख रु., प्रत्येक सुरक्षाकर्मी के लिए 25 लाख रु. की घोषणा की है और जो सुरक्षाकर्मी मारे गए उनके परिवार वालों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख तक पूरे वेतन का भुगतान किया जाएगा और उनके परिवारवालों को उनके सरकारी मकान में रहने दिया जाएगा, और मृत सुरक्षाकर्मी के आश्रित को नौकरी दी जाएगी और बच्चों के लिए भारत में कहीं भी शिक्षा निःशुल्क होगी। घायलों का निःशल्क उपचार और धनके रूप में उन्हें मुआवजा दिया गया है।

मैंने महाराष्ट्र सरकार से जोर देकर कहा है कि सभी मुआवजों, जिनको देने का वायदा किया गया है, का भुगतान 31 दिसम्बर तक कर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मेरे पास एक टिप्पण भेजा है जिसमें कहा गया है कि बहुत से मामलों में, मुआवजों का संवितरण किया जा चुका है। परन्तु मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि 31 दिसम्बर तक उन सभी मुआवजे के हकदार लोगों को मुआवजे मिल जाने चाहिए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : विदेशियों के लिए मुआवजे की राशि कितनी है?

श्री पी. चिदम्बरम : विदेशियों बारे में दूतावास अपने संबंधित देशों में शवों को ले गए है और यह विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। परन्तु हम उसका भी निपटान करेंगे। यदि वे मुआवजे की मांग का दावा करते हैं, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। परन्तु मैं केवल भारतीयों के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि वह सर्वाधिक संवेदनशील विषय है। अतः, हम इसे विदेश मंत्रालय के जिम्मे छोड़ते हैं।

महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो श्री मल्होत्रा ने कहा, और मैं समझता हूं कि इसी ने सभी प्रकार की आशंकाओं को जन्म दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि कंधार विमान अपहरण कांड में, एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस सर्वदलीय बैठक में, तत्कालीन विपक्ष नेता, डा. मनमोहन सिंह और दूसरे अनेक नेता, जो अब सत्ता पक्ष में हैं जिनमें श्री लालू प्रसाद यादव और श्री मुलायम सिंह यादव है, मौजूद थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उस अपहृत विमान को छुड़ाने के लिए तीन आतंकवादियों को विमान से कंधार ले जाया गया।

मुझे डर है, महोदय, यह पहला मौका है कि मैं यह बात सुन रहा हूं। किसी ने भी पहले यह बात नहीं सुनी है। इसलिए मैंने श्री जसवन्त सिंह और श्री एल.के. आडवाणी द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ी।

न तो श्री जसवंत सिंह ने और न ही श्री एल.के. आडवाणी ने ऐसी किसी सर्वदलीय बैठक का उल्लेख किया है और न ही किसी ऐसी बैठक का उल्लेख है जिसमें डा. मनमोहन सिंह अथवा श्री लालू प्रसाद यादव अथवा किसी और ने तीन आतंकवादियों को ले जाने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मीटिंग ली थी। आदरणीय सोनिया गांधी भी वहां आई थी।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। वह उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे विचार से इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। वास्तव में, श्री जसवत सिंह ने अपनी पुस्तक में एक मंत्रिमंडल बैठक का उल्लेख किया है जिसने अपहरणकर्ताओं, आतंकवाड़ियों की मांग को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया था और उनसे कहा गया था कि वे प्रेस के समक्ष जाकर बात कहें। फिर, श्री आडवाणी दूसरी बैठक का उल्लेख करते हैं जिसमें वे कहते हैं, ''अंत में, मंत्रिमंडल इस निर्णय पर पहुंचा कि हमें तीनों आतंकवादियों को रिहा कर देना चाहिए।'' मेरे विचार से इन दो पुस्तकों के कथन सही हैं। हो सकता

[श्री पी. चिदम्बरम]

है, श्री मल्होत्रा की याददाश्त उन्हें धोखा दे रही हो। मैं समझता हूं, शायद, वह बहुत व्यस्त चुनाव अभियान से पस्त हो गए होंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि उनका यह कथन सही नहीं है। हम उन तीन आतंकवादियों को छोड़ने में सही और गलत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं परन्तु इसको एक सर्वदलीय बैठक और सर्वसम्मति से जोड़ने को मेरे विचार से स्पष्ट किया जाना चाहिए। जहां तक उन घटनाओं के बारे में समकालीन लेखों से मैंने समझा है, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।

महोदय, अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय सदस्यों ने सुरक्षा बलों के कार्य की प्रशंसा की है। पुलिसकर्मी भी उसी मातृभूमि से आते हैं जहां से आप और मैं आता हूं। उनकी अपनी विफलताएं हैं। जैसे हम में से हर किसी की कोई न कोई कमजोरी है, पुलिसकर्मियों की भी कमजोरियां हैं। परन्तु अन्ततोगत्वा, मैं हम सबको यह याद दिलाना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी, प्राय: काम के अधिक बोझ से लदा एक पुलिसकर्मी, जो एक दिन में 12 से 18 घंटे तक कार्य करता हैं, एक पुलिसकर्मी जिसका रहन-सहन बहुत ही खराब स्थिति में होता है, एक पुलिस कर्मी जो यदा-कदा विचलित भी होता है, यह वही पुलिस कर्मी होता है जो अन्य अनेक भारतीयों का जीवन बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है। एम.सी. शर्मा ऐसे ही एक पुलिसकर्मी थे। हेमन्त करकरे ऐसे ही पुलिसकर्मी थे। मुझे तब गहरा सदमा लगा जब एम.सी. शर्मा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। मुझे तब भी वैसा ही सदमा लगा जब श्री हेमन्त करकरे की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। वास्तव में, हेमन्त करकरे के गुण उनकी मृत्यु के बाद ही खुलकर सामने आए हैं। परन्तु मुम्बई में कोई भी आपको बता देगा कि वह एक इंजीनियरी स्नातक, आईआईएम स्नातक और एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो कुछ महीने मैं इस मंत्रालय की अध्यक्षता करूगा, मुझे पुलिसकार्मियों के साथ काम करना पड़ेगा। मुझे उन्हें और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुझे उन्हें इसलिए भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। परन्तु इस अवधि के दौरान, सभा के सभी पक्षों से मेरी यह अपील है कि, एक पुलिसकर्मी ने यत्र-तत्र जो भी कमियां की हो, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह पुलिसकर्मी ही है जो आतंकवदियों के जबड़ों से हमें बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है।

ताज होटल में सांसद भी थे। दो पुलिस कर्मी, राहुल शिंदे और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज होटल की कार्रवाई में मारे गए। मुम्बई के अन्य भागों में अनेक लोग मारे गए। इसलिए, मैं सोचता हूं कि, हमें पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने, उन्हे बेहतर उपकरण देने, उन्हें बेहतर वाहन देने, उन्हें बेहतर साजो-सामान देने का कर्तव्य निभाना हैं, हमें उन्हें उच्च सम्मान भी देना चाहिए। यह सम्मान ही है जो पुलिस बल के मनोबल को ऊपर उठाएगा और यही पुलिस बल तब भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुत्ता की रक्षा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ; मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। अब, मैं आपसे माननीय प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने हेतु बुलाने का अनुरोध करता हूं।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हाल के कुछ महीनों में आतंकवाद की घटनाओं में हो रही वृद्धि से मैं चिंतित हूं, और इन नृशंस कृत्यों के कारण हमारे सैकड़ों नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि आतंकवाद से निपटने में हमारे तंत्र और प्रक्रियाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से मैं अपनी जनता से माफी चाहता हूं कि इस प्रकार की नृशंस कार्रवाई को हम रोक नहीं पाए।

जहां तक मुम्बई का संबंध है यह अत्यन्त सुनियोजित तथा चालाकी से किया गया हमला था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आतंक फैलाना और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था। इन हमलों के लिए जिम्मेवार शक्तियां हमारी धर्मनिरपेक्ष राज व्यवस्था को अस्थिर करना, साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करना और हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नुकसान पहुंचाना चाहती थी।

हममे से हर किसी ने इस भयानक घटना की निंदा की है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना तथा घायल लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। हम सबने पुलिस तथा सुरक्षा बलों, जिनमें विशेष बल जैसे एन.एस.जी. तथा नौसेना के कमांडो भी शामिल हैं, के साध्य और देश भक्ति को नमन किया है। राष्ट्र उन पर गौरवान्वित है। मैं अत्यन्त दुःख के साथ यह भी नोट करता हूं कि इस आतंकवादी नरसंहार में कई विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। मैंने उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों या शासनाध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से बात की है और उन्हें पत्र लिखा है, जिन देशों के नागरिक इस आतंकवादी हिंसा का शिकार हुए है और उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगी है कि इस घटना को रोका नहीं जा सका।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहे जो भी कह लें या कर लें, जो जानें जा चुकी है उनकी भरपाई नहीं कि जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना महत्त्वपूर्ण है कि उनका बलिदान समय के साथ धूमिल

न पड़ जाए। संसद को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आतंकवाद को परास्त करने और इसे जड़ से खत्म करने के राष्ट्र के संकल्प को प्रबलित करना चाहिए। आतंकवाद की विपत्ति का दृढ़ संकल्प से ही सामना किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी साधनोपायों को उपयोग में लाया जाएगा।

हमारी पहली प्राथमिकता भारत के लोगों में सुरक्षा की भावना पुनर्स्थापित करना है। हम उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें हमारे नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा का आतंकवादियों या अन्य उग्रवादी ताकतों द्वारा उल्लंघन किया जाए।

हमारे विचार में हमें तीन स्तरों पर कार्य करना होगा। सबसे पहले हमें आतंकवाद के उद्‌गम केन्द्र, जो कि पाकिस्तान में स्थित है का सख्ती से और प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। आतंकवाद की बुनियादी संरचना को स्थायी रूप से ध्वस्त करना होगा। यह पूरे विश्व समुदाय, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी लोग भी शामिल है, की भलाई के लिए है।

मुम्बई पर आतंकवादी हमले के बाद कई राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने मुझसे बात की है। सभी ने संयम बरतने के लिए भारत की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इस घटना के लिए जो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने उन्हे बता दिया है कि हम केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक इच्छा-शक्ति का रूपान्तरण ठोस और निरंतर कार्रवाई में होना चाहिए।

अब समय आ गया है जब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद की चुनौती का ईमानदारी से मुकबला करना पड़ेगा। राष्ट्र नीति के हथियार के रूप में आतंकवाद का उपयोग अब स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में कोई दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छा आतंकवादी या बुरा आतंकवादी है। कोई भी ऐसा मकसद नहीं है जो नरसंहार और निर्दोष लोगों की हत्या का औचित्य सिद्ध करता हो। हमें न केवल मुम्बई हमले के लिए जिम्मेवार लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने बल्कि यह सुनिश्चित किए जाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने आवश्यक हैं कि इस प्रकार की आतंकवादी घटना की पुनरावृति न हो।

मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र ने आज लश्कर-ए-तैय्यबा के चार लोगों जिनमें हाफिज मुहम्मद सईद शामिल है और जमात-उद-दावा जैसे अन्य संगठनों जिनके पीछे से लश्कर-ए-तैय्यबा कार्य कर रहा है पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की है। हमारा मानना है कि विश्व समुदाय द्वारा इस प्रकार की उद्देश्य पूर्ण कार्रवाई निरंतर तरीके से की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंक का पूरा का पूरा ढांचा ध्वस्त किया जा सके।

दूसरी बात, हमने इस प्रकार का हमला करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने और इस प्रकार के भयानक कृत्यों के प्रायोजकों के विरुद्ध यथासंभव कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता की बात को विश्व के साथ पुरजोर तरीके से उठाना है, पाकिस्तान की सरकार द्वारा विश्व समुदाय को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि मानवता के विरुद्ध हिंसक अपराध करने वाले इन अपराधियों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रभाकारी और निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

हमने अब तक पूरे संयम के साथ कार्रवाई की है। परन्तु शिष्टता के मानदण्डों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को कमजोरी की निशानी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक अपराधी, आतंकवाद का आयोजक और समर्थक, चाहे उसका संबंध किसी भी धर्म अथवा स्थान से हो, को हमारी जनता के विरुद्ध ऐसे कायरतापूर्ण और भयानक कृत्यों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हमनें पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों को नोट किया है। परन्तु स्पष्ट रूप से और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और कार्रवाई औचित्यपूर्ण होनी चाहिए।

तीसरी बात, हमें एक राष्ट्र के रूप में यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों में से किसी एक दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रह सकते। मुम्बई की घटना ने इस प्रकार के हमलों से निपटने के लिए हमारी तैयारी में खामियों को उजागर किया है। अपने देश की अखंडता और एकता के लिए इस अप्रत्याशित खतरे और चुनौती से निपटने के लिए हमें अपने आपको और प्रभावकारी ढंग से सुसज्जित होने की आवश्यकता है।

गृह मंत्री ने उठाए जा रहे अनेक कदमों के बारे में बता ही दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में आतंकवाद की समस्या पर व्यापक ध्यान दिया गया है, और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हमारे समुद्रतटों को सुरक्षित रखने के लिए कठोरतम उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में पहले बताया जा चुका है, परन्तु इस संबंध में वास्तविक प्रणाली स्पष्ट रूप से मन्द और बहुत धीमी है। हम समुद्र से चुनौतियों के विरुद्ध हमारी समुद्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। चूंकि तटवर्ती सुरक्षा के कार्य में वर्तमान में बहुत सी एजेंसियां लगी हुई हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि समुद्रतट की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड को सौंपी जाएगी। भारतीय नौसेना इस प्रयोजनार्थ कोस्ट गार्ड के लिए जरूरत पड़ने पर आवश्यक सहायता देगी।

इस पर तत्काल अमल किया जाएगा। सभी प्रमुख पत्तनों के लिए विशेष सुरक्षा और संरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी समुद्र तट रेखा के पास में संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए इसी प्रकार के कदम उठाए गए हैं।

परम्परागत और गैर-परम्परागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे आकाश को सुरक्षित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वायु सेना और सिविल प्राधिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से विमान की सामयिक निगरानी प्रारम्भ हो गई है। बाहरी अथवा सन्दिग्ध विमान का गैर कानूनी प्रवेश रोकने के लिए वायु रक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

इन हमलों से यह सबक मिला है कि इस प्रकार की घटनाओं में तेजी से जबावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने व्यापक संकट प्रबंधन हेतु एक तंत्र तैयार किया है। यह निर्णय ले लिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें विभिन्न थानों में तैनात किया जाना चाहिए और इन्हे प्रमुख महानगरों में अवस्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां समय नष्ट किए बिना दूसरे स्थानों पर पहुंच सके। जब तक एन.एस.जी. की संख्या में वृद्धि होती है, और नई यूनिटों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तब तक सेना वायु सेना और नौसेना में मौजूद विशेष बलों और अन्य सिविलियन एजेंसियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य के द्वारा कमाण्डो इकाइयों का सृजन किया जाएगा।

हमने पहले ही आतंक से निपटने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करने और एक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने वचन दिया है, इन विधेयकों को शीघ्रातिशीघ्र सभा में लाया जाएगा।

जैसा कि इंगित किया गया है, भावी आतंकी हमलों के बारे में और अधिक सामयिक गुप्तचर सूचना उपलब्ध कराने के लिए तंत्र को पहले ही स्थापित किया जा चुका हैं। गृह मंत्रालय के स्तर पर दैनिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आसूचना ब्यूरो का बहु-एजेंसी केन्द्र आतंकी खतरों से संबंधित सूचना एकत्र करने, उसकी प्रमाणिकता जांचने और उसे वितरित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। विभिन्न गुप्तचरों एजेंसियों के बीच सामंजस्य और समन्वय में सुधार किया जा रहा है। राज्यों से निवेदन किया गया है कि जिला स्तर पर गुप्तचर सूचना एकत्र करने में तेजी लाएं ताकि और अधिक कार्यवाही योग्य गुप्तचर सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

हालांकि हम अनेक अल्पकालिक और दीर्घ-कालिक उपाय करेंगे, उस बात पर आम सहमति है कि हमारी सुरक्षा में दीर्घकालिक मजबूती, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर पुलिस संगठन को मजबूत करने पर ही आएगी। हम पुलिस आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्य को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने के लिए सभी प्रयास और समुचित उपाय करेंगे। हमें अपने सुरक्षा बलों को आधुनिक और नवीनतम उपकरण मुहैया कराने चाहिए जिससे वे आतंकवादी अपराधों में बढ़ते अति आधुनिक तकनीक के प्रयोग से निपट सके। हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल अत्याधिक चिन्ता और महत्व की बात है और यदि इसमें कोई कमियां हैं तो उन्हे ठीक किया जाएगा। देश को आज के समय और आज के युग में सुरक्षा और विकास की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक आधुनिक और कुशल पुलिस बल की आवश्यकता है। भारत में आतंकी हमलों ने देश में साम्प्रदायिक विभाजन के बीज बोने और हमारे शासनतंत्र तथा हमारे सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास किया है। हम प्रत्येक चुनौती के बाद और मजबूत होकर उभरे हैं और हम इस बार भी ऐसा ही करेंगे। मुझे संदेह नहीं है कि मुम्बई हमले भी उनके दुष्ट इरादों को असफल कर देंगे। सभी राजनैतिक दलों का यह दायित्व है कि वे साम्प्रदायिक घृणा और मतभेद के विरुद्ध एकजुट हों। हम आतंकवाद के विरुद्ध यह युद्ध तब तक लड़ कर जीतने में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि हममें एकजुटता नहीं होगी।

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विपत्ति के समय में ही एक राष्ट्र की खरी क्षमता की परख होती है हमें शांत और दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। आतंकवाद द्वारा उत्पन्न इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक राष्ट्र और एक कौम के रूप में दृढ़ता से खड़ा होना होगा। हम अपने शत्रुओं को उचित जवाब देंगे। एक जीवन्त प्रजातंत्र और एक बहुविध समाज व्यवस्था के रूप में भारत की संकल्पना दांव पर लगी है। यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का समय है और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। सच्चाई और न्याय हमारे साथ हैं और हम एक साथ मिलकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे।

सायं 7.30 बजे

मुम्बई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संकल्प प्रस्तुत करें।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:—

"कि यह सभा मुंबई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करती है जिसमें सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे गए तथा जिन मूल्यों के लिए भारत की पहचान है उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि यह घटना इस वर्ष के आरंभ से भारत के विभिन्न भागों में तथा काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् एक घृणित घटना के रूप में हुई;

कि यह सभा गंभीर चिंता के साथ इस तथ्य को भी नोट करती है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 में सूचीबद्ध है तथा पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, ने भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को जारी रखा है और लगातार सक्रिय है;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि वह मुंबई पर हुए हमलों की परिस्थितियों तथा कारणों की समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है;

भारत के लोगों की ओर से, दृढ़तापूर्वक संकल्प करती है कि—

- भारत तब तक अपने प्रयासों को नहीं छोड़ेगा जब तक आतंकवादी और वे लोग जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया है, वित्त पोषण किया है और उत्प्रेरित किया है, का पर्दाफाश नहीं होता और उन्हें दंड नहीं दिया जाता;
- भारत अपनी एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी नापाक इरादों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेगा;
- भारत आतंकवाद की बर्बरतापूर्ण विभीषिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दृढ़संकल्प रहेगा और विजयी होगा; और
- कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का आदर्श कायम रहेगा।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

डा. मनमोहन सिंह ने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा मुंबई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करती है जिसमें सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे गए तथा जिन मूल्यों के लिए भारत की पहचान है उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि यह घटना इस वर्ष के आरंभ से भारत के विभिन्न भागों में तथा काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् एक घृणित घटना के रूप में हुई;

कि यह सभा गंभीर चिंता के साथ तथ्य को भी नोट करती है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 में सूचीबद्ध है तथा पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, ने भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को जारी रखा है और लगातार सक्रिय है;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि वह मुंबई पर हुए हमलों की परिस्थितियों तथा कारणों की समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है;

भारत के लोगों की ओर से, दृढ़तापूर्वक संकल्प करती है कि—

- भारत तब तक अपने प्रयासों को नहीं छोड़ेगा जब तक आतंकवादी और वे लोग जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया है वित्त पोषण किया है और उत्प्रेरित किया है, का पर्दाफाश नहीं होता और उन्हें दंड नहीं दिया जाता;
- भारत अपनी एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी नापाक इरादों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेगा.
- भारत आतंकवाद की बर्बरतापूर्ण विभीषिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दृढ़संकल्प रहेगा और विजयी होगा; और
- कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का आदर्श कायम रहेगा।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। हमें गर्व है कि हम सब आज इस खतरे से लड़ने में एकजुट हैं।

मैं सदन के सभी वर्गों द्वारा दिखाए गए प्रशंसनीय सहयोग के लिए आभारी हूं। हमें इस सदन से जुड़कर गर्व की अनुभूति होती है जिसने उत्कृष्ट नेतृत्व, एकता और चिन्ता का भाव प्रदर्शित किया है और जिसने आज अपने मूल्यों, शाश्वत मूल्यों के लिए लड़ने का संकल्प लिया और यह कभी भी आतंकवादियों को अपनी धरती पर सफल नहीं होने देगा।

सदन के सभी सदस्यों को मेरी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.34 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008/ 21 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	181
2.	श्री कीरेन रिजीजू प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	182
3.	श्री पी. राजेन्द्रन श्री रशीद मसूद	183
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव डा. एम. जगन्नाथ	184
5.	श्री पी.सी. थामस	185
6.	श्रीमती करुणा शुक्ला श्री शैलेन्द्र कुमार	186
7.	प्रो. एम. रामदास श्री मदन लाल शर्मा	187
8.	श्री रेवती रमन सिंह श्री नकुल दास राई	188
9.	श्री अबु अयीश मंडल श्री सी.के. चन्द्रप्पन	189
10.	श्री गुरूदास दासगुप्त	190
11.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	191
12.	श्री सुनील खां श्री बसुदेव आचार्य	192
13.	श्री रनेन बर्मन श्री हितेन बर्मन	193
14.	श्री अजय चक्रवर्ती	194
15.	श्री सुग्रीव सिंह श्री नन्द कुमार साय	195
16.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	196
17.	श्री एम. श्री निवासुलु रेड्डी श्री के.एस. राव	197
18.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	198
19.	श्रीमती निवेदिता माने श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	199
20.	श्री परसुराम माझी श्री हंसराज गं. अहीर	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1837
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1910
3.	आदित्यनाथ, योगी	1828, 1933

1	2	3
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1847, 1912, 1915, 1979
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1806, 1909, 1914, 1950
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1889
7.	अजय कुमार, श्री एस.	1823, 1832, 1935
8.	अंगडि, श्री सुरेश	1797
9.	अप्पादुरई, श्री एम.	1823, 1840, 1914, 1917, 1944
10.	आठवले, श्री रामदास	1835, 1938
11.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1782
12.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	1785, 1892, 1932, 1939, 1987
13.	बर्मन, श्री हितेन	1943
14.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	1860
15.	भगोरा, श्री महावीर	1808, 1929, 1945
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1812, 1928
17.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1850
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1873
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1920, 1926
20.	चालिहा, श्री किरिप	1868, 1972
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1830, 1863, 1922
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1786, 1893
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1820
24.	चौधरी, श्री पंकज	1844, 1859, 1905, 1937
[illegible]	चौधरी, श्री अधीर	1845, 1948
[illegible]	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1922

1	2	3
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1875, 1978
28.	धोत्रे, श्री संजय	1795, 1898, 1925
29.	दत्त, श्रीमती प्रिया	1789
30.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1823, 1834, 1865, 1914
31.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1766
32.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	1826, 1958
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1844, 1939, 1946
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1934, 1947
35.	गांधी, श्रीमती मेनका	1839, 1866, 1981
36.	गंगवार, श्री संतोष	1827, 1851, 1956
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1836
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	1837
39.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1774, 1853, 1960
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	1905
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1803, 1940
42.	जयाप्रदा, श्रीमती	1764, 1908, 1917
43.	जिन्दल, श्री नवीन	1784, 1826, 1891, 1937
44.	जोगी, श्री अजीत	1854, 1914, 1962
45.	कनोडिया, श्री महेश	1771, 1855, 1862, 1939, 1963
46.	करुणाकरन, श्री पी.	1817
47.	कस्वां, श्री राम सिंह	1864
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1768, 1950, 1968
49.	खां, श्री सुनील	1924

1	2	3
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1790
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1791, 1839, 1842, 1897, 1989
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1780, 1820, 1887, 1986
53.	कृष्ण, श्री विजय	1826, 1858, 1967
54.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1818
55.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	1850
56.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1815, 1921
57.	महरिया, श्री सुभाष	1788, 1895, 1972
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	1846, 1949
59.	महतो, श्री टेक लाल	1844, 1867, 1966, 1971
60.	माझी, श्री परसुराम	1951
61.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1820, 1879
62.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	1799, 1902
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	1934, 1947
64.	मसूद, श्री रशीद	1831
65.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1819
66.	मैन्या, डा. टोकचोम	1857, 1966
67.	मिश्रा, डा. राजेश	1837
68.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1862, 1939
69.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1825, 1931
70.	मुकीम, मो.	1872
71.	मो. ताहिर, श्री	1908
72.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1841

1	2	3
73.	मंडल, श्री अबु अयीश	1920
74.	मुन्शी राम, श्री	1827
75.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1823, 1929
76.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1870, 1937, 1973
77.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1770, 1975
78.	नन्दी, श्री अमिताभ	1821, 1923
79.	नायक, श्री अनन्त	1805, 1904, 1914
80.	निखिल कुमार, श्री	1871, 1957, 1974
81.	ओराम, श्री जुएल	1778, 1885, 1985
82.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1820, 1930
83.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1769, 1878, 1983
84.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1774, 1953, 1960
85.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1777, 1966
86.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1880, 1984
87.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1906, 1919, 1927, 1930
88.	पाठक, श्री हरिन	1855, 1862, 1939, 1963, 1970
89.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1824
90.	पाटिल, श्री डी.बी.	1833, 1936
91.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	1776, 1884
92.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1795, 1822, 1898, 1925
93.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1889
94.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1908
95.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1792, 1956, 1976

1	2	3
96.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1787, 1894, 1952
97.	राजगोपाल, श्री एल.	1801, 1907
98.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	1765, 1836, 1873, 1899, 1990
99.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1913
100.	रामदास, प्रो. एम.	1918
101.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1775, 1883
102.	राणा, श्री काशीराम	1869, 1914
103.	रानी, श्रीमती के.	1809, 1966, 1982
104.	राव, श्री के.एस.	1911, 1912
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1839, 1874, 1977
106.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1814, 1820, 1955
107	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1849, 1913, 1952
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1843
109.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1813, 1839, 1942, 1964
110.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1834, 1937
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1932
112.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1794
113.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1830, 1863
114.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1772, 1833, 1881
115.	रिजीजू, श्री कीरेन	1879
116.	साई प्रताप, श्री ए.	1807
117.	साय, श्री नन्द कुमार	1906, 1919, 1927, 1930
118.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1810, 1961

1	2	3
119.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1848
120.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1813, 1839, 1942
121.	शर्मा, श्री मदन लाल	1918
122.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1912, 1915, 1979
123.	शिवन्ना, श्री एम.	1838, 1941
124.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	1802, 1917
125.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1796, 1900, 1918, 1991
126.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1783, 1954
127.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1778, 1804, 1950, 1966
128.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1912
129.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1811
130.	सिंह, श्री देवव्रत	1914
131.	सिंह, श्री दुष्यंत	1876
132.	सिंह, श्री गणेश	1851
133.	सिंह, श्री मानिक	1793, 1959
134.	सिंह, श्री रेवती रमन	1919
135.	सिंह, श्री सुग्रीव	1906, 1919, 1927, 1930
136.	सिंह, श्री सूरज	1816, 1914
137.	सिंह, श्री उदय	1852, 1912, 1957
138.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1771, 1855, 1862, 1939, 1963
139.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1773, 1942
140.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1779, 1838, 1976, 1886, 1918
141.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1829

1	2	3
142.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	1877
143.	सुमन, श्री रामजीलाल	1816, 1830, 1914, 1934
144.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1798, 1901, 1939, 1992
145.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1763, 1890
146.	थामस, श्री पी.सी.	1913, 1916, 1947
147.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1896, 1909, 1988
148.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1770, 1802, 1917
149.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1856, 1912, 1965, 1979
150.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1842, 1980
151.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1781, 1881, 1888
152.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1882, 1913, 1935
153.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1831
154.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1847, 1912, 1915
155.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1767
156.	यादव, श्री गिरिधारी	1767, 1800, 1903, 1966
157.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1908
158.	यास्खी, श्री मधु गौड	1934, 1947
159.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1844, 1861, 1905, 1919, 1969

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक		185, 190, 192, 193, 196, 198, 199, 200
नागर विमानन		182, 184, 194
संस्कृति	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
भारी उद्योग और लोक उद्यम		
अल्पसंख्यक मामले		
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	181, 186, 189
रेल	:	183, 191
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	187
इस्पात	:	
पर्यटन		188, 195, 197

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1763, 1764, 1766, 1774, 1807, 1811, 1818, 1909, 1917, 1943, 1979, 1980
नागर विमानन		1779, 1801, 1802, 1810, 1813, 1819, 1823, 1831, 1837, 1838, 1839, 1840, 1848, 1849, 1853, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1874, 1878, 1883, 1890, 1898, 1905, 1915, 1918, 1920, 1823, 1924, 1925, 1928, 1929, 1931, 1935, 1937, 1942, 1957, 1969, 1973, 1978, 1985, 1990, 1992
संस्कृति		1777, 1791, 1800, 1821, 1834, 1846, 1866, 1875, 1927, 1930, 1977, 1891
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		1785, 1792, 1804, 1809, 1991
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1769, 1783, 1816, 1914, 1934, 1989
अल्पसंख्यक मामले		1817, 1841, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		1772, 1773, 1782, 1784, 1794, 1797, 1798, 1820, 1825, 1829, 1832, 1835, 1844, 1845, 1847, 1859, 1863, 1868, 1879, 1880, 1882, 1889, 1892, 1901, 1903, 1912, 1940, 1946, 1951, 1953, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1968, 1972, 1974, 1984
रेल		1765, 1770, 1771, 1778, 1780, 1781, 1786, 1787, 1788, 1790, 1793, 1796, 1799, 1806, 1808, 1812, 1815, 1822, 1826, 1827, 1828, 1830, 1833, 1836, 1843, 1854, 1855, 1856, 1860, 1862, 1864, 1867, 1869, 1872, 1873, 1877, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908, 1910, 1913, 1916, 1919, 1921, 1926, 1933, 1936, 1938, 1941, 1944, 1945, 1948, 1949, 1952, 1956, 1958, 1961, 1963, 1970, 1971, 1975, 1976, 1982, 1983, 1986, 1988
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1767, 1776, 1814, 1824, 1850, 1881
इस्पात	:	1768, 1803, 1805, 1842, 1851, 1852, 1911, 1922, 1950, 1954, 1967
पर्यटन	:	1775, 1789, 1795, 1858, 1876, 1932, 1939, 1955, 1962, 1987

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हे। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/35/10/2008 (एन०)
215

© 2008 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।